लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पन्द्रहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 90
Dated 13 June 2018

(खंड 37 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

प्रभा सक्सेना
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

सुमन रतन
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
संपादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

पंचदश माला, खण्ड 37, पंद्रहवां सत्र, 2014/1935 (शक)

अंक 19, मंगलवार, 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1936 (शक)

विषय	**कॉलम**
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341	1-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 342 से 360	6-58
अतारांकित प्रश्न संख्या 3769 से 3871, 3873 से 3969 और 3971 से 3998	57-664
सभा पटल पर रखे गये पत्र	664-680 701-702
वित्तीय समितियां (2012-13) — एक समीक्षा	680
अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 128वीं और 129वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन	680
प्राक्कलन समिति	
(एक) 35वां और 36वां प्रतिवेदन	680-681
(दो) कार्यवाही सारांश	681
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
(एक) 32वां और 33वां प्रतिवेदन	681-682
(दो) कार्यवाही सारांश	682-683
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
(एक) 35वां प्रतिवेदन	683
(दो) विवरण	683
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 58वां प्रतिवेदन	683-684
(दो) की गई कार्यवाही विवरण	684
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
22वां प्रतिवेदन	684

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण........ 684-685

रेल संबंधी स्थायी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन........ 685

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

विवरण........ 685

कोयला और इस्ताप संबंधी स्थायी समिति

52वां और 53वां प्रतिवेदन........ 686

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

44वां प्रतिवेदन........ 686

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

114वां प्रतिवेदन........ 686-687

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज........ 687

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारयों कल्याण-एक मामला परक अध्ययन' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री बेनी प्रसाद वर्मा........ 687-688

(तीन) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री दिनशा पटेल........ 688-689

(चार) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती परनीत कौर 689

(पांच) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वन की स्थति

श्री पबन सिंह घाटोवार........ 690

विषय	कॉलम

कार्य मंत्रणा समिति 690-691

55वां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आंग्ल भारतीय समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किए जाने तथा इस समुदाय का एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में नाम-निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस 691-692

(दो) आन्ध्र प्रदेश के जिला करीमनगर में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 692

(तीन) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने तथा जिले के प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 693

(चार) आन्ध्र प्रदेश में यदगिरिगुट्टा से एटुरूनगरम तक चार लेन वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला 693

(पांच) ग्रामीण डाक सेवकों तथा सर्व-शिक्षा अभियान और भारत संचार निगम लिमिटेड में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज 694

(छह) तमिलनाडु में थमिराभरनी नदी की करूमेनी और नाम्बी नदियों से जोड़ने के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 694-695

(सात) डीग, कामां, जुरेहरा और पलवल को भरतपुर और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने तथा धोलापुर से भरतपुर के लिए सीधा सड़क सम्पर्क मार्ग उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह 695-696

(आठ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली बीमा राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 696-697

(नौ) देश में कर अपवंचन पर नियंत्रण करने के लिए कठोर उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील 697

विषय	कॉलम

(दस) राजस्थान के सिरोही जिले तक रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 697-698

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 698

(बारह) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए निधियां आबंटित किए जाने तथा उत्तर प्रदेश में देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरहज और मऊ के बीच घाघरा नदी का पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 698-699

(तेरह) तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. कलिगनार मुथुवेल करूणानिधि को "भारत रत्न" दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 699-700

(चौदह) विगत वर्षों के प्रसिद्ध मलयालम फिल्म कलाकार, स्वर्गीय प्रेम नजीर के सम्मान और उनकी स्मृति में केरल के तिरूवनन्तपुरम जिले में चेराईनकीझू में एक फिल्म संग्रहालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पत 700

(पन्द्रह) तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्येताओं को छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. लिंगम 700-701

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 703

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014

विचार करने के लिए प्रस्ताव 703-704

श्री सुशील कुमार शिंदे 703-707

श्रीमती सुषमा स्वराज 707-710

श्री एस. जयपाल रेड्डी 710-712

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी 712

श्री शैलेन्द्र कुमार 712

विषय	कॉलम
श्री दारा सिंह चौहान	712-713
प्रो. सौगत राय	713
श्री मधु गौड़ यास्खी	713-720
श्री गुरूदास दासगुप्त	720
श्री सुदीप बंदोपाध्याय	720
श्री पन्ना लाल पुनिया	720
श्री सुरेश कुमार शेटकर	720-722
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	722-729
श्री पोन्नम प्रभाकर	729-742
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	742-748
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	748
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	748
श्री अर्जुन राम मेघवाल	748
डॉ. जी. विवेकानंद	748-750
खंड 2 से 109 और 1	750-780
पहली से तेरहवीं अनुसूची	780-862
पारित करने के लिए प्रस्ताव	862
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	863-864
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	864-872
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	871-872
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	871-874

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री सतपाल महाराज

श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

लोक सभा

मंगलवार, 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को श्री भीम सिंह पटेल के दु:खद निधन की सूचना देनी है जो दसवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पटेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे।

श्री भीम सिंह पटेल का निधन 54 वर्ष की आयु में 22 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में हुआ।

हम श्री भीम सिंह पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं संप्रेषित करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देन मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : महोदया, सरकार को अलग संकल्प के साथ यूएनएचआरसी को प्रस्ताव भेजने चाहिए।...*(व्यवधान)*

11.02¼ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 341 – श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी।

नई निवेश नीति-2012

+

***341. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरिया क्षेत्र में निवेश को सुकर बनाने संबंधी नई निवेश नीति-2012 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) नई निवेश नीति-2012 के अंतर्गत कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और निवेश संबंधी प्रस्तावों/परियोजनाओं के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2015 के अंत तक देश में किसानों द्वारा घरेलू खपत हेतु विभिन्न उर्वरकों की आवयश्यकता का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी उर्वरक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों की घरेलू उर्वरक कंपनियां उक्त मांग को पूरा पाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की समय पर आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) यूरिया क्षेत्र में निवेश को सुकर बनाने के लिए नई निवेश नीति (एनआईपी) – 2012 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- यह नीति केवल गैस आधारित संयंत्रों का ही समर्थन करती है।
- इसमें 6.5 अमेरिकी डॉलर से 14 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू गैस के सुपुर्दगी मूल्य के आधार पर गणना किए गए लचीले न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की संरचना है।
- न्यूनतम मूल्य 12% के इक्विटी पर प्राप्ति (आरओई) पर और अधिकतम मूल्य 20% के आरओई पर निर्धारित किए गए हैं।

- ग्रीनफील्ड/पुनरुद्धार एवं ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य में वृद्धि सुर्पुदगी गैस मूल्य में वृद्धि के अनुसार होगी अर्थात् सुपुर्दगी गैस मूल्य में प्रत्येक 0.1 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू वृद्धि से न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों में 2 अमेरिकी डॉलर/मी.टन की वृद्धि होगी जो 14 अमेरिकी डॉलर/एमएबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य तक चलेगी।
- 14 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य के बाद केवल न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की जाएगी।
- पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य, सुपुर्दगी गैस मूल्य 7.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू से जुड़े होंगे और सुपुर्दगी गैस मूल्य में 0.1/एमएमबीटीयू की प्रत्येक वृद्धि के लिए अधिकतम मूल्य 2.2 अमेरिकी डॉलर मी.टन तक बढ़ेगा।
- यह बंद इकाइयों के पुनरुद्धार का समर्थन करती है।
- यह संसाधन संपन्न देशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय उद्योग द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करती है।
- नीति यूरिया के उपयोग में दक्षता में सुधार के लिए यूरिया को दानेदार अथवा विलेपित/संपुष्ट यूरिया के रूप में उत्पादित करने के लिए इकाइयों को न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य में 10 अमेरिकी डॉलर/मी.टन की अतिरिक्त राशि का प्रोत्साहन देती है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में इकाइयों के लिए गैस मूल्य के संबंध में विशेष छूट, जो भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है, केवल नए निवेश को ही मिलेगी। सुपुर्दगी मूल्य (विशेष छूट की अनुमति के पश्चात्) 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से कम होने पर लागू न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य का उपयुक्त समायोजन किया जाएगा, जो वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।
- नीति, अधिसूचना की तिथि से पांच वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू करने वाली सभी इकाइयों पर लागू होगी और इसमें उत्पादन शुरू करने से लेकर आठ वर्षों के लिए गारंटी शुदा पुनर्खरीद की व्यवस्था है।

2012 की अधिसूचना के जवाब में अब तक 14 कंपनियों (पीएसयू सहित) ने नई ब्राउनफील्ड/ग्रीनफिल्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एनआईपी-2012 हेतु प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा, एक निजी क्षेत्र की कंपनी ने नाइजीरिया में एक संयुक्त उद्यम अमोनिया-यूरिया परियोजना (विदेश/संयुक्त परियोजनाओं के लिए एनआईपी-2012 के अंतर्गत प्रावधान की प्रतिक्रिया में) प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय एनआईपी-2012 के संशोधन, जो सरकार के विचाराधीन है, के बाद लिया जाएगा।

प्रत्येक फसल मौसम अर्थात्, खरीफ और रबी के प्रारंभ होने से पहले कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) आगामी फसल मौसम अर्थात् खरीफ (अप्रैल से अक्तूबर) और रबी (अक्तूबर से मार्च) के लिए उर्वरकों की मांग का आकलन करने के लिए अर्द्धवार्षिक आंचलिक सम्मेलन आयोजित करता है। सभी राज्यों के कृषि विभाग के अधिकारी, आपूर्तिकर्ता/उर्वरक कंपनियां, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) के अधिकारी, रेल मंत्रालय और उर्वरक विभाग के अधिकारी इन अर्धवार्षिक आंचलिक सम्मेलनों में भागीदारी करते हैं। वर्ष 2014 के लिए खरीफ की अंतिम आवश्यकता का पता फरवरी 2014 में आंचलिक सम्मेलन पूरा होने के बाद चलेगा। तथापि, पिछले 4 मौसमों के दौरान आवश्यकता/बिक्री (खपत) को देखते हुए वर्ष 2014-15 के लिए आकलित आवश्यकता नीचे दर्शाई गई है:—

(आंकड़े लाख मी.टन में)

मौसम-वार उर्वरकों की आवश्यकता

	2012-13					
	खरीफ		रबी		योग	
उत्पाद	आवश्यकता	बिक्री	आवश्यकता	बिक्री	आवश्यकता	बिक्री
यूरिया	152.82	135.80	164.61	165.78	317.43	301.58
डीएपी	69.40	40.79	54.18	51.43	123.58	92.22
एमओपी	21.98	10.98	25.84	10.36	47.82	21.34
एनपीके	55.53	39.45	55.99	37.83	111.52	77.28

उत्पाद	2013-14					
	खरीफ		रबी		योग	
	आवश्यकता	बिक्री	आवश्यकता	बिक्री (जनवरी'14 तक)	आवश्यकता	बिक्री
यूरिया	153.18	150.99	*163.71	112.90	316.89	263.89
डीएपी	64.59	32.30	45.26	25.90	109.85	58.20
एमओपी	20.25	10.99	14.87	6.47	35.12	17.46
एनपीके	54.83	32.60	52.52	29.45	107.35	62.05

उत्पाद	2014-15		
	खरीफ आवश्यकता	रबी आवश्यकता	योग
यूरिया	153.18	*163.71	316.89
डीएपी	64.59	45.26	109.85
एमओपी	20.25	14.87	3512
एनपीके	54.83	52.52	107.35

*रबी 2013-14 के लिए कुल आकलित आवश्यकता 171.96 लाख मी.टन है जिसमें 8.25 लाख मी.टन का रिजर्व आबंटन शामिल है।

वर्ष 2012-13 की तुलना में मौजूदा वर्ष में पीएंडके उर्वरकों की आवश्यकता और बिक्री में कमी आई है। इसलिए, वर्ष 2014-15 के लिए पीएंडके उर्वरकों की आवश्यकता को 2013-14 के स्तर पर रखा गया है।

मौजूदा वर्ष में यूरिया के लिए आवश्यकता और बिक्री पिछले वर्ष के साथ तुलनीय है। इसलिए, वर्ष 2014-15 के लिए यूरिया की आवश्यकता का वर्ष 2013-14 के समान स्तर पर रहने का अनुमान है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता और अनुमानित स्वदेशी उत्पादन तथा कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े लाख मी.टन में)

उत्पाद	आवश्यकता	स्वदेशी उत्पादन	कमी
1	2	3	4
यूरिया	316.6	230.1	86.50
डीएपी	109.85	53.81	56.04
एमओपी	35.13	00.00	35.13
एनपीके	107.36	80.62	26.74

उर्वरकों की आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर (कमी) को आयात के जरिए पूरा किया जाएगा, जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था।

[हिन्दी]

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए 68 साल हो चुके हैं।...*(व्यवधान)* हम आज तक फर्टिलाइजर इम्पोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

इस समय श्री के. बापीराजू, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री सी. शिवासामी, श्री ए.के.एस. विजयन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बच्चों के प्रति अपराध

***342. श्री संजय धोत्रे :**
श्री बदरुद्दीन अजमल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों पर व्यक्त चिंताओं का निराकरण करने वाले विधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बच्चों के दुर्व्यापार, गुमशुदा बच्चों, यौन उत्पीड़न दासता और उनके कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक विधान लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा विधान कब तक लाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों और अन्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (ग) भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को दंडि विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 पर अपनी सहमति दे दी है, जो 3 फरवरी, 2013 से लागू हो चुका है। उक्त अधिनियम में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 को धारा 370 और 370क आईपीसी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसमें किसी भी रूप में बच्चों के शोषण जैसे शारीरिक शोषण अथवा यौन शोषण, गुलामी, दासता अथवा जबरन अंग निकालने सहित बच्चों की मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए समग्र उपायों के प्रावधान है।

यौन अपराधों से बाल सुरक्षा (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012, जो 4 नवंबर, 2012 से लागू हुआ है, बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न से सुरक्षा दिलाने वाला एक विशेष कानून है।

उपर्युक्त के अलावा बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए अनेक विशिष्ट कानून हैं, जो इस प्रकार हैं:—

- बाल श्रम निषेध (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986
- बाल विवाह निषेघ अधिनियम, 2006
- दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में यथा संशोधित) और आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं

उपर्युक्त कानूनों में बच्चों के विरुद्ध अपराध के समस्त पहलू समग्र रूप से शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। गृह मंत्रालय को इस संबंध में ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

***343. श्री एम. कृष्णास्वामी :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को शामिल किए जाने/उनको हटाए जाने और उनकी वास्तविक रूप से पहचान किए जाने के लिए बनाए गए मानदंड क्या है और लाभार्थियों को किस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता और भंडारण हेतु स्थान का आकलन किया है तथा अधिक खरीद के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस हद तक मूल्य में परिवर्तन होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समुचित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा बनाई गई कार्य योजना और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना से देश की जनता विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में पोषण संबंधी मानकों में किस हद तक सुधार आएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें स्वयं द्वारा यथानिर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवरेज के लिए व्यक्तियों की राज्य-वार निर्धारित संख्या के भीतर प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करेंगी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता 614.3 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान गेहूं और चावल की औसत वार्षिक खरीद 617.8 लाख टन रही है। खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी खरीद के वर्तमान स्तरों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की आवश्यकता घरेलू उत्पादन के लिए पूरी हो जाने की संभावना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 763.35 लाख टन है जो केन्द्रीय पूल के स्टॉक के लिए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु पर्याप्त है।

(घ) यह अधिनियम दिनांक 05.07.2013 को लागू माना गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से अधिकतम 365 दिन के भीतर पात्र परिवारों की पहचान करेंगे। इस अधिनियम के तहत अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को लाभभोगियों की पहचान में उनके द्वारा की गई प्रगति की सूचना के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। शेष राज्यों में अधिनियम को कार्यान्वित करने की तैयारी विभिन्न स्तरों पर है। इन राज्यों को इस बात के लिए सहमत किया जा रहा है कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर परिवारों की पहचान तथा तैयारी संबंधी अन्य कार्य पूरे करें तथा इस अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू करें।

(ङ) इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को कवर किए जाने का प्रावधान है, जिससे लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कवर हो जाएगी। इसके अलावा, इस अधिनियम में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पोषणिक सहायता देने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इन प्रावधानों से इस अधिनियम द्वारा महिलाओं तथा बच्चों सहित देश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए भोजन तथा पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित होने की आशा है।

भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों को नौकरियां

***344. श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र में भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों के रोजगार की क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार भिन्न रूप सशक्त व्यक्तियों को नौकरियां दिए जाने को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए नौकरियां सृजित करने के लिए प्रतिवर्ष आरंभ की गई योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों के लिए सृजित की गई नौकरियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय निधि का सृजन किया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति अथवा विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के लिए विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों की रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत निर्धारित करेगी जो कम से कम तीन प्रतिशत हो, जिसमें से निम्नलिखित में से प्रत्येक विकलांगता के लिए एक-एक प्रतिशत आरक्षित होगा:—

(i) दृष्टि विकलांगता या अल्प दृष्टि

(ii) श्रवण बाधिता

(iii) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के तहत ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन किसी विभाग अथवा स्थापना में निष्पादित कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, किसी भी स्थापना को उस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति तैयार की गई है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों सहित सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों को जारी की गई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिसंबर, 2005 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है जो समूह "क", "ख", "ग" तथा "घ" पदों के आरक्षण का निर्धारण, इस प्रयोजनार्थ रोस्टर का अनुरक्षण करने इत्यादि के बारे में है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 3.12.2013 के अपने आदेश के तहत वर्ष 2005 में जारी किए गए समेकित निर्देशों में संशोधन किया है और सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कंपनियों को निदेश दिया है कि वे संवर्ग में सभी समूह 'क' अथवा समूह 'ख' पदों में सीधे भर्ती कोटा में सृजित होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर क्रमश: समूह 'क' अथवा समूह 'ख' पदों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का निर्धारण करें। इसके अलावा, निर्देशों में यह प्रावधान है कि नोडल अधिकारी द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने को अवज्ञा का कृत्य माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध इस चूक के लिए विभागीय कार्यवाही की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा अनुरक्षित विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार

के मंत्रालयों/विभागों में नि:शक्तजनों के प्रतिनिधित्व संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल
2009	1225	1969	7892	11086
2010	1697	2533	11438	15668
2011	1585	2003	9022	12610

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रोजगार के संदर्भ में आंकड़ों की निगरारी ऐसे उद्यमों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक तौर पर निगरानी की जाती है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों और नि:शक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों के लिए भर्ती आरक्षण नीति के तहत संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन द्वारा की जाती है।

सार्वजनिक एवं निजी सेक्टरों द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों को प्रदान किए रोजगार से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 41 में इस बात का प्रावधान है कि उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण अपनी आर्थिक क्षमता एवं प्रगति की सीमा के भीतर, सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर दोनों के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके कार्यबल का कम-से-कम 5% प्रतिशत नि:शक्तजनों का है।

नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना दिनांक 01.04.2008 से आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, भारत सरकार दिनांक 01.04.2008 को या इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त 25,000 रुपए तक मासिक वेतन वाले नि:शक्त कर्मचारियों के लिए 3 वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) हेतु कर्मचारी अंशदान प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति हैं:—

(i) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत यथा परिभाषित नि:शक्त व्यक्ति।

(ii) ईपीएफ अधिनियम, 1952 तथा ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत कवर होने वाले कर्मचारी।

(iii) दिनांक 1.4.2008 को अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारी।

वर्ष 2013-14 के दौरान 52.50 लाख रुपए की राशि सहित अब तक इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को कुल 8.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सृजित नौकरियों की संख्या के बारे में आंकड़े का संग्रहण केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की है, जिसमें से मान्यता प्राप्त संस्थानों से पीएचडी एवं एम. फिल सहित मैट्रिकोत्तर/माध्यमिकोत्तर तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष 500 नि:शक्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तथापि, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता, बहु विकलांगता तथा गंभीर अथवा गहन श्रवण विकलांगता से ग्रस्त नि:शक्त छात्रों के लिए, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आठवीं कक्षा निर्धारित की गई है और उन्हें सामान्य, तकनीकी, पेशेवर या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त छात्रवृत्ति का ब्यौरा निम्नवत है:—

क्र. सं.	शैक्षिक वर्ष	छात्रवृत्ति	राशि
1.	2009-10	417	.52,81,975/- रुपए
2.	2010-11	470	.60,15,775/- रुपए
3.	2011-12	503*	.66,64,524/- रुपए
4.	2012-13	509*	.62,09,860/- रुपए
5.	2013-14	512*	.53,35,351/- रुपए

*नवीकरण छात्रवृत्ति सहित।

नि:शक्तजन अधिकारी विधेयक, 2014 (जो दिनांक 7 फरवरी, 2014 को राज्य सभा में पेश हुआ) में इस बात का प्रावधान है कि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि के नाम से एक निधि बनाई जाए तथा निम्नलिखित राशि उसमें जमा की जाएगी:—

(क) वर्ष 1983 में गठित नि:शक्त व्यक्ति निधि तथा वर्ष 2006 में गठित नि:शक्त व्यक्ति सशक्तीकरण न्यास निधि के तहत उपलब्ध संपूर्ण राशि।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि।

(ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या अंतरणों के माध्यम से प्रापत सभी राशि।

(घ) सहायता अनुदान राशि सहित केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशि।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशि।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

***345. श्री पी.के. बिजू : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषधियों की कमी/इनकी अपर्याप्त आपूर्ति के कारण ऐसी औषधियों को अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार क्या क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जीवन रक्षक औषधियों के भंडार/उपलब्धता के बारे में समय-समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसी औषधियों का अनुमानित भंडार/उत्पादन कितना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में जीवन रक्षक औषधियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऐसी औषधियों की आपूर्ति/उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) "जीवन रक्षक औषधियां" औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) में परिभाषित नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को इस आशय की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि देश में ऐसी औषधियों की कमी/अपर्याप्त आपूर्ति के कारण जीवन रक्षक औषधियों को उच्च मूल्यों पर बेचा जा रहा है। एनपीपीए राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन से प्राप्त मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग व्यक्तियों आदि से प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हों, के आधार पर औषधियों की कमी और उपलब्धता की मॉनीटरिंग करता है। ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद एनपीपीए तत्काल मामले को संबंधित विनिर्माता के साथ उठाता है और उन्हें सलाह देता है कि वे प्रभावित क्षेत्र में तुरंत स्टॉक भेजें।

इसके अतिरिक्त, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 21 (i) में में अनुसूचित दवाओं (एनएलईएम दवाओं) के उत्पादन/आयात तथा बिक्रियों और विनिर्माता/आयातक/विपणनकर्ता द्वारा उक्त आदेश के फार्म-III में बताए गए अनुसार अनुसूचित फॉर्मूलेशनों में निहित सक्रिय औषधि घटकों के संबंध में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। बाजार से किसी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की बिक्री को बंद करने के इच्छुक अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के किसी भी विनिर्माता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक सार्वजनिक नोटिस जारी करे और एनपीपीए को डीपीसीओ, 2013 के फार्म-IV में इसकी सूचना दे। एनपीपीए को विनिर्माता को जनहित में एक वर्ष तक की अवधि के लिए उत्पादन अथवा आयात के अपेक्षित स्तर के साथ जारी रखने का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित कीटनाशक

***346. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि फलों, सब्जियों और अन्य फसलों के उत्पादन और उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कतिपय प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिसका मानव स्वास्थ्य, मृदा और पशुधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फलों, सब्जियों और अन्य फसलों में कीटनाशक के अवशेषों के स्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) देश में हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग के संबंध में मीडिया में रिपोर्ट आती रही

हैं। खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विक्रय पर निषेष तथा प्रतिबंध) विनियमन 2011, उन फलों की बिक्री का निषेध करता है, जिसे एसीटिलीन गैस के प्रयोग द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, जिसे सामान्य रूप से कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, जो कैल्शियम कार्बाइड से उत्पन्न होता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा/खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, जो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके नियमों/विनियमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं, को फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस तथा अन्य खतरनाक रसायनों के प्रयोग पर एक सख्त निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों के उपभोग के विरुद्ध लोगों के बीच जागरूकता सृजन का सुझाव दिया गया है।

उपभोक्ताओं को फलों को पकाने के लिए 100 पीपीएम तक गैस के रूप में इथेलीन अथवा आम, टमाटर एवं काफी बेरी को पकाने के लिए 39 प्रतिशत एसएल इथेफोन जैसे सुरक्षित उत्पादों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) भारत सरकार "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" नामक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति हेतु फलों तथा सब्जियों सहित विभिन्न खाद्य जिन्सों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

(घ) अप्रैल, 2009 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान, सब्जियों, फलों, मसालों, चावल, गेहूं, दलहन, दूध, पशु आहार, मछली/क्रस्टासीन चाय, शहद, मांस, अंडा, सिंचित जल आदि के कुल 54,195 नमूनों को एकत्रित किया गया तथा ओर्गेनों-क्लोरीन, ओरगेनो-फोसफोरस, सिंथेटिक पायरेथ्राईडस, कार्बामेट, हर्बीसाइड आदि कीटनाशक अवशेषों के समूह की संभाव्य उपस्थिति का विश्लेषण किया गया, जिसमें प्रतिबंधित कीटनाशक शामिल है। 1085 (2%) नमूनों में अवशेष अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक पाया गया। किसी भी विश्लेषित नमूने में कोई भी प्रतिबंधित कीटनाशक नहीं पाया गया।

(ङ) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों को मानव, पशु तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रति उनकी सुरक्षा के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात ही पंजीकृत करती है। समय-समय पर, समिति, विषाक्तता आदि के संबंध में, अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति होने पर, उन कीटनाशकों की समीक्षा करती है, जिन पर अन्य देशों में रोक/प्रतिबंध है, परंतु भारत में प्रयोग के लिए इनका पंजीकरण जारी है और इनको आगे जारी रखने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती है।

[अनुवाद]

जनजातीय संस्कृति का संवर्धन

***347. श्री प्रदीप माझी :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्यों में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संग्रहालय आदि के संवर्धन हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न संगठनों/संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि/अनुदानों का संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रयोजनार्थ निजी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु ओडिशा सहित राज्यों से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) धनराशि/सहायता को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ङ) सरकार के पास लंबित ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न जनजातीय समुदायों की भाषाओं, लोकनृत्यों, कला एवं संस्कृति के परिरक्षण तथा संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय आंशिक वित्तपोषण द्वारा जनजातीय संस्कृति एवं भाषाओं के परिरक्षण और संवर्धन के अपने प्रयासों के रूप में उन राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है जिनके पास जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआईज) होते हैं। जनजातीय कल्याण एवं विकास हेतु नीतिगत दिशानिर्देश प्रदान करना; अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का संचालन करना और संग्रहालयों/पुस्तकालयों की स्थापना करना; संस्कृति एवं भाषाओं के प्रोन्नयन की दिशा में कार्य करना टीआरआईज के मुख्य कार्यकलाप हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने सर्व शिक्षा अभियान सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में विद्यालयों में 40 से अधिक जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत की विविध संस्कृति के संरक्षण और परिरक्षण के अपने व्यापक अधिदेश के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभिन्न संबद्ध,

अधीनस्त और स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा जनजातीय कला और संस्कृति आदि के संरक्षण और परिरक्षण संबंधी योजना स्कीमें संचालित की जाती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत की संस्कृति के लोकप्रियकरण हेतु कार्यक्रमों को संचालित करता है और देश के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातियों की भाषाओं, लोकनृत्यों, कला एवं संस्कृति का परिरक्षण और संवर्धन इसके महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग हैं।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण मानव विज्ञान संबंधी अनुसंधान कार्य संचालित करता है जिसमें भारत के लोगों के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जीव वैज्ञानिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। देश भर में आठ क्षेत्रीय संग्रहालय हैं जो भारत के विभिन्न समुदायों से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कई संग्रहालय जनजातीय समुदायों और इनकी संस्कृति पर बल देते हैं।

साहित्य अकादमी ने बोडो और संथाली जैसी जनजातीय भाषाओं समेत 24 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। इन भाषाओं के सलाहाकार बोर्ड ने इन भाषाओं के विकास एवं प्रोन्नयन के लिए कार्ययोजना की सिफारिश की है। भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त, साहित्य अकादमी ने अगरतला में उत्तर-पूर्वी वाचिक साहित्य केन्द्र (एनईसीओएल) की स्थापना भी की है। जनजातीय भाषाओं समेत अमान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए पूर्ण रूप से एक भाषण सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ललित कला अकादमी लोक एवं जनजातीय कला की प्रदर्शनियों को आयोजित करती है जिसकी कार्ययोजना को प्रत्येक वर्ष शासी बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसीज)की स्थापना की है, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। ये जेडसीसीज निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न कार्यकलाप तथा कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं:—

(i) राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

(ii) गुरु शिष्य परंपरा स्कीम

(iii) युवा प्रतिभावान कलाकार स्कीम

(iv) लुप्तप्राय: कलारूपों का प्रलेखन

(v) रंगमंच नवीकरण स्कीम

(vi) शिल्पग्राम कार्यकलाप

(vii) लोकतरंग — राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव तथा पूर्वोत्तर भारत का उत्सव-ऑक्टेव

सरकार संग्रहालय अनुदान स्कीम नामक एक स्कीम चलाती है जिसके अंतर्गत जनजातीय संग्रहालयों सहित संग्रहालयों की स्थापना और विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसीज) को जारी की गई धनराशियों तथा संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न संगठनों को प्रदान की गई धनराशियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जेडसीसी का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	320.00	1352.40	271.25	522.35
2.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	326.00	388.00	449.00	389.35
3.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	198.57	176.03	95.04	746.91
4.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	243.73	453.21	273.60	447.36
5.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	307.95	426.67	489.37	504.19
6.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	416.15	432.71	227.39	377.89
7.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	532.76	531.71	353.50	570.00
	कुल	2345.16	3760.73	2159.15	3558.05

संग्रहालय अनुदान स्कीम

क्र. सं.	वर्ष	संगठन	रुपए लाख में
1	2	3	4
1.	2010-11	शून्य	शून्य
2.	2011-12	शून्य	शून्य
3.	2012-13	जनजातीय कला और वस्त्र संग्रहालय सोसाइटी, दीमापुर, नागालैंड	73.58
4.	2013-14	शून्य	शून्य

(ग) संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	राज्य	संगठन का नाम	कृत कार्रवाई
1.	ओडिशा	जनजातीय संग्रहालय, कोरापुट	यह प्रस्ताव नवंबर, 2009 में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय में इस प्रस्ताव की जांच की गई और इसे अपूर्ण पाया गया। अपेक्षित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 29.12.2009 को इस संगठन को सूचना-अपूर्णता संबंधी एक ज्ञापन भेजा गया। दिनांक 12.2.2014 को एक अनुस्मारक जारी किया गया। तथापि, उक्त संगठन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	नागालैंड	जनजातीय कला एवं वस्त्र संग्रहालय, सोसाइटी, दीमापुर नागालैंड	मंत्रालय में यह प्रस्ताव दिसंबर, 2010 में प्राप्त हुआ। इसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष उनकी दिनांक 4.5.2011 और 21.12.2012 की बैठक में रखा गया। प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है तथा अनुदान की पहली किस्त फरवरी, 2013 में जारी कर दी गई है।
3.	झारखंड	झारखंड जनजातीय संग्रहालय, अराउज, गुमला	मंत्रालय में यह प्रस्ताव दिनांक 23.7.2010 को प्राप्त हुआ था। इस संग्रहालय ने अपनी दिनांक 4.5.2011 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में अपना पक्ष रखा। विशेषज्ञ समिति ने संग्रहालय को व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने तथा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी। चूंकि संगठन से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अत: इस प्रस्ताव की समीक्षा की गई और संगठन से उत्तर प्राप्त न होने के कारण इसे बंद कर दिया गया।
4.	मणिपुर	तंगखुल नागा जनजातीय कला एवं सांस्कृतिक संग्रहालय, उखरूल	यह प्रस्ताव फरवरी, 2009 में प्राप्त हुआ था और इस प्रस्ताव की जांच की गई तथा दस्तावेजों की दृष्टि से इसे अपूर्ण पाया गया। अपेक्षित सूचना/दस्तावेज़ उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 9.4.2009 को संगठन को सूचना-अपूर्णता संबंधी एक ज्ञापन भेजा गया। दिनांक 12.2.2014 को एक अनुस्मारक जारी किया गया। संगठन से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। संपूर्ण प्रस्तावों को मूल्यांकित करवाकर विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर उक्त अनुदान जारी किया जाता है।

(ङ) जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं है।

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

***348. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु किन-किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख बढ़ा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त आबंटन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के संशोधित उपबंधों के अनुसार किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) कोयला ब्लॉकों का आबंटन पूर्व में निजी कंपनियों तथा सरकारी कंपनियों को निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया गया था:—

(i) **जांच समिति के माध्यम से केप्टिव वितरण मार्ग:** सार्वजनिक/निजी पार्टियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन जांच समिति नामक अंतर्मंत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय के तंत्र के माध्यम से किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना की तैयार की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्ता की आवश्यकता के साथ ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता की संगतता और आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकॉर्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों आदि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर आबंटन का निर्णय लिया गया था।

(ii) **सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत :** सरकारी कंपनी व्यवस्था मार्ग के अधीन, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से आवेदन मांगते हुए अभिज्ञात ब्लॉकों की सूची परिचालित की गयी थी। इस मार्ग के अधीन सरकारी कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग और वाणिज्यिक खनन, दोनों के लिए केवल सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है जहां कैप्टिव उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(iii) **टैरिफ आधारित बोली मार्ग :** कोयला ब्लॉकों को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रणाली के आधार पर स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजना/अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए भी निर्दिष्ट किया गया है। टैरिफ आधारित बोली मार्ग के अंतर्गत पहचान किए गए कोयला ब्लॉकों को विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया जाता है, जो पात्र कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवार्ड किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के साथ कोयला ब्लॉकों को लिंकेज निर्धारित करता है।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में लगभग 50 बिलियन टन के भू-वैज्ञानिक भंडारों वाले कुल 218 कोयला ब्लॉक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की पात्र कंपनियों को आबंटित किए गए हैं। इनमें से 14.02.2014 की स्थिति के अनुसार, 47 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया गया है। अभी तक लगभग 41.27 बिलियन टन के भू-वैज्ञानिक भंडारों सहित कुल 171 कोयला ब्लॉकों का आबंटन हुआ है।

कोयलाधारी क्षेत्रों में खनन अधिकार प्रदान करने हेतु चयन के लिए सरकार को प्राधिकृत करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम 09.09.2010 को संशोधित किया गया था तथा "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को 02 फरवरी, 2012 अधिसूचित किया गया था:—

(i) **अनुमत्त अन्त्य उपयोग क्रियाकलापों में लगी कंपनी की प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी :** कोयला मंत्रालय ने न्यूनतम कीमत/आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने, मॉडल निविदा दस्तावेज के प्रारूप और सफल बोलीदाताओं के साथ संपन्न करने वाले करार के प्रारूप के तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. के माध्यम से एक परामर्शदाता के रूप में मैसर्स क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी (क्रिसल) को रखा है। विभिन्न स्टेकधारियों की टिप्पणियां मांगने के लिए मैसर्स क्रिसिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए प्रारूप अनुरोध (आरएफपी) और कोयला खान विकास एवं उत्पादन करार (सीएमडीपीए) प्रचालित किए गए थे। यह प्राप्त हो गया है और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) **सरकारी कंपनी को आबंटन के लिए :** सरकारी कंपनियों/निगमों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु 17 कोयला ब्लॉकों (विद्युत के लिए 14 कोयला ब्लॉक और खनन के लिए 3 कोयला ब्लॉक) के लिए 31.12.2012 को आवेदन आमंत्रित करते हुए नोटिस (एनआईए) जारी किया गया था। आवेदक राज्य सरकार, कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु निर्धारित मेजबान राज्यों और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों अर्थात् विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा इस्पात मंत्रालय/औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त टिप्पणियों तथा मूल्यांकन मानदंडों पर प्रत्येक स्तर पर उचित विचार-विमर्श किए गए थे। एक अंतर-मंत्रालयी तकनीकी समिति (आईएमटीसी) का भी गठन किया गया था और आबंटन हेतु निबंधन एवं शर्तों का मूल्यांकन करने तथा आईएमटीसी के विभिन्न विचार-विमर्शों में आबंटन के मानदंडों पर विचार के पश्चात अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने चालू वर्ष अर्थात् 2013-14 के दौरान विद्युत अन्त्य उपयोग के लिए 14 कोयला ब्लॉकों एवं सरकारी कंपनियों/निगमों को खनन अन्त्य उपयोग के लिए 3 कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया था।

(iii) **कंपनी जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना अवार्ड की गई है :** टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवार्ड की गई विद्युत परियोजना वाली कंपनियों को आबंटन हेतु 4 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी जिसके लिए 20 दिसंबर, 2013 को आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया था। अपर्याप्त प्रत्युत्तर के कारण आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2014 से बढ़ाकर 25 जनवरी, 2014 और पुन: इसे बढ़ाकर 27 जनवरी, 2014 कर दिया गया था।

नक्सल-रोधी उपाय

***349. श्री रुद्रमाधव राय :**
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नक्सली हिंसा से प्रभाविज जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने माओवादियों के पुनर्वास हेतु रबड़ की खेती सहित कतिपय नए उपाए किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्राउन्ड सेंसर सिस्टम की अधिप्राप्ति करने का है, जो नक्सलियों की आवाजाही के बारे में सचेत करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नक्सल-रोधी अभियानों में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की मदद लेने सहित देश में नक्सली समस्या से निपटने के लिए क्या व्यापक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) वर्ष 2013 के दौरान, देश के कुल 76 जिलों में वामपंथी उग्रवादी संगठनों की कुछ हिंसक गतिविधियां देखी गईं, जिनमें अधिकांश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा की गईं। इन जिलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) और (ग) वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों की अपनी-अपनी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियां हैं। केन्द्र सरकार इस संबंध में अपनी स्वयं की नीति के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2013 से 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की आत्मसमर्पण - सह-पुनर्वास योजना' संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले उच्च रैंक के वामपंथी उग्रवादी कैडर के लिए 2.5 लाख रुपए और मध्यम/निचले रैंक के वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 1.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन आत्मसमर्पणकत्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए 4000/- रुपए का मासिक वजीफा भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के अंतर्गत हथियारों/गोला-बारुद के समर्पण हेतु भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। रबड़ की खेती के माध्यम से माओवादियों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने सुरक्षा, विकास, सुशासन सुनिश्चित करने और जनअवबोधन प्रबंधन के क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य सरकारें राज्यों में होने वाली वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से विशिष्ट रूप से निपटती हैं। केन्द्र सरकार स्थिति की गहनता से निगरानी करती है और सुरक्षा और विकास, दोनों मोर्चों पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है। केन्द्र सरकार विद्रोह-रोधी अभियानों में राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस

उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 400 सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती है। अन्य सुरक्षा संबंधी पहलों में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए राज्यों को हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी स्कूलों की स्थापना, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन हेतु सहायता, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस और उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन शामिल है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) नक्सल-रोधी अभियानों में क्षेत्र में मौजूद बलों के प्रयासों के संवर्धन हेतु मानव रहित हवाई जहजों (यूएवी) के प्रयोग की व्यवस्था करके सुरक्षा बलों की सहायता कर रहा है। तथापि, नक्सलियों की आवाजाही का पता लगाने के लिए ग्राउंड सेंसर प्रणाली अर्जित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की रणनीति के फलस्वरूप, वर्ष 2011 से वामपंथी उग्रवादी हिंसा में कमी आने की प्रवृत्ति देखी गई है।

विवरण

वामपंथी उग्रवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की
राज्य-वार सूची - 2013

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
2.		विशाखापत्तनम
3.	बिहार	अरवल
4.		औरंगाबाद
5.		बेगूसराय
6.		भोजपुर
7.		पूर्वी चम्पारन
8.		गया
9.		गोपालगंज
10.		जमुई
11.		जहानाबाद
12.		लखीसराय
13.		मुंगेर
14.		मुजफ्फरपुर
15.		नालंदा
16.		पटना
17.		रोहतास
18.		सारण
19.		शिवहर
20.		सीतामढ़ी
21.		वैशाली
22.	छत्तीसगढ़	बालोद
23.		बस्तर
24.		बीजापुर
25.		दांतेवाड़ा
26.		धमतरी
27.		गरियाबंद
28.		जसपुर
29.		कांकेर
30.		कोंडागांव
31.		कोरिया
32.		नारायणपुर
33.		रायगढ़
34.		राजनंदगांव
35.		सुकमा
36.	झारखंड	बोकारो
37.		चतरा
38.		देवगढ़

1	2	3
39.		धनबाद
40.		दुमका
41.		पूर्वी सिंहभूम
42.		गढ़वा
43.		गिरिडीह
44.		गोड्डा
45.		गुमला
46.		हजारीबाग
47.		जामतारा
48.		खूंटी
49.		लातेहर
50.		लोहरडग्गा
51.		पाकुर
52.		पलामू
53.		रामगढ़
54.		रांची
55.		सरायकेला खरसवान
56.		सिमडेगा
57.		पश्चिम सिंहभूम
58.	कर्नाटक	चिकमगलूर
59.		दक्षिण कन्नड़
60.	केरल	कोजीकोड
61.		मलप्पुरम
62.	मध्य प्रदेश	बालाघाटा
63.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली
64.		गोंदिया
65.	ओडिशा	बारगढ़
66.		बोलनगीर
67.		गजपति
68.		कालाहांडी
69.		कंधमाल
70.		कोरापुट
71.		मलकानगिरी
72.		नोपाड़ा
73.		रायगढ़
74.		संबलपुर
75.		सुंदरगढ़
76.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर

चीनी के लिए राजसहायता

***350. श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री हरीश चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के विनियंत्रण का चीनी के मूल्यों पर, विशेष रूप से चीनी का उत्पादन न करने वाले राज्यों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा इसके मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी पर राजसहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या राज्यों को स्थानीय तौर पर चीनी का संग्रहण करने और उस पर उक्त राजसहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) चीनी क्षेत्र के आंशिक विनियमन के बाद देश भर में चीनी का मूल्य स्थिर रहा है और बल्कि पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान चीनी के अधिशेष उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के मूल्य में कमी आने की वजह से चीनी का कम निर्यात होने के कारण हाल के महीनों में चीनी के मूल्य में गिरावट आई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत उचित दर दुकानों के माध्यम से चीनी के वितरण के लिए 13.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. के वर्तमान खुदरा निर्गम मूल्य (आरआईपी) को बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 18.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का कोटा लगभग 27 लाख टन मानते हुए कुल राजसहायता की राशि लगभग 4995 करोड़ रुपए होगी।

(घ) नई व्यवस्था के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को खुला बाजार से पारदर्शी प्रणाली अपनाते हुए चीनी की खरीद करने और टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित मात्रा के लिए केन्द्रीय सरकार से राजसहायता की मांग करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

मछुआरों का कल्याण

***351. श्री के.पी. धनपालन :**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की राज्य-वार कुल कितनी संख्या है;

(ख) मछुआरों के कल्याण संबंधी राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य और उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में मछुआरा समुदाय के कल्याण हेतु विशेष पैकेज देने और एक पृथक कोष की स्थापना करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनावधि में मछुआरों के कल्याण हेतु नियत की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) समुद्री मात्स्यिकी संगणना, 2010 के अनुसार, तटवर्ती राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मछुआरों की आबादी 40,56,2013 है। राज्य-वार मछुआरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	तटवर्ती राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मुछआरों की आबादी
1.	पश्चिम बंगाल	3,80,138
2.	ओडिशा	6,05,514
3.	आंध्र प्रदेश	6,05,428
4.	तमिलनाडु	8,02,912
5.	पुदुचेरी	54,627
6.	केरल	6,10,165
7.	कर्नाटक	1,67,429
8.	गोवा	10,545
9.	महाराष्ट्र	3,86,259
10.	गुजरात	3,36,181
11.	दमन और दीव	40,016
12.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22,188
13.	लक्षद्वीप	34,811
	कुल	40,56,213

(ख) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के उद्देश्य ये हैं: (क) मछुआरों के गांवों में पेयजल और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान, (ख) मछुआरों और उनके परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर, (ग) सक्रिय मछुआरों और उनके आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा, और (घ) आर्थिक सुरक्षा। इस योजना में सामूहिक दुर्घटना व्यक्तिगत बीमा, कम लागत वाले मकानों, सामुदायिक केन्द्रों, पेयजल के लिए नलकूपों, मत्स्यन की प्रतिबंधित अवधि के दौरान राहत और मछुआरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

(ग) से (ङ) 12वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' के लिए 320 करोड़ रुपए (केन्द्रीय हिस्सा) आवंटित किए गए हैं। यह योजना मांग आधारित है और राज्यवार कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है।

खाद्यान्नों की क्षति

***352. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :**
श्री शिवकुमार उदासी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भंडारण स्थान की कमी, असुरक्षित भंडारण और खराब सम्भलाई के कारण खाद्यान्नों की हुई क्षति के कारण हुए नुकसान का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे और गत पांच वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की क्षति हुई तथा उनका मूल्य क्या है;

(ख) क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स संस्था से प्राप्त रिपोर्ट सहित अन्य रिपोर्टों में देश में भंडारण की कमी और खराब भंडारण और संभलाई सुविधाओं के अभाव को इंगित किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या स्टॉक को समाप्त करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न जारी करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का कितना स्टॉक आगे बढ़ाया गया, उनका कितना उत्पादन हुआ, उनकी कितनी खरीद की गई तथा उनका कितना भंडारण और आबंटन किया गया;

(घ) क्या विश्व पर्यावरण दिवस अभियान, 2013 के अंतर्गत 'थिंक-ईट-सेव' थीम से खाद्य क्षति और खाद्य बर्बादी रोधी अभियान शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खाद्यान्न बर्बादी के संबंध में देश की छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) भंडारण के दौरान खाद्यान्न कीड़ों के हमले, गोदामों में चोरी, घटिया स्टॉक की खरीद, स्टॉक के ढुलाई और हैंडलिंग के दौरान बिखरने, बारिश होने, बाढ़ आने, एहतियाती उपाय करने में संबंधित व्यक्तियों की ओर से लापरवाही बरतने आदि जैसे विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का ब्यौरा तथा उनका मूल्य निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की पाई गई मात्रा (लाख टन में)	क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपए में)
2009-10	0.07	3.84
2010-11	0.06*	3.61
2011-12	0.03	1.67
2012-13	0.03	2.57
2013-14	0.23	17.76

*इसमें 2000 टन क्षतिग्रस्त मोटा अनाज शामिल है।

(ख) इंग्लैंड तथा वेल्स में पंजीकृत निकाय इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (आईएमई) द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट 'ग्लोबल फूड: वेस्ट नॉट, वांट नॉट' इंटरनेट पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व स्तर पर उत्पादित सभी प्रकार के खाद्यान्नों का अनुमानित 30-50 प्रतिशत भाग कटाई, भंडारण और ढुलाई के घटिया तरीकों एवं बाजार एवं उपभोक्ता के स्तर पर होने वाली बर्बादी के कारण बेकार हो जाता है। चूंकि सरकार को इस संगठन के दृष्टिकोण, आंकड़े एकत्रित करने संबंधी विधि तथा अन्य ब्यौरों का पता नहीं है इसलिए सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ग) विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्न जारी किए जाने के संबंध में समय-समय पर सरकार को सुझाव/अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस), किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना, अन्नपूर्णा, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम आदि के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या के उच्चतर राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों मुहैया कराती रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान, सरकार ने अन्य कल्याण योजनाओं सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अब तक 563.09 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के अनुरोध पर, वर्तमान वर्ष के दौरान आपदा राहत, त्यौहारों, अतिरिक्त आवश्यकताओं आदि के लिए राज्यों को कुल 12.98 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों का कैरी ओवर स्टॉक 596.75 लाख टन (242.07 लाख टन गेहूं और 354.68 लाख टन

चावल) था। वर्तमान वर्ष के दौरान चावल और गेहूं का अनुमानित उत्पादन क्रमश: 1122.78 लाख टन और 924.55 लाख टन है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान, दिनांक 14.2.2014 की स्थिति के अनुसार चावल और गेहूं की खरीद क्रमश: 231.91 लाख टन और 250.92 लाख टन है।

वर्तमान वर्ष (2013-14) में खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन 563.09 लाख टन है जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सामान्य और अतिरिक्त) के तहत 500.07 लाख टन, अन्य कल्याण योजनाओं के तहत 50.04 लाख टन और आपदा, त्यौहारों, अतिरिक्त आवश्यकताओं आदि के लिए आबंटित 12.98 लाख टन मात्रा शामिल है।

(घ) और (ङ) विश्व पर्यावरण दिवस 2013 के अवसर पर 'थिंक, ईट, सेव-रिड्यूस ऑवर फुट प्रिंट' अभियान के जरिए ऊपर से नीचे तक (फ्रॉम फार्म टू फोर्क) भोजन शृंखला के सभी स्तरों पर भोजन की बर्बादी न्यूनतम करने का आह्वान किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना और यह याद दिलाना था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद विश्व में अभी भी 90 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं। इन समारोहों में भोजन की बर्बादी अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भोजन की बर्बादी को कम करने पर जोर देने के साथ-साथ एक ऐसे विश्व की ओर अग्रसर होने पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो और कोई भी कुपोषित अथवा अल्प-पोषित न रहे। सामान्य जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 'जागो ग्राहक जागो' की पंक्तियों पर श्रव्य/दृष्य प्रचार के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। भंडारण और ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खाद्यान्नों के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण तथा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टॉक की क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए उचित रखरखाव तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित एहतियाती और उपचारात्मक कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं:—

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटानाशक प्रदान किए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज की जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वॉटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना होता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियां/जाल से बांधा जाना होता है।

(viii) योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियां तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(xi) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी होती हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

मृदा की उर्वरता

***353. श्री वरुण गांधी :**

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में मृदा की उर्वरता/खेती योग्य भूमि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड अपनाए गए हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किस हद तक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई है;

(ग) छत्तीसगढ़ सहित देश में कृषि भूमि की घटती उर्वरता पर रोक लगाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु मृदा की उर्वरता में सुधार लाने के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अखिल भारत समन्वित सूक्ष्म एवं गौण पोषक तत्व तथा मृदा व पौधों में प्रदूषक तत्व परियोजना (एआईसीआरपी-एमएसपीई) के तहत 15 राज्यों में सूक्ष्म पोषक तत्वों और गौण पोषक तत्वों की उर्वरता के संबंध में मृदा का मूल्यांकन किया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, ऑयरन, कॉपर मैंगनीज तथा बोरान) के संबंध में उर्वरता स्थिति को मृदा नमूनों के संग्रहण और विश्लेषण द्वारा चित्रित किया गया है। राज्यवार नोटिस की गई सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा, कमियों को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) उर्वरकों के मृदा जांच आधारित तथा विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए राष्ट्रीय मृदा एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएंडएफ) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ताकि छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में मृदा सामंजस्य और उत्पादकता में सुधार किया जा सके। एनपीएमएसएचएंडएफ में नई स्थिर/चल मृदा जांच प्रयोगशालाओं (एसटीएल) की स्थापना किए जाने, वर्तमान एसटीएल के सदृढ़ीकरण, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण किए जाने, एसटीएल स्टॉफ/विस्तार अधिकारियों/किसानों के प्रशिक्षण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर फील्ड प्रदर्शनों, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने, मृदा सुधारों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का स्कीम (आईएसओपीओएम) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम, लाईम और जैव उर्वरकों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की निधियों का उपयोग राज्यों द्वारा मृदा उर्वरता में सुधार के लिए सहायता मुहैया कराए जाने हेतु भी किया जा सकता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंजूरियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की राज्य-वार मात्रा

राज्य	विश्लेषित नमूने	निम्नलिखित में नमूनों की कमी %				बोरोन(बी) हेतु विश्लेषित नमूने	बोराने में नमूना की की कमी%
		जिंक (Zn)	कॉपर (Cu)	ऑयरन (Fe)	मैगनीज (Fe)		
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	10,162	44.3	0.24	1.82	1.14	7456	5.6
असम	3,830	23.8	0.31	0.00	0.00	3830	16.5
बिहार	10,223	55.7	4.01	8.37	6.53	3788	30.5
गुजरात	11,463	31.2	0.13	15.90	9.15	6254	2.8
हरियाणा	7,555	16.9	2.02	22.41	8.60	2555	2.1
झारखंड	3,788	9.8	5.60	0.89	1.05	2564	65.9
महाराष्ट्र	10,654	47.7	4.32	17.32	1.12	4674	9.8
मध्य प्रदेश	10,359	46.7	0.67	8.09	0.41	7256	22.1
ओडिशा	12,200	11.3	1.25	0.80	0.00	8956	66.5

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	9,675	24.6	2.69	22.11	19.65	2562	10.8
तमिलनाडु	13,816	68.6	32.91	16.10	10.17	8256	12.1
उत्तर प्रदेश	15,131	55.7	6.04	8.92	8.29	7158	24.3
उत्तराखंड	3,012	8.6	1.14	1.84	0.79	2012	3.9
पश्चिम बंगाल	1,657	41.6	12.16	0.93	2.06	1657	68.4
संपूर्ण भारत	123.525	42.7	4.23	14.19	5.96	72178	32.6

विवरण-II

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएंडएफ)/आईएसओपीओएम और एनएफएसएम के तहत मंजूरियां

क्र.सं.	घटक	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण	संख्या	35	17	1	17
2.	उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	संख्या	2	7	0	2
3.	प्रशिक्षण	संख्या	184	297	0	160
4.	प्रदर्शन	संख्या	274	210	0	472
5.	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का संवर्धन	हैक्टेयर	0	82,000	0	11,140
6.	एनपीएमएसएचएंडएफ के तहत मंजूर कुल धनराशि	रुपए करोड़ में	16.89	11.29	8.29	19.15
7.	आईएसओपीओएम के तहत मंजूर धनराशि	रुपए करोड़ में	55.80	64.88	32.35	27.00
8.	एनएफएसएम के तहत मंजूर कुल धनराशि	रुपए करोड़ में	185.33	151.25	165.05	229.70

[हिन्दी]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास

***354. श्री यशवंत लागुरी :**
श्री रतन सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्व-रोजगार योजना को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने योजना के लाभों के संबंध में इस समय हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, हां।

(ख) "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास हेतु संशोधित स्व रोजगार योजना" की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली से या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से किसी रेलपथ से, मल-मूल के पूर्णतया विघटित होने से पूर्व मानव मल-मूल को डालने, हाथ से सफाई करने, उसे ले जाने, उसके निपटान में या किसी अन्य रीति में उठाने के लिए किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक अथवा निजी अभिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को लगाया जाता है और नियोजित किया जाता है, को शामिल किया जा सके।

(ii) किसी एक परिवार में हाथ से मैला उठाने वाले पहचानशुदा एक व्यक्ति को 40,000/- रुपए की एक बारगी नकद सहायता।

(iii) लक्षित समूह को रियायती ऋणों की व्यवस्था। अधिकतम परियोजना लागत को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख तथा स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के मामले में 15 लाख रुपए कर दिया गया है। परियोजना लागत पर निर्भर करते हुए, पूंजी सहायता की अधिकतम दर को बढ़ाकर 3,25,000/- रुपए कर दिया गया है।

(iv) अधिस्थगन अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष तक कर दिया गया है।

(v) अधिकतम व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है।

(vi) प्रशिक्षण अवधि के दौरान वज़ीफे की राशि को बढ़ाकर 3,000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

(vii) अधिस्थगन अवधि सहित ऋण चुकौती की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार करने तथा योजना के उपबंधों के तहत न्यूनतम संभव समय में सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, जो योजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है, को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कैम्पों के आयोजन में सहायता करने को कहा गया है ताकि एसआरएमएस के तहत पुनर्वास हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था की जा सके।

(ङ) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 6.12.2013 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत नियमों को 12.12.2013 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है जो राज्यों के लिए आदर्श नियमों के रूप में भी कार्य करेंगे। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ 20.1.2014 को एक बैठक की गयी थी जिसमें अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गयी थी। अधिनियम की धारा 29 के तहत एक केन्द्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी रखेगी। अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी हेतु सीएमसी की पहली बैठक 28.1.2014 को हुई थी।

[अनुवाद]

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का विपथन

***355. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक विनिर्माता कंपनियां कथित रूप से राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का विपथन कर रही हैं/औद्योगिक प्रयोक्ताओं को उच्च कीमतों पर बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों/पता चली घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों के लिए दोषी पाई गई कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार/राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों के ऐसे अवैध विपथन को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) :

(क) से (घ) सरकार को उर्वरक विनिर्माता कंपनियों द्वारा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का विपथन करने/औद्योगिक प्रयोक्ताओं को उच्च कीमतों पर बेचने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उर्वरक विनिर्माता कंपनियों को छोड़कर कुछ अन्य कंपनियों से तथाकथित विपथन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन पर निरोधात्मक/दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिप्रदत्त हैं। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का विपथन एफसीओ का उल्लंघन है। राज्य सरकार दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है जिसमें अभियोग लगाना शामिल है। दोषी यदि अपराधी सिद्ध होता है तो प्राधिकार-पत्र को निरस्त करने के अलावा उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत सात वर्षों का कारावास हो सकता है।

उर्वरक विभाग ने विविध पत्राचार के जरिए दोषियों, यदि कोई हों, के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रवर्तन एजेन्सियों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया है/संवेदनशील बनाया है। इसके जवाब में विभिन्न राज्यों द्वारा दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा उर्वरक विभाग और कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक वीडियो-कांफ्रेस के जरिए राज्य सरकारों को राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के विपथन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए संवेदनशील बना रहे हैं और परामर्श दे रहे हैं। अन्य मामलों के साथ यह मामला भी खरीफ एवं रबी 2013-14 मौसमों के लिए कृषि आदानों संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान भी उठाया गया, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विवरण

वर्ष 2010-11 से वर्तमान वर्ष अर्थात् 2013-14 (दिसंबर 2013 तक) में राज्य सरकारों द्वारा सूचित कृषि उपयोग के अलावा उर्वरकों के विपथन से संबंधित मामले

राज्य	वर्ष	टिप्पणियां	
		कृषि उपयोग के अलावा विपथन	राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	शून्य	
	2010-11	शून्य	
राजस्थान	2013-14	शून्य	
	2012-13	2	एक मामला पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर है और एक मामला न्यायालय में लंबित है।
	2011-12	शून्य	
	2010-11	2	दोनों मामले न्यायालय में लंबित है।
नागालैंड	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	शून्य	
	2010-11	शून्य	

1	2	3	4
ओडिशा	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	शून्य	
	2010-11	शून्य	
मध्य प्रदेश	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	शून्य	
	2010-11	शून्य	
गुजरात	2013-14	शून्य	
	2012-13	2	दो मामले पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर हैं।
	2011-12	7	सात मामले पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर हैं
	2010-11	1	मामला न्यायालय में लम्बित है।
आंध्र प्रदेश	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	शून्य	
	2010-11	शून्य	
केरल	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	4	एक मामले में दंड लगाया गया। दो मामले पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर हैं। एक मामले में कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जब्त यूरिया को केरल में मिश्रण इकाई को दे दिया गया।
	2010-11	1	केरल के सर्तकता विभाग के पास मामला लंबित है।
छत्तीसगढ़	2013-14	शून्य	
	2012-13	शून्य	
	2011-12	शून्य	
	2010-11	शून्य	

1	2	3	4
महाराष्ट्र	2013-14	1	एक मामला पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर है।
	2012-13	शून्य	
	2011-12	2	एक मामला पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर है और एक का लाइसेंस पांच महीने के लिए निलंबित किया गया।
	2010-11	2	दो मामले पुलिस के पास एफआईआर स्तर पर हैं।

[हिन्दी]

भाषाओं को शामिल किया जाना

***356. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) राज्यों और अन्यों से इस अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की राजस्थानी और भोजपुरी सहित राज्य और भाषा-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भाषाई विशेषज्ञों संबंधी समिति (सीताकांत महापात्र समिति) द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई अनुमोदित मानदंड नहीं है।

(ख) इस समय भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 38 और भाषाओं को शामिल करने की मांग है। ये भाषाएं हैं:– (1) अंगिका, (2), बंजारा, (3) बजिका, (4) भोजपुरी, (5) भोटी, (6) भोटिया, (7) बुन्देलखंडी, (8) छत्तीसगढ़ी, (9) धकती, (10) अंग्रेजी, (11) गढ़वाली (पहाड़ी), (12) गोंडी (13) गुज्जर/गुज्जरी, (14) हो, (15) कचाछी, (16) कामतापुरी, (17) करबी, (18) खासी, (19), कोदावा (कुर्ग), (20) कोक बराक (21) कुमाऊनी (पहाड़ी), (22) कुरक, (23) कुरमाली, (24) लेपचा, (25) लिम्बु, (26) मिजो (लुशाई), (27) मगही, (28) मुन्दारी, (29) नागपुरी, (30) निकोबारीज, (31) पहाड़ी (हिमाचली), (32) पाली, (33) राजस्थानी, (34) संबलपुरी/कोसाली, (35) शौरसेनी (प्राकृत), (36) सिराइकी, (37) तेनयीदी और, (38) तुलु।

(ग) से (ङ) वस्तुपरक मानदंडों का एक सेट तैयार करने के लिए वर्ष 2003 में भाषाई विशेषज्ञों की एक समिति (सीताकांत महापात्र समिति) गठिन की गई थी, जिसके संदर्भ से आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए सभी प्रस्तावों/अभ्यावेदनों की जांच की जा सके और उनका अंतिम रूप से निपटान किया जा सके। किसी भाषा के विकास के प्रसार, इसके उपयोग आदि से संबंधित एकसमान मानदंडों के एक सेट का सुझाव देने के लिए सीताकांत महापात्र समिति की सिफारिशों सहित पूरे मुद्दे का गहराई से अध्ययन करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक आंतरिक अंतर अंतर-मंत्रालय समिति गठित की गई थी, जो आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने अथवा न करने का निर्णय लेने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

कोयले का उत्पादन

***357. डॉ. बलीराम : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सहित कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों और इनके द्वारा किए गए कुल कोयला उत्पादन का अनुषंगी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन अनुषंगी कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले की मात्रा इनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से कम रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रबंधन की अकुशलता इस कमी का एक कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और इन कोयला क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और चालू वर्ष 2013-14 के दिसंबर, 2013 (तीसरी तिमाही) तक के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायता कंपनियों के कुल उत्पादन बनाम लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:—

(मिलियन टन में)

कंपनी	2010-11 (लक्ष्य)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (लक्ष्य)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (लक्ष्य)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (लक्ष्य)	2013-14 वास्तविक दिसम्बर, 13 तक (अनंतिम)
ईसीएल	33.00	30.803	33.00	30.358	33.00	33.911	34.50	24.716
बीसीसीएल	29.00	29.004	30.00	30.207	31.00	31.213	32.50	23.231
सीसीएल	50.00	47.521	51.00	48.004	55.00	48.061	53.50	32.170
एनसीएल	72.00	66.253	68.50	66.401	70.00	70.021	72.20	47.910
डब्ल्यूसीएल	46.50	43.654	47.00	43.110	45.00	42.287	44.00	26.899
एसईसीएल	112.00	112.705	112.00	113.837	117.00	118.219	124.30	87.912
एमसीएल	116.75	100.280	106.00	103.119	112.00	107.894	120.00	76.121
एनईसी	1.25	1.01	1.00	0.602	1.10	0.605	1.00	0.236
सीआईएल	460.50	431.321	447.00	435.838	464.10	452.211	482.00	319.195

(ग) और (घ) उत्पादन की कमी में कुछ मुख्य अड़चनों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) कुछ कोयला खनन क्षेत्रों में वर्ष के दौरान अत्यधिक वर्षा हुई;

(ii) कुछ खनन क्षेत्रों में प्रतिकूल कानून व्यवस्था की परिस्थितियां, बार-बार होने वाले बंद;

(iii) भूमि की कमी जिससे ओवर बर्डन हटाने में दिक्कतें होती हैं।

(iv) वानिकी स्वीकृतियों, पर्यावरण स्वीकृति आदि में विलंब।

(v) भूमि अधिग्रहण में विलंब और आर एंड आर संबंधी मुद्दे;

(vi) कोयले को पिटहेड से साइडिंग तक आवाजाही में परिवहन की अड़चनें और कुछ बड़े कोलफील्डों में रेल अवसंरचनाओं के निर्माण में विलंब;

(vii) उपकरण के कार्यकरण में समस्याएं और उपकरण की आपूर्ति में विलंब।

(ङ) सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों में तेजी लाने, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में सहायता के लिए राज्य सरकार से संपर्क साधना और कोयले की आवाजाही के लिए रेलवे के साथ समन्वित प्रयास

करना शामिल है। सीआईएल के कार्यनिष्पादन की सरकार द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें (i) उपकरणों और मशीनों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, (ii) वर्तमान खानों और चल रही परियोजनाओं का कड़ा पर्यवेक्षण, (iii) नई परियोजनाओं से क्षमता बढ़ाना, (iv) व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग और (v) जहां संभव हो, वहां वर्तमान खानों को पुनर्गठित करना शामिल है।

[अनुवाद]

मेगा फूड पार्क

***358. श्री ए.के.एस. विजयन :**
श्रीमती अन्नू टन्डन :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मेगा फूड पार्कों संबंधी योजना की समीक्षा हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मेगा फूड पार्कों की स्थापना हेतु इसके द्वारा प्रदान की जा रही सहायता संबंधी विद्यमान मार्गनिर्देशों में कुछ परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, महोदया।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुभव तथा विभिन्न पणधारियों से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर, मेगा फूड पार्क स्कीम के दिशानिर्देशों को हाल ही में संशोधित किया गया है। मेगा फूड पार्क का स्वामित्व एवं प्रबंधन विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) को सौंपा जाना होता है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। 26% की न्यूनतम इक्विटी वाले एसपीवी के एक प्रमोटर के रूप में खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ता होने की शर्त को हटा लिया गया है। एसपीवी में प्रमुख शेयरधारण करने वाले ऐंकर निवेशक को एसपीवी के अन्य प्रमोटरों के साथ अथवा उनके बिना कम-से-कम 10 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क में कम-से-कम एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करनी होगी। राज्य सरकार/राज्य सरकार के संगठनों तथा सहकारी संघों को अलग एसपीवी बनाये बिना तथा पार्क में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की आवश्यकता को समाप्त करके स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आवेदन करने का पात्र बनाया गया है। स्कीम के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को अनुदान की स्वीकृति दी गई है उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मौजूदा सहायता पाने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार सूची

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	नाम	राज्य	अनुमोदित अनुदान की राशि
1	2	3	4
1.	स्रीनी फूड पार्क प्रा.लि., आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	50
2.	मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा पार्क प्रा.लि., पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	50
3.	नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क प्रा.लि., असम	असम	50
4.	मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा. लि., भागलपुर, बिहार	बिहार	50

1	2	3	4
5.	झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा.लि., झारखंड	झारखंड	50
6.	इंटिग्रेटिड फूड पार्क प्रा.लि., कर्नाटक	कर्नाटक	50
7.	मैसर्स इंडस मेगा फूड पार्क लि., मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	50
8.	मैसर्स पैथान मेगा फूड पार्क लि., औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	50
9.	मैसर्स एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि., रायगढ़, ओडिशा	ओडिशा	50
10.	इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., पंजाब	पंजाब	50
11.	मैसर्स सिकारिया मेगा फूड पार्क प्रा.लि., अगरतला, त्रिपुरा	त्रिपुरा	50
12.	मैसर्स हिमालयन फूड पार्क प्रा.लि., ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड	उत्तराखंड	50
13.	पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लि., उत्तराखंड	उत्तराखंड	50
14.	जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	50

[हिन्दी]

गन्ने का मूल्य

***359. श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री राजू शेट्टी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग की आवश्यकता और चीनी की मांग को पूरा करने के लिए गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिलों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं कि उन्हें लाभप्रद मूल्य प्राप्त हों; और

(ग) क्या किसान एक समान गन्ना मूल्य नीति की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 14.2.2014 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में वर्तमान चीनी मौसम के दौरान गन्ने का उत्पादन 345.92 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जो चीनी उद्योग की आवश्यकताओं और देश में चीनी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, अलग-अलग मिलों के लिए गन्ने की उपलब्धता राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न हो सकती है जो राज्य में गन्ने के उत्पादन पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकार गन्ने के उत्पादन तथा उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रियायती ब्याज दरों पर चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करती है ताकि मिलों को गन्ने की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(ख) केन्द्रीय सरकार को वर्तमान चीनी मौसम के दौरान देश में गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलने संबंधी कोई रिपोर्ट/शिकायत प्रापत नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के तहत गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार, निर्धारित किया गया उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद निर्धारित किया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने का एक गारंटीशुदा बैंचमार्क मूल्य होता है जिससे कम मूल्य पर कोई भी चीनी मिल गन्ना उत्पादकों से गन्ने की खरीद नहीं कर सकती है। इसके अलावा, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करने का प्रावधान हैं तथा गन्ना मूल्य के बकाया का भुगतान किए जाने संबंधी प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां आवश्यक फील्ड फार्मेशनों वाली राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किए जाने संबंधी आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं।

(ग) चीनी क्षेत्र के विनियमन के संबंध में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अक्तूबर, 2012 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि किसानों और मिल-मालिकों के बीच गन्ना मूल्य शृंखला में प्राप्त राजस्व/मूल्य को निष्पक्ष एवं कार्यसंगत तरीके से बांटा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने राजस्व की भागीदारी के फार्मूले से संबंधित समिति की सिफारिश राज्य सरकारों को भेज दी है ताकि वे जैसा भी उचित समझें, उसे अपनाएं तथा कार्यान्वित करें।

[अनुवाद]

कृषि व्यावसाय

***360. डॉ. पी. वेणुगोपाल :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कृषि छोड़ चुके किसानों की संख्या का आकलन करने हेतु कोई समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) किसानों द्वारा कृषि छोड़ने की समीक्षा में क्या मुख्य कारण चिन्हित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि किसान परंपरागत फसलों को छोड़कर नकदी फसलों की खेती को अपनाएं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समीक्षा के दौरान अन्य क्या खामियां पाई गईं तथा सरकार द्वारा कृषि को लोकप्रिय बनाने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि किसान निकट भविष्य में कृषि को न छोड़ें, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) भारत के महापंजीकार द्वारा की गई गणना के अनुसार, देश में कृषि कार्मिकों की कुल संख्या जिसमें कृषक एवं कृषि श्रमिक शामिल है, 2001 में 234.1 मिलियन (1273 मिलियन कृषक एवं 106.8 मिलियन कृषि श्रमिक) से बढ़कर 2011 में 263.0 मिलियन (118.7 मिलियन कृषक एवं 144.3 मिलियन कृषि श्रमिक) हो गई। कृषि कार्मिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, देश में कुल कार्मिकों में से कृषि कार्मिकों की प्रतिशतता 2001 में 58.2 प्रतिशत से घटकर 2011 में 54.6 प्रतिशत हो गई थी। प्राथमिकी (कृषि) क्षेत्र से द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्य बल में अंतरण विकासात्मक पद्धति की एक सामान्य प्रक्रिया है। इस अंतरण से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जो 2003-04 में 213.18 मिलियन टन खाद्यान्नों की तुलना में बढ़कर 2013-14 में 263.2 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर (दूसरे अग्रिम अनुमानों) तक हो गया है।

खपत पद्धतियों में अंतरण तथा नकद फसलों की लाभप्रदता में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर, किसान स्वयं परंपरागत फसलों एवं/अथवा नकद फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल को रखने के बारे में निर्णय लेते है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में पुनरुद्धार करने तथा कृषि समुदाय की परिस्थिति में सुधार लाने हेतु सतत् आधार पर पूंजी निवेश में बढ़ोतरी, फॉर्म व्यवसायों में सुधार लाने, ग्रामीण अंत:संरचना तथा ऋण की समयानुकूल डिलीवरी, प्रौद्योगिकी एवं अन्य आदानों, और बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से फॉर्म उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने, उच्चतर स्तर के प्रापण एवं प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। ? कृषि क्षेत्र के विकास हेतु एक विकेंद्रीकृत तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को उनकी विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उचित परियोजनाओं को बनाने व क्रियान्वित करने हेतु नम्यता प्रदान की गई है।

विवरण

भारत में कृषि कार्मिकों की संख्या (मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कृषक			कृषि श्रमिक		
		2001	2011	उचित परिवर्तन	2001	2011	उचित परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	**127.31**	**118.69**	**-8.62**	**106.78**	**144.33**	**37.55**
1.	जम्मू और कश्मीर	1.59	1.25	-0.35	0.25	0.55	0.30
2.	हिमाचल प्रदेश	1.95	2.06	0.11	0.09	0.18	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पंजाब	2.07	1.93	-0.13	1.49	1.59	0.10
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	उत्तराखंड	1.57	1.58	0.01	0.26	0.40	0.14
6.	हरियाणा	3.02	2.48	-0.54	1.28	1.53	0.25
7.	दिल्ली	0.04	0.03	0.00	0.02	0.04	0.02
8.	राजस्थान	13.14	13.62	0.48	2.52	4.94	2.42
9.	उत्तर प्रदेश	22.17	19.06	-3.11	13.40	19.94	6.54
10.	बिहार	8.19	7.20	-1.00	13.42	18.35	4.93
11.	सिक्किम	0.13	0.12	-0.01	0.02	0.03	0.01
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.28	0.30	0.02	0.02	0.04	0.02
13.	नागालैंड	0.55	0.54	-0.01	0.03	0.06	0.03
14.	मणिपुर (3 उप प्रभागों को छोड़कर)	0.38	0.46	0.08	0.11	0.11	0.00
15.	मिजोरम	0.26	0.23	-0.03	0.03	0.04	0.02
16.	त्रिपुरा	0.31	0.30	-0.02	0.28	0.35	0.08
17.	मेघालय	0.47	0.49	0.03	0.17	0.20	0.03
18.	असम	3.73	4.06	0.33	1.26	1.85	0.58
19.	पश्चिम बंगाल	5.65	5.12	-0.54	7.36	10.19	2.83
20.	झारखंड	3.89	3.81	-0.07	2.85	4.44	1.58
21.	ओडिशा	4.25	4.10	-0.14	5.00	6.74	1.74
22.	छत्तीसगढ़	4.31	4.00	-0.31	3.09	5.09	2.00
23.	मध्य प्रदेश	11.04	9.84	-1.19	7.40	12.19	4.79
24.	गुजरात	5.80	5.45	-0.36	5.16	6.84	1.68
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	दादर और नगर हवेली	0.04	0.03	-0.01	0.01	0.02	0.00
27.	महाराष्ट्र	11.81	12.57	0.76	10.82	13.49	2.67
28.	आंध्र प्रदेश	7.86	6.49	1.37	13.83	16.97	3.14

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	कर्नाटक	6.88	6.58	-0.30	6.23	7.16	0.93
30.	गोवा	0.05	0.03	-0.02	0.04	0.03	-0.01
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	केरल	0.72	0.67	-0.05	1.62	1.32	-0.30
33.	तमिलनाडु	5.12	4.25	-0.87	8.64	9.61	0.97
34.	पुदुचेरी	0.01	0.01	0.00	0.07	0.07	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00

स्रोतः भारत के महापंजीकार, गणना 2011।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश से लंबित प्रस्ताव

3769. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से कांगड़ा मिनिएचर चित्रों के पुनरुद्धार; शिमला में स्थापित हिमाचल राज्य संग्रहालय, धर्मशाला में कांगड़ा कला संग्रहालय, चंबा के भूरिसिंह संग्रहालय के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता और शिमला में विरासत गेटी थिएटर में गेटी रिपोर्टरी शुरू करने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (घ) जी, हां। गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से कांगड़ा मिनिएचर चित्रों के पुनरुद्धार; शिमला में स्थापित हिमाचल राज्य संग्रहालय, धर्मशाला में कांगड़ा कला संग्रहालय, चम्बा के भूरिसिंह संग्रहालय के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता और शिमला में विरासत गेटी थिएटर में गेटी रिर्पोटरी शुरू करने संबंधी हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे और इनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रस्तावों के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला का विकास	यह प्रस्ताव दिसंबर, 2012 में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था, परंतु प्रस्ताव के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। यह जनवरी, 2014 में प्राप्त हुई है और इसे मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई मूल्यांकन रिपोर्ट और विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

1	2	3
2.	भूरिसिंह संग्रहालय, चम्बा का विकास	दिसंबर 2012 में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों में कमियों के विषय में आवश्यक सूचना/दस्तावेज भेजने हेतु दिनांक 27/12/2012 और 14.05.2013 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था। अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से अक्तूबर, 2013 में प्राप्त हुई थी। आगे की कार्रवाई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और इस विषयक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर की जाएगी।
3.	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला का विकास	
4.	गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से कांगड़ा मिनिएचर का पुनरुद्धार	राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार को शामिल नहीं किया जाता है।
5.	शिमला में विरासत गेटी थिएटर में गेटी रिपोर्टरी	मंत्रालय में प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में हिन्दुओं की यात्रा

3770. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिन्दुओं ने तीर्थयात्रा/चिकित्सा पर्यटन पर भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कई ने पाकिस्तान वापिस न जाने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने पाकिस्तानी सरकार से वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं के संरक्षण के लिए कोई वार्ता शुरू की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) यह ध्यान में आया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात हिन्दू और सिक्खों, के अनेक पाकिस्तानी राष्ट्रिक, जो तीर्थ यात्रा ग्रुप वीजा प्राप्त करके भारत आए हैं, अपने वीजा की वैध अवधि के भीतर वापस नहीं गए हैं और अपने वीजाओं के समय-विस्तार की मांग कर रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 के दौरान 1,11,754 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत आए। तथापि, भारत आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का जाति/धर्म-वार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

सरकार ने 7 मार्च, 2012 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के ऐसे मामलों पर शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा 29.12.2011 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर विचार करें। इन दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि यदि यह पाया जाता है कि जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, नृजातीय पहचान, किसी सामाजिक समूह विशेष की सदस्यता अथवा राजनैतिक मत के कारण उत्पीड़न के डर के पुष्ट आधारों पर उक्त दावा प्रथमदृष्टया उचित है, तो राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उचित जांच के बाद ऐसे मामलों में दीर्घावधि वीजा प्रदान करने के बारे में गृह मंत्रालय से सिफारिश कर सकते हैं।

(ङ) और (च) विदेशी सरकारों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों सहित सभी नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यद्यपि पाकिस्तान के साथ 'शिमला समझौते' में एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का विशेष प्रावधान है, फिर भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। पाकिस्तान सरकार ने यह बताया है कि वह स्थिति से पूरी तरह अवगत है तथा वह अपने सभी नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों के कल्याण की देखभाल करती है।

महत्वपूर्ण नीतियों/विधानों को अंतिम रूप दिया जाना

3771. श्री जगदीश ठाकोर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ महत्वपूर्ण नीतियों/विधानों जैसे, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पुरातात्विक उत्खनन और खोज संबंधी राष्ट्रीय नीति, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 और पुरावशेषों के अर्जन, परिरक्षण और संरक्षण की नीति को अंतिम रूप दिए जाने में तेजी लाने के लिए उचित कार्रवाई करने और निगरानी में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। ये नीतियां पहले से ही मौजूद हैं। इन नीतियों की समीक्षा करने और इन्हें अद्यतन करने के लिए, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अन्य नीतियों संबंधी संशोधन अद्यतन किए जाने हेतु समीक्षाधीन हैं।

क्षतिपूर्ति राशि

3772. श्री विष्णु पद राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मछुआरों और किसानों को क्षतिग्रस्त नावों, जालों की मरम्मत/प्रतिस्थापन और वृक्षारोपण और फसलों को हुई हानियों के लिए एमएचए पत्र संख्या 32-3/2013-एनडीएम-1 दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल करने की लिए अन्य क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से संप्रेषित क्षतिपूर्ति की राशि की मात्रा की समीक्षा के लिए कोई अनुराधे/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई गई/स्वीकृत अनुग्रह राहत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं। गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32-3/2013 एनडीएम-I, दिनांक 21/06/2013 के अनुसार दक्षिण अंडमान जिले में क्षतिपूर्ति राहत के रूप में 6877 प्रभावित परिवारों को 1.626 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि/राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि की स्कीम के तहत पात्र सहायता के प्रकार 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित हैं। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से राहत/सहायता का उद्देश्य तुरंत राहत उपलब्ध कराना है, न कि हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करना है। राहत निधि का मुख्य उद्देश्य अपनी आर्थिक गतिविधियां पुन: आरंभ करने के लिए प्रभावित लोगों की सहायता करना है। व्यय की प्रत्येक मद पर सहायता का मानदंड वित्त मंत्रालय के परामर्श से गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। मानदंडों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। हाल ही में, 16%-100% की श्रेणी में क्षतिग्रस्त आवासीय क्षेत्र के लिए सहायता में वृद्धि करने के कारण दिनांक 28.11.2013 को मानदंडों को संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) निवारण अथवा प्रशमन के लिए निधियां उपलब्ध करने के लिए नहीं बनी है। ऐसे प्रयास काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं और इन्हें राज्य संसाधनों अथवा उचित केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय योजना निधियों से पूरा करने की आवश्यकता है।

विवरण

दिनांक 14.02.2014 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत क्षतिपूर्ति

क्षति हेतु अनुग्रह	स्वीकृत	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि
मत्स्य क्षेत्र	520	1898770
कृषि क्षेत्र	—	—
आवासीय क्षेत्र	6357	14366438
पशुपालन क्षेत्र	—	—
कुल	6877	16265208

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन

3773. **श्री मिथिलेश कुमार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत नैफेड संबंधी सूचना प्रदान किए जाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी है, जिनके संबंध में सूचना प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को अपूर्ण सूचनाएं प्रदान किए जाने या सूचनाओं के तथ्यों पर आधारित न होने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) इस विभाग में वर्ष 2011 के दौरान नैफेड से संबंधित सूचना का अधिकार (आरटीआई अधिनियम) के अंतर्गत 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 2012 के दौरान 1 आवेदन, 2013 के दौरान 2 आवेदन तथा वर्तमान वर्ष में 1 आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) उपरोक्त सभी के संदर्भ में सूचना प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों को विदेशी निधियां

3774. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 1976 का उल्लंघन करते हुए प्राप्त तथाकथित दान के लिए जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग ने सरकार से कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न विदेशी संगठनों और निजी व्यक्तियों से दान प्राप्त किए जाने के संबंध में उत्तर देने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अपना उत्तर भेज दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से प्राप्त हुए दान के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान मापदंड अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) वर्ष 2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 131 (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और अन्य बनाम भारत संघ) के अनुसरण में, सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों आदि से रिपोर्टें मंगाकर राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान के बारे में उठाए गए मुद्दों की जांच की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में तीन शपथ-पत्र दाखिल किए गए हैं। इन शपथ-पत्रों की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को भेज दी गई थीं। इसी प्रकार, एएपी (आम आदमी पार्टी) के वित्त पोषण के मामले में दायर वर्ष 2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 6414 के उत्तर में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(च) दिनांक 01.05.2011 से प्रभावी, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अनुसार, राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर प्रतिबंध हैं। नेमी कार्य होने के कारण, सरकार राजनीतिक दलों के लेखों की, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम की दृष्टि से जांच नहीं करती है। तथापि, यह सुनिश्चित करना बैंकों का उत्तरदायित्व है कि निधियों का अन्तरण विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए न हो। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के दायरे के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम की धारा 29बी के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल सरकारी कंपनी से इतर किसी व्यक्ति अथवा किसी कंपनी द्वारा उसे स्वेच्छा से दिए गए अंशदान की कोई भी राशि स्वीकार कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि कोई भी राजनीतिक दल विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (ङ) [अब विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 के खंड (ञ)] के अंतर्गत विदेशी स्रोत के रूप में परिभाषित कोई अंशदान स्वीकार करने का पात्र नहीं होगा।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में महिलाएं

3775. **श्री हमदुल्लाह सईद :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं कृषि उपकरणों के प्रयोग सहित कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी नहीं। महिला किसानों ने कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए जानकारी अर्जित की है।

(ख) भारत सरकार की स्कीमें जिनके अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु अपेक्षित जानकारी से महिला किसानों को अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

भारत सरकार की स्कीमों, जिसके अंतर्गत फॉर्म उपस्करों के प्रयोग सहित कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए अपेक्षित जानकारी से अवगत कराने के लिए महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, में शामिल है:

1. **विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा :** इस स्कीम को देश के 28 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों के 630 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। विगोपन दौरों, प्रदर्शन, किसान मेलों, किसान समूहों को एकजुट करना तथा फॉर्म स्कूलों की स्थापना के माध्यम से महिला किसान सहित किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान की जाती है। स्कीम के 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला किसान होनी चाहिए। पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों के लाभार्थियों के साथ साथ महिला किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए चुने गए लाभभोगी उन्मुखी गतिविधियों के लिए लाभप्रद अंशदान 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम किया गया है।

2. **प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन तथा फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण** के अंतर्गत राज्य सरकार तथा फॉर्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के माध्यम से महिला किसानों सहित किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. **सहकारी कार्यक्रम के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा सहायता :** भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ शिमोगा (कर्नाटक), बंहरामपुर (ओडिशा), इम्फाल (मणिपुर) तथा भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित चार महत्वपूर्ण महिला विकास परियोजनाएं चला रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत, महिलाओं को बचत संबंधी आदत विकसित करने में सहायता के लिए स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। महिलाओं को उनके अपने संसाधनों की सहायता से अथवा सहकारी समितियों से ऋण लेकर तथा साथ ही स्थानीय मंडियों में उत्पादों के विपणन तथा मेलों तथा प्रदर्शनों के आयोजन द्वारा आय सृजन गतिविधियों को आरंभ करने हेतु लैस करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

4. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन :** महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों तथा फॉर्म आदानों में संगठित किया गया है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय एवं विस्तार समर्थन प्रदान किए जाते हैं।

5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) :** फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी वर्गों के किसानों के लिए किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसमें वैज्ञानिक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु महिलाएं शामिल है। एनएफएसएम के दिशा निर्देशों के अनुसार, महिला लाभार्थियों/किसानों हेतु कम से कम 30 प्रतिशत निधियां निर्धारित की जाएंगी।

6. **गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण :** स्कीम का उद्देश्य महिला किसानों सहित किसानों के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु मौजूदा अवसंरचना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण है। कार्यान्वयक एजेंसियों/राज्यों को पर्याप्त निधियां आवंटित करने तथा बीज गांव कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। महिला किसानों सहित किसानों के लिए, बीज प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण हेतु किसानों के बचाए हुए बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फील्ड पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

7. **वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेत राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) :** पनधारा क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह तथा प्रयोक्ता समूह में संगठित किया गया है। महिलाओं दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पनधारा कार्य योजना में महिलाओं के सभी परिप्रेक्ष्य तथा हित पनधारा कार्य योजना में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हों।

8. **कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) :** भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) फॉर्म उपकरणों/उपस्करों/यंत्रों तथा मशीनरी सहित

कृषि के विभिन्न पहलुओं पर किसानों तथा महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्तमान वर्ष के दौरान 14298 महिला किसानों की सहभागिता से ऐसे 1917 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया था।

9. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 1986-87 में, कई कार्योन्मुखी परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए कौशल विकास तथा सतत रोजगार हेतु प्रशिक्षण बढ़ाने के उद्देश्य के साथ **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को बढ़ावा (एसटीइपी)** नामक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की शुरूआत की है जो महिलाओं को अधिक संख्या में रोजगार देता है। स्कीम को 2009-10 में संशोधित किया गया तथा यह स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों को बढ़ावा देने के विकल्प के साथ रोजगार के 10 पारम्परिक क्षेत्रों को कवर करता है। इस स्कीम में कृषि भी एक चयनित क्षेत्र है।

10. ग्रामीण विकास विभाग, **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)**, कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसकी घोषणा महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने तथा ग्रामीण महिला किसानों प्रधानतः छोटे तथा सीमांत किसानों के सामाजिक आर्थिक तथा तकनीकी सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के उप-घटक के रूप में 2010-11 के बजट में की गई थी। एमकेएसपी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सहभागिता तथा उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रणालीगत निवेश कर कृषि में महिलाओं को सशक्त करना है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका का निर्माण तथा उसे सतत करना है। परियोजनाएं इस पद्धति में प्राप्त की जाती है कि कृषि में महिलाओं के कौशल आधार को, सतत आधार पर आजीविका प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए बढ़ाया जाता है। एमकेएसपी सतत कृषि के अंतर्गत 14 राज्यों से 58 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिससे इस अवधि के दौरान 24.5 लाख महिला किसानों को लाभा होगा।

पंजाब को कोयला ब्लॉक आवंटन

3776. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत और स्वीकृति के लिए प्रतीक्षारत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) वर्ष 2010 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के बाद "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतिस्पर्द्धा बोली द्वारा नीलामी" 2 फरवरी, 2012 को अधिसूचित की गई थी। उक्त संशोधन से पूर्व सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी वितरण व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय/राज्य सरकार के पीएसयू से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया है।

तथापि, 17 कोयला ब्लॉक (14 विद्युत के लिए और 3 खनन के लिए) 31.12.2012 को आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के तहत सरकारी कंपनियों/निगमों को आवंटन के लिए "कोयला खान नियमावली 2012 की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा निलामी" के अधीन प्रस्तावित थे। अंतर मंत्रालय समिति ने चालू वर्ष अर्थात् 2013-14 के दौरान पंजाब सहित विभिन्न राज्यों की सरकारी कंपनियों/निगमों को इन 17 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप में दिया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) विद्युत अन्त्य उपयोग के लिए 14 कोयला ब्लॉक

क्र.सं.	राज्य	आवंटित कोयला ब्लॉक
1	2	3
1.	बिहार	देओचा - पचमी
2.	छत्तीसगढ़	जिलगा - बारपली एंड बेसी
3.	गुजरात	महाजनवाड़ी
4.	कर्नाटक	देओचा - पचमी
5.	महाराष्ट्र	महाजनवाड़ी
6.	मेघालय	-
7.	मिजोरम	-
8.	ओडिशा	तेनतुलोई
9.	पंजाब	देओचा - पचमी
10.	राजस्थान	केंटी एक्स.
11.	तमिलनाडु	देओचा - पचमी

1	2	3
12.	उत्तराखंड	—
13.	उत्तर प्रदेश	देओचा पचमी — कल्याणपुर — बादलपारा
14.	पश्चिम बंगाल	देओचा — पचमी
15.	हरियाणा	कल्याणपुर — बादलपारा
16.	केरल	—
17.	मध्य प्रदेश	गोंडबहेड़ा — उजहेनी
18.	आंध्र प्रदेश	सारापल — नुआपारा
19.	जम्मू और कश्मीर	कुदानाली — लूबूरी

(ii) खनन अन्त्य उपयोग के लिए तीन कोयला ब्लॉक

क्र.सं.	राज्य	आवंटित कोयला ब्लॉक
1.	आंध्र प्रदेश	—
2.	बिहार	गोवा
3.	छत्तीसगढ़	केरवा
4.	गुजरात	—
5.	हरियाणा	—
6.	झारखंड	गोवा
7.	कर्नाटक	—
8.	मध्य प्रदेश	केरवा
9.	महाराष्ट्र	—
10.	मिजोरम	—
11.	ओडिशा	ब्राह्मनी
12.	पंजाब	—
13.	राजस्थान	—
14.	उत्तर प्रदेश	—
15.	पश्चिम बंगाल	—

पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारी कंपनियों/निगमों से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का मूल्यांकन अंतर मंत्रालयी तकनीकी समिति द्वारा किया गया था एवं पूर्व निर्धारित मूल्यांकन मानदंड के आधार पर अंतर मंत्रालयी समिति को और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों अर्थात् विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और इस्पात मंत्रालय/औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, मेजबान राज्यों, जहां कोयला ब्लॉक स्थित है, और आवेदक राज्य, कोयला खान आयोजना तथा डिजाइन संस्थान लिमिटेड आदि से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद सिफारिश की गई थी।

मध्यवर्ती भंडारण

3777. श्री एम. आनंदन :
श्री के. सुगुमार :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती अन्न भंडारण सुविधाएं स्थापित करने का है और उसने राज्यों को चार माह की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति धारण करने की क्षमता वाली ऐसी सुविधाओं का सृजन करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस कार्यवाही का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों का सतत प्रवाह सुनिश्चित करना और हानियों को रोकना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त भंडारणों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। सरकार राज्यों से ब्लॉक/तालुका स्तर पर समुचित क्षमता निर्मित करने के लिए निरन्तर अनुरोध करती है, जो उनके क्षेत्र में खाद्यान्नों की कम से कम तीन महीने की आवश्यकता के भंडारण के लिए पर्याप्त हो।

(ख) यह सुझाव दिया है कि राज्यों द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना के तहत वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जाए, जिसमें ग्रामीण गोदामों

के निर्माण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार मध्यवर्ती गोदामों के निर्माण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अनुदान सहायता के रूप में योजना निधि भी उपलब्ध कराती है। आज की तारीख के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर में 78,055 टन मध्यवर्ती भंडारण क्षमता निर्मित करने के उद्देश्य से 71.05 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 75 परियोजनाओं के लिए 44.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत भी मध्यवर्ती गोदामों के निर्माण की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) मध्यवर्ती भंडारण से संबंधित पहलों का उद्देश्य भंडारण को सुविधाजनक बनाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की निर्बाध और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

(ङ) और (च) सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में आवश्यक संशोधन द्वारा इसके तहत मध्यवर्ती गोदामों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है। उक्त अधिनियम की अनुसूची में 1 में खंड (XVC) सम्मिलित किया गया है और इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मनरेगा के तहत आधुनिक और वैज्ञानिक गोदामों का निर्माण किया जा सकता है।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

3778. श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री रतन सिंह :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना प्राप्त किए जाने के संबंध में अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है और ये प्रावधान किस तरह कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या अनधिकृत निर्माण संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वर्तमान तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच भी कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है; और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माणों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि कोई भी व्यक्ति चौबीसों घंटे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में कॉल करके या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की वेबसाइट या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट में शिकायत दर्ज करके अपने क्षेत्र में होने वाले अनधिकृत निर्माण की शिकायत कर सकता है।

नई दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माण की पहचान और नियंत्रण संबंधी अपनी अवसंरचना को चुस्त-दुरस्त किया है। इस संबंध में अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, जोनल नियंत्रण कक्ष और तोड़-फोड़ दस्ते का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत/अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल संचालन समिति गठित की गई है। जब और जहां, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में कोई अवैध/अनधिकृत निर्माण ध्यान में आता है तो उसके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार संबंधित जोन के भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) में मौजूदा तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण की पहचान और उन पर कार्रवाई करने के हर संभाव प्रयास की शुरुआत की है।

(ग) और (घ) इस संबंध में, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा कोई छानबीन नहीं की गई है। तथापि, दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में छानबीन की गई है।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 01.09.2012 और 14.02.2014 के बीच 04 आरडीए मामलों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में 12 पदाधिकारी दोषी पाए गए हैं।

उत्तर दिल्ली नगर निगम में 01.09.2012 और 14.02.2014 के बीच 08 आरडीए मामलों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में 13 पदाधिकारी दोषी पाए गए हैं।

पूर्व दिल्ली नगर निगम में 01.09.2012 और 14.02.2014 के बीच 14 आरडीए मामलों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में 26 पदाधिकारी दोषी पाए गए हैं।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के सभी मामलों की जांच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में किए गए उपबंधों के अनुसार की जाती है।

दिल्ली नगर निगमों ने सूचित किया है कि अनधिकृत/अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और

पुलिस बल की सहायता से जोनल स्तर पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के किसी भी उल्लंघन की सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 475 के अंतर्गत संबंधित नगर निगम अधिकारी को दी जाती है।

पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान उत्तर दिल्ली नगर निगम में अनधिकृत निर्माण के 2444 मामले पकड़ में आए और बुक किए गए तथा 1020 अनधिकृत निर्माण के संबंध में तोड़-फोड़/सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम में अनधिकृत निर्माण के 4355 मामले पकड़ में आए और बुक किए गए तथा 1399 अनधिकृत निर्माण के संबंध में तोड़-फोड़/सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

पूर्व दिल्ली नगर निगम में अनधिकृत निर्माण के 2399 मामले पकड़ में आए और बुक किए गए तथा 713 अनधिकृत निर्माण के संबंध में तोड़-फोड़/सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

स्मारकों/संग्रहालयों का संरक्षण

3779. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात सहित राज्य सरकारों को स्मारकों के संरक्षण और नए संग्रहालय की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का स्मारक/संग्रहालय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए आवंटित निधियों का पूर्णत: उपयोग हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) यह मंत्रालय स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाता। जहां तक नए संग्रहालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का संबंध है, जम्मू एवं कश्मीर तथा मध्य प्रदेश की सरकारों को नए संग्रहालयों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:—

क्र. सं.	राज्य	संग्रहालय का नाम	जारी की गई राशि	जारी किए जाने की तारीख
1.	जम्मू और कश्मीर	एसपीएस संग्रहालय, श्रीनगर	3 करोड़ रुपए	10.09.2013
2.	मध्य प्रदेश	स्थानीय पुरातत्वीय संग्रहालय, सिरोंज, जिला-विदिशा	40.84 लाख रुपए	11.12.2013

(ख) से (घ) अनुदान जारी करने की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, राज्य सरकारों को अनुदान जारी किए जाने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सूखा राहत के लिए सहायता

3780. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के मानकों के अनुसार वर्ष 2009-2010 के लिए राजस्थान सहित सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) अंत:मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी), जिसने नुकसान/क्षति के आकलन के लिए सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया, की रिपोर्टों तथा अंत:मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान 15 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से वित्तीय सहायता अनुमोदित की थी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूखे की स्थिति में वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से राज्यों को अनुमोदित की गई सहायता

क्र. सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)*
1.	आंध्र प्रदेश	575.30
2.	असम	89.94
3.	बिहार	1163.64
4.	हिमाचल प्रदेश	88.93
5.	जम्मू और कश्मीर	156.77
6.	झारखंड	200.955
7.	कर्नाटक	116.49
8.	केरल	32.90
9.	मध्य प्रदेश	246.31
10.	महाराष्ट्र	671.88
11.	मणिपुर	14.57
12.	नागालैंड	21.12
13.	ओडिशा	151.92
14.	राजस्थान	1034.84
15.	उत्तर प्रदेश	515.05

*उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित, राज्यों से संबंधित आपदा राहत कोष (सीआरएफ) में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन

(*स्रोत:* गृह मंत्रालय)

[अनुवाद]

वाणिज्यिक वाहनों को अनुमति

3781. श्री पूर्णमासी राम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय भंडार एक वाणिज्यिक संगठन है और यह सार्वजनिक कर्त्तव्यों/सार्वजनिक कार्यों का निष्पादन नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं जैसे साबुन, शैंपू, तेल, घी आदि की आपूर्ति करने के लिए निजी व्यापारियों के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश निषेध समय/जोन में चलाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश निषेध समय/जोन में चलाने की अनुमति दिए जाने के संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस की क्या नीति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय भंडार प्रतिस्पर्धी और उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली जरूरी उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित की गई एक बहु-राज्य सहकारी समिति है। इसकी कल्याणकारी गतिविधियां जारी हैं और यह बड़े पैमाने पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और आम जनता की रोजमर्रा की दैनिक जरूरत की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी वर्ष 2010 में अपनी 42वीं रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि केन्द्रीय भंडार केन्द्र सरकार की एक कल्याणकारी परियोजना है और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जरूरी/जल्दी खराब होने वाली उपयोगी वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित समय अर्थात 'प्रवेश निषेध समय' के दौरान कुछ वाहनों को अनुमति प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए, प्रतिबंधित समय/क्षेत्रों में वाणिज्यिक सामग्री वाहनों द्वारा जरूरी/जल्दी खराब होने वाली उपयोगी वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति हेतु विशेष अनुमति दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश संख्या 368/2012 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है।

भारत और इजराइल के मध्य कृषि सहयोग

3782. श्री शिवराम गौडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजराइल ने वर्ष 2008 के दौरान कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) जी, नहीं।

दूध की उपलब्धता

3783. श्री ओ.एस. मणियन :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आने वाले वर्षों में दूध की कमी का सामना करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो दूध की कमी की पूर्ति और देश में दूध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) इस विभाग के पास देश में आने वाले वर्षों में दूध की कमी होने की संभावना से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:—

(i) राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण I

(ii) राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम

(iii) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

(iv) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

(v) चारा तथा आहार विकास योजना

[हिन्दी]

पेटेन्ट की गई और जेनरिक दवाओं के मूल्य

3784. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पेटेंट की गई दवाओं और जेनरिक दवाओं का कुल वार्षिक टर्नओवर कितना है;

(ख) क्या पेटेन्ट की गई दवाओं का मूल्य जेनरिक दवाओं के मूल्य से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों श्रेणियों की दवाओं के मूल्यों में औसत अंतर कितना है;

(घ) क्या जेनरिक दवाओं के प्रयोग के संवर्धन द्वारा चिकित्सा उपचार अपेक्षाकृत सस्ता होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) वर्ष 2012-13 में भारतीय भेषज उत्पादों, जो ज्यादातर जेनरिक दवाइयां हैं, का कुल बिक्री टर्नओवर 1,19,421 करोड़ रुपए था।

(ख) पेटेंट वाली दवाइयों के कोई जेनरिक रूपांतर नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय भेषज बाजार ज्यादातर जेनरिक दवाइयों का है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संवर्धन

3785. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, और आधुनिकीकरण आधारभूत संरचना के निर्माण और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ क्षेत्र के विकास को बढ़ाने देने हेतु उपायों के संवर्धन के लिए जिन योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनका योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है और क्या कृषि-निर्यात जोनों या उनके बाहर प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत नई योजनाएं शुरू करने का है और देश में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) देश में 11वीं

योजना तथा 12वीं योजना (2012-13 और 2013-14) के दौरान उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयताओं के प्रति विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	2010-11		2011-12		2012-13*		2013-14 (31.01.2014 तक)*	
	यूनिटों की संख्या	जारी की गई संख्या	यूनिटों की संख्या	जारी की गई संख्या	यूनिटों की संख्या	जारी की गई संख्या	यूनिटों की संख्या	जारी की गई संख्या
	437	9432.862	1157	17846.29	1227	14574.38	957	15284.58

*11वीं योजना की स्पिल-ओवर/प्रतिबद्ध देयताएं।

12वीं योजना (2012-13) के दौरान, मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम को दिनांक 01.04.2012 (2012-13) से एनएमएफपी में सन्निविष्ट कर दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की स्कीमों में से एक है। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए, पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा देश में आईटीडीपी क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75 लाख रुपए और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में 50% की दर से परंतु अधिकतम 100 लाख रुपए की अनुदान-सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एनएमएफपी के अंतर्गत मिशन की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2012-13 (31.01.2014 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 204.85 करोड़ रुपए जारी किए गए।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार ने स्वचालित तरीके के माध्यम से क्षेत्र के लिए 100% एफडीआई को पहले ही अनुमति दे रखी है। मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पाल्ट्री, जलीय तथा समुद्री उत्पादों एवं मांस के परिरक्षण, भंडारण अथवा परिवहन तथा उनके प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट उपकरणों को उत्पाद शुल्क में पूरी छूट दी गई है। परिरक्षण, अथवा भंडारण अथवा एक औद्योगिकी यूनिट के लिए फॉर्म प्री-कूलर्स समेत शीत कक्ष, शीत भंडार के समुचित विस्तार अथवा शुरूआती स्थापना के लिए परियोजना आयात को सीमा शुल्क के 5% की रियायती दर का अनुमोदन दिया गया है। मैकेनाइज्ड खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणालियों आदि के परिनिर्माण प्रवर्तन अथवा अधिष्ठापन, शीत भंडार की स्थापना अथवा पर्याप्त विस्तार हेतु उपकरण, तथा, कृषि, डेयरी, पॉल्ट्री, जलीय, समुद्री अथवा मांस उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु यूनिटों की शुरूआती स्थापना अथवा पर्याप्त विस्तार के लिए मशीनरी/उपकरण से संबंधित सेवाओं को सेवा कर से छूट प्रदान की गई है। फलों, सब्जी, अंडे तथा दूध के अलावा खाद्यान्न तथा दालों को शामिल करने के लिए सेवा-कर में छूट के दायरे को बढ़ाया गया है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) की शुरूआत की थी जिससे राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पर्याप्त भागीदारी में बढ़ोत्तरी होगी। मिशन के अंतर्गत, राज्य सरकारों को आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायका की मंजूरी देने और जारी करने का अधिकार दिया गया है। मिशन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभभोगियों तथा परियोजना स्थलों आदि के चयन में लचीलापन भी प्रदान करता है। 12वीं योजना के दौरान मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमें हैं:-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम।

(ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम।

(iii) बूचड़खाना स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम (2014 से 2017 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु)।

(iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी)।

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन।

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (एफपीटीसी)

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण तथा संवेदनशीलता-सह जागरूकता कार्यक्रम।

(v) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम

(क) सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना।

(ग) प्रदर्शनियों/मेलों को सहायता देना।

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के सृजन हेतु स्कीम।

(vii) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण।

(viii) रीफर वाहन।

उर्वरक कंपनियों द्वारा सब्सिडी का दुरूपयोग

3786. श्री एस.एस रामासुब्बू : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल के वर्षों में हजारों करोड़ की राशि की उर्वरक सब्सिडियों का एक बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों द्वारा गबन किया जा रहा है और ऐसी कंपनियां अनुचित मूल्यों पर उर्वरकों को बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन सब्सिडियों के लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए और त्रुटिकर्ता निजी उर्वरक कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में किसानों को यूरिया 5360/- रुपए/मी.टन के सांविधिक मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मानकीय सुपुर्दगी मूल्य और यूरिया के सांविधिक मूल्य के बीच अंतर का भुगतान यूरिया उर्वरक कंपनियों को राजसहायता के रूप में किया जाता है। फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के संबंध में इन उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उनमें निहित पोषक-तत्व के आधार पर राजसहायता की नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है जिस पर निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। मौजूदा पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत की जाती है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तथा उस पर दी जाने वाली राजसहायता को उर्वरकों के प्रत्येक बैंग पर मुद्रित किया जाता है।

उर्वरक उत्पादकों/आयातकों द्वारा नियत मूल्यों की उपयुक्तता तथा किसानों तक राजसहायता का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठा रही हैं:—

(i) कच्ची सामग्री की खरीद, उर्वरकों के उत्पादन, उर्वरकों के संचलन, बिक्री आदि की वेब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) तथा मोबाइल उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) के जरिए निगरानी की जाती है। इन कंपनियों के राजसहायता दावों को ऑन लाइन भी सृजित किया जाता है।

(ii) देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों के संचलन के लिए आपूर्ति योजनाएं देना।

(iii) सभी पीएंडके उर्वरक कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित लागत आंकड़ों के साथ अपने राजसहायता दावों को प्रस्तुत करें और जो उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी की निगरानी के उद्देश्य के लिए आवश्यकता के अनुसार हो।

(iv) उर्वरक कंपनियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रमाण-पत्र देने और एमएफएमएस के जरिए खुदरा व्यापारियों द्वारा प्राप्ति की रसीद देने पर राजसहायता (5 से 15%) का एक भाग जारी किया जाता है।

[हिन्दी]

अपराध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट

3787. श्री प्रदीप कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (आई.एच.आर.ओ.) द्वारा लाई गई एक रिपोर्ट में भारत में बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों की संख्या में वृद्धि के रूझान का संकेत दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.एच.आर.ओ ने कठोर कानूनों की मौजूदगी के बावजूद नक्सल हमलों जैसे मामलों को रोकने में असफलता के कारण के रूप में कानूनों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वियन की कमी को रेखांकित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय को इस संबंध में ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इसलिए अपराध के निवारण, पता लगाने, दर्ज करने, जांच और अभियोजन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, भारत सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के प्रति काफी गंभीर है; और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न स्कीमों तथा परामर्शी पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

[अनुवाद]

एनसीडीईएक्स के साथ भारतीय खाद्य निगम का समझौता

3788. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने हाल ही में खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए एनसीडीई एक्स स्पॉट एक्सचेंज (एनएसपीओटी) के साथ एक समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ई-नीलामी किन राज्यों में की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अन्य जिन्सों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफसीआई के किन अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में ऐसी बिक्री प्रस्तावित की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की ई-नीलामी के लिए मैसर्स एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड को माह नवंबर, 2013 में सेवा प्रदाता नियुक्त किया है। भौतिक निविदाओं के लिए पहले से सूचीबद्ध क्रेता भी ई-नीलामी के माध्यम से खरीद के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं तथा एनसीडीईएक्स को नए क्रेताओं का पैनल बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। वर्तमान प्रणाली में क्रेता किसी भी राज्य के लिए निविदाओं में भाग ले सकते हैं और एकाधिक निविदाओं में भाग ले सकते हैं। निविदाओं को शीघ्र अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है और इससे प्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम केरल, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में की जा रही है। बिहार तथा उत्तराखंड में ई-नीलामी दिनांक 15.02.2014 में प्रारंभ होगी। अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नगण्य अथवा कोई मांग न होने के कारण बिक्री नहीं हो रही है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ई-नीलामी के माध्यम से अन्य जिंसों की बिक्री का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम

3789. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/न्यासों के माध्यम से बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, यह मंत्रालय सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सीएफजीएस) के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं।

(ख) सीएफजीएस के अंतर्गत सभी अनुदान प्राप्तकर्ता एनजीओ/संगठनों के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् *www.indiaculture.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीटी कपास उत्पादन

3790. श्री पी. विश्वनाथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14 के लिए अनुमानित कपास उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कोई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि बीटी कपास की खेती ने देश के विभिन्न भागों में पारम्परिक कपास फसलों को प्रभावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) 2013-14 के दौरान कपास के अनुमानित उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) और (ग) देश के 93 प्रतिशत से अधिक कपास क्षेत्र में बीटी कपास की विस्तृत खेती किए जाने के कारण परंपरागत कपास के अंतर्गत क्षेत्र में गिरावट आई है। तथापि, चूंकि विगत 3-4 वर्षों से बीटी कपास की पैदावार लगभग स्थिर हो गई है, अत: अद्यतन प्रौद्योगिकी अर्थात् उच्च घनत्व वाले संयंत्र पद्धति (एचडीपीएस) का उपयोग करके कपास की परंपरागत खेती करने के लिए किसानों को मनाने के प्रयास किए जा रहे है।

(घ) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) संबंधी मिनी मिशन-II के अंतर्गत, सरकार फ्रंटलाईन प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों आदि के जरिए कपास की खेती को बढ़ावा देने एवं इसकी खेती की लागत को कम करने के संबंध में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, देश में कपास उत्पादकों के लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए, कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी वृद्धि की गई है।

विवरण

2013-14 के दौरान कपास का राज्य-वार उत्पादन

राज्य	उत्पादन* (प्रति 170 कि.ग्रा. की 000 गांठें)
आंध्र प्रदेश	7140.0
गुजरात	10850.0
हरियाणा	2550.0
कर्नाटक	1400.0
मध्य प्रदेश	951.5
महाराष्ट्र	8450.0
ओडिशा	380.0
पंजाब	2250.0
राजस्थान	1050.0
तमिलनाडु	500.0
अन्य	80.0
अखिल भारत	35601.5

*14.02.2014 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार।

अतिरिक्त कोयले के विपथन (डायवर्जन) के लिए दिशानिर्देश

3791. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षित खानों से निकाले गए अतिरिक्त कोयले के विपथन के लिए कंपनियों को अनुमति देने संबंधी कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रक्षित खानों से अतिरिक्त कोयले के विपथन के लिए कंपनियों द्वारा वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा अब तक विपथन किए गए कोयले की मात्रा और मूल्य का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रक्षित खानों से अतिरिक्त कोयले के विपथन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में संबद्ध अन्त्य उपयोग संयंत्रों की कोयला आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों में केप्टिव उपभोग के लिए केप्टिव कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। आवंटन के दिशा निर्देशों/शर्तों के अनुसार अतिरिक्त कोयला/मिडलिंग्स/रिजेक्ट्स के निपटान की पद्धतियां प्रासंगिक समय पर सरकार के अनुदेशों और विद्यमान नीति के अनुसार होंगी और इनमें स्थानीय कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी अथवा सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली स्थानान्तरण कीमत पर सरकार द्वारा नामित किसी व्यक्ति को ऐसे अतिरिक्त कोयला/मिडलिंग्स/रिजेक्ट्स को सौंपा जाना भी शामिल होगा। मिडलिंग्स/रिजेक्ट्स आदि सहित अतिरिक्त कोयले के उपयोग पर सरकार ने एक प्रारूप नीति तैयार की है जिसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोयला नियंत्रक संगठन को उत्पादन और उत्पादित कोयला के उपयोग सहित केप्टिव कोयला ब्लॉकों के विकास की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है। केप्टिव कोयला ब्लॉकों जिनमें कोयला उत्पादन शुरू हो गया है, से कोयले के उत्पादन और उपयोग को आगे बेहतर निगरानी करने के लिए कोयलाधारी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में ऐसी निगरानी को अपने कार्यसूची में एक नियमित मद के रूप में शामिल करें।

पाम तेल का आयात

3792. **श्री जोस के. मणि** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अधिक पाम तेल आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित पाम तेल की मात्रा दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त पाम तेल खुले बाजार में व्यापार के माध्यम से बेचा गया और यदि हां, तो इससे सरकारी एजेंसियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत में खाद्य तेलों का आयात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 15/- रुपए प्रति लीटर की केन्द्रीय राजसहायता के साथ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वितरण के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्य तेल स्कीम के अंतर्गत किया गया था। यह स्कीम दिनांक 30.09.2013 को समाप्त हो गई है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत आयातित आरबीडी (रिफाईंड, ब्लीच्ड तथा डिओडोराज्ड) पामोलीन तेल का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(मात्रा टन में)

2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-सितंबर, 13)
426341	503490	424397	200757

(ग) जी, नहीं। आरबीडी पाम ऑयल का आयात केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए किया गया था तथा इसे खुले बाजार में नहीं बेचा गया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिवर्सल डिजाइन एंड एसिसटिव टेक्नोलॉजी

3793. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिवर्सल डिजाइन एंड एसिसटिव टेक्नोलॉजी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कथित इंस्टीट्यूट को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय समावेशी तथा सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान (एनआईआईयूडी) जिसकी शीघ्र ही स्थापना किए जाने की संभावना है, का विजन भेदभाव रोकना, वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रदान करना और विकलांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक डिजाइन जिससे सामाजिक समावेशन हो, के

माध्यम से पर्यावरणीय पहुंच सुनिश्चित करके समान अवसर प्रदान करना होगा।

संस्थान के मुख्य उद्देश्य होंगे:–

(i) विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय क्षमता विस्तार करने के लिए अनुसंधान आरंभ करना, प्रायोजित करना और संचालित एवं प्रेरित करना।

(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए गांवों और कस्बों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

(iii) पर्यावरणीय डिजाइन व्यावसायिकों, सरकारी संगठनों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच सार्वभौमिक डिजाइन के बारे में शिक्षा निदेशित करना, प्रशिक्षण संचालित करना और जागरूकता सृजित करना।

(iv) सार्वभौमिक डिजाइन के बारे में नवीनतम सूचना का प्रलेखन और प्रसार।

(v) सार्वभौमिक डिजाइन के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय एजेंसियों के साथ नेटवर्क, सहयोग और समन्वय करना।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान स्मारकों का सौंदर्यीकरण

3794. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की प्रकाश व्यवस्था/सौंदर्यीकरण और उनके पुनरुद्धार का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्मारकों को पहचाना/पुनरुद्धार किया गया और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इन स्मारकों द्वारा अर्जित कुल राजस्व/विदेशी मुद्रा कितनी है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में अठ्ठारह केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में रोशनी की जाती है, जिनमें से ग्यारह स्मारकों में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा रोशनी की गई थी, जबकि शेष सात स्मारकों पर इस आयोजन के पहले से ही रोशनी की जा रही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस अवधि के दौरान रोशनी पर कोई व्यय नहीं किया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के दस केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में प्रवेश टिकट के माध्यम से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:–

(रुपए करोड़ में)

2010-11	23.79 रुपए
2011-12	27.21 रुपए
2012-13	28.03 रुपए

शहीद का दर्जा

3795. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए/घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों का सेना, रेंक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के उन कर्मियों को शहीद का दर्जा प्रदान करने का है तो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में आतंकवादियों/उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए/घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों के बल एवं रैंकवार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा कहीं भी 'शहीद' को परिभाषित नहीं किया गया है और वर्तमान में, ऐसे सीएपीएफ कार्मिक, जो अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान कार्रवाई में मारे गए हैं, को शहीद का दर्जा प्रदान करने के संबंध में ऐसा आदेश/अधिसूचना ना तो जारी की जा रही है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में आतंकवादियों/उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए/घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) कार्मिकों के ब्यौरे (राज्यवार और रैंकवार)

सीआरपीएफ	वर्ष	आईजी		कमांडेंट		2आई/सी		डीसी		एसी	
		मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
एसआर	2011										
	2012										
	2013										
	2014								1		
कुल		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	2011										
बीएसएफ	2012			1		1			1		
	2013										1
	2014										
कुल		0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
	2011		1		1						2
सीआरपीएफ	2012						1	1	1		2
	2013								1	1	2
	2014							1	1		
कुल		0	1	0	1	0	1	2	3	1	6
	2011										
सीआईएसएफ	2012										
	2013										
	2014										
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011										
आईटीबीपी	2012										
	2013										
	2014										
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011										
एसएसबी	2012										
	2013										
	2014										
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		0	1	1	1	1	1	2	5	1	7

निरीक्षक		एसआई		एसआई		एचसी		सीटी		कुल मारे गए	कुल घायल	कुल योग मारे गए/ घायल
मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल			
							1		5	0	6	6
		1	2		1	1	5	3	20	5	28	33
	1		1		1		2	4	7	4	12	16
								1	1	1	2	3
0	1	1	3	0	2	1	8	8	33	10	48	58
		1				3	4	9	14	13	18	31
1				1		1	1	7	14	12	16	28
	1		2	1	1	5	2	5	19	11	26	37
										0	0	0
1	1	1	2	2	1	9	7	21	47	36	60	96
		1	2			9	11	19	67	29	84	113
1	1	5	2	1		7	12	28	55	43	74	117
		1	5	2	1	4	4	22	47	30	60	90
			2				3	2	15	3	21	24
1	1	7	11	3	1	20	30	71	184	105	239	344
										0	0	0
										0	0	0
						1			1	1	1	2
										0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
								1		1	0	1
									1	0	1	1
										0	0	0
										0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
								5		6	0	6
										0	0	0
								2		2	0	2
										0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	8
2	3	9	16	5	4	32	45	108	266	161	349	510

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में आतंकवादियों/उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए/घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) कार्मिकों के ब्यौरे (राज्यवार संघ राज्यक्षेत्र और वर्षवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जहां कार्रवाई में मारे गए/घायल हुए	2011		2012		2013		2014		कुल मारे गए	कुल घायल हुए	कुल योग (मारे गए और घायल हुए)
		मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल			
1.	अरुणाचल प्रदेश				1	1				1	1	2
2.	असम	13	11	1		3				17	11	28
3.	बिहार	2	2	11	21	1	1			14	24	38
4.	छत्तीसगढ़	18	13	11	30	10	21	2	8	41	72	113
5.	जम्मू और कश्मीर	3	9	4	14	13	29			20	52	72
6.	झारखंड	10	55	4	13	11	28	1	13	26	109	135
7.	महाराष्ट्र	3	11	13	3					16	14	30
8.	मणिपुर		4	8	33	3	11	1	2	12	50	62
9.	मेघालय			1	1	2				3	1	4
10.	नागालैंड	0	2	0	0	0	1			0	3	3
11.	ओडिशा			5	3	4	4			9	7	16
12.	त्रिपुरा						1			0	1	1
13.	पश्चिम बंगाल		1	2			3			2	4	6
	कुल	49	108	60	119	48	99	4	23	161	349	510

[अनुवाद]

मत्स्य पत्तनों का नुकसान

3796. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के फैलिन चक्रवात के कारण विजाग, आंध्र प्रदेश के मत्स्य पत्तनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि फैलिन चक्रवात के कारण सिगनल स्टेशन के निकट लगभग 100 मीटर लंबी और तीन मीटर ऊंची अहाते की दीवार (सुरक्षा दीवार) क्षतिग्रस्त हो गई थी। अहाते की दीवार को क्षति होने के कारण अनुमानित हानि 17.39 लाख रुपए है और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास का इस खर्च को अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा करने का प्रस्ताव है।

आगमन पर वीजा योजना का विस्तार

3797. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'आगमन पर वीजा' योजना के प्रारंभ होने के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में कथित योजना को और अधिक देशों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन देशों के लिए यह योजना उपलब्ध है; उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक विमान पत्तनों पर इस सुविधा को विस्तारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) आगमन पर पर्यटक वीजा की सुविधा में शामिल 11 देशों के पर्यटकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
2010	6549
2011	12761
2012	16084
2013	20294

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आम के लिए लाभकारी मूल्य

3798. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आमों के उत्पादकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग आम सहित उन कृषि एवं बागवानी जिंस जो सामान्यतया जल्द खराब हो जाती हैं, की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। एमआईएस का मूल उद्देश्य उत्पादन की अधिकता और मूल्यों में गिरावट के मामले में किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। साथ ही एमआईएस उन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के विशेष अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती हैं जो 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले 25:25) के आधार पर केन्द्र सरकार के साथ हानि शेयर करने के इच्छुक हैं। अब तक विभाग को आम के लिए एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

ताजमहल की सुरक्षा

3799. प्रो. रामशंकर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत में यमुना नदी ताजमहल के समीप बहती थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ताजमहल की आधारशिला रखने में लकड़ी का प्रयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ताजमहल की आधारशिला की मजबूती और सुरक्षा के लिए लगातार नमी आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कथित स्मारक के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (घ) एक लंबे समय से यमुना नदी ताजमहल से थोड़ी दूरी पर बह रही है। अब तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों ने आधारशिला में लकड़ी के उपयोग अथवा स्मारक को मजबूती देने और उसकी सुरक्षा हेतु आर्द्रता की अपेक्षा के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। स्मारक पर संरक्षण कार्य के साथ-साथ उस पर आवश्यक अध्ययन नियमित रूप से किए जाते हैं और यह भली-भांति परिरक्षित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्यार्थ किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	किया गया व्यय
1.	2010-11	1,78,22,438/-
2.	2011-12	1,72,02,560/-
3.	2012-13	3,61,55,122/-

[अनुवाद]

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केन्द्रों की स्थापना

3800. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए/कार्यरत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केन्द्रों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित देश के अन्य भागों में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केन्द्रों को स्थापित करने/खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक इन केन्द्रों के स्थापित/चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) एक केन्द्र दिल्ली में है। कर्नाटक के बैंगलूरु में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र (आरआरसी) स्थापित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्य पुनर्गठन आयोग

3801. श्री पी.सी. मोहन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न राज्यों से छोटे राज्यों के लिए उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छोटे राज्यों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल केन्द्र सरकार के पास राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार

3802. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सतर्कता विभाग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे विभाग से प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या और आरोपियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कथित अवधि के दौरान सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की संख्या कितनी है और सभी मामलों को सुलझाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामले रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेटेंट दवाओं की विनियमित कीमतें

3803. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेटेंट दवाओं की कीमतों की निगरानी करने/विनियमित करने/घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में दवा उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है और घरेलू उपयोग एवं निर्यात हेतु जेनेरिक और स्थानीय स्तर पर उत्पादित दवाओं की कीमतों पर ऐसी पहल का क्या प्रभाव होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पेटेंट दवाओं की कीमतों के अध्ययन हेतु गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष हैं और सरकार द्वारा इसमें उल्लिखित सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) पेटेंट वाली औषधियों हेतु मूल्य वार्ता तंत्र के मामलों पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट पणधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार करने हेतु पब्लिक डोमेने में डाली गई थी। सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न पणधारकों के भिन्न मतों को देखते हुए, इन मामलों की जांच करने के लिए और देश में पेटेंट प्राप्त औषधियों के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिवों की एक अंतर-मंत्रालयीय समिति बनाई गई है।

[हिन्दी]

जन आन्दोलन हेतु विदेशी धन

3804. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेशी आसूचना एजेंसियों से जन आंदोलनों हेतु चंदा प्राप्त करने की कोई सूचना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा विदेशी आसूचना एजेंसियों से चन्दा प्राप्त करने के आशय की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

कैद नक्सली

3805. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरफ्तार किए गए नक्सलियों और उनके खिलाफ दर्ज किए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को नक्सलियों से संबंधित अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और विशेष अभियोजन पक्षों की नियुक्ति हेतु सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त राज्यों ने नक्सली मामलों के त्वरित निपटान हेतु ऐसे न्यायालयों की स्थापना और अभियोजन पक्ष की नियुक्त कर ली है क्योंकि नक्सली अपने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई करने हेतु जन-प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों का अपहरण करने का सहारा लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश की विभिन्न जेलों में कैद नक्सलियों के विचारण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण माओवादियों/नक्सलियों के विरुद्ध मामलों के ब्यौरे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की कुल संख्या के ब्यौरे रखे जाते हैं। गत 3 वर्षों और चालू वर्ष (31 जनवरी तक) के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुल 5435 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं।

(ख) से (ङ) फिलहाल, केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए उन मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा माओवादी अपराधों के कुछ मामले सौंपे गए हैं। तथापि, मामलों का त्वरित विचारण सुनिश्चित करने के लिए, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को नक्सली अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने और विशेष अभियोजन नियुक्त करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संविदा

3806. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता उपभोक्ता-संविदाओं में अनुचित शर्तों को रोकने के लिए किसी भी कानून के अभाव में, अनुचित नियमों और शर्तों का शिकार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संविदा के नियमन और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक व्यापक कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) उपभोक्ता मामले विभाग के पास उपभोक्ता संविदाओं में अनुचित शर्तों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मामले विभाग में उपभोक्ता संविदाओं का विनियमित करने के लिए व्यापक कानून लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु भुगतान

3807. श्री सी. शिवासामी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्याह्न भोजन योजना के लिए अनाज की आपूर्ति से पूर्व अग्रिम भुगतान हेतु प्रस्ताव पर पुनर्विचार/समीक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं कथित समीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या दिसंबर, 2013 से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति-पश्चात् भुगतान आधार पर की जाती है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय खाद्य निगम को पेश आ रही कठिनाइयों और मध्याह्न भोजन योजना के लिए आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के भुगतान में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के लिए दिनांक 1 दिसंबर, 2013 से आपूर्ति-पूर्व भुगतान प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुराध पर आपूर्ति-पूर्व भुगतान प्रणाली लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

विश्व मानक दिवस

3808. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, देश में, विश्व मानक दिवस मनाया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवसर पर शुरू की गई/प्रारंभ की गई नई पहल क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व मानक दिवस देश भर में 14 अक्तूबर, 2013 को मनाया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने मुख्यालयों और अपने विभिन्न कार्यालयों में इस अवसर को मनाया।

इस वर्ष की विषय-वस्तु 'अंतर्राष्ट्रीय मानक सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करना' का आयोजन करने के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियां आरंभ की गईः—

(i) नई और प्रयोक्ता के अधिक अनुकूल बीआईएस वेबसाइट शुरू करना।

(ii) 'मानक भारत' के नए संस्करण को रिलीज करना जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाने वाली द्विमासिक पत्रिका है।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क की स्थापना

3809. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

कोयले की ई-नीलामी

3810. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की गई ई-नीलामी प्रक्रिया के कारण छोटे उद्योगों को कोयला आपूर्ति में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ई-नीलामी प्रक्रिया को सुधार कर छोटे उद्योगों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति निम्नलिखित तीन साधनों के जरिए की जा रही हैः—

(i) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)।

(ii) उन उपभोक्ताओं के लिए नामित राज्य एजेंसियां जिनकी आवश्यकता 4200 टन/वार्षिक से कम है।

(iii) ई-नीलामी।

लघु उद्योग को कोयले की आपूर्ति में बड़ी बाधाओं का कोई विशेष मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के प्रावधानों के अनुसार सीआईएल अपने कोयला उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत कोयला ई-नीलामी के माध्यम से बेच रही है।

[अनुवाद]

नाव त्रासदी

3811. श्री प्रबोध पांडा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक नाव त्रासदी की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें मारे गए/घायल हुए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या त्रासदी के कारणों को जानने हेतु कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की त्रासदी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय/कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 26.01.2014 को पोर्टब्लेयर के पास 48 यात्रियों और 2 कर्मीदल के सदस्यों को ले जा रही 'एमवी एक्वा मरीन' नामक एक निजी पर्यटन नाव डूब गई थी। कुल मिलाकर 22 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 26 यात्रियों और 2 कर्मीदल सदस्यों को बचा लिया गया था।

(ग) से (ङ) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि कारणों और उल्लंघनों, यदि कोई है, का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 304/34 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने सभी पर्यटन नावों की सुरक्षा संबंधी जांच के आदेश दिए हैं। जलयानों को उनके पंजीकरण की स्थिति के सत्यापन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के पश्चात ही संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

लालबत्ती का उपयोग

3812. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री एन. धरम सिंह :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालयी गाड़ियों पर लालबत्ती के उपयोग हेतु पात्र गण्यमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में सरकारी गाड़ियों पर लालबत्ती के प्रयोग हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाव/दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सभी सुझावों/दिशा-निर्देशों को स्वीकार/लागू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जनगणना में अनाथ बच्चों का समावेश

3813. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों अनाथ, बच्चों, जोकि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर रहते हैं, उनको जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने के कारण देश की जनसंख्या/जनगणना में शामिल नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इन अनाथों को जनगणना में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव मौजूदा जन्म एवं मृत्यु कानून में संशोधन करके इसे अधिक कारगर एवं अनिवार्य बनाने का है;

(ङ) क्या कई राज्य मौजूदा जन्म/मृत्यु कानून के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो संशोधित कानून में प्रस्तावित दंडात्मक प्रावधान क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) जनगणना 2011 में, बेघर जनसंख्या सहित देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की उनके जन्म प्रमाणपत्रों की उपलब्धता की परवाह किए बिना गणना की गई थी। इसके अंतर्गत भवनों अथवा जनगणना से संबंधित मकानों में न रहने वाले किंतु खुले में अथवा सड़क के किनारे, फुटपाथों, ह्यूम-पाइपों में, फ्लाईओवरों तथा सीढ़ियों के नीचे, अथवा खुले में, पूजा स्थलों, मंडपों, रेलवे के प्लेटफॉर्मों, आदि पर रहने वाले अनाथ बच्चों सहित सभी व्यक्ति शामिल किए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु की सूचना देना तथा उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। विद्यमान जन्म एवं मृत्यु अधिनियम को संशोधित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निदेश/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं तथा विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

(ङ) सभी राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) विद्यमान अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों का अनुपालन कर रहे हैं। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों को संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस अधिनियम के

अंतर्गत बनाए गए राज्य के नियमों के माध्यम से कार्यान्वित कर दिया गया है।

(च) सूचना न देने, रजिस्ट्रेशन न कराने, गलत सूचना देने आदि के मामले में, विद्यमान अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पहले से ही शास्तियां निर्धारित हैं। इस अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपराधों के प्रशमन की भी शक्ति निर्धारित हैं।

कोयला आयात में अनियमितताएं

3814. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2011-13 के दौरान इंडोनेशिया से आयातित और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-भारतीय इस्पात प्राधिकरण को आपूर्तित कोयले में गंभीर अनियमितताएं प्रतिवेदित की गई हैं जिसके कारण राजकोष में हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तथाकथित अनियमितताओं की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ङ) विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीबीआई ने संदर्भ संख्या 01/एनटीपीसी/एसटीसी/आईएमपी कोल/2010 दिनांक 25.01.2011 के तहत एसटीसी द्वारा अवार्ड किए गए ठेके की तुलना में एनटीपीसी ऊंचाहार में निम्न गुणवत्ता वाले आयातित कोयले की आपूर्ति का एक मामला दर्ज किया है। एक ऐसा ही मामला एमएमटीसी को उनके द्वारा अवार्ड किए गए कोयला आपूर्ति ठेका के अंतर्गत एनएसपीसीए भिलाई परियोजना को आपूर्तित आयातित कोयले के संबंध में दर्ज किया गया है। 03.01.14 को सीबीआई टीमों ने एनटीपीसी ऊंचाहार और एनएसपीसीएल भिलाई परियोजना के कुछ कर्मचारियों के कार्यालय और आवासीय भवनों में सर्च ऑपरेशन किया है। दोनों मामलों के संबंध में कार्रवाई सीबीआई गांधी नगर शाखा द्वारा की जा रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड पर अर्थदंड

3815. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों पर करोड़ों रुपए का अर्थदंड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सीआईएल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सीआईएल द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पर 1773.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त सीसीआई ने सीआईएल को निम्नलिखित निर्देश भी दिए हैं:—

(i) वर्तमान आदेश में रिकॉर्ड की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को देखते हुए ईंधन आपूर्ति करारों में इन संशोधनों को कारगर बनाने के लिए सीआईएल को सभी स्टेकधारियों के साथ परामर्श करने का आदेश दिया गया है। सीआईएल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पुराने तथा नए विद्युत उत्पादकों के बीच तथा निजी और पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) विद्युत उत्पादकों, जहां तक संभव हो सके, के बीच समानता सुनिश्चित करे।

(ii) सीआईएल को आगे यह भी आदेश दिया गया है कि वे निष्पक्ष तथा संयुक्त नमूनाकरण और परीक्षण प्रक्रिया के लिए व्यवस्था करने हेतु एफएसए में उपयुक्त संशोधनों को शामिल करे।

(iii) सीआईएल अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने के अलावा विद्युत उत्पादकों के परामर्श से उतराई के स्थल पर नमूनाकरण की संभावना पर विचार करके उनकी जांच करे। सीआईएल भी आपूर्तित कोयले को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए अगूर नमूना मशीनों और वाशरियों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाए।

(ग) और (घ) सीआईएल ने प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (सीओएमपीएटी), नई दिल्ली के सम्मुख प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 53ख की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत 8 जनवरी, 2014 को एक अपील प्रस्तुत की है तथा इस मामले में रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दिया है।

अपील की सुनवाई प्रथमत: 13 जनवरी, 2014 को की गई थी। कम्पैट ने अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। 11 फरवरी, 2014 को सीसीआई को सीआईएल के विरुद्ध कोई प्रबल कदम न उठाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में कम्पैट द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

'शनिवारवाडा' का पुनरुद्धार

3816. श्री सुरेश कलमाडी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को शनिवारवाडा, पुणे में टीक लकड़ी के जले हुए सात मंजिला ढांचे/स्मारक का पुनरुद्धार करने की अनुमति हेतु पुणे नगर पालिका (पीएमसी) से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त ढांचे/स्मारक के पुनरुद्धार हेतु एएसआई/पीएमसी ने कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई हैं और उक्त स्मारक का पुनरुद्धार करके इसे इसके मूल रूप में कब तक लाए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पुणे स्थित शनिवारवाड़ा को जल जाने के बाद ही संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। अत: अधिसूचित किए जाने के समय यह स्मारक जिस स्थिति में पाया गया था उसकी यथास्थिति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सामान्य सिद्धांत के रूप में अनुरक्षित किया गया है। अत: शनिवारवाड़ा में टीक लकड़ी की संरचना का पुनरुद्धार कार्य करने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय और इस स्मारक के संरक्षण कार्य के लिए चालू वर्ष के दौरान किया गया आबंटन निम्नानुसार है:—

किया गया व्यय		आबंटन	
2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
603,278	3,76,462	6,15,512	10,00,000

[हिन्दी]

भूमि जोत

3817. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में उस पर निर्भर लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण कृषि जोत का क्षेत्र कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) 2000-01, 2005-06 और 2010-11 के दौरान आयोजित पंचवर्षीय कृषि संगणना के परिणामों पर आधारित देश में प्रचालनात्मक जोतों की संख्या, प्रचालनात्मक क्षेत्र और औसत आकार निम्नलिखित तालिका में है:—

मद	कृषि संगणना का संदर्भ वर्ष		
	2000-01*	2005-06*	2010-11
प्रचालनात्मक जोतों की संख्या	119931017	129222237	138348461
प्रचालित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	159435519	158322983	159591855
प्रचालनात्मक जोतों की औसत आकार (हैक्टेयर में)	1.33	1.23	1.15

*झारखंड को छोड़कर।

(ग) कृषि क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों जैसे बहु फसलन, अंतर फसलन और समेकित खेती प्रणाली आदि को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। विभिन्न स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, संशोधित वृहत कृषि प्रबंधन आदि के जरिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए सरकार एक समयबद्ध रीति में सभी पात्र तथा इच्छुक किसानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करती है। इसके अलावा बीजों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फसल बीमा प्रीमियम तथा उर्वरक आदि पर राजसहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहा है।

[अनुवाद]

तुलु को प्राचीन भाषा का दर्जा

3818. श्री अनंत कुमार : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तुलु को प्राचीन भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्राचीन भाषा के रूप में किसी भी भाषा को घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं।

संस्कृति मंत्रालय को तुलु को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भाषा को प्राचीन भाषा घोषित करने के मानदंड निम्नानुसार हैं:—

(i) संबंधित भाषा के आरंभिक पाठों की उच्च पुरातनता/1500-2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास;

(ii) प्राचीन साहित्य/पाठों का ऐसा संचित निकाय, जिसे इसे बोलने वाली पीढ़ियों-दर-पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो;

(iii) इसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, जिसे अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण नहीं किया गया हो; और

(iv) प्राचीन भाषा और साहित्य के इसके आधुनिक रूप से भिन्न होने के कारण, प्राचीन भाषा तथा इसके उत्तरवर्ती स्वरूपों अथवा प्रशाखाओं के बीच भेद भी हो सकता है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक के साथ समझौता

3819. श्री रमेश बैस :
श्री सज्जन वर्मा :
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड राज्य में सहायता और पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सहायता में उपयोग संबंधी कार्य में उपयोग की जा रही मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तराखंड में पुनर्वास कार्य की निगरानी हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आपदा प्रभावित उत्तराखंड में सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना, जो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ऋण के लिए विश्व बैंक से एक ऋण करार पर 09 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया है।

कार्य की वे मदें, जिनमें उक्त सहायता का उपयोग किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	घटक	कुल (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
1	2	3
1.	दृढ़ अवसंरचना पुनर्निर्माण	25.00
2.	ग्रामीण सड़क सम्पर्क	155.00

1	2	3
3.	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	38.00
4.	आपदा कार्रवाई व्यय का वित्तपोषण	12.00
5.	परियोजना कार्यान्वयन सहायता	20.00
	कुल	250.00

(ग) और (घ) भारत सरकार ने उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुर्नवास संबंधी प्रयासों के संबंध में व्यापक मार्गनिर्देशन उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है।

(ङ) उत्तराखंड में आपदा प्रभावी क्षेत्रों में राहत और पुर्नवास संबंधी कार्यों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तराखंड में बचाव, राहत और अन्य संबंधित उपायों की स्थिति

16 जून, 2013 को उत्तराखंड राज्य में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जिसमें जान-माल का नुकसान और व्यापक क्षति हुई। भारतीय मानसूनी बादल प्रणाली के साथ पश्चिमी विक्षोभ के कारण संभवतः पूरे राज्य में अप्रत्याशित भारी वर्षा हुई, जिससे एक बड़े भू-भाग में आकस्मिक बाढ़ आई और भू-स्खलन हुए।

2. मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया, ताकि घटना के बाद की स्थिति में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी के माध्यम से उत्तराखंड में पुर्नवास और पुनर्निमाण संबंधी प्रयासों में सहायता करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जा सके।

3. उत्तराखंड से प्राप्त सूचना के अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अन्य राज्यों के लापता हुए 3715 व्यक्तियों में से, 2703 व्यक्तियों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण-पत्र और आवश्यक अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। उत्तराखंड से लापता हुए 852 व्यक्तियों में से, 693 व्यक्तियों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अनुग्रह भुगतान, क्षतिग्रस्त मकानों, मृत मवेशियों, बर्तन और कपड़े, भूमि और फसल आदि की क्षति के संबंध में राहत हेतु 118.46 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बेघर हुए लोगों के परिवारों के लिए मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है और उन्हें बने बनाए मकानों या स्वामित्व वाले मकानों के निर्माण का विकल्प दिया गया है। बेघर हुए लोगों को 3000 रुपए के मासिक किराए का भुगतान तब तक किया जा रहा है, जब तक उन्हें स्थायी मकान उपलब्ध न करा दिए जाएं। दूरसंचार सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। क्षतिग्रस्त पेयजल प्रणाली और विद्युत आपूर्ति को अस्थायी आधार पर बहाल कर दिया गया है। सभी क्षतिग्रस्त प्रमुख सड़कों की मरम्मत की गई है और निम्नलिखित सड़कों को छोड़कर वाहनों के आवागमन के लिए सम्पर्क बहाल कर दिया गया है:—

(i) ऋषिकेश-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-109) सोनप्रयाग के निकट अवरुद्ध है।

(ii) ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-108) धराली में अवरुद्ध है (यह सड़क खोल दी गई है, परंतु वर्तमान में यह हिमपात के कारण अवरुद्ध है)।

(iii) ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-94) हल्के वाहनों के लिए खुला है।

(iv) ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-58) हल्के वाहनों के लिए खुला है।

4. उत्तराखंड राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर, उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 21.08.2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य आपदा कार्रवाई निधि में उपलब्ध 90% राशि के समायोजन के अध्यधीन राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से 1187.87 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक से 20 करोड़ रुपए की सहायता अनुमोदित की। 1187.87 करोड़ रुपए राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:—

क. वास्तविक आधार पर 'मृत घोषित' व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह का भुगतान (अनंतिम राशि 82.11 करोड़ रुपए है)।

ख. राज्य सरकार, के इस प्रमाणन के अध्यधीन के निजी ऑपरेटरों द्वारा बचाए गए यात्रियों से कोई शुल्क/भुगतान नहीं लिया गया और बचाव अभियानों के लिए हैलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए, वास्तविक आधार पर खोज एवं बचाव अभियानों की लागत (अनंतिम राशि 25.00 करोड़ रुपए है)।

ग. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए बिलों के आधार पर वास्तविक आधार पर अनिवार्य आपूर्ति को हवाई जहाजों से गिराने और बचाव के संबंध में हवाई बिलों का भुगतान (अनंतिम राशि 673 करोड़ रुपए है)।

घ. सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए 206.73 करोड़ रुपए की सहायता।

5. उत्तराखंड संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 09.12.2013 को हुई अपनी बैठक में प्रति किमी. एक लाख रुपए की सीमा में छूट प्रदान करते हुए उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की तत्काल बहाली के संबंध में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 172.84 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति प्रदान की।

[अनुवाद]

हाई स्पीड डीजल पर छूट

3820. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं में उपयोग हेतु मछुआरों को हाई स्पीड डीजल पर छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के मछुआरों को प्रदान की गई ऐसी छूट का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त अवधि के दौरान एचएसडी पर मछुआरों को ऐसी छूट के मना करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो ओडिशा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रचालनों का विकास' के अधीन यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) तेल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर की दर पर छूट दी जाती थी। कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने सब्सिडी को 1.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर करने के साथ इस योजना को 11वीं योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव किया। फरवरी, 2009 में संशोधित योजना का अनुमोदन करते समय यह निर्णय किया गया था कि ऐसी सब्सिडी केवल गरीबी रेखा से नीचे के मछुआरों को दी जानी चाहिए। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि तटीय राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों ने इस अवधि के दौरान कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) से (ङ) मछुआरों के संगठनों और गोवा, महाराष्ट्र तथा केरल जैसे तटीय राज्यों की राज्य सरकारों ने मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे के संबंध में लगाई गई शर्त को हटाने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। वित्तीय घाटे और सीमित धनराशि की उपलब्धता के कारण, मछुआरों की सभी श्रेणियों को डीजल सब्सिडी को बहाल करने की मछुआरों के संगठनों और राज्यों द्वारा की गई मांग का 11वीं योजना के दौरान समर्थन नहीं किया गया था। तथापि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने 12वीं योजना स्कीम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के संबंध में लगी शर्त को हटाने का प्रस्ताव किया है बशर्ते आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक

3821. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर विरोध दर्ज किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (ङ) "सांप्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2014" नामक एक विधेयक, जिसमें बहुत से सुधारवादी प्रावधान समाहित थे, तैयार किया गया था और इसे संसद के चालू सत्र के दौरान राज्य सभा में पेश करने के लिए नोटिस दिया गया था। इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र को कायम रखने एवं कानून के समक्ष समानता के अधिकार का आदर करने तथा उसकी रक्षा एवं अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा

सांप्रदायिक हिंसा को रोकने एवं उस पर नियंत्रण पाने, आपराधिक कृत्यों की जांच, अभियोजन एवं विचारण हेतु प्रभावी प्रावधानों के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा एवं उन्हें न्याय तथा निष्पक्ष एवं समान पहुंच उपलब्ध कराने और सांप्रदायिक हिंसा द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को उपचार एवं क्षतिपूर्ति का प्रावधान करने और इनसे संबंधित एवं प्रासंगिक अन्य मामलों के लिए निष्पक्ष तथा बगैर भेद-भाव के अपनी शक्तियों के इस्तेमाल करने की अपेक्षा की गई है। इस विधेयक के प्रारूप को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ विधिवत रूप से साझा किया गया था और उनके साथ इस पर विचार-विमर्श किया गया था। राज्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि राज्य सरकारें अपने उन एक्ज़ीक्यूटिव कार्यों का निष्पादन करती रहें, जो संविधान में निर्दिष्ट हैं। प्रस्तावित विधेयक की संसदीय जांच की जाएगी एवं इस पर बहस की जाएगी और इस प्रकार इसके अधिनियमन से पूर्व इसके सभी पहलुओं का समग्र परीक्षण किया जाएगा। तथापि, दिनांक 5.2.2014 को राज्य सभा में चर्चा के पश्चात सदन द्वारा इस विधेयक को पेश किए जाने का कार्य आस्थगित कर दिया गया।

दालों पर अनुसंधान

3822. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थान-विनिर्दिष्ट दालों के विकास हेतु दालों पर बुनियादी अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा परियोजनाओं में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और अब तक इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुसंधानों/योजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ/संभावित लाभ कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने दलहन में मूल और नीतिगत अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) में अनेक परियोजनाएं चलाई हैं इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इनसे तैयार सूचना का उपयोग स्थान विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसल किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए चार अखिल भारतीय दलहन समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) द्वारा किया जा रहा है विभिन्न दलहनी फसलों की कुल 68 उच्च पैदावार वाली किस्मों को जारी करने के अलावा वर्ष 2013 को समाप्त पिछले चार वर्षों के दौरान अन्य उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दशाई गई हैं।

(ख) देश में दलहन पैदावार बढ़ाने के क्रम में सरकार ने अनेक योजनाएं/कार्यक्रम चलाए हैं इनमें दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तीव्र दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी), 60,000 दलहन और तिलहन ग्रामों का विकास तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल हैं। सरकार द्वारा किए गए इन उपायों के फलस्वरूप भारत में दलहन के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2008-09 में 14.57 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 18.45 मिलियन टन हो गया। उत्पादकता में भी वृद्धि हुई यह 2008-09 में 659 कि.ग्रा./है. से बढ़कर 2011-12 में 699 कि.ग्रा./है. हो गई।

(ग) भा.कृ.अ.प. तथा सरकार की अनुसंधान योजनाओं/कार्यक्रमों से किसानों को दलहन उत्पादता बढ़ाने में मदद मिली है इससे किसानों की कृषि आय में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों की बेहतर तकनीकी जानकारी; दलहन की उच्च पैदावार वाली किस्मों की उपलब्धता; बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता; सब्सिडी वाले फॉर्म इनपुट की उपलब्धता तथा बेहतर भंडारण एवं बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के माध्यम से देश में दलहन उत्पादन में समग्र वृद्धि हासिल की गई।

विवरण-I

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर); कानपुर द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दलहन में मूल अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए चलाई गई परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
1	2
1.	सूखा वहनीयता के लिए चना (सीसीरारीटिनियम एल) पराजीनी का विकास।
2.	चना (सीसीरारीटिनियम एल) में फ्यूजेरियम मुरझारन रेस 2 प्रतिरोधी जीन से संपर्क के लिए आण्विक मार्कर की पहचान।
3.	दूरवर्ती संस्करण द्वारा दलहन की आनुवांशिक वृद्धि।
4.	मसूर में गुणवत्ता प्रजनन।
5.	उत्पादन वृद्धि के लिए अरहर में पूर्व-प्रजनन।
6.	अरहर में उत्पादकता तथा पैदावार स्थिरता को बढ़ाने के लिए साईटोप्लास्मिक आनुवांशिक नरबंध्यता आधारित संकर किस्मों का विकास।

1	2
7.	उन्नत पादप टाइप तथा प्रगुणित रोग प्रतिरोधिता के लिए चना देसी की आनुवांशिक वृद्धि।
8.	उन्नत पादप टाइप तथा प्रगुणित रोग प्रतिरोधिता के लिए काबुली चने की आनुवांशिक वृद्धि।
9.	उन्नत पादप टाइप तथा प्रगुणित रोग प्रतिरोधिता के लिए मसूर की आनुवांशिक वृद्धि।
10.	उन्नत पादप टाइप तथा प्रगुणित रोग प्रतिरोधिता के लिए मटर की आनुवांशिक वृद्धि।
11.	उन्नत पादप टाइप तथा प्रगुणित रोग प्रतिरोधिता के लिए दीर्घावधि अरहर की आनुवांशिक वृद्धि।
12.	लघु अवधि अरहर में उचित पादप टाइप का विकास।
13.	विविध मौसम के लिए मूंग में उचित पादप टाइप का विकास।
14.	पादप टाइप तथा प्रगुणित रोग प्रतिरोधिता के लिए उड़द की आनुवंशिक वृद्धि।
15.	मसूर में डोनर्स तथा क्यूटीएल के साथ सूखा वहनीयता वाले लक्षणों की पहचान।
16.	अरहर में फ्यूजेरियम मुरझान प्रतिरोधी जीन से संबंधित आण्विक मार्करों की पहचान।
17.	चने के आनुवांशिक संसाधनों : का संग्रहण, आकलन तथा संरक्षण।
18.	फल बेधक प्रतिरोधी पराजीनी चना और अरहर का विकास।

1	2
19.	चने में प्रायोगिक जीनोमिक्स।
20.	उड़द में [विग्ना मूंगो (एल.) हीपर] एमवाईएमवी तथा चूर्णी फफूंद की प्रतिरोधिता के संपर्क मानचित्र तथा टैगिंग का निमाण।
21.	चने को गरम स्थिति में उगाने से उत्पादकता वृद्धि के लिए गरम वहनीयता का सुधार तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना।
22.	चने की उत्कृष्ट किस्मों के विकास के साथ उन्नत रोग प्रतिरोधिता के लिए चना प्रजनन में आण्विक मार्करों की तैनाती।
23.	डीएसी-आईसीएआरडीए-आईसीएआर सहयोग से काबूली चना तथा मसूर में उत्पादन अवरोध तोड़ने के संबंध में पूर्व-प्रजनन तथा आनुवांशिक वृद्धि।
24.	अरहर और चना में फली बेधक प्रतिरोधी पराजीनी का विकास।
25.	अरहर में उत्पादकता तथा पैदावार स्थिरता को बढ़ाने के लिए साईटोप्लास्मिक आनुवांशिक नरबंध्यता आधारित संकर किस्मों का आकलन और उत्पादन।
26.	अरहर में जलमग्न वहनीय किस्मों का चयन और उपयोग।
27.	वायरल रिप एमआरएनए को लक्षित करते हुए हेयरपिन राइबोजिम जीन शामिल करते हुए एमवाईएमवी प्रतिरोधी पराजीनी फलियों को विकसित करना।
28.	आरएनएआई का इस्तेमाल करते हुए पादप सूत्रकृमि परस्पर संबंध को समझना।

विवरण-II

पिछले चार वर्षों (2010-13) के दौरान अधिसूचित दलहनी फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में

दलहनी फसल	संख्या	उच्च पैदावार वाली किस्में
1	2	3
चना/बंगालग्राम	16	गुजरात जूनागढ़ चना-3 (जीजेजी 0207), कृपा, जीपीएफ 2, आरएसजी-974 (अभिलाषा), पीकेवी काबुली-4, एमएनके-1, राज विजय काबुली चना 101 (जेएससी 42), राज विजय चना 201 (जेएससी 40), एचके-4 (एचके 05-169), पीकेवी हरिता (एकेजी 9303-12), उज्जवल (आईपीसीके 2004-29), राज विजय चना 203 (आरवीजी 203), एल-555 (जीएलके-26155), जीएनजी 1958, जीएनजी 1969, एनबीईजी 3

1	2	3
उड़द/ब्लेकग्राम	12	मांस 114, यूपीयू 00-31 (हिमाचल माश 1), माश 479 (केयूजी 479), माश 391 (एलयू 391), सी.6 (सीओबीजी 653), वीबीएन (बीजी) 7 (वीबीजी 04-008), विश्वास (एनयूएल-7), वीबीएन 6, यूएच-1 (यूएच 04-06), डीयू-1, टीयू 40, प्रताप यूआरडी-1
मूंग/ग्रीनग्राम	8	वीबीएन (जीजी) 3, पीकेवी ग्रीन गोल्ड, पीकेवी एकेएम-4 (एकेएम-9904), आईपीएम 02-14, केएम 2195 (स्वाती), एमएच-421, बीएम 2003-2, एसएमएल 832
अरहर/रेडग्राम	7	राजीवलोचन, टीएस-3आर, आनन्द ग्रेन तूर-2 (एजीटी-2), बीडीएन 711 (बीडीएन 2004-3), राजेश्वरी (फूले तोर 12), रुद्रेश्वर (डब्ल्यूआरजी 65), पीकेवी तारा
मटर	7	अमन (आईपीएफ 5-19), गोमती (टीआरसीपी-8), दंतीवाड़ा मटर 1 (एसकेएनपी 04-09), आईपीएफ 4-9, वीएल मटर 47 (वीएल 47), एचएफपी 529, गोमती (टीआरसीपी-8)
मसूर	6	पंत मसूर-8 (पंत एल-063), पंत मसूर-7 (पंत एल-024), वीएल मसूर 514 (वीएल 514), एलएल 931, वीएल मसूर 133 (वीएल 133), आईपीएल-316
लोभिया	4	हिसार लोभिया-46 (एचसी 98-46), सी 519 (हिमाचल लोभिया 11), हिद्रदया, एमएफसी-08-14
कलस्टरबीन	4	एचजी 870, गौर कुंजल (आरजीसी-1033), एचजी 884, एचजी 2-20
कुलथी	3	क्रीडालथा (सीआरएचजी-4), इंदिरा कुलथी-1 (आईकेजीएच-05-01) गुजरात दंतीवाड़ा कुलथी-1 (जीएचजी-5)
राजमा/फ्रैंचबीन	1	गुजरात राजमा-1 (डीपीआर 88-1-2)
कुल	68	

अन्य उपलब्धियां (2010-13)

- भारत की दो अत्यधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसलों अर्थात् चना और अरहर के जीनोम की डीकोडिंग की गई। इन दोनों फसलों में किस्मगत सुधार के लिए यह आंकड़े अत्यधिक उपयोगी संसाधन हैं। नए विकसित मार्कर चना और अरहर जननद्रव्य की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा विविधता विश्लेषण के लिए उपयोगी होंगे और यह आण्विक प्रजनन प्रयोग के साथ-साथ मार्कर सहायतार्थ चयन में काफी लाभकारी होंगे।

- *हेलीकूवर्पा* प्रतिरोधी पराजीनी चना तथा अरहर के विकास के लिए अथक प्रयास जारी हैं। नए उत्पन्न क्राई1एसी तथा क्राई1एएबीसी जीनों के साथ चना और अरहर के आनुवांशिक रूपांतरण कार्य आरंभ कर दिया है। आगामी विश्लेषण के लिए इस प्रकार के समस्त पादपों पर आईआईपीआर की परिरोधन सुविधा में उन्नत कार्य किया जा रहा है। आण्विक लक्षणवर्णन से ट्रांसजीन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। चना प्लूम्यूल्स के विभज्योतिकी कोशिका का इस्तेमाल करते हुए एक 'इन-प्लांटा' रूपातरण विधि विकसित की गई है। हाल ही में दबाव प्रेरक आरडी 29ए प्रोमोटर द्वारा चालित एटीडीआरईबी1ए का इस्तेमाल करते हुए सूखा वहनीयता बढ़ाने क लिए चना पराजीनी वंशक्रमों को विकसित करने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं।

- मुख्य दलहनी फसलों जिसमें चना, अरहर, मसूर तथा विग्ना फसलें शामिल हैं, के आनुवांशिक आधार को व्यापक करने के लिए दूरस्थ संकरण किया गया। इस प्रयोजन हेतु संकरण कार्यक्रम में वनीय प्रजातियों को शामिल किया गया।

- मूंग (आईपीएम 205-7 तथा आईपीएम 409-4) दो अतिरिक्त अगेती परिपक्वन जीनोटाइप विकसित किए गए जो 46-48 दिन में परिपक्व होते हैं।
- चने के 10 ऊष्मा वहनीय जीनोटाइप की पहचान की गई तथा ऊष्मा वहनीय किस्म के रूप में जेजी 14 को जारी किया गया।
- चने में तीन जननद्रव्य वंशक्रमों में शाकनाशी (इमेजीथापीर) उभरने के बाद की वहनीयता पाई गई।
- दलहन में संसाधन संरक्षण तकनीकों की पहचान की गई अर्थात् पानी के नुकसान को कम करने तथा जल उत्पादकता वृद्धि के लिए उठी हुई क्यारी रोपण, ड्रिप सिंचाई तथा पलवार बिछाना।
- खरीफ दलहन के मौसमी खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी उभरने के बाद "इमेजीथापीर" का 100 ग्रा. ए.आई/है. की दर से प्रयोग की सिफारिश की गई।
- बरानी और सिंचित पारिस्थिकीय प्रणालियों के लिए दलहन सहित उच्च लाभकारी फसलीय प्रणालियां विकसित की गई हैं। इनमें सिंचित स्थितियों के लिए चावल-गेहूं-मूंग; चावल-चना-मूंग तथा बारानी स्थितियों के लिए मक्का-चना; उपराऊ भूमि चावल-मसूर; अगेती अरहर-गेहूं; बाजरा-चना तथा चावल-मसूर तथा प्रायद्वीपीय भारत के लिए चावल-उड़द शामिल हैं।
- हेलीकूवर्पा अरमेजिरा पापुलेशन की निगरानी के लिए मौसम आधारित पूर्वानुमान मॉडल विकसित किए गए।
- दलहन में सांकेतिक 12-25 प्रतिशत उत्पादक वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिक प्रदर्शन।
- हाल ही में यांत्रिकी कटाई के लिए उपयुक्त चना किस्मों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों को अनुदान सहायता

3823. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों, मिश्रित क्षेत्रीय केन्द्रों और जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे केन्द्रों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) देश में संस्वीकृत राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) एवं संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) और जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) के राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) एनआई, सीआरसी और डीडीआरसी के लिए निर्मुक्त सहायता अनुदान के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय संस्थानों/संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण और उनके कार्यकलापों की समीक्षा उनकी शासी परिषदों और कार्यकारी परिषदों परिषदों की बैठकों में और मंत्रालय में समीक्षा बैठकों के दौरान भी आवधिक रूप से की जाती है। डीडीआरसी सहित मंत्रालय द्वारा प्रशासित सभी योजनाओं की प्रत्येक वर्ष संपन्न कल्याण/सामाजिक न्याय राज्य सचिवों की क्षेत्रीय बैठकों में समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में उभरती हुई हित चिन्ताओं/मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय संस्थान और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र

(क) राष्ट्रीय संस्थान

क्र.सं.	राष्ट्रीय संस्थान
1	2
1.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, (एनआईवीएच), देहरादून
2.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (एवाईजेएन आईएचएच), मुंबई
3.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता
4.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगजन संस्थान (पीडीयूआईपीएच), दिल्ली

1	2
6.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एनआईएमएच), सिकंदराबाद
7.	बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान (एनआईईपीएमडी) चेन्नै

(ख) संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र

क्र.सं.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों के नाम
1.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी, असम
2.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सुन्दरनगर, हिमाचल
3.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश
4.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
5.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
6.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, पटना, बिहार
7.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात
8.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, कोझीकोड, केरल

विवरण-II

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत डीडीआरसी की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	13
5.	बिहार	22
6.	छत्तीसगढ़	6
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दमन और दीव	1
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	11
11.	हरियाणा	5
12.	हिमाचल प्रदेश	3
13.	जम्मू और कश्मीर	6
14.	झारखंड	6
15.	कर्नाटक	8
16.	केरल	3
17.	मध्य प्रदेश	23
18.	महाराष्ट्र	11
19.	मणिपुर	3
20.	मेघालय	3
21.	मिज़ोरम	3
22.	नागालैंड	1
23.	ओडिशा	8
24.	पंजाब	7
25.	पुदुचेरी	2
26.	राजस्थान	12
27.	सिक्किम	1
28.	तमिलनाडु	7
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	31
31.	उत्तराखंड	5
32.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	239

विवरण-III

(क) राष्ट्रीय संस्थान

(लाख रुपए में)

राष्ट्रीय संस्थान का नाम		निर्मुक्त राशि			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच), देहरादून, उत्तराखंड	योजना	929.00	816.00	1500.00	1320.00
	गैर-योजना	711.00	895.00	950.00	906.50
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता	योजना	536.00	773.00	408.00	468.00
	गैर-योजना	490.00	632.00	662.00.00	581.00
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (एवाईजेएनआईएचएच), मुंबई	योजना	803.00	695.00	1030.00	863.00
	गैर-योजना	632.00	722.00	766.00	742.00
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	योजना	1167.00	754.00	391.00	810.00
	गैर-योजना	430.00	431.00	452.00	428.50
स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा	योजना	865.00	944.00	1260.00	1196.00
	गैर-योजना	419.00	548.00	574.00	558.50
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	योजना	300.00	626.00	230.00	428.00
	गैर-योजना	727.00	914.00	957.00	915.00
राष्ट्रीय बहु-विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चैन्नई	योजना	1183.00	854.00	769.42	626.00
	गैर-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	योजना	5783.00	5462.00	5588.42	5710.00
	गैर-योजना	3409.00	4142.00	4361.00	4131.50

ख. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
गुवाहाटी, असम	80.70	77.90	0.00	88.18
सुन्दरनगर, हिमाचल प्रदेश	77.00	76.77	122.00	99.72
भोपाल, मध्य प्रदेश	88.94	92.60	15.00	80.00

1	2	3	4	5
श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	293.96	0.00	0.00	73.82
लखनऊ, उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	50.00
पटना, बिहार	11.93	65.44	0.00	52.50
अहमदबाद, गुजरात	15.00	95.00	215.00	0.00
कोझीकोड, केरल	0.00	20.00	0.00	25.00
कुल	567.53	427.71	352.00	469.22

विवरण-IV

जिला पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसीज)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निर्मुक्त राशि वर्ष (रुपए)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	1,54,80,000	17,20,000	17,20,000	27,40,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	11,62,858	11,80,318	11,73,047	—
4.	असम	25,57,032	22,30,674	18,82,000	68,28,000
5.	बिहार	50,10,400	1,04,16,975	—	22,57,106
6.	गुजरात	15,53,781	38,66,123	—	3,60,932
7.	हरियाणा	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	4,17,699	—	33,838	—
9.	जम्मू और कश्मीर	7,12,333	—	9,20,983	18,82,000
10.	झारखंड	17,20,000	1,02,000	1,02,000	—
11.	कर्नाटक	17,20,000	2,76,660	—	—
12.	मध्य प्रदेश	30,85,492	21,24,964	11,53,729	62,27,331
13.	महाराष्ट्र	23,66,699	28,39,381	17,51,000	42,96,080
14.	मणिपुर	11,82,000	11,50,455	4,21,240	—

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	—	4,04,673	—	11,82,000
16.	मिजोरम	—	—	—	—
17.	ओडिशा	3,53,762	8,92,617	—	—
18.	पंजाब	3,76,800	—	15,67,309	26,09,787
19.	पुदुचेरी	—	15,66,107	—	3,80,904
20.	राजस्थान	4,03,991	42,39,586	—	12,14,000
21.	तमिलनाडु	5,25,915	—	—	—
22.	त्रिपुरा	28,11,954	—	21,87,236	23,49,411
23.	उत्तर प्रदेश	1,39,69,472	39,96,487	16,08,336	1,36,02,792
24.	उत्तराखंड	11,55,600	8,96,400	14,66,430	—
25.	पश्चिम बंगाल	11,15,544	48,01,512	70,99,658	41,77,140
	कुल	5,76,81,332	4,27,04,932	2,30,86,806	5,01,07,483

एन.एफ.एल. संयंत्रों का गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तन

3824. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की सभी यूरिया विनिर्माण इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएफएल द्वारा यूरिया का अनुमानित उत्पादन कितना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान यूरिया के उत्पादन हेतु उपयोग/उपभोग हेतु घरेलू और आयातित गैस की अनुमानित मात्रा कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की सभी तीनों ईंधन तेल आधारित यूरिया उत्पादन इकाइयां अर्थात् नांगल, बठिंडा और पानीपत को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) प्राकृतिक गैस आधारित में परिवर्तित की गई ईंधन तेल आधारित इकाइयों और उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	नांगल इकाई	पानीपत इकाई	बठिंडा इकाई
एएफसीपी चालू होने की तारीख	09.04.2013	24.01.2013	16.01.2013
एएफसीपी से वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख	18.07.2013	28.03.2013	11.03.2013
अनुमोदित व्यय (करोड़ रुपए)**	1478.63	1292.84	1294.19

**वास्तविक व्यय को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके अनुमोदित व्यय के अंदर ही रहने का अनुमान है। एएफसीपी का अर्थ है अमोनिया फीडस्टॉक परिवर्तन परियोजना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नांगल, पानीपत, बठिंडा और विजयपुर I और II में एनएफएल की इकाइयों द्वारा किया गया यूरिया का उत्पादन निम्न प्रकार है:—

(लाख मी.टन)

इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	अप्रैल' 13-दिसंबर 13
1	2	3	4	5
नांगल	4.785	5.036	4.714	3.594
पानीपत	4.700	5.004	4.138	3.699
बठिंडा	5.530	4.830	3.945	4.168
विजयपुर-I	9.167	9.023	9.664	7.502
विजयपुर-II	9.616	10.118	9.649	8.631
योग	33.798	34.01	32.11	27.60

नांगल, पानीपत और बठिंडा का 2010-11, 2011-12, 2012-13 का यूरिया उत्पादन ईंधन तेल फीडस्टॉक आधारित है। पानीपत और बठिंडा का 2012-13 के उत्पादन में, जैसा कि बिंदु सं.(ख) में बताया गया है, चालू होने से पूर्व फीडस्टॉक के रूप में ईंधन तेल, एलएसएचएस पर आधारित उत्पादन शामिल है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान यूरिया के उत्पादन के लिए प्रयुक्त/खपत की गई घरेलू और आयातित गैस की मात्रा निम्न प्रकार है:—

(वास्तविक एनसीवी पर मिलियन मानक घन मीटर)

		2010-11	2011-12	2012-13		अप्रैल' 13-दिसंबर 13	
				घरेलू गैस	आरएलएनजी	घरेलू गैस	आरएलएनजी
नांगल		एफओ/एलएसएचएस पर उत्पादन				—	225.054
पानीपत		एफओ/एलएसएचएस पर उत्पादन		—	66.874*	—	204.462
बठिंडा		एफओ/एलएसएचएस पर उत्पादन		—	70.641*	—	228.497
विजयपुर-I+II	घरेलू	1075.4	1101	924.599		885.687	
	आरएलएनजी	235.66	249.58		246.919		148.427
	योग			924.599	384.434	885.687	806.44

*परियोजना के चालू होने से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन तक खपत की गई गैस शामिल है।

जैसलमेर किले का संरक्षण

3825. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जैसलमेर किले का एक भाग 2011 के मध्य में टूट गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किले के संरक्षण हेतु निर्धारित राशि उपयोग नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित किलों के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारी वर्षा के कारण, किले की डामरदार दीवार का एक हिस्सा गिर गया था।

(ग) जी, नहीं। आबटित निधियों को पूर्णतया उपयोग किया गया है और डामरदार दीवार के ढहे गए भाग का जीर्णोद्धार किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राजस्थान सहित देशभर के संरक्षित स्मारकों और किलों का संरक्षण कार्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नियमितता से किसा जाता है और ये भली-भांति परिरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, स्मारकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए समुचित सुरक्षा तथा साथ ही पहरेदारी की व्यवस्था की गई है।

नकली कीटनाशकों का उपयोग

3826. श्री सुवेन्दु अधिकारी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकली कीटनाशकों के उपयोग के कारण होने वाली हानि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो हानि की मात्रा का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार फसल के उत्पादन अनुपात में वृद्धि हेतु कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर जोर दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) कीटनाशकों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग केन्द्र तथा राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार नकली कीटनाशकों के बिक्री रोकने के लिए कीटनाशी निरीक्षक और कीटनाशी विश्लेषक को अधिसूचित करती है। राज्य लाइसेंसिंग अधिकारी को भी नियुक्त करते हैं। कीटनाशी नमूनों को नियमित आधार पर लिया जाता है और 68 राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसपीटीएल) और चंडीगढ़ एवं कानपुर में स्थित दो क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है।

किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, फरीदाबाद अधिनियम की धारा 16 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

राज्य कृषि विभागों के लाइसेंसिंग प्राधिकरण किसी भी उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं। कीटनाशी निरीक्षक न्यायालय में अभियोजन का प्रारंभ करते हैं। केन्द्र सरकार एसपीटीएल को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करती है और मिलावटी कीटनाशकों के उपयोग के विरुद्ध जागरूकता अभियान का आयोजन करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्नातक प्रतिभोगियों को कीट प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

2011-12 से 2013-14 तक एनआईपीएचएम द्वारा दिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (व्यावसायिक) का ब्यौरा

क्र. सं.	कोर्स के ब्यौरे	2011-12		2012-13		2013-14 (जनवरी, 2014 तक)	
		प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	गरम हवा के दबाव से उपचार	—	—	2	61	3	40
2.	धूमीकरण	2	26	2	33	2	27
3.	शहरी समेकित कीट प्रबंधन	2	23	3	52	2	40
	कुल	4	49	7	146	7	107

स्रोत: एनआईपीएचएम।

जी.एम.डी.सी. को लिग्नाइट खनना पट्टा

3827. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को जीएमडीसी को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लखपत में लिग्नाइट खनन का पट्टा प्रदान करने के लिए जीएमडीसी हेतु कोयला मंत्रालय की पूर्वानुमति आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) ने यह सूचित किया है कि मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) के पक्ष में कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी 29.07.2013 के आवेदन आमंत्रित करने संबंधी नोटिस के प्रत्युत्तर में जीएमडीसी ने तीन लिग्नाइट ब्लॉकों नामत: पनन्ध्रो एक्सटेंशन, बरकंडैम तथा घाला के लिए आवेदन किया है। आवेदनों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने लखपत-डेहधढ़ी लिग्नाइट क्षेत्र सहित कई लिग्नाइट धारी क्षेत्रों के लिए लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटन तथा खनन पट्टों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया था। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक आबंटित किए जाते हैं जबकि आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्रदान किए जाने से पूर्व कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन एक लिग्नाइट कोयला ब्लॉक का आबंटन एक पूर्व-अपेक्षा है। कोयला मंत्रालय द्वारा गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसीएल) को उपर्युक्त लिग्नाइट कोयला ब्लॉक को आबंटित नहीं किया गया है, अत: खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सारणीबद्ध औषधि सूची में औषधियों को शामिल करना

3828. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दवाइयों के बढ़ते मूल्यों और भेषज कंपनियों द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सारणीबद्ध औषधि सूची में और अधिक दवाइयों को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बॉडयुक्त दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगाकर जेनेरिक दवाइयों की बिक्री को बढ़ावा देने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश में जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) मई, 2013 में औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ)-2013 अधिसूचित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम)-2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट खुराकों और क्षमताओं की दवाओं को कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है। मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए एनएलईएम का संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी औषधि को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर जनहित में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत एनएलईएम में जोड़ा जा सकता है।

(ग) से (ङ) सरकार भारतीय भेषज क्षेत्र विशेषकर जेनेरिक दवा विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क मुक्त क्षेत्र, अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर कर-लाभ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम इत्यादि जैसे राजकोषीय और गैर-राजकोषीय लाभ प्रदान कर रही है। सभी को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नवंबर, 2008 में जन औषधि दवा स्टोर खोलकर, जन औषधि अभियान शुरू किया। नवंबर, 2008 से देश के विभिन्न भागों में 162 जन औषधि स्टोर खोले गए हैं, जिनमें से 83 स्टोर कार्य कर रहे हैं। विशेषरूप से इन गतिविधियों को बढ़ाने में पहचान

की गई कमियों और चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए एक नई कारबार योजना अनुमोदित की गई है।

लघु और सीमान्त किसान

3829. श्री गणेश सिंह :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लघु और सीमान्त किसान गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे किसानों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या उनको वृद्धावस्था पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) नवीनतम कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार देश में सीमान्त और छोटी दोनों तरह की प्रचालनात्मक जोतें (2.00 हैक्टेयर से कम) प्रचालनात्मक जोतों की कुल संख्या का 85.0 प्रतिशत थी। तथापि कृषि मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छोटे और सीमान्त किसानों की संख्याओं पर डाटा को एकत्रित रखा नहीं जाता।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (iii) इंदिरा गांधी अपंगता पेंशन स्कीम सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वियन कर रही है। कृषक परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, जो प्रत्येक स्कीम को संबंधित शर्तों की पूर्ति करते हैं, वे भी इन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) सरकार ने देश में सीमांत और छोटे किसान सहित किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याण उपाय किए हैं। छोटी जोतों को व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों जैसे बहु फसलन, अंतर फसलन और समेकित खेती प्रणाली आदि को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। विभिन्न स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, संशोधित वृहत कृषि प्रबंधन आदि के जरिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए सरकार एक समयबद्ध रीति में सभी पात्र तथा इच्छुक किसानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करती है। इसके अलावा बीजों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फसल बीमा प्रीमियम तथा उर्वरक आदि पर राजसहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वियन कर रहा है।

[अनुवाद]

कृषि विस्तार संबंधी कार्यक्रम

3830. श्री एम.बी. राजेश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी और निजी वित्त-पोषण तथा सुपुर्दगी तंत्र के समुचित मिश्रण के साथ देश में विद्यमान कृषि विस्तार सेवाओं के विस्तारण के लिए कोई नीति/कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी नीति/कार्यक्रम का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि विस्तार कार्यक्रम को निजी कंपनियों हेतु खोलने के क्या कारण हैं और अधिक कृषि उत्पदकता हेतु इसके संभावित उपाय क्या हैं;

(घ) क्या सरकार देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों को सहयोग दे रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अलावा इन केन्द्रों के कार्यकरण को सहयोग देने के लिए कोई कार्यक्रम लागू कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों की सहायता" स्कीम वर्तमान में देश के 28 राज्यों के 630 जिलों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। बहु एजेंसी विस्तार रणनीतियों के संवर्धन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड में स्कीम कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र जैसे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), किसान संगठन (एफओ), पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) सहकारिताओं, पैरा विस्तार कार्यकर्ताओं, कृषि उद्यमियों, आदान आपूर्तिकर्ता, कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि के

माध्यम से जिला स्तर पर आवर्ती गतिविधियों पर स्कीम आवंटन का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। गैर सरकारी कार्यान्वयन एजेन्सियां उनके जरिए कार्यान्वित विस्तार गतिविधियों (कर्मचारी लागत के बिना) की लागत की अधिकतम 10% सेवा शुल्क के लिए योग्य है। चूंकि निजी क्षेत्र सहभागिता एक राज्य स्तरीय कार्यकलाप है, राज्य नीति दिशा-निर्देशों का विभिन्न सीमा तक और विभिन्न प्रकार से पालन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम) भी इन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 14 मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों, 15 मक्का उत्पादन राज्यों और 11 आयलपाम उत्पादक राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है। स्कीम के तहत विस्तार कर्मी गहन रूप से ब्लॉक प्रर्दशनियों का पर्यवेक्षण करता है और नियमित रूप से किसानों को अपेक्षित तकनीकी सलाह प्रदान करता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) आदि के स्थानीय अनुसंधान स्टेशन/विस्तार केन्द्रों के वैज्ञानिक प्रदर्शन तथा किसान प्रशिक्षण के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।

(ग) निजी क्षेत्र के प्रयासों से सरकारी विस्तार मशीनरी, जो किसानों के बीच सही सूचना और समुचित प्रौद्योगिकियों का प्रसार करती रही है, द्वारा किए जा रहे कार्य में सहायता की संभावना है। भारत सरकार कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों (एसीएबीसी) की स्थापना के लिए कृषि पृष्ठभूमि के युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम को भी बढ़ावा दे रही है। इन प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड के जरिए विस्तार गतिविधियां, विस्तार मशीनरी की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। अनुसंधान विस्तार-किसान (आरईएफ) संपर्क को सुदृढ़ करने के क्रम में केवीके कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) स्कीम की निम्नलिखित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है:—

(i) प्रत्येक जिले के लिए 5 वर्षीय विशन दस्तावेज की तैयारी अर्थात् रणनीति अनुसंधान और विस्तार योजना (एसआरईपी)

(ii) जिला स्तर पर किसान वैज्ञानिक वार्ता।

(iii) जिला कर्मियों/ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक/विषय वस्तु विशेषज्ञों के लिए तत्काल निर्देशन प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर केवीके/एसएयू से नामित विशेषज्ञ सहायता।

(iv) केवीके और अन्य स्थानीय अनुसंधान केन्द्रों के जरिए आकलन, परिष्करण, वैधीकरण और फ्रन्टलाईन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और अन्य लघु स्तरीय अनुसंधान योग्य मुद्दे।

[हिन्दी]

'आधार' से जोड़ना

3831. श्री सतपाल महाराज : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लागू की जा रही खाद्य सुरक्षा योजना को 'आधार कार्ड' से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि देश के सभी नागरिकों को उक्त कार्ड जारी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना को लागू करने के लिए देश के सभी नागरिकों को 'आधार कार्ड' प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है/तैयार की जानी प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधार हेतु केवल एक प्रावधान है जिसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें उत्तरोत्तर शुरू करने का प्रयास करेंगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत लाभों को उचित तरीके से लक्षित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की बॉयोमीट्रिक सूचना के साथ उनकी विशिष्ट पहचान के लिए 'आधार' का लाभ उठाना शामिल है। अत: आधार कार्ड के साथ संबद्धता अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई पूर्वापेक्षा नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्मारकों का रख-रखाव

3832. श्री संजय दिना पाटिल :
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री राजू शेट्टी :
श्री हरिन पाठक :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के अंतर्गत ऐतिहासिक/राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का ब्यौरा क्या है और देश में मध्य प्रदेश सहित जीर्ण-शीर्ण अवस्था के स्मारकों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्माणाधीन/मरम्मताधीन पर्यटक स्थलों/स्मारकों का ब्यौरा क्या है और चक्रवात/वर्षा और अन्य राष्ट्रीय आपदाओं के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्मारकों का ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी स्मारकों के संरक्षण/मरम्मत हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि संसाधनों की कमी के कारण विभिन्न ऐतिहासिक भवनों/स्मारकों की मरम्मत नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा संसाधनों की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन कदमों के माध्यम से किस सीमा तक सफलता प्राप्त की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) महाराष्ट्र सहित देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संरक्षित स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं।

(ख) संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें उन्हें प्रदर्शनीय स्थिति में रखते हुए उनके मरम्मत का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। ऐसी आपदाओं से हाल में भारतीय पुरातत्व के किसी संरक्षित स्मारक को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। संस्कृति मंत्रालय के कुल आबंटन में से स्मारकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त निधि आबंटित की जाती है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन महाराष्ट्र सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्मारकों की संख्या	मंडल का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	137	हैदराबाद	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	गुवाहाटी	03
3.	असम	55	गुवाहाटी	55
4.	बिहार	70	पटना	70
5.	छत्तीसगढ़	47	रायपुर	47
6.	दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र)	12	वडोदरा	12
7.	गोवा	21	गोवा	21
8.	गुजरात	202	वडोदरा	202
9.	हरियाणा	90	चंडीगढ़	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40	शिमला	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69	श्रीनगर	69

1	2	3	4	5
12.	झारखंड	12	रांची	12
13.	कर्नाटक	507	बेंगलूरु	208
			धारवाड़	299
14.	केरल	26	त्रिशूर	26
15.	मध्य प्रदेश	292	भोपाल	292
16.	महाराष्ट्र	285	औरंगाबाद	168
			मुंबई	117
17.	मणिपुर	01	गुवाहाटी	01
18.	मेघालय	08	गुवाहाटी	08
19.	नागालैंड	04	गुवाहाटी	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	174	दिल्ली	174
21.	ओडिशा	78	भुवनेश्वर	78
22.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07	चेन्नई	07
23.	पंजाब	33	चंडीगढ़	33
24.	राजस्थान	162	जयपुर	162
25.	सिक्किम	03	कोलकाता	03
26.	तमिलनाडु	413	चेन्नई	403
			त्रिशूर	10
27.	त्रिपुरा	08	गुवाहाटी	08
28.	उत्तर प्रदेश	743	आगरा	265
			लखनऊ	366
			पटना	
29.	उत्तराखंड	042	देहरादून	42
30.	पश्चिम बंगाल	134	कोलकाता	134
	कुल	3678	कुल	3678

[हिन्दी]

एन.आई.ए. का विशेष कक्ष

3833. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद हेतु वित्तपोषण और जाली नोटों के परिचालन की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कक्ष द्वारा इसकी स्थापना से अब तक किए गए कार्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (ग) देश में आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली करेन्सी के मामलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी में दिनांक 22.06.2010 को आतंकवाद का वित्तपोषण एवं जाली करेन्सी (टीएफएफसी) प्रकोष्ठ नामक एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

टीएफएफसी प्रकोष्ठ के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:-

(i) यह आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली करेन्सी से संबंधित उन सभी मामलों की जांच-पड़ताल करता है जो केन्द्र सरकार द्वारा एनआईए को सौंपे जाते हैं।

(ii) यह प्रकोष्ठ पूरे देश में एवं विदेश में जाली भारतीय करेन्सी नोटों (एफआईसीएन) की जब्तियों के संबंध में एक डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। यह 7 केन्द्रीय एवं विभिन्न राज्य एजेन्सियों से एफआईसीएन के संबंध में इनपुट्स प्राप्त करता है।

(iii) यह प्रकोष्ठ गहन रूप से जांच-पड़ताल, उनका सत्यापन, संग्रहण करता है और पूछताछ की रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का विश्लेषण करता है।

(iv) यह वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए इनपुट्स और टिप्पणियां भी मुहैया कराता है और इसने धन-शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित एफएटीएफ की विभिन्न टाइपोलॉजी परियोजनाओं में भाग लिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस प्रकोष्ठ ने उन 07 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल कर दिए हैं जो इसे सौंपे गए हैं और छह अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

[अनुवाद]

पैशन फलों का प्रसंस्करण

3834. श्री विन्सेंट एच. पाला : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में पैशन फलों की खेती प्रति एकड़ कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में स्थित पैशन फलों के प्रसंस्करण स्थानों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रसंस्कृत किए गए पैशन फलों के घरेलू बाजार और उपभोग के आधार पर ब्यौरा क्या है; और

(घ) पैशन फलों के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) देश में प्रत्येक राज्य में पैशन फलों की प्रति एकड़ खेती का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक राज्य में स्थित पैशन फलों के प्रसंस्करण स्थानों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) प्रसंस्कृत पैशन फल उत्पादों के घरेलू बाजार और उपभोग के आधार पर ब्यौरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(घ) प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करने, बरबादी में कमी लाने, मूल्यवृद्धि करने, किसानों की आय में वृद्धि करने, रोजगार सृजन तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, अन्य साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की स्कीमों में से एक है। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, पैशन फल प्रसंस्करण यूनिटों समेत सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती

है। कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50 लाख रुपए, देश में पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, आईटीडीपी क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50% की दर से परंतु अधिकतम 100.00 लाख रुपए की अनुदान-सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पैशन फल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एनएमएफपी के अंतर्गत शामिल हैं।

विवरण

पैशन फल उपज का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

क्षेत्रफल '000 हेक्टेयर में
उत्पादन '000 मिट्रिक टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पैशन फल (2011-12) (अंतिम)		पैशन फल (2012-13) (तीसरे अग्रिम अनुमान)	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
आंध्र प्रदेश				
अरुणाचल प्रदेश				
असम				
बिहार				
छत्तीसगढ़				
दादरा और नगर हवेली				
दमन और दीव				
दिल्ली				
गोवा				
गुजरात				
हरियाणा				
हिमाचल प्रदेश				
जम्मू और कश्मीर				
झारखंड			0.50	5.00
कर्नाटक				

1	2	3	4	5
केरल				
लक्षद्वीप				
मध्य प्रदेश				
महाराष्ट्र				
मणिपुर	8.9	77.7	8.99	80.95
मेघालय				
मिज़ोरम	0.5	0.9	0.70	1.47
नागालैंड	6.1	18.7	7.80	17.94
ओडिशा				
पुदुचेरी				
पंजाब				
राजस्थान				
सिक्किम	0.5	0.1	0.53	0.15
तमिलनाडु				
त्रिपुरा				
उत्तर प्रदेश				
उत्तराखंड				
पश्चिम बंगाल				
कुल	15.9	97.4	18.52	105.51

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की वेबसाइट: *http://nhb.gov.in*

धान की खरीद

3835. चौधरी लाल सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और धान की वास्तविक खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य में धान के भंडारण हेतु पर्याप्त सुविधाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जम्मू और कश्मीर के लिए

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान धान की खरीद के कोई अलग अनुमान नहीं लगाए गए थे, क्योंकि राज्य में धान का उत्पादन उल्लेखनीय नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान धान की वास्तविक खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(टन में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2010-11	खरीफ विपणन मौसम 2011-12	खरीफ विपणन मौसम 2012-13	खरीफ विपणन मौसम 2013-14
जम्मू और कश्मीर	16446	12836	3612*	4**

*दिनांक 05.02.2014 की स्थिति के अनुसार।

**दिनांक 05.02.2014 की स्थिति के अनुसार।

(ख) खाद्यान्न के भंडारण के लिए जम्मू और कश्मीर में भारतीय खाद्य निगम के पास 1.75 लाख टन [कवर्ड 1.65 लाख टन और कवर्ड एंड प्लिथ (कैप) 0.10 लाख टन] भंडारण क्षमता उपलब्ध है, जिसका उपयोग जनवरी, 2014 के दौरान केवल 35 प्रतिशत हुआ है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पूल के स्टॉक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास 1.26 लाख टन कवर्ड भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इस प्रकार, केन्द्रीय पूल के स्टॉक के भंडारण के लिए जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में कुल 3.01 लाख टन क्षमता उपलब्ध है। उपलब्ध भंडारण क्षमता राज्य में खरीदे गए धान के भंडारण हेतु पर्याप्त है। जम्मू व कश्मीर क्षेत्र में भंडारण में और वृद्धि करने के उद्देश्य से निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम के अंतर्गत 3.62 लाख टन भंडारण क्षमता अनुमोदित की गई है। इसमें से 70,000 टन क्षमता का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 91,840 टन क्षमता निर्माणाधीन है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संपत्ति कर

3836. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कॉर्पोरेट, लक्जरी होटलों एवं व्यक्तियों के पास लाइसेंस शुल्क, संपत्ति कर आदि के रूप में नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् की भारी रकम बकाया है;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने लाइसेंस शुल्क, संपत्ति कर आदि के बकाया कीर वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दस बड़े चूककर्ताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	नाम	लंबित राशि
1.	जवाहर व्यापार भवन	43.15 करोड़ रुपए
2.	होटल ताज पैलेस	42.55 करोड़ रुपए
3.	होटल अशोक	37.46 करोड़ रुपए
4.	होटल लीला बेंचर	34.14 करोड़ रुपए
5.	होटल सम्राट	21.74 करोड़ रुपए
6.	होटल कनिष्क	21.22 करोड़ रुपए
7.	होटल पार्क	17.18 करोड़ रुपए
8.	23, औरंगजेब रोड	12.29 करोड़ रुपए
9.	5, के.जी. मार्ग	11.10 करोड़ रुपए
10.	होटल अशोक यात्री निवास	11.07 करोड़ रुपए

एनडीएमसी ने चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। वर्तमान में अधिकांश मामलों में मुकदमा चल रहा है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) **जवाहर व्यापार भवन :** यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, जहां एसएलपी दाखिल की गई है।

(ii) **होटल ताज पैलेस :** रिमांड वाले मामलों को मूल्यांकन हेतु हाथ में लिया गया है और होटल मांग के अनुरूप भुगतान कर रहा है।

(iii) **होटल सम्राट एवं होटल अशोक :** रिमांड वाले मामलों को अंतिम रूप देने के लिए हाथ में लिया गया है।

(iv) **होटल लीला बेंचर :** यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(v) **होटल कनिष्क :** यह मामला न्यायाधीन है।

(vi) **होटल पार्क :** रिमांड वाले मामलों को मूल्यांकन हेतु हाथ में लिया गया है और होटल मांग के अनुरूप भुगतान कर रहा है।

(vii) **23, औरंगजेब मार्ग :** यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(viii) **5, के.जी. मार्ग :** कर-दाता ने पुन : कर-निर्धारण के लिए आवेदन किया है और इस मामले को कर-योग्य मूल्य में संशोधन के लिए हाथ में लिया गया है।

(ix) **होटल अशोक यात्री निवास :** यह मामला माननीय दिल्ली न्यायालय के समक्ष लंबित है।

[हिन्दी]

औषधि विनियामक तंत्र

3837. श्री वीरेन्द कुमार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विकसित देशों की तर्ज पर औषधियों हेतु विनियामक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) इस देश में पहले से ही एक सुस्थापित औषध विनियामक तंत्र है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य औषध नियंत्रण विभाग के बीच शक्तियों और जिम्मेवारियों का एक सुस्पष्ट विभाजन है जो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के प्रावधानों के आधार पर कार्य करते हैं। परिस्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर इस तंत्र का समय-समय पर उन्नयन/सुदृढ़ीकरण किया जाता है। यह एक सतत् और अविरत प्रक्रिया है।

नक्सलियों के छद्म संगठन

3838. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण, गहरे वनों में छुपे हुए नक्सलियों ने छद्म संगठन बनाकर देशभर में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नक्सलियों के लिए कार्य कर रहे ऐसे संगठनों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और देश के अन्य भागों से कार्य कर रहे ऐसे संगठनों के क्या नाम हैं; और

(घ) इन संगठनों के कार्यों पर नजर रखने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) कई बार, सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाले कार्रवाईयों के दौरान, सीपीआई (माओवादी) के भूमिगत काडार सुरक्षित ठिकानों की तलाश के लिए शहरी क्षेत्र सहित सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। ऐसे अवसरों पर खुलेआम रहने वाले अग्रणी संगठन सशस्त्र कॉडरों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया करवाते हैं। अग्रणी संगठन माओवादी युद्ध मशीनरी की आपूर्ति के प्रापण आदि को भी सुगम बनाते हैं। वे प्रवर्तन प्रणाली को धीमा करने के लिए विभिन्न मामलों पर विधिक कार्रवाई भी चलाते हैं। उनका उपयोग दुष्प्रचार करने तथा राज्य एवं सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए भी किया जाता है। हाल ही में, यह पता चला है कि इस प्रकार के अग्रणी संगठनों के सदस्य पेशेवर क्रान्तिकारियों को भूमिगत गतिविधि में शामिल होने की मंत्रणा दे रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां, देश में कार्यरत सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय अग्रणी संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सीपीआई (माओवादी) तथा इसके अग्रणी संगठनों की गतिविधियों की गहन निगरानी की जाती है तथा जब कभी आवश्यक होता है, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

विवरण

सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय अग्रणी संगठन

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	रिवोलुशनरी रायटर्स एसोशिसन (आरडब्ल्यूए)
2.	जनता नाट्य मंडली (जेएनएम)
3.	तेलंगाना प्रजा फ्रंट (टीपीएफ)
बिहार	
4.	डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन (डीएसयू)
5.	क्रांतिकारी किसान कमेटी (केकेसी)
6.	क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ (केबीएस)
7.	मजदूर किसान संग्राम समिति (एमकेएसएस)
8.	नारी मुक्ति संघ (एनएमएस)
9.	रिवोलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)
10.	इंडियन एसोशिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर्स (आईएपीएल)
छत्तीसगढ़	
11.	आदिवासी बाल संगम (एबीएस)
12.	चेतना नाट्य मंडल (सीएनएम)
13.	दंडाकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ (डीएकेएमएस)
14.	क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ (केएएमएस)
दिल्ली	
15.	दिल्ली जनरल मजदूर फ्रंट (डीजीएमएफ)
16.	डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन (डीएसयू)
17.	नारी मुक्ति संघ (एनएमएस)
18.	रिवोलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)
19.	विकल्प (कल्चरल फ्रंट)
1	2
20.	फोरम एगेंस्ट वार ऑन पीपुल
21.	कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स (सीआरपीपी)
22.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया
23.	मेहनतकश मजदूर मोर्चा
गुजरात	
24.	गुजरात वर्किंग क्लास विंग
25.	क्रांतिकारी कामदार संगठन
26.	नौजवान भारत सभा (एनबीएस)
हरियाणा	
27.	जागरूक छात्र मोर्चा (जेसीएम)
28.	महिला मुक्ति मोर्चा (एमएमएम)
झारखंड	
29.	भारत नौजवान सभा (बीएनएस)
30.	डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन (डीएसयू)
31.	झारखंड एवन
32.	झारखंड मुक्ति मोर्चा
33.	झारखंड लिब्रेशन फ्रंट (जेएलएफ)
34.	क्रांतिकारी किसान कमेटी (केकेसी)
35.	क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ (केबीएस)
36.	मजदूर संगठन समिति (एमएसएस)
37.	नारी मुक्ति संघ (एनएमएस)
38.	रिवोलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)
39.	ऑपरेशन ग्रीन हंट विरोधी नागरिक मंच
40.	विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन
कर्नाटक	
41.	कर्नाटक कोमु सौहार्द वैदिके (केकेएसएस)

1	2
केरल	
42.	रिवोलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)
43.	रिवोलुशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)
महाराष्ट्र	
44.	दंडकराण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन (डीएकेएमएस)
45.	क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन (केएएमएस)
46.	रिवोलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)
47.	विरोधी सांस्कृतिक चलवल, विदर्भ
48.	इंडियन एसोशिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर (आईएपीएल
49.	कमेटी अगेंस्ट वायलेंस ऑन वूमेन
50.	कबीर कला मंच
ओडिशा	
51.	चासी मुलिया आदिवासी संघ (सीएमएएस)
52.	दमन प्रतिरोध मंच
53.	कमेटी ऑफ रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिज़नर्स (सीआरपीपी)
पंजाब	
54.	लोक संग्राम मंच (एलएसएम)
55.	ऑपरेशन ग्रीन हंट विरोधी जम्हूरी मंच
56.	भारतीय किसान यूनियन/ई-क्रांतिकारी
57.	क्रांतिकारी पेंडू मजदूर संघ
58.	नारी मुक्ति मंच (एनएमएम)
तमिलनाडु	
59.	एंटी-इंपीरियलिस्ट मूवमेंट (एआईएम)
60.	इंडियन एसोशिएशन फॉर पीपुल्स लॉयर (आईएपीएल)
61.	स्टूडेंट अपराइजिंग मूवमेंट फॉर सोशल वेलफेयर (एसयूएमएस)
62.	फेडरेशन आगेंस्ट इंटर रिप्रेशन (एफएआईआर)

1	2
उत्तराखंड	
63.	रिवोलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)
64.	कमेटी ऑफ रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिज़नर्स (सीआरपीपी)
65.	प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम (पीएसएफ)
उत्तर प्रदेश	
66.	नारी मुक्ति संघ (एनएमएस)
67.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया (पीडीएफआई)
पश्चिम बंगाल	
68.	गण प्रतिरोध मोर्चा (जीपीएम)
69.	मजदूर कृषक संग्राम समिति (एमकेएसएस)
70.	नारी मुक्ति संघ (एनएमएस)
71.	रिवोलुशनरी यूथ लीग (आरवाईएल)
72.	मतंगिनी महिला समिति
73.	पुलिस-ई-संघर्ष विरोधी जनसाधारण कमेटी (पीएसबीजेसी)
74.	यूनाइटिड स्टूडेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूएसडीएफ)

[अनुवाद]

स्वापक-रोधी बल

3839. श्री पी.टी. थॉमस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सहित राज्यों से स्वापक-रोधी बल विशेष कार्यबल की स्थापना किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वापक-रोधी क्रियाकलापों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) और (ख) केरल के पास दिनांक 27.07.2007 से ही केरल स्वापक-रोधी विशेष कार्यबल (केएनएनएसएएफ) मौजूद है। सिर्फ अंडमान एवं निकोबार को छोड़कर सभी अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पास स्वापक-रोधी कार्यबल उपलब्ध हैं।

(ग) "राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता" की योजना के अधीन स्वापक-रोधी गतिविधियों के लिए विगत 3 (तीन) वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

विवरण

स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी से निपटने की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु "राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" के अधीन स्वीकृत राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश		21,11,026	
2.	असम	29,20,936		
3.	अरुणाचल प्रदेश	23,25,000		
4.	बिहार			22,53,081
5.	छत्तीसगढ़	44,44,000		6,68,580
6.	दिल्ली	11,50,000		
7.	गोवा	22,00,000		
8.	गुजरात			3,06,050
9.	हरियाणा	10,15,000		
10.	हिमाचल प्रदेश	15,26,680		
11.	जम्मू और कश्मीर	11,50,000	22,94,736	
12.	झारखंड	23,90,500	34,22,349	
13.	कर्नाटक	19,91,500	21,59,806	
14.	केरल	41,70,994		33,55,507
15.	मध्य प्रदेश		28,00,710	1,33,349
16.	महाराष्ट्र	25,63,000		11,21,031
17.	मेघालय	18,71,852		
18.	मिज़ोरम	14,80,000	22,68,475	30,51,689
19.	मणिपुर	50,000	12,80,179	
20.	नागालैंड			23,07,450
21.	ओडिशा	7,59,500		16,34,994

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	44,42,500	17,39,200	
23.	राजस्थान			22,44,233
24.	सिक्किम	7,00,000		1,50,000
25.	तमिलनाडु	43,25,000	17,46,679	
26.	त्रिपुरा		36,13,477	
27.	उत्तराखंड		21,05,162	
28.	पश्चिम बंगाल		25,88,085	
29.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15,95,000		
30.	दमन और दीव		8,56,740	
31.	पुदुचेरी		10,12,940	

कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

3840. श्री पी. कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्तमान में 250 मिलियन टन खाद्यान्न, 100 मिलियन टन चावल, 90 मिलियन टन गेहूं, कपास की 35 मिलियन टन गांठें और 18 मिलियन टन से अधिक दालों का निरंतरतापूर्वक उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केन्द्रों के कारण हुई है जो देशभर में फैले हुए हैं;

(घ) क्या सरकार देश के कई भागों में और कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के साथ-साथ इनके क्रियाकलापों का विस्तार करने पर विचार कर रही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5700 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2012-13 के दौरान देश में खाद्यान्न, चावल, गेंहू, दलहनों तथा कपास का उत्पादन सामान्य तौर पर बढ़ा है जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:–

फसल	उत्पादन ('000 टन)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
चावल	99.18	89.09	95.98	105.30	105.24
गेहूं	80.68	80.80	86.87	94.88	9351
दलहन	14.57	14.66	18.24	17.09	18.34
खाद्यान्न	234.47	218.11	244.49	259.29	257.13
कपास@	22.28	24.02	33.00	35.20	34.22

@मिलियन गांठ (170 कि.ग्रा. प्रत्येक)

(ग) से (ङ) कृषि में बढ़ोत्तरी उत्पादन के कई कारकों का एक कार्य है जिसमें विभिन्न निवेशों, प्रौद्योगिकियों तथा सर्वोत्तम विधियों का उपयोग शामिल है। तथापि कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वि.के.) सहित कई कार्यक्रम तथा संगठन किसानों के खेतों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों एवं क्रियाओं को अपनाने के संबंध में सहयोग कर रहे हैं।

12वीं योजना के दौरान केवीके के नई गतिविधियों में जिन संभावनाओं पर विचार किया गया है उनमें शामिल है चुनिंदा खेत नवाचारों की पहचान और प्रलेखन, पब्लिक प्राइवेट और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रहे कृषि कार्यक्रमों और स्कीमों का तकनीकी बैकस्टोपिंग और इलैक्ट्रॉनिक और अन्य संचार माध्यमों के उपयोग से किसानों को खेती संबंधी परामर्श का प्रावधान।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक प्रस्ताव बनाकर केवीके स्कीम जारी रखने, सशक्त करने और 12वीं योजना के दौरान देश में 121 नये केवीके की स्थापना के लिए रुपए 5739.56 करोड़ का अनुमोदन मांगा है।

[हिन्दी]

गौतम बुद्ध के अवशेष

3841. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान बुद्ध द्वारा उनके अंतिम वर्षावास के बाद अपने महापरिनिर्वाण के लिए वैशाली को भेंट किया गया प्रसिद्ध पवित्र भिक्षा पात्र काबुल संग्रहालय में पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महासचिव द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि यह भिक्षा पात्र वैशाली से संबंधित है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका विवरण और पुष्टि फाह्यान और हुएनत्सांग के यात्रा लेखों में प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या पटना, दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्वानों ने भी इसकी पुष्टि की है;

(ङ) यदि हां, तो सत्यापन के लिए विशेषज्ञों को वहां कब तक भेजे जाने की संभावना है; और

(च) क्या विदेश मंत्रालय को ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य भेज दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां। भगवान बुद्ध के कथित पात्र (भिक्षा पात्र) को फिलहाल काबुल (अफगानिस्तान) के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नागपुर स्थित पुरालेख शाखा ने पात्र पर बने अभिलेखों की जांच की और यह पाया कि ये अभिलेख नस्तालिक (फ़ारसी) में हैं और लगभग 16वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अनेक रिपोर्टों और यात्रा वृत्तातों में दी गई सूचना के आधार पर ही कोई राय बना लेना संभव नहीं है जब तक कि यह सूचना तथ्यात्मक पुरातात्विक प्रमाणों से साबित न हुई हो। इसके उद्गम और वास्तविकता को निर्धारित करने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दो अधिकारियों के एक दल को काबुल, अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

(च) जी, हां। विदेशी मंत्रालय को ऐतिहासिक और पुरातात्विक सूचना भेजी जा चुकी है।

[अनुवाद]

आहार और चारा विकास योजना

3842. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
श्री हरिन पाठक :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र प्रायोजित चारा विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 8389.48 लाख रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या कितनी है और कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों और धनराशि को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां। इस विभाग को केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना के अधीन 2010-11 और 2011-12 के दौरान गुजरात राज्य से 8899.49 लाख रुपए की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	विभाग का नाम	धनराशि (लाख रुपए में)
1	2	3
2010-11	पशुपालन	1573.80
		5123.08
		1152.43
		32.68

1	2	3
	वन विभाग	275.00
2011-12	पशुपालन	467.50
	वन विभाग	275.000
	जोड़	8899.49

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों के संबंध में स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(लाख रुपए में)

वर्ष	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि	पहली किस्त के रूप में जारी की गई धनराशि (जारी करने का वर्ष)	दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई धनराशि (जारी करने का वर्ष)
2010-11	पशुपालन	630.43	300.00 (2010-11 में)	330.43 (2011-12 में)
	वन विभाग	250.00	250.00 (2010-11 में)	
	पशुपालन	2076.086	1038.00 (2011-12 में)	1038.083 (2012-13 में)
2011-12		125.63	125.63 (2012-13 में)	

(ग) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए सभी प्रस्ताव, जो व्यवहार्य पाए गए थे, संबंधित वित्तीय वर्षों में उपलब्ध धनराशि के अंदर स्वीकृत और अनुमोदित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है और उनसे वर्ष 2013-14 के लिए आहार और चारा विकास योजना के अधीन नए सिरे से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

खाद्यान्न उत्पादन

3843. श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भू-जल पर आधारित कृषि उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या भू-जल स्तर में गिरावट से देश में खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) इस संबंध में कृषि प्रयोजनों हेतु जल-संसाधनों के सतत् उपयोग के साथ-साथ इस्राइली कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) वर्तमान अनुमानों (2010-11) के अनुसार, मुख्य फसलों के तहत लगभग 44.9% क्षेत्र को सिंचित स्थिति में उगाया गया। चूंकि भू-जल सिंचित क्षेत्र का लगभग 61.4% है, यह अनुमानित है कि मुख्य फसलों का लगभग 27.6% क्षेत्र से उत्पादन भूजल आधारित है।

(ख) और (ग) देश में खाद्यान्न उत्पादन 2006-07 में 217.28 मिलियन टन से बढ़कर 2012-13 में 255.36 मिलियन टन तक हो गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने देश में गतिशील भू-जल संसाधन का आकलन (मार्च, 2009) किया। भू-जल विकास की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) भारत सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को संवर्धन, वर्षा जल संचयन, स्वस्थाने नमी संरक्षण, फॉर्म तालाबों का निर्माण और विभिन्न मिशन/कार्यक्रमों/स्कीमों के जरिए बेहतर कृषि संबंधी प्रणालियों द्वारा जल उपयोग क्षमता को सुधारने और जल के सतत उपयोग के लिए कई कदम उठाए हैं।

विवरण

भूजल विकास की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	निवल वार्षिक उपलब्धता (बीसीएम)	वार्षिक प्रारूप (बीसीएम)			विकास की स्थिति (%)
			सिंचाई	घरेलू एवं उद्योग	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	30.76	12.61	1.54	14.15	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.01	0.002	0.001	0.003	0.07
3.	असम	27.81	5.333	0.69	6.026	22
4.	बिहार	26.21	9.79	1.56	11.36	43
5.	छत्तीसगढ़	11.58	3.08	0.52	3.6	31
6.	दिल्ली	0.29	0.14	0.26	0.4	138
7.	गोवा	0.133	0.014	0.03	0.044	33
8.	गुजरात	17.35	11.93	1.05	12.99	75
9.	हरियाणा	9.8	11.71	0.72	12.43	127
10.	हिमाचल प्रदेश	0.53	0.23	0.08	0.31	58
11.	जम्मू और कश्मीर	3.33	0.15	0.58	0.73	22
12.	झारखंड	5.41	1.17	0.44	1.61	30
13.	कर्नाटक	14.81	9.01	1	10.01	68
14.	केरल	6.03	1.3	1.5	2.81	47
15.	मध्य प्रदेश	32.25	16.66	1.33	17.99	56
16.	महाराष्ट्र	33.81	15.91	1.04	16.95	50
17.	मणिपुर	0.4	0.0033	0.0007	0.004	1
18.	मेघालय	1.1109	0.0015	0.0002	0.0017	0.15
19.	मिज़ोरम	0.039	0	0.0004	0.0004	1

1	2	3	4	5	6	7
20.	नागालैंड	0.38	—	0.008	0.008	2.14
21.	ओडिशा	16.69	3.47	0.89	4.36	26
22.	पंजाब	20.35	33.97	0.69	34.66	170
23.	राजस्थान	10.79	12.86	1.65	14.52	135
24.	सिक्किम	0.046	0.003	0.007	0.01	21
25.	तमिलनाडु	20.65	14.71	1.85	16.56	80
26.	त्रिपुरा	2.74	0.09	0.07	0.16	6
27.	उत्तर प्रदेश	68.57	46	3.49	49.48	72
28.	उत्तराखंड	2.07	1.01	0.03	1.05	51
29.	पश्चिम बंगाल	27.58	10.11	0.79	10.91	40
	कुल राज्य	395.52	221.29	21.83	243.14	61
	संघ राज्यक्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.298	0.0006	0.01	0.011	4
2.	चंडीगढ़	0.02	0	0	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.001	0.007	0.009	15
4.	दमन और दीव	0.011	0.008	0.003	0.011	99
5.	लक्षद्वीप	0.003	0	0.003	0.003	74
6.	पुदुचेरी	0.154	0.121	0.029	0.15	98
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	0.54	0.13	0.05	0.18	34
	सकल योग	396.06	221.42	21.89	243.32	61

स्रोत: भारतीय गतिशील भूजल संसाधन (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार), सीजीडब्ल्यूबी, नवंबर, 2011

[हिन्दी]

नाट्य थिएटरों की स्थापना

3844. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित/कार्यरत थिएटरों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये थियेटर प्रत्यायित संस्थाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खोले गए थिएटरों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार की स्वीकृति के बावजूद ये थिएटर अभी तक नहीं खोले गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार केरल सहित देश में नाट्य थिएटरों और स्टूडियो थिएटरों के निर्माण/की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (घ) देश में थिएटर संबंधी ऐसी जानकारी का रख-रखाव संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ङ) सरकार 'स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदान स्कीम' नामक एक स्कीम चलाती है जिसके अंतर्गत केरल समेत देशभर में स्थित सांस्कृतिक संगठनों द्वारा थिएटर सहित सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण तथा उपकरणों की खरीद हेतु सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् *indiaculture.nic.in* पर संगत स्कीम के दिशा-निर्देशों के ब्यौरे उपलब्ध हैं।

(च) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अपेक्षित ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदान स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन

क्र.सं.	एजेंसी का नाम
1	2
असम	
1.	एसोसिएशन ऑफ कुन्दीगारा आर्ट एंड कल्चर, लखीमपुर, असम
2.	अंकोण, गुवाहाटी - 781024, असम
बिहार	
3.	सुरंगामा कला केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बिहार
दिल्ली	
4.	भाई वीर सिंह साहित्य सदन, गोल मार्केट, नई दिल्ली
5.	तनवा क्रिएटिव डांस एनसेम्बल, विनोद नगर (वेस्ट), दिल्ली
6.	लिटिल थियेटर ग्रुप, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली
7.	संगीतका, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
8.	नाट्य तरंगिणी, काका नगर, नई दिल्ली
9.	सरिता विहार संस्कृति परिषद, सरिता विहार, नई दिल्ली
10.	उस्ताद मुश्ताक अली खान संस्कृति केन्द्र (यूएमके), चितरंजन पार्क, नई दिल्ली
गुजरात	
11.	युवा संगठन, राजकोट, गुजरात
12.	दर्पण अकेडमी ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स, अहमदाबाद, गुजरात
हरियाणा	
13.	परिवर्तन, जींद, हरियाणा
जम्मू और कश्मीर	
14.	नेशनल भांड थिएटर, बडगाम, कश्मीर
झारखंड	
15.	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, पलामू, झारखंड
कर्नाटक	
16.	श्री कोडीगाडे मूकांबिका यक्षगान कला संघ, उत्तर कन्नड, कर्नाटक
17.	कर्नाटक कलादर्शिनी, विजय नगर, बैंगलौर
18.	रंगभरण कला केन्द्र, बैंगलोर, कर्नाटक
19.	नटना, मैसूर, कर्नाटक
20.	रमण महर्षि हैरिटेज बिल्डिंग, बैंगलौर, कर्नाटक
केरल	
21.	वेद रक्षण समिति, पलाक्कड, केरल
22.	गांधी सेवा सदन कथकली और शास्त्रीय कला अकादमी, पलाक्कड, केरल
मणिपुर	
23.	पारंपरिक कला और संस्कृति संस्थान, इंफाल, मणिपुर
24.	एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, थोबल, मणिपुर
25.	एनटी रंगमंच, इंफाल, मणिपुर
26.	कलाक्षेत्र, इंफाल, मणिपुर
27.	खा मणिपुर हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय (केएमएचएसएम), थोबल, मणिपुर
28.	द डील रिपर्टरी थिएटर, लिलोंग, मणिपुर

1	2
29.	पारंपरिक संस्कृति और बौद्ध अनुसंधान केन्द्र (टीसीबीआरसी), थोबल, मणिपुर
30.	बनियान रिपर्टरी थिएटर, इंफाल, मणिपुर
31.	मणिपुरी एनसेंबल, इंफाल, मणिपुर
32.	थिएटर मिरर, इंफाल, मणिपुर
33.	पब्लिक थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन, नामबोल, मणिपुर
34.	पंथोइबी थांगत - ता एंड जागोज सिंदम - सांग्लेन, विष्णुपुर, मणिपुर
मध्य प्रदेश	
35.	तुलसी मानस प्रतिष्ठान, भोपाल, मध्य प्रदेश
मेघालय	
36.	एमएमएस आर्ट्स, मेघालय, शिलांग
37.	कृष्टी युवा कल्याण संगठन, शिलांग, मेघालय
38.	नौंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, शिलांग, मेघालय
ओडिशा	
39.	न्यू इंडिया, ढेंकनाल, ओडिशा
40.	बिकल्प विकास, ओडिशा, अंगुल, ओडिशा
41.	आकाश "एसोसिएशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अवेयरनेस सर्विसेज फॉर ह्यूमन बीइंग", कटक, ओडिशा
पंजाब	
42.	पेन्दू साहित सभा, भटिंडा, ओडिशा
राजस्थान	
43.	दर्शक संस्था, जयपुर, राजस्थान
44.	किंकिनि, भीलवाड़ा, राजस्थान
उत्तर प्रदेश	
45.	घुंघरू प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
46.	डॉ. भीमराव अंबेडकर लोक सांस्कृतिक संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
47.	मुनाल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
48.	सूर्या महिला जन कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड	
49.	जलागम समिति सजगौरी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड
50.	मकसद संस्था, अल्मोड़ा, उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल	
51.	16 माइल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, माल्दा, पश्चिम बंगाल
52.	कल्याणी नाट्यचर्चा केन्द्र, कल्याणी (पश्चिम बंगाल)
53.	कलकत्ता पपेट थिएटर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
54.	चिलड्रेन्स लिटिल थिएटर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
55.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघ, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
56.	ममता शंकर बैले ट्रुप, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
57.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघ, नेहरू बाल संग्रहालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

[अनुवाद]

गैर-कानूनी गिरफ्तारियां

3845. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 'नक्सली' बताकर राज्य पुलिस द्वारा निरुद्ध/गिरफ्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी उनके नक्सली होने की झूठी कहानी बनाकर राज्य पुलिस द्वारा उन्हें/गिरफ्तार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़ीन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति

3846. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक गुणवत्तापूर्ण बीजों की मांग और सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा उनकी आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में निजी एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा दी गयी बीजों की दरों में भिन्नता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति में कमी के कारण किसानों को निजी एजेंसियों से बीज खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की मांग व आपूर्ति तथा सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति किए गए बीज का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) फसल की किस्म तथा मांग व आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करते हुए निजी एजेंसियों की दर सरकारी एजेंसियों से 5-10% अधिक है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बीजों की खरीद किसानों की स्वतंत्र इच्छा पर होती है/तथापि, भारत सरकार किसानों को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए विभाग की चल रही विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता/राजसहायता मुहैया कराती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रमाणित/गुणवत्तात्मक बीज उपलब्ध/आपूर्ति करने में सरकारी एजेंसियां तथा निजी क्षेत्र

(मात्रा लाख क्विंटल में)

राज्य	2010-11				2011-12			
	आवश्यकता	उपलब्धता			आवश्यकता	उपलब्धता		
		सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल		सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	44.01	40.59	14.43	55.02	48.04	47.32	22.19	69.51
अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.11	0.00	0.11	0.12	0.12	0.00	0.12
असम	7.05	2.00	5.05	7.05	9.61	4.27	5.34	9.61
बिहार	13.13	7.07	6.61	13.68	15.80	8.11	8.95	17.06
छत्तीसगढ़	5.07	5.45	0.56	6.01	6.27	4.81	1.20	6.01
गोवा	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05
गुजरात	8.11	2.65	6.56	9.20	13.76	3.32	10.82	14.14
हरियाणा	11.35	3.54	10.56	14.10	10.85	4.34	11.27	15.61
हिमाचल प्रदेश	2.28	1.59	0.77	2.37	1.64	1.44	0.20	1.64
झारखंड	3.39	2.46	2.78	5.25	5.65	1.01	0.00	1.01
जम्मू और कश्मीर	1.14	0.91	0.23	1.14	1.16	0.97	0.31	1.28
कर्नाटक	11.04	10.99	4.32	15.30	11.60	8.36	5.11	13.48
केरल	1.20	1.32	0.00	1.32	1.20	1.09	0.00	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	23.52	13.61	17.47	31.08	29.16	18.91	14.21	33.12
मेघालय	0.15	0.14	0.01	0.15	0.18	0.16	0.02	0.18
महाराष्ट्र	27.04	12.84	14.93	27.78	27.30	13.84	15.76	29.60
मणिपुर	0.13	0.13	0.00	0.13	0.16	0.16	0.00	0.16
मिज़ोरम	0.03	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01
नागालैंड	0.19	0.19	0.00	0.19	1.41	0.47	0.00	0.47
ओडिशा	6.86	7.64	0.00	7.64	8.35	6.24	0.00	6.24
पुदुचेरी	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.11
पंजाब	13.8	2.00	13.18	15.18	13.59	2.52	15.30	17.82
राजस्थान	18.42	9.63	9.62	19.25	20.42	12.95	12.04	24.99
सिक्किम	0.08	0.08	0.00	0.08	0.06	0.06	0.00	0.06
तमिलनाडु	5.93	3.29	6.71	10.00	5.51	2.96	5.72	8.69
त्रिपुरा	0.27	0.29	0.01	0.31	0.24	0.25	0.00	0.25
उत्तराखंड	1.00	0.98	0.03	1.01	1.08	0.97	0.00	0.97
उत्तर प्रदेश	55.25	21.88	24.74	46.63	61.95	23.13	27.89	51.02
पश्चिम बंगाल	30.88	13.86	17.33	31.19	35.13	12.68	16.63	29.31
कुल	290.76	165.44	155.92	321.36	330.41	180.66	172.96	353.62

—जारी

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रमाणित/गुणवत्तात्मक बीज उपलब्ध/आपूर्ति करने में सरकारी एजेंसियां तथा निजी क्षेत्र

(मात्रा लाख क्विंटल में)

राज्य	2012-13				2013-14 (वर्तमान वर्ष)			
	आवश्यकता	उपलब्धता			आवश्यकता	उपलब्धता		
		सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल		सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल
1	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	43.57	28.14	21.81	49.95	47.38	29.51	26.72	56.23
अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.12	0.00	0.12	0.11	0.10	0.01	0.11
असम	8.15	2.36	5.79	8.15	6.79	2.13	4.66	6.79
बिहार	13.66	10.05	6.58	16.63	15.14	8.66	8.37	17.02

1	10	11	12	13	14	15	16	17
छत्तीसगढ़	7.87	6.97	0.76	7.74	8.42	8.99	2.37	11.36
गोवा	0.07	0.07	0.00	0.07	0.06	0.05	0.01	0.06
गुजरात	9.80	3.20	6.95	10.15	12.32	3.57	9.06	12.63
हरियाणा	14.13	6.12	9.46	15.58	14.68	4.83	11.42	16.25
हिमाचल प्रदेश	1.29	1.06	0.00	1.06	1.42	1.28	0.14	1.42
झारखंड	4.92	2.61	0.00	2.61	3.19	3.43	0.00	3.43
जम्मू और कश्मीर	1.26	1.04	0.18	1.21	1.53	1.34	0.19	1.53
कर्नाटक	13.46	8.99	5.73	14.72	15.53	7.16	8.47	15.63
केरल	1.20	1.20	0.00	1.20	1.00	1.00	0.00	1.00
मध्य प्रदेश	30.96	19.00	16.52	35.52	34.28	17.21	16.78	33.99
मेघालय	0.17	0.17	0.00	0.17	0.23	0.16	0.07	0.23
महाराष्ट्र	27.79	12.88	16.00	28.89	2808	13.48	14.86	28.34
मणिपुर	0.20	0.20	0.00	0.20	0.21	0.21	0.00	0.21
मिज़ोरम	0.01	0.01	0.00	001	0.15	0.15	0.00	0.15
नागालैंड	0.49	0.49	0.00	0.49	0.64	0.30	0.34	0.64
ओडिशा	8.17	7.09	0.00	7.09	9.15	8.78	0.00	8.78
पुदुचेरी	0.11	0.09	0.01	0.10	0.06	0.05	0.01	0.06
पंजाब	12.93	1.58	13.08	14.66	13.72	2.48	13.28	15.77
राजस्थान	20.15	11.49	9.36	20.85	20.77	14.98	7.87	22.84
सिक्किम	0.06	0.06	0.00	0.06	0.05	0.05	0.00	0.05
तमिलनाडु	5.54	2.81	5.99	8.79	9.49	4.27	6.21	10.48
त्रिपुरा	0.27	0.27	0.00	0.27	0.23	0.23	0.00	0.23
उत्तराखंड	1.13	1.31	0.00	1.31	0.93	1.23	0.00	1.24
उत्तर प्रदेश	53.65	21.28	29.79	51.07	53.88	19.32	26.76	46.08
पश्चिम बंगाल	34.07	10.51	19.41	29.92	35.81	12.81	21.95	34.76
कुल	315.19	161.17	167.41	328.58	335.26	167.76	179.55	347.31

[हिन्दी]

तिलहनों की उत्पादन लागत

3847. श्री इज्यराज सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों की उत्पादन लागत देश में अन्य फसलों की उत्पादन लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा तिलहन की फसल के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जैसाकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, वर्ष 2013-14 के लिए तिलहनों सहित मुख्य फसलों की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (सी2) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

फसल	वर्ष 2013-14 के लिए उत्पादन लागत (सी2) (रुपए/क्विंटल में)
गेहूं	1066.26
धान	1234.06
तूर	3957.67
मूंग	4758.69
मूंगफली	3397.49
सोयाबीन	2215.60
सुरजमुखी	3679.36
रेपशीड एवं सरसों	1987.43

(ग) उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ, सरकार उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करते समय अर्थ व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उच्चतर पूंजीनिवेश एवं उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ावा देने और संतुलित तथा एकीकृत मूल्य ढांचा को विकसित करने के लिए तिलहनों सहित कृषि जिन्सों की मूल्य नीति की घोषणा करती है। सरकार मुख्य कृषि जिन्सों के लिए प्रति मौसम न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) की घोषणा करती है तथा सार्वजनिक एवं सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद संचालन का आयोजन करती है। नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसी इस उद्देश्य के साथ प्रापण संचालन करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करती है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध

3848. श्री निशिकांत दुबे :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध और वृद्ध व्यक्तियों का उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए ऐसे मामलों की राज्य, अपराध और लिंग-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की संख्या कितनी है और सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न संबंधी आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्रित करता है जो हत्या, सदोष मानववध, जो हत्या की श्रेणी में न हो, बलात्कार तथा अपहरण एवं व्यपहरण के शिकार हुए हों। वर्ष 2010-2012 के दौरान 50 वर्ष से अधिक आयु के हत्या, सदोष मानववध, जो हत्या की श्रेणी में न हो, अपहरण एवं व्यपहरण तथा बलात्कार की पीड़ितों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं लिंग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, और इस प्रकार, नागरिकों के विरुद्ध अपराध सहित अपराध की रोकथाम करना, उनका पता लगाना, पंजीकरण, उनकी जांच-पड़ताल तथा अभियोजन का प्राथमिक दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। तथापि, संघ सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामलों को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है तथा विभिन्न योजनाओं एवं परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में अभिवृद्धि करती है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिनांक 27.03.2008 एवं 30.08.2013 को दो विस्तृत परामर्शी जारी किए हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान: वयोवृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा, संरक्षा के संबंध में पुलिस कार्मिकों का सुग्राहीकरण; बीट कार्मिकों का नियमित दौरा, नि:शुल्क वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना; वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ हेल्पलाइन की स्थापना; वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना; घरेलू नौकरों, ड्राइवरों आदि का सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वयोवृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्काल उपाय करने और उनके प्रति सभी प्रकार की उपेक्षा, गाली-गलौच एवं हिंसा के प्रशमन की सलाह दी गई है। उपयुक्त परामर्शी पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट *http:mha.nic.in/national-adv.* पर उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 2010-2012 के दौरान 50 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ितों का लिंग-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	हत्या									आपराधिक मानव		
		2010			2011			2012			2010		
		एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	325	143	468	271	116	387	247	116	363	15	11	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	असम	46	0	46	48	0	48	51	0	51	0	0	0
4.	बिहार	194	31	225	155	17	172	175	27	202	16	3	19
5.	छत्तीसगढ़	105	40	145	128	67	195	113	46	159	4	0	4
6.	गोवा	2	0	2	5	1	6	9	4	13	0	0	0
7.	गुजरात	89	21	110	58	33	91	131	21	152	7	0	7
8.	हरियाणा	65	14	79	84	27	111	78	15	93	3	1	4
9.	हिमाचल प्रदेश	17	2	19	15	7	22	8	1	9	2	0	2
10.	जम्मू और कश्मीर	19	3	22	18	3	21	5	1	6	3	0	3
11.	झारखंड	65	12	77	79	13	92	71	7	78	2	1	3
12.	कर्नाटक	130	57	187	153	76	229	153	62	215	6	0	6
13.	केरल	55	27	82	76	33	109	60	27	87	21	5	26
14.	मध्य प्रदेश	244	60	304	263	94	357	246	71	317	3	1	4
15.	महाराष्ट्र	238	84	322	252	102	354	248	87	335	18	3	21
16.	मणिपुर	8	1	9	6	1	7	11	1	12	0	0	0
17.	मेघालय	8	2	10	12	1	13	13	1	14	0	0	0
18.	मिज़ोरम	8	1	9	2	1	3	4	1	5	1	0	1
19.	नागालैंड	7	3	10	8	0	8	5	0	5	2	1	3

वध जो हत्या की श्रेणी में न हो						अपहरण एवं व्यपहरण									बलात्कार		
2011			2012			2010			2011			2012			2010	2011	2012
एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल	एम	एफ	कुल
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
27	12	39	10	1	11	13	10	23	28	13	41	32	14	46	15	8	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	0
16	5	21	17	1	18	1	0	1	15	0	15	3	0	3	0	0	3
1	0	1	0	1	1	1	0	1	11	0	11	0	0	0	16	13	4
0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
1	0	1	1	0	1	4	7	11	11	1	12	7	1	8	2	7	1
2	0	2	7	3	10	7	0	7	6	4	10	20	2	22	5	2	7
0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	1	0	1	1	3	1
1	0	1	0	0	0	2	1	3	4	2	6	1	2	3	0	0	2
5	0	5	1	1	2	2	0	2	1	0	1	2	1	3	0	2	0
3	0	3	9	2	11	19	28	47	24	4	28	18	15	33	3	1	5
26	0	32	33	10	43	6	0	6	4	1	5	5	0	5	12	21	15
10	0	12	10	2	12	7	0	7	5	0	5	7	1	8	12	27	17
15	0	20	32	10	42	22	2	24	16	2	18	26	6	32	11	7	22
2	0	2	0	0	0	19	5	24	15	0	15	18	0	18	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	1	1
2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	ओडिशा	72	32	104	60	28	88	87	32	119	0	0	0
21.	पंजाब	65	21	86	56	18	74	84	30	114	12	6	18
22.	राजस्थान	103	32	135	91	44	135	107	41	148	9	0	9
23.	सिक्किम	3	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	227	100	327	200	101	301	286	126	412	3	0	3
25.	त्रिपुरा	16	8	24	11	1	12	14	1	15	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	288	56	344	308	75	383	400	93	493	126	11	137
27.	उत्तराखंड	13	6	19	19	1	20	23	8	31	2	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	84	36	120	49	149	198	263	57	320	42	14	56
	कुल राज्य	2496	792	3288	2430	1009	3439	2892	876	3768	297	57	354
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
30.	चंडीगढ़	3	1	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	25	14	39	20	15	35	32	16	48	3	3	6
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	8	0	8	7	0	7	4	2	6	4	1	5
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	36	15	51	29	18	47	37	18	55	8	4	12
	कुल अखिल भारत	2532	807	3339	2459	1027	3486	2929	894	3823	305	61	366

स्रोत: भारत में अपराध।

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2	5	17	11
15	4	19	10	5	15	5	1	6	2	0	2	5	0	5	1	3	1
5	1	6	2	1	3	25	8	33	16	8	24	31	16	47	36	12	7
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	1	4	9	0	9	11	5	16	8	0	8	19	0	19	0	2	4
0	0	0	0	0	0	1	0	1	3		3	0	0	0	0	1	5
133	7	140	134	19	153	10	0	10	7	0	7	6	5	11	0	0	2
6	1	7	2	0	2	0	0	0	1	0	1	8	0	8	0	0	0
6	63	69	24	4	28	35	98	133	334	322	666	13	0	13	0	1	1
280	107	387	305	62	367	193	166	359	518	368	886	229	65	294	135	139	129
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	1	3	10	6	16	1	2	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	4	6	1	7	3	0	3	2	1	3	10	7	17	1	2	6
282	109	391	311	63	374	196	166	362	520	369	889	239	72	311	1336	141	135

चीनी का भंडार

3849. श्री हरिभाऊ जावले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी का वर्तमान भंडार कितना है और वर्ष 2013-14 में अनुमानित उत्पादन और वर्ष 2013-14 के लिए कितना अनुमान है;

(ख) वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए देश में चीनी की अनुमानित घरेलू खपत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अवधि के दौरान कच्ची चीनी और चीनी के आयात की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई कच्ची चीनी और उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित आयात की मात्रा कितनी थी;

(ङ) क्या कच्ची चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए सुझाव प्रापत हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) चीनी मिलों से प्राप्त ऑनलाईन सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 2014 को मिलों के पास चीनी का स्टॉक लगभग 117 लाख टन (अनंतिम) था। चालू मौसम चीनी 2013-14 के दौरान चीनी का उत्पादन अनंतिम रूप से लगभग 41 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। आगामी चीनी मौसम 2014-15 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान लगाना अभी शीघ्रता करना करना होगा।

(ख) देश में चीनी का खपत का चीनी मौसम 2013-14 के लिए अनंतिम रूप में लगभग 235 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लि. (सीआरआईएसआईएल) के अनुसार चीनी की घरेलू खपत अगले कुछ वर्षों के दौरान 3-4 प्रतिशत तक मिश्रित वार्षिक विकास दर पर बढ़ना निश्चित है।

(ग) और (घ) चीनी मिलें/आयातक व्यापारी अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार कच्ची चीनी सहित चीनी का आयात करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि सीमा शुल्क का भुगतान कर दें जो कि वर्तमान में 15 प्रतिशत है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के अनुसार, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 चीनी मौसमों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत क्रमश: 3.36, 1.89 और 17.12 लाख टन कच्ची चीनी का आयात किया गया था। चालू चीनी मौसम 2013-14 के दौरान नवंबर, 2013 तक लगभग 0.94 लाख टन कच्ची चीनी का आयात किया जा चुका है। चीनी का आयात विभिन्न घटकों यथा-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंडी में चीनी उत्पादन, उपलब्धता और चीनी के मूल्य तथा सीमा शुल्क के स्तर आदि पर निर्भर करता है। इसलिए, चीनी मौसम 2013-14 की शेष अवधि और आगामी चीनी मौसम 2014-15 के दौरान आयात की जाने वाली कच्ची चीनी की प्रमात्रा को दर्शा पाना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) चीनी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकायों ने सरकार को प्रतिवेदन दिया है कि या तो आयात कर में बढ़ोतरी करें अथवा चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दें। सरकार ने उनके अनुरोध को मान लिया है और आयात को हतोत्साहित करने के लिए चीनी आयात पर 8.7.2013 से सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

कृषि क्षेत्र का विकास

3850. श्री पी.आर. नटराजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समावेशी विकास हेतु कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैसाकि देश में सभी जोतों का लगभग 85% भाग छोटे और सीमांत किसान है इसलिए सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं महत्वपूर्ण तरीके से कृषक समुदाय के इस भाग की आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं ताकि समग्र विकास में वृद्धि की जा सके।

इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम हैं: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन; राष्ट्रीय बागवानी मिशन; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन; राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन; समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का मिशन; विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन; फसल बीमा योजनाएं; सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी); तथा पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई), जहां भी लागू होता है वहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के किसानों और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए वर्धित राजसहायता का एक घटक है।

सरकार ने XIIवीं योजना अवधि के दौरान मुख्य रणनीतियों में से एक के रूप में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण की पहचान की है। सदस्य आधारित एफपीओ से आशा की जाती है कि वे उत्पादकों, विशेषकर लघु धारकों को बेहतर सौदा शक्ति मुहैया कराएंगे और उच्च आय व रोजगार सृजित करके मूल्य श्रृंखला में उनके एकीकरण को सक्षम बनाएंगे। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन देखा गया है। कृषि की विकास दर जो कि 9वीं और 10वीं योजना अवधियों के दौरान लगभग 2.45% पर स्थिर रहीं वह 11वीं योजना अवधि में बढ़कर 4.1% हो गई ओर 12वीं योजना अवधि हेतु इसके 4% होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

जेलों में आत्महत्या

3851. श्रीमती रमा देवी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न जेलों में मृत्यु, आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जांच के क्या परिणाम रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने और देश की जेलों में कैदियों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2010, 2011 और 2012 के अंत में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में आत्महत्याओं सहित प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। देश की विभिन्न जेलों में आत्महत्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। जेलों में आत्महत्या के प्रयासों के मामलों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' राज्य का विषय है। इसलिए, कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

विवरण-I

कैदियों की आत्महत्या के मामले (प्राकृतिक और अप्राकृतिक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2010 में कैदियों की मौत		वर्ष 2011 में कैदियों की मौत		वर्ष 2012 में कैदियों की मौत	
		प्राकृतिक	अप्राकृतिक	प्राकृतिक	अप्राकृतिक	प्राकृतिक	अप्राकृतिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	82	4	76	3	74	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	24	1	20	0	25	4
4.	बिहार	93	1	78	6	93	13
5.	छत्तीसगढ़	31	4	40	1	65	2
6.	गोवा	0	0	1	0	2	0
7.	गुजरात	39	1	44	4	23	2
8.	हरियाणा	31	5	30	7	46	6

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	5	0	7	1	4	1
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	2	0	4	0
11.	झारखंड	51	2	41	3	41	2
12.	कर्नाटक	56	12	52	5	62	7
13.	केरल	42	4	36	2	30	2
14.	मध्य प्रदेश	90	1	83	6	96	3
15.	महाराष्ट्र	99	3	82	6	75	3
16.	मणिपुर	0	0	0	1	0	0
17.	मेघालय	0	0	2	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	1	0
19.	नागालैंड	2	1	1	0	0	0
20.	ओडिशा	48	5	28	3	43	7
21.	पंजाब	94	4	102	3	120	17
22.	राजस्थान	79	8	77	6	35	15
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	63	15	49	15	54	8
25.	त्रिपुरा	1	0	1	0	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	317	12	280	7	344	12
27.	उत्तराखंड	16	0	10	0	8	0
28.	पश्चिम बंगाल	64	4	69	4	81	7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	4	0	1	0
30.	चंडीगढ़	5	0	4	0	2	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	1	0	0
33.	दिल्ली	10	5	24	4	15	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	1	0	0	0
	कुल	1344	92	1244	88	1345	126

विवरण-II

जेलों में आत्महत्या की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2010 में जलों में आत्महत्याओं की घटनाएं	वर्ष 2011 में जलों में आत्महत्याओं की घटनाएं	वर्ष 2012 में जलों में आत्महत्याओं की घटनाएं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	3	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	1	0	4
4.	बिहार	1	1	3
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	1	4	2
8.	हरियाणा	1	5	5
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	2	3	1
12.	कर्नाटक	12	4	7
13.	केरल	4	2	2
14.	मध्य प्रदेश	1	2	3
15.	महाराष्ट्र	3	6	1
16.	मणिपुर	0	1	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	1	0	0
20.	ओडिशा	2	3	7
21.	पंजाब	2	1	17

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	6	5	9
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	12	13	5
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	6	7	10
27.	उत्तराखंड	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	4	4	7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	1	0
33.	दिल्ली	5	2	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	68	68	87

[अनुवाद]

तिलहन बोर्ड

3852. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तिलहनों और वनस्पति तेल के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (एनओवीओडी) बोर्ड का गठन देश में तिलहन व वनस्पति तेल उद्योग के विकास के लिए संसद के अधिनियम नामत: "राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 की सं.29)" के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। बोर्ड का अधिदेश तिलहन उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। बोर्ड के कार्यों में उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, तकनीकी और वित्तीय सहायता, संग्रहण, खरीद और बफर स्टॉक का अनुरक्षण शामिल है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

सीआईएल द्वारा सहायता प्राप्त कोलियरी स्कूल

3853. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा सहायता प्राप्त कोलियरी स्कूलों के शिक्षकों को मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नियमित और समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, कोयला खान क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सीआईएल की तीन सहायक कंपनियों में निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। ईसीएल में इसके कमांड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 162 निजी रूप से प्रबंधित स्कूल स्थित हैं जिनमें 612 अध्यापक प्रत्येक महीने सहायता अनुदान के रूप में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। बीसीसीएल में निजी समिति द्वारा प्रबंधित 84 स्कूलों में 287 अध्यापक हैं जिनमें बीसीसीएल द्वारा दी जा रही सहायता अनुदान से मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार, सीसीएल में उसके कमांड क्षेत्र में निजी रूप से प्रबंधित 43 स्कूल हैं जिनमें 244 अध्यापकों को मासिक आधार पर सहायता अनुदान से भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद]

धान में आर्सेनिक

3854. श्री सुल्तान अहमद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धान में आर्सेनिक पाए जाने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धान उत्पादकों में विषैले पदार्थ रहित खेती के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। धान में आर्सेनिक पाए जाने की छिटपुट रिपोर्टें हैं। एक प्रकाशित अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार चावल में आर्सेनिक की मात्रा अलग-अलग अर्थात् 1.48 से 6.87 यूजी प्रति कि.ग्राम थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में, धान में आर्सेनिक की मात्रा 0.10 से 0.89 मि.ग्राम/कि.ग्राम रही। ये चावल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा जो कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1.0 मि. ग्राम/कि.ग्राम है, से कम है।

(ग) और (घ) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चावल में आर्सेनिक अपटेक न्यूनतम करने के लिए धान जल प्रबंधन में परिवर्तन किए जाने, कम आर्सेनिक वाली धान कृषि प्रजातियों का प्रजनन, सिलिकॉन उर्वरकों, जिंक सल्फेट और ऑयरन सल्फेट के उपयोग, तथा जैविक खाद के वर्धित उपयोग सहित विभिन्न न्यूनीकरण पद्धतियों का सुझाव दिया गया है।

लोक संस्कृति का संरक्षण/संवर्धन

3855. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री डी.के. सुरेश :
श्री एन. धरम सिंह :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों की स्थानीय लोक संस्कृति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार/संरक्षण/संवर्धन करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों की लोक संस्कृति और कला रूपों का प्रलेखन तैयार करने और युवा पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्व समझाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के लोगों की रसृजनात्मक एवं मंच कला और संस्कृति के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडीसीसीज) की स्थापना की है, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं। जेडसीसीज के मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है।

जेडसीसीज क्षेत्र विशेष की विभिन्न कलाओं की समृद्ध विविधता एवं विलक्षणता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाने और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। जेडसीसी निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न कार्यकलाप तथा कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं:–

(i) राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

(ii) गुरु शिष्य परंपरा स्कीम

(iii) युवा प्रतिभावान कलाकार स्कीम

(iv) लुप्तप्राय: कलारूपों का प्रलेखन

(v) रंगमंच नवीकरण स्कीम

(vi) शिल्पग्राम कार्यकलाप

(vii) लोकतरंग – राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव तथा पूर्वोत्तर भारत का उत्सव-ऑक्टेव

(ग) और (घ) "लुप्तप्राय: कला रूपों का प्रलेखीकरण" नामक स्कीम के अंतर्गत जेडसीसीज श्रव्य/दृश्य और साहित्य के रूप में विभिन्न कला रूपों का प्रलेखीकरण करता रहा है।

(ङ) लोक कला सहित विभिन्न भारतीय कलाओं के परिरक्षण, संवर्धन और पुनरोत्थान हेतु संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमें चला रहा है:–

(i) निर्दिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम।

(ii) सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम।

(iii) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम।

(iv) संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने हेतु स्कीम।

कोयला मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

3856. श्री वैजयंत पांडा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के लिए एक स्वतंत्र मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले का मूल्य निर्धारित करने के लिए ऐसे मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्यविधि का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में संसाधनों को विनियमित करने और संरक्षित करने तथा कोयला उपभोक्ताओं और कोयला उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और उससे संबद्ध अथवा प्रासंगिक मामलों के प्रयोजनार्थ कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2013 लोक सभा में 13.12.2013 को प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त विनियामक प्राधिकरण के कार्यों में से एक कार्य कच्चे कोयले, धुले कोयले और कोयले की धुलाई प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कोई अन्य उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तथा पद्धतियां विनिर्दिष्ट करना होगा।

पुलिस के कार्यकरण संबंधी अध्ययन

3857. श्री एम.के. राघवन :
डॉ. रत्ना डे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में देश में पुलिस कर्मियों, स्टेशनों की आवश्यकता और पुलिस कर्मियों के कार्यकरण में सुधार लाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के आधार पर क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ल रामचन्द्रन : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचि की सूची-II की प्रविष्टि 2 के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। अत: पुलिस कार्मिकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना, वांछित संख्या में पुलिस स्टेशनों की स्थापना करना और पुलिस कर्मियों के कार्यकरण की स्थितियों में सुधार करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। गृह मंत्रालय भी राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक स्कीम का कार्यान्वयनप कर रहा है, ताकि आतंकवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उभरती चुनौतियों का सामना करने, शहरी पुलिस व्यवस्था आदि के संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित किया जा सके।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के घटकों और राज्य पुलिस बलों की आवश्यकताओं का समय-समय पर अध्ययन और पुनरीक्षण किया जाता है और ऐसे अध्ययनों के मद्देनजर योजना में संशोधन किए जाते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को जनवरी, 2014 में इस प्रकार का एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

सब्जियों और फलों का उत्पादन

3858. श्री हरिन पाठक :
श्री संजय सिंह चौहान :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सब्जियों और फलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में सिंचाई हेतु जल की कम उपलब्धता से सब्जियों और फलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपराचारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सब्जियों, फलों और फूलों के उत्पादन और का राज्य-वार ब्यौरा/प्रमात्रा कितनी है और इनका कुल कृषि क्षेत्र कितना है;

(च) विभिन्न राज्यों में सब्जियों, फलों और फूलों के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) क्या सरकार का और अधिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने और सब्जियों तथा फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नई योजना शुरू करने तथा ऐसी उपजों के लिए भंडारण अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, नहीं। फलों एव सब्जियों का उत्पादन 2011-12 में 232.74 मि.टन, 2012-13 में 243.47 था, जिसमें 4.61 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्यानों के उत्पादन 2011-12 में 259.29 मिलियन टन और 2012-13 (चौथी अग्रिम अनुमान) में 255.36 मिलियन टन था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्जियों, फलों एवं फूलों के क्षेत्र तथा उनके उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) सरकार सब्जियों, फलों एवं फूलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और वृद्धि एवं गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनइएच) स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है।

(छ) सब्जियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास संबंधी मुद्दों का समाधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा उनके पूरे देश में अवस्थित अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। सब्जियों को शामिल करते हुए बागवानी फसलों के लिए शीत भंडारण सुविधा निर्माण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीमों के तहत सहायता दी जा रही है।

विवरण

2010-11 से 2013-14 तक कुल सब्जियों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज (अनन्तिम)

क्षेत्र: '000 हैक्टेयर
उत्पादन '000 एमटी में

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अनंतिम)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.7	34.5	6.3	43.2	6.4	44.2	6.5	44.5
आंध्र प्रदेश	651.2	11847.6	661.0	12025.3	686.1	12104.7	706.8	12470.0
अरुणाचल प्रदेश	4.2	38.5	6.3	83.5	1.5	37.6	1.4	35.0
असम	260.1	2925.5	266.0	3045.6	278.7	3415.1	281.5	3476.4
बिहार	845.0	14630.2	857.0	15552.4	861.8	16325.7	867.5	16651.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	345.8	4248.8	351.6	4582.6	380.7	4993.9	400.3	5101.9
दादरा और नगर हवेली	1.1	5.5	1.1	5.5	1.1	5.5	1.1	5.5
दमन और दीव					0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	29.8	496.8	27.9	466.7	27.9	439.3	13.5	133.7
गोवा	5.7	57.8	6.5	78.2	6.6	80.5	6.7	80.8
गुजरात	515.9	9379.5	517.6	10049.8	537.6	10520.7	537.6	10520.7
हरियाणा	346.4	4649.3	356.8	5068.4	360.3	5011.3	364.0	6050.0
हिमाचल प्रदेश	80.4	1474.9	85.7	1561.5	79.5	1521.1	79.5	1521.1
जम्मू और कश्मीर	69.7	1559.1	63.1	1395.5	63.1	1395.5	63.1	1395.5
झारखंड	259.5	4112.4	261.2	3902.6	321.5	4325.4	311.7	4219.5
कर्नाटक	466.3	9056.4	454.7	7662.5	436.6	7841.9	453.4	8146.6
केरल	149.5	3392.7	149.1	3626.0	146.1	3446.9	146.0	3445.6
लक्षद्वीप	0.4	14.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
मध्य प्रदेश	283.7	3698.6	507.0	10084.0	612.8	12574.0	643.4	13205.0
महाराष्ट्र	611.0	7504.0	591.0	8778.0	474.0	8008.0	600.0	10236.0
मणिपुर	22.2	236.5	20.8	200.3	21.7	219.8	24.3	274.5
मेघालय	41.8	356.5	39.5	385.0	40.5	403.4	40.5	403.4
मिज़ोरम	17.5	115.6	37.4	221.1	39.3	236.7	42.9	260.5
नागालैंड	10.7	79.4	33.0	222.6	26.0	207.7	26.0	207.7
ओडिशा	553.8	7790.1	690.1	9520.6	688.1	9464.0	679.2	9442.4
पुदुचेरी	0.6	8.8	0.5	7.5	1.5	25.0	1.1	19.6
पंजाब	174.1	3585.8	178.2	3674.5	184.1	3782.6	189.2	3876.3
राजस्थान	140.3	885.0	181.7	1287.4	224.4	873.5	181.0	1338.9
सिक्किम	23.9	120.9	25.0	127.7	25.6	132.5	26.1	134.5
तमिलनाडु	277.3	8279.9	306.7	9068.5	277.8	7897.9	289.7	8678.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	36.0	532.3	34.2	552.6	45.1	754.1	32.6	635.9
उत्तर प्रदेश	829.4	17679.4	852.1	18563.7	912.7	19571.6	930.9	20341.0
उत्तराखंड	85.8	1030.9	89.3	1066.7	88.0	1059.6	88.0	1059.6
पश्चिम बंगाल	1349.7	26725.5	1330.9	23415.7	1348.0	25466.8	1354.7	25506.3
कुल	8494.5	146554.5	8989.5	156325.5	9205.2	162186.6	9390.3	168918.5

स्रोत: 2010-11 : भारतीय बागवानी आंकड़े, 2011

2011-12 : भारतीय बागवानी आंकड़े, 2012

2012-13 : अन्तिम अनुमान, कृषि एवं सहकारिता विभाग

2012-13 : प्रथम अनुमान, कृषि एवं सहकारिता विभाग

फल फसलों का राज्य-वार क्षेत्र तथा उत्पादन

क्षेत्र: '000 हैक्टेयर

उत्पादन '000 मी.टन में

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अनंतिम)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.15	28.68	3.24	30.50	3.25	30.73	3.33	31.20
आंध्र प्रदेश	646.05	9417.00	671.69	9841.07	940.74	13939.08	968.96	14357.13
अरुणाचल प्रदेश	71.98	107.91	85.11	308.86	86.86	312.24	89.08	322.16
असम	137.48	1763.47	142.76	1851.77	150.71	2073.82	153.36	2210.24
बिहार	296.42	3911.76	299.24	3946.39	301.45	4249.19	303.65	4391.57
चंडीगढ़	0.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	176.98	1569.62	185.19	1569.18	195.61	1702.32	227.20	1795.04
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.06	0.99	0.06	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	10.97	78.63	11.13	154.67	11.16	80.90	11.20	81.33
गुजरात	349.86	7245.03	353.73	7522.43	381.50	8413.17	381.50	8413.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	46.25	356.62	47.03	476.55	49.53	516.07	52.12	562.81
हिमाचल प्रदेश	214.79	1031.11	214.57	372.82	218.03	555.71	218.03	722.79
जम्मू और कश्मीर	325.56	2220.51	455.74	2329.89	347.22	1742.14	355.92	2117.30
झारखंड	71.95	779.59	83.77	850.20	93.01	889.74	93.10	874.90
कर्नाटक	377.77	6273.60	371.80	6428.10	388.20	6619.60	408.20	6936.90
केरल	301.34	2508.32	296.14	2429.54	314.56	2583.92	314.56	2584.01
लक्षद्वीप	0.35	1.24	0.22	0.43	0.22	0.48	0.22	0.48
मध्य प्रदेश	132.34	3373.45	159.57	3391.28	195.36	5450.00	205.12	5721.00
महाराष्ट्र	1537.00	9513.00	1560.00	10538.00	1549.00	9785.00	1565.00	10021.00
मणिपुर	68.66	286.30	49.47	405.85	51.93	440.59	53.47	520.38
मेघालय	30.19	241.91	32.31	300.42	33.15	316.57	33.15	316.57
मिज़ोरम	27.02	211.47	43.68	275.71	49.68	292.95	57.89	344.43
नागालैंड	18.16	151.27	33.70	347.68	37.23	275.95	37.23	275.95
ओडिशा	320.65	2048.31	328.99	2154.36	329.38	2210.42	325.89	2155.99
पुदुचेरी	0.76	13.56	0.57	9.23	0.48	9.34	0.57	11.70
पंजाब	69.81	1373.17	71.47	1419.86	74.89	1502.52	76.95	1528.61
राजस्थान	51.08	695.10	48.76	613.93	46.52	716.82	46.52	716.82
सिक्किम	17.46	25.80	13.40	22.47	14.65	24.02	16.02	25.05
तमिलनाडु	321.84	9964.99	331.97	8535.05	309.94	6699.88	328.55	7369.36
त्रिपुरा	40.80	643.95	54.50	644.35	60.12	697.87	59.95	572.15
उत्तर प्रदेश	324.83	5368.40	337.03	5795.09	326.18	5176.14	328.70	5378.33
उत्तराखंड	179.26	718.86	200.73	802.12	200.85	805.67	200.85	805.67
पश्चिम बंगाल	211.64	2952.82	216.64	3055.44	220.60	3172.50	223.50	3262.10
कुल	6382.56	74877.53	6704.17	76424.21	6982.02	81285.33	7139.80	84426.14

स्रोत: 2010-11 : भारतीय बागवानी आंकड़े, 2011

2011-12 : भारतीय बागवानी आंकड़े, 2012

2012-13 : अन्तिम अनुमान, कृषि एवं सहकारिता विभाग

2012-13 : प्रथम अनुमान, कृषि एवं सहकारिता विभाग

फूलों का राज्य-वार क्षेत्र एवं उत्पादन

क्षेत्र '000 हैक्टेयर में
उत्पादन: खुले '000 मी.टन में
तलाशे गये लाख संख्या में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 (अनंतिम)		
	क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन	
		खुले	तराशे गये		खुले	तराशे गये		खुले	तराशे गये		खुले	तराशे गये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.03	4.70		0.04	0.34	0.00	0.04	0.35	0.00	0.04	0.18	0.00
आंध्र प्रदेश	21.83	133.72	6202.00	64.15	389.01	7099.39	34.85	224.41	6909.00	35.89	234.14	7116.00
अरुणाचल प्रदेश	1.22		2860.00	1.22	0.00	2860.00	0.02	0.01	297.00	0.02	0.01	297.00
असम				0.00	0.00	0.00	1.80	11.70	3750.00	3.00	20.00	5000.00
बिहार	0.20	2.30	11.00	0.90	8.72	1285.00	1.02	10.15	324.00	1.13	11.17	600.00
छत्तीसगढ़	6.87	27.06		8.41	32.85	0.00	9.79	37.75	0.00	10.72	41.59	0.00
दादरा और और नगर हवेली				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	5.50	5.70	1038.00	5.50	5.70	1038.00	5.50	5.70	1038.00	5.50	5.70	1038.00
गोवा										0.01	0.02	17.50
गुजरात	12.53	49.50	5063.00	15.96	135.50	0.00	17.27	149.27	0.00	17.27	149.27	0.00
हरियाणा	620	60.33	1084 00	6.34	64.15	1269.47	6.47	64.72	1270.58	6.51	64.72	1270.58
हिमाचल प्रदेश	0.68	0.62	605.02	0.86	35.29	1948.06	091	37.71	1760 30	0.91	37.71	1760.30
जम्मू और कश्मीर	0.13	0.25	66.34	0.18	1.06	155.92	0.85	0.40	222.10	0.43	0.93	215.99
झारखंड	1.60	22.03	1711.00	1.60	22.03	1711.00	1.60	22.03	1711.00	1.60	22.03	1711.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक	27.01	203.94	5860 00	29.22	211.54	10388.00	29.70	207.50	9441.80	30.70	212.80	9788.60
केरल				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	7.66	6.00		15.61	150.67	0.00	16.52	193.00	0.00	17.34	202.65	0.00
महाराष्ट्र	17.51	91.06	7914.00	18.88	104.00	7914.00	22.00	119.00	7914.00	23.00	128.00	7914.00
मणिपुर	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	0.12	0.00	162.00	0.13	0.00	349.01	0.16	166.83	605.22	0.31	171.47	513.19
नागालैंड	0.02	0.00	1700	0.02	0.00	15.36	0.01	0.00	96.66	0.01	0.00	96.66
ओडिशा	7.45	3.74	5911.00	7.54	26.08	6020.00	7.52	26.16	6040.00	7.46	26.07	5890.00
पुदुचेरी	0.29	2.37		0.07	0.41	0.00	0.08	0.43	0.00	0.12	0.73	0.00
पंजाब	1.70	82.00		2.06	10.05	0.07	2.11	10.45	0.00	2.12	10.53	0.00
राजस्थान	5.40	9.60		2.49	2.69	0.00	3.43	3.72	0.00	3.43	3.72	0.00
सिक्किम	0.20		230.00	0.21	25.95	209.05	0.22	26.50	214.10	0.24	26.50	219.20
तमिलनाडु	31.97	247.28		32.32	332.81	0.00	28.71	312.97	1168.00	30.89	343.65	1284.80
त्रिपुरा				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	10.38	17.64	2958.00	14.49	27.05	4194.00	16.19	31.49	4908.00	16.58	32.16	5037.00
उत्तराखंड	1.29	2.30	3416.00	1.54	1.81	3567 56	1.56	1.82	3633.00	1.56	1.82	3633.00
पश्चिम बंगाल	23.07	59.19	23919.00	23.92	63.91	25042.10	24.41	65.14	25429.10	24.85	66 50	26135.00
कुल	190.85	1031.34	69027.36	253.66	1651.61	75065.98	232.74	1729.21	76731.85	241.64	1814.07	79537.81

स्रोत: 2010-11 : भारतीय बागवानी आंकड़े, 2011

2011-12 : भारतीय बागवानी आंकड़े, 2012

2012-13 : अन्तिम अनुमान, कृषि एवं सहकारिता विभाग

2012-13 : प्रथम अनुमान, कृषि एवं सहकारिता विभाग

[हिन्दी]

अपराधों पर रोक

3859. श्री गोरखनाथ पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से उनके राज्यों में बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों से प्राप्त हुए ऐसे अनुरोधों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण अपराध के निवारण, पता लगाने, आपराधिक घटना की रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने और नागरिकों के जानमाल की रक्षा करने के लिए भी मुख्य रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध के निवारण के मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है और इसलिए, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को सुधारने पर अधिक ध्यान देने तथा अपराध के निवारण और नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह करती रहती है। इस संबंध में, अपराध के निवारण, मामला दर्ज करने, उसकी जांच करने एवं मुकदमा चलाने के विषय में दिनांक 16 जुलाई, 2010 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा अनुसंधान

3860. श्री मानिक टैगोर :
श्री सज्जन वर्मा :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में क्षति को कम करने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने और फसलों की नयी किस्मों का विकास करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में चलाए जा रहे अनुसंधान केन्द्रों/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों को अनुसंधान कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इस पर कितनी धनराशि उपयोग की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने अनुसंधान की उचित प्राथमिकता और किसानों के खेतों उमें इसके ठोस परिणामों के प्रमाणीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और नुकसान को कम-से-कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में कार्यान्वित/चल रहे अनुसंधान केन्द्रों/परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न-I में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों को अनुसंधान कार्य के लिए स्वीकृत की गई राशि तथा पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश और पंजाब सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत अनुसंधान केन्द्रों/परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	संस्थान	राज्य
1	2	3
1.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) पो.बा. संख्या 2 शंकरनगर नागपुर	महाराष्ट्र

1	2	3
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीआईसीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, सिरसा	हरियाणा
	• सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयंबटूर	तमिलनाडु
2.	केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), बैरकपुर, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सनई रिसर्च स्टेशन, सीआरआईजेएएफ, पीओ, प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
	• जूट एवं संबद्ध रेशे के लिए केन्द्रीय बीज अनुसंधान स्टेशन, पीओ बुड बुड, जिला बर्दवान	पश्चिम बंगाल
	• सुतली रिसर्च स्टेशन, सीआरआईजेएएफ, पीओ बामरा, जिला, संबलपुर	ओडिशा
	• रेमी रिसर्च स्टेशन, सीआरआईजेएएफ पीओ सोरभोग, जिला, बारपेटा	असम
3.	केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक	ओडिशा
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• केन्द्रीय वर्षा आधारित अपलैंड चालव रिसर्च स्टेशन, हजारीबाग	झारखंड
	• क्षेत्रीय वर्षा आधारित तराई चावल अनुसंधान स्टेशन, गेरूआ, जिला, कामरूप	असम
4.	केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), भास्कर नगर, राजमुंदरी पूर्व गोदावरी जिला	आंध्र प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन, गुंटूर, जिला	आंध्र प्रदेश
	• सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन, कंडूकुर, प्रकाशम जिला	आंध्र प्रदेश
	• सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन, हुन्सुर, मैसूर जिला	कर्नाटक
	• सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन, वेदसंदूर, डिंडीगुल जिला	तमिलनाडु
	• सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन, दिनहद्‌टा कूचबिहार जिला	पश्चिम बंगाल
	• बर्ली तंबाकू अनुसंधान कौशल स्टेशन, कलावचार्ला, राजानगरम्‌ मंडल, पूर्व गोदावरी जिला	आंध्र प्रदेश
5.	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय (डीजीआर), ईनगर रोड पो.बा. नं. 5, जूनागढ़	गुजरात
6.	मक्का अनुसंधान निदेशालय (डीएमआर), पूसा परिसर, नई दिल्ली	दिल्ली
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• डीएमआर क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान स्टेशन और बीज उत्पादन स्टेशन, कुशमाहट फार्म, बेगूसराय	बिहार
	• डीएमआर शीतकालीन नर्सरी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश

1	2	3
7.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय (डीओआर), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
8.	तोरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीएमआरएम), सेवर, भरतपुर	राजस्थान
9.	चावल अनुसंधान निदेशालय, राजेंद्रनगर (डीआरआर), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर) राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• रबी ज्वार केन्द्र, एनएच-9, बाईपास रोड, शेलगी, सोलापुर	महाराष्ट्र
11.	सोयाबीन अनुसंधान निदशालय (डीएसआर), आईटी पार्क के पास, खंडवा रोड, इंदौर	मध्य प्रदेश
12.	बीज अनुसंधान निदेशलय (डीएसआर), ग्राम कुशमोर, पीओ एनबीए आईएम, मउ	उत्तर प्रदेश
13.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर), पीबी 158, कुंजपुरा रोड, करनाल	हरियणा
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• डीडब्ल्यूआर क्षेत्रीय स्टेशन, पीबी नं. 2, फ्लावरडेल, शिमला	हिमाचल प्रदेश
14.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा-110012, नई दिल्ली	दिल्ली
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, इंदौर	मध्य प्रदेश
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल	हरियाणा
	• कटराइन, कुल्लू घाटी, पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन	हिमाचल प्रदेश
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, राज्य कृषि महाविद्यालय, पोस्ट शिवाजी नगर, पुणे	महाराष्ट्र
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन पूसा, समस्तीपुर	बिहार
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, अनाज और बागवानी फसलों, शिमला, अमरतारा	हिमाचल प्रदेश
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, वेलिंगटन, नीलगिरी	तमिलनाडु
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चावल ब्रीडिंग जेनेटिक्स रिसर्च केंद्र, अडूथुरई	तमिलनाडु
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन का कलिंगपोंग, जिला, दार्जलिंग	पश्चिम बंगाल
	• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दलहन सुधार केन्द्र, धारवाड़	कर्नाटक
15.	भरतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई) पहुंच बांध, ग्वालियर रोड, झांसी	उत्तर प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• आईजीएफआरआई, क्षेत्रीय स्टेशन, सीआईटीएच कैम्पस, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
	• आईजीएफआरआई, डब्ल्यूआरआरएस, सीएसडब्ल्यूआरआई, कैम्पस, अविकानगर (मालपुरा)	राजस्थान
	• आईजीएफआरआई आरआरएस, विपरीत यूएएस कैम्पस, पीबी रोड, धारवाड़	कर्नाटक

1	2	3
16.	भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएबी), गढ़खतंगा, रांची	झारखंड
17.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कल्याणपुर, कानपुर	उत्तर प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• आईआईपीआर रिसर्च स्टेशन व ऑफसीजन नर्सरी, यूएएस यतीनेयुड्डा कैम्पस, कृषि नगर, धारवाड़	कर्नाटक
	• आईआईपीआर रिसर्च स्टेशन, फांडा, भोपाल, आरएके कृषि कॉलेज सेहरोई	मध्य प्रदेश
18.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), दिलकुशा, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• आईआईएसआर क्षेत्रीय स्टेशन, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर	बिहार
19.	राष्ट्रीय कृषि प्रमुख कीट ब्यूरो (पीबीएआईआई), पो.बा. नं. 2491, एचए फार्म पोस्ट, हेब्बल, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु	कर्नाटक
20.	राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो (एनबीएआईएम), कुशमौर, कैथाउली, मऊ नाथ भंजन	उत्तर प्रदेश
21.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012	दिल्ली
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, पीडीकेवी कैम्पस के सामने, अकोला	महाराष्ट्र
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, वेल्लानीक्कारा, केएयू पीओ, त्रिशूर	केरल
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, भोवाली, नैनीताल	उत्तराखंड
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, उमरोई रोड, उमियाम, शिलांग	मेघालय
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, फागली, शिमला	हिमाचल प्रदेश
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय बेस केंद्र, सीआरआरआई कैम्पस, कटक	ओडिशा
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, एआरआई कैम्पस, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
	• एनबीपीजीआर बेस सेंटर, सीएचईएस कैम्पस, प्लांडू, पीओ, रांची	झारखंड
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, सीएजेडआरआई कैम्पस, जोधपुर	राजस्थान
	• एनबीपीजीआर क्षेत्रीय स्टेशन, सीआईटीएच, पी.ओ. संतनगर, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
22.	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन स्टेशन (एनसीआईपीएम), एलबीएस भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली	दिल्ली
23.	राष्ट्रीय जैविक दबाव प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएसएम), बारोंडा फार्म, बारडोली पीओ, तिल्दा तहसील, रायपुर 493225 छत्तीसगढ़ प्रशासन कार्यालय: डीएसडब्ल्यू कार्यालय, 1 तल, आईजीकेवी कैम्पस, कृषक नगर, रायपुर	छत्तीसगढ़

1	2	3
24.	राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्टेशन (एनआरसीपीबी), एलबीएस भवन, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली	दिल्ली
25.	गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बटूर-641007, तमिलनाडु	तमिलनाडु
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, 52 नम्बर, अर्गसैन मार्ग, करनाल	हरियाणा
	• गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, सिविल स्टेशन पोस्ट, कन्नूर	केरल
	• गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, थवक्कल एस्टेट, कोटहरा पोस्ट, आगाली, पलक्कड़	केरल
26.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएएस), अल्मोड़ा	उत्तराखंड
27.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
28.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरघट्टा	कर्नाटक
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• केन्द्रीय बागवानी प्रयोगशाला स्टेशन, चेत्ताली, कोडागू	कर्नाटक
	• केन्द्रीय बागवानी प्रयोगशाला स्टेशन, अलिगनिया, भुवनेश्वर	ओडिशा
	• केन्द्रीय बागवानी प्रयोगशाला स्टेशन, हीरेहल्ली, तुमकुर	कर्नाटक
29.	केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	राजस्थान
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• केन्द्रीय बागवानी प्रयोगशाला स्टेशन, गोधरा-वडोदरा राजमार्ग, वेजलपुर	गुजरात
30.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शाहंशाहपुर, वाराणसी	उत्तर प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• आईआईवीआर बीज उत्पादन केंद्र, सरगटिआ, पोस्ट शिओराही, जिला कुशीनगर	उत्तर प्रदेश
31.	केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
32.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीआईटीएच रिसर्च स्टेशन, मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल	उत्तराखंड
33.	केन्द्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	केरल
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीपीसीआरआई रिसर्च स्टेशन, कल्याणपुर, कृष्णापुरम पीओ अल्पुजहा जिला	केरल

1	2	3
	• सीपीसीआरआई रिसर्च स्टेशन, विट्ठल, दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक
	• सीपीसीआरआई रिसर्च स्टेशन, किडू नेत्ताना	कर्नाटक
	• सीपीसीआरआई रिसर्च स्टेशन, काहीकुची, गुवाहाटी	असम
	• सीपीसीआरआई रिसर्च स्टेशन, मोहितनगर, जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल
	• सीपीसीआरआई रिसर्च स्टेशन, मिनिकॉय	लक्षद्वीप
34.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	हिमाचल प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• केन्द्रीय आलू क्षेत्रीय स्टेशन, मोदीपुरम, मेरठ	उत्तर प्रदेश
	• केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, पीओ नंबर 1, मॉडल टाउन, जालंधर	पंजाब
	• केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, पीओ सहायनगर, पटना	बिहार
	• केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, पीओ नंबर 4, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
	• केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, मुथरोई, नीलगिरी	तमिलनाडु
	• केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, शिलांग	मेघालय
	• केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, कुफरी, शिमला	हिमाचल प्रदेश
35.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम	केरल
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीटीसीआरआई के क्षेत्रीय स्टेशन, डुमडुमा हाउसिंग बोर्ड पीओ भुवनेश्वर	ओडिशा
36.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मैरीकुन्नू, कालीकट	केरल
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• आईआईएसआर प्रायोगिक फार्म, पेरूबन्नामुजी, पीओ कोझीकोड	केरल
	• आईआईएसआर इलायची रिसर्च स्टेशन, हीरवानन्द पीओ मेडीकेरी कूर्ग, जिला	केरल
37.	काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर	कर्नाटक
38.	पुष्पोत्पाद अनुसंधान निदेशालय, पूसा	नई दिल्ली
39.	औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरावी, आनन्द	गुजरात
40.	मशरूम अनुसंधान निदेशालय, चम्बाघाट, सोलन	हिमाचल प्रदेश
41.	तेलताड़ अनुसंधान निदेशालय, पेडावेगी	आंध्र प्रदेश
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• डीओपीआर, रिसर्च स्टेशन, पालोड, पाचा, तिरुवनंतपुरम	केरल

1	2	3
42.	प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे-नासिक राजमार्ग	महाराष्ट्र
43.	राष्ट्रीय केला अनुसंधान स्टेशन तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु
44.	राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान स्टेशन, शंकर नगर	नागपुर
45.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान स्टेशन, पुणे	महाराष्ट्र
46.	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान स्टेशन, मुजफ्फरपुर	बिहार
47.	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान स्टेशन, गंगटोक	सिक्किम
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• एनआरसी ऑर्किड, दार्जिलिंग कैम्पस, एजेंसी बोस रोड, दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
48.	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान स्टेशन, सोलापुर	महाराष्ट्र
49.	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान स्टेशन, अजमेर	राजस्थान
50.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएसएलयूपी), अमरावती रोड, शंकर नगर पीओ, नागपुर	महाराष्ट्र
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• एनबीएसएसएलयूपी क्षेत्रीय स्टेशन, हेब्बल, बेंगलुरु	कर्नाटक
	• एनबीएसएसएलयूपी क्षेत्रीय स्टेशन, सेक्टर 2, ब्लॉक डी.के., साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
	• एनबीएसएसएलयूपी क्षेत्रीय स्टेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कैम्पस	दिल्ली
	• एनबीएसएसएलयूपी क्षेत्रीय स्टेशन, एसटीएन, जामूगुरी रोड, रवईया, जोरहाट	असम
	• एनबीएसएसएलयूपी क्षेत्रीय स्टेशन, बोहरा गणेशजी रोड, विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर	राजस्थान
51.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई), 218, कोलागढ़ रोड, देहरादून	उत्तराखंड
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, पीओ छलेसर, आगरा	उत्तर प्रदेश
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, होसपेट रोड, बेल्लारी	कर्नाटक
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, सेक्टर 27ए, मध्य मार्ग	चंडीगढ़
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, ग्वालियर झांसी रोड, दतिया	मध्य प्रदेश
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, सेमिलीगुडा, पीबी नं. 12, सुनाबेडा, कोरापुट	ओडिशा
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, दांतवारा, कोटा	राजस्थान
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, फर्नहिल पीओ, रीस 'कॉर्नर, उदगमंडलम	तमिलनाडु
	• सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई क्षेत्रीय स्टेशन, वसाड-388306, जिला, आनंद	गुजरात
52.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (आईआईएसएस), नबी बाग, बैरसिया रोड, भोपाल	मध्य प्रदेश
53.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई), जरीफा फार्म, कछवा रोड, करनाल	हरियणा

1	2	3
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीएसएसआरआई रीजनल क्षेत्रीय स्टेशन कैनिंग टाउन, जिला, 24 परगना (एस)	पश्चिम बंगाल
	• सीएसएसआरआई रीजनल क्षेत्रीय स्टेशन, ज्योति नगर पानी की टंकी के सामने, मक्तमपुर पोस्ट, भरूच	गुजरात
	• सीएसएसआरआई रीजनल क्षेत्रीय स्टेशन मान्यवर कांसीराम स्मारक के सामने जेल रोड, पीओ दिलकुशा, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
54.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर (आईसीएआर-आरसीईआर), परिसर, बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज, पटना	बिहार
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• आईसीएआर-आरसीईआर, क्षेत्रीय स्टेशन मखाना, बासुदेवपुर फार्म दिल्ली मोड के पास दरभंगा	बिहार
	• आईसीएआर-आरसीईआर, क्षेत्रीय स्टेशन, पलाडू, रांची-834010	झारखंड
55.	कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूएम), प्लॉट नं. 50-51, मौजा-जोकालांडी, पीओ बारामुंडा, भुवनेश्वर	ओडिशा
56.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), संतोषनगर, सैदाबाद, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
57.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजेडआरआई), जोधपुर	राजस्थान
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• सीएजेडआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, पाली मारवाड़	राजस्थान
	• सीएजेडआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, जैसलमेर	राजस्थान
	• सीएजेडआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, बीकानेर	राजस्थान
	• सीएजेडआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, कुक्मा, भुज	गुजरात
	• सीएजेडआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, एयरपोर्ट रोड, स्कालजंगलिंग, लेह	जम्मू और कश्मीर
58.	कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय (पीडीएफएसआर), मोदीपुरम, मेरठ	उत्तर प्रदेश
59.	खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूएसआर), महाराजपुर, आधारतल, जबलपुर	मध्य प्रदेश
60.	गोवा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर ओल्ड गोवा, जिला, उत्तरी गोवा, गोवा	गोवा
61.	उत्तरपूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर, उमरोई रोड, उमियाम	मेघालय
	क्षेत्रीय स्टेशन	
	• अरुणाचल प्रदेश स्टेशन, बसर पीओ, पश्चिम सियांग	अरुणाचल प्रदेश
	• मणिपुर स्टेशन, लामफेलपाट, इम्फाल	मणिपुर
	• मिजोरम स्टेशन, कोलासिब	मिज़ोरम
	• नागालैंड स्टेशन, झरनापानी, मेदजिफेमा	नागालैंड
	• सिक्किम स्टेशन, टाडोंग, गंगटोक	सिक्किम
	• त्रिपुरा स्टेशन, लेम्बुचेरा, त्रिपुरा पश्चिम	त्रिपुरा
62.	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान स्टेशन (एनआरसीएएफ), झांसी, ग्वालियर रोड, नजदीक पहुंज बांध, झांसी	उत्तर प्रदेश
63.	राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान (एनआईएएम), मालेगांव, बारामती, पुणे	महाराष्ट्र

विवरण-II

अनुसंधान केन्द्रों/परियोजनाओं को किए गए आवंटन की तुलना में व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2010-11	183727.96	174341.36
2011-12	210228.02	205088.91
2012-13	202806.05	199320.48
2013-14*	226424	155259.75

*दिसम्बर, 2013 तक का व्यय।

दिल्ली दुग्ध योजना का परिचालन

3861. श्री नरेनभाई काछादिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) से दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) का परिचालन लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) के अध्यक्ष ने सरकार को दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) का परिचालन अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव के संबंध में पत्र लिखा है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ से इस मामले के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए व्यापक और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री

3862. श्री अजय कुमार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बनाने/बेचने वाली कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों की विषय-वस्तु/उसके तत्वों से संबंधित सूचनाओं को छुपाने या गलत जानकारी देकर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामलों का पता चला तथा कितनी कंपनियों को दोषी ठहराया गया एवं ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को अब तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्माण करने/बेचने वाली सभी कंपनियों के लिए पूर्व-पैक्ड खाद्य पदार्थों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एंड लेबलिंग) विनियमन, 2011 में निर्धारित लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुसरण करना अनिवार्य है।

दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

3863. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) के कुल कितने पद रिक्त हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इन पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने रिक्त पदों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए ग्रेड-I (डीएएसएस) अधिकारियों को दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स) पद पर पदोन्नत किया है;

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को तद्र्थ आधार पर भरने के लिए ग्रेड-I, II और III (डीएएसएस) के अधिकारियों को इसी प्रकार अगले उच्च पद पर पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में असमानता है; और

(च) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 13.02.2014 की स्थिति के अनुसार, ग्रेड-I (डीएएसएस) के 361 पद रिक्त हैं। ग्रेड-I (डीएएसएस) के पदों को ग्रेड-II (डीएएसएस) की पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। ग्रेड-II (डीएएसएस) के सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेड-I के रूप में पहले ही पदोन्नत कर दिया गया है।

दिनांक 13.02.2014 की स्थिति के अनुसार, ग्रेड-II (डीएएसएस) के 679 पद रिक्त हैं। इनमें सीधी भर्ती कोटा के तहत 544 रिक्त पद शामिल हैं और इन पदों को भरने के लिए दिनांक 09.11.2009 (231 पद) और 27.02.2013 (313 पद) को डीएसएसएसबी को मांग भेज दी गई है। डीएसएसएसबी ने पहले ही समाचार-पत्रों में इन पदों का विज्ञापन दे दिया है। पदोन्नति कोटे के अंतर्गत 135 रिक्तियों में से, 95 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। शेष 19 रिक्तियां बचे हुए मामलों के लिए रखी गई हैं।

(ख) दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स) अधिकारियों की कमी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विभिन्न विभागों में दानिक्स पदों के प्रवेश ग्रेड के समान कार्यभार और उत्तरदायित्व वाले रिक्त अनेक संवर्ग बाह्य (एक्स कैडर) पदों के विद्यमान होने के कारण और प्रशासन में कार्य के विस्थापन को रोकने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार वहां केवल तदर्थ और आकस्मिक आधार पर फीडर कैडर से अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

(ग) और (घ) ग्रेड-I (डीएएसएस) की नियुक्ति दानिक्स के समतुल्य रिक्त एक्स-कैडर पद पर की जाती है। सभी पात्र ग्रेड-II (डीएएसएस) कर्मचारियों को पहले ही ग्रेड-I (डीएएसएस) के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

पदोन्नति कोटे के तहत रिक्तियों को उपलब्धता के मामले में, ग्रेड-III (डीएएसएस) को अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है।

(ङ) और (च) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवालय के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान की सिफारिश की है और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

कृषि योजनाएं

3864. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चल ही केंद्र प्रायोजित कृषि संवर्धन योजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वारब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा योजना-वार क्या उपलब्धियां हासिल हुईं;

(ग) क्या कृषि योजनाएं अभीष्ठ परिणामों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्यों को सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार वृहद्-प्रबंधन कार्य-योजना के लिए 50 प्रतिशत की सीमा को बहाल करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क), (ख) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन; राष्ट्रीय बागवानी मिशन; पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन; सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन; तिलहन दलहन, पाम ऑयल और मक्का समेकित स्कीम; विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन आदि वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत मुख्य स्कीमें/कार्यक्रम हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में किए गए आबंटन, निर्मुक्त एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से अच्छा कार्य कर रही है। 2011-12 के दौरान 259.29 मी.टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। 2013-14 के दौरान भी खाद्यान्न उत्पादन उस स्तर के उत्पादक तक पहुंचा है। नौवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का लगभग 2.45 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत हुई है। कृषि क्षेत्र बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।

(च) कृषि सूक्ष्म प्रबंधन स्कीम 01.04.2013 से बंद कर दी गई है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत आबंटित निर्मुक्त एवं व्यय की गई धनराशि

31.12.2013 तक (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	985.7	890.1	887.64	1008.79	1003.03	992.08	1301.49	1302.45	1300.486	1334.704	1189.466	890.2119	1172.25	8885.67	600.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.91	55.88	53.28	101.98	94.13	92.33	93.76	83.47	85.00616	141.99	115.5291	77.53	118.2	104.84	47.77
3.	असम	190.37	164.95	182.57	393.65	335.77	289.79	318.95	297.61	326.8743	522.9	473.9049	287.5733	627.92	363.34	221.5
4.	बिहार	351.57	238.5	290.62	567.88	533.51	568.93	709.86	701.38	670.9325	1050.975	931.0266	549.57	794.65	380.11	318.33
5.	चंडीगढ़	376	268.91	290.86	692.81	671.88	672.13	485.97	437.06	415.4845	856.305	786.3251	500.59	693.14	405.92	255.57
6.	गोवा	16.93	2.61	2.59	17.52	9.89	7.47	55.52	27.41	27.825	68.98328	36.52	1.71	28.86	14.6	2.21
7.	गुजरात	707.3	550.7	556.21	643.57	652.29	676.15	888.27	899.67	873.7804	1021.181	1025.365	844.49	983.93	900.43	423.11
8.	हरियाणा	272.092	244.04	258.66	355.13	348	347.74	345.35	332.51	232.4525	4131094	362.3638	207.39	544.38	335.89	195.54
9.	हिमाचल प्रदेश	74.57	74.68	73.55	136.03	137.82	137.59	162.51	168.6	131.7757	1544994	136.2148	54.3141	143.21	129.21	69.15
10.	जम्मू और कश्मीर	103.27	91.78	90.81	236.64	148.02	142.29	192.3	132.74	72.55313	220.9419	159.5595	51.76	224.13	116.34	12.01
11.	झारखंड	160.32	121.8	132.37	265.3	151.1	173.58	288.91	265.07	295.073	404.48	350.73	234.14	465.6	270.33	87.79
12.	कर्नाटक	815.96	677.33	755.66	737	659.01	651.63	1005.76	987.39	939.2411	1086.12	969.3755	619.453	1285.18	724.41	515.75
13.	केरल	185.8	130.53	215.95	287.43	212.69	235.54	267.85	262.77	264.1966	384.7495	318.69	146.35	378.75	291.75	105.99
14.	मध्य प्रदेश	618.36	504.61	569.51	1098.27	987.6	984.04	911.7	858.86	805.6984	1033.105	937.0316	545.38	1212.02	931.23	378.1
15.	महाराष्ट्र	1022.11	860.92	916.35	1346.33	1334.87	1309.13	1479.84	1416.98	1316.251	1828.191	1724.434	1024.937	1919.51	1153.78	539.92
16.	मणिपुर	60.31	60.95	63.81	110.28	117.04	117.04	108.55	111.87	109.3764	160.16	149.81	83.63	136.21	104.19	50.34
17.	मेघालय	74.59	61.64	72.16	98.34	95.41	86.88	75.76	77.27	68.0018	18.154	79.68	39.47	123.19	61.08	18.92
18.	मिजोरम	78.26	68.78	66.17	107.99	110.15	112.09	112.11	117.04	113.6116	293.89	273.1	155.67	222.89	130.78	81.71
19.	नागालैंड	95.53	98.07	98.07	108.78	107.61	107.31	125.68	130.56	130.1021	193.81	181.44	120.3356	143.75	105.15	51.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.	ओडिशा	353.23	298.62	324.76	496.54	459.25	470.45	534.42	596.07	497.4654	746.5587	678.0543	398.6569	732.57	663.73	359.86
21.	पंजाब	132.1	160.26	166.42	308.27	277.69	289.62	277.75	260.35	141.7103	327.9299	211	66.3	614.63	331.81	153.05
22.	राजस्थान	470.14	400.32	426.38	961.02	978.25	978.99	1126.17	106514	946.9051	887.32	720.9222	503.6923	1258.22	1019.32	284.5
23.	सिक्किम	76.2	69.33	71.36	62.88	52.8	60.95	84.96	92.91	88.8454	107.89	86.23	33.0928	79.58	58.87	36.54
24.	तमिलनाडु	376.69	281.54	334.59	517.24	496.96	543.42	66ब3	571.27	503.5938	952.1573	ठ52.5943	427.45	599.27	444.01	357.44
25.	त्रिपुरा	83.89	74.46	82.22	176.22	181.57ठ	182.32	83.97	91.46	84.5998	15547	135.01	72.05	170	141.16	42.9
26.	उत्तर प्रदेश	94.12	890.08	912.39	1206.37	1074.21	1126.73	1327.8	1215.99	937.9754	1012.356	715.9631	425.68	1282.67	809.07	468.75
27.	उत्तराखंड	117.44	118.25	112.38	62.09	37.74	59.67	194.42	184.64	94.7885	127.54	55.9008	17.67	159.42	98.02	21.5
28.	पश्चिम बंगाल	361.83	277.36	293.23	651.2	44344	425.26	643	572.21	413.167	649.42	4ठ1.0096	259.68	674.58	30501	193.53
	योग	9276.592	7736.98	8281.56	12775.56	11741.73	11841.15	13912.93	13262.86	11835.99	16322.18	14137.25	8638.777	15356.46	10359.79	5174.88
	संघ राज्यक्षेत्र															
1.	दिल्ली	5.683	024	0.43	0.77	0	0.16	2.03	0.12	0.12	3.09	0	0	1.88	0	0
2.	पुदुचेरी	3.21	0.33	0.38	20.56	0.81	0.95	404	1.57	1.02	2.74	1.15	077	2.09	1.03	0.47
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.12	3.76	1.71	14.55	1.56	2.28	5.88	3.63	1.57	0.85	3.42	2.62	4.547	0.8563	1.6367
4.	चंडीगढ़	3.7	0.42	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दादरा और नगर हवेली	0.46	0.08	0.02	0.79	0.06	0	1.54	0.01	0	0.03	0.08	0.01	0	0	0
6.	दमन और दीव	0.41	0	0	1.85	0.03	0	1.51	0	0	0.03	0.01	0	0	0	0
7.	लक्षद्वीप	10.29	1.09	0	3.31	0	0	1.54	0	0	0	0	0	0.85	0	0
	योग	40.873	5.9	2.54	41.99	2.46	3.39	16.54	5.53	2.71	6.14	4.32	3.39	9.367	1.8863	2.1067
	कुल योग	9317.465	7742.88	8284.1	12817.55	11744.19	11844.54	13929.47	13268.39	11888.7	16328.32	14141.57	8642.167	15365.83	10381.68	5176.967

सीएसआर कोष का व्यय

3865. श्री समीर भुजबल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/कंपनियों द्वारा दिए गए धन का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रही एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) सीएसआर कोष से आवंटन हेतु एजेंसियों/एनजीओ से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान मंजूर/लंबित प्रस्तावों की संख्या क्या है; और

(ग) उन एजेंसियों की प्रकृति क्या है जिन्हें उक्त कोष का उपयोग करने का अधिदेश प्राप्त है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास

3866. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **संस्कृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चिह्नित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां पर स्थित हैं;

(ख) सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण/संवर्धन के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और बिहार में ऐसे स्थलों पर अब तक क्या पर्यटन सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मिथिलांचल में रामायण से संबंधित सभी ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु रामायण समिति का विकास करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या रामायण युग से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) बिहार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे 25 ऐतिहासिक स्थल हैं, जो प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन संरक्षित हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न स्थलों पर मरम्मतों की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परिरक्षण कार्य नियमित से किया जाता है। केन्द्रीय संरक्षित स्थलों के संरक्षण/परिरक्षण, अनुरक्षण और उनमें तथा उनके आस-पास के परिवेश को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्थलों पर पेयजल, शौचालय खंड, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, रास्ते, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/संकेतक, वाहन पार्किंग, अमानती सामानघर आदि जैसे पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराना कुछ ऐसे नियमित कार्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करता है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मिथिलांचल में रामायण समिति बनाने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिहार में केंद्रीय संरक्षित स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	प्राचीन स्थल, विक्रमशीला मठ	अंतीचक	भागलपुर
2.	प्राचीन टीला	बक्सर	बक्सर
3.	ध्वस्त दुर्ग चंकीगड	चंकी	पश्चिम चम्पारन

1	2	3	4
4.	नंदनगढ़ स्थित किले की अहाता दीवार और स्तूप	मारहीया	पश्चिम चम्पारन
5.	नंदनगढ़ स्थित ध्वस्त दुर्ग	मारहीया	पश्चिम चम्पारन
6.	वैदिक समाधि के टीले	मारहीया	पश्चिम चम्पारन
7.	वैदिक समाधि के टीले	पाकरी	पश्चिम चम्पारन
8.	वैदिक समाधि के टीले	लौरीया नंदनगढ़	पश्चिम चम्पारन
9.	हशरा कोल के नाम से जानी जाने वाली घाटी में प्राचीन टीले	बिशुनपुरतरवा, हसरा और जगदीशपुर	गया
10.	सोभनाथ के नाम से जानी जाने वाली पहाड़ी में प्राचीन टीले	बिशुनपुरतरवा, हसरा और जगदीशपुर	गया
11.	सुजाता गढ़ के नाम से स्थानीय रूप में जानी जाने वाली प्राचीन स्तूप और अन्य अवशेष	बकरौर	गया
12.	गढ़ के नाम से विख्यात प्राचीन अवशेष	घोराकटोरा	नालंदा
13.	अधिग्रहित क्षेत्र से घिरे हुए सभी टीले, संरचनाएं और भवन	नालंदा	नालंदा
14.	प्राचीन टीला	बारगांव	नालंदा
15.	बुलंदीबाग के रूप में जाना जाने वाला बगीचा	बुलंदीपुर	नालंदा
16.	छोटी पहाड़ी के रूप में विख्यात टीला	छोटी पहाड़ी	पटना
17.	अशोक के राजमहल का संभावित स्थल	कुम्राहार	पटना
18.	लकड़ी के नीवों के अवशेष और प्राचीन मौर्य कालीन दीवार	संदलपुर	पटना
19.	पांच स्तूप अथवा 'पांच पहाड़ी' के रूप में विख्यात टीले	पहाड़ीडीह	पटना
20.	सर्वेक्षण भू-खंड संख्या 608 एवं 611 के भाग के रूप में शामिल संलग्न भूमि के साथ प्राचीन टीला और ध्वस्त ईंट की दीवारें	मनेर	पटना
21.	सर्वेक्षण भू-खंड संख्या 399 के भाग के रूप में शामिल संलग्न भूमि के साथ प्राचीन टीला और ध्वस्त ईंट की दीवारें	मनेर	पटना
22.	प्राचीन टीला	बक्सर	बक्सर
23.	प्राचीन शहर के अवशेष	मांझी	सारण
24.	स्तूप के अवशेष	हरपुर बसंत (वैशाली)	वैशाली
25.	राजा विशाल का गढ़	वैशाली	वैशाली

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार में उत्खनित स्थलों की सूची

क्र.सं.	उत्खनित स्थल
1	2
1.	विक्रमशीला मठ के अवशेष, अंतिचक, भागलपुर
2.	प्राचीन सरोवर, स्तूप, मठ आदि, कोल्हुआ, मुजफ्फरपुर
3.	प्राचीन पाटलीपुत्र के अवशेष, डाक - बंग्ला, पटना
4.	स्तूप स्थल, राजगीर, नालंदा
5.	चंडीमाऊ स्थित बौद्ध मंदिर के अवशेष, नालंदा
6.	जुआफरडीह स्थित प्राचीन अवशेष और स्तूप, नालंदा
7.	विशाल टीला, घोराकटोरा, नालंदा
8.	बेगमपुर स्थित प्राचीन स्थल, पटना
9.	मनेर स्थित प्राचीन स्थल, पटना
10.	लौरिया अरेराज स्थित मठ परिसर, पूर्वी चंपारण

बिहार में पुरातत्वीय स्थलों के अन्वेषण और उनकी पुर्नजांच

क्र.सं.	वर्ष	जिला	स्थल	अवशेषों की प्रकृति
1	2	3	4	5
1.	1999	सिवान	पापौर	प्रागैतिहासिक टीला, पालकालीन मूर्तियां
2.	2004	बांका	भारतशिला	ब्राह्मण और बौद्ध देवकुलों की पूर्व मध्यकालीन पत्थर की मूर्तियां, पूर्व मध्यकालीन टीला, अंग्रेजों की अवधि के नील प्रसंस्करण इकाई
3.	2004	बांका	धानकूरिया	ब्राह्मण और बौद्ध देवकुलो की पूर्व मध्यकालीन पत्थर की मूर्तियां
4.	2004	बांका	गौरीपुर पहाड़	ब्राह्मण देवकुलों की पालकालीन मूर्तियां, स्तूपों के शैल उत्कीर्ण और आदि बांग्ला अक्षरों वाले दो अभिलेख
5.	2004	बांका	कुमरैल	प्रागैतिहासिक टीला
6.	2005	नालंदा	जुआफ़रडीह	मिट्टी के स्तूप, एनबीपीडब्ल्यू
7.	2005	नालंदा	सारीचक	प्रागैतिहासिक संग्रह
8.	2006	नालंदा	जगदीशपुर	एनबीपीडब्ल्यू, काली चिकनी मिट्टी के बर्तन, धूसर बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन
9.	2006	नालंदा	बारगांव	ईंट के स्तूप, पालकालीन मूर्तियां
10.	2006	नालंदा	बेगमपुर	पूर्व मध्यकालीन टीला
11.	2006	नालंदा	जगदीशपुर	प्रागैतिहासिक टीला
12.	2006	नालंदा	मच्छरदेहा	टीला, लाल मिट्टी के बर्तन
13.	2006	नालंदा	कुल	टीला, पालकालीन मूर्तियां
14.	2006	नालंदा	भदारी	प्रागैतिहासिक टीला
15.	2006	नालंदा	नालंदा	प्राचीन टीला, मृद्भांड, मध्यकालीन पत्थर के वास्तुशिल्पीय अवयव

1	2	3	4	5
16.	2006	नालंदा	गजराजबीघा	प्राचीन टीला
17.	2006	नालंदा	पापरनौसा	छोटा प्राचीन टीला
18.	2006	नालंदा	लोदीपुर	लाल मिट्टी के काली चित्रकारी वाले बर्तन, टेराकोट्टा के मनकें आदि
19.	2006	नालंदा	अंखूरीयागढ़	प्राचीन टीला, लाल मिट्टी के काली चित्रकारी वाले बर्तन
20.	2006	नालंदा	औरागढ़	प्राचीन टीला, लाल मिट्टी के बर्तन
21.	2006	गया	शियोतारगढ़	टीला, पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां
22.	2006	गया	सारसु	प्राचीन टीला, पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां
23.	2006	गया	चंदेलगढ़	प्राचीन टीला, लाल मिट्टी के काली चित्रकारी वाले बर्तन
24.	2006	गया	अंटारी	मध्यकालीन टीला, लाल मिट्टी के बर्तन
25.	2006	नवादा	चोरमा	काली और लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन, एनबीपी
26.	2006	पूर्णिया	जलालगढ़	मध्यकालीन दुर्ग
27.	2006	पूर्णिया	मौहम्दीनपुर	मध्यकालीन ईंटों से बना शिव मंदिर
28.	2006	पूर्णिया	जलालगंज	ऐतिहासिक टीला (200×200×2मी.)
29.	2006	किशनगंज	बदीजांगढ़	किला, महल, ऐतिहासिक टीला, सूर्य की प्रतिमा, पत्थर का वास्तु शिल्पीय अवयव जैसे मकर तौरण लिंटल, मकर प्रानल आदि
30.	2006	किशनगंज	धवेली	जामी मस्जिद, इमामबाड़ा, आयना महल, नवरत्न महल, हवा महल, आदि मध्यकालीन संरचनाएं
31.	2006	किशनगंज	बेनुगढ़	किलाबंद शहर के अवशेष, जलाशय आदि
32.	2006	किशनगंज	ठाकुरगंज	टीला, एक मुखी शिवलिंग, मंदिर
33.	2006	किशनगंज	भीमटाकिया	ईंट के बने स्तूप
34.	2006	किशनगंज	नेपालगढ़	जलाशय
35.	2007	पटना	शाहाजहांपुर	पालकालीन मूर्तियां, प्रागैहातिसिक किला
36.	2008	दरभंगा	दरभंगा	18-19वीं शताब्दी का मंदिर समूह, मकबरा (12-13वीं शताब्दी ई.)
37.	2008	मधुबनी	मधुबनी	मंदिर 19-20वीं शताब्दी के है
38.	2008	मधुबनी	अकोर	पालकालीन मूर्तियां, मध्यकालीन मंदिर
39.	2008	मधुबनी	पंडोई	पालकालीन मूर्तियां, मध्यकालीन मंदिर
40.	2008	मधुबनी	सकरी	पालकालीन भैरव की मूर्ति

1	2	3	4	5
41.	2008	मधुबनी	इकहारा	जलाशय की खुदाई के दौरान प्राप्त मिट्टी के बने भड़ारन मृतभांड
42.	2008	मधुबनी	सिशवार	प्रागैहातिसिक टीला
43.	2008	मधुबनी	बालादयोरा	ईंट की संरचनाओं वाला ऐतिहासिक टीला
44.	2008	मधुबनी	गाजहरा	ग्रेनाइट से बने शिवलिंग और पाषण पुरातात्विक अवयव
45.	2008	मधुबनी	दाखर	उत्तर पालकालीन मूर्तियां और अभिलेख
46.	2008	मधुबनी	राजनगर	19-20वीं शताब्दी के मंदिर और स्थान
47.	2008	मधुबनी	दोधि	ऐतिहासिक टीला, लाल मिट्टी के बर्तन
48.	2008	मधुबनी	भगवतपुर	पालकालीन मूर्तियां
49.	2008	मधुबनी	आयाचिडिह (सरिसाबपाही)	पालकालीन मूर्तियां
50.	2008	जमुई	ग्रिधेश्वर स्थान	ऐतिहासिक टीला
51.	2008	जमुई	इंदेपगढ़	प्रागैहातिसिक ईंट का टीला संभवत: स्तूप
52.	2008	नालंदा	केहेटा	प्रागैहातिसिक टीला
53.	2009	नालंदा	चंदोरा	प्रागैहातिसिक टीला
54.	2009	नालंदा	बधौना	प्रागैहातिसिक टीला
55.	2009	नालंदा	मियर	प्रागैहातिसिक टीला
56.	2009	नालंदा	बदीयंत	प्रागैहातिसिक टीला
57.	2009	नालंदा	अजयपुर	प्रागैहातिसिक टीला
58.	2012	पटना	हेवाशपुर	प्रागैहातिसिक टीला
59.	2012	पटना	कुरानावाड़ा	प्रागैहातिसिक टीला
60.	2012	पटना	कांदप	प्रागैहातिसिक टीला

[अनुवाद]

केले की खेती

3867. श्री चार्ल्स डिएस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वाणिज्यिक रूप से उगाए जा रहे केले की किस्मों का किस्म-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय देश में उगाए जा रहे प्रत्येक किस्म के केले की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न देशों को निर्यात किए गए केले की मात्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) विभिन्न

राज्यों में वाणिज्यिक रूप से उगाए जा रहे केले की 13 किस्में हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इस समय देश में उगाए जा रहे प्रत्येक किस्म के केले की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विभिन्न देशों को निर्यात किए गए केले की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में वाणिज्यिक रूप से उगाए जा रहे केले की किस्में

क्र. सं.	किस्मों के नाम	राज्य
1	2	3
1.	छोटे केवेंडिस	महाराष्ट्र गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम नागालैंड, मेघालय
2.	रोबुस्ता	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड
3.	ग्रैंड नैने	सम्पूर्ण देश में
4.	रसथाली	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मिज़ोरम, मेघालय
5.	पूवन	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
6.	नेन्द्रन	केरल तमिलनाडु
7.	लाल केले	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
8.	मोथन	तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल
9.	नेय पूवन	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
10.	करपूरावली	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम
11.	उद्ययम	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा
12.	पचनदन	तमिलनाडु
13.	विरूपाक्षी	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश

विवरण-II

देश में उगाए जा रहे केले की किस्म-वार मात्रा का ब्यौरा

क्र.सं.	किस्मों के नाम	मिलियन टन में उत्पादन
1.	रोबुस्ता, ग्रैंड नैने को शामिल करते हुए केवेंडिस	17.92
2.	पूवन	4.84
3.	राथाली	1.14
4.	नान्द्रेन	1.14
5.	करपूरावली	1.14
6.	पोम	1.14
7.	अन्य	1.14

विवरण-III

भारत से केले के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा

क्र.सं.	देश	मात्रा (मि.टन)
1	2	3
1.	यूएई	15134
2.	सऊदी अरबिया	5014
3.	इरान	4126
4.	कुवैत	3196

1	2	3
5.	बहरीन	2437
6.	नेपाल	9766
7.	कतर	2053
8.	ओमान	2228
9.	मालदीव्स	913
10.	कोरिया गणराज्य	147
11.	अन्य	560

[हिन्दी]

सुपर बाजार

3868. श्री तूफानी सरोज : क्या **उपभोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सुपर बाजार सहकारी स्टोर को फिर से शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों/एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन पर इन स्टोर की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा स्टोर को शुरू करने के लिए निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार के बंद होने के समय कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को इसमें फिर से नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कर्मचारी की संख्या कितनी है जो अभी भी बेरोजगार हैं तथा ऐसे कर्मचारियों को कब तक पुन: नियोजित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। सुपर बाजार सहकारी स्टोर को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.02.2009 के आदेश के आधार पर खुली बोली के माध्यम से पुन: आरंभ किया गया है। सबसे अधिक बोलीदाता होने के कारण मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्सस लि., भोपाल को सुपर बाजार का प्रशासन सौंपा गया था। स्टोर को चलाने के लिए निर्धारित किए गए निबंधनों और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलि है:—

(i) सुपर बाजार के निबल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए सफल बोलीदाता बोली में प्रस्तावित राशि को जमा करेगा और निविदाएं आमंत्रित करते समय निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए वचन/जमानत देगा और बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बोली में प्रदर्शित करेगा।

(ii) एमएससीएस अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सरकार की 1.16 करोड़ रुपए की भागीदारी तत्काल समाप्त हो जाएगी जिसके लिए सफल बोलीदाता समाज को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएगा।

(iii) भारत सरकार, सुपर बाजार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, पूर्व सदस्यों, निदेशक मंडल, आपूर्तिकर्ता, लेनदारों और अन्यों के बीच किसी प्रकार के विवाद/दावों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) सुपर बाजार के हित में, उन सम्पत्तियों, जो वर्तमान में लाइसेंस शुल्क/पट्टा आधार पर सुपर बाज़ार के स्वामित्व में हैं, पणधारियों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, इसके प्रबंधन/निदेशक मंडल की संरचना पर ध्यान दिए बिना, का स्वामित्व सुपर बाजार के पुनरुत्थान के उद्देश्य से अनिवार्यत: सुपर बाजार के पास ही रहने दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को सुपर बाजार के कब्जे वाली सम्पत्तियों के संबंध में संबंधित एजेंसी की मांग पर फ्री होल्ड प्रभार, रख-रखाव-प्रभार इत्यादि जमा करवाने होंगे।

(v) सुपर बाजार को एमएससीएस अधिनियम, 2002 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत शामिल किया जाना जारी रहेगा।

(ग) सुपर बाजार के लगभग उन सभी कर्मचारियों को, जो उसके बंद होने की प्रक्रिया से पूर्व सुपर बाजार में कार्यरत थे, को सुपर बाजार के नए प्रबंधन द्वारा पुन: नियुक्त किया गया है।

(घ) सुपर बाजार में सम्पूर्ण सरकारी भागीदारी को समाप्त कर दिया गया है। अत:, सरकार का सुपर बाजार के प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, विभाग के पास बेरोजगार लोगों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उनके पुन: नियोजित किए जाने के संबंध में निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिय जाएगा जो मामले की नियमित रूप से सुनवाई कर रहा है।

खाद्यान्न संबंधी हकदारी

3869. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री एम.बी. राजेश
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) व्यक्तियों और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत इनकी हकदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बीपीएल और एएवाई के लाभार्थियों को उनके हकदारी के अनुसार पूरा खाद्यान्न नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवंटित, उठाए गए और वितरित किए गए खाद्यान्नों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा क्या है; और

(घ) क्या कुछ राज्यों ने अपने कोटे का पूरा खाद्यान्न नहीं उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सरकार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के 6.52 करोड़ स्वीकृत परिवारों, जिनमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्य योजना परिवार भी शामिल हैं, को वितरित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्नों का आवंटन करती है। दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। प्राथमिक परिवार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे। अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनसंख्या के कवरेज को गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया है।

(ख) से (घ) कुछ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरकार द्वारा आवंटित मात्रा से कम मात्रा का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाभार्थियों की स्वीकृत संख्या से अधिक राशन कार्ड जारी किए है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूची की समीक्षा की जानी है। स्टॉक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं/अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य आवंटन के अलावा खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन भी किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित खाद्यान्न का उठान राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष हेतु आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा और उनके उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। तथापि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आशायित लाभार्थियों वितरित खाद्यान्नों की मात्र का ब्यौरा इस विभाग में नहीं रखा जाता है।

सरकार राज्यों से त्रैमासिक परामर्श पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों, विभिन्न सम्मेलनों और उनके साथ समय-समय पर आयोजित बैठकों के माध्यम से खाद्यान्नों के आवंटित पूरे कोटे के उठान के लिए उनसे आग्रह कर रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनको आवंटित खाद्यान्नों के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए जाते हैं।

विवरण-I

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों की संख्या

(दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बीपीएल परिवारों की स्वीकृत संख्या	पहचाने गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या (कॉलम 3 से)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.380
3.	असम	18.36	7.040
4.	बिहार	65.23	25.010
5.	छत्तीसगढ़	18.75	7.189
6.	दिल्ली	4.09	1.038
7.	गोवा	0.48	0.145
8.	गुजरात	21.20	8.098
8.	हरियाणा	7.89	2.676
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	1.971
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	2.557
12.	झारखंड	23.94	9.179
13.	कर्नाटक	31.29	11.376
14.	केरल	15.54	5.958
15.	मध्य प्रदेश	41.25	15.816
16.	महाराष्ट्र	65.34	24.854
17.	मणिपुर	1.66	0.636
18.	मेघालय	1.83	0.702
19.	मिज़ोरम	0.68	0.261
20.	नागालैंड	1.24	0.475
21.	ओडिशा	32.98	12.533
22.	पंजाब	4.68	1.794
23.	राजस्थान	24.31	9.321
24.	सिक्किम	0.43	0.165
25.	तमिलनाडु	48.63	18.646
26.	त्रिपुरा	2.95	1.131
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	40.945
28.	उत्तराखंड	4.98	1.909
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	14.799
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.049
31.	चंडीगढ़	0.23	0.015
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.052
33.	दमन और दीव	0.04	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.012
35.	पुदुचेरी	0.84	0.322
	कुल	652.03	242.646

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3676.480	3433.137	3738.252	3065.474	3822.816	3130.234	2867.112	2075.027
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	85.023	101.556	83.589	101.556	98.376	76.167	74.396
3.	असम	1673.126	1591.641	1806.756	1662.751	1886.856	1830.998	1415.142	1327.731
4.	बिहार	3543.192	2969.154	3650.312	2757.350	3703.872	2639.407	2777.904	2697.321
5.	छत्तीसगढ़	1168.032	1135.107	1218.752	1085.194	1244.112	1178.578	933.084	914.860
6.	दिल्ली	595.734	607.303	597.858	545.295	598.920	566.777	442.710	399.721
7.	गोवा	68.751	53.804	60.316	60.421	63.036	62.909	47.277	49.113
8.	गुजरात	1885.998	1532.880	2018.738	1242.799	2085.108	1265.504	1563.831	1134.761
8.	हरियाणा	685.242	613.097	732.422	586.431	756.012	465.415	433.754	300.833
10.	हिमाचल प्रदेश	508.988	486.462	519.146	512.663	527.940	524.927	390.969	386.762
11.	जम्मू और कश्मीर	757.104	749.115	756.804	743.485	756.804	760.644	567.603	588.176
12.	झारखंड	1319.412	1032.747	1339.032	1022.038	1358.652	977.751	1018.989	792.223
13.	कर्नाटक	2260.476	2132.040	2386.646	2254.612	2806.928	2304.402	1837.296	1825.557
14.	केरल	1399.646	1373.157	1431.674	1428.807	1472.688	1473.184	1104.516	1106.227
15.	मध्य प्रदेश	2610.454	2707.860	2680.736	2653.417	2736.426	3551.778	2052.387	1954.832
16.	महाराष्ट्र	4490.412	3687.169	4647.114	5539.245	4819.044	3724.189	3569.283	3225.090

17.	मणिपुर	141.844	71.209	160.446	144.884	170.952	172.661	128.214	124.444
18.	मेघालय	182.928	156.605	181.696	182.690	188.580	189.600	141.435	140.190
19.	मिज़ोरम	70.140	64.502	70.140	66.233	70.140	66.538	52.605	50.803
20.	नागालैंड	126.876	138.126	126.876	140.094	126.876	135.953	95.157	101.382
21.	ओडिशा	2221.788	2052.089	2118.908	2058.005	2194.266	2120.509	1643.904	1553.464
22.	पंजाब	786.348	680.707	814.100	686355	827.976	613.964	594.004	358.586
23.	राजस्थान	2037.128	1937.843	2115.140	2078.693	2179.500	2149.291	1787.643	1728.586
24.	सिक्किम	44.250	43.000	44.270	44.936	44.280	45.046	33.210	34.661
25.	तमिलनाडु	3722.832	3698.126	3722.832	3700.634	3722.832	3634.495	2792.124	2396.051
26.	त्रिपुरा	302.622	249.020	308.034	275.381	304.836	289.291	227.450	237.689
27.	उत्तर प्रदेश	6948.948	6555.953	7114.590	6645.333	7268.520	6568.015	5451.388	5036.820
28.	उत्तराखंड	474.122	455.838	501.702	456.876	617.992	596.557	383.994	387.583
29.	पश्चिम बंगाल	3601.864	3325.618	3763.754	3281.205	3857.196	3616.745	2892.897	2638.103
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.020	17.921	34.020	16.026	34.020	14.908	25.515	0.000
31.	चंडीगढ़	31.380	25.975	34.980	34.216	36.780	33.429	27.585	18.794
32.	दादरा और नगर हवेली	9.924	2.457	10.284	10.247	10.464	10.499	7.848	9.856
33.	दमन और दीव	4.980	1.162	5.430	4.669	5.652	4.530	4.239	0.515
34.	लक्षद्वीप	4.620	6.385	4.620	4.053	6.620	5.706	3.465	1.257
35.	पुदुचेरी	56.112	48.435	58.912	47.816	60.312	53.313	45.234	31.754
	कुल	47547.329	43720.667	48876.848	43101.917	50468.564	44876.123	37435.935	33703.168

*आबंटन और उठान दिसंबर, 2013 तक है। स्रोत: भारतीय खाद्य नियम

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान विशेष तद्र्थ अतिरिक्त आवंटन के खाद्यान्नों (चावल+गेहूं) का आबंटन और उठान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11					
		दिनांक 19.5.2010 को आवंटन		दिनांक 6.1.2011 को एपीएल आवंटन		दिनांक 7.9.2010 और 6.1.2011 को बीपीएल आवंटन	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	268.957	3.706	255.220	12.532	511.570	510.338
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.114	2.190	3.104	2.404	12.592	7.180
3.	असम	196.381	82.018	282.673	111.622	290.794	171.081
4.	बिहार	201.943	24.960	116.258	20.751	500.214	325.882
5.	छत्तीसगढ़	149.974	41.787	205.047	143.700	143.784	194.411
6.	दिल्ली	47.294	22.640	51.509	0.000	31.364	23.369
7.	गोवा	5.440	0.002	5.904	3.007	3.680	3.374
8.	गुजरात	148.869	16.141	144.063	14.590	162.572	132.874
9.	हरियाणा	53.516	16.280	51.205	36.806	60.504	22.076
10.	हिमाचल प्रदेश	21.369	21.084	16.128	14.620	39.416	29.491
11.	जम्मू और कश्मीर	30.634	30.983	63.139	51.333	56.440	56.970
12.	झारखंड	74.052	8.363	42.587	0.764	183.584	126.175
13.	कर्नाटक	160.429	51.525	136.922	12.552	239.946	233.571
14.	केरल	153.870	116.062	179.893	127.906	125.653	125.553
15.	मध्य प्रदेश	164.951	13.322	121.077	11.933	516.324	6.668
16.	महाराष्ट्र	301.359	40.694	242.956	27.145	501.060	286.014
17.	मणिपुर	6.919	0.000	5.231	6.070	17.730	16.921

(हजार टन में)

2011-12				2012-13				2013-14	
दिनांक 16.5.2011 को बीपीएल आवंटन		निर्धनतम/पिछड़े जिलों को किया गया आवंटन		दिनांक 16.5.2011 को बीपीएल आवंटन		निर्धनतम/पिछड़े जिलों को किया गया आवंटन		दिनांक 19.9.2013 को बीपीएल आवंटन$	
आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
311.570	297.194	116.797	115.093	311.570	269.020	14.244	11.698	311.570	140.238
7.592	6.009	0.737	0.737	7.592	7.331	0.307	0.118	7.592	0.000
220.794	199.829	15.340	14.544	190.794	184.495	26.273	19.739	140.794	58.591
600.214	474.756	596.511	312.511	500.213	368.367	595.395	267.211	500.213	136.097
143.784	143.434	131.952	135.836	143.784	132.080	307.274	275.102	143.784	0.000
31.364	29.976	0.000	0.000	31.364	0.000	0.000	0.000	31.364	0.000
3.680	3.849	0.000	0.000	3.680	3.985	0.000	0.000	3.680	0.000
162.572	163.038	51.502	51.886	321.472	256.034	21.455	13.508	162.572	88.402
60.504	39.618	9.739	3.391	60.504	59.606	7.164	3.969	60.504	0.000
39.416	27.489	11.537	11.420	39.416	30.447	11.537	8.210	39.416	0.000
56.440	52.369	11.757	10.654	56.440	51.706	14.255	14.253	56.440	0.000
183.584	86.158	132.229	117.540	183.584	133.165	131.781	108.183	183.584	45.521
239.946	239.989	31.395	31.370	239.946	239.006	31.395	30.182	239.946	40.556
119.168	119.092	5.068	5.068	306.104	264.199	1.232	1.232	119.168	21.069
316.324	270.063	278.044	113.963	316.324	0.000	206.620	0.000	316.324	0.653
501.060	294.409	105.812	84.957	501.059	272.404	0.000	0.000	501.059	0.000
12.730	12.730	1.215	1.199	12.730	12.730	0.381	0.374	12.730	3.636

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मेघालय	7.633	7.843	5.773	5.517	19.034	11.200
19.	मिज़ोरम	5.678	2.781	18.149	17.599	10.214	11.436
20.	नागालैंड	10.268	2.941	13.864	9.354	14.510	15.132
21.	ओडिशा	115.447	0.135	75.819	12.006	252.906	190.414
22.	पंजाब	67.592	59.295	276.145	70.905	35.888	28.664
23.	राजस्थान	301.478	191.769	239.700	186.653	236.420	221.277
24.	सिक्किम	2.285	1.277	1.646	0.841	4.498	4.499
25.	तमिलनाडु	235.994	129.465	195.767	34.731	372.918	353.252
26.	त्रिपुरा	12.274	0.000	9.269	0.000	22.622	22.623
27.	उत्तर प्रदेश	444.406	114.226	335.641	4.160	818.880	508.498
28.	उत्तराखंड	20.723	4.034	165.650	93.453	38.188	15.300
29.	पश्चिम बंगाल	246.891	223.416	202.822	143.610	397.152	291.327
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.377	0.000	1.150	0.000	2.146	0.455
31.	चंडीगढ़	3.451	0.000	3.907	3.116	1.764	0.555
32.	दादरा और नगर हवेली	0.612	0.000	0.391	0.391	1.382	0.692
33.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.478	0.000	0.268	0.112
34.	लक्षद्वीप	0.187	0.000	0.174	0.724	0.230	0.000
35.	पुदुचेरी	3.808	0.309	3.039	4.228	6.442	1.567
	सकल जोड़	3066.410#	1229.248	2500.000#	1185.023	5000.004#	3948.951

$ विशेष आबंटन की तुलना में उठान वर्ष 2013-14 के लिए किए गए कुल आवंटन के प्रति दिसम्बर, 2013 तक है।

कतिपय मामलों में जोड़ राज्यों को किए गए समय आबंटन की न उठाई गई मात्रा में से किए गए पुन: आबंटन के कारण दर्शाए गए सकल जोड़ के बराबर नहीं होता है।

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.033	14.213	1.719	1.308	14.033	14.020	0.000	0.000	14.033	6.085
10.214	8.542	0.159	0.159	9.594	9.099	0.159	0.159	5.214	0.000
19.510	19.615	0.315	0.376	17.010	17.075	0.315	0.254	9.510	0.000
252.906	151.273	143.933	143.702	252.906	192.616	204.647	112.241	252.906	24.014
35.888	34.235	1.839	1.839	35.888	0.000	1.839	0.000	35.888	0.000
186.420	179.772	99.054	70.182	186.420	174.464	81.278	81.481	186.420	0.000
10.778	6.286	0.264	0.169	3.298	3.297	0.440	0.441	3.298	0.354
377.918	378.430	40.948	40.359	508.918	507.146	40.948	39.285	372.918	116.104
22.622	22.093	2.734	2.230	34.071	34.487	1.746	1.746	22.622	16.022
818.880	629.003	316.724	299.744	818.879	740.242	159.556	97.642	818.879	0.000
38.188	31.891	2.602	2.598	38.188	35.279	1.681	1.681	38.188	0.000
397.152	325.987	259.315	130.411	397.152	383.272	259.315	36.713	397.152	28.274
2.146	1.820	0.000	0.000	2.146	0.667	0.000	0.000	2.146	0.000
1.764	1.635	0.000	0.000	1.764	0.588	0.000	0.000	1.764	0.000
1.382	0.017	0.000	0.000	1.382	0.493	0.000	0.000	1.382	0.005
0.268	0.032	0.000	0.000	0.268	0.178	0.000	0.000	0.268	0.012
0.230	0.230	0.000	0.000	0.230	0.207	0.000	0.000	0.230	0.000
10.711	8.492	0.000	0.000	6.442	3.835	0.000	0.000	6.442	0.000
5000.003#	4273.568	2369.241	1703.246	5000.000#	4001.540	2121.237	1125.422	5000.000	725.633

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3870. श्री रवनीत सिंह :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों के शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उपज के परिरक्षण के लिए उनके मध्य जागरुकता पैदा करने और इस उद्देश्य हेतु देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि सामग्रियों के बर्बाद होने की दर में कमी लाने के लिए किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मध्य संपर्क बनाने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि सामग्रियों के परिरक्षण में सरकार को वित्तीय संदर्भ में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्योग संघों, कृषक समूहों तथा अन्य पणधारियों को शीघ्र सड़ने-गलने वाली कृषि उपज के परिरक्षण के महत्व तथा खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने तथा मूल्यवृद्धि के महत्व के बारे में जागरुक बनाने के लिए इनके द्वारा आयोजित सेमीनारों, सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

मंत्रालय खेल से लेकर उपभोक्ता तक सतत् एकीकृत तथा संपूर्ण शीतशृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र स्कीम – शीतशृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्तियों, उद्यमी समूहों, सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि शीतशृंखला परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं।

मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन किए जाने हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम – राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) भी शुरू किया है। गैर-बागवानी उत्पाद शीतशृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम मिशन की स्कीमों में से एक है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को गैर-बागवानी उत्पादन शीतशृंखला सहित मिशन की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता को मंजूरी देने तथा अनुदान सहायता जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। मिशन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शीतशृंखलाओं के विकास के लिए लाभार्थियों, परियोजनाओं के लिए स्थान/क्षेत्र आदि के चयन की भी शिथिलता देता है।

(ग) और (घ) शीघ्र सड़ने-गलने वाली कृषि वस्तुओं की बर्बादी कम करने के लिए, किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच लिंकेज सुनिश्चित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत स्तर पर शीतशृंखला अवसंरचना के अंतर्गत कृषक क्लस्टरों को कटी हुई उपज को तौलने, छंटाई करने, ग्रेडिंग करने, पैकिंग करने, प्री-शीतलन, चिलिंग, शीतभंडार और आईक्यूएफ की सुविधायुक्त न्यूनतम प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा, सरकार की राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) जैसी एजेंसियां और राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता देती हैं।

मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, किसानों, उद्यमी समूहों, किसान संघों, सहकारिताओं, स्व-सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण और परिरक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा कर प्रभावी पश्च लिंकेजों के सृजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे शीघ्र सड़ने-गलने वाली पदार्थों की शेल्फ लाइफ में वृद्धि होगी और किसानों को लाभदायी कीमतें मिलेंगी। स्कीम में प्रति परियोजना पात्र परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% की दर से और पूर्वोत्तर-आईटीडीपी और दुर्गम क्षेत्रों (सिक्किम, अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों) के लिए 75% परंतु अधिकतम 2.50 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की परिकल्पना की गई है।

(ङ) सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 830.87 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 86.17 मीट्रिक टन और वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 210.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 8.72 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के लिए शीतशृंखला/शीतागार अवसंरचना सृजित की है।

मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत दवाइयां

3871. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों के मूल्यों में नियंत्रण लगाने संबंधी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 में कुल दवाइयों के 80 प्रतिशत से ज्यादा दवाइयां नहीं आती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेटेंट दवाइयों सहित अनेक दवाइयों और भारत के रोग परिदृश्य में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को डीपीसीओ, 2013 में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का पेटेंट दवाइयों सहित शेष आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत लाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार आईएमएस डाटा के अनुसार कुल भारतीय भेषज बाजार 48,239 करोड़ रुपए (खुदरा विक्रेता के मूल्य के आधार पर) का था और राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) के अंतर्गत आने वाली दवाओं का बाजार अंश, जिसके लिए आईएमएस के पास आंकड़े उपलब्ध थे, 10,159 करोड़ रुपए था।

(ग) से (च) दिनांक 7.12.2012 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी)-2012 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप मई, 2013 में औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) अधिसूचित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट क्षमता और खुराक वाली दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है। एनएलईएम-2011 में वे दवाइयां निहित है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए एनएलईएम का संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और किसी भी औषधि को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर जनहित में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत एनएलईएम में जोड़ा जा सकता है।

स्मारकों हेतु ई-टिकट प्रणाली

3873. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संरक्षित स्मारकों में प्रवेश हेतु मैनुअल टिकट प्रणाली में टिकट जारी करने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण बाधा आती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का देश में संरक्षित स्मारकों में प्रवेश हेतु ई-टिकट प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 116 टिकट द्वारा प्रवेश वाले स्मारकों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 700 कार्मिकों की तैनाती की गई है और इनके द्वारा स्मारकों पर प्रवेश की देख-रेख की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। अधिक उपयोक्ता अनुकूल और राजस्व प्राप्ति प्रणाली हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने अधीन टिकट द्वारा प्रवेश वाले स्मारकों पर ई-टिकटिंग समाधान लागू करने की प्रक्रिया में है। उपयुक्त कार्यान्वयन भागीदार के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए दिनांक 26.04.2013 को निवेदन प्रकाशित किया गया था। तीन बोली लगाने वालों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं। बोलियों के लिए पूर्व-अर्हता मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और सभी तीन बोलियां योग्य घोषित की गई हैं। बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टिकट द्वारा प्रवेश वाले स्मारकों पर ई-टिकटिंग समाधान लागू किया जा सकेगा। करार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कार्मिकों के रिक्त पद

3874. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन में उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक के कुल कितने पद संस्वीकृत हैं;

(ख) इनमें से कुल कितने पदों को भरा गया है; और

(ग) सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उप-निरीक्षकों के पदों की कुल संख्या-18 (लक्षद्वीप पुलिस-16 और तटीय सुरक्षा योजना-2)।

सहायक उप-निरीक्षक के पदों की कुल संख्या-10 (लक्षद्वीप पुलिस-5 और तटीय सुरक्षा योजना-5)।

(ख) उप-निरीक्षक के भरे हुए पदों की कुल संख्या-5 (लक्षद्वीप पुलिस-5 और तटीय सुरक्षा योजना-0)।

सहायक उप-निरीक्षक के पदों की कुल संख्या-8 (लक्षद्वीप पुलिस-3 और तटीय सुरक्षा योजना-5)।

(ग) उप-निरीक्षकों की 13 रिक्तियों में से, 4 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। शेष 9 पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है, जिसके लिए किसी भी सहायक उप-निरीक्षक/हेड कांस्टेबल के पास प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता वाली सेवा नहीं है।

सहायक उप-निरीक्षक के दो रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

खाद्यान्न का भंडार

3875. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों में सरकार के पास खाद्यान्नों का खाद्यान्न-वार कुल कितना भंडार था;

(ख) क्या सरकार का विचार बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु इन भंडारों को उपयोग में लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले 6 माह के दौरान प्रत्येक माह की पहली तारीख को केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न के स्टॉक का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(लाख टन में)

माह	चावल	गेहूं	कुल
1	2	3	4
1 सितम्बर, 2013	205.73	383.60	589.33
1 अक्तूबर, 2013	190.33	361.00	551.33
1 नवम्बर, 2013	168.54	340.99	509.53
1 दिसम्बर, 2013	142.17	310.67	452.84
1 जनवरी, 2013	146.98	280.47	427.45
1 फरवरी, 2013	169.38	242.00	411.38

(ख) और (ग) चालू वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत 500 लाख टन खाद्यान्न और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत 50 लाख टन आवंटित किया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अतिरिक्त टीपीडीएस आवश्यकता, प्राकृकि आपदाओं, त्योहारों आदि के लिए भी 12.98 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस-डी) स्कीम के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं और छोटे निजी व्यापारियों को निविदा बिक्री के लिए 95 लाख टन गेहूं और खुदरा उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सहकारी समितियों को 5 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल बिक्री के लिए आवंटित किया है। केन्द्रीय पूल से किए गए उपर्युक्त आवंटन बाजाार में मूल्य नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

आतंकवाद के वित्त-पोषण पर भारत-अमरीका सहयोग

3876. श्री एम. आनंदन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों तथा इन संगठनों से जुड़े आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क तथा धन उगाहने के क्रियाकलापों को तोड़ने के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश नकली मुद्रा तथा गैर-कानूनी वित्तीय कारोबार के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी-अपनी एजेंसियों के मध्य सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान आधारित

आतंकवादी संगठनों और इन संगठनों से जुड़े आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क और निधियां जुटाने की गतिविधियों को निष्फल करने के संबंध में एफएटीएफ की पूर्ण बैठकों के दौरान भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी) के द्विपक्षीय विचार-विमर्श के ढांचे के अंतर्गत, साथ मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं। अक्तूबर, 2013 में आयोजित भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान सुगम हुआ है।

(ग) और (घ) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, जाली करेंसी और अवैध वित्तीय लेन-देन का मुकाबला करने के लिए भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी वार्ता के तत्वाधान के अंतर्गत अपनी एजेंसियों के बीच सहयोग रखने के संबंध में सहमत हुए हैं। सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी/अनुसंधानपरक सहयोग के विषयों के साथ 'अवैध वित्त, नकदी की अवैध तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी' पर एक उप-समूह का गठन किया गया है। जाली भारतीय करेंसी नोटों के विर्निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्रियों और तकनीक स्रोतों की जांच करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी और भारतीय एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही हैं।

वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत (एफआईयू-आईएनडी) और फिनसेन (संयुक्त राज्य अमेरिका की एफआईयू) के एफआईयू के एगमांट समूह, जिसके दायरे में करेंसी की जालसाजी और अवैध आर्थिक लेन-देन सहित अनेक प्रकार के अपराध आते हैं, के सदस्यों के रूप में मार्च, 2010 में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

[हिन्दी]

जलमग्न मंदिरों का नये स्थान पर स्थापन

3877. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवगत है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की गोविंद सागर झील में जलमग्न प्राचीन मंदिरों को नए स्थानों पर स्थापित करने संबंधी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गोविंद सागर झील में जलमग्न प्राचीन मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं हैं। नए स्थान पर स्थापन कार्य में पर्याप्त भूमि एवं निधि अपेक्षित है, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है। अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक तकनीकी सलाह दी जा सकती है। भातीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

काली-सूची में डाली गई कंपनियां

3878. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **गृह मंत्री** सुरक्षा अपवर्जन क्षेत्र के बारे में दिनांक 27.08.2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2990 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली सूची में डाली गई कंपनियों को बोली प्रक्रिया से हटाने संबंधी जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) बोली प्रक्रिया विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार शुरू की जाती है। अत: काली सूची में डाली गई कम्पनियों की सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जानी अपेक्षित है। कुछ मंत्रालयों/विभागों से सूचना अभी भी प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

एफपीआई में रोजगार

3879. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में नियोजित कामगारों से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लिंग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एफपीआई में नियोजित कामगारों के लाभार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अपने प्रकाशन के माध्यम से फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों की विभिन्न विशिष्टताओं के बारे में सूचना जारी करता रहा है। वर्ष 2011-12 के अद्यतन एएसआई (अनंतिम) के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 17.77 लाख है। वर्ष 2010-11 के एसआई के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठेकेदारी मजदूरी और पारिवारिक सदस्यों के रूप में कुल कामगारों की संख्या 16.62 लाख थी। प्रत्यक्ष रूप से नियोजित 9.03 लाख कामगारों में से क्रमश: 2.59 लाख महिलाएं और 6.44 लाख पुरुष थे। वर्ष 2010-11 तक उपलब्ध रोजगारों के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

गैर-पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में सूचना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यालय द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में जारी की जाती है। वर्ष 2010-11 में 67वें चक्र के अद्यतन एनएसएस के अनुसार, गैर-पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल 47.9 लाख कामगार थे। इसमें से, क्रमश: 11.9 लाख महिलाएं तथा 36.0 लाख पुरुष कामगार थे।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे कामगार न्यूनतम मजदूरी, दुर्घटना और सामाजिक सुरक्षा लाभों, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं औद्योगिक संबंध इत्यादि से संबंधित विभिन्न मजदूर कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 के लिए पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में रोजगार के बारे में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचना

क्र. सं.	राज्य का नाम	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	225,364
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145
3.	असम	83,167
4.	बिहार	15,479
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	969
6.	छत्तीसगढ़	23,611
7.	दादरा और नगर हवेली	434
8.	दमन और दीव	1,471
9.	दिल्ली	10,962
10.	गोवा	6,985
11.	गुजरात	98,562
12.	हरियाणा	44,760
13.	हिमाचल प्रदेश	11,083
14.	जम्मू और कश्मीर	4,854
15.	झारखंड	3,748
16.	कर्नाटक	102,770
17.	केरल	166,210
18.	मध्य प्रदेश	35,466
19.	महाराष्ट्र	206,592
20.	मणिपुर	256
21.	मेघालय	326
22.	नागालैंड	149
23.	ओडिशा	29,347
24.	पुदुचेरी	4,459
25.	पंजाब	114,438
26.	राजस्थान	35,698
27.	सिक्किम	1,792
28.	तमिलनाडु	172,480
29.	त्रिपुरा	1,719
30.	उत्तर प्रदेश	154,536

1	2	3
31.	उत्तराखंड	24,730
32.	पश्चिम बंगाल	78,705
	कुल	166,1597

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई); 2010-11।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि

3880. श्री पी.के. बिजू :
श्री ए. सम्पत :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं की गई वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त वस्तुओं के मूल्य-नियंत्रण हेतु कोई मूल्य नियंत्रण तंत्र स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) थोक मूल्य सूचकांक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आने वाली वस्तुओं के मूल्य सम्मान का अधिकारिक सूचक है। मासिक आधार पर रिलीज किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक की सरकार द्वारा निगरानी की जाती है और जब कभी अपेक्षित हो मूल्य नियंत्रण के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

नक्सलरोधी अभियानों हेतु हेलीकॉप्टर

3881. श्री पूर्णमासी राम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को नक्सलरोधी अभियानों में तैनात सैन्य टुकड़ी को लाने और ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने/लीज करने संबंधी अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक अनुमोदन कब तक मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए वर्तमान में भारतीय वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल के 11 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी राज्यों में अभियान की अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को आवश्यकता के आधार पर सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की अनुमति दी गई है।

एसआरई योजना के अधीन, केंद्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, हेलीकॉप्टर किराए पर लेने पर आने वाले व्यय सहित सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 9 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान करती है। एसआरई योजना एक प्रतिपूर्ति योजना होने के कारण, व्यय का वहन पहले राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात् संबंधी राज्यों में इनकी लेखा-परीक्षा किए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.01.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य सरकारों को एसआरई योजना के अधीन जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (31.01.2014 तक) के दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए एसआरई योजना के अधीन जारी की गई निधियों के राज्य-वार — ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

राज्य	एसआरई योजना के अधीन जारी निधियां			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	28.19	10.73	15.13	17.98
बिहार	29.41	13.65	7.87	17.11
छत्तीसगढ़	87.74	42.37	50.74	42.14
झारखंड	59.40	75.36	67.55	47.79

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	1.56	0.27	0.65	0.56
महाराष्ट्र	13.67	7.63	4.60	7.38
ओडिशा	56.62	21.57	15.31	29.64
उत्तर प्रदेश	3.56	2.00	5.50	5.33
पश्चिम बंगाल	18.91	13.90	13.31	20.65
कुल	299.06	187.48	180.66	188.58

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन हेतु धनराशि

3882. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन तथा विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5990 करोड़ रुपए का योजनागत आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस धनराशि के उपयोग की अब तक की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां, महोदया। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास हेतु विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5990.00 करोड़ रुपए का योजना आबंटन किया है।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमों के लिए आबंटित निधियों तथा योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	12वीं योजना के लिए आबंटन	खर्च	खर्च 2013-14 (31.01.2014 तक)
1.	अवसंरचना विकास			
	(क) मेगा खाद्य पार्क	1714.00	93.12	82.62
	(ख) एकीकृत शीत श्रृंखला	786.00	81.19	95.91
	(ग) बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण	300.00	9.58	20.71
2.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	1850.00	182.90	20.18
3.	संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम (नवप्रवर्तन निधि स्कीम तथा वेंचर पूंजी निधि समेत)	300.00	67.58	44.93
4.	गुणवत्ता आश्वासन कोडेक्स मानक, आर एंड डी तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप	290.00	31.34	25.56
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा मानव संसाधन विकास (बीच हुई देयताएं)	750.00	190.17	157.54
	कुल	5990.00	655.88	447.65

महिला बटालियन

3883. श्री के.पी. धनपालन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में महिला बटालियनों/रिजर्व बटालियनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केरल सहित ऐसी

बटालियनों/रिजर्व बटालियनों की स्थापना हेतु चिन्हित स्थलों का बल-वार, स्थल-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी बटालियनों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में अतिरिक्त महिला बटालियनों और अतिरिक्त रिजर्व बटालियनें मंजूर की हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

सीएपीएफ	महिला बटालियनें				रिजर्व बटालियनें			
	बटालियनों की संख्या	मंजूरी की तिथि	स्थापना की अवधि	स्थल	बटालियनों की संख्या	मंजूरी की तिथि	स्थापना की अवधि	स्थल
सीआरपीएफ	2	1.9.2009	एक बटालियन स्थापित की गई है। शेष बटालियन स्थापित करने हेतु समय-सीमा 2014-15 है।	कोलकाता (पश्चिम बंगाल और अलवर (राजस्थान)	36 बटालियन	1.9.2009	वर्ष 2009-10 से 10 वर्ष	सीआरपीएफ बटालियनें ग्रुप केन्द्रों से संबद्ध हैं और उनकी स्वतंत्र मुख्य स्थल योजनाएं नहीं हैं।
सीआईएसएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	21.9.2010	2010-11	गुवाहाटी (असम), लक्कुर, बैंगलोर (कर्नाटक)
बीएसएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13	22.1.2009	वर्ष 2007-10 से 7 वर्ष	8 रिजर्व बटालियनों के स्थलों का निर्णय लिया गया है। ये स्थल भोंडसी (हरियाणा), ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड), जयपुर (राजस्थान), इंदौर (मध्य प्रदेश), थ्रीसूर (केरल), सोलापुर (महाराष्ट्र), चेडिमा (नागालैंड) और नागपुर (महाराष्ट्र) हैं।
एसएसबी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	14	25.6.2010	वर्ष 2010-11 से 6 वर्ष	श्रीनगर (उत्तराखंड), रांची (झारखंड), सम्बलपुर (ओडिशा), शोलापुर (महाराष्ट्र), अलवर (2 बटालियन) (राजस्थान), जामनगर (गुजरात), शमशी (हिमाचल प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), राउरकेला (ओडिशा), थेल्की (महाराष्ट्र), तिरुची (तमिलनाडु) और तेजपुर (असम)

गौ मूत्र आधारित कीटनाशकों को बढ़ावा देना

3884. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में रासायनिक कीटनाशकों के बदले गौ मूत्र आधारित कीटनाशकों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाने पर कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 12 सामग्रियों को शामिल करते हुए गौ मूत्र आधारित जैव कीटनाशी संयोजन विकसित एवं पेटेंट किया है जिनमें से 11 जैव वानस्पतिक हैं तथा एक टमाटर फसलों में कृमि कीट एवं कवक रोग जनक के नियंत्रण के लिए प्राकृतिक उत्पाद हैं। फिर भी, गौ मूत्र उत्पाद समेकित कीट प्रबंधन क्षेत्र के तहत न ही मानकीकरण किया गया है और न ही उत्पाद को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत कीटनाशी अनुसूची में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुएं

3885. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल की गई वस्तुओं की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त अधिनियम/सूची की समीक्षा की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2क की अनुसूची के तहत सात वस्तुओं नामत: (1) दवाईयां, (2) उर्वरक, वे चाहे अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित हों; (3) खाद्य पदार्थ, खाद्य तिलहनों और तेलों सहित; (4) पूर्णत: कॉटन से निर्मित हंक यार्न; (5) पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद; (6) कच्चा पटसन और पटसन से बने वस्त्र; (7) (i) खाद्य-फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज़; (ii) पशु चारे के बीज; और (iii) पटसन के बीज; (iv) बिनौले को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसान विज्ञान केन्द्रों (केवीके) पर मौसम केन्द्र

3886. श्री पी. करुणाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा किसानों को अपनी कृषि उपज बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए मौसम संबंधी लगातार अद्यतन जानकारी देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 87 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) में मौसम केन्द्र स्थापित किए हैं। इसका राज्य-वार तथा कृषि विज्ञान केन्द्र-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें मौसम केन्द्र स्थापित करने का वर्ष भी दर्शाया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए उपायों में राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल (एनआईसीआरए) परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 100 स्वचालित मौसम केन्द्रों (एडब्ल्यूएस) के नेटवर्क का सृजन; समस्त स्थलों में तुरंत मौसम आंकड़ों की नियमित ऑनलाइन निगरानी के लिए समर्पित वेबसाइट *(www.aicrpam-nicra-aws-in)* का सृजन; 25 कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित अखिल भारतीय कृषि मौसम विज्ञान समन्वित अनुसंधान परियोजना के 25 केन्द्रों द्वारा किसानों को सूक्ष्म स्तर मौसम आधारित कृषि-परामर्श सेवा का सृजन और प्रसार शामिल हैं। इसके अलावा, किसान मोबाइल परामर्श संदेशों, रेडियो एवं टेलीविजन कार्यक्रमों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को मौसम सूचना तथा संबंधित कृषि परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, मौसम विज्ञान विभाग की जिला स्तर पर मौसम पूर्वानुमान जारी करता है।

विवरण

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्थापित मौसम केंद्र

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	केवीके की संख्या के साथ आईएमडी द्वारा स्थापित मौसम केंद्र	मौसम स्टेशन के साथ केवीके का नाम	मौसम स्टेशन की स्थापना का वर्ष
1	2	3	4	5
1.	बिहार	15	भागलपुर	2008
			जहानाबाद	2008
			समस्तीपुर	2008
			मधेपुरा	2008
			नालन्दा	2008
			अररिया	2008
			बांका	2008
			सहरसा	2008
			औरंगाबाद	2008
			मुंगेर	2008
			मुज़फ्फरपुर	2008
			पूर्वी चंपारण	2008
			पश्चिमी चंपारण	2008
			बेगूसराय	2008
			भोजपुर	2008
2.	गुजरात	3	डांग	2009
			नवसारी	2011
			सुरेन्द्रनगर	2011
3.	हरियाणा	14	झज्जर	2008
			जींद	2008
			कैथल	2008
			सोनीपत	2008
			भिवानी	2009
			फरीदाबाद	2009

1	2	3	4	5
			हिसार	2009
			महेंद्रगढ़	2009
			रोहतक	2009
			सिरसा	2009
			यमुनानगर	2009
			फ़तेहाबाद	2010
			कुरुक्षेत्र	2011
			पानीपत	2011
4.	हिमाचल प्रदेश	4	ऊना	2009
			हमीरपुर	2011
			कांगड़ा	2011
			बिलासपुर	2012
5.	जम्मू और कश्मीर	3	कठुआ	2011
			कुलगाम	2012
			पूंछ	2012
6.	झारखंड	2	धनबाद	2006
			दुमका	2006
7.	कर्नाटक	1	बेंगलूरु ग्रामीण	2008
8.	मध्य प्रदेश	11	हसन	2005
			मण्डला	2009
			दमोह	2009
			शाजापुर	2009
			शिवपुरी	2009
			धार	2009
			बेतूल	2009
			शहडोल	2009
			सिवनी	2009
			पन्ना	2009
			गुना	2012

1	2	3	4	5
9.	मिज़ोरम	6	कोलासिब	2011
			मामित	2011
			लावनतलई	2011
			सिरचिप	2011
			सईहा	2011
			चंपई	2012
10.	ओडिशा	5	कालाहांडी	1995
			रायगढ़	2010
			सुंदरगढ़-1	2010
			जगतसिंहपुर	2011
			केंद्रपाड़ा	2011
11.	पंजाब	13	अमृतसर	2006
			भटिंडा	2009
			फतेहगढ़ साहिब	2009
			फिरोज़पुर	2009
			गुरदासपुर	2009
			होशियारपुर	2009
			जालंधर	2009
			लुधियाना	2009
			मोगा	2009
			मुक्तसर	2009
			पटियाला	2009
			रोपड़	2009
			संगरुर	2009
12.	राजस्थान	5	डूंगरपुर	2009
			जालौर	2009
			झालावाड़	2009
			नागौर	2010
			राजसमंद	2010

1	2	3	4	5
13.	उत्तर प्रदेश	1	झांसी	2010
14.	उत्तराखंड	1	हरिद्वार	2010
15.	पश्चिम बंगाल	3	दक्षिण 24 परगना	2008
			हुगली	2009
			उत्तर दीनाजपुर	2013
	कुल	87		

राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय

3887. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपराध का पता लगाने और जांच करने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) फिलहाल, पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा, अपराधों का पता लगाने और जांच करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से अपनी केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में आठ विशिष्ट प्रभाग यथा, प्रक्षेपण, रसायन विज्ञान, विस्फोटक, विष-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, जीव-विज्ञान, दस्तावेज और वक्ता-पहचान/टेप प्रमाणीकरण यूनिट स्थापित किए गए हैं।

मुख्य न्यायिक वैज्ञानिक द्वारा छह केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यकरण की निगरानी की जाती है और अपराधों का पता लगाने और जांच करने में अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, इन प्रयोगशालाओं में अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवधिक रूप से विशिष्ट उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

खाद्य सुरक्षा

3888. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी हाल में रोम में हुए चालीसवें सत्र का प्रतिभागी था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं एवं इसमें क्या मामले उठाए गए तथा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में समझौते के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं डब्ल्यूटीओ की बैठक में इस कानून के बचाव में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त अधिनियम से खरीद और खाद्य सब्सिडी में भारी वृद्धि होने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व खाद्य सुरक्षा समिति का 40वां सत्र खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय, रोम में दिनांक 7 से 11 अक्तूबर, 2013 तक आयोजित किया गया था। इस सत्र में समिति के 121 सदस्य देशों और समिति के 14 गैर-सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा निकायों, नागरिकों संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान

संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्र के एसोसिएशनों के प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक भी शामिल थे।

विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के 40वें सत्र की नीतिगत गोलमेज बैठकों में खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित दो प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था:—

(i) जैव-ईंधन तथा खाद्य सुरक्षा; और

(ii) खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के लिए लघु जोत कृषि में निवेश।

जैव-ईंधन तथा खाद्य सुरक्षा

इस मुद्दे पर निम्नलिखित कार्रवाई योग्य बिन्दु, उनके विकास तथा कार्यान्वयन की अनुशंसा की गई थी:—

(i) खाद्य सुरक्षा तथा जैव-ईंधन के लिए नीति समभिरुपता में वृद्धि हेतु कार्रवाई।

(ii) जैव-ईंधन तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन हेतु कार्रवाई।

(iii) ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा की सम्बद्धता से संबंधित कार्रवाई।

खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के लिए लघु जोत कृषि में निवेश

इस गोलमेज में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित अनुसंशाएं की गईं:—

(i) लघु जोत कृषि की स्थिति के प्रलेखन के लिए लघु जोत कृषि के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाना, कृषि तथा ग्रामीण विकास के शासन में सुधार तथा उनका साक्ष्य आधारित विश्लेषण।

(ii) परिसम्पत्तियों, सार्वजनिक वस्तुओं, सामाजिक सेवाओं, अनुसंधान तथा विस्तार एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का संवर्धन।

(iii) ऐसे कृषकों के लिए निवेश, बाजारों में पहुंच, उत्पादक सेवाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता 614.3 लाख टन अनुमानित है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान गेहूं तथा चावल की औसत वार्षिक खरीद जहां 617.8 लाख टन रही है, वहीं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान वार्षिक अनुमानित आवश्यकता 563.7 लाख टन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 की लागतों पर अनुमानित खाद्य राजसहायता लगभग 1,27,733 करोड़ रुपए है। सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबंटन, अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुमानित खाद्य राजसहायता आवश्यकता 1,00,953 करोड़ रुपए है; जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण खाद्य राजसहायता के लिए लगभग 26,780 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है।

[अनुवाद]

ऑनलाइन लॉटरी धोखाधड़ी

3889. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी वाली लॉटरी के द्वारा ठगे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामने आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है एवं इनमें राज्य-वार कितनी धनराशि अन्तर्निहित है;

(ग) साइबर अपराध धोखाधड़ी करने वालों को रोकने और दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने देश में ऐसी धोखाधड़ी के विरुद्ध कोई जागरुकता अभियान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 तैयार किया था, जिसमें वे शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके अध्यधीन राज्य सरकारें लॉटरी को आयोजित करेंगी, चलाएंगी ओर बढ़ावा देंगी। यद्यपि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 में ऑनलाइन लॉटरी के बारे में विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन विधि मंत्रालय की राय के अनुसार

अधिनियम के तहत लॉटरी की परिभाषा ऑनलाइन लॉटरी सहित सभी प्रकार की लॉटरियों को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है, जिसमें लॉटरी आयोजित की जाती है। विधि एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज सरकारों के परामर्श से अधिनियम एवं नियमों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन पेपर लॉटरी अथवा ऑनलाइन लॉटरी या दोनों आयोजित करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2010 को लॉटरी (विनियमन) नियम, 2010 को भी अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने दिनांक 28.12.2011 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को लॉटरी के व्यवसाय को नियंत्रित करने में राज्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों और एजेंटों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाला मॉडल करार भी जारी किया है।

[अनुवाद]

रबी और खरीफ फसलों की खेती

3890. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों द्वारा उत्पादित मूंगफली, सरसों, गेहूं, कपास और आलू जैसी फसलों के खरीद केन्द्रों की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए साल में एक बार लक्ष्य निर्धारित करती है। 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) देश में गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों और स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तिलहन, पाम ऑयल एवं मक्का समेकित स्कीम (आईएसओपीओएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण, कपास पर प्रायोद्योगिकी मिशन इत्यादि के माध्यम से प्रमाणित/गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण पर सहायता/राजसहायता प्रदान करती है।

विवरण

2013-14 के लिए फसल-वार राष्ट्रीय उत्पादन लक्ष्य

(मिलियन टन में)

फसल	मौसम	2013-14 के लिए उत्पादन लक्ष्य
1	2	3
चावल	खरीफ	91.00
	रबी	14.00
	कुल	105.00
गेहूं	रबी	92.50
ज्वार	खरीफ	3.00
	रबी	3.00
	कुल	6.00
बाजरा	खरीफ	10.00
मक्का	खरीफ	17.00
	रबी	5.50
	खरीफ	22.50
रागी	खरीफ	2.00
छोटे कदन्न	खरीफ	0.50
जौ	रबी	1.50
कुल मोटे अनाज	खरीफ	32.50
	रबी	10.00
	कुल	42.50
कुल दलहन	खरीफ	7.00
	रबी	12.00
	कुल	19.00

1	2	3
कुल खाद्यान्न	खरीफ	130.50
	रबी	128.50
	कुल	259.00
कुल तिलहन	खरीफ	20.50
	रबी	10.50
	कुल	31.00
गन्ना		340.00
कपास*		35.00
पटसन**		11.00
मेस्ता**		1.00
पटसन एवं मेस्ता**		12.00

*कपास के लिए 170 किलो मिलियन गांठें।

**पटसन एवं मेस्ता के लिए 180 किलो मिलियन गांठें।

समुद्र तटीय जल का अति दोहन

3891. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के संसद तट पर मछली और समुद्रीय जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है जिसके कारण मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने को बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समुद्र की तलहटी सहित समुद्र जल में अंधाधुंध मछली मारने एवं समुद्र तटीय जल के अतिदोहन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तमिलनाडु के समुद्र तट से मछली पकड़ने में वृद्धि होने से संकेत मिलता है कि तमिलनाडु के समुद्र तट में मात्स्यिकी संसाधन कम नहीं हुए हैं। तमिलनाडु के समुद्र तट से 2008-09 में 5.34 लाख टन मछली पकड़ी हुई थी जो बढ़ कर 2011-12 में, जिसके लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, 6.5 लाख टन हो गई है।

(ग) सीमांतर्गत जल में मात्स्यिकी विषय तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मामला है और यह समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों (एमएफआरएएस) द्वारा शासित होता है जिनमें मत्स्यन पद्धतियों को विनियमित करने के उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की गई हैं जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तल में मछली पकड़ने, छोटी मछलियों को पकड़ने तथा अन्य अधारणीय मत्स्य पद्धतियों से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सरकार मछुआरों और अन्य हितधारकों के लिए मात्स्यिकी संसाधनों के धारणीय उपयोग के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

[हिन्दी]

सुरक्षा कवर

3892. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों सहित विभिन्न विशिष्ट, अतिविशिष्ट व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्यों को सुरक्षा कवर देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) संसद सदस्यों सहित उक्त व्यक्तियों से सुरक्षा कवर देने हेतु सरकार के पास लंबित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें सुरक्षा कवर देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त अनुरोधों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से उस राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहता है अथवा उस समय होता है।

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा प्रबंध संबंधित 'ब्लू बुक' में दिए गए उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रबंधों को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) अधिनियम, 1988 और इस प्रयोजनार्थ बनायी गई विशेष सुरक्षा स्कीमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है।

संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित अन्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रबंध, मुख्य रूप से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए खतरों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर 'येलो बुक' में दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

ऊपर दी गई सुरक्षा व्यवस्था की तरह ही श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के अपने तंत्र हैं।

सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जब भी अनुरोध प्राप्त होते हैं, उन पर केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। खतरे के बारे में मिली सूचनाओं के आधार पर, संबंधित राज्य सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उचित सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए परामर्शी-पत्र भी जारी किए जाते हैं।

खरीद केन्द्रों की निगरानी

3893. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों द्वारा उत्पादित मूंगफली, सरसों, गेहूं, कपास और आलू जैसी फसलों के खरीद केन्द्रों की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उचित समय पर समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीद न करने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कवर किए गए फसलों के लिए प्रापण का संचालन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कवर नहीं किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कवर किए गए फसलों के उत्पादक अपने उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजारों में बेच सकते हैं जो भी उनके लिए लाभदायक हो।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत् प्रापण का संचालन नामित केंद्रीय एजेंसियों तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन का अनुवीक्षण सरकार द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों तथा प्रापण एजेंसियों को निदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बाजरा की आपूर्ति

3894. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु राज्य को मोटे अनाज/बाजरा की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं राज्यों की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोटे अनाज का आवंटन भी करती है। वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को आवंटित की गई मोटे अनाज की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा टन में)

राज्य/जिंस	ज्वार	मक्का	कुल
आंध्र प्रदेश	0	241902	241902
महाराष्ट्र	23910	38262	62172
मध्य प्रदेश	5720	43730	49450
कर्नाटक	0	88335	88335

तथापि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोधों पर इन राज्यों को मोटे अनाज का आवंटन रद्द कर दिया गया है।

सुरक्षा अवसंरचना में निवेश

3895. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा अवसंरचना में और अधिक निवेश करने हेतु होम लैंड सिक्योरिटी एंड काउन्टर टेररिज्म संबंधी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह शिखर सम्मेलन आतंकवाद/उग्रवाद/नक्सलवाद के खतरे से निपटने में किस हद तक मददगार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत-यूएएस होमलैंड सुरक्षा वार्ता-पुलिस प्रमुखों का सम्मेलन दिनांक 4-5 दिसंबर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन दोनों देशों में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के वृहत् मूल्यांकन हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण था। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श निम्नलिखित सात विषयों पर केंद्रित रहा:—

(I) व्यापक रूप से हताहत होने की घटनाओं में कार्रवाई;

(II) समुद्री सुरक्षा और विधि प्रवर्तन (यात्री एवं कार्गो सुरक्षा);

(III) शहरी पुलिस व्यवस्था में निगरानी और कमांड कंट्रोल;

(IV) व्यापक पारगमन प्रणाली में सुरक्षा और विधि प्रवर्तन;

(V) कानूनी अवरोधन (आसूचना) और जांच;

(VI) अपराध की जांच और विधि विज्ञान;

(VII) समुदाय पुलिस व्यवस्था।

इस सम्मेलन में राज्यों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, कुछ यूएस शहरों के पुलिस प्रमुखों/उप-प्रमुखों, यूएस संघीय सरकार के प्रतिनिधियों और यूएस दूतावास के अधिकारियों ने भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान, दोनों देशों के वक्ताओं ने उपर्युक्त विषयों पर प्रस्तुतीकरण किया, जिसके बाद पैनल विचार-विमर्श और प्रश्न एवं उत्तर सत्र चला।

(ग) ऐसे सम्मेलन उन उत्तम प्रथाओं एवं काम करने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में विचारों के आदान-प्रदान में दोनों देशों के सहभागियों की सहायता करते हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

[हिन्दी]

निजी दवा कंपनियों की समीक्षा

3896. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि मूल्य निर्धारण संबंधी सरकारी मानकों/नीतियों का अनुपालन करने के संबंध में निजी भेषज कंपनियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के क्या परिणाम है एवं सरकार द्वारा इन पर क्या कदम उठाए गए/कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। यह एक नियमित प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

तिलहन और पाम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय मिशन

3897. श्री सी. शिवासामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तिलहन और पाम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं बाजार संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 से अधिक गांवों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके अंतर्गत कितनी निधि स्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। XIIवीं योजना अवधि के लिए एक राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) का अनुमोदन किया गया है जिसे योजना की शेष अवधि के दौरान अर्थात् 2014-15 से 2017-18 तक कार्यान्वित किया जाएगा। 12वीं योजना के दौरान 3507.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रस्तावित एनएमओओपी में तीन मिनी मिशन (एमएम) होंगे अर्थात् तिलहनों पर एमएम-I ऑयल पाम पर एमएम-II तथा वृक्ष मूल के तिलहनों पर एमएम-III।

(ग) और (घ) जल संचयन, पनधारा प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य का एक एकीकृत हस्तक्षेप मुहैया कराए जाने के लिए वर्षासिंचित क्षेत्रों में छह हजार "दलहन तथा तिलहन ग्राम" आयोजित किए जाने की दृष्टि

से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 300 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई थी ताकि शुष्क भूमि खेती वाले क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। वर्ष 2012-13 के दौरान 60,000 से अधिक दलहन ग्राम कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु आरकेवीवाई के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए की धनराशि भी मुहैया कराई गई थी। इस पहल को 2012-13 के दौरान एनएफएसएम दलहन के तहत मिला दिया गया है। तीन वर्षों (2013-16) की अवधि के दौरान 5000.00 लाख रुपए की राशि से एसएफएसी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने की दृष्टि से 106 एफपीओ के निर्माण के लिए मंडी सम्पर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु एक "कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) एवं दलहनों एवं कदन्नों के मूल्य श्रृंखला विकास के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना" अनुमोदित की गई है।

कृभको का सौदा

3898. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के प्रतिष्ठान द्वारा कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) के साथ सौदा करने हेतु घूसखोरी और अनियमितता के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, हां। उर्वरक विभाग को प्रधान महानिदेशक (एमएण्डसी), प्रेस सूचना ब्यूरों के जरिए इस विभाग के एक पूर्व अधिकारी, कृषक भारती को-ऑपरेटिव लि. (कृभको) और नार्वे की उर्वरक कंपनी यारा इंटरनेशनल की उर्वरक घोटाले में संलिप्तता के संबंध में "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित समाचार-पत्र की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। 19.01.2014 के "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट में बताया गया है कि निदेशक, सीबीआई ने उल्लेख किया है कि सीबीआई को इंटरपोल के जरिए एक लेटर रोगेटरी (एलआर) प्राप्त हुआ है और वे इन कागजातों की जांच कर रहे हैं।

इसके अलावा, सतर्कता आयोग ने कृभको के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए नार्वे की एक कंपनी यारा द्वारा भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने के संबंध में 17.01.2014 के "द हिन्दु" और 16.01.2014 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपी खबरों की प्रतियां भेजी हैं। समाचार-पत्रों की रिपोर्ट में बताया गया है कि नार्वे के अपराध जांचकर्ताओं ने कहा है कि उर्वरक कंपनी यारा ने कृभको के साथ संयुक्त उद्यम हासिल करने में सहायता करने के लिए एक शीर्ष भारतीय नौकरशाह के पुत्र को अवैध रूप से 1 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।

(ग) से (ङ) उर्वरक विभाग ने नार्वे में भारतीय मिशन के जरिए नार्वे प्राधिकारियों से रिपोर्ट/जांच की एक प्रति प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ मामले को उठाया है। इस विभाग के कृभको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से भी इस मामले में तुरंत अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा है। इस मामले की विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्त होने और कृभकों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद आगे जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

कोल स्लरी की बिक्री

3899. डॉ. बलीराम : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दुग्धा और बोरोदा कोयला धोवनशाला से निकले कोल स्लरी की बिक्री की है एवं ऐसी कोल स्लरी की बिक्री से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों की भूमि, जिस पर कोल स्लरी पड़ी है, को कब तक इससे मुक्त कर पाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बरोरा कोयला वाशरी से कोल स्लरी की बिक्री हुई है तथा राजस्व की प्राप्ति हुई है। दुग्धा

कोयला धोवनशाला से निकले कोल स्लरी के संबंध में भूमि दस्तावेज की जांच प्रक्रियाधीन है।

(ख) बरोरा कोयला धोवनशाला से स्लर का विक्रय निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	पक्ष का नाम	तारीख	डीओ मात्रा (टन)	उठान मात्रा (टन)	बेसिक दर/टन (रुपए)	राशि (रुपए)
1.	मैसर्स श्री दुर्गा स्लरी एंड ब्रिक्यूटी इंडस्ट्रीज	22.09.12	1000	992.10	2800	2777880
2.	-वही-	01.01.13	1000	997.56	2800	2793168
3.	-वही-	30.03.13	1000	999.44	2800	2798432
4.	-वही-	24.04.13	1000	999.68	2800	2799104
5.	-वही-	13.05.13	200	199.98	2800	559944
6.	-वही-	18.06.13	550	549.38	2800	1539776
	कुल		4750	4738.74		13268304

(ग) माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोयला कंपनी तथा भू-स्वामी अथवा इसके पट्टाधारी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भू-स्वामी अथवा इसके पट्टाधारी द्वारा जैसे ही स्लरी का मूल्य भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को जमा करा दिया जाएगा, स्लरी उठाने हेतु आदेश जारी कर दिया जाएगा तथा भूमि को मुक्त करा दिया जाएगा।

निधियों का आवंटन

3900. श्री शिवकुमार उदासी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है, एवं इसके उपयोग की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में कोई कमियां/विसंगतियां संज्ञान में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं निर्धारित लक्ष्य तथा इसकी प्राप्ति का ब्यौरा क्या है एवं इसमें कमियों/विसंगतियों के क्या कारण हैं; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय को आवंटित निधियों की मात्रा 16,523.00 करोड़ रुपए थी, जिसमें से निधियों का 97.87% अर्थात् 16,171.48 करोड़ रुपए की धनराशि उपयोग की गई थी।

11वीं योजना अवधि के दौरान कुल आवंटन की 351.52 करोड़ रुपए की धनराशि अप्रयुक्त रही थी। मंत्रालय अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव अक्सर विलंब से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रस्तावों में से अनेक प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं तथा इनके साथ राज्य सरकारों द्वारा समुचित दस्तावेज/प्रमाणन नहीं लगा होता है। जिसके परिणामस्वरूप कुछ योजनाओं में निधियों का अल्प उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण भी बचत हुई है।

(घ) 12वीं योजनावधि के दौरान, मंत्रालय को 32,684.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

गांवों का विकास

3901. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ऐसे गांवों के समेकित विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत अधिक है तथा जिसके लिए सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता प्रदान करती है;

(ख) योजना की शुरुआत से स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का योजना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या बहुल वाले गांवों हेतु अ.जा./अ.ज.जा. जोन का सृजन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) (i) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की केन्द्रीय प्रायोजित प्रायोगिक योजना 1000 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों के समेकित विकास के लिए देश के 5 क्षेत्रों के निम्नलिखित 5 चुनिंदा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है:—

क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य	चुने गए गांवों की संख्या
1.	उत्तर	हिमाचल प्रदेश	225
2.	पूर्व	बिहार	225
3.	पश्चिम	राजस्थान	225
4.	दक्षिण	तमिलनाडु	225
5.	उत्तरी-पूर्व	असम	100

(ii) इस योजना का लक्ष्य चुनिंदा ग्रामों के समेकित विकास मूलतः (i) मौजूदा केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन और (ii) चुनिंदा ग्रामों की ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उक्त (i) के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती, के लिए औसत आधार पर 20 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से "अंतर-पूर्ति" केन्द्रीय सहायता (राज्यों से समान अंशदान प्रदान करने की संभावना के साथ) के माध्यम से करना है।

(ख) इस योजना के प्रारंभ से संस्वीकृत, निर्मुक्त और उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	उपयोग की गई राशि
1.	असम	2010.00	2009.00
2.	बिहार	4522.50	2270.00
3.	हिमाचल प्रदेश	4522.50	74.57
4.	राजस्थान	4522.50	3526.00
5.	तमिलनाडु	4522.50	4522.50

(ग) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धरोहर स्थलों का स्मृति पर्व मनाना

3902. श्री जोस के. मणि :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में विश्व विरासत शृंखला स्मारक मेडल कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनेस्को द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार सरकार द्वारा बिहार सहित देश में धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व में वैश्विक सांस्कृतिक विरासत स्थलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विश्व के आश्चर्यों में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) तथा उसके विश्व विरासत केन्द्र ने एमएमटीसी (भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम) के संयुक्त उद्यम भागीदार एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया

प्राइवेट लिमिटेड के साथ "यूनेस्को विश्व विरासत स्मारक पदक कार्यक्रम" तैयार किया है। यूनेस्को के महानिदेशक के भारत दौरे के दौरान भारतीय विश्व विरासत सूची के ताजमहल (आगरा-उत्तर प्रदेश), सांची स्थित बौद्ध स्मारक (मध्य प्रदेश), महान जीवित चोल मंदिर (तंजाऊर-तमिलनाडु) और हुमायूं का मकबरा (दिल्ली) के प्रथम चार पदक दिनांक 11 नवंबर, 2009 को कुतुब मीनार, नई दिल्ली में जारी किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्रीय संरक्षित विश्व विरासत स्थलों का उनकी अपेक्षाओं और उपलब्ध निधियों के अनुसार पूर्ण ध्यान रख रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यय (बिहार सहित) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) यद्यपि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को वैश्विक सांस्कृतिक विरासत स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु विश्व के आश्चर्यों में करने की कोई नीति नहीं है, पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के मामले का सक्रियतापूर्वक अनुशीलन करता है, तथापि ताजमहल (आगरा) के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा विश्व के नए 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यय और चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिए किया गया आबंटन/व्यय

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2010-11	व्यय 2011-12	व्यय 2012-13	आबंटन 2013-14
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	758.00	544.49	737.49	958.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1706.99	1208.00	1047.49	930.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	315.00	310.70	494.00	493.00
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	389.99	359.00	414.99	415.00
5.	कर्नाटक	बेंगलूरु मंडल	1245.95	1041.00	1131.00	1253.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	981.88	943.98	793.00	975.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	654.87	607.90	708.50	705.00
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	261.36	289.98	455.22	280.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	504.59	433.08	378.75	453.00
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	530.00	500.03	845.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	687.04	529.99	685.92	795.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	89.80	62.81	105.00	165.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1849.84	927.39	1100.98	1300.00

1	2	3	4	5	6	7
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	110.00	107.99	150.00
15.	सिक्किम के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी राज्य	गुवाहाटी मंडल	144.64	213.32	207.25	262.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	350.00	445.49	435.00	525.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	664.86	640.00	890.00	1065.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	364.99	383.96	275.04	263.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	283.29	270.00	243.80	260.00
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल लेह	52.15	85.00	67.00	119.00
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	337.01	301.50	406.00	440.00
22.	गुजरात, दमन और दीव	वडोदरा मंडल	509.93	574.97	459.99	655.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	147.18	139.99	107.49	211.00
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	341.00	303.58	405.00	454.00
25.	झारखंड	रांची मंडल	64.98	62.58	53.57	69.00
		रासायनिक संरक्षण (अखिल भारतीय)	507.46	556.39	527.67	616.75
		उद्यान गतिविधि (अखिल भारतीय)	1796.70	1514.78	2122.85	2455.00

भारत-इराक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता

3903. श्री प्रदीप माझी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक ने हाल में सुरक्षा से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा के दौरान किसी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। इराक के माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त, 2013 में भारत का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद, दिसम्बर, 2013 में इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान, इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

3904. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) के लक्ष्य तथा व्यापक दिशानिर्देशी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) क्या एनसीएफ उन उद्देश्यों हेतु धन उगाहने में सक्षम है, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) में स्टाफ की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एएसआई में धन जुटाने तथा खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) का लक्ष्य भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित, संरक्षित और विकसित करने के लिए संसाधनों को जुटा कर कला, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को स्थापित तथा सम्पोषित करना है।

(ख) और (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान, एनसीएफ 7.51 करोड़ रुपए की सीमा तक निधियों को जुटाने में सक्षम रहा है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। विशेषीकृत पदों को भरने के लिए विशेषज्ञ मानव-शक्ति की अनुपलब्धता सहित ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास विभिन्न स्तरों पर मानव-शक्ति अपर्याप्त है।

तदनुसार, सरकार ने एसएसआई में रिक्त पदों को भरने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना, विभिन्न स्तरों पर भर्ती नियमावली का संशोधन तथा विभिन्न पदों की बहाली आदि शामिल हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों में की गई साझेदारी और जुटाए गए धन

क्र. सं.	परियोजना	वर्ष	प्रायोजक/निधियन एजेंसी	अंशदान की राशि
1	2	3	4	5
1.	विरासत महोत्सव, रीच फाउंडेशन, देहरादून, उत्तराखंड	2011	एनसीएफ और ओएनजीसी	10 लाख रुपए एनसीएफ 40 लाख रुपए ओएनजीसी
2.	विरासत महोत्सव 2012 (रीच फाउंडेशन) देहरादून, उत्तराखंड	2012	ओएनजीसी और एनसीएफ	10 लाख रुपए एनसीएफ 40 लाख रुपए ओएनजीसी
3.	शोर टेम्पल, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आगंतुक सुविधाओं का निर्माण	19.4.2011-2013	भारतीय जहाजरानी निगम	38.67 लाख रुपए
4.	यूसुफ कत्तल का मकबरा, नई दिल्ली	28.3.2008-2013	मैसर्स पीईसी लिमिटेड	25 लाख रुपए
5.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रारंभिक वर्षः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 150 वर्ष मानने के लिए प्रकाशन	2011	एएसआई/एनसीएफ	2.50 लाख रुपए
6.	उस्ताद मंसूर द्वारा "प्रकृति का चमत्कार" प्राकृतिक विरासत चित्र पर मार्ग प्रकाशन का प्रायोजन	2012	एनसीएफ	10 लाख रुपए

1	2	3	4	5
7.	नाटनकैराली	2013 दिसम्बर	एनसीएफ	10 लाख रुपए
8.	कोच्चि मुजिरिम बाइनेल 2012 सूची	जनवरी, 2014	निरलॉन फाउंडेशन ट्रस्ट	18,58,606 रुपए
9.	आगा खान फाउंडेशन द्वारा सुंदर वाला महल, नई दिल्ली का संरक्षण	18.10.2013	हुडको	38.51 लाख रुपए
10.	श्री भुलेश्वर मंदिर की बहाली - एएसआई	26.03.2013	श्रीमती उत्तरादेवी चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन	39.90 लाख रुपए
11.	गुजरात में शिल्प और धारणीय कौशल विकास - सेवा संघ	14.02.2013	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	1 करोड़ 58 लाख रुपए
12.	पूर्व ब्रिटिश रेजीडेंसी हैदराबाद का संरक्षण और पुन: उपयोग	28.10.2013	राज्य पुरातत्व विभाग, हैदराबाद विश्व स्मारक कोष	1 करोड़ रुपए राज्य – पुरातत्व विभाग हैदराबाद, 10 लाख रुपए विश्व स्मारक कोष
13.	एएसआई स्थल संग्रहालय का उन्नयन – स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, नई दिल्ली	समझौता-ज्ञापन पर फरवरी 2014 में हस्ताक्षर किए जाने हैं।	भेल	2 करोड़ रुपए

नि:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

3905. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतर/तकनीकी शिक्षा पाने वाले नि:शक्त विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी छात्रवृत्ति प्रदान करने के मापदंड क्या हैं;

(ख) क्या न्यास कोष के अंतर्गत छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी छात्रवृत्ति से अब तक लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या हाल में ऐसे विद्यार्थियों को लैपटॉप भी प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसी छात्रवृत्ति पर कितना व्यय होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) में एम फिल तथा पीएचडी जैसी उपाधियों के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। यह योजना यूजीसी अध्येतावृत्ति योजना के प्रतिमान के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ऐसा कोई विकलांग छात्र जिसे किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था में एम फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) दो योजनाओं नामत: छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) और छात्रवृत्ति योजना

(राष्ट्रीय निधि) का उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा वाले 40% अथवा इससे अधिक विकलांगताग्रस्त विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2013-14 से (न्यास निधि) छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रतिवर्ष कर दी गई है। छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) से 2011-12 से आज तक 3018 विद्याथी लाभान्वित हुए हैं।

(घ) वर्ष 2011-12 से इस छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) में भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए लेपटाप, ब्रेलर टाइपराइटर तथा मोबाइल फोन इत्यादि जैसे सहायक यंत्रों की लागत के लिए 63,90,016 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

(ङ) शैक्षिक वर्ष 2013-14 के दौरान 1500 छात्रवृत्ति (न्यास निधि) के संवितरण के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने की संभावना है।

पेरोल देने संबंधी दिशा-निर्देश

3906. श्री रुद्रमाधव राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र विरोधी कार्यों सहित घृणित अपराध में दोषी पाए गए कैदियों को पेरोल देने हेतु निर्धारित विद्यमान नियमों तथा दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि अपराधियों की हैसियत से पेरोल देने संबंधी निर्णय प्राय: प्रभावित होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मुम्बई विस्फोट मामले में दोषी पाए गए अपराधियों का खास ध्यान रखे जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि के 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। अत:, कारागारों के प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। कैदियों को उनकी पात्रता, सजा काटने की अवधि और समीक्षा की अवधि के दौरान आचरण के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विनिर्दिष्ट आधारों पर पैरोल की अनुमति प्रदान करने हेतु अपने अलग-अलग दिशा-निर्देश हैं। पैरोल की अनुमति संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके मौजूदा अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर प्रदान की जाती है और यह निर्णय दोषसिद्ध व्यक्तियों की हैसियत के आधार पर नहीं लिया जाता है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मुम्बई बम धमाकों के मामले में किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति का खास ध्यान नहीं रखा गया है।

उर्वरकों की आपूर्ति

3907. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री अजय कुमार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार को कुछ राज्यों के संसद सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों से उनके राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति न किए जाने/कम आपूर्ति किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में निर्धन/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों को उर्वरक की नि:शुल्क आपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) देश के कुछ भागों में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान माननीय सांसदों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे और उनके अनुरोध के अनुसार-उर्वरक उपलब्ध कराए गए थे। जैसा कि उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री संबंधी संलग्न विवरण से देखा जा सकता है, सभी राज्यों में उपलब्धता पर्याप्त रही है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ नहीं है।

विवरण

वर्ष 2013-14 (जनवरी, 2014 तक) के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी, और एनपीके की संचयी आवश्यकता, योजना, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े लाख मी.टन में

राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एमपीके			
	आवश्यकता	मासिक योजना	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	मासिक योजना	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	मासिक योजना	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	मासिक योजना	उपलब्धता	बिक्री
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	28.25	37.61	29.33	28.77	10.00	11.24	5.67	5.17	4.20	5.43	2.76	2.52	20.00	24.43	17.79	16.60
अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	2.77	3.65	2.12	2.08	0.48	0.65	0.25	0.22	1.03	1.93	0.73	0.56	0.21	0.27	0.06	0.03
बिहार	19.10	22.98	16.39	16.17	5.05	6.33	3.47	3.03	1.44	2.66	1.34	1.17	3.55	3.00	1.64	1.39
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	6.48	8.35	5.17	4.99	2.92	5.60	2.19	1.65	0.98	1.95	0.64	0.41	1.79	1.78	0.70	0.66
दादरा और नगर हवेली	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.07	0.11	0.07	0.07	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.04	0.09	0.04	0.04	0.03	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.01	0.01	0.06	0.08	0.02	0.02
गुजरात	20.55	22.45	17.82	17.76	5.05	6.33	3.35	3.10	1.19	1.98	0.93	0.90	4.20	4.62	3.68	3.50
हरियाणा	18.05	21.60	16.59	16.56	3.50	5.61	3.14	3.05	0.33	0.90	0.24	0.20	0.52	0.24	0.07	0.07
हिमाचल प्रदेश	0.58	0.81	0.58	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29	0.06	0.06	0.28	0.39	0.18	0.18
जम्मू और कश्मीर	1.11	1.91	0.80	0.78	0.57	1.42	0.53	0.44	0.13	0.56	0.12	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

झारखंड	2.47	3.16	1.60	1.53	0.85	0.88	0.23	0.19	0.20	0.19	0.03	0.01	0.70	0.43	0.15	0.13
कर्नाटक	13.45	18.87	13.40	12.81	6.39	8.69	4.39	3.93	4.18	5.14	2.31	2.10	12.30	17.07	10.35	9.06
केरल	1.85	2.27	1.31	1.28	0.27	0.80	0.27	0.22	1.78	1.81	0.82	0.78	2.27	2.55	1.40	1.22
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	18.88	22.12	21.63	21.45	11.40	16.79	7.70	6.50	0.99	2.89	0.52	0.39	4.16	3.70	1.96	1.68
महाराष्ट्र	23.47	27.01	23.02	22.62	12.72	12.93	5.18	4.71	4.37	7.21	2.90	2.49	15.58	20.78	13.28	12.27
मणिपुर	0.37	0.40	0.18	0.18	0.09	0.07	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.09	0.11	0.03	0.03	0.07	0.05	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	0.08	0.10	0.06	0.06	0.04	0.04	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	5.76	7.56	5.06	4.73	2.15	2.67	1.31	1.18	1.35	1.71	0.82	0.72	3.32	3.59	1.51	1.41
पुदुचेरी	0.21	0.30	0.20	0.20	0.04	0.14	0.01	0.01	0.04	0.15	0.02	0.02	0.16	0.37	0.09	0.08
पंजाब	25.00	29.61	23.08	23.00	8.95	9.41	4.75	4.30	0.66	1.17	0.42	0.32	1.15	0.38	0.17	0.16
राजस्थान	16.55	19.51	16.69	16.25	5.15	7.69	4.79	4.51	0.21	0.53	0.04	0.01	1.08	0.54	0.25	0.24
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	9.43	12.55	8.23	8.09	3.70	4.65	2.12	1.96	3.45	4.28	2.18	2.14	6.16	8.45	4.46	4.07
त्रिपुरा	0.46	0.56	0.19	0.19	0.06	0.09	0.01	0.01	0.10	0.13	0.03	0.03	0.00	0.04	0.01	0.01
उत्तर प्रदेश	57.00	68.16	52.35	51.79	18.15	22.95	14.74	11.96	1.80	2.64	1.02	0.87	10.50	8.11	3.65	3.11
उत्तराखंड	2.25	3.16	2.41	2.39	0.32	0.61	0.22	0.20	0.05	0.22	0.01	0.01	0.51	0.50	0.32	0.26
पश्चिम बंगाल	10.93	14.41	9.83	9.48	4.71	5.08	2.08	1.82	2.52	4.87	1.95	1.65	8.22	10.87	6.54	5.91
योग	285.28	349.53	268.19	263.39	102.73	130.87	66.46	58.20	31.20	48.74	19.90	17.47	96.73	112.28	68.28	62.05

सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने हेतु वेबसाइट

3908. श्री वरुण गांधी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश तथा विदेश में हुए भारतीय सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक डेडीकेटेड वेबसाइट बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के लिए एक डेडीकेटेड वेबसाइट *www.indiaculture.nic.in* तैयार की है। यह वेबसाइट संस्कृति दर्पण के रूप में, मासिक आधार पर, राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, 3 अकादमियों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, गांधी स्मृति दर्शन समिति सहित संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्थानों के आंतरिक कार्यक्रमों तथा भारत उत्सवों सहित संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विवरण उपलब्ध करवाती है। यह वेबसाइट देश और विदेश के कला प्रेमियों के लिए सूचना प्राप्त करने का एक उपयोगी स्रोत है।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन संबंधी सर्वेक्षण

3909. श्री यशवंत लागुरी :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में मृदा अपरदन की सीमा और प्रकृति तथा भू-अपरदन का पता लगाने के लिए समय-समय पर कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण/अध्ययन कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में मृदा अपरदन से प्रभावित हुए कृषि क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इस तरह की भूमि के पुनरुद्धार और विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर के माध्यम से परिषद् ने देश भर में भूमि अवक्रमण एवं मृदा क्षरण की सीमा और प्राकृति के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृदा सर्वेक्षण किया है। 1994 और 2004 के दौरान भूमि अवक्रमण की सीमा क्रमशः 187.7 और 146.8 मिलियन हैक्टेयर रिपोर्ट की गयी थी, और हाल ही में (2010) यह 120 मिलियन हैक्टेयर से अधिक रिपोर्ट की गयी है जो सुसंगत डेटाबेस पर आधारित है जिसमें जल क्षरण के तहत 82.6 मिलियन हैक्टेयर, वायु क्षरण के 12.0 मिलियन हैक्टेयर, रासायनिक क्षरण के तहत 24.7 मिलियन हैक्टेयर और भौतिक क्षरण के तहत 1.0 मिलियन हैक्टेयर शामिल है।

(ग) मृदा क्षरण द्वारा प्रभावित क्षेत्र का सर्वे प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मृदा क्षरण द्वारा प्रभावित जोत क्षेत्र 92.39 मिलियन हैक्टेयर है, जो खुले जंगलों के तहत क्षरित क्षेत्र को छोड़कर है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार देशभर में विभिन्न वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिनके नाम हैं:— नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया (एनडब्ल्यूडीपीआरए), रिवर वैली प्रोजेक्ट और फ्लड प्रोन रिवर (आरवीपी एण्ड एफपीआर) के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, और रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्कली एंड एसिड सोइल्स (आरएडीएएस)। इसी उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भी एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) क्रियान्वित कर रहा है। आरंभ से 2011-12 तक कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के तहत लगभग 57.61 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। इसके अलावा देशभर में जिप्सम प्रौद्योगिकी के उपयोग से 1.5 मिलियन हैक्टेयर सोडिक भूमि का सुधार किया गया है तथा उप-सतही ड्रेनेज (जल निकास) तकनीक के उपयोग से 0.5 मिलियन हैक्टेयर लवणीय भूमि का सुधार किया गया है।

विवरण

भारत में मृदा क्षरण से प्रभावित राज्य-वार कृष्य क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	टीजीए (वर्ग कि.मी.)	खराब हो चुकी और बेकार भूमि वर्ग (000' हैक्टेयर)							
			1	2	3	4	5	6	7	क्षेत्र (000' है.)
1.	आंध्र प्रदेश	275045	8050	0	0	4	0	39	0	8093
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	83743	165	501	0	0	0	0	0	666
4.	असम	78438	1929	1319	0	0	0	0	0	3248
5.	बिहार	94163	820	22	0	1	0	8	0	851
6.	छत्तीसगढ़	134805	2347	1383	0	0	0	3	0	3733
7.	दिल्ली	1483	28	0	0	0	0	0	0	28
8.	गोवा	3702	1	0	0	0	0	0	0	1
9.	गुजरात	196024	979	0	1	4	0	0	0	984
10.	हरियाणा	44212	303	0	0	2	0	1	0	306
11.	हिमाचल प्रदेश	55673	941	41	0	0	0	0	0	982
12.	जम्मू और कश्मीर	222236	1327	42	0	0	0	0	0	1369
13.	झारखंड	79714	2825	394	0	0	0	0	0	3219
14.	कर्नाटक	191791	7450	24	0	0	0	48	0	7522
15.	केरल	38863	112	378	0	0	0	0	0	490
16.	मध्य प्रदेश	308641	11881	332	0	0	0	49	0	12262
17.	महाराष्ट्र	307713	8400	228	0	7	0	164	0	8799
18.	मणिपुर	22327	36	86	0	0	0	0	0	122
19.	मेघालय	22429	127	175	0	0	0	0	0	302
20.	मिज़ोरम	21081	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	16579	1	45	0	0	0	0	0	46

			1	2	3	4	5	6	7	क्षेत्र (000' है.)
22.	ओडिशा	155707	2176	51	0	0	0	0	0	2227
23.	पंजाब	50362	228	0	0	0	0	1	0	229
24.	राजस्थान	342239	7436	0	11419	8	110	26	30	19029
25.	सिक्किम	7096	2	43	0	0	0	0	0	45
26.	तमिलनाडु	130058	2063	216	0	1	0	28	0	2308
27.	त्रिपुरा	10486	26	83	0	0	0	0	0	109
28.	उत्तर प्रदेश	238566	12370	0	0	13	0	692	0	13075
29.	उत्तराखंड	55845	829	189	0	0	0	0	0	1018
30.	पश्चिम बंगाल	88752	1167	165	0	0	0	0	0	1332
	अन्य*	1248								0
	कुल	3287270	74020	5720	11420	40	110	1060	30	92400

अन्य* = चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी।

टिप्पणी: बर्फ से ढकी/आइस केप्स और बंजर चट्टानी/पत्थर श्रेणियों को भारत की खराब भूमि और बेकार भूमि के आकलन में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: भारत की खराब और बेकार भूमि-स्टेटस एंड स्पेटिअल डिस्ट्रीब्यूशन, एनएएएस, नई दिल्ली, प्रकाशन जून, 2010।

क्र.सं.	वर्ग
1.	पूरी तरह से जल अवक्षय (>10 टी/हैक्टेयर/यार्ड)
2.	जल अवक्षय के तहत अम्लीय भूमि
3.	पूरी तरह से वायु अवक्षय
4.	बिगड़ी हुई लवणीय भूमि
5.	वायु अवक्षय के तहत लवणीय भूमि
6.	बिगड़ी हुई सोडिक मृदा
7.	वायु अवक्षय के तहत क्षारीय भूमि

[अनुवाद]

जातीय समूहों को परेशान करना

3910. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम राज्य में विदेशियों की पहचान प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा कुछ जातीय समूहों को परेशान करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लोगों को मतदाता सूची में जबरदस्ती 'डी' (संदिग्ध) बताया गया है और विदेशियों की पहचान और विवासन की प्रक्रिया के रूप में उन्हें अमानवीय तरीके से डिटेंशन कैंपों में भेजा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के विशिष्ट उपायों द्वारा 'डी' मतदाताओं के मुद्दे को स्थायी रूप से हल करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए असम में छत्तीस विदेशी विषयक अधिकरण स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है कि असम राज्य में विदेशियों की पहचान प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा कुछ

जातीय समूहों का शोषण किया गया है। असम राज्य में पुलिस द्वारा विदेशियों की पहचान प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

(ख) से (ङ) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1997 में मतदान सूचियों के गहन संशोधन के दौरान निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष कतिपय आपत्तियों एवं संदेह के मामले उठाए गए थे। 17,99,857 व्यक्तियों, जिनके नाम मतदान सूचियों के प्रारूप में पहले से ही थे, के संबंध में पंजीयन अधिकारियों द्वारा इन सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया था। सत्यापन के पश्चात् 13,41,994 व्यक्तियों के भारत के नागरिक होने के दावे को स्वीकार किया गया था और उनके मामले में आगे की कार्रवाई रोक दी गई थी। मृत्यु हो जाने अथवा अन्यत्र चले जाने के कारणों से संबंधित विधिवत् प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् मतदाता पंरीयन अधिकारियों की स्वत: अपनी शक्तियों के अधीन निर्वाचक पंजीयन निगम, 1960 के नियम 21क के अधीन 1,84,619 व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए थे। उन व्यक्तियों के नामों को, जिनकी नागरिकता संदिग्ध पाई गई थी, संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों द्वारा अधिकरण को आगे के संदर्भ के लिए सक्षम प्राधिकारी (पुलिस) को संदर्भित कर दिया गया था। ऐसे व्यक्तियों/निर्वाचकों के मामलों में, जिनकी नागरिकता अधिकरण द्वारा भारतीय नहीं पाई जाती है, ऐसे व्यक्तियों/निर्वाचकों के नामों को मतदाता सूचियों से हटा दिया जाता है। विदेशी विषयक अधिकरणों में लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2012 में विदेशी विषय (अधिकरण) आदेश 1964 को संशोधित किया गया है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि सक्षम प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अधिकरणों द्वारा मामलों को निपटा लिया जाना चाहिए। 'डी' मतदाताओं के मुद्दे का समाधान एक विशिष्ट न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और इन मामलों का निपटान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, न्यायिक प्रक्रिया होने कारण इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भ्रामक विज्ञापन

3911. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दिखाए जाने वाले उत्पादों के बारे में झूठे तथा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों संबंधी भ्रामक/छद्मी विज्ञापनों के बारे में कोई रिपोर्ट/शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामलों का पता चला/चिन्हित किए गए हैं तथा कितनी कंपनियों को दोषी ठहराया गया है एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसमें संलिप्त लोगों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए इस समय लागू विभिन्न नियमों तथा विनियमों को शामिल करते हुए एक व्यापक विधान लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समय इस संबंध में क्या विनियम/विधान मौजूद हैं;

(घ) विज्ञापनों की विषय-वस्तु और गुणवत्ता को विनियमित करने में विभिन्न एजेंसियों की क्या भूमिका है और इनके बीच समन्वय लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। सरकार को इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दिखाए जाने वाले उत्पादों के बारे में झूठे और बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतें सामान्यत: उत्पादों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों को सम्बोधित है। उपभोक्ता मामले विभाग में प्राप्त हुई शिकायतों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ने भ्रामक विज्ञापनों और उनसे होने वाली अनुचित व्यापार त्यौहारों की निगरानी करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। तथापि, वर्तमान में पीड़ित उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता मंचों में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उपाय, केबल टेलीविजन नेटवर्कस् (विनियमन) अधिनियम, 1955 प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978, अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 और औषधिक और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1955 आदि में भी दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित समिति विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करेगी।

(ङ) देश में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) "उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम के तहत जिला उपभोक्ता मंच और राज्य आयोग के आधार-ढांचे (भवन और गैर-भवन दोनों) के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

(ii) राज्य उपभोक्ता हैल्प लाइन: उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनके मामलों में मार्गदर्शन देने में सहायता करने के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्प लाइन स्थापित की गई है।

(iii) "जागो ग्राहक जागो": उपभोक्ता मामले विभाग का प्रचार प्रभाग देश में उपभोक्ता जागरुकता पैदा करने के लिए "जागो ग्राहक जागो" नामक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(iv) भारतीय मानक ब्यूरो जैसे संगठन वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।

(v) राष्ट्रीय परीक्षण शाला जैसे संगठन विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(vi) विभाग उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।

विभिन्न अध्ययनों के अनुसार उपभोक्ता जागरुकता का प्रसार करने में सरकार के प्रयास देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाने में पर्याप्त सफल हुए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभाव और प्रभावकारिता पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 2012 आयोजित मूल्यांकन की रिपोर्ट से पता चलता है कि 70.6 प्रतिशत उपभोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बारे में जानकारी है। 70.5 प्रतिशत को आईएसआई चिन्ह के बारे में, 41.3 प्रतिशत को एगमार्क के बारे में तथा 47.2 प्रतिशत उपभोक्ताओं को हॉलमार्क के बारे में जानकारी है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी रखने वाले प्रत्यर्थियों में से 28.9 प्रतिशत को इसकी जानकारी पिछले 3 वर्षों में, 26.7 प्रतिशत को पिछले 6 वर्षों में मिली, 14.1 प्रतिशत पिछले 9 वर्षों से, 13.1 प्रतिशत पिछले 15 वर्षों से और 4.1 प्रतिशत पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से अधिनियम के बारे में जानते हैं।

विवरण

उपभोक्ता मामले विभाग में प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम और पत्र	ब्रांड/सेवा प्रदाता जिसके खिलाफ शिकायत की गई है	शिकायतों के ब्यौरे
1	2	3	4
1.	श्री प्रशांत जोशी, सम्पर्क: एस.बी.एच., गोलेटी रेबीना मंडल आदिलाबाद जिला मोबाइल नं. 9642446572	100 बेस्टबाय	699/- रुपए के ऑनलाइन भुगतान पर नोकिया लूमिया 1020 की सुपुदर्गी। भुगतान किया गया। 100% राशि की वापसी के पहले दिए गए वचन के बावजूद भी राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया गया। यह पूर्णतया भ्रामक और ग्राहक के साथ धोखाधड़ी है।
2.	श्री कपिलदेव खंडेवाल, छिंदवाड़ा (पुणे), मोबाइल नं. 8732929013	100 बेस्टबाय	कंपनी से किसी व्यक्ति का फोन आया और कहा कि हमने कूपन जीता है और उपहार स्वरूप हमें लेनेवो मोबाइल सेट मिलेगा। इसके अलावा हमें और खरीददारी करने के लिए उनकी साइट पर 110099/- रुपए की राशि क्रेडिट के रूप में अंतरित करनी होगी। अगले ही दिन संदेश मिला कि उस प्रतियोगिता में हमने कुछ नहीं जीता। राशि अभी तक वापिस नहीं की गई है।
3.	श्री पंकज, उदयपुर, मोबाइल नं. 9414162827	रिलायंस लाइन इंश्योरेंस	3 अक्तूबर, 2013 को प्रात: 11.30 बजे मेरे मोबाइल पर 09278703088 नम्बर से एक फोन कॉल आई कि हम आईआरडीए के प्रधान कार्यालय से बोल रहे हैं और आपकी पॉलिसी पर 1,38,000/- रुपए का मुनाफा

1	2	3	4
			हुआ है और यह आज लैप्स होने वाला है, यदि आप इस राशि को लैप्स नहीं करना चाहते तो कृपया अपनी फोटो, पेन नं. पते का प्रमाण, कैन्सिल किया हुआ चैक और सिक्योरिटी जमा के रूप में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के पक्ष में देय 35000/- रुपए का चैक भिजवा दें। जब 35000/- रुपए के चैक के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि यह सिक्योरिटी के लिए है और आपकी पॉलिसी के 1,38,000/- रुपए के मुनाफे के साथ ही 32500/- रुपए की राशि आपको 22 नवम्बर, 2013 को वापिस मिल जाएगी। **मैं इस धोखाधड़ी को समझ गया।** 15-20 दिनों के बाद मिस्टर रोहित ने 9871782137 नंबर से फोन कर मुझे कहा कि आपने कुछ नहीं बताया। 10-15 मिनट के बाद मेरे पास 0294-510607 नंबर से रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, शाखा कार्यालय, उदयपुर से मिस्टर समीर का फोन आया कि आप नई पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि रिलायंस लाइफ उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करके अपनी पॉलिसियां बेच रही है।
4.	मि. कुवर सिंह चंडीगढ़ मोबाइल नं. 9876505283	वन स्टॉप शॉप रिटेल प्रा.लि.	26 जनवरी, 2014 को मैंने शापर्स स्टॉप चंडीगढ़ से एक जीन्स खरीदी। जीन्स LEE की थी और इसका अधिकतम खुदरा मूल्य 2300/- रुपए था और इस पर 50% डिस्काउन्ट दिया जा रहा था, किन्तु जब मैं बिल के लिए काउंटर पर गया तो उन्होंने 40% डिस्काउंट का बिल बनाया। वे उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। रिफंड आज तक प्राप्त नहीं हुआ।
5.	श्री राजीव कुमार, रघुवीर नगर, नई दिल्ली मोबाइल नं. 8285215748	सेनोजोयिक रेमिडीज़ प्रा.लि. कानपुर	**B-Gap गर्भनिरोधक गोली** के बारे में भ्रामक प्रचार। मेरी पत्नी ने तथाकथित गोली खरीदी और इसका सेवन किया। फिर भी वह गर्भवती हो गई और बीमार पड़ गई।

गहरे समुद्र में मत्स्यन

3912. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उचित तकनीक और गहरे समुद्र में मत्स्यन के पर्याप्त जहाजों के अभाव में मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए खरीदे गए जहाजों का गत कई वर्षों से प्रयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों के कारण देश में गहरे समुद्र में मत्स्यन रुक गया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) भारतीय मछुआरे संसाधन विशिष्ट गहरा समुद्र मत्स्यन जलयानों (डीएसएफवीएस) की कमी के कारण गहरा समुद्र मात्स्यिकी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं जो गहरा समुद्र मत्स्यन प्रचालन

करने के लिए अपेक्षित होते हैं। ऐसे मत्स्यन प्रचालनों के लिए अपेक्षित विशेषीकृत दक्षता में भी देश में कमी है। 'भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन प्रचालनों के लिए मार्ग निर्देशों' में (i) डीएसएफवीएस के आयात की अनुमति देकर, और (ii) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा इस मुद्दे का समाधान किया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार भारतीय उद्यमियों को अनुमति-पत्र (एलओपी) जारी करती है जिसमें उन्हें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है। अब तक 20 कम्पनियों को जारी किए गए 66 वैद्य अनुमति-पत्र हैं। 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार, 4 कम्पनियों के 14 डीएसएफवीएस कार्य कर रहे हैं। डीएसएफवीएस की यात्रा पर विदेशी कर्मीदल लगाने पर लागू प्रतिबंधों और सुरक्षा स्वीकृति प्रदान करने की एक शर्त के रूप में न्यूनतम 25000 डॉलर प्रतिवर्ष वेतन की अपेक्षा के कारण 2011 से अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन शर्तों में 30.04.2014 तक ढील दी गई है। गहरा समुद्र मत्स्यन नीति और मार्ग-निर्देशों की व्यापक समीक्षा करने के लिए 1.8.2013 को एक विशेष समिति गठित की गई है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3913. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत विभिन्न-राज्यों को आवंटित और जारी की गई धनराशि तथा उसके उपयोग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावहारिक और वित्तीय उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) क्या सीमावर्ती राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) उन 17 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसकी पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा लगती हैं। जबकि, भारत सरकार दिशा-निर्देश बनाती है, तथापि, बीएडीपी का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत के योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष बीएडीपी के तहत वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बीएडीपी के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार, राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं। राज्य सरकारें इस स्कीम के तहत योजनाओं को अंतिम रूप देती हैं और अनुमोदित करती हैं। बीएडीपी के तहत राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए गए विकास क्रियाकलाप विभिन्न क्षेत्रों नामत: (i) सड़क (ii) शिक्षा (iii) सामाजिक अवसंरचना (iv) कृषि और सहायक क्षेत्र (v) स्वास्थ्य (vi) विद्युत (vii) सुरक्षा आदि में है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा बीएडीपी के अंतर्गत निधियों के उपयोग का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीएडीपी के तहत विभिन्न राज्यों को आबंटित और जारी तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) बीएडीपी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग/समीक्षा करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। बीएडीपी दिशा-निर्देशों में कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धियों को मॉनीटर करने और समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए जाने वाले निम्नलिखित उपायों के प्रावधान किए गए हैं:—

(i) राज्य सरकार के उच्च स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा बीएडीपी स्कीमों/परियोजनाओं का निरीक्षण, जिन्हें कार्यान्वयनाधीन ब्लॉक का नियमित रूप से दौरा करना चाहिए।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा बीएडीपी के तहत किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर स्वतंत्र फीडबैक के लिए तीसरा पक्ष जांच जऐंसियों (टीपीआईए) की नियुक्ति।

(iii) राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त 'सामाजिक' लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करना।

(iv) प्रत्येक तिमाही में गृह मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) (वास्तविक और वित्तीय) प्रस्तुत किया जाना।

(v) परियोजना स्थलों पर यह दर्शाने के लिए एक डिसप्ले बोर्ड रखा जाए कि यह कार्य भारत सरकार के बीएडीपी के तहत पूरा किया जा रहा है/पूरा किया गया है।

(vi) वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक माह के अंदर सामान्य वित्तीय नियमों के निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर-19ए) में वर्ष-वार समेकित उपयोग प्रमाण-पत्र भेजे जाने चाहिए।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमावर्ती राज्यों को आबंटित निधियां बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों का क्षेत्र-वार उपयोग

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	सड़क क्षेत्र	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	विशेष क्षेत्र योजना	औद्योगिक परियोजना	विविध	कुल
अरुणाचल प्रदेश	2545.70	1250.78	862.98	1101.55	267.33	—	181.35	—	—	480.81	6690.50
असम	3314.52	377.03	490.32	122.50	60.00	28.06	241.00	—	—	166.57	4800.00
बिहार	2464.73	167.60	177.55	50.00	9.50	—	206.95	—	—	119.95	3196.28
गुजरात	927.83	341.92	282.57	690.08	47.00	117.60	253.00	—	—	180.00	2840.00
हिमाचल प्रदेश	400.00	300.00	90.00	146.00	65.00	118.00	161.00	—	—	—	1280.00
जम्मू और कश्मीर	3728.37	436.00	2484.65	483.61	558.98	403.37	447.00	500.00	600.00	1058.02	10700.00
मणिपुर	1049.00	136.00	236.00	206.00	28.00	60.00	120.00	—	—	8.00	1843.00
मेघालय	1349.00	234.74	408.00	106.84	4.82	—	80.00	—	—	18.60	2202.00
मिज़ोरम	1455.91	449.00	500.50	184.00	121.00	21.00	145.00	—	—	53.59	2930.00
नागालैंड	1176.00	253.00	472.00	51.00	30.00	—	—	500.00	—	18.00	2500.00
पंजाब	1468.16	104.55	344.85	41.95	15.50	—	217.09	—	—	32.90	2225.00
राजस्थान	2144.30	829.20	2975.37	764.00	370.90	744.18	868.05	—	—	—	8696.00
सिक्किम	687.08	145.00	640.54	273.37	6.00	84.00	110.57	—	—	53.44	2000.00
त्रिपुरा	1450.34	618.55	520.25	318.19	152.70	—	312.62	—	—	206.35	3579.00
उत्तर प्रदेश	2328.04	—	451.20	163.00	25.57	185.34	172.42	—	—	40.00	3365.57
उत्तराखंड	1173.92	225.63	494 39	281.41	91.90	—	161.47	—	—	31.78	2461.00
पश्चिम बंगाल	5839.56	544.45	541.55	371.95	75.00	5.14	400.00	—	—	14.00	7791.65
कुल	33502.46	6413.45	11973.22	5355.45	1929.20	1766.69	4077.52	1000.00	600.00	2482.01	69100.00

वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों का क्षेत्र-वार उपयोग

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	सड़क क्षेत्र/ पुल/पुलिया	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	विशेष क्षेत्र योजना	औद्योगिक परियोजना	विविध	कुल
अरुणाचल प्रदेश	7928.55	2668.64	1044.54	1965.18	678.91	—	586.78	—	—	560.40	15433.00
असम	1208.00	173.00	155.00	112.00	—	—	205.00	—	—	127.01	1980.01
बिहार	3155.00	440.86	840.85	86.00	139.56	—	555.46	—	—	359.27	5577.00
गुजरात	1018.00	315.80	542.00	918.40	123.00	—	414.77	—	—	284.85	3616.82
हिमाचल प्रदेश	445.03	204.00	360.00	145.50	405.47	168.50	80.00	—	—	191.50	2000.00
जम्मू और कश्मीर	4159.75	414.29	487.81	1140.46	745.58	457.25	569.00	1600.00	399.00	2489.26	12462.40
मणिपुर	842.90	173.50	395.80	357.80	127.87	—	82.13	—	—	20.00	2000.00
मेघालय	2184.31	373.97	324.90	64.43	20.00	—	80.00	—	—	92.39	3140.00
मिज़ोरम	1721.35	716.50	544.38	366.50	165.00	16.00	270.00	—	—	40.00	3839.73
नागालैंड	954.00	167.00	272.00	149.00	46.00	—	—	—	—	427.00	2015.00
पंजाब	2300.45	183.14	401.67	29.88	21.75	—	305.79	—	—	49.32	3292.00
राजस्थान	2197.29	1271.40	573.70	1062.43	923.25	1121.75	1124.09	—	—	3235.09	11509.00
सिक्किम	1400.97	125.00	127.00	77.52	—	32.51	10.00	—	—	312.00	2085.00
त्रिपुरा	6753.88	1084.66	316.00	368.90	726.15	—	345.41	—	—	40.00	9635.00
उत्तर प्रदेश	3699.69	72.24	556.22	105.29	230.55	—	150.46	—	—	61.55	4876.00
उत्तराखंड	1786.56	386.01	654.32	108.18	85.52	—	226.57	—	—	50.84	3298.00
पश्चिम बंगाल	9726.30	1040.00	314.00	454.00	65.50	—	1290.24	—	—	673.00	13563.04
कुल	51482.03	9810.01	7910.19	7511.47	4504.11	1796.01	6295.70	1600.00	399.00	9013.48	100322.00

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों का क्षेत्र-वार उपयोग

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	सड़क क्षेत्र/पुल/पुलिया	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	पीएचई/एफसी विभाग	विशेष क्षेत्र योजना	औद्योगिक परियोजना	विविध मॉनिटरिंग	कौशल विकास/क्षमता निर्माण	कुल
अरुणाचल प्रदेश	5645.08	1667.78	993.35	2597.40	309.13	—	733.75	—	—	—	22.00	482.86	12451.35
असम	495.00	68.00	236.74	141.00	—	—	92.00	—	—	—	—	—	1032.74
बिहार	3946.00	175.00	793.82	—	1016.28	—	608.40	—	—	—	4.50	120.00	6664.00
गुजरात	1550.82	247.28	618.39	1278.21	313.80	—	451.50	—	—	—	—	45.00	4505.00
हिमाचल प्रदेश	571.00	204.00	360.00	243.53	405.47	264.50	80.00	—	—	—	191.50	—	2320.00
जम्मू और कश्मीर	7152.97	403.29	1370.87	339.41	1256.73	20.63	569.00	—	1426.66	—	636.71	217.73	13394.00
मणिपुर	641.43	128.20	456.65	476.20	29.00	—	176.00	—	—	—	22.00	—	1929.48
मेघालय	1923.72	422.73	396.00	—	—	—	48.20	—	—	—	100.10	98.50	2989.25
मिज़ोरम	1647.91	631.00	787.61	267.00	117.33	—	289.50	—	—	—	64.50	212.15	4017.00
नागालैंड	1230.00	124.00	418.00	87.00	26.00	—	25.00	—	—	—	90.00	—	2000.00
पंजाब	1965.66	581.95	201.70	37.60	313.70	402.14	352.60	—	—	—	42.58	171.95	4069.88
राजस्थान	8758.58	1221.50	464.79	1242.73	665.64	—	1373.76	—	—	—	246.00	—	13973.00
सिक्किम	1122.00	70.00	619.19	51.01	—	7.00	40.00	—	—	—	90.80	—	2000.00
त्रिपुरा	1841.87	1323.89	704.12	81.29	319.23	—	245.64	—	—	—	230.00	78.96	4825.00
उत्तर प्रदेश	3980.26	—	713.31	—	82.93	—	—	—	—	—	105.00	100.50	4982.00
उत्तराखंड	1810.52	244.67	484.30	380.15	47.95	—	265.85	—	—	—	14.72	116.84	3365.00
पश्चिम बंगाल	11642.22	824.00	868.72	764.01	296.81	—	33.54	—	—	—	53.00	—	14482.30
कुल	55925.04	8337.29	10487.56	7986.54	5200.00	694.27	5384.74		1426.66	0.00	1913.41	1644.49	99000.00

विवरण-II

बीएडीपी के तहत वर्ष 2011 से 2013-14 के दौरान राज्यों द्वारा आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियां (दिनांक 12.02.2014 के अनुसार स्थिति)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
1.	अरुणाचल प्रदेश	5850.00	6690.50	6690.50	8573.00	15433.00	12750.05	9277.00	12451.35	8482.00	9277.00	—	—
2.	असम	2424.00	4800.00	3895.69	3161.00	1980.01	1226.16	3480.00	1032.74	367.41	3480.00	—	—
3.	बिहार	3715.00	3196.28	3196.28	5577.00	5577.00	5577.00	6084.00	6664.00	5913.45	6084.011	6084.00	—
4.	गुजरात	2800.00	2840.00	2840.00	4164.00	3616.82	3616.82	4505.00	4505.00	2618.06	4505.00	4505.00	—
5.	हिमाचल प्रदेश	1280.00	1280.00	1280.00	2000.00	2000.00	2000.00	2100.00	2320.00	1347.09	2100.00	2100.00	—
6.	जम्मू और कश्मीर	10000.00	10700.00	10700.00	12500.00	12462.40	12462.40	12800.00	13394.00	12537.45	12800.00	12800.00	4316.44
7.	मणिपुर	1343.00	1843.00	1843.00	2000.00	2000.00	2000.00	2200.00	1929.48	1414.59	2200.00	2200.00	—
8.	मेघालय	1247.00	2202.00	2202.00	2000.00	3140.00	3140.00	2100.00	2989.25	2568.96	2100.00	2100.00	752.91
9.	मिज़ोरम	2506.00	2930.00	2930.00	3702.00	3839.73	3839.73	4017.00	4017.00	4015.03	4017.00	4017.00	—
10.	नागालैंड	1200.00	2500.00	2500.00	1800.00	2015.00	2015.00	2000.00	2000.00	1522.50	2000.00	2000.00	—
11.	पंजाब	2225.00	2225.00	2225.00	3292.00	3292.00	3273.43	3526.00	4069.88	2611.23	3526.00	—	—
12.	राजस्थान	8696.00	8696.00	8696.00	11409.00	11509.00	11509.00	13773.00	13973.00	11604.57	13773.00	12337.20	—
13.	सिक्किम	1200.00	2000.00	2000.00	1800.00	2085.00	2085.00	2000.00	2000.00	1573.16	2000.00	2000.00	39.51
14.	त्रिपुरा	2771.00	3579.00	3579.00	4126.00	9635.00	9635.00	4825.00	4825.00	4522.55	4825.00	4825.00	115.84
15.	उत्तर प्रदेश	2905.00	3365.57	3365.57	4546.00	4876.00	4876.00	4982.00	4982.00	4470.46	4982.00	4982.00	—
16.	उत्तराखंड	2261.00	2461.00	2461.00	3298.00	3298.00	3298.00	3565.00	3365.00	2912.70	3565.00	3565.00	1050.36
17.	पश्चिम बंगाल	9845.00	7791.65	7791.65	14291.00	13563.04	13257.54	15835.00	14482.30	10380.84	15835.00	11645.96	—
	कुल	62268.00	69100.00	68195.69	88239.00	100322.00	96561.13	97069.00	99000.00	78862.05	97069.00	75161.16	6275.06
	आरक्षित रखे गए	1232.00	—	—	1761.00	—	—	1931.00	—	—	1931.00	—	—
	कुल	63500.00	69100.00	68195.69	90000.00	100322.00	96561.13	99000.00	99000.00	78862.05	99000.00	75161.16	6275.06

नोट: (i) वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी राशि में वृद्धि, उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण हुई बचत से वर्ष के अंत में किए गए अतिरिक्त आवंटन और आकस्मिकताओं हेतु रखी गई रिजर्व राशि के प्रभाव के कारण है।

(ii) वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी राशि में कमी, इस तथ्य के कारण कि राज्यों ने आने वाले वर्ष के सिवाय, पिछले वर्ष के दौरान जारी राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे।

बीज बैंक

3914. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार ओडिशा सहित देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बीज बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बीज बैंक स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार का स्थानीय स्वदेशी पौधों की किस्मों को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सहित देश में और बीज बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन बीज बैंकों से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) देश में 18 बीज बैंक कार्य कर रहे हैं यथा राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई) के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल तमिलनाडु तथा ओडिशा राज्यों में प्रत्येक में एक।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, लिमिटेड, छत्तीसगढ़ में एक बीज बैंक की स्थापना की गई।

(ग) और (घ) सरकार का ओडिशा सहित देश में और अधिक बीज बैंकों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) अनुसंधान उद्देश्यों के लिए संग्रह करने, चिन्हित करने, मूल्यांकन करने, संरक्षण करने तथा भू प्रभारों वन्य प्रजातियों तथा विभिन्न फसलों की परम्परागत किस्मों के सहित जर्मप्लाज्म उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के साथ ओडिशा में सीआरआरआई, कटक सहित विभिन्न राज्यों में जीन बैंकों का प्रचालन कर रहा है। कृषि मंत्रालय के तहत पौध किस्म तथा किसान अधिकार सुरक्षा अभिकरण भी स्थानीय प्रजातियों के प्रयोग का संरक्षण तथा प्रोत्साहन करता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए दौरान आवंटित/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	आवंटित राशि रुपए लाख में	उपयोग की गई राशि रुपए लाख में
2010-11	672.99	672.99
2011-12	594.64	594.64
2012-13	486.00	486.00
2013-14	341.00 (अब तक)	341.00 (अब तक)

किसानों के लाभ के लिए राज्य सरकारों द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है।

मिश्रित उर्वरक के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण प्रणाली

3915. श्री एस. सेम्मलई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म पोषकों पर आधारित मिश्रित उर्वरकों के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिश्रित उर्वरकों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का भंडार

3916. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री आर. ध्रुवनारायण
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल सहित आवश्यक वस्तुओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बफर मानदंड और कुल भंडार कितना है;

(ख) क्या यह भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की मांग को पूरा करने और उनकी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इन वस्तुओं के बफर भंडार में कमी आ रही है और निकट भविष्य में इन वस्तुओं की कमी होने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 250 लाख टन बफर मानदंड की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) का स्टॉक 411.38 लाख टन था। दिनांक 01.02.2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, बफर मानदंडों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का वर्तमान स्टॉक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।

चीनी का अग्रेनीत (कैरी ओवर) स्टॉक 91 लाख टन तथा वर्तमान चीनी मौसम, 2013-14 के दौरान अनुमानित चीनी उत्पादन 241 लाख टन है। 235 लाख टन की अनंतिम अनुमानित घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी की उपलब्धता पर्याप्त होगी। चीनी स्टॉक की उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल की सूची में खाद्य तेल शामिल नहीं है तथा बफर मानदंडों की अवधारणा खाद्य तेलों पर लागू नहीं है।

विवरण

दिनांक 01.02.2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक

(लाख टन में)

राज्य	कुल केंद्रीय पूल स्टॉक		
	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4
बिहार	1.02	2.35	3.37
झारखंड	1.1	0	1.1
ओडिशा	4.69	1.45	6.14
पश्चिम बंगाल	2.74	2.69	5.43
पूर्व अंचल जोड़	9.55	6.49	16.04
असम	1.79	0.19	1.98
अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.01	0.15
त्रिपुरा	0.17	0.04	0.21
मिज़ोरम	0.17	0.02	0.19
मेघालय	0.16	0.02	0.18
मणिपुर	0.08	0	0.08
नागालैंड	0.35	0	0.35
पूर्वोत्तर अंचल जोड़	2.86	0.28	3.14
दिल्ली	0.19	0.51	0.7
हरियाणा	10.27	49.91	60.18
हिमाचल प्रदेश	0.07	0.2	0.27
जम्मू और कश्मीर	0.4	0.28	0.68
पंजाब	67.61	96.56	164.17
राजस्थान	0.14	17.9	18.04
उत्तर प्रदेश	12.92	17.26	30.18
उत्तराखंड	1.38	0.35	1.73
पूर्वोत्तर अंचल जोड़	92.98	182.97	275.95
आंध्र प्रदेश	24.39	1.14	25.53
कर्नाटक	4.36	0.99	5.35
केरल	2.94	0.82	3.76
तमिलनाडु	9.18	2.09	11.27
दक्षिण अंचल जोड़	40.87	5.04	45.91

1	2	3	4
गुजरात	0.82	4	4.82
महाराष्ट्र	5.77	6.92	12.69
मध्य प्रदेश	1.22	32.83	34.05
छत्तीसगढ़	11.75	0.4	12.15
पश्चिम अंचल जोड़	19.56	44.15	63.71
कुल	165.82	238.93	404.75
मार्गस्थ स्टॉक	3.56	3.07	6.63
जोड़ (अखिल भारत)	169.38	242.00	411.38

कीटनाशकों के संभावित खतरे

3917. श्री हरीश चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों वाले उत्पादों पर लगे लेबल उस उत्पाद से जुड़े संभावित खतरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई मामला सरकार के समक्ष आया है, अब ऐसे उत्पादों पर लगे लेबल पर उक्त जानकारी नहीं पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। लेबल पर कीटनाशक के नाम एक्सपायरी तिथि, विषाक्तता के लक्षण, चेतावनी और चेतावनी विवरण, उचित व पर्याप्त सुरक्षा उपयोग, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा, प्रतिकारक विवरण, प्रतीक, संकेत शब्द और कीटनाशकों की विषाक्त श्रेणी के अनुसार पहचान बैंड के रंग से संबंधित सूचना होती है।

(ग) इस विभाग के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतिरिक्त धनराशि का विनियोजन

3918. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के विनियोजन के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन करने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूल्य वृद्धि के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अंतर्गत सहायता के लिए दिशा-निर्देश किस प्रकार संशोधित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) का गठन एवं उनके प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देश 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत स्वीकृत राज्य आयोजना हेतु सरप्लस निधियों के विनियोजन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि अन्य बातों के साथ, जिला आपदा कार्रवाई निधि (डीडीआरएफ) का गठन करने का प्रस्ताव, 13वें वित्त आयोग को भेजा गया था जिसका यह विचार था कि इस प्रकार की निधि की स्थापना का कार्य राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाए।

(ङ) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के गठन को दिनांक 28 सितंबर, 2010 को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, कीमतों में वृद्धि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गठन एवं उसके प्रशासन के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दोनों प्रकार निधियों से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट *http://ndmindia.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

संसद सदस्यों की शिकायतें

3919. श्री रतन सिंह :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को शासित करने वाले वर्तमान नियमों के अंतर्गत संसद सदस्यों की शिकायतों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं और इसके उपरांत राज्यों को संसद सदस्यों को सीधे ही जवाब देना अपेक्षित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुपालन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रावधान के कारण टीपीडीएस में प्रचलित भ्रष्टाचार संबंधी सूचना केन्द्र सरकार के पास नहीं पहुंच रही है क्योंकि राज्यों से संसद सदस्यों को सूचना देना शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में माननीय संसद सदस्यों के पत्रों सहित शिकायतें समय-समय पर विभाग में प्राप्त होती हैं। ये मुख्यत: खाद्यान्नों के वितरण में कथित अनियमितताओं, पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी न करना, उचित दर दुकानों के दुकानदारों द्वारा कदाचार आदि से संबंधित होती हैं। ऐसे मुद्दे राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 और संबंधित राज्य नियंत्रण आदेशों के तहत कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। अत: ऐसे पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भिजवा दिया जाता है। माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को माननीय संसद सदस्यों को उत्तर भेजने तथा इस विभाग को भी तद्नुसार सूचित करने का अनुरोध किया जाता है। तत्पश्चात् मामले के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा माननीय संसद सदस्य को उत्तर भी भेजा जाता है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्षों के दौरान माननीय संसद सदस्यों से ऐसे 74 पत्र प्राप्त हुए और विभाग द्वारा उनका उत्तर दिया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अभियोजन हेतु स्वीकृति

3920. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माओवाद में प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किसी भी केन्द्रीय बल से संबंधित जवानों के अभियोजन हेतु स्वीकृति मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं। माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में अपने कार्यकाल/तैनाती के दौरान किए गए किसी कथित कदाचार के संबंध में गृह मंत्रालय के पास माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में तैनात किसी भी केन्द्रीय बल कार्मिक के अभियोजन हेतु स्वीकृति लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास

3921. श्री के. सुगुमार :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल और फलों से बनी अन्य चीजों के उत्पादन के मद्देनजर देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) के विकास की संभावना संबंधी कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अब भी आरंभिक स्थिति में हैं और अपनी वृद्धि तथा विकास और निवेश आकर्षित करने संबंधी क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा शीतागार श्रृंखला, पैकेजिंग केन्द्र, मूल्य संवर्धन केन्द्र, आधुनिक पशुवध गृह इत्यादि सहित अवसंरचनात्मक जैसी अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि में उक्त विकास किस हद तक मददगार होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां, महोदया।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)—शुरू की थी। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का मूल उद्देश्य स्कीमों के कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण करना है जिससे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पर्याप्त भागीदारी बढ़ेगी। सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता की मंजूरी देने और अनुदान सहायता जारी करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों को परियोजनाओं के स्थान और लाभार्थियों के चयन की भी छूट प्राप्त है। इस पहल से नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रचालनों का अपस्केलन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं की क्षमता के बढ़ने की संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु 12वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें जैसे मेगा खाद्य पार्कों, शीतशृंखला और बूचड़खानों का भी कार्यान्वयन करता रहा है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक योजना स्कीम अर्थात् गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, वित्तीय सहायता देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है। अनुसंधान एवं विकास तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्कीमें 01.04.2012 से क्रमश: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन वैज्ञानिक एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा चलाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

घुमंतू जनजातियों को पहचान-पत्र

3922. श्री हरिभाई चौधरी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे लोगों विशेषकर घुमंतू जनजातियों और वनवासियों को पहचान-पत्र प्रदान नहीं करती, जिनका अपना घर नहीं होता/जिनकी स्थायी आवास इकाई नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लोगों को पहचान-पत्र प्रदान करने संबंधी नियम क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में पहचान पत्र प्रदान करने की कोई भी योजना नहीं है। सरकार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एनपीआर) की योजना के तहत देश में 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को निवासी पहचान (स्मार्ट) पत्र (आरआईसी) जारी करने पर विचार कर रही है। व्यय संबंधी वित्त समिति (ईएफसी) ने इस प्रस्ताव की सिफारिश कर दी है तथा वर्तमान में इस पर मंत्रियों का समूह (जीओएम) विचार कर रहा है। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

गेहूं और चावल की खरीद

3923. श्री गणेश सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं और चावल की खरीद ऐसे गोदामों की उपलब्ध क्षमता के मद्देनजर की जाती है, जो अच्छी स्थिति में हैं और सरकार से स्वीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की उपलब्ध क्षमता, खरीद और बर्बादी दर्शाते हुए असुरक्षित भंडारण के कारण होने वाली खाद्यान्न की बर्बादी के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल हेतु खाद्यान्नों की खरीद और गोदामों में भंडारण क्षमता की उपलब्धता का कोई सीधा संबंध नहीं है। मौजूदा खरीद नीति के अनुसार किसानों के पास अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को बेचने अथवा खुले बाजार में बेचने, जो भी उन्हें लाभप्रद हो, का विकल्प उपलब्ध है। किसानों द्वारा खरीद केन्द्रों पर लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है।

गेहूं और चावल की खरीद का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(आंकड़े लाख टन में)

निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता		कुल	राज्य एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता	सकल जोड़
	अपनी	किराए की			
31.03.10	154.77	133.59	288.36	295.50	583.86
31.03.11	156.07	160.03	316.10	291.32	607.42
31.03.12	156.40	179.64	336.04	341.35	677.39
31.03.13	156.33	221.02	377.35	354.28	731.63
31.03.14	156.39	218.14	374.63	379.18	753.71

खाद्यान्न की बर्बादी के विभिन्न कारण है और उनमें कुछ मुख्य कारण निम्नानुसार है:—

(i) चक्रवात/बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और भारी वर्षा के कारण

(ii) भंडारण के दौरान नुकसान

(iii) ढुलाई के दौरान नुकसान

(iv) कुछ मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही, जिसके लिए चूककर्ताओं को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान जारी न किए गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:—

वर्ष	जारी न किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (लाख टन में)
2010-11	0.063
2011-12	0.033
2012-13	0.031
2013-14	0.230

(ग) खाद्यान्नों की बर्बादी और नुकसान को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 2010-11 से 2013-14 के दौरान चावल का उत्पादन/खरीद

(आंकड़े टन में)

12.2.2014 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2010-11 खरीद	खरीफ विपणन मौसम 2011-12 खरीद	खरीफ विपणन मौसम 2012-13 खरीद	खरीफ विपणन मौसम 2013-14* खरीद
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	96.09	75.48	64.86	27.09
2.	असम	0.16	0.23	0.20	0
3.	बिहार	8.83	15.34	13.03	1.99
4.	छत्तीसगढ़	37.46	41.15	48.04	50.67
5.	गुजरात	0	0.04	0.00	0

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00
7.	हरियाणा	16.87	20.07	26.09	23.95
8.	जम्मू और कश्मीर	0.11	0.09	0.00	0
9.	झारखंड	0	2.75	2.15	0
10.	कर्नाटक	1.8	3.56	0.58	0
11.	केरल	2.63	3.76	2.40	0
12.	मध्य प्रदेश	5.16	6.35	8.97	10.4
13.	महाराष्ट्र	3.08	1.9	1.91	1.04
14.	ओडिशा	24.65	28.66	36.14	11.22
15.	पंजाब	86.35	77.31	85.57	81.05
16.	राजस्थान	0	0	0.00	0
17.	तमिलनाडु	15.43	15.96	4.81	3.97
18.	उत्तर प्रदेश	25.54	33.57	22.85	7.97
19.	उत्तराखंड	4.22	3.78	4.97	2.61
20.	पश्चिम बंगाल	13.1	20.41	17.65	4.91
21.	अन्य	0.48	0.18	0.22	0.27
	जोड़	341.97	350.60	340.44	227.14

*खरीफ विपणन मौसम प्रगतिधीन है।

विवरण-II

रबी विपणन मौसम 2010-11 से 2013-14 के दौरान चावल का उत्पादन/खरीद

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रबी विपणन मौसम 2010-11 खरीद	रबी विपणन मौसम 2011-12 खरीद	रबी विपणन मौसम 2012-13 खरीद	रबी विपणन मौसम 2013-14 खरीद
1.	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0.00	0.00
2.	असम	0	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	1.83	5.56	7.72	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.01	1.05	1.56	0.00
6.	हरियाणा	63.35	69.28	86.65	58.73
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.00	0.00
9.	झारखंड	0	0	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0	0	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	35.38	49.65	84.93	63.55
12.	महाराष्ट्र	0	0	0.00	0.00
13.	ओडिशा	0	0	0.00	0.00
14.	पंजाब	102.05	109.58	128.36	108.97
15.	राजस्थान	4.76	13.03	19.64	12.68
16.	उत्तर प्रदेश	16.73	34.61	50.63	6.83
17.	उत्तराखंड	0.86	0.42	1.39	0.05
18.	पश्चिम बंगाल	0.09	0	0.00	0.02
19.	अन्य	0.19	0.16	0.62	0.09
	जोड़	225.25	283.34	381.50	250.92

विवरण-III

खरीदे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता को भंडारण के दौरान सुरक्षित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम

रबी और खरीफ विपणन मौसमों की शुरुआत से पहले भारत सरकार केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद हेतु एकसमान विनिर्दिष्टियां जारी करता है। इन समान मानदंड को इस अनुदेश के साथ जारी किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए जाते हैं कि खाद्यान्नों की खरीद केवल समान मानदंडों के अनुसार ही की जाए।

2. भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न कवर्ड गोदामों तथा कैप (कवर और प्लिंथ) में भंडारित किया जाता है।

3. भंडारण के दौरान खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:—

कवर्ड गोदाम:—

3.1 गोदामों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और उचित ऊंचाई बनाकर उन्हें कीटों में सुरक्षित तथा पक्का फर्श बनाकर उन्हें नमी से सुरक्षित बनाया जाता है।

3.2 स्टॉक को रखने से पहले गोदाम को सही ढंग से साफ किया जाता है और यदि कोई जले लगे हों तो उन्हें हटाया जाता है।

3.3 फर्श और दीवारों पर मेलेथियन और डीडीवीपी (कीटनाशक) के साथ एयर चार्जिंग जैसे रासायनिक उपचार किए जाते हैं ताकि उन्हें कीड़ों से मुक्त रखा जा सके।

3.4 चट्टों के लिए मार्किंग की जाती है और डनेज सामग्री का उपयोग किया जाता है जिस पर चट्टों की योजना के अनुसार खाद्यान्नों के बोरे तरतीब से रखे जाते हैं।

3.5 कीड़ों/जन्तुओं पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी (कीटनाशकों को छिड़काव) और रोगहर (फ्यूमिगेशन) उपाय किए जाते हैं।

3.6 कीड़े-मकोड़ों के नियंत्रण के उपाय भी किए जाते हैं।

4. भंडारण में निम्नलिखित जांच/सुपर जांच की जाती है ताकि भंडारण में खाद्यान्नों का उचित परिरक्षण किया जा सके:—

4.1 श्रेणीकरण और वर्गीकरण की घोषणा करने के लिए तकनीकी सहायक द्वारा 100% आधार पर स्टॉक का पाक्षिक निरीक्षण।

4.2 प्रबंधक (गु.नि.) द्वारा — 33% स्टॉक (1/3 स्टॉक का) का मासिक निरीक्षण। प्रबंधक (गु.नि.) की मासिक निरीक्षण रिपोर्ट की आंचलिक स्तर पर जांच की जाती है। इनमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करना और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से मॉनीटर करना।

4.3 सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.) द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण

सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.) द्वारा निम्नानुसार निरीक्षण निर्दिष्ट किया गया है:—

- एक माह में एक तिहाई डिपुओं का निरीक्षण ताकि तीन महीने में जिले में सभी डिपुओं को कवर किया जा सके।
- 25000 टन से अधिक क्षमता वाले डिपु में 5% स्टॉक की जांच करना।
- 25000 लाख टन से कम डिपुओं में 10% स्टॉक की जांच करना।
- एजीएम (गु.नि.) की दस्ता निरीक्षण रिपोर्टों की जांच मुख्यालय में की जाती है।

कैप (कवर और प्लिंथ)

5. ढके हुए भंडारण स्थान की कमी होने की स्थिति में खाद्यान्नों को कैप में खुले में रखना पड़ सकता है। कैप में रखते समय अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। कैप भंडारण में चूहे, पक्षी और नमी अनाज के मुख्य शत्रु होते हैं। इसमें जोखिम के मद्देनजर, इस प्रकार का भंडारण अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाता है। कैप भंडारण में खाद्यान्नों के उचित भंडारण के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए जाते हैं:—

5.1 कैप के लिए चुना गया स्थान आसपास की भूमि से ऊंचा होता है और नालों और जल निकासी की नालियों से दूर होता है ताकि वर्षा के मौसम के दौरान कैप भंडारण को बाढ़ से सुरक्षित रखा जा सके।

5.2 कैप भंडारण स्थल से सभी पौधों/झाड़ियों को हटा दिया जाता है और डीडीवीपी का छिड़काव किया जाता है।

5.3 कैप/खुले भंडारण में दीमक-रोधी उपाय किए जाते हैं।

5.4 कैप/खुले भंडारण में सभी चट्टों के लिए पर्याप्त डनेज मुहैया कराया जाता है जिसमें लकड़ी के क्रेटों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, स्थानीय उपलब्धता के अनुसार, सीमेंट के ब्लॉकों, लकड़ी की कड़ियों, कॉसरीना के खंभों और ग्रेनाइट ब्लॉक का इस्तेमाल भी सफल रहा है। डनेज सामग्री को प्रधूमन द्वारा या डीडीवीपी जैसे कंटेक्ट कीटनाशकों का उपयोग करके साफ और रोगाणु मुक्त किया जाता है।

5.5 चट्टों के शीर्ष को अंग्रेजी के उल्टे 'यू' अक्षर की बनावट में डोम का आकार दिया जाता है ताकि वर्षा का पानी आसानी से बह जाए और शीर्ष पर पानी को जमा होने से रोका जा सके।

5.6 चट्टों को वर्षा, धूप, ओस, पक्षियों और कृतंकों आदि से बचाने के लिए इस उद्देश्य से विशेष रूप से बनाए गए पॉलीथीन कवर से उन्हें ढका जाता है। पॉलीथीन कवर ढके गए चट्टे को उचित रूप से नाइलॉन की रस्सियों से ऊपर से नीचे की ओर बांधा जाता है ताकि तेज हवाओं, वर्षा, धूल, तूफान आदि से कवर को नुकसान से बचाया जा सके।

5.7 कैप भंडारण में रखे गए अनाज को कीट-जन्तुओं से बचाने के लिए नियमित रूप से रोगनिरोधी और रोगहर उपाय किए जाते हैं। चूहों की बिलों में एल्यूमीनियम फास्फाइड से प्रधूमन

करके अथवा जिंक फस्फाइड से चूहों को विष देकर कृंतक-नियंत्रक उपाय भी किए जाते हैं।

5.8 नमी खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक है और साफ मौसम के दिनों में चट्टों को नियमित धूप दिखा करके उसे नियंत्रित किया जाता है।

5.9 संबंधि तकनीकी सहायक पाक्षिक आधार पर स्टॉक की जांच करता है और उसके उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी सुपर जांच की जाती है।

5.10 राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा कैप में रखे गए गेहूं के स्टॉक का भारतीय निगम और संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में कैप में राज्य एजेंसियों के स्टॉक का 100 प्रतिशत निरीक्षण किया गया है।

5.11 स्टॉक आम तौर पर 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धांत पर जारी/संचालित किया जाता है।

फार्मा कंपनियों द्वारा उच्चतर मूल्यों पर बेचा जाना

3924. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री निशिकांत दुबे :
डॉ. भोला सिंह :
श्री प्रतापराव गणपराव जाधव :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भेषज कंपनियां उपभोक्ताओं को नियत मूल्यों/अधिकतम खुदरा मूल्यों से उच्चतर मूल्यों पर दवाइयां बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और ऐसी कंपनियां कब से ज्यादा मूल्य ले रही हैं तथा कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का उनके द्वारा ज्यादा मूल्य लेने पर वसूली करने सहित दंड लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कंपनियों पर अर्थदंड सहित वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किस प्रकार से उपभोक्ता को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति की जाएगी;

(ङ) क्या भेषज क्षेत्र द्वारा अर्जित मनमाने लाभों को देखते हुए सरकार भेषज उत्पादों पर उत्पादन लागत और लाभ संबंधी सीमा को मुद्रित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) अनेक मामले ऐसे हैं जहां औषधि कंपनियों को अपनी कुछ दवाओं को उपभोक्ताओं को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया गया है। अगस्त, 1997 में एनपीपीए की स्थापना से दिनांक 31.1.2014 तक 1007 मामलों में मांग नोटिस जारी किए गए हैं। इन ब्यौरों की हार्ड कॉपी बहुत बड़ी है जिसके कई पृष्ठ हैं और इसलिए यह कॉपी उत्तर के साथ नहीं दी जा सकती है। उसे एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् *www.nppaindia.nic.in* पर उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ) कंपनियों से अधिप्रभारित रकम की वसूली बकाया रकम पर प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ की जाती है। यदि कंपनी उक्त रकम को जमा करने में विफल रहती है तो मामले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में रकम की वसूली के लिए संबंधित कलेक्टर को भेजा जाता है। एनपीपीए की स्थापना (अगस्त, 1997) से उच्च मूल्यों पर दवाएं बेचने के लिए 3312.37 करोड़ रुपए की रकम (अपने आप प्राप्त हुए भुगतान सहित) के लिए डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें से 31.1.2014 तक 274.12 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। 3038.25 करोड़ रुपए की शेष रकम में से 2742.53 करोड़ रुपए की रकम जो शेष बकाया रकम का लगभग 90 प्रतिशत है, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित है, 77.72 करोड़ रुपए की रकम वसूली हेतु विभिन्न राज्यों के कलेक्टरों के पास लंबित है 5.05 करोड़ रुपए की रकम बीआईएफआर/आधिकारिक समापकों के पास लंबित है और 212.95 करोड़ रुपए की रकम प्रक्रियाधीन है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित 2742.53 करोड़ रुपए की रकम में से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अकेले एक विशेष कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों से देय है।

कंपनियों से वसूल की गई रकम को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और इसलिए उपभोक्ताओं को क्षति जो उन्हें हुई है, की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। न्यायालय में लंबित मामलों से की गई वसूली के मामले में रकम को ब्याज खाते (इन्ट्रेस्ट वियरिंग अकाउंट) में जमा किया जाता है।

(ङ) और (च) डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत औषधि उत्पादों/दवाओं पर उत्पादन लागत और लाभ मार्जिन को मुद्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या

3925. श्री विन्सेंट एच. पाला
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री एम.के. राघवन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जाति आधारित जनगणना करवाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के प्रत्येक राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य-वार पृथक्-पृथक् कुल जनसंख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां। पूरे देश में एक चरणबद्ध ढंग से सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) करवाई जा रही है। इस सर्वेक्षण हेतु फील्ड वर्क संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार में नोडल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय हैं। गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय) द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(ख) फील्ड वर्क के पूरा होते ही सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़े राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सर्वर कर अपलोड पर दिए जाएंगे। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय जातियों से संबंधित आंकड़ों को संसाधित करेगा तथा सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की जातियों/जनजातियों की विवरणियों के ब्यौरे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपेगा ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त समय पर गठित किए जाने वाले विशेषज्ञ समूह द्वारा इन विवरणियों का श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण किया जा सके।

दशकीय जनगणना 2011 के दौरान एकत्रित किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की अ.जा./अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या: जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य के नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3	4	5
	भारत	**1210854977**	**201378372**	**104545716**
1.	जम्मू और कश्मीर	12541302	924991	1493299
2.	हिमाचल प्रदेश	6864602	1729252	392126
3.	पंजाब	27743338	8860179	0
4.	चंडीगढ़	1055450	199086	0
5.	उत्तराखंड	10086292	1892516	291903
6.	हरियाणा	25351462	5113615	0
7.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	16787941	2812309	0

1	2	3	4	5
8.	राजस्थान	68548437	12221593	9238534
9.	उत्तर प्रदेश	199812341	41357608	1134273
10.	बिहार	104099452	16567325	1336573
11.	सिक्किम	610577	28275	206360
12.	अरुणाचल प्रदेश	1383727	0	951821
13.	नागालैंड	1978502	0	1710973
14.	मणिपुर	2855794	97328	1167422
15.	मिज़ोरम	1097206	1218	1036115
16.	त्रिपुरा	3673917	654918	1166813
17.	मेघालय	2966889	17355	2555861
18.	असम	31205576	2231321	3884371
19.	पश्चिम बंगाल	91276115	21463270	5296953
20.	झारखंड	32988134	3985644	8645042
21.	ओडिशा	41974218	7188463	9590756
22.	छत्तीसगढ़	25545198	3274269	7822902
23.	मध्य प्रदेश	72626809	11342320	15316784
24.	गुजरात	60439692	4074447	8917174
25.	दमन और दीव	243247	6124	15363
26.	दादरा और नगर हवेली	343709	6186	178564
27.	महाराष्ट्र	112374333	13275898	10510213
28.	आंध्र प्रदेश	84580777	13878078	5918073
29.	कर्नाटक	61095297	10474992	4248987
30.	गोवा	1458545	25449	149275
31.	लक्षद्वीप	64473	0	61120
32.	केरल	33406061	3039573	484839
33.	तमिलनाडु	72147030	14438445	794697
34.	पुदुचेरी	1247953	196325	0
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	380581	0	28530

[हिन्दी]

पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण

3926. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्रीमती अन्नू टन्डन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आंतरिक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर पुलिस बलों/पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को छापामार युद्ध तकनीकों संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी की गई सलाह का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने अपने संगठनों/अकादमियों नामत: सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से पुलिस बलों/कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ख) संगठन/अकादमी-वार पृथक-पृथक ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) संगठन/अकादमी-वार पृथक-पृथक ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(क) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण:—

(i) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को हथियार चलाने और उनसे फायरिंग करने, मानचित्र, अध्ययन, युक्तियां तैयार करने और क्षेत्रीय कलाकौशल के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित अनेक अन्य इनपुट सहित विभिन्न इनपुट्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

(ii) विगत चार वर्षों में, अकादमी ने एक समर्पित टैक्टिक्स विंग विकसित की है जो परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों और वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों को विस्फोटकों तात्कालिक (इम्प्रोवाइज्ड) विस्फोट प्रणालियों (आईईडी) और विस्फोटोपरान्त प्रक्रियाओं को संभालने का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(iii) अनिवार्य सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एससीटीपी) के दौरान आतंकवाद-रोधी जानकारी भी प्रदान की जाती है।

(iv) अकादमी स्तर पर प्रतिवर्ष "राष्ट्रीय सुरक्षा" पर सेमिनार आयोजित किया जाता है।

(ख) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण:—

(i) मेघालय स्थित पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सीधे नियुक्त हुए उप-पुलिस अधिक्षकों और उप-निरीक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। यह अकादमी देश के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भी विभिन्न प्रकार के पुलिस-व्यवस्था संबंधी विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। बुनियादी पाठ्यक्रमों और सेवाकालीन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में, विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) वर्ष 1975 से, इस अकादमी ने बुनियादी पाठ्यक्रम में 2956 उप-पुलिस अधीक्षकों और उप-निरीक्षकों को तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 11377 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। साइबर, अपराध, विद्रोही-रोधी एवं जंगल युद्ध कला, स्वापक विधि प्रर्वतन आसूचना संग्रहण एवं पूछताछ संबंधी तकनीकी, आपराधिक मामलों की उन्नत वैज्ञानिक जांच-पड़ताल मानवाधिकारों, शरणार्थी कानूनों, आर्थिक अपराधों, विस्फोटकों एवं बम निष्क्रियकरण जैसी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रतिवर्ष नियमित आधार पर आयोजन किया जाता है।

विवरण-II

(क) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय

आंतरिक सुरक्षा मुद्दों से संबंधित पाठ्यक्रमों के ब्यौरों के उल्लेख उपर्युक्त उत्तर "ख" में पहले ही किया जा चुका है। तथापि, विद्रोह-रोधी एवं जंगल युद्ध कला तथा विस्फोटक एवं बम निष्क्रियकरण संबंधी पाठ्यक्रमों का आयोजन अकादमी में किया जा रहा है और देश के सभी भागों के पुलिस अधिकारियों को अधुनातन हथियारों से फायरिंग करने, गैर-परम्परागत युद्धकला यथा घात लगाना, छापा मारना, गश्त करना, काफिला (कॉनवाय) संरक्षण, रोड-ओपनिंग पार्टी इत्यादि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

(i) **देशगत सुरक्षा परिसंवाद:—**

देशगत सुरक्षा परिसंवाद के अंतर्गत, पुलिस व्यवस्था के 12 क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य पुलिस अकादमियों में से एक केन्द्रीय और 5-6 क्षेत्रीय उत्कृष्ठता केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से आतंकवाद-रोधी विमानन, पत्तन सुरक्षा, सीबीआरएन, आप्रवासन और सीमा नियंत्रण इत्यादि में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएस) में प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षक इन पाठ्यक्रमों को भारत में दोहराएंगे।

(ii) **जारी परामर्शी-पत्र:—**

पुलिस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में बीपीआर एंड डी द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा (स्लॉट्स) का अधिकतम उपयोग करने के संबंध में राज्यों को समय-समय पर परामर्शी-पत्र जारी किए जाते रहे हैं।

जेलों में सुरक्षा

3927. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जेलों में सुरक्षा उपायों को सख्त बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जेलों में सुरक्षा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' राज्य का विषय है। अत: कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, देश में जेलों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 'जेलों में सुरक्षा प्रबंधों के सुदृढ़ीकरण' पर एक परामर्शी पत्र दिनांक 21.09.1998 को, 'जेलों में सुरक्षा उपायों को कड़ा बनाने' पर एक परामर्शी पत्र दिनांक 14.08.2006 को और 'जेल तोड़ने की घटनाएं रोकने के लिए जेलों में सुरक्षा उपायों में सुधार करने' पर एक परामर्शी पत्र दिनांक 16.10.2009 को जारी किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा संबंधी सम्मेलन

3928. श्री सुरेश कलमाडी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 2013 में आयोजित राज्य के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले एवं इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या और उनके नाम क्या हैं और किन राज्यों ने इसमें भाग नहीं लिया;

(ख) क्या अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्र सरकार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन पर होने वालू संपूर्ण व्यय यथा ढुलाई, संभलाई प्रभार, राशन की दुकान के मालिकों के कमीशन आदि से वहन करना चाहिए और उपभोक्ता शिकायत निवारक तंत्र स्थापित करना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न को लक्षित लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित करने और इसके आरंभिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अधिक अंतर को देखते हुए खुले बाजार में इसके विपथन को रोकने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है तथा खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अधिक राजसहायता प्रदान करने हेतु धनराशि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 30 सितम्बर तथा 1 अक्तूबर, 2013 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों तथा खाद्य सचिवों का

सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को आयोजित खाद्य सचिवों के सम्मेलन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया था और दिनांक 1 अक्तूबर, 2013 को आयोजित खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार अंत:राज्यीय परिवहन, हैंडलिंग, उचित दर दुकान मालिकों को भुगतान किए जाने वाले मार्जिन व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने सहित कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने जिला शिकायत निवारण अधिकारी तथा राज्य खाद्य आयोग के लिए केन्द्रीय सहायता का सुझाव भी दिया था।

सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में अन्य बातों के अलावा राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन, हैंडलिंग व्यय तथा उचित दर दुकान मालिकों को भुगतान किए जाने वाले मार्जिन के व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के संबंध में विचार-विमर्श करने तथा सिफारिश करने के लिए चयनित राज्य खाद्य सचिवों तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। जहां तक जिला-शिकायत निवारण अधिकारी तथा राज्य खाद्य आयोग का संबंध है, अधिनियम में राज्य सरकारों को अलग से तंत्र का गठन करने अथवा मौजूदा तंत्र का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा किसी राज्य द्वारा विशेष आधार पर राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लेने की स्थिति में सरकार ने राज्य खाद्य आयोग के लिए गैर-निर्माण परिसम्पत्तियों हेतु एकबारगी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अन्य बातों के अलावा पात्र परिवारों के व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की हकदारी की मात्रा आबंटित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है तथा इसके पश्चात् पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्नों की वास्तविक सुपुर्दगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ तथा सुप्रवाही बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन को रोकने हेतु माह जुलाई, 2006 में एक नौ सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई थी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रगामी रूप से किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं। इन सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ खाद्यान्नों की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर सुपुर्दगी, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली जिंसों का कुछ समय बाद विविधिकरण आदि शामिल है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शित तथा जवाबदेही के प्रावधानों में जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकार्डों का प्रदर्शन, सामाजिक लेखा परीक्षा करना तथा राज्य, जिला, ब्लॉक तथा उचित दर दुकान स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करना शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उपबंधित हकदारियों को पूरा करने के लिए अपेक्षित खाद्य राजसहायता व्यय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को उपलब्ध कराई गई खाद्य राजसहायता के लिए बजट आबंटन से पूरा किया जाएगा। 2012-13 के बजट अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2012-13 से खाद्य तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रशासन से संबंधित राजसहायता का पूरा प्रावधान किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के बजट में राजसहायता के सामान्य प्रावधान के अलावा वर्धित लागत के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

छात्रों के लिए सामुदायिक पुलिसिंग

3929. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में छात्रों के लिए सामुदायिक पुलिसिंग योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार की राज्यों से केन्द्रीय सहायता प्रदान करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों को अब तक राज्य-वार कितनी सहायता राशि दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन्) : (क) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चयनित राज्यों में कार्यान्वयन के लिए केरल के छात्र पुलिस कैडेट के नमूने के आधार पर "छात्रों के लिए सामुदायिक पुलिसिंग" पर एक योजना प्रस्ताव तैयार किया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित अन्य एजेंसियों की स्वीकृति के अध्यधीन है।

(ख) और (ग) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अब तक किसी भी राज्य को "छात्रों के लिए सामुदायिक पुलिसिंग" से संबंधित योजना प्रस्ताव के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य

3930. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सौमित्र सेन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल की सिफारिशों के अनुसार, खाद्यान्न की बढ़ती मांग के बावजूद किसान अपने उत्पाद के प्रतिस्पर्द्धी और लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इस पैनल की रिपोर्ट के अनुसार बाजार पहुंचने के तुरंत बाद किसानों के उत्पाद की कीमत में 40 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या पैनल ने स्थानीय स्तर पर किसानों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है;

(च) यदि हां, तो स्थानीय स्तर पर किसानों को समुचित विपणन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित ब्यौरा क्या है; और

(छ) कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ङ) डॉ. सौमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति ने "फार्म उत्पाद संबंधी अधिक सक्षम वितरण के लिए प्रशीतन भंडारणों हेतु प्रावधान सहित आपूर्ति शृंखलाओं में पूंजीनिवेशों को प्रोत्साहित करने" पर मई, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने पाया है कि फल एवं सब्जियों के लिए, अंतिम खुदरा मूल्य के अनुपात के रूप में, बड़ी मंडियों में पहली बार बिक्री पर मूल्य, 25 से 40 प्रतिशत के बीच हो सकता है। इन कमियों के कारण हैं (i) वास्तविक अपर्याप्तता यथा उत्पादों के विविध करोबार तथा अपर्याप्त प्रशीतन शृंखलाएं (ii) कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) विधान एवं मंडियों के संचालन संबंधी प्रक्रिया के कारण संस्थागत कमियां, तथा (iii) पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी।

कृषि आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, ये सिफारिशें की है — उत्पादक कंपनियों/सहकारिताओं की स्थापना, मंडियों में बिक्री करने के अतिरिक्त संचयकर्ताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं को उनके उत्पादों का प्रत्यक्ष रूप से विपणन करने के लिए किसानों को स्वतंत्र करना, एपीएमसी अधिनियमों के अधिकार से नष्ट होने योग्य फार्म उत्पादों को हटाना, एपीएमसी के पंजीकरण/लाइसेंसिंग पद्धति को सरल करना आदि।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आदर्श नमूना, 2003 के तर्जों पर अपने संबंधित राज्य एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करें। आदर्श अधिनियम जिसमें प्रत्यक्ष विपणन, संविदा की खेती, कृषक/उपभोक्त बाजारों, निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में बाजारों की स्थापना करने, ई-ट्रेनिंग आदि का प्रावधान है। इसके अलावा, विपणन अंत संरचनात्मक विकास में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार कृषि विपणन अंत संरचना, ग्रेडींग एवं मानकीकरण (एएमआईजीएस) एवं ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) संबंधी पूंजी निवेशयुक्त राजसहायता योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, "विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन)" को भी इस उद्देश्य के साथ क्रियान्वित कर रही है ताकि किसानों एवं अन्य पणधारियों के लाभ के लिए मूल्यों एवं आगमन आंकड़ों का संकलन एवं प्रचार-प्रसार किया जा सके जिससे उनके उत्पादों के लिए अधिक लाभकारी मूल्य देने हेतु बेहर उत्पादन एवं विपणन निर्णय लेने में किसानों को सुसाध्य बनाया जा सके।

(छ) सरकार कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न फसल विकासा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करती है यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए), बाजार सुधार आदि।

[हिन्दी]

ओएमएसएस के अंतर्गत खाद्यान्न

3931. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं मूल्य नियंत्रण के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मूल्यों पर इस योजना का क्या प्रभाव है;

(ग) क्या ओएमएसएस के अंतर्गत राज्यों को आवंटित खाद्यान्न को जारी करने, उठान एवं वितरण में अनियमितताओं के संबंध में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त शिकायतें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत खाद्यान्न जारी किए गए ताकि बाजार में उनके बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके और केन्द्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न कम किया जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन और उनके उठान का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(आंकड़े लाख टन में)

	गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5
2011-12	25	11.84	10	0.19
2012-13	100	68.67	5	0.99
2013-14 (03.2.2014 स्थिति के अनुसार)	100	43.71	5	1.09

ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत खाद्यान्न जारी करने के परिणामस्वरूप खुले बाज़ार में गेहूं और चावल की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है और खुले बाजार में इन वस्तुओं के मूल्यों तथा मुद्रास्फीति में कमी आई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों के निर्गम, उठान और वितरण में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं/व्यापारियों को निविदाओं के जरिए गेहूं की बिक्री और छोटे व्यापारियों को गेहूं की बिक्री के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) अनियमितताओं के लिए की गई किसी भी शिकायत के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के फील्ड यूनिटों को नियमित रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी जाती है।

विवरण

ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं/व्यापारियों और छोटे (निजी) व्यापारियों को गेहूं की बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता प्रभाग में प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायत का विषय और तिथि
1	2	3	4
1.	दिल्ली	इंदु हिन्दुस्तानी	दिल्ली में ओएमएसएस(डी) के माध्यम से बिक्री में अनियमितताएं। दिनांक 09.09.2012
2.	दिल्ली	धरम पाल गोयल	एफएसडी, नरेला में ओएमएसएस(डी) के माध्यम से गेहूं के उठान में पक्षपात।
3.	मध्य प्रदेश	सीता श्री फूड प्रोडक्ट्स लि. इंदौर, मध्य प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम, भोपाल द्वारा 57796300/- रुपए की राशि अवैध रूप से रखी गई। दिनांक 01.04.2013

1	2	3	4
4.	मध्य प्रदेश	ई-मेल द्वारा प्राप्त बेनाम शिकायत	भा.खा.नि.-ओएमएसएस, भा.खा.नि., मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा बड़े घोटाले पर रिपोर्ट।
5.	मध्य प्रदेश	श्री बालाजी फूड इंडस्ट्रीज प्रा.लि., भिंड, मध्य प्रदेश	ई-मेल द्वारा प्राप्त, जिसके तहत शिकायतकर्त्ता ने पार्टी द्वारा जमा की गई राशि के रिफंड में जानबूझकर किए गए विलंब का आरोप लगाया है।
6.	पश्चिम बंगाल	व्हिस्ल ब्लोअर स्कीम के अंतर्गत	जमानत जमा राशि को रिफंड नहीं करना।

[अनुवाद]

एंडोसल्फान पर प्रतिबंध

3932. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री एंटो एन्टोनी :
श्री अनंत कुमार :
श्री अजय कुमार :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एंडोसल्फान सहित कई हानिकारक कीटनाशी एवं कृषि रसायन देश में कृषि में अभी भी इस्तेमाल में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एंडोसल्फान सहित इन कीटनाशकों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार ने कीट नियंत्रण के उद्देश्य हेतु एंटोसल्फान के उपयोग पर कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार पूरे देश में रसायनमुक्त उर्वरकों के विकास एवं वितरण के लिए एवं कार्बनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों को सरकार द्वारा उपलब्ध राजसहायता/सहायता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) कीटनाशी स्वाभाविक रूप से विषैले होते हैं तथा पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल दावे के अनुसार प्रयोग किए जाने होते हैं। कीटनाशियों का पंजीकरण उनके मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होने के पश्चात् ही होता है। भारत में पंजीकृत नियोनिकोटिनॉयड कीटनाशियों के प्रयोग की समीक्षा तथा 66 कीटनाशियों, जो वर्तमान में एक तथा अधिक देशों में प्रतिबंधित है/वापस ले लिया गया है परन्तु भारत में घरेलू उपयोग के लिए जिनका पंजीकरण जारी है, की समीक्षा के लिए डॉ. अनुपम वर्मा (सहायक प्रोफेसर) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 8 जुलाई, 2013 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

भारत सरकार ने 2011 की याचिका (सिविल) 213 में 13.5.2011 को पारित किए गए उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में न्यायालय के अगले आदेश आने तक पूरे भारत में इंडोसल्फान के प्रयोग तथा विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है। न्यायालय ने क्या एंडोसल्फान का प्रयोग मानव जाति तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण है, के प्रश्न पर एक वैज्ञानिक अध्ययन आयोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) के महानिदेशक तथा आयुक्त (कृषि) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति भी नियुक्त की है।

(ङ) सरकार राष्ट्रीय जैविक कृषि स्कीम परियोजना के माध्यम से जैविक उर्वरकों को भी बढ़ावा दे रही है। नाबार्ड के माध्यम से क्रमशः जैव कीटनाशी/जैव उर्वरक उत्पादन इकाई तथा कृषि अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में क्रमशः 40 लाख रुपए तथा 60 लाख रुपए की सीमा के अधीन कुल वित्तीय परिव्यय के 25% तथा 33% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च) राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों को सरकार द्वारा प्रदान की गई वर्ष-वार राजसहायता/सहायता संलग्न विवरण में दी गई।

विवरण

जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान नाबार्ड के माध्यम से पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम (सीआईएसएस) के तहत निर्मुक्त राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा (2008-09 से 2012-13)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राजसहायता (लाख रुपए में)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8.907	10.000	23.252	20.000	20.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	असम	0.938	2.596	1.375	22.319	0.750
4.	बिहार	4.500	0.000	0.000	5.250	0.000
5.	छत्तीसगढ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.	दिल्ली	20.000	20.000	0.000	0.000	0.000
7.	गोवा	4.630	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	गुजरात	27.064	0.000	14.750	0.000	2.030
9.	हिमाचल प्रदेश	0.083	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	जम्मू और कश्मीर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11.	झारखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	कर्नाटक	12.184	6.183	73.309	0.000	0.000
13.	केरल	0.000	30.066	0.000	6.784	0.000
14.	मध्य प्रदेश	1.802	5.040	0.000	0.000	2.258
15.	महाराष्ट्र	17.144	38.458	13.750	43.084	23.005
16.	मणिपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मिज़ोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.	ओडिशा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.	पंजाब और हरियाणा	37.218	61.602	24.860	14.040	0.000

1	2	3	4	5	6	7
22.	राजस्थान	11.392	55.610	30.450	21.335	0.000
23.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	7.799	10.993	13.044	0.000	0.000
25.	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	77.126	9.750	25.687	3.300	0.000
27.	उत्तराखंड	9.810	8.945	8.750	0.000	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	7.469	0.000	0.000	0.000	0.000
	कुल	248.065	259.243	229.227	156.112	48.043

नाबार्ड के अनुसार।

[हिन्दी]

खाद्य तेल का मूल्य

3933. श्री इज्यराज सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में तिलहनों की अच्छी उपज होने के बावजूद खाद्य तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि देखी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। सोयाबीन तेल, सरसों के तेल, मूंगफली तेल और सूरजमूखी तेल जैसे तिलहनों से प्राप्त खाद्य तेलों के मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में दिनांक 31.02.2014 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 7.46%, 1.39%, 9.58% और 10.92% की गिरावट आई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रा.रा.क्षे. दिल्ली को राज्य का दर्जा

3934. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीटी दिल्ली ने दिल्ली पुलिस को अपने दायरे में लाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस को अपने दायरे में लाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है, जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

कोयला ब्लॉक आवंटन

3935. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से ही कितनी कंपनियों ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु आवेदन दिया था;

(ख) कोयला ब्लॉक आवंटन पाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा किन कंपनियों के अनुरोध अस्वीकार किए गए;

(ग) क्या किसी कंपनी को अधिमान्य आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) वर्ष 2005 से पूर्व कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए जिन कंपनियों ने आवेदन किया है, उनकी संख्या के बारे में कोई डाटा नहीं रखा जाता है। वर्ष 2005 से खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित करने के बाद जांच समिति मार्ग के माध्यम से आबंटन किए गए हैं। अक्तूबर, 2005 तथा नवम्बर, 2006 में ऐसे दो विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे जिनसे क्रमशः 740 तथा 1422 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) 1993 से 2008 तक 313 कंपनियों को 218 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे/आबंटन हेतु सिफारिश की गई थी, यद्यपि बाद में कतिपय मामलों में 2011 तक आबंटन पत्र जारी किए गए थे। कुछ कंपनियों को एक से अधिक कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे। उन कंपनियों के बारे में कोई डाटा नहीं रखा गया है जिनके अनुरोधों को कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए रद्द किया गया था।

(ग) और (घ) विशिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु पूर्व में सरकारी तथा निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया गया था:—

(i) **जांच समिति के माध्यम से केप्टिव वितरण मार्ग:**

सार्वजनिक/निजी पार्टियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन जांच समिति नामक अंतर्मंत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय के तंत्र के माध्यम से किय गया था। सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना की तैयारी की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्त्ता की आवश्यकता के साथ ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता और आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकॉर्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों आदि को ध्यान में रखते हुए जांच समिति की सिफारिश पर आबंटन का निर्णय लिया गया था।

(ii) **सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत** : सरकारी कंपनी व्यवस्था मार्ग के अधीन, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को आवेदन आमंत्रित करते हुए अभिज्ञात ब्लॉकों की सूची परिचालित की गयी थी। इस मार्ग के अधीन सरकारी कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग और वाणिज्यिक खनन, दोनों के लिए केवल सरकारी कंपनियों को ही कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है जहां कैप्टिव उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(iii) **टैरिफ आधारित बोली मार्ग** : कोयला ब्लॉकों को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रणाली के आधार पर स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजना/अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के लिए निर्दिष्ट किया गया था। टैरिफ आधारित बोली मार्ग के अंतर्गत पहचान किए गए कोयला ब्लॉकों को विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया गया था, जो पात्र कम्पनियों से आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवार्ड किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के साथ कोयला ब्लॉकों का लिंकेज निर्धारित करता है।

खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 में यथा-निर्धारित नियम और शर्तों पर प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान करने की व्यवस्था है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:—

- जहां खनन अथवा ऐसे अन्य निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता है;
- जहां किसी ऐसे कंपनी अथवा निगम को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता है जिसे टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतियोगी बोलियों के आधार पर पॉवर प्रोजेक्ट अवार्ड की गई है।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को दिनांक 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने की अधिसूचना भी 13 फरवरी, 2012 को खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है। कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक केवल संशोधित अधिनियम तथा उपरोक्त बताए गए नियमों के अधीन ही आबंटित किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न खरीद नीति

3936. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्न की खरीद संबंधी वर्तमान शासी नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गेहूं एवं चावल की तर्ज पर खरीद हेतु मकई को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) वर्तमान खाद्यान्न नीति में किसानों से लाभकारी मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीद करना, उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करना और खाद्य सुरक्षा तथा मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक रखना शामिल है। केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान, गेहूं और मोटे अनाज के लिए मूल्य सहायता प्रदान करती है। निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद लिया जाता है। किसानों के पास अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को बेचने अथवा खुले बाजार में बेचने, जो भी उन्हें लाभप्रद हो, का विकल्प उपलब्ध होता है।

मक्का, कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत पहले ही शामिल है और भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य एजेंसियों द्वारा इसकी खरीद की जाती है।

[अनुवाद]

किसानों को मूल्य लाभ

3937. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच असमानता देखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ती कीमतों के लाभ किसानों तक पहुंचे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बाजार मूल्यों में विसंगति देखी गई है। गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), मूल्य समर्थन प्रचालनों के अंतर्गत किसानों से खरीद के लिए सरकार द्वारा घोषित मूल्य है, और सामान्य किस्मों से संबंधित है, जबकि बाजार मूल्य गेहूं और चावल की सामान्य, मोटी, क्षतिग्रस्त और प्रीमियम किस्मों के लिए होते हैं। रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2013-14 के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350/- रुपए प्रति क्विंटल थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकारों द्वारा 100/- रुपए प्रति क्विंटल से 150/- रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया था। तथापि, खरीद वाले राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उस समय प्रचलित खुला बाजार मूल्य अधिकांशतः 1350/- रुपए से 2600/- रुपए प्रति क्विंटल के बीच थे। खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2013-14 के लिए सरकार ने धान की 'सामान्य' किस्म के लिए 1310/- रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए 1345/- रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अलावा राज्य सरकारों ने 50/- रुपए प्रति क्विंटल से 490/- रुपए प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है। धान के वर्तमान बाजार मूल्य 1000/- रुपए प्रति क्विंटल से 6000/- रुपए प्रति क्विंटल के बीच होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन प्रचालनों के अंतर्गत किसानों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद कर रही है और इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचा है। रबी विपणन मौसम 2013-14 के लिए 293.16 लाख टन गेहूं की कुल सूचित मंडी आवक में से 250.92 लाख टन गेहूं एमएसपी और बोनस पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया था। चालू खरीफ विपणन मौसम 2013-14 के दौरान 418.99 लाख टन (दिनांक 12.02.2014 की स्थिति के अनुसार) की कुल सूचित बाजार आवक में से सरकारी एजेंसियों द्वारा 295.30 लाख टन धान की खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त, लेवी चावल डिलीवर करने के लिए चावल मिल मालिक भी एमएसपी पर धान की खरीद करते हैं जिसके लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा मिल मालिकों को एमएसपी/प्रवर्तन प्रमाण-पत्र जारी करते समय मिल मालिकों द्वारा किसानों को किया गया भुगतान सत्यापित/सुनिश्चित किया जाता है। सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश भी जारी किया है कि मिल मालिकों द्वारा किसानों को धान के लिए एमएसपी का भुगतान एकाउंट पेयी चेक द्वारा किय जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर भुगतान प्रक्रिया प्रमाणित की जा सके।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन

3938. श्री बैजयंत पांडा : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघों के परिरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना, निधि एवं लक्ष्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) ने पारंपरिक शिल्पों के शिल्पकारों के कौशल के विकास एवं संवर्द्धन हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों तथा इनके लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) देश में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों की समग्र वृद्धि और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:—

(i) बाबा साहेबब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना;

(ii) डिजाइन एंड टैक्नीकल अपग्रेडेशन;

(iii) विपणन सहायता एवं सेवा स्कीमें;

(iv) मानव संसाधन विकास स्कीम;

(v) अनुसंधान एवं विकास;

(vi) हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम;

(vii) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना;

(viii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस):

(क) स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एचआईएस)

(ख) महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)

(ix) विपणन और निर्यात संवर्धन स्कीम (एम एंड ईपीएस);

(x) विविधिकृत हथकरघा विकास स्कीम (डीएचडीएस);

(xi) मिल गेट मूल्य स्कीम (एमजीपीएस);

(xii) पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज (आरआरएम)।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हथकरघा क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए वित्तीय रिलीज दर्शाने वाला ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (31.01.2014 तक)
आईएचडीएस	168.00	219.49	138.95	36.98
एमईपीएस/एचएमए	58.59	53.59	41.37	32.85
एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस	116.14	68.22	127.03	47.41
एमजीपीएस	65.00	54.87	122.91	91.10
डीएचडीएस	17.78	13.34	17.08	9.55
आरआरआर पैकेज		200.00	291.03	250.00
कुल	425.51	609.51	738.37	467.89

(ग) और (घ) उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम शिल्पकारों, पारम्परिक शिल्पों के कौशल विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न उपाय करता रहा है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों और उनके तहत लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2010-11	समन्वित डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं	05	250
2011-12	डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला	10	300
2012-13	1. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला	10	300
	2. समन्वित डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं	04	200
2013-14	1. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला	09	270
	2. समन्वित डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं	04	200

फलों एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

3939. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इज़रायल के सहयोग से फलों एवं सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में उत्कृष्टता केन्द्र अर्थात् पॉलीहाउस कृषि प्रारंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पॉलीहाउस कृषि प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में मददगार है तथा क्या पूरे देश में इस कार्यक्रम को विस्तारित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। इंडो-इज़रायल कार्य योजना (2012-15) के तहत पॉलीहाउस खेती द्वारा संरक्षित खेती सहित फलों तथा सब्जियों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन तथा अंतरण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के विकास की दृष्टि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को चिन्हित किया गया है।

(ग) और (घ) पॉलीहाउस में प्रयोग सहित बागवानी फसलों की संरक्षित खेती विभिन्न बागवानी फसलों की उत्पादकता में सुधार में मदद करती है। वर्तमान में जारी राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) तथा पूर्वोत्तर एवं हिमायली राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अधीन देश में इसे बढ़ावा दिया जाता है। यह कार्यक्रम XIIवीं योजनावधि में भी जारी है।

बीज ग्राम योजना

3940. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बीज अधिनियम में आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित (जीएम) बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित प्रावधान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि जीएम बीज बहुत महंगे हैं तथा कभी-कभी किसान गुमराह किए जा सकते हैं एवं ऐसे बीजों में शामिल जीनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्धारित करने के लिए नयाचार विकसित करने की बेहद जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए हाल में नवपुनर्गठित 'बीज ग्राम योजना' प्रारंभ की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता किसानों तक सीधे नहीं पहुंची है तथा यदि हां, तो इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में जीएम बीजों सहित बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज नियंत्रण) आदेश, 1983 में जीएम बीजों के नमूने लेने तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित बीज जांच प्रयोगशालाओं में जीएम बीजों की जांच करने के प्रावधान है।

(ग) और (घ) बीज नियमावली, 1968 के नियम 33 के अंतर्गत जीएम बीज के जीन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है तथा इसके अंतर्गत जांच प्रयोगशालाएं अधिसूचित की गई है।

भारत में आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा केवल बीटी कपास को अनुमति दी गई है। बीटी कपास उत्पादक कंपनियों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकार बीटी कपास की लागत का निर्धारण करती है।

(ङ) और (च) जी, हां। 'गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत वर्तमान बीज ग्राम घटक में संशोधन किया गया है तथा किसानों को राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के अंतर्गत नए पुन:संरचित 'बीज एवं पौध सामग्री उप-मिशन' (एसएमएसपी) में किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता सुधार के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई है।

(छ) भारत सरकार द्वारा किसानों के प्रत्यक्ष वित्त-पोषण का कोई प्रावधान नहीं है, यह स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय के लिए स्कीम के अंतर्गत राज्यों/कार्यान्वयक एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त करती है।

सहकारी संस्थानों को ऋण

3941. श्री राजू शेट्टी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने महाराष्ट्र सहित देश में सहकारी अवसंरचना के विकास हेतु सहकारी संस्थानों को ऋण/प्रोत्साहन/राजसहायता उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त संस्थानों को दी गयी ऐसी सहायता/निधि का संस्थान एवं राज्य/संध राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीडीसी ऋण चूककर्ताओं के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऋण भुगतान में चूककर्ता पाए गए सहकारी संस्थानों का ब्यौरा क्या है एवं ऐसी गतिविधियों के कारण कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों/सहकारी संस्थानों को दी गई सहायता/निधियों का संस्थान, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, कुछ सहकारी संस्थान/समितियां कार्यकलपों में हुई हानि के कारण ऋणों के पुनर्भुगतान में चूककर्ता है। इन सहकारी संस्थानों/समितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक संगठन एनसीडीसी की मॉनीटरिंग देयों की वसूली तथा चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए एक अंतनिर्मित तंत्र है। ब्याज के साथ-साथ चूक राशि की वसूली के लिए एनसीडीसी द्वारा जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में इस चरण पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विवरण-I

देश में सहकारी अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम (एनसीडीसी द्वारा सहकारी सोसाइटी/संस्थाओं को दिए गए ऋण/राजसहायता के राज्य-वार, सहकारी सोसाइटी/संस्था-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	सोसाइटी/संस्थान का नाम	वर्ष 2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		सब्सिडी	ऋण	कुल	सब्सिडी	ऋण	कुल	सब्सिडी	ऋण	कुल	सब्सिडी	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह												
1.	अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक										0.00	2000.00	2000.00
2.	एलोन हिंगो लि.	0.00	202.50	202.50	50.00	7.50	57.50	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	202.50	202.50	50.00	7.50	57.50	10.00	0.00	10.00	0.00	2000.00	2000.00
	आंध्र प्रदेश												
3.	आंध्र प्रदेश सरकार — सहकारी विभाग				4.00	25.60	29.60	239 09	347.48	586.57			0.00
4.	आंध्र प्रदेश सरकार — सामाजिक कल्याण विभाग	33.31	116.59	149.90	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00
5.	आंध्र प्रदेश सरकार — उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (कर)	143.90	575.60	719.50	610.61	4146.42	4757.03	20.20	80.80	101.00	726.51	12000.00	12726.51
6.	आंध्र प्रदेश सरकार — पशुपालन, डेरी विकास एवं मात्स्यिकी							178.70	536.10	714.80			0.00
7.	मूलकानूर सहकारी ग्रामीण बैंक एवं विपणन सोसाइटी	11.67	37.35	49.02	11.67	37.35	49.02	10.60	26.50	37.10	61.40	153.50	214.90

8.	लार्ज साइज सहकारी सोसाइटी, पोथंगल	9.20	36.80	46.00			0.00			0.00			0.00
9.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	19.20	0.00	19.20			0.00			0.00	6.40	0.00	6.40
10.	वेलूपुरू पीएसीएस	5.00	20.00	25.00			0.00			0.00			0.00
11.	वेनेचिंतलापुडी, पीएसीएस	0.50	1.25	1.75			0.00			0.00			0.00
12.	टन्कू कंस्यूमर को.लि.	3.90	9.75	13.65	3.90	9.70	13.60			0.00			0.00
13.	उनीकीली लार्ज साइज को.सो.	1.60	6.40	8.00			0.00			0.00			0.00
14.	कन्नापुरम पीएसीएस, कोयालगुडम	1.60	6.40	8.00			0.00			0.00			0.00
15.	कनूर लार्ज साइज को.सो.	1.80	7.20	9.00			0.00			0.00			0.00
16.	एलटीपड्ड पीएसीएस	3.00	12.00	15.00			0.00			0.00			0.00
17.	श्रीनिवासपुरम पीएसीएस	1.80	7.20	9.00			0.00			0.00			0.00
18.	बेलीवेनू पीएसीएस	5.20	20.80	26.00			0.00			0.00			0.00
19.	बलीपड्डू पीएसीएस	1.00	4.00	5.00			0.00			0.00			0.00
20.	वेगावरम पीएसीएस	1.00	4.00	5.00			0.00			0.00			0.00
21.	तडूवाई पीएसीएस	1.00	4.00	5.00			0.00			0.00			0.00
22.	अंडलूरू लार्ज साइज को.सो.	1.80	7.20	9.00			0.00			0.00			0.00
23.	गुंडगुलानू लार्ज साइज को.सो.	1.20	4.80	6.00			0.00			0.00			0.00
24.	सेनिवाराकूपेटा लार्ज साइज को.सो.	1.00	4.00	5.00			0.00			0.00			0.00
25.	सिरगालपरी पीएसीएस	1.80	7.20	9.00			0.00			0.00			0.00
26.	पेडापड्ड लार्ज साइज को.सो.	8.00	32.00	40.00	5.33	13.33	18.66	5.33	13.33	18.66			0.00
27.	कामुगुडम लार्ज साइज को.सो.	8.00	32.00	40.00			0.00			0.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक काकीनाडा	0.00	1000.00	1000.00			0.00			0.00			0.00
29.	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विप. संघ				570.00	4000.00	4570.00	430.00	0.00	430.00	0.00	1700.00	17.000
30.	गटूडूडनपली लार्ज साइज को.क्रे.सो.				20.00	80.00	100.00			0.00			0.00
31.	सत्यनारायण पीएसीएस				1.00	4.00	5.00			0.00			0..00
32.	येंडागंडी लार्ज साइज को.क्रे.सो.				4.40	17.60	22.00			0.00			0.00
33.	पलकोडेरी लार्ज साइज को.क्रे.सो.				4.20	16.80	21.00			0.00			0.00
34.	मलिकापली लार्ज साइज को.क्रे.सो.				8.00	32.00	40.00			0.00			0.00
35.	मोगालथूर पीएसीएस				1.00	4.00	5.00			0.00			0.00
36.	श्रीराम मारूति लार्ज साइज को.क्रे.सो.							2.80	11.20	14.00			0.00
37.	टाडला रामपुर पीएसीएस							0.00	7.00	7.00	11.20	21.00	32.20
38.	कोपले लार्ज साइज को.क्रे.सो.							5.80	23.20	29.00			0.00
39.	पेडापुलेरू लार्ज साइज को.क्रे.सो.							4.50	18.00	22.50			0.00
40.	वेम्पा पीएसीएस							1.36	5.44	6.80			0.00
	कुल आंध्र प्रदेश	266.48	1956.54	2223.02	1244.11	8386.80	9630.91	898.38	1069.05	1967.43	805.51	13874.50	14680.01
	अरुणाचल प्रदेश												
41.	अरुणाचल प्रदेश सरकार - सहाकारी विभाग	89.37	311.15	400.52	20.50	611.45	631.95	159.77	304.55	464.32	114.04	816.12	930.16

42.	एके लघु उत्पादक बहुउद्देश्यीय सहाकारी सोसाइटी	35.31	70.63	105.94	65.73	136.72	202.45	34.92	64.58	99.50			0.00
43.	टेक बोगो बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी	0.00	12.74	12.74	0.00	21.23	21.23	16.99	0.00	16.99			0.00
44.	किमिन कड बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी	14.69	29.37	44.06	31.04	88.13	119.17	0.00	61.77	61.77			0.00
45.	मेटरिस प्राथ. औ. सहकारी सोसाइटी	3.22	6.44	9.66	7.10	14.20	21.30	0.00	0.00	0.00			0.00
46.	पाटेडेन बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी	3.91	7.81	11.72	2.80	7.81	10.61	1.11	0.00	1.11			0.00
47.	अलअगम बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी	2.00	0.00	2.00			0.00			0.00			0.00
48.	अरुणाचल प्रदेश सहकारी कृषि वि. संघ				11.50	23.00	34.50			0.00			0.00
49.	अरुणाचल राज्य सहकारी संघ				6.84	0.00	6.84			0.00			0.00
50.	लेकांग लार्ज साइज बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी				1.00	0.00	1.00			0.00			0.00
51.	टांगसापटकई बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी				0.50	0.00	0.50			0.00			0.00
52.	कियी पेन्योर बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी										7.47	19.43	26.90
	कुल (अरुणाचल प्रदेश)	148.50	438.14	586 64	147.01	902.54	1049.55	212.79	430.90	643.69	121.51	835.55	957.06
	असम												
53.	दुआरबघोरी सहकारी सोसाइटी							5.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (असम)							5.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	बिहार												
54.	बिहार सरकार - सहकारी वि.	441.23	1691.79	2133.02	498.77	1359.51	1858.28	1089.95	4784.17	5874.12	1478.90	3281.11	4760.01
55.	बिहार सरकार पशु एवं मछली संसाधन विकास				2.56	0.00	2.56	10.63	0.00	10.63	13.53	0.00	13.53
56.	वैशाली पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	71.75	74.73	146.48	42.75	85.50	128.25			0.00			0.00
57.	मिथला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	39.77	79.54	119.31	119.31	238.62	357.93			0.00			0.00
58.	तिरहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	30.00	0.00	30.00			0.00			0.00			0.00
59.	महुआ सहकारी शीतागार	0.00	85.00	85.00	0.00	120.52	120.52	6.84	100.00	106.84			0.00
60.	बिहार राज्य सहाकरी बैंक				0.00	20000.00	20000.00	0.00	30000.00	30000.00			0.00
61.	सृजन महिला विकास सहयोग समिति				0.10	0.00	0.10			0.00			0.00
	कुल बिहार	582.75	1931.06	2513.81	663.49	21804.15	22467.64	1107.42	34884.17	35991.59	1492.43	3281.11	4773.54
	छत्तीसगढ़												
62.	छत्तीसगढ़ सरकार - सहकारी वि.	7.39	0.00	7.39	4.73	39.54	44.27				5.00	18.41	23.41
63.	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वि. संघ लि.	100.00	27500.00	27600.00	0.00	85000.00	85000.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00	220000.00	220000.00
64.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना				0.00	2500.00	2500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	2500.00	2500.00
65.	बिल्हा सहकारी वि. सोसाइटी										4.00	16.00	20.00
	कुल (छत्तीसगढ़)	107.39	27500.00	27607.39	4.73	87539.54	87544.27	0.00	151500.00	151500.00	9.00	222534.41	222543.41

	दिल्ली												
66.	इफ्फको फा.	4.21	0.00	4.21									
67.	दिव्य ज्योति जागृति संस्थान	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00						
68.	नेशनल फिल्म एंड फाइन आर्ट को.लि.				0.25	0.00	0.25						
	कुल दिल्ली	9.21	0.00	9.21	5.25	0.00	5.25						
	गोवा												
69.	गोवा सरकार - सहकारी विभाग	1.65	18.38	20.03	13.10	18.55	31.65	13.06	45.72	58.78			
	कुल (गोवा)	1.65	18.38	20.03	13.10	18.55	31.65	13.06	45.72	58.78			
	गुजरात												
70.	गुजरात राज्य सहकारी विभाग संघ लि.			0.00	8.56	28.14	36.70	35.09	80.48	115.57	50.96	101.93	152.89
71.	कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि.	184.00	367.98	551.98			0.00	206.17		206.17	73.91	444.77	518.68
72.	साबरकांठा जिला सहकारी संघ लि.	339.53	573.42	912.95	264.63	505.09	769.72	106.39	201.80	308.19	27.88	110.92	138.80
73.	बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि.	17.88	35.76	53.64	56.28	215.61	271.89	286.34	744.39	1030.73			0.00
74.	मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि.	403.74	1049.72	1453.46	296.41	981.08	1277.49	84.93		84.93			0.00
75.	पंचमहल जिला दुग्ध उत्पादन संघ लि.			0.00	209.75	446.97	656.72	70.15	106.50	176.65	6.66	23.17	29.83
76.	भंडारण सेवा सहकारी मंडली लि.			0.00			0.00	2.34	4.69	7.03			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77.	श्री खेदूत सहकारी खंड उद्योग मंडली लि. पांडली		1515.03	1515.03		1572.80	1572.80		1507.33	1507.33	0.00	2390.00	2390.00
78.	श्रीगणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि.		1498.87	1498.87	31.49	1454.85	1486.34		1000.00	1000.00		1261.00	1261.00
79.	गुजराज राज्य महिला सेवा सहकारी संघ लि.			0.00			0.00	4.10		4.10			0.00
80.	श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि. नर्मदा		2344.36	2344.36			0.00		2230.00	2230.00		2935.00	2935.00
81.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद			0.00			0.00	1.40		1.40			0.00
82.	गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. गांधीनगर			0.00	50.00	147.35	197.35			0.00	24.43	48.86	73.29
83.	दूधसागर डेरी एम्पलोइज क्रे. एंड सप्लाई को.सो. लि.			0.00			0.00			0.00	0.00	34.58	34.58
84.	थरणतालू का को. परचेज एवं सेल्स यूनि. लि.			0.00			0.00			0.00		9.59	9.59
85.	सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	52.23	93.26	145.49	72.50	108.75	181.25						
86.	बड़ौदा जिला सहकारी दुग्ध संघ	108.39	198.89	307.28	50.00	250.00	300.00						
87.	अहमदाबाद जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	8.82	17.63	26.45			0.00						
88.	खेड़ा जिला कृषि उत्पादक एवं प्र.को. संघ लि.	1.63		1.63		560.15	560.15						
89.	श्री लोदरा जूट तिलहन उत्पादक सहकारी मंडली लि.	4.44	8.88	13.32			0.00						

90. श्री सयन विभाग सहकारी रवांड उ. मंडली लि.		277.96	277.96			0.00						
91. सहकारी खांड उ. मंडली गनदेवी		1429.78	1429.78			0.00						
92. अमलसद विभाग विविध कार्यकारी सहकारी खेदूत मंडली लि.		80.72	80.72	50.00		50.00						
कुल (गुजरात)	1120.66	9492.26	10612.92	1089.62	6270.79	7360.41	796.91	5875.19	6672.10	183.84	7359.82	7543.66
हरियाणा									0.00			
93. सहकारी विभाग	8.71	252.25	260.96	19.55	374.39	393.94	16.90	629.89	646.79		5889.00	5889.00
94. हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विभाग संघ	701.98	1566.24	2268.22	361.17	1185.42	1546.59	251.32	12315.87	12567.19	19.63	39.25	58.88
95. शाहाबाद सहकारी चीनी मिल लि. शाहाबाद			0.00					3266.15	3266.15			0.00
कुल (हरियाणा)	710.69	1818.49	2529.18	380.72	1559.81	1940.53	268.22	16211.91	16480.13	19.63	5928.25	5947.88
जम्मू और कश्मीर												
96. सहकारी विभाग	107.78	0.00	107.78	84.58	167.23	251.81	241.15	675.11	916.26		97.07	97.07
कुल (जम्मू और कश्मीर)	107.78	0.00	107.78	84.58	167.23	251.81	241.15	675.11	916.26	0.00	97.07	97.07
झारखंड												
97. सहकारी विभाग	543.70	1039.02	1582.72	127.47	888.05	1015.52	13.28	1148.30	1161.58	3.72		3.72
98. उज्ज्वल कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि.				1.20		1.20						
कुल (झारखंड)	543.70	1039.02	1582.72	128.67	888.05	1016.72	13.28	1148.30	1161.58	3.72	0.00	3.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	कर्नाटक												
99.	कर्नाटक राज्य सहकारी विभाग संघ लि.	19.38	142.25	161.63	46.25	62.38	108.63	11.25	33.75	45.00			0.00
100.	कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित			0.00	42.50	85.00	127.50	42.50	85.00	127.50		4000.00	4000.00
101.	शिमोगा सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी संघ लि.			0.00			0.00	53.12	106.24	159.36	6.88	13.77	20.65
102.	मैसूर-चमराजनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी लि.			0.00	2.50		2.50	63.95	122.90	186.85	51.80	103.60	155.40
103.	रायचूर, बेलारी एवं कोपल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी लि.			0.00			0.00	45.87	107.10	152.97	4.77	9.55	14.32
104.	मांडलया जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी संघ लि.			0.00			0.00	196.78	568.56	765.34		61.96	61.96
105.	टुमकुर सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी संघ लि.			0.00			0.00	39.96	79.94	119.90			0.00
106.	केन्द्रीय सुपारी एवं कोको विभाग एवं प्र. सहकारी लि.			0.00			0.00	18.60	37.19	55.79	3.14	7.62	10.76
107.	होसाकोटे तालुक कृषि उपज सहकारी विभाग सोसाइटी लि.	1.25	23.20	24.45	1.63	5.20	6.83	7.38	17.91	25.29	3.50	8.50	12.00
108.	प्राथमिक कृषि पथीना सहाकरी संघ नियमित हिरेपडासलगई			0.00	4.38	16.63	21.01	2.01	4.89	6.90			0.00
109.	खानपुर तालुका कृषि उपज सहकारी विभाग सोसाइटी लि.			0.00	3.15	8.70	11.85	4.41	8.83	13.24		56.00	56.00

110. प्रा. कृषि क्रे.को.सो.लि. थेररू			0.00			0.00	2.07	5.02	7.09	2.07	5.02	7.09
111. मलांड सुपारी विभाग सहकारी सोसाइटी लि.	7.03	16.88	23.91			0.00	9.96	23.18	33.14			0.00
112. सदगला पूर्वी प्रभाग प्रा. कृषि सहकारी बैंक लि. सदगला	0.31	1.12	1.43			0.00	0.31	1.13	1.44			0.00
113. हेलेमुदीगिरी व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक लि., बुद्धिगिरी	2.34	3.50	5.84			0.00	2.34	3.50	5.84			0.00
114. नं. 2760 चेटली प्रा. कृषि पटीना सहकारी संघ नि.			0.00			0.00	2.60	6.32	8.93	2.60	6.32	8.92
115. रायत्रा कृषि उपज विभाग सहकारी सोसाइटी लि., मांडया	7.26		7.26			0.00	3.13	7.50	10.63			0.00
116. तिथिमती व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक लि., तिथिमती			0.00	1.72	6.50	8.22	1.72	6.50	8.22			0.00
117. प्राथमिक कृषि क्रे.को.सह.सो. लि., कलसा			0.00	5.28	17.07	22.35	3.09	11.75	14.84	5.00	10.45	15.45
118. प्राथमिक कृषि क्रे.को.सह.सो. लि., जम्बागीदीपे			0.00	2.50	9.50	12.00	1.92	4.65	6.57		0.00	0.00
119. प्राथमिक कृषि पटीना सहकारी बैंक लिमिटेड ट्रंगल			0.00	1.25	4.75	6.00	1.25	4.75	6.00			0.00
120. किनल प्राथमिक कृषि पटीना सहकारी संघ लिमिटेड, किनल			0.00			0.00	2.44	9.14	11.58			0.00
121. सिरसी तालुका कृषि उपज सहकारी विप.सो.लि.			0.00	9.38	30.00	39.38	8.72	21.19	29.91			0.00
122. केआर पेटे कस्बा कृषि पटीना सहकारी संघ नि.			0.00	1.28	4.87	6.15	1.28	4.87	6.15			0.00
123. कोर्ग हनी एंड वेस्क उत्पादक सहाकारी विभाग सोसाइटी लिमिटेड, विरजपद			0.00			0.00	0.86	1.72	2.58	2.57	5.15	7.72
124. वडागिरी व्यवसाय सेवा सहकारी संघ लिमिटेड, वडागिरी			0.00	1.02	3.25	4.27	1.02	3.25	4.27			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125.	प्राथमिक कृषि पटीना सहकारी बैंक लिमिटेड, एक्जमा नं. 1			0.00	0.48	4.29	4.77	0.48	4.29	2.33			0.00
126.	व्यवसाय सेवा सहकारी संघ लिमिटेड, नेरलकेरे			0.00	0.63	2.38	3.01	0.63	2.38	3.00			0.00
127.	नं. 2763 प्राथमिक कृषि क्रे. सहकारी संघ सोसाइटी लिमिटेड, नजरायपटना			0.00			0.00	2.94	11.16	14.10			0.00
128.	प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, तिमापुरा			0.00	1.56	3.12	4.68	1.56	3.12	4.67			0.00
129.	मुंडजे को. कृषि सोसाइटी लि., नं. 5609			0.00			0.00	1.31	5.11	6.42	1.31	5.11	6.42
130.	नं. 276 पोनमपेटनाड कृषि उपज विभाग एवं प्र.को.सो.लि.			0.00			0.00	8.40	20.40	28.80			0.00
131.	प्राथमिक कृषि सहकारी क्रे. सोसाइटी लि., लिंगानू			0.00			0.00	2.76	6.70	9.47	2.76	6.70	9.46
132.	पंजा को. कृषि सोसाइटी लि. नं. एल 1028			0.00			0.00	4.77	11.58	16.35			0.00
133.	प्राथमिक कृषि सहकारी क्रे. सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, मारेगुडी			0.00			0.00	1.53	3.06	4.59	1.53	3.06	4.59
134.	नं. 2797 शेटीगिरी कृषि क्रे. सहकारी सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	7.09	17.21	24.30			0.00
135.	तालुक कृषि उपज सहकारी विभाग सोसाइटी लिमिटेड, तिपतूर			0.00			0.00	3.72	9.03	12.75			0.00
136.	मनकपुर प्रा. कृषि पटीन सहकारी संघ लिमिटेड			0.00			0.00	1.38	3.35	4.73			0.00

137. प्रा. कृषि पटीना सहकारी संघ लिमिटेड, केरूर			0.00		0.00	7.00	14.00	21.00			0.00
138. प्रा. कृषि क्रे.को.सो.लि., हटीकेरे			0.00		0.00	0.96	2.34	3.30	0.96	2.34	3.30
139. प्रा. कृषि पटीना सहकारी संघ निय. शिरागुपी			0.00		0.00	1.33	3.15	4.49	6.62	16.01	22.63
140. प्रा. कृषि क्रे.को.सो.लि., कनकपुर			0.00		0.00	1.05	2.11	3.16	1.05	2.11	3.16
141. प्रा. कृषि क्रे.को.सो.लि., यलिबला			0.00		0.00	1.51	3.67	5.18	1.51	3.67	5.18
142. रोटीगावड प्रा. कृषि क्रे.को.सो. लिमिटेड			0.00		0.00	1.36	3.29	4.65			0.00
143. प्रा. कृषि पटीना सहकारी संघ लिमिटेड, खदकालक			0.00		0.00	1.79	4.36	6.15			0.00
144. प्रा. कृषि क्रे.को.सो.लि., कूडीकेरी			0.00		0.00	2.70	6.57	9.27	2.70	6.57	9.27
145. प्रा. कृषि क्रे.को.सो.लि., चिकालकी			0.00		0.00	3.06	7.44	10.50	3.06	7.44	10.50
146. प्रा. कृषि क्रे. सहकारी सो.लि., मदरखंडी			0.00		0.00	3.19	7.76	10.95			0.00
147. सेरीकल्चरिस्ट कम पार्मल सर्विस सहकारी लिमिटेड, नेलाबगिलू			0.00		0.00	0.88	2.13	3.00	0.88	2.13	3.01
148. रायथ्रा सेवा सहकारी संघ नि., हिसारघट			0.00		0.00	1.97	4.78	6.75			0.00
149. व्यवसाय सेवा सहकारी संघ नि., शिथुरू			0.00		0.00	4.16	10.12	14.28			0.00
150. नं. 582, प्रा. कृषि क्रे.को.सो. हकातपुर			0.00		0.00	5.17	7.23	12.40	5.17	7.23	12.40
151. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	12.16	748.00	760.16	24.76	24.76	0.22	0.00	0.22			0.00
152. उद्योग (लघु उद्योग) विभाग			0.00	146.67	146.67	28.98	0.00	28.98			0.00
153. गडगा सहकारी काटन सेल्स सो.लि.	7.06	70.00	77.06		0.00	0.00	100.00	100.00		100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154.	द नन्दी सहकारी शक्कर कारखाना	22.81	5219.00	5241.81		6846.00	6846.00	0.00	4863.79	4863.79		4274.54	4274.54
155.	कृष्णा एसएसके			0.00		1728.00	1728.00	0.00	4500.00	4500.00			0.00
156.	संजीवनी को. हॉस्पीटल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीच्यूशन			0.00			0.00	0.00	200.00	200.00		52.20	52.20
157.	श्री साई नाथ सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड			0.00			0.00	0.00	57.96	57.96			0.00
158.	ट्रांसपोर्ट को.सो.लि. कोपा		20.00	20.00			0.00	0.00	29.00	29.00			0.00
159.	विरजपत कृषि उपज वि.सो.लि.			0.00			0.00				1.60	3.80	5.40
160.	अदिहदी प्राथमिक कृषि पटिना सहकारी बैंक निरूमित, अदिहदी			0.00	0.94	6.70	7.64				0.94	6.70	7.64
161.	प्राथमिक कृषि क्रे.को.सी., मुटिनाकोपा			0.00			0.00				0.96	2.23	3.19
162.	पीएसीएस, केम्सवाड			0.00			0.00				2.06	7.94	10.00
163.	टी बेगूर वीएसएसएसएन			0.00			0.00				1.62	8.63	10.25
164.	श्रीमंगला कृषि उपज विपणन एवं प्रसंस्करण को.सो.			0.00			0.00				7.88	19.13	27.01
165.	मुड्रगोडू पीएसीएसएस			0.00			0.00				1.47	3.58	5.05
166.	पीएसीसीएस, कुलाहाली			0.00			0.00				2.22	5.40	7.62
167.	पीएसीसीएस, दोरालू			0.00			0.00				1.47	3.37	4.84
168.	दिगवेदी पीएसीसीएस			0.00			0.00				1.84	4.46	6.30
169.	होसा दिगवेदी पीएसीसीएस			0.00			0.00				1.84	4.46	6.30
170.	सतीहली पीकेपीएसएसएन			0.00			0.00				2.49	6.04	8.53
171.	नं. 2784, पीएसीसीएस, हाथूर			0.00			0.00				2.63	6.38	9.01

172. कावदी पीएसीसीएल लि.			0.00			0.00	2.58	6.27	8.85
173. बेवूर पीकेपीएसएसएन			0.00			0.00	2.03	4.94	6.97
174. हलासली पीकेपीएसएसएन			0.00			0.00	0.88	2.13	3.01
175. चीकमूलगूड्र पीकेपीएसएसएन			0.00			0.00	0.88	2.13	3.01
176. पीकेपीएसएसएन काथायान्ली			0.00			0.00	0.88	2.13	3.01
177. पीकेपीएसएसएन लि., पोरीगली			0.00			0.00	0.88	2.13	3.01
178. पीकेपीएसएसएन याचनहली			0.00			0.00	2.41	5.84	8.25
179. कोलार चिकबलापुर सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी संघ			0.00			0.00	40.21	92.65	132.86
180. सहकारिता विभाग कर्नाटक सरकार	18.26	84.78	103.04	22.96	21.20	44.16			0.00
181. कृषक सहकारी कताई मिल	15.11		15.11			0.00			0.00
182. तोता उत्पंगला मार्क सहकारी संघ	20.56	41.11	61.67			0.00			0.00
183. चिकापदसल्गी पीकेपीएसएसएन	3.44	8.25	11.69			0.00			0.00
184. पीकेपीएसएसएन एनापुर	2.03	4.07	6.10			0.00			0.00
185. पीकेपीएसएसएन बेलूर			0.00			0.00	1.23	2.98	4.21
186. पीकेपीएसएसएन जामखंडी	0.88	4.11	4.99			0.00			0.00
187. पीकेपीएसएसएन टोडलबगी	0.75	3.50	4.25			0.00			
188. हिरेकरूर टीएपीसीएमएस	0.78	2.00	2.78			0.00			
189. गोकक टीएपीसीएमएस	2.34	5.00	7.34			0.00			
190. चिकबलापुरा टीएपीसीएमएस	3.13	6.25	9.38			0.00			
191. चिकलगुंडी केपीएसएसबीन	0.63	1.75	2.38			0.00			
192. कुड्रवली वीएसएसएसएन	0.78	6.39	7.17			0.00			
193. पीएसीसीएस लि., उच्चांगीदुर्गा	1.72	3.44	5.16			0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194.	इलाहोंउ पीकेपीएसएसएन	0.86	1.72	2.58			0.00						
195.	हालंदूर वीएसएसएन	0.70	2.00	2.70			0.00						
196.	रामेश्वर कोडमंगलूर वीएसएसबीएन	2.50	5.75	8.25			0.00						
197.	कृषक सेवा सहकारी बैंक	1.88	5.25	7.13			0.00						
198.	सोनदलगा पीकेपीएसबीएन	0.69	2.00	2.69	0.69	2.00	2.69						
199.	गार्लगुंजी पीकेपीएसबीएन	0.73	1.46	2.19	0.73	1.47	2.20						
200.	डोडामार्ली केपीएसएसबीएन	0.70	2.25	2.95	0.70	2.25	2.95						
201.	अमाथी वीएसएसबीन	1.94	4.65	6.59	1.94	4.65	6.59						
202.	सेरीकल्चरिस्ट कम फार्मस सर्वि. को.सा.लि. जिडगनहली	2.34	5.63	7.97			0.00						
203.	कृशलनगर एपीसीएमएस	1.56	3.75	5.31	1.56	3.75	5.31						
204.	चेटली पीकेपीएसएसएन	0.75	1.80	2.55	0.75	1.80	2.55						
205.	पीकेपीएसएसएन मणिकरी	0.94	2.25	3.19	0.94	2.25	3.19						
206.	वीएसबीएन, अल्दूर	1.56	3.75	5.31			0.00						
207.	वेमगल सेरीकल्चरिस्ट कम फार्मस सर्वि. को.सो.लि. बैंक	1.50	3.60	5.10			0.00						
208.	हिरेमगुनूर पीकेपीएसएसएन	1.31	5.00	6.31			0.00						
209.	हिरेकरूर टीएसी होलसेल स्टोर	0.00	2.46	2.46		7.39	7.39						
210.	श्री साईनाथ सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., मगूर			0.00			0.00				20.36		
211.	श्री बसेवेश्वर पीकेपीएसबीएन			0.00	0.39	1.37	1.76						
212.	फार्मस सर्विस को. बैंक. अवथी			0.00	1.88	5.25	7.13						

213. अथानी पीकेपीएसबीएन, कागवाड			0.00	0.88	2.80	3.68						
214. पीकेपीएसएसबीन, सावल्गी			0.00	4.00	15.20	19.20						
215. रामपुर पीकेपीएसबीएन			0.00	2.21	6.91	9.12						
216. अचनूर पीकेपीएसबीएन			0.00	0.88	2.80	3.68						
217. भगवती पीकेपीएसबीएन			0.00	1.72	3.87	5.59						
218. घटीकनूर पीकेपीएसबीएन			0.00	1.09	4.16	5.25						
219. रेवनसिद्धेश्वर वीएसएसएसएन, तारीकरी			0.00	4.28	19.97	24.25						
220. करींगला वीएसएसएसएन			0.00	0.94	3.56	4.50						
221. होशालूनू वीएसएसबीन			0.00	1.25	4.75	6.00						
222. यदूरा पीकेपीएसएसएन चिकोडी				2.31	15.17	17.48						
223. बेलहोनू पीएसीएस लि.				1.31	3.19	4.50						
224. पीएसीएस लि. हराबू				1.68	3.35	5.03						
225. कामधेनू सहकारी विद्याश्रम लि.				8.86		8.86						
226. नेलामंगल टीएपीसीएमएस					3.25	3.25						
कुल (कर्नाटक)	169.97	6467.92	6637.89	361.83	8986.70	9348.53	630.44	11213.87	11841.87	211.24	8980.37	9171.25
हिमाचल प्रदेश												0.00
227. सहकारी विभाग	716.58	2367.48	3084.06			0.00	88.74	860.72	949.46	282.71	399.37	682.08
228. कांगरा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.			0.00	426.79	1064.73	1491.52	249.81	624.52	874.33		39.61	39.61
229. भूटी बुनकर सहकारी सोसाइटी लि. भूटीको	6.07	15.18	21.25	20.00	80.00	100.00	15.82	40.23	56.05	2.03	5.26	7.29
230. चूराह अली अल्टरनेटिव एग्रो होटिकल्चर एंड डेव.को.सो.लि.			0.00			0.00	4.17	10.43	14.60	8.00	32.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231.	दादूहोल कृषि सेवा को.सो.लि. पदीअलग			0.00			0.00	8.00	32.00	40.00			0.00
232.	हरसार लार्ज साइज को. कृषि सेवा सोसाइटी लि.	0.62	1.54	2.16			0.00	3.80	15.20	19.00	1.41	3.52	4.93
233.	बलोह सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी लि.			0.00			0.00	4.00	16.00	20.00			0.00
234.	करोली सहकारी बहुद्देश्यीय सहकारी लि.			0.00	5.00	12.50	17.50	8.00	32.00	40.00			0.00
235.	भरारी देवी को. कृषि सेवा को.लि.			0.00			0.00	2.00	8.00	10.00			0.00
236.	बिहार को. कृषि सेवा सोसाइटी लि.			0.00			0.00	1 28	5.12	6.40			0.00
237.	लाडरूर कला को. कृषि सोसाइटी लि.			0.00			0.00	3.08	12.32	15.40			0.00
238.	पली बेनल को. कृषि सर्विस प्रा.लि.			0.00			0.00	3.44	13.76	17.20			0.00
239.	सुनहरा को. कृषि सेवा सोसाइटी लि.			0.00			0.00	2.76	11.04	13.80			0.00
240.	सिहाल को. कृषि सेवा सोसाइटी लि.			0.00			0.00	2.84	11.36	14.20			0.00
241.	डोल को. कृषि सर्विस सोसाइटी लि.			0.00			0.00	1.95	7.80	9.75			0.00
242.	द कक्कड़ कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	6 00	24.00	30.00			0.00
243.	द लगमैनबीन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	3.00	12.00	15.00			0.00
244.	द टिकरी कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	1.32	5.28	6.60			0.00

245. भरमार कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड भरमार	0.00	0.00	4.00	16.00	20.00	0.00
246. द निचार तहसील कॉर्पोरेशन मार्केटिंग उपभोक्ता सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.50	3.75	5.25	0.00
247. द चमुखा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	7.70	9.70	0.00
248. द बोंगटा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.64	2.56	3.20	0.00
249. द हाबरोल कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.80	7.20	9.00	0.00
250. द कैथोली कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.84	7.36	9.20	0.00
251. द सुरानी कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	2.08	8.32	10.40	0.00
252. द अपर भरोली कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सेासाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.30	5.20	6.50	0.00
253. द कुन्हा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.72	6.88	8.60	0.00
254. द बजरोह कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.60	6.40	8.00	0.00
255. द घेवरी कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	2.20	8.80	11.00	0.00
256. द चपलाहा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.96	3.84	4.80	0.00
257. द सुरारवन गागवन कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00	0.00
258. द मिन्जग्राम कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.00	0.00	1.88	7.52	9.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259.	द चट्टा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	1.92	7.68	9.60			0.00
260.	द सिध पूर धार कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	2.04	8.16	10.20			0.00
261.	द बेही पथियार कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	1.68	6.72	8.40			0.00
262.	द तलाई ग्राम सेवा कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	8.00	32.00	40.00			0.00
263.	द बहनवीन कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	1.19	4.76	5.95			0.00
264.	द करोहटा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00	1.28	5.12	6.40			0.00
265.	द खुंदियान कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00				4.56	18.24	22.80
266.	द पिहरी कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			000			0.00				1.16	4.64	5.80
267.	द बाग कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00				1.29	5.16	6.45
268.	द नगरोटा नाहन कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00				0.96	3.84	4.80
269.	द मिंता कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00				1.48	5.92	7.40
270.	द कटोरी फल उत्पादक कॉर्पोरेशन विपणन एवं प्रसंस्करण सोसाइटी			0.00			0.00				2.73	6.83	9.56
271.	द करोन कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			0.00			0.00				0.80	3.20	4.00

272. गिओरा कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड		0.00			0.00				2.00	8.00	10.00
273. सलोह कॉर्पोरेशन कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड		0.00			0.00				1.50	3.75	5.25
274. हिमाचल प्रदेश राज्य कॉर्पोरेशन विपणन एवं निर्माण फेडरेशन लिमिटेड	6.31	6.31			0.00						
275. शिमला तहसील कॉर्पोरेशन विपणन एवं निर्माण यूनियन	9.60	9.60			0.00						
276. सोलन जिला, कॉर्पोरेशन विपणन एवं निर्माण फेडरेशन लिमिटेड	5.00	5.00			0.00						
277. हिमाचल प्रदेश राज्य कॉर्पोरशन बैंक लिमिटेड	30000.00	30000.00	242.22	787.21	1029.43						
278. हिमाचल प्रदेश राज्य हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट विकास कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड				0.80	2.00	2.80					
279. अमलेला सीएएसएस लिमिटेड				0.12	0.30	0.42					
280. गोजरा सीएएसएस, मनाली				0.40	1.60	2.00					
कुल (हिमालच प्रदेश)	32405.11	33128.38	695.33	1948.34	2643.67	450.64	1901.75	2352.39	310.63	539.34	849.97
केरल											
281. केरल सरकार - उद्योग विभाग	343.68	343.68		1325.77	1325.77	239.71	602.59	842.30			0.00
282. केरल सरकार - मात्स्यिकी विभाग तथा पत्तन विभाग	1268.17	1268.17		2927.35	2927.35		2280.63	2280.63		1267.22	1267.22
283. केरल सरकार - कॉर्पोरेशन विभाग	5684.61	5684.61	89.59	4163.02	4252.61	38.99	3166.54	3205.53	22.74	1721.62	1744.36
284. केरल राज्य कॉर्पोरेशन कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	20000.00	20000.00		7500.00	7500.00			0.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285.	द मल्लापुरम जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		2500.00	2500.00		1250.00	1250.00		1250.00	1250.00		2500.00	2500.00
286.	वयानाड जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		2500.00	2500.00		4250.00	4250.00		6250.00	6250.00		1250.00	1250.00
287.	त्रिचूर जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		10000.00	10000.00		5000.00	5000.00			0.00			0.00
288.	कन्नूर जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		30000.00	30000.00		10000.00	10000.00			0.00			0.00
289.	द कासरगोड जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		5000.00	5000.00		4000.00	4000.00		3500.00	3500.00		1000.00	1000.00
290.	कोझिकोडे जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		16000.00	16000.00		14000.00	14000.00		13550.00	13550.00		12900.00	12900.00
291.	इडुक्की जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		17600.00	17600.00		20000.00	20000.00		5000.00	5000.00		15000.00	15000.00
292.	पालाकाड जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड			0.00		10000.00	10000.00			0.00			0.00
293.	तिरुवनन्तपुरम जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड			0.00		5000.00	5000.00			0.00			0.00
294.	पालाकाड जिला, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड							5.15					0.00
295.	नाडाकुट्टाझा सेवा कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड											89.87	89.87
	कुल		110896.46	110896.46	89.59	89416.14	89505.73	283.85	35599.76	35883.61	22.74	35728.71	35751.45
	मध्य प्रदेश												
296.	मध्य प्रदेश सरकार – सहकारिता विभाग		1800.00	1800.00	695.25	3000.00	3695.25	896.99	6371.70	7268.69	488.39	3869.29	4357.68

297. मध्य प्रदेश राज्य कॉर्पोरेशन विपणन फेडरेशन लिमिटेड		0.00	6.25	14.73	20.98	10.14		10.14			0.00
298. एलोटे सहकारी विपणन संस्था मर्यादित	28.68	28.68	2.48	4.37	6.85			0.00			0.00
299. प्राथमिक कृषि कॉर्पोरेशन सेवा सोसाइटी लिमिटेड टालेन	22.21	22.21	3.70	7.81	11.51			0.00			0.00
300. सहकारी शीत ग्रीथ संस्था मार्यादित, रऊ	106.60	106.60	5.00	36.42	41.42	16.17	35.05	51.22			0.00
301. विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, पेल्टावाद		0.00	4.00	16.00	20.00			0.00			0.00
302. देवश्री विपणन एसएस लिमिटेड, कासरवाद		0.00	5.00	20.00	25.00			0.00			0.00
303. जवाहर लाल नेहरू सहकारी एपीपीएस लिमिटेड	2500.00	2500.00	1.44	1000.00	1001.44		1500.00	1500.00			0.00
304. इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		0.00	2.00		2.00			0.00			0.00
305. श्री शक्ति विपणन एसएस लिमिटेड, गोगवा	5.90	5.90			0.00			0.00			0.00
306. सहकारी विपणन संस्थान मर्यादित, इचावर	3.13	3.13			0.00			0.00			0.00
307. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, खारगोन						65.32	199.95		14.86		14.86
308. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, शाजापुर						11.80	29.50				0.00
309. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, विदिशा						9.22	23.04		8.50	21.25	29.75
310. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, रायसेन						6.50	65.00		19.50		19.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
311.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, छत्तरपुर							16.00	40.00				0.00
312.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, उज्जैन										17.05	42.62	
313.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, ग्वलियर										25.79	64.47	
314.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, मंदसौर										25.79	102.55	
315.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, राजगढ़										41.02	45.03	
316.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, धार										18.01	5000.00	
317.	मध्य प्रदेश राज्य माइनर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड							172.00	349.08		42.60	106.49	149.09
318.	कृषक सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड								444.15				0.00
319.	मार्केटिंग कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड, नरसिंहगढ़										4.80	43.00	
320.	कृषक सहकारी विपणन समिति लिमिटेड, खिलचीपुर										2.78	11.12	
321.	आस्था कॉर्पोरेशन मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड										2.40	6.00	
	कुल		4466.52	4466.52	725.12	4099.33	4824.45	1204.14	9057.47	10261.61	685.50	9311.82	9997.32
	महाराष्ट्र												
322.	महाराष्ट्र सरकार – सहकारिता एवं वस्त्र विभाग		13577.84	13577.84	465.73	15440.32	15906.05	8.89	6252.23	6261.12	34.03	2646.64	2680.67

323. महाराष्ट्र सरकार – कृषि, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग	6728.58	6728.58		5305.09	5305.09	7.56	2110.97	2118.53		2385.02	2385.02
324. सर्गेश्वर सहकारी सूत गिरनी लिमिटेड	49.83	49.83	41.22	49.83	91.05	15.75		15.75			0.00
325. राजारामबापू पाटिल एसएसके लिमिटेड	3003.88	3003.88		10500.00	10500.00		3250.00	3250.00		8937.50	3937.50
326. शेतकारी सहकारी सूत गिरनी लिमिटेड		0.00	116.01		116.01	84.54		84.54			0.00
327. महाराष्ट्र राज्य कॉर्पोरेशन विपणन फेडरेशन लिमिटेड	100.59	100.59			0.00			0.00	8.50	16.99	25.49
328. जवाहरलाल शेतकारी एसएसजी लिमिटेड		0.00	0.37		0.37			0.00			0.00
329. लोकनायक जयप्रकाश एसएसजी लिमिटेड		0.00			0.00			0.00			0.00
330. प्रियदर्शनी सहकारी सूत गिरनी लिमिटेड		0.00			0.00			0.00			0.00
331. विठल राव शिंदे एसएसके लिमिटेड	2579.99	2579.99	49.28	2936.45	2985.73	141.57	2805.73	2947.30		8259.98	8259.98
332. पुणे जिला कृषि औ. एसएसएस लिमिटेड	46.88	46.88		28.13	28.13			0.00			0.00
333. शोलापुर जिला केंद्रीय कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड		0.00	12.91	4000.00	40012.91		66500.00	66500.00			0.00
334. श्री स्वामी समर्थ सेटीवा बिनकरी एसएसजी लिमिटेड		0.00	59.28		59.28	42.54		42.54	1.05	312.00	313.05
335. श्री पांडू रंग एसएसके लिमिटेड	3017.00	3017.00			0.00	50.75	4337.18	4387.93	540.00	540.00	
336. जवाहर लाल सेतकरी एसएसके लिमिटेड	2795.00	2795.00		4985.00	4985.00		4898.00	4898.00		4990.00	4990.00
337. विठल एसएसके लिमिटेड	1136.53	1136.53		534.64	534.64		380.90	380.90		270.00	270.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338.	यशवंत राव मोहित कृष्णा एसएसके लिमिटेड		1400.08	1400.08			0.00			0.00		770.59	770.59
339.	श्री विगहन एसएसके लिमिटेड		1888.86	1888.86		2335.54	2335.54		3013.88	3013.88		793.00	793.00
340.	किसान बीर सतारा एसएसके लिमिटेड		4450.00	4450.00			0.00		3035.74	3035.74			0.00
341.	छत्रपति साहू एसएसके लिमिटेड		1350.00	1350.00		3850.00	3850.00		350.00	350.00		1877.20	1877.20
342.	वसंत राव दादा पाटील एसएसके लि.		3483.00	3483.00		1326.47	1326.47			0.00			0.00
343.	वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधक संघ			0.00			0.00	0.40		0.40	1.20		1.20
344.	समर्थ एसएसके लिमिटेड		1309.63	1309.63			0.00			0.00			0.00
345.	श्री सोमेश्वर एसएसके लिमिटेड		2369.59	2369.59			0.00			0.00			0.00
346.	गोधगंगा एसएसके लिमिटेड		495.97	495.97			0.00		2500.00	2500.00		2691.50	2691.50
347.	द संजीवनी (ताकिल) एसएसके लिमिटेड		1060.32	1060.32		908.12	908.12		366.11	366.11			0.00
348.	मालेगांव एसएसके लिमिटेड		119.31	119.31			0.00			0.00			0.00
349.	माजलगांव एसएसके लिमिटेड		820.01	820.01		589.83	589.83		4021.26	4021.26		2893.73	2893.73
350.	विकास एसएसके लिमिटेड		1297.82	1297.82			0.00			0.00			0.00
351.	श्री दूधगंगा वी एसएसके लिमिटेड		1889.57	1889.57		1788.39	1788.39			0.00			0.00
352.	सदाशिव राव मंडलिक केटी एसएसके लिमिटेड		972.39	972.39		906.33	906.33	92.51	92.51	185.02			0.00
353.	श्री ध्यानेश्वर एसएसके लिमिटेड		270.00	270.00			0.00			0.00			0.00
354.	क्रांति एसएसके लिमिटेड		288.91	288.91			0.00			0.00		2026.76	2026.76
355.	द श्रीगोंडा एसएसके लिमिटेड		49.94	49.94			0.00			0.00			0.00

356. पूर्ण एसएसके लिमिटेड	2513.13	2513.13			0.00			0.00			0.00
357. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एसएसके लिमिटेड	1304.73	1304.73		400.41	400.41			0.00			0.00
358. सोनहिरा एसएसके लिमिटेड	3261.36	3261.36			0.00			0.00		264.60	264.60
359. श्री शंकर एसएसके लिमिटेड	1622.36	1622.36		1719.78	1719.78			0.00			0.00
360. लातूर डीसीबी लिमिटेड				12500.00	12500.00		8400.00	8400.00		5000.00	5000.00
361. कर्मयोगी शंकररावजी एसएसके लिमिटेड				9450.00	9450.00		4530.36	4530.36		2387.95	2387.95
362. विश्वासराव नाईक एसएसके लिमिटेड				1663.03	1663.03		1037.69	4513.00		1037.69	0.00
363. वैधनाथ एसएसके लिमिटेड							4694.40	4694.40			0.00
364. कुभी कसारी एसएसके लिमिटेड							4513.00	4513.00		3827.02	3827.02
365. नीरा भीमा एसएसके लिमिटेड							4500.00	4500.00		5514.58	5514.58
366. अशोक सहकारी एसएसके लिमिटेड							3448.62	3448.62		999.70	999.70
367. श्री ताटया साहेब कोरे वर्ना एसएसके लिमिटेड							308.61	308.61			0.00
368. शंकर महर्षि शंकरराव मोहित पाटिल एसएसके लिमिटेड							6356.15	6356.15			0.00
369. संपत राव देखमुख सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड									27.50	55.00	82.50
370. मंगल सिद्धी एमएमएसएसएसएस लिमिटेड										99.29	99.29
371. पूणे जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड									23.87	192.34	216.21
372. भीमाशंकर एसएसके लिमिटेड										1712.95	1712.95
373. मंजरा एसएसके लिमिटेड										2613.60	2613.60
कुल	65253.10	65253.10	744.80	117217.36	117962.16	444.51	141703.34	142147.85	96.15	62077.94	62174.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	मणिपुर												
374.	द जेटी सेलूखोम पीसीकल्चर एलआरसीएस लिमिटेड		2.37	2.37	0.00	6.83	6.83	1.63		1.63			
	कुल		2.37	2.37	0.00	6.83	6.83	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
	मेघालय												
375.	मेघालय सरकार - सहकारी विभाग		4.78	4.78	18.27	20.25	38.52						
	कुल		4.78	4.78	18.27	20.25	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मिज़ोरम												
376.	मिज़ोरम सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड		16.08	16.08				1.78	3.55	5.33			
377.	मिज़ोरम सरकार सहकारी विभाग		71.40	71.40				9.87	53.58	63.45	13.14	49.44	62.58
	कुल		87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	11.65	57.13	68.78	13.14	49.44	62.58
	नागालैंड												
378.	नागालैंड सरकार - सहकारी विभाग		821.12	821.12	137.89	116.51	254.40	212.14	519.37	731.51	132.30	433.40	565.70
379.	टजुरगसा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड		4.71	4.71		2.67	2.67			0.00		.	0.00
380.	तातर प्रा. कृषि एमसीएस लिमिटेड		4.81	4.81			0.00	2.41	11.83	14.24			0.00
	कुल		830.64	830.64	137.89	119.18	257.07	214.55	531.20	745.75	132.30	433.40	565.70

ओडिशा

381. सहकारी विभाग	266.51	266.51			0.00	78.00	222.00	300.00	113.68	468.32	582.00
382. औद्योगिक विभाग			0.20	0.70	0.90						
383. कोर्णाक कपास उत्पादक सहकारी कताई मिल		0.00			0.00						
384. बलराम प्रसाद सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
385. तुरंगा सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
386. बामूर सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
387. कुमूरसिंह सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
388. बेंतपूर सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड	16.00	16.00			0.00						
389. ग्रहशांति सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
390. खलारी सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
391. बालीपत सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, अंगूल	16.00	16.00			0.00						
392. कंदरपुर कृषक सेवा सोसाइटी लिमिटेड, कंदरपुर	16.00	16.00			0.00						
393. वरूण (बी) सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, धनकनल	16.00	16.00			0.00						
394. द ओडिशा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	75000.00	75000.00		100000.00	100000.00						
395. बदकूल सेवा सहकारी लिमिटेड			0.62	1.55	2.17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396.	पुरुषोतमपुर सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, हतसरिसा							8.00	32.00	40.00			
397.	कसबा कामर्द सेवा सोसाइटी लिमिटेड							8.00	32.00	40.00			
398.	गुनाइबसन सहकारी सेवा सोसाइटी लिमिटेड							8.00	32.00	40.00			
399.	ओडिशा राज्य कलगूर समयक संघ लिमिटेड							3.05		3.05			
400.	संघ लिमिटेड												
	कुल		75426.51	75426.51	0.82	100002.25	100003.07	105.05	318.00	423.05	113.68	468.32	582.00
	अन्य												
401.	समेकित सहकारी विकास परियोजना पर प्रशिक्षण व्यय			0.00	25.48		25.48	14.47		14.47			
402.	प्रचार व्यय			0.00	11.26		11.26	50.50		50.50			
403.	प्रशिक्षण एवं शिक्षा व्यय			0.00	14.82		14.82	9.07		9.07			
404.	विषय व्यय			0.00	187.34		187.34	190.38		190.38			
	कुल			0.00	238.90	0.00	238.90	264.42	0.00	264.42	0.00	0.00	0.00
	पंजाब												
405.	द बरुन्दी सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	0.93	0.93				0.00						
406.	द मेरीपुर सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड	1.63	1.63				0.00						
407.	द पंजाब राज्य कॉपोरेटिव दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड			50.00			50.00						

408. द शेरपुर बहुउद्देशीय सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			2.50	5.00	7.50						
409. द लम्बरा कांगड़ी बहुउद्देशीय सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड			8.33	1.25	9.58						
410. द बेहमाना बहुउद्देशीय सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी लिमिटेड									3.50	7.00	10.00
कुल	2.56	2.56	60.83	6.25	67.08	0.00	0.00	0.00	3.50	7.00	10.50
राजस्थान											
411. सहकारिता विभाग	3617.16	3617.16	1004.86	4973.64	5978.50	1105.45	7994.04	9099.49	935.93	982.51	1918.44
412. कोटा सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भंडार लिमिटेड	20.00	20.00			0.00			0.00			
413. आईबीटीडीए अलवर	0.00	0.00	2.50		2.50	2.50		2.50			
414. राजस्थान राज्य कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड			48.64	121.59	170.23	362.20	905.50	1267.70			
415. टोडा भीम टोडा भीम क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड			1.67	4.17	5.84			0.00			
416. राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड							9200.00	9200.00	306.16	765.40	1071.56
417. झुंझुनू जिला सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भंडार लिमिटेड									1.10	4.40	5.50
कुल	3637.16	3637.16	1057.67	5099.40	6157.07	1470.15	18099.54	19569.69	1243.19	1752.31	2995.50
सिक्किम											
418. सहकारिता विभाग		0.00									
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	तमिलनाडु												
419.	सहकारिता खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा विभाग	297.94	3801.76	4099.70	360.49	5893.28	6253.77	185.56	6060.59	6246.15	233.99	3295.68	3529.67
420.	हैंडलूम हैंडिक्राफ्ट वस्त्र एवं खादी विभाग										362.17	5011.70	5373.87
421.	तमिलनाडु राज्य अपेक्स सहकारी बैंक लिमिटेड		80000.00	80000.00		1000.00	1000.00		20000.00	20000.00		28000.00	28000.00
422.	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास		10000.00	10000.00			0.00			0.00			0.00
423.	चैय्यर सहकारी चीनी मिल लिमिटेड								800.00	800.00			0.00
	कुल	297.94	93801.76	94099.70	360.49	6893.28	7253.77	185.56	26860.59	27046.15	596.16	36307.38	36903.54
	त्रिपुरा												
424.	सहकारिता विभाग				110.20	254.05	364.25	54.38	40777	462.15	81.61		81.61
	कुल	0.00	0.00	0.00	110.20	254.05	364.25	54.38	40777	462.15	81.61		81.61
	उत्तर प्रदेश												
425.	सहकारिता विभाग	102.50	490.00	592.50	120.37	600.00	720.37	11.63		11.63	362.28	1151.17	1513.45
426.	जिला सहाकारी बैंक लिमिटेड, मेरठ	47.40		47.40	133.14	391.64	524.78	23.52		23.52			
427.	फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक	11.84	29.60	41.44	113.09	282.73	395.82			0.00			
428.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखीमपुर खेड़ी	246.82	10509.00	10755.82		15000.00	15000.00		15000.00	15000.00			
429.	बांदा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	23.14	57.84	80.98			0.00			0.00			

430. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आगरा	14.48	36.21	50.69			0.00			0.00	16.94	42.34	59.28
431. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर	51.85		51.85			0.00	172.35	430.88	603.23			0.00
432. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मथुरा	33.65	84.13	117.78	2.00	8.00	10.00			0.00	116.45	291.12	407.57
433. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर	62.82	157.06	219.88			0.00	36.72	411.44	448.16	127.85		127.85
434. जालौन जिला सहकारी बैंक, लिमिटेड	24.78	61.96	86.74			0.00			0.00	120.01	300.02	420.03
435. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मिर्जापुर	18.43	45.76	64.19			0.00			0.00			
436. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, झांसी	12.64	31.61	44.25			0.00			0.00			
437. उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि.	143.03	572.10	715.13			0.00			0.00			
438. साधन सहकारी समिति लिमिटेड, बालमझरा	0.50	1.25	1.75			0.00			0.00			
439. वृहद बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, चंदनचौकी	1.72	6.88	8.60			0.00			0.00			
440. चैत्रेयी सहकारी सिमति लिमिटेड, छत्तीकारा	1.63	6.50	8.13			0.00			0.00			
441. याहियापुर साधन सहकारी समिति लिमिटेड, कैरतू	0.25	1.50	1.75			0.00			0.00			
442. फिराजोबाद जिला सहकारी बैंक		500.00	500.00			0.00			0.00			
443. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी फैक्टरी संघ लिमिटेड (सुगर फेड)		8500.00	8500.00			0.00			0.00			
444. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली				165.88	414.70	580.58			0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
445.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद				112.51	281.27	393.78			0.00	65.64	164.10	229.74
446.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सहारनपुर				130.61	326.52	457.13			0.00			
447.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, एटा				40.82	102.05	142.87			0.00			
448.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पीलीभीत				139.25	348.13	487.38			0.00			
449.	जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड, सहारनपुर				3.00	12.00	15.00			0.00			
450.	किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पुरकाजी				0.70	2.63	3.33			0.00			
451.	किसान सेवा सहकारी समिति लि., अलीपुर				0.35	1.31	1.66	0.35	1.31	1.66			
452.	कृषक सेवा सहकारी समिति लि., बक्सर				0.52	1.74	2.26			0.00			
453.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़								40.11	100.28	140.39		
454.	रामपुरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड							114.05	285.14	399.19	20.13	500.33	520.46
455.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बदायूं							10.23	25.58	35.81			
456.	लखनऊ उत्पादक सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड								432.00	432.00	108.00		108.00
457.	हलधर किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड							3.00	12.00	15.00			

458. जिला सहकारी विकास संघ जिला मथुरा							3.07		3.07			
459. किसान सेवा सहकारी समिति हाथीपुर										1.00	4.00	5.00
460. लखपेड़ागंज किसान सेवा सहकारी समिति										2.00	8.00	10.00
461. अलीगंज किसान सेवा सहकारी समिति										2.00	8.00	10.00
462. साधन सहकारी समिति लिमिटेड, रासैना										1.00	4.00	5.00
463. कमेरी किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड										0.50	2.00	2.50
464. बास्ता किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड										2.80	11.20	14.00
465. मंडावार किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड										2.40	9.60	12.00
466. दीर्घाकर बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड										1.45	5.80	7.25
कुल	797.48	21091.40	21888.88	962.24	17772.72	18734.96	415.03	16698.63	17113.66	950.45	2501.68	3452.13
उत्तराखंड												
467. सहकारी विभाग	210.66	146.69	357.35	51.46	171.44	222.90	95.74	402.43	498.17	101.16	185.32	286.48
468. गन्ना विकास विभाग	1.06	1.85	2.91			0.00						
469. वन एवं ग्रामीण विकास विभाग	5.00		5.00	12.00		12.00						
470. उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड	18.75	545.00	563.75	9.38	22.50	31.88						
471. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार										23.36	58.39	81.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
472.	चमोली जिला सहकारी बैंक लिमिटेड										53.29	133.23	186.52
473.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, कोटद्वार										32.48	81.20	113.68
474.	पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड										31.65	79.14	110.79
	कुल	235.47	693.54	929.01	72.84	193.94	266.78	95.74	402.43	498.17	241.94	537.28	779.22
	पश्चिम बंगाल												
475.	सहकारी विभाग	60.31	618.63	678.94	26.97	126.10	153.07	82.28	90.83	173.11	34.23	122.97	157.20
476.	मात्स्यिकी विभाग	219.26	843.97	1063.23	77.95	1054.15	1132.10	42.63	1337.61	1380.24	50.00	181.38	231.38
477.	पशु संसाधन विकास विभाग	10.31	10.77	21.08			0.00			0.00			0.00
478.	सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम विभाग				94.51	371.25	465.76	79.49	704.80	784.29			0.00
479.	शहजादपुर एसकेयूएस लिमिटेड	0.22	0.56	0.78			0.00			0.00			0.00
480.	मोहम्मदपुर एसकेयूएस लि.	0.20	0.50	0.70			0.00			0.00			0.00
481.	तेनतुलिया समाबे कृषि उन्नयन समिति, तेनतुलिया	4.00	16.00	20.00			0.00			0.00			0.00
482.	ऐशबाग समाबे कृषि उन्नयन समिति, ऐशबाग	8.00	32.00	40.00			0.00			0.00			0.00
483.	देशबंधु सेवा लिमिटेड	1.50	1.88	3.38			0.00			0.00			0.00
484.	काजीशाह समाबे कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड, मुर्शिदाबाद	6.09	23.62	29.71	1.46	3.66	5.12			0.00			0.00
485.	मधुसूदनकाटी समाबे कृषि उन्नयन समिति	1.95		1.95	2.13	1.25	3.38			0.00	0.22		0.22
486.	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लि.					10000.00	10000.00			0.00			0.00

487. जलपाईगुड़ी केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड							1.51	3.77	5.28			0.00
488. बगांव सहकारी ऋण समिति लिमिटेड							1.50	3.75	5.25			0.00
489. सुल्तानपुरी समाबे कृषि उन्नयन समिति										2.00	8.00	10.00
कुल	311.84	1547.93	1859.77	203.02	11556.41	11759.43	207.41	2140.76	2348.17	86.45	312.35	398.80
490. **एनसीसीएफ**		628.00	628.00									
कुल	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491. **एनसीसीटी**	4.35		4.35	2.50		2.50	2.80		2.80	0.54		0.54
कुल	4.35	0.00	4.35	2.50	0.00	2.50	2.80	0.00	2.80	0.54	0.00	0.54
492. **एनएलसी संघ**	0.95		0.95	1.94		1.94						
कुल	0.95	0.00	0.95	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493. **फिसकोफेड**				15.00		15.00	2.50		2.50			0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
494. **एफकोसिन**							1.75		1.75	1.75		1.75
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75
सकल योग	9041.50	461639.63	470681.13	9670.56	491137.39	500807.9	59612.41	476847.59	485739.21	7426.61	414918.05	419610.98

विवरण-II

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(लाख रुपए में)

10.02.2014 तक एनसीडीसी को भुगतान में चूक करने वाले ऋणियों की सूची

क्र. सं.	ऋणी का नाम	अतिदेय		
		मूलधन	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
1.	मध्य प्रदेश सरकार	35.978	13.491	49.469
	कुल (मध्य प्रदेश)	35.978	13.491	49.469
	कर्नाटक			
2.	गडक सहकारी कपास बिक्री समिति लि.	100.000	9.313	109.313
	कुल (कर्नाटक)	100.000	9.313	109.313
	गुजरात			
3.	पैट्रोफिल्स, बडोदरा	667.440	487.950	1155.390
4.	टोबेकोफेड	—	7.068	7.068
	कुल (गुजरात)	667.440	495.018	1.162.458
	दीव			
5.	रतनाकर मात्स्यिकी सहकारी समिति	2.16000	0.59800	2.75800
	कुल (दीव)	2.160	0.598	2.758
	नागालैंड			
6.	जुरंगा बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति, नागालैंड	2.734	0.834	3.568
	कुल (नागालैंड)	2.734	0.834	3.568
	अरुणाचल प्रदेश			
7.	मैट्रिक्स प्राथमिक उद्योग सहकारी समिति, अरुणाचल प्रदेश	5.896	4.915	10.811
8.	किमिन कुड एमपी सहकारी समिति, अरुणाचल प्रदेश	39.432	16.121	55.553
9.	टेक बोगो बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति, अरुणाचल प्रदेश	5.226	1.158	6.384
	कुल (अरुणाचल प्रदेश)	50.554	22.194	72.748
	आंध्र प्रदेश			
10.	आंध्र प्रदेश सरकार-उद्योग एवं वाणिज्यिक-आईएएनएस	0.000	6.069	6.069
	कुल (आंध्र प्रदेश)	0.000	6.069	6.069

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल			
11.	दुर्गापुर कुक्कुट पालन, पश्चिम बंगाल	28.685	7.947	36.632
12.	पश्चिम बंगाल सरकार-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग एवं बागवानी विभाग	22.122	8.406	30.528
	कुल (पश्चिम बंगाल)	50.807	16.353	67.160
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
13.	एलन हिनेंगो लि. (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	150.084	36.984	187.068
	कुल (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	150.084	36.984	187.068
	महाराष्ट्र			
14.	सोलापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	8857.461	183.172	9040.633
15.	बसंतरावदादा पाटिल एसएसके	54.230	0.000	54.230
16.	श्री शतुत्पादतपी एसएसके महाराष्ट्र	312.070	98.908	410.978
17.	दौलत एसएसके (महाराष्ट्र)	1400.868	1014.120	2414.988
18.	मयूर सहकारी दुग्ध संघ महाराष्ट्र	1187.887	269.361	1457.248
19.	किसानवीर सतारा एसएसके लि.	370.833	88.700	459.533
20.	श्री विगनाहर एसएसके महाराष्ट्र	390.572	0.000	390.572
21.	कर्मयोगी शंकररावजी पाटिल सहकारी साखर करकाना लि., इंडापुर	0.000	40.481	40.481
	कुल (महाराष्ट्र)	12573.921	1694.742	14268.663
	सकल योग	13633.678	2295.596	15929.274

उपरोक्त के अलावा, चूककर्ता विलम्ब की गई भुगतान अवधि हेतु चूक राशि पर पैनल इंटरेस्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी होंगे।

एनसीसीडी को हुई हानि भुगतान न की गई राशि। एनसीडीसी विलम्बित भुगतान की अवधि हेतु देय पैनल इंटरेस्ट के साथ नहीं चुकाई गई राशि की वसूली के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है और एनसीडीसी को हुई हानि वसूल की गई धनराशि की सीमा तक घट जाएगी। एनसीडीसी को हुई हानि की वास्तविक धनराशि की गणना इस स्तर पर नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

3942. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आज को तिथि तक दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) के अंतर्गत कितने मिल्क बूथ चलाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में और डीएमएस बूथ बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन बूथों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) आज की तारीख के अनुसार दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के 574 दूध के बूथ हैं। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना का प्रस्ताव दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में 24 दूध के बूथ स्थापित करने का है जिसमें से चार का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दिल्ली दुग्ध योजना

रियायतग्राही डिपो-वार कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	डिपो	रुट	रियायतग्राही का नाम	डिपो का स्थान	डिपो स्टू.
1	2	3	4	5	6
1.	3	07	चीनू ग्रोवर	क्वार्टर नं. 36 ब्लॉक नं. 24 पश्चिमी पटेल नगर के निकट ओल्ड मार्केट	एडीएमएस
2.	5	07	आनन्द हरि ओम	क्वार्टर नं. 15-16223-225, डी ब्लॉक पश्चिमी पटेल नगर के सामने	एडीएमएस
3.	7	07	धर्मेन्द्र कुमार	क्वार्टर नं. ब्लॉक नं. 9 पटेल अस्पताल के पास पूर्वी पटेल नगर	एडीएमएस
4.	13	07	रवि कुमार	लक्ष्मी कामर्शियल बैंक और डॉ. चन्द्रा क्लिनिक, पूर्वी पटेल नगर के बीच चिल्ड्रन पार्क के पास	एडीएमएस
5.	15	07	सुरेश कुमार	क्वार्टर नं. 5 ब्लॉक ई-45 क्वार्टर संख्या 1 ब्लॉक नं. 45 पूर्वी पटेल नगर के बीच	एडीएमएस
6.	17	09	घनश्याम	दक्षिणी मार्ग जंक्शन पुराना राजेन्द्र नगर	एडीएमएस
7.	21	08	महताब	तिबिया कॉलेज अस्पातल, करोल बाग	एडीएमएस
8.	23	09	राजेश	क्वार्टन नं. 72 के सामने, पुराना राजेन्द्र नगर	डीएमएस
9.	25	09	संतोष	क्वार्टर नं. 274 (डबल स्टोरी मार्केट के पास) के सामने न्यू राजेन्द्र नगर	एडीएमएस
10.	27	09	हरीश चन्द्र अरोड़ा	अन्ध कन्या विद्यालय के सामने न्यू राजेन्द्र नगर	एडीएमएस
11.	29	08	मदन लाल कपूर	परिसर संख्या 11815 ब्लॉक 6ए के सामने राम कृष्ण दास रोड, संतनगर	एडीएमएस
12.	33	08	देहहीसंदीप टोगरिया	कॉर्पोरेशन पार्क की चारदीवारी के पास पदम सिंह रोड डब्ल्यूईए करोल बाग	डीएमएस
13.	39	11	सुभाष चन्द्र मिश्र	ज्वालापुरी	डीएमएस
14.	45	10	जमीन शब्बर नवाब	त्रिभुजीय आकार के प्लाट में आर्य निवास के सामने, एमडी गोल, गोल मार्केट	एडीएमएस
15.	49	40	देवेन्द्र सिंह	सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग ऑफिस के सामने, हरलोक आरडी गोल मार्केट	एडीएमएस
16.	53	23	जोगेन्द्र पाल शर्मा	फ्लैट नं. डी 56-57 (एमपी) के सामने, नार्थ एवेन्यू	एडीएमएस
17.	55	23	श्रीमती सोना काला	फ्लैट नं. 47-49 (एमपी) के सामने नार्थ एवेन्यू	एडीएमएस
18.	57	23	सतीश कुमार	फ्लैट नं. डी 11/287-288 के सामने, डिप्लोमेटिक एन्कलेव चाणक्यपुरी	एडीएमएस

19.	61	36	राजन वर्मा	फ्लैट नं. डी 415-432 के सामने पेट्रोल पम्प, मोती बाग	डीएमएस
20.	63	36	महेन्द्र सिंह	फ्लैट नं. ए 27-28 के सामने, लिंक रोड, मोती बाग	डीएमएस
21.	67	33	संजय कौशिक	क्वार्टर नं. 158-164 के सामने जी ब्लॉक मार्केट, सरोजिनी नगर	एडीएमएस
22.	71	23	श्रीमती तारावती	क्वार्टर नं. 737-739 बी एवेन्यू के सामने, सरोजिनी नगर	एडीएमएस
23.	77	38	ओम प्रकाश	क्वार्टर नं. 20 ब्लॉक डी डिस्पेंसरी, लक्ष्मी नगर बाजार	एडीएमएस
24.	81	39	राकेश कुमार त्रिराना	क्वार्टर नं. 7 ब्लॉक 4 डिस्पेंसरी, लोधी कॉलोनी	एडीएमएस
25.	82	39	रिषपाल सिंह	क्वार्टर नं. 7 ब्लॉक 4 डिस्पेंसरी, लोधी कॉलोनी	एडीएमएस
26.	85	39	श्रीमती सुरेन्द्र देवी	क्वार्टर नं. 315 ब्लॉक 15, लोधी कॉलोनी	एडीएमएस
27.	87	39	दीपा	क्वार्टर नं. 953-960 के सामने, ब्लॉक सेकेंड एवेन्यू, लोदी कॉलोनी	डीएमएस
28.	89	39	राजेन्द्र कुमार शर्मा	बंगला नं. 131 के सामने लाइनसाइड जोरबाग कालोन	डीएमएस
29.	93	33	दिनेश नेगी	सीजीएचएस डिस्पेंसरी के पास, ई ब्लॉक, नौरोजी नगर	एडीएमएस
30.	95	37	सुरेश खन्ना	किंग एडवर्ड रोड के सामने, मेस मीना बाग, मजाद रोड	एडीएमएस
31.	97	33	प्यारे लाल	क्वार्टर नं. 75 के सामने ई ब्लॉक, नेताजी नगर	एडीएमएस
32.	101	20	योगेश कुमार	अंसारी रोड और श्याम लाल रोड के पास, सिटी वाल के पास, दरियागंज	एडीएमएस
33.	103	20	मोहम्मद जावेद हबीब सिद्दीकी	अंसारी रोड, पावर स्टेशन, दरियागंज	एडीएमएस
34.	105	20	एच.के. कपूर	जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, दरिया गंज की ग्राउंड वाल के कोने पर	एडीएमएस
35.	117	39	गोपाल	फ्लैट नं. ए 21-22 के बीच, इनसाइड पार्क, रविन्द्र नगर	एडीएमएस
36.	121	27	श्रीमती नीलम	फ्लैट नं. ए 193-200 के सामने, भारती नगर	एडीएमएस
37.	125	27	शीला सिंह	फ्लैट नं. ए 213-218 के सामने, पंडारा रोड	डीएमएस
38.	133	20	अमन शर्मा	रेलवे कॉलोनी, मिंटो रोड	एडीएमएस
39.	135	20	लालतेस	जहांगीर रोड, मिंटो रोड	एडीएमएस
40.	141	20	चंदन सिंह	रोज एवेन्यू, मिंटो रोड	एडीएमएस
41.	143	20	अंजार शेख	महावत खां रोड, मिंटो रोड	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
42.	151	20	अजय शर्मा	जामा मस्जिद डिस्पेंसरी के पास	एडीएमएस
43.	153	20	गीता चोपड़ा	सरकारी कन्या विद्यालय, जामा मस्जिद	एडीएमएस
44.	155	23	प्रहलाद	बंगला नं. 3 की साइड की ओर, सफदरजंग लेन	एडीएमएस
45.	157	23	सुशील	30 जनवरी मार्ग, बिढ़ला हाउस के पीछे	एडीएमएस
46.	161	38	श्रीमती कमला	क्वार्टर नं. 42ई के सामने, सफदरजंग अस्पताल के पीछे, मेडिकल इंस्टीट्यूट	डीएमएस
47.	163	36	अनिल बटेजा	प्राइमरी स्कूल, ब्लॉक डी के पास, मोती बाग	एडीएमएस
48.	165	36	नरेश कुमार	मार्केट के पास, मोती बाग-2	एडीएमएस
49.	169	38	चन्द्र भान	फ्लैट नं. ई 65-68 के सामने, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स	डीएमएस
50.	173	08	लाजवंती	गुरुनानक और पद्म सिंह रोड के जंक्शन पर, देवनगर	डीएमएस
51.	175	08	सुरेश कुमार	डबल स्टोरी क्वार्टर नं. 53 की साइड की ओर, देवनगर	डीएमएस
52.	177	08	कंवर सेन	क्वार्टर नं. 155ई की साइड की ओर, देवनगर	एडीएमएस
53.	179	08	दुर्गा देवी	क्वार्टर नं. 1ई के सामने, सिंगल स्टोरी, देवनगर	डीएमएस
54.	189	08	शिव कुमार	ईस्ट पार्क रोड और खजूर रोड के जंक्शन पर, देवनगर	डीएमएस
55.	192	ई23	श्रीमती अंजु शर्मा	ब्लॉक ए 2 और ए 3 के बीच, तिबिया कॉलेज	एडीएमएस
56.	199	27	कर्ण अरोड़ा	दुकान नं. 38 के सामने आयताकार स्थान के सामने, दुकान नं. 389, ईरोज सिनेमा के पास, जंगपुरा एक्सटेंशन	एडीएमएस
57.	201	37	वंदना मिश्रा	दुकान नं. 35 के सामने आयताकार स्थान के सामने, टोडरमल लेन के पास, बंगाली मार्केट	एडीएमएस
58.	203	37	संजीव कुमार	फायर ब्रिगेड लेन के पीछे खुले स्थान पर कम्पाउंड वाल की साइड पर कॉलेज लेन के रोड बर्न पर	एडीएमएस
59.	205	37	दीग पाल रावत	लेडी इरविन कॉलेज, क्वार्टर नं. 191 के सामने, के जंक्शन पर, रोड सर्कुलर ओपन स्पेस	एडीएमएस
60.	207	37	राजेन्द्र सिंह	भगवान दास रोड, मंडी हाउस के पास जंक्शन पर, रोड सर्कुलर ओपन स्पेस	एडीएमएस
61.	211	10	हरीश रावत	डीएची हायर सेंकडरी स्कूल के पीछे, खुले स्थान में और एक्सटेंशन वाल की साइड की ओर, क्वार्टर नं. 3, आरामबाग	एडीएमएस
62.	215	10	प्रवीण कुमार	चित्रगुप्त रोड के रोड बर्न पर रामजस हायर सेकेन्डरी स्कूल, पहाड़गंज	एडीएमएस

63.	219	16	गजेन्द्र सिंह संत	म्यूनस्पिल शाप नं. 25	एडीएमएस
64.	223	24	दीपक कुमार	क्वार्टर नं. एफ 160 के सामने खुले त्रिभुजीय आकार का प्लाट, लाजपत नगर	एडीएमएस
65.	225	24	सुनील कुमार	1/200 (एनसीएच), लाजपत नगर के सामने, सेमि सकुर्लर ओपन प्लाट लाजपत नगर	एडीएमएस
66.	231	14	तेज प्रकाश	लाजपत नगर	एडीएमएस
67.	233	14	श्रीमती नीरजा	डी और ई ब्लॉक के बीच में स्थान पर, स्कूल (एनएच-4) के सामने, लाजपत नगर	एडीएमएस
68.	237	46	ओम प्रकाश	रोशनारा बाग की दीवार पर, रोशनआरा बिल्डिग के पास, शक्ति नगर	डीएमएस
69.	239	46	देवेन्द्र कुमार गुप्ता	डिस्पेंसरी और इंश्यारेंस बिल्डिग वाल के पास, शक्ति नगर	एडीएमएस
70.	241	46	दिनेश कुमार	म्यूनिसपल पार्क के नजदीक, सिंह सभा रोड, हाउस नं. 9 के सामने, ब्लॉक नं. 6 अम्बा सिनेमा के पीछे	एडीएमएस
71.	245	46	वाई.एस. बाबू	शक्ति नगर के रोड बर्न पर, जीजीएचएसएस कम्पाउंड के नजदीक स्कूल मार्ग के जंक्शन के पास	एडीएमएस
72.	247	10	संजय कुमार	क्वार्टर नं. 31 के पीछे रोड बर्न पर एनडीएमएस हरिजन कॉलोनी, मंदिर मार्ग	एडीएमएस
73.	249	40	महेश केशवानी	शंकर रोड, ताल कटोरा रोड के जंक्शन पर, ताल कटोरा चौक, गोल मार्केट के पीछे	एडीएमएस
74.	251	37	देवेन्द्र सिंह	सिंधिया रोड के रोड बर्न पर और डी 8, गोली मार्केट के सामने	एडीएमएस
75.	253	37	अमित शर्मा	हाउस नं. 40-12, टोडर मल रोड, चिल्ड्रन पार्क के कोने पर, बंगाली मार्केट	एडीएमएस
76.	255	37	संजय कुमार	बाबर रोड, बंगाली मार्केट, चिल्ड्रन पार्क के सामने, बाजार के पास रोड बर्न पर	एडीएमएस
77.	257	37	जीत नारायण	सीपीडब्ल्यूडी इंक्वायरी ऑफिस की साइड पर, केनिंग रोड के बर्न पर, केनिंग रोड	एडीएमएस
78.	259	37	उमेश कुमार	अतुल ग्रोव रोड के रोड बर्न पर, क्वार्टर नं. 26ए के सामने, ईस्टर्न कोर्ट बिल्डिग के पीछे	एडीएमएस
79.	261	37	अनिल कुमार	बंगला नं. 13-15 के पीछे रोड पर, तिलक मार्ग	एडीएमएस
80.	265	23	विनोद कुमार	लैटर बॉक्स तीन मूर्ति लेन की साइड पर, तीन मूर्ति लेन के रोड बर्न पर	एडीएमएस
81.	269	27	मुइउद्दीन	ई 3, ई 4 के बीच के स्थान पर निजामुद्दीन वैस्ट	डीएमएस
82.	271	07	कुमारी गीता	मलखाना और शाप नं. 13 के बीच के स्थान पर, वैस्ट पटेग नगर	डीएमएस
83.	275	08	मकेश कुमार	करोल बाग के पास, पूसा रोड के पीछे सड़क पर	एडीएमएस
84.	279	16	विशम्भर दयाल	नेहरू बाजार पहाड़गंज	एडीएमएस
85.	285	27	आनन्द कुमार	बंगला नं. 18-20 के पीछे, तिकोने खुले स्थान पर, ब्लॉक जंगपुरा	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
86.	287	37	श्रीमती शैलजा	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड के रोड बर्न पर, एमपी बंगला नं. 22-24 के सामने, राजेन्द्र रोड	एडीएमएस
87.	289	23	अशोक कुमार	बी एवेन्यू में ब्लॉक नं. बी के सामने 215 ग्रीन टेन की साइड पर, विनय नगर, सरोजिनी नगर	डीएमएस
88.	291	38	मुकेश कुमार	ब्लॉक जी एंड ई 165-184 के बीच के स्थान पर, इंजीनियरिंग टाइप क्वाटर्स, ईस्ट विनय नगर, सरोजिनी नगर	एडीएमएस
89.	295	46	धीरज गोयल	हाउस नं. 3/45 के पास रूप नगर, दिल्ली-7	एडीएमएस
90.	299	46	श्री संतोष यादव	कमला नगर रोड के बर्न रोड पर, पुलिस स्टेशन के पास, रोशनारा रोड	एडीएमएस
91.	303	46	विकास कुमार	गीत भवन के पास, प्लॉट ए-109 के नजदीक, कमला नगर, दिल्ली-7	एडीएमएस
92.	307	46	समीर नायर	करोड़ी मल कॉलेज के पास, कॉफी हाउस के सामने, यूडी ब्लॉक, जवाहर नगर	एडीएमएस
93.	311	46	श्री मोहित कुमार	चन्द्रावल रोड, घंटाघर रोड पर	एडीएमएस
94.	313	09	शैलेन्द्र	सर्कुलर पार्क के पास रोड बर्न पर जंक्शन बाजार मार्ग, दक्षिणी मार्ग, राजेन्द्र नगर ओल्ड	एडीएमएस
95.	317	46	श्रीमती भारती	जोर मार्केट, ट्रिपेट्रो के कोने पर	एडीएमएस
96.	319	17	कमल सिंह	निकल्सन रोड के रोड बर्न पर, 111/3485 और पब्लिक हाइड्रेंट मोरी गेट के नजदीक	एडीएमएस
97.	321	17	मोहम्मद मजहर	हेमिलटन रोड के रोड बर्न पर, पोरीवाइजर संख्या 597 के सामने, मोरी गेट	एडीएमएस
98.	323	17	प्रह्लाद मिश्र	डीएनसी एलोपेथिक डिस्पेंसरी के पास, हेमिल्टन रोड के रोड बर्न पर, मोरी गेट	एडीएमएस
99.	325	17	एस.सी. गुप्ता	एकग्ले मदुरै रोड के रोड बर्न पर पब्लिक इलिडिरेंट के पास, परिसर संख्या 1591, मोरी गेट के सामने	डीएमएस
100.	327	17	अजीज फातिमा	तांगा स्टेंड कश्मीरी गेट के पास, ओल्ड हिन्दु कॉलेज भवन के सामने, मोरी गेट	एडीएमएस
101.	333	38	नरेश कुमार	क्वार्टर नं. 301, 315 और 332, 348 सेवा नगर के बीच के खुले स्थान पर	एडीएमएस
102.	335	38	मुकेश नागर	क्वार्टर नं. 301 और ई 340 सेवा नगर के बीच के स्थान पर	एडीएमएस
103.	337	39	सुमित्रा देवी	नजफगढ़ रोड क्वार्टर 22/01 के रोड बर्न पर और शर्मा मोंटेसरी स्कूल लोदी रोड के सामने	एडीएमएस
104.	345	33	विनोद गुसाईं	क्वार्टर नं. 1020-961 के बीच में डीएफ ब्लॉक के स्थान पर, सरोजिनी नगर	एडीएमएस
105.	347	26	एस. बहादुर	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 45 के नजदीक रोड बर्न पर क्वार्टर नं. 83, 84 एन्ड्रूज गंज	एडीएमएस
106.	349	23	अनिल कुमार यादव	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास, अशोका होटल के आवासीय क्षेत्र के पास गैरेज में	एडीएमएस

107.	351	14	हरीश बजाज	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 42 के पास खुले पार्क में और जी टाइप क्वार्टर नं. 227-228 के सामने, श्रीनिवासपुरी	एडीएमएस
108.	353	14	श्वेता	इलेक्ट्रिक पोल नं. 29 के सामने खुले स्थान पर, एच टाइप क्वार्टर नं. 337-360 के सामने, श्रीनिवासपुरी	एडीएमएस
109.	355	04	सुखीराम	दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर	एडीएमएस
110.	367	24	नवीन चंद	बंगला नं. डी 345 के पीछे पार्क में, इलेक्ट्रिक पोल नं. 794 के पास, डिफेंस कॉलोनी	एडीएमएस
111.	373	04	मनमीत सिंह	ब्लॉक डी के बीच में हाउस नं. बी/133 के पास, रमेश नगर	एडीएमएस
112.	377	04	श्रीमती लक्ष्मी भोला	ब्लॉक बी और सी के बीच में म्युनिसपल पार्क के कोने पर और क्वार्टर नं. 13/66, डबल स्टोरी क्वार्टर के सामने, मोती नगर	एडीएमएस
113.	379	04	पुनीत कालरा	म्युनिसपल पार्क के कोने पर ब्लॉक डी आर ब्लॉक नं. 18-19 के बीच में रोड पर, मोती नगर	एडीएमएस
114.	383	48	भूपेश नगर	तिमारपुर के रोड बर्न पर, 3-एफ, सीपीडब्ल्यूडी इंक्वायरी ऑफिस के पास, तिमारपुर	एडीएमएस
115.	385	48	संजय कुमार	थ्रि फेसिंग क्वार्टर नं. 25-26 की साइड की ओर, कार्नर रोड के रोड बर्न पर, तिमारपुर	एडीएमएस
116.	391	36	श्रीमती कविता	बिजली पोल के सामने रोड बर्न, क्वार्टर नं. 197, ब्लॉक बी, मोतीबाग-5	एडीएमएस
117.	393	09	अनिल दत्त	ब्लॉक नं. 627 के स्माल पार्क के बीच में रोड बर्न पर, दक्षिणी पटेल नगर	एडीएमएस
118.	401	07	श्रीमती कलावती	हाउस नं. 19 के सामने रोड बर्न पर, ब्लॉक नं. 30, पश्चिमी पटेल नगर	एडीएमएस
119.	403	07	सुधा	पूर्वी पटेल नगर	एडीएमएस
120.	405	15	श्री अनुरूद्ध सिंह	शॉप नं. जे 6/91, एच राजौरी गार्डन	एडीएमएस
121.	411	30	अशीष कुमार	अप्सरा रेस्तरां के सामने और क्वार्टर नं. डी 85 के सामने, मालवीय नगर	एडीएमएस
122.	415	47	रेखा कुमारी	बिजली पोल के पास डीएनसी स्कूल और क्वार्टर नं. बी 87, कालका जी	एडीएमएस
123.	417	17	राकेश कुमार	बिजली पोल डिप्टीगंज के पास म्युनिसपल पार्क के कोने पर खुले स्थान पर	एडीएमएस
124.	419	16	राजिन्द्र कुमार	आइस फैक्ट्री के पास चिल्ड्रन पार्क के कोने पर, रामनगर पहाड़गंज	एडीएमएस
125.	423	17	देविन्दर कुमार	फ्लैट नं. 1 किनारे पर हाथी खाने के निकट सड़क की पटरी पर, ब्लॉक ए, आजाद मार्किट	एडीएमएस
126.	427	17	मुरतजा अली	पुल बंगश रोड के सामने वाले सड़क की पटरी, क्वार्टर संख्या 124 ए के सामने, रेलवे पुल की चारदीवारी के किनारे पर, मलकागंज	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
127.	431	37	धनराज	बिजली के पोल के निकट का खाली स्थान, मैसर्स हरदयाल हाथी नरेंद्र प्लेस की दुकान की गैराज के सामने	डीएमएस
128.	435	06	विजयलक्ष्मी	ई-1, प्रताप नगर, अंधा मुगल	डीएमएस
129.	439	06	अनिता जैन	शास्त्री पार्क, सराय रोहिल्ला	डीएमएस
130.	441	06	आनंद कुमार	पुराना रोहतक रोड, रेलवे कॉलोनी के पास वाली दीवार	डीएमएस
131.	443	06	रमेश चन्द	दुकान नं. 77, किशनगंज, पुराना रोहतक रोड	एडीएमएस
132.	447	10	मोहसिन हुसैन	लाल कुंआ सड़क की पटरी पर, लाल कुंआ के किनारे	एडीएमएस
133.	449	36	नन्द लाल	नानकपुरा मार्किट में, मोतीबाग 2	एडीएमएस
134.	451	38	परमिन्दर सिंह	क्वार्टर संख्या 609-632 के किनारे पर, आयाताकार पार्क के किनारे पर, बिजली पोल संख्या 301 के सामने, किदवई नगर	एडीएमएस
135.	453	38	गौरीशंकर	बिजली पोल संख्या 41 और 23 के नजदीक, क्वार्टर संख्या 181 बी, सरोजनी नगर	डीएमएस
136.	455	33	श्रीमती ममता कौशिक	सरोजनी नगर	एडीएमएस
137.	465	39	रवि वर्मा	बिजली पोल संख्या 11-12 के सामने वाले पश्चिमी किनारे की सड़क की पटरी पर, मकान संख्या जे-59, करवला	डीएमएस
138.	467	36	ओम प्रकाश	ब्लॉक नं. 4 के किनारे पर, क्वार्टर संख्या 361-368 मोती बाग 1	एडीएमएस
139.	469	17	मिर्जा वेग	क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज के सामने वाली दीवार के सड़क के किनारे पर, जयश्री टी इंडस्ट्री के किनारे पर, रोशनआरा रोड	एडीएमएस
140.	471	46	गौरव निगम	क्वाटर संख्या 4 की कम्पाउंड की दीवार के किनारे के खुले स्थान पर, ब्लॉक एफ, मलकागंज	एडीएमएस
141.	473	46	जगदीश जरोलिया	मिल्ट्री तथा चाइल्ड वेल्फेयर सेंट्रल इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के किनारे पर, मलकागंज	एडीएमएस
142.	475	46	जनकरानी	लाहना सिंह मार्किट के कम्पाउंड में चंद्रावल रोड के सामने, उप-निदेशक शिक्षा, दिल्ली प्रशासन के कार्यालय के सामने, मलकागंज के निकट	डीएमएस
143.	479	46	सी.के. जैन	मकान संख्या डी 19 के सामने वाले प्लॉट के किनारे के फुटपाथ पर, राणा प्रताप बाग	एडीएमएस
144.	483	17	उमेश कश्यप	दुकान संख्या टी/441 के किनारे के सामने वाले खाली स्थान पर, जय मंडी इंदिरा मार्किट के सामने, आर्य पुरा	एडीएमएस

145.	485	08	नरेश कुमार	पीपल के पेड़ के किनारे तथा डीसी हिल मंडी रोड की कम्पाउंड की दीवार के किनारे पर	एडीएमएस
146.	487	08	जयकुमार शर्मा	डीसीएन कॉलोनी टॉवर के नजदीक के फुटपाथ पर, दुकान संख्या 14/929 के सामने, डीसीएन कॉलोनी	एडीएमएस
147.	489	08	अविनाश कौर	जोशी रोड के नजदीक देशबंधु गुप्ता पर, रेलवो आईसक्रीम फैक्ट्री के सामने, जोशी रोड	एडीएमएस
148.	491	16	सतिश कुमार	बिजली पोल संख्या 440 के किनारे पर तथा उसके नजदीक	एडीएमएस
149.	495	17	अशोक कुमार	नावल्टी सिनेमा के पास पांच मंजिले भवन के किनारे पर, क्विन रोड, की सड़क पटरी पर, फायर स्टेशन के पास	एडीएमएस
150.	497	24	सुनीता	आर्य समाज मंदिर, डिफेंस कॉलोनी के पास, फ्लाई ओवर, सेवा नगर	डीएमएस
151.	499	17	वैभव गुप्ता	नया बाजार, मॉडन मशीनरी स्टोर के पास	एडीएमएस
152.	501	41	श्रीमती अर्चना	क्वार्टर संख्या 95-96 के पास वाले तिकोने पार्क में, सेक्टर 1 आर.के. पुरम	एडीएमएस
153.	503	41	मायाराम	क्वार्टर संख्या 5-1/677-678 के सामने, आर.के. पुरम	एडीएमएस
154.	505	10	हिनाखान	जीबी रोड की सड़क की पटरी पर, कृष्णा गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी 1, जीबी रोड	एडीएमएस
155.	507	20	संजय मलिक	पंजाब और सिंध बैंक के सामने, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक दिल्ली	डीएमएस
156.	509	16	अमरजीत सिंह	पायन और पीएन 7311 के किनारे वाली सड़क की पटरी के सामने खुले स्थान पर, वार्ड 15	एडीएमएस
157.	511	48	रियाजुदीन	डीसीएम क्वार्टरों के कंपाउंड की दीवार की साइड वाली सड़क पर, डीसीएम मिल्क के मैन गेट पर	एडीएमएस
158.	513	12	मुकेश कक्कड़	मकान संख्या 5 सी/46 के सामने म्युनिसिपल पार्क के कंपाउंड की दीवार के किनारे पर, न्यू रोहतक रोड	डीएमएस
159.	515	07	कुलदीप कुमार दुबे	भवन संख्या 40-ई/5 के साथ लगे सेंट्रल मानेस्ट्री के सामने वाली सड़क की पटरी पर, पूर्वी पटेल नगर	एडीएमएस
160.	517	09	सुखराम	कोयला डिपो संख्या 11 ई के सामने स्थित बच्चों के पार्क के पास बंगला संख्या 3 बी के निकट, न्यू राजेन्द्र नगर	एडीएमएस
161.	523	09	भूपेन्द्र कुमार	सलवान स्कूल मार्ग के गेट के सामने वाली एल लाइन में क्वार्टर संख्या 32/1-31/19 के सामने वाला तिकोने स्थान पर	एडीएमएस
162.	525	20	अमर सिंह	माता सुन्दरी रोड और क्वार्टर संख्या 35 के साइड वाली रोड, माता सुन्दरी रोड	एडीएमएस
163.	527	20	विनय कुमार	म्युनिसिपल पार्क के गेट के सामने, विक्रम नगर, कोटला फिरोजाशाह रोड, आईटीओ के निकट	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
164.	533	16	सचिन गुप्ता	मोतियाखान ब्लॉक में चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के सामने वाली सड़क की पटरी के खुले स्थान पर	एडीएमएस
165.	535	30	बोनुसाहू	क्वार्टर संख्या एन/16 और एन/20 के सामने वाले खुले स्थान के किनारे पर, मालवीय नगर	एडीएमएस
166.	545	08	अश्वनी कुमार	लेटर बॉक्स के किनारे पर, केरियर टेलर और रेपर के सामने तथा मकान संख्या 7ए/45 के सामने, चाइना मार्किट, डब्ल्यूईए करोल बाग	एडीएमएस
167.	549	13	रंजीत सिंह	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के सामने वाले तिकोने खुले फ्लैट में, 11/61 के सामने	एडीएमएस
168.	553	17	प्रेम कुमार	बस्ती हरफुल सिंह	डीएमएस
169.	555	17	श्रीमती सरोज	दिल्ली क्लोथ मिल के सामने, रेलवे क्वार्टर भवन संख्या 7412 की दीवार/वार्ड 13	एडीएमएस
170.	557	07	सुशील कुमार	पटेल रोड तथा शिव मंदिर लेन के जंक्शन के किनारे पर, शिव मंदिर के सामने, शादीपुर	एडीएमएस
171.	563	08	घनश्याम	चौक रैगरपुरा की सड़क पर, नीम के पेड़ के नीचे, देव नगर	एडीएमएस
172.	565	17	हिरोदेवी	मंगलदास विश्म्बरदास जैन की फैक्ट्री की सड़क की पटरी पर, बिजली पोल के नजदीक, बस्ती हरफुल सिंह	एडीएमएस
173.	569	17	राजीव कुमार	अहाता किदारा शर्मा इलैक्ट्रीक वर्क्स की खाली दीवार के सामने, प्रोपर्टी संख्या 6640-6641 के सामने, वार्ड नं. 4, अहाता किदारा	डीएमएस
174.	571	17	राजकुमार शर्मा	क्वार्टर संख्या 50-51 के सामने, अहाता किदारा	डीएमएस
175.	573	17	काहिम	लेडी रिडिंग स्कूल स्टाफ क्वार्टर के किनारे, तांगा स्टैंड के निकट, बाडा हिन्दुराव	एडीएमएस
176.	575	10	राकेश शर्मा	अलबर्ड मैटल इंजीनियरिंग वर्क्स के सामने टांगा स्टैंड के सामने फुटपाथ पर, हौज काजी	एडीएमएस
177.	581	18	कासिम शरीफ	हकीकत नगर	एडीएमएस
178.	585	18	छोटे लाल	क्वार्टर लाइन के डब्ल्यू कैम्प	एडीएमएस
179.	587	18	राकेश	जी टाइप क्वार्टर संख्या 17 और 18 के सामने वाले खुले स्थान पर, डीएनसी	एडीएमएस
180.	591	18	श्रीमती आशा रानी	म्यूनिसिपल बोर्ड प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी के किनारे वाले फुटपाथ पर, बिजली पोल संख्या 2333 के नजदीक, शालीमार गार्डन, मॉडल टाऊन	डीएमएस
181.	593	18	श्रीमती मालती देवी	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 2371, और क्वार्टर संख्या 222 के सामने खुले स्थान में आजाद पुर	एडीएमएस
182.	597	41	श्रीमती सरोज	क्वार्टर संख्या 993-1012 सेक्टर-3 के खुले स्थान में आर.के. पुरम	एडीएमएस

183.	603	30	नरेश कुमार	मकान संख्या 80/23 और इलेक्ट्रिक के बगल में पोल संख्या 260 के खुले स्थान में गुरूद्वारा रोड	एडीएमएस
184.	605	41	कमलेश श्रीवास्तव	क्वार्टर संख्या 11-120 के सामने खुले स्थान में आर.के. पुरम	एडीएमएस
185.	607	14	नैना तरकन	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 6 और ब्लॉक 7 के खुले स्थान में नेहरू नगर	एडीएमएस
186.	609	36	कमल	सॉप नं. 168 बर्म रोड पर निर्माण मार्किट के निकट	एडीएमएस
187.	613	09	शिवलाल	क्वार्टर संख्या बी-75 के सामने न्यू राजेन्द्र नगर	डीएमएस
188.	617	22	हिरा बहादुर	क्वार्टर संख्या 785-786 के सामने सेक्टर-4 आर.के. पुरम	एडीएमएस
189.	619	41	श्रीमती कौशल्या देवी	क्वार्टर संख्या 373-380 के निकट सेक्टर-4 आर.के. पुरम	एडीएमएस
190.	621	41	ईश्वर पाल सिंह	क्वार्टर संख्या 968-957, 1181-1192 के बीच सेक्टर-4 आर.के. पुरम	एडीएमएस
191.	625	33	देवेन्द्र कुमार	पोल संख्या 1177 के पीछे रोड पर क्वार्टर नं. 1182 के निकट विनय नगर	एडीएमएस
192.	627	47	मनीष शर्मा	डबल स्टोरी के ब्लॉक नं. के बीच रोड पर लाजपत नगर	एडीएमएस
193.	629	10	अजय कुमार	क्वार्टर नं. 130-136 बेयड स्वयर लेन में, बेयर रोड	एडीएमएस
194.	631	35	कृष्णा देवी	मकान संख्या लिबरटी डेयरी शिफ नगर, हरि नगर जेल के सामने रोड पर	एडीएमएस
195.	633	26	जगदीश कुमार	पोल संख्या 32 के निकट मूल कैलाश, कैलाश कॉलोनी	एडीएमएस
196.	635	04	विनय कुमार	मकान संख्या 4-ए के सामने त्रिकोणीय खुले स्थान में कीर्ति नगर	एडीएमएस
197.	639	38	ओम्द्रे कुमार	बंगाला संख्या डी-40 के सामने इलेक्ट्रिक पोल के निकट साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-2	डीएमएस
118.	643	08	सुभाष चन्द्र	क्वार्टर संख्या 60 के डबल स्टोरी के सामने देब नगर प्यारेलाल रोड, देब नगर	डीएमएस
199.	645	08	गिरीष कुमार	क्वार्टर संख्या 3 116/4974 राम कृष्ण दास रोड	एडीएमएस
200.	647	16	पुरूष्तोम	झांडेवालान और ईदगाह के खुले स्थान में इलेक्ट्रिक डंसफार्मर कुतब रोड	डीएमएस
201.	651	18	श्री दीपक कुमार	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 277 के सामने फुटपथ के कोने में डी-ब्लॉक	एडीएमएस
202.	653	41	धनबहादुर घापा	क्वार्टर नं. 96-81, रोड पर सेक्टर-3 आर.के. पुरम	एडीएमएस
203.	655	37	अमित	कर्जन लेन के पीछे बर्म रोड पर	एडीएमएस
204.	659	17	अशोक बाबू	आजाद मार्किट के पीछे टोकरीवालन के पास	एडीएमएस
205.	661	42	राज कुमार झा	मेन रोड के बर्म रोड पर कमरे में मेन मार्किट के पास पंजाबी बाग	डीएमएस

1	2	3	4	5	6
206.	663	28	श्रीमती परिवेश	पुलिस स्टेशन सदर बाजार के सामने दिल्ली कैंट	एडीएमएस
207.	665	28	बनवासी सिंह	बस स्टैंड के पास गोपीनाथ बाजार दिल्ली कैंट	एडीएमएस
208.	667	33	श्रीमती ज्योति	क्वार्टर ए-133 के सामने बर्म रोड पर नेतानगर	एडीएमएस
209.	669	33	नसीम अहमद	इम्पयर्स स्टेट इंशोरेंस डिस्पेंसरी की ओर बर्म रोड पर बिजली पोल संख्या 419 के पास मेन विनय नगर	डीएमएस
210.	671	33	सुशील कपूर	क्वार्टर नं. एफ-113-155 के सामने बर्म रोड पर, बिजली पोल संख्या 72 के सामने साऊथ	डीएमएस
211.	675	33	प्रवीन कुमार	स्कूल ब्रडी की ओर बर्म रोड पर ब्लॉक सं. ई-1/977-806 मेन विनय नगर	एडीएमएस
212.	677	23	सुरेन्द्र	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 99 के सामने बर्म रोड पर और क्वार्टर नं. के-220-231, मेन विनय नगर	एडीएमएस
213.	679	38	राकेश कुमार	क्वार्टर नं. 836 की ओर ईस्ट विनय नगर	डीएमएस
214.	681	38	प्रेम राज	क्वार्टर नं. डी-2/123 के बर्म रोड पर सिंगल स्टोरी और गेरेज नं. 21-21 के सामने किदवई नगर वेस्ट	एडीएमएस
215.	683	38	गोकुल शर्मा	गौतम नगर पीऊ के पास ब्रांडी वॉल की ओर रोड बर्म पर एक प्लॉट में बंगला जे 14 के सामने और बिजली पोल संख्या 111 के सामने हौज खास इंक्लेव	डीएमएस
216.	685	41	विशाल कोशिक	इलेक्ट्रिक पोल संख्या 62 के पास 60 मेन रोड के बर्म रोड पर ग्रीन पार्क एक्सटेंशन	एडीएमएस
217.	687	41	मनोज पारीक	क्वार्टर नं. 11-ए/1 और 11/99 की साइड में खुले स्थान में लाजपत नगर	एडीएमएस
218.	689	24	श्याम सुन्दर	डबल स्टोरी क्वार्टर नं. 25/160 के पास और ब्लॉक नं. 18/26 लाजपत नगर	एडीएमएस
219.	691	14	भरत सिक्का	बिजली पोल के नीचे मेन प्रवेश के बाई ओर जनता मार्किट में राजौरी गार्डन	एडीएमएस
220.	693	15	सुरेन्द्र राय	मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे जनता मार्किट में राजौरी गार्डन	एडीएमएस
221.	695	27	गनेश अग्रवाल	ब्लॉक नं. 21 क्वार्टर नं. 1/12 पंत नगर के सामने	एडीएमएस
222.	699	09	श्रीमती शफिया बेगम	नं. 24/1 बर्म रोड पर ओल्ड राजिन्द्र नगर	एडीएमएस
223.	701	04	संजीव कुमार टिगरा	सुदर्शन कोल्ड डिपो के सामने बिजली पोल के पास और म्युनिस्पल मार्किट सुदर्शन पार्क के पास प्लाट	डीएमएस
224.	703	13	महेश कुमार	राजौरी गार्डन के बीच में बी और रमेश नगर-45 ओपन प्लाट में रमेश नगर	एडीएमएस

225.	705	46	श्रीमती सुनीता कपूर	जुना मार्ग के रोड बर्म पर हाऊस नं. 25/108 शास्त्री नगर	एडीएमएस
226.	707	27	संजय सिंह	ब्लॉक बी के नजदीक रोड बर्म पर क्वार्टर नं. 121-124 के सामने पाडंरा रोड	एडीएमएस
227.	709	10	भरत लाल	जैन मंदिर के पास बर्म रोड पर राजा बाजार लेन और शिवाजी स्टेडियम के पास जैन मंदिर रोड	डीएमएस
228.	711	42	सुभाष	प्राइवेट बस स्टॉप के नजदीक मेन मार्किट पर भारत नगर	डीएमएस
229.	713	16	विनित शर्मा	हाऊस नं. 2589/एक्स सी के सामने पहाड़गंज	डीएमएस
230.	715	16	श्रीमती सीमा	नेहरू बाजार के जंगक्शन पर मंदिर की ओर रामदास रोड के लेन में और राम डी रोड पहाड़गंज	एडीएमएस
231.	721	33	सीता राम	सीजीएचएस डिस्पेंसरी के पास नेताजी नगर	डीएमएस
232.	723	33	जय प्रकाश	क्वार्टर नं. के-135-139 ब्लॉक ई के सामने ग्रीनपार्क के साइड पर रिजर्व बैंक क्वार्टर विनय नगर	डीएमएस
233.	725	33	श्रीमती कुसुम लता	क्वार्टर नं. 73-96-1 के सामने मैन विनय नगर	एडीएमएस
234.	731	38	गुलाब सिंह	क्वार्टर 1-20 के पास ब्लॉक 9 इंक्वायरी ऑफिस के सामने लक्ष्मीबाई नगर	एडीएमएस
235.	737	09	जोगिन्द्र कामत	हाउस नं. आर 881 और आर 905 के बीच में खुले स्थान पर न्यू राजिन्द्र नगर	एडीएमएस
236.	739	07	मुकेश खन्ना	बंगला नं. 15-ए1/24 ई के सामने डिफेंस लाइन की ओर म्युनिस्पल लेबल के खुले प्लॉट में ब्लॉक नं. 15-ए के सामने ईस्ट पटेल नगर	एडीएमएस
237.	749	44	मूल चंद यादव	द्वारा सेक्टर-9 इरा शिवालीका	डीएमएस
238.	755	46	श्रीमती मनक देवी तयाल	करोड़ीमल कॉलेज के पास त्रिभुजिय सड़क के रोड बर्म पर जवाहर नगर कॉफी हाउस के पास	एडीएमएस
239.	759	35	जयपाल सिंह	म्युनिस्पल पार्क के लिए आरक्षित खुले स्थान में बिजली पोल 81 और राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुभाष नगर	एडीएमएस
240.	761	32	बी.आर. मोंगा	पुलिस स्टेशन के पास (रेलवे रोड पर बिजली पोल) रानी बाग, शकूरपुर बस्ती	एडीएमएस
241.	763	05	नितिन कुमार		एडीएमएस
242.	765	13	इन्द्र मोहन	क्वार्टर नं. 30 के पास रोड बर्न पर ब्लॉक 1 जे.जे. कॉलोनी, नजफगढ़, रघुवीर नगर	एडीएमएस
243.	767	27	चन्द्र भान	जीवन अस्पताल की ओर जीवन नगर क्रासिंग को पार करते हुए बर्न रोड पर और गुरुद्वारा रोड पब्लिक हाइग्रेंड के पास, जीवन नगर	डीएमएस
244.	769	37	हबीब रहमान	बिजली पोल नं. 727 की ओर रोड बर्न पर हरिजन कॉलोनी, गोबिन्द पुरी	एडीएमएस
245.	771	18	गुरमती कुमार	प्रशिक्षण सह इन्डस केन्द्र के पीछे, मेन बाजार, इंद्रा नगर, आदर्श नगर	डीएमएस

1	2	3	4	5	6
246.	777	13	श्रीमती जगजीत कौर	ब्लॉक नं. 118, क्वार्टर 6 की साइड पर म्युनिस्पल पार्क के कोने पर	डीएमएस
247.	781	11	ब्रह्म प्रकाश	वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निर्मित रोड बर्न पर मादीपुर चिल्ड्रन पार्क के पास, पंजाबी बाग	डीएमएस
248.	785	11	श्रीमती महारानी	ब्लॉक नं. 13/बी के क्वार्टर नं. 137 के सामने बिजली पोल के पास, कर्मपुरा	एडीएमएस
249.	787	5	मोहेन्द्र कुमार	ए/7 जे.जे. कॉलोनी, मेन रोड, नारायणा	डीएमएस
250.	789	18	विशाल सिंह	हकीकत नगर की साइड पर, विजय नगर	डीएमएस
251.	791	32	पुष्पा सिंघल	रेलवे क्वार्टर नं. 12/269 के सामने बिजली पोल के पास, शकूर बस्ती	डीएमएस
252.	793	35	अंकित शर्मा	2/53 रोड बर्न के पास, सुभाष नगर	एडीएमएस
253.	795	15	संजय कुमार	गांधी पार्क के पास रीडिंग रूम में, सुभाष नगर	एडीएमएस
254.	797	23	अनिल अग्रवाल	वर्तमान दुग्ध बूथ संख्या 53-54 के सामने रोड के पास, नार्थ एवेन्यू	एडीएमएस
255.	799	23	पी. कुमार	वर्तमान दुग्ध बूथ संख्या 55-56 के सामने सड़क के पार, साउथ एवेन्यू	डीएमएस
256.	803	15	फखरूद्दीन	उपभोक्ता सहकारी स्टोर के सामने, अशोक नगर	एडीएमएस
257.	807	05	उमेद सिंह	ईए ब्लॉक, क्वार्टर नं. 87 के सामने 40 फुटा रोड के बर्न रोड पर इन्द्रपुरी	एडीएमएस
258.	809	06	मोहम्मद तारिक अनवर	हाउस नं. 264 की साइड पर बर्न रोड पर, ओंकार नगर	एडीएमएस
259.	811	28	प्रवीण कुमार	मुख्य गेट 19 के पास पाल्ट राज फार्म, दिल्ली कैंट	एडीएमएस
260.	817	22	अशोक कुमार	बिजली पोल 137 के पास, रोड बर्न पर सेक्टर 5, आर.के. पुरम	एडीएमएस
261.	819	22	तरुण भारद्वाज	मार्किट संख्या 1 के खुले स्थान पर, सेक्टर 7, आर.के. पुरम	एडीएमएस
262.	821	15	श्रीमती प्रवेश डीएच	डीटीसी कॉलोनी के बीच में बर्न रोड पर प्रताप नगर	डीएमएस
263.	825	07	सचिन कुमार	हाउस नं. टी 29/1 के बर्न रोड पर बिजली पोल के पास पांडु नगर	एडीएमएस
264.	827	22	रोहित गुजराल	क्वार्टर नं. 93-94 के सामने बिजली पोल संख्या 5-110 के पास, सेक्टर 6, आर.के. पुरम	एडीएमएस
265.	831	04	चन प्रकाश	स्कूल दीवार की साइड की ओर जी ब्लॉक के बर्न रोड पर पोल नं. 268, मानसरोवर गार्डन	एडीएमएस
266.	835	13	श्री राजरानी	नंगली कलां बस स्टाप के पास रोड बर्न पर न्यू महावीर नगर एक्सटेंशन	डीएमएस
267.	837	15	श्री सौरभ नागिया	नंगली कलां बस स्टाप के पास रोड बर्न पर न्यू महावीर नगर एक्सटेंशन	डीएमएस

268.	873	13	चन्द्र वती	हाउस नं. एफ/डी 46 बर्न रोड पर, टैगोर गार्डन	एडीएमएस
269.	847	18	श्रीमती निर्मला डबास	मेन रोड पर दुकान नं. डी 29 में पब्लिक स्कूल आदर्श पार्क के पास	डीएमएस
270.	849	37	राकेश कुमार	विट्ठल भाई पटेल हाउस के परिसर में	डीएमएस
271.	851	14	जमशेद खान	पीडब्ल्यूडी पूछताछ कार्यालय के पास वाली सड़क की पटरी पर, क्वार्टर संख्या जी/361 के सामने, श्रीनिवासपुरी	एडीएमएस
272.	853	24	श्रीमती मलका समर खान	बिजली खम्बा संख्या 162/1262बी/104 के पीछे वाली सड़क की पटरी पर, सेंट्रल मार्किट, लाजपत नगर	एडीएमएस
273.	855	32	राजपाल	डाकघर के नजदीक वाले नाले के किनारे वाली सड़क की पटरी पर, श्रीनगर	डीएमएस
274.	859	24	अर्जुन	हाउस नं. 111 जी/53 के सामने वाली सड़क की पटरी पर, बिजली खम्बा संख्या 162/2287 के किनारे, लाजपत नगर	एडीएमएस
275.	861	14	चंदा	क्वार्टर संख्या 4 के सामने वाली पटरी पर, ए-55-56, लाजपत नगर	एडीएमएस
276.	867	12	चुन्नीलाल	हरिजन कॉलोनी	एडीएमएस
277.	871	26	नारायण पी.डी.	ब्लॉक-एन की मार्किट की साइड वाले पार्क में, एन-18 से तीसरे पेड़ के पास, ब्लॉक-4, ग्रेटरा कैलाश	एडीएमएस
278.	875	24	मनमोहन सिंह	बिजली खम्बा संख्या 172 के पीछे, ए-207 के सामने वाले पार्क की साइड में, डिफेंस कॉलोनी	एडीएमएस
279.	877	07	अमित कुमार	सड़क संख्या 20 की सड़क पटरी पर, मकान संख्या टी-29-1 के सामने, बिजली खम्बा, बलजीत नगर	डीएमएस
280.	879	26	राजीव कुमार	ब्लॉक एस, ग्रेटर कैलाश, बाजार में दुकान संख्या 27-3 के सामने वाली भूखंड में, सेक्टर-5, आर.के. पुरम	एडीएमएस
281.	881	22	श्रीमती मीनाक्षी कोहली	दुकान संख्या 27-31 के सामने, सेक्टर 5 का खाली भूखंड, आर.के. पुरम	एडीएमएस
282.	883	41	कुमारी अंजु कंवर	सेक्टर 3, क्वार्टर संख्या 544 के सामने वाले तिराहे की सड़क पटरी पर, आर.के. पुरम	एडीएमएस
283.	887	22	अश्वनी कुमार	सेक्टर 7, आर.के. पुरम	एडीएमएस
284.	889	15	रश्मि भारद्वाज	हॉल की दीवार के साईड में, पटेल नगर	एडीएमएस
285.	893	47	पूजापाल	क्वार्टर संख्या 4156 के सामने, ब्लॉक 5, डबल स्टोरी, लाजपत नगर 4	एडीएमएस
286.	899	22	दीपक कुमार	बिजली खम्बा संख्या एस-121 के नजदीक कोयले के डिपो के सामने खाली पड़ी भूमि पर, सेक्टर-7, आर.के. पुरम	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
287.	901	22	गौरव बहल	बाजार के पास बिजली खम्बा संख्या 20ए के पास वाली सड़क पटरी पर, सेक्टर-4 आर.के. पुरम	एडीएमएस
288.	903	33	राजीव कुमार	मल्टी स्टोरी फ्लैटों के पास, आर.के. पुरम	एडीएमएस
289.	907	33	ओम प्रकाश	डीटीसी शैड संख्या 1 के पास, नेता जी नगर	एडीएमएस
290.	911	42	अंजनी कुमार मिश्रा	मकान संख्या 241 के एक कमरे में, निमरी नगर निगम कॉलोनी, निमरी	एडीएमएस
291.	913	07	देविन्दर कुमार	म्युनिस्पल पार्क के बाहर वाली सड़क की पटरी पर ब्लॉक नं. 31, मकान संख्या 9-10, पश्चिम पटेल नगर	एडीएमएस
292.	917	07	कुमारी रेणुका परमार	बच्चों के म्युनिस्पल पार्क के बाहर वाली सड़क की पटरी पर ब्लॉक जी, मकान संख्या 1-2, पश्चिम पटेल नगर	डीएमएस
293.	919	15	प्रेम स्वरूप भाटिया	सरकारी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के कार्यालय में, घंटाघर, हरिनगर	एडीएमएस
294.	923	31	भोजमणि	कीर्ति नगर बंगाली स्वीट के पास	एडीएमएस
295.	927	33	जितेन्दर कुमार	क्वार्टर संख्या ई 203-204 के सामने वाली सड़क की पटरी पर, सरोजनी नगर	एडीएमएस
296.	941	15	संजय रे	बंगला संख्या डी-10 के सामने, अजंता सिनेमा के पीछे, अजय एंक्लेव	एडीएमएस
297.	949	21	रजनिशकुमार सिंह	नगर निगम विद्यालय की दीवार के किनारे पर, एल-24 के सामने, तिलक नगर	एडीएमएस
218.	951	04	ललित कुमार	लकड़ी के पुल के पास, रतन पार्क	एडीएमएस
299.	953	49	अवतार सिंह	ब्लॉक नं. 14 में पार्क की दीवार की साईड में, सुभाष नगर	डीएमएस
300.	955	30	विरेन्दर सिंह	आरआई संख्या बैंड सी के बीच में लिया गया नया बूथ 28, सर्वोदय कॉलोनी	एडीएमएस
301.	963	04	अजय कुमार	रमेश नगर वाले पुल के पीछे, कीर्तिनगर	एडीएमएस
302.	971	38	शंकर जैन	साऊथ एक्स-2, भाग 2	एडीएमएस
303.	973	47	सुरेश कुमार	दुर्गा पूजा कम्पाउंड के सामने शॉपिंग सेंट की दीवार के पास, ई डीडीपी कॉलोनी।	एडीएमएस
304.	977	36	बवीता शर्मा	क्वार्टर संख्या 882 के सामने, सेक्टर 8, आर.के. पुरम	एडीएमएस
305.	979	36	रामभरोसे	सेक्टर 4 आर.के. पुरम	एडीएमएस
306.	981	41	हीराशाह	लेटर बॉक्स तथा एक्सिट डिपो संख्य 459-60 के नजदीक वाली सड़क की पटरी पर, ग्रीनपार्क	एडीएमएस

307.	983	26	संदीप भंडारी	क्वार्टर संख्या 221-253 के बीच वाली सड़क पर, एंड्यूजगंज	एडीएमएस
308.	985	09	सतीश कुमार गुलाटी	दूध के बूथ संख्या 21-22 के पास वाले खुले प्लॉट के किनारे पर, राजेन्द्र नगर	एडीएमएस
309.	987	08	श्रीमती कृष्णा	डबल स्टोरी क्वार्टरों की चारदीवारी के किनारे पर, ब्लॉक संख्या 11-69-176, आर्य समाज रोड	एडीएमएस
310.	991	46	ज्योति ठाकुर	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किनारे पर, 4/13 के सामने, रूप नगर	एडीएमएस
311.	993	15	एन.के. वर्मा	1ए-112 की सड़क पटरी पर, शिवनगर	डीएमएस
312.	995	12	गुरवचन सिंह	रामजस रोड के किनारे वाली सड़क की पटरी पर	एडीएमएस
313.	1001	26	गुरविन्दर	ई ब्लॉक, तिकोना पार्क के पास, ग्रेटर कैलाश	एडीएमएस
314.	1003	41	जसवीर सिंह	40 फुटा रोड की पटरी पर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, सफदरजंग रिहायशी योजना	एडीएमएस
315.	1005	37	सुनीता	कर्जन रोड होस्टल के पीछे, कर्जन रोड	एडीएमएस
316.	1013	41	महावीर सिंह	बिजली खम्बा संख्या 33 के सामने बाजार में खुले प्लॉट के नजदीक की सड़क पटरी पर, सफदरजंग डेबलेपमेंट एरिया	एडीएमएस
317.	1015	13	इन्दरजीत	मकान संख्या एसी-50, बीए-3/10 के बीच वाली सड़क पटरी पर, टेगोर गार्डन	एडीएमएस
318.	1017	36	खुशविन्दर सेनी	क्वार्टर संख्या 181-197 के सामने, पार्क के वाटर ड्रेंड हिजिज के बीच, सेक्टर 12 आर.के. पुरम	एडीएमएस
319.	1021	34	लाल चन्द दुबे	किनारे वाला पार्क, कृष्णा नगर	एडीएमएस
320.	1025	22	के.के. लोटा	क्वार्टर संख्या 615 के सामने पार्क के किनारे पर, सेक्टर 6 आर.के. पुरम	डीएमएस
321.	1029	24	श्रीमती शशि अग्रवाल	ट्रांसफार्मर तथा सेनिट्री इंस्पेक्टर के कार्यालय के बीच, भोलानाथ नगर, शाहदरा	एडीएमएस
322.	1031	28	सुरेश कुमार	स्टीम वाटर ड्रेंड तथा पहली डीडीए कॉलोनी के बीच के बिजली सबस्टेशन की चारदीवारी के किनारे पर, नारायणा विहार	एडीएमएस
323.	1037	30	मनोज कुमार	पोल संख्या 13 के नजदीक वाले प्लॉट में, पंचशील पार्क कॉलोनी	एडीएमएस
324.	1041	22	हेमलता	पूर्वा मार्ग के चौराहे के निकट, 90 फुटा रोड तथा गली नं. ए/1 (45) आर/चौड़ी, एफ 1 के सामने, ब्लॉक ए, वसंत विहार	एडीएमएस
325.	1043	48	दलीप कुमार मित	चन्दावल संख्या 1, 2 पीएण्डआई कॉलोनी के बीच वाली सड़क पर, वाटर वर्कर	एडीएमएस
326.	1051	11	महेश कुमार	मकान संख्या डी-51 के सामने वाले प्लाट में, बाली नगर	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
327.	1053	36	रविन्दर मोहन	बिजली खम्बा संख्या 75 के सामने वाली सड़क की पटरी पर, सेक्टर 9 आर.के. पुरम	एडीएमएस
328.	1055	04	संजय अरोडा	पार्क तथा मकान संख्या डी-21 के बीच, बिजली के पोल के निकट, कीर्ति नगर	डीएमएस
329.	1059	04	मदन लाल	ब्लॉक नं. 3 के सामने वाले पार्क के निकट, मोती नगर	एडीएमएस
330.	1067	10	सचिन सक्सेना	डीएवी सड़क के निकट, पहाड़गंज, सी-एल सड़क	एडीएमएस
331.	1069	24	गिरीज चन्द	के ब्लॉक के सामने पेड़ के नजदीक खेल के मैदान के किनारे पर, लाजपत नगर, 3	एडीएमएस
332.	1071	33	संजय श्रम	पेट्रोल पंप के पास क्वार्टर नं. 107-169 के सामने रोड साइड रिंग रोड सरोजनी नगर	डीएमएस
333.	1073	41	विक्रम	हाउस नं. डी-2/201 सफदरजंग ड. एरिया	एडीएमएस
334.	1081	09	गीता देवी	पार्क नं. 5 वर्तमान बूथ संख्या 970 साऊथ पटेल नगर	एडीएमएस
335.	1083	05	गुलशन कुमार	पावर हाउस की साइड की ओर बिजली पोल संख्या 149-152डी ब्लॉक, इन्द्र पुरी	एडीएमएस
336.	1085	36	अशीश चन्देकर	खुले स्थान में सी ब्लॉक और मैसर्स कपूर कोल कंपनी ए ब्लॉक 97-100, मोती बाग	डीएमएस
337.	1089	40	राजेश	क्वार्टर नं. 29 की साइड में गोल मार्किट	एडीएमएस
338.	1093	41	तारा बहादुर	क्वार्टर नं. 177 सेक्टर-1, आर.के. पुरम	एडीएमएस
339.	1097	24	बैराव दत्त शर्मा	गृह नं. ए-65 डिफेंस कॉलोनी	डीएमएस
340.	1099	14	नंनद किशोर	क्वार्टर नं. 38 जे.जे. कॉलोनी और क्वार्टर नं. 175 के सामने, श्रीनिवास पुरी	एडीएमएस
341.	1103	26	प्रमोद गुसाई	रोड नं. 7 के बर्म रोड पर क्वार्टर नं. एच-63 के सामने नेहरू नगर	एडीएमएस
342.	1107	14	बंसत यादव	ए-5, क्वार्टर 236-830, नेहरू नगर	एडीएमएस
343.	1109	27	विरेन्द्र प्रकाश	हकीकत पार्क के सामने स्कूल के पास, जंगपुरा स्टेशन	एडीएमएस
344.	1111	09	राम प्रकाश	न्यू स्वीट इंडिया रेस्टोरेंट रोड न्यू रजिन्द्र नगर	एडीएमएस
345.	1113	41	श्रीमती सरोज	क्वार्टर नं. 51-52, सेक्टर-4, आर.के. पुरम	एडीएमएस
346.	1115	37	राकेश कुमार	मंदिर के नजदीक बर्म रोड पर पंत मार्ग गोल मार्किट	एडीएमएस
347.	1117	22	श्री राजनाथ वर्मा	क्वार्टर नं. 749 सेक्टर-5, आर.के. पुरम	एडीएमएस
348.	1119	36	चंदन	पोल नं. 117 मार्किट के सामने सेक्टर-7, आर.के. पुरम	एडीएमएस

349.	1123	10	एम. अब्रहाम नबाब	ब्लॉक नं. 33-39 के बीच आर.के. मार्ग गोल मार्किट	एडीएमएस
350.	1127	26	रूपेश शर्मा	एस-60 के सामने 40 फुटा रोड एस ब्लॉक बिजली पोल के पास ग्रेटर कैलाश	एडीएमएस
351.	1129	12	योगेश कुमार	मैसर्स खन्ना ब्रदर्स के बंगले के पास डे चिड्रल आनंद प्रभात के सामने	एडीएमएस
352.	1133	41	श्री नुकुल भारद्वाज	ए-15 हौज खास	एडीएमएस
353.	1135	41	एस.एल. शुक्ला	सीपीडब्ल्यूडी पाइंट गौदाम सफरदजंग डी एरिया	एडीएमएस
354.	1141	36	दीपक कुमार	क्वार्टर नं. ए-165, मोती बाग	एडीएमएस
355.	1143	06	विरेन्द्र सिंह	पोल नं. 2-40 आरआर 107 ओल्ड रोहतक रोड	एडीएमएस
356.	1145	08	अनूप कुमार	खजूर रोड की क्रसिंग के कोने पर और कोल वाडर सैड	एडीएमएस
357.	1153	33	दया शंकर	क्वार्टर नं. ए-350 सरोजनी नगर	एडीएमएस
358.	1155	47	योगेश शर्मा	एन-20/70, 30 कालका जी	एडीएमएस
359.	1157	27	अनिल नंनद	बंगला नं. 9 गुरुद्वारा सुजन सिंह पार्क	एडीएमएस
360.	1159	48	एस.पी. मडोक	तिमारपुर एमएस फ्लैट्स	एडीएमएस
361.	1161	28	ब्रिजेश कुमार	डी ब्लॉक गर्वेमेंट हायर सेंक्रेडरी स्कूल, नारायणा	एडीएमएस
362.	1165	17	संजीव कुमार	खेमपा की ब्रांडी वाल के समीप रोड बर्म पर	एडीएमएस
363.	1167	42	कृष्ण लाल	पार्क की दीवार के पूर्वी एवेन्यू पर पंजाबी बाग	एडीएमएस
364.	1171	43	राजेश कुमार	पोल नं. एस-324 जनकपुरी	एडीएमएस
365.	1175	18	श्रीमती पींकी	त्रिभूजीय सोप मॉडल टाउन	एडीएमएस
366.	1177	47	संजय कुमार	सेंटर पार्क की साइड में घर नं. 3/17 और 4/5 के बीच	एडीएमएस
367.	1179	26	चन्द्र शेखर	घंटाघर, ग्रेटरकेला	एडीएमएस
368.	1181	26	श्याम सुन्दर	112 के सामने रोड बर्न पर, ग्रेटर कैलाश	एडीएमएस
369.	1183	11	अश्विनी कुमार	ईएमआईसी कॉलोनी	डीएमएस
370.	1187	46	राघव पीडी	प्लाट नं. 1-19 डी 1 राष्ट्रीय गर्ल्स कॉलेज, सीसी कॉलोनी, राणा प्रताप बाग	डीएमएस
371.	1191	09	रमेश सहगल	राजेन्द्र नगर, पश्चिमी मार्ग	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
372.	1193	22	राजेन्द्र यादव	पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार	एडीएमएस
373.	1197	24	संतोष कुमार	क्वार्टर नं. 417-447 के पास और 418-440 एन ब्लॉक, सेवा नगर, कस्तूरबा नगर	डीएमएस
374.	1199	34	किरण कुमारी	मेन रोड, गीत कॉलोनी	एडीएमएस
375.	1203	34	रमेश कुमार	वेलकम पुलिस स्टेशन, डीटीसी बस स्टैंड के पास, सलीमपुर, फेस 3	एडीएमएस
376.	1205	04	रमन मलहोत्रा	मोती नगर	डीएमएस
377.	1207	46	मनोज कुमार बाबर	गवर्नमेंट स्कूल नं. 1, शक्ति नगर के सामने	एडीएमएस
378.	1215	47	रवीन्द्र कुमार	प्लॉट नं. 40, डी ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश	एडीएमएस
379.	1217	11	विजय सिंह	पोल नं. 81, एचकेएल कॉलोनी, कर्मपुरा	डीएमएस
380.	1219	36	ओम प्रकाश	जी-201 नानक पुरा, मोती बाग-2	एडीएमएस
381.	1223	34	श्रीमती मंजु रानी	प्राइमरी स्कूल, महिला कॉलोनी	एडीएमएस
382.	1227	43	बालम सिंह	बिजली पोल संख्या 254, डी 1 ब्लॉक, जनकपुरी	एडीएमएस
383.	1229	43	अजीत सिंह	ए-2ए ब्लॉक स्ट्रीट जनकपुरी	एडीएमएस
384.	1233	42	मनोज कुमार	डबल स्टोरी ए ब्लॉक अशोक विहार वजीर पुर	एडीएमएस
385.	1237	42	मीना शारदा	ब्लॉक सी-7 लारेंस रोड	एडीएमएस
386.	1229	11	कमला देवी	ए ब्लॉक 381-384 पश्चिमपुरी	एडीएमएस
387.	1241	09	फूल बदन	सेंट्रल डेरी	एडीएमएस
388.	1245	04	रमेश चन्द	हाउस नं. 1/12 सिंगल स्टोरी क्वार्टर, रमेशनगर	एडीएमएस
389.	1247	11	मधु शर्मा	गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, शिवाजी पार्क	एडीएमएस
390.	1249	05	संजय कुमार	ई ब्लॉक नारायणा	एडीएमएस
391.	1251	32	मुकेश कुमार	पीतमपुरा, पुलिस लाइन	डीएमएस
392.	1257	36	अमित कुमार	प्राथमिक विद्यालय के किनारे पर, क्वार्टर संख्या 573 के सामने, सेक्टर 9, आर.के. पुरम	एडीएमएस
393.	1259	36	राजेश कुमार	क्वार्टर संख्या 220-227 के बीच, बिजली पोल संख्या 41 के निकट, सेक्टर 8 आर.के. पुरम	एडीएमएस

394.	1263	13	हरवंस	टैगोर गार्डन, जे.जे. कॉलोनी, मकान संख्या सी 155 के निकट	डीएमएस
395.	1269	13	शहनूर खान	बिजली खम्बे के किनारे पर, बाजार के सामने वाले खुले मैदान तथा पोल संख्या 766 के किनारे पर, नजफगढ़ रोड	एडीएमएस
396.	1271	24	इन्दर मोहन सिंह	एच ब्लॉक के सामने वाली सड़क पर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किनारे वाली दीवार के पास, लाजपत नगर	एडीएमएस
397.	1275	33	संजीव चौधरी	क्वार्टर संख्या 97-112 के पास वाले खुले स्थान में, मैसर्स फिट्स ब्लॉक संख्या 5, त्यागराज नगर	एडीएमएस
398.	1277	41	डुंगर सिंह	ब्लॉक संख्या 137/1 के सड़क की पटरी पर, बिजली पोल संख्या 45 के निकट, सफदरगंज एंक्लेव	एडीएमएस
399.	1279	05	श्रीमती साधना देवी	दुकान नं. 6 तथा पार्क के निकट	एडीएमएस
400.	1281	27	सलमान फरीदी	वोही मोटर्स तथा मकान संख्या 5-ए के बीच वाली खाली स्थान पर, निजामुद्दीन पश्चिम	एडीएमएस
401.	1283	40	आशा देवी	क्वार्टर संख्या डी-648-659 के पीछे, गोल मार्किट	एडीएमएस
402.	1285	40	रंजीत सिंह	डीआईजेड क्षेत्र के मकान संख्या 6के पास हेग स्केवयर	एडीएमएस
403.	1287	25	बीनाराम शर्मा	ग्रेटर कैलाश एंक्लेब संख्या 2	एडीएमएस
404.	1291	42	नरेश कुमार	सी ब्लॉक लारेंस रोड पर	एडीएमएस
405.	1293	25	श्रीमती राजनी	ग्रेटर कैलाश-2, ई ब्लॉक के पार्क के किनारे पर	एडीएमएस
406.	1297	41	योगेश सिंह रावत	बी-4/146 के सामने तथा बिजली पोल संख्या 155 के सामने वाली सड़क की पटरी पर, बी-4 सफदरजंग	एडीएमएस
407.	1299	48	रामविलास	बी-4/146 के सामने तथा बिजली पोल संख्या 155 के सामने वाली सड़क की पटरी पर, बी-4 सफदरजंग	एडीएमएस
408.	1301	48	नरेश कुमार	अंडर हिल रोड, सिविल लाइन	एडीएमएस
409.	1305	47	कंवलजीत सेनी	पिछले डिपो संख्या 973 वाले निजी ढांचे में, ईडीपी कॉलोनी	एडीएमएस
410.	1307	42	शामू गवदीवल	आई ब्लॉक, जनकपुरी	एडीएमएस
411.	1311	16	अजीत सिंह	नेहरू नगर, पहाड़गंज में, मकान संख्या 227 के निकट, ई-रमेश नगर, डबल स्टोरी क्वार्टर	एडीएमएस
412.	1313	04	जगमीत सिंह	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने वाले खुले स्थान में, मकान संख्या 227 के निकट, ई-रमेश नगर, डबल स्टोरी क्वार्टर	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
413.	1315	46	संजीव कुमार	दुकान संख्या 1 के निकट की सड़क पटरी पर, मंडोलिया के निकट	एडीएमएस
414.	1321	14	बृजेश कुमार	श्रीरघुनाथ मंदिर के सामने वाली सड़क के पश्चिमी किनारे पर, अमर कॉलोनी लाजपत नगर	एडीएमएस
415.	1323	24	गुरनाम सिंह	टैक्सी स्टेंड के पास, ई ब्लॉक, लाजपत नगर	एडीएमएस
416.	1325	27	मो. जारीफ	महारानी बाग-6, सेंट्रल एवेन्यू निकट एफ-7	एडीएमएस
417.	1327	22	उमेद सिंह	क्वार्टर संख्या 1483 के निकट वाले खाली प्लॉट के किनारे पर, सेक्टर 5 आर.के. पुरम	एडीएमएस
418.	1337	08	संजय गुप्ता	क्वार्टर संख्या 143 के निकट, खालसा कॉलेज, करोल बाग	एडीएमएस
419.	1339	08	कुलदीप कुमार	पुलिस स्टेशन, बापा नगर, करोल बाग	डीएमएस
420.	1349	13	गजेन्दर सिंह	प्लॉट संख्या 292 के सामने, चांद नगर	एडीएमएस
421.	1351	24	संजय कुमार	डिफेंस कॉलोनी	एडीएमएस
422.	1355	06	विनयपाल सिंह	न्यू राजेन्द्र नगर	एडीएमएस
423.	1361	36	श्रीमती सुनीता	सेक्टर 12, क्वार्टर संख्या 1300-60, आर.के. पुरम	एडीएमएस
424.	1367	18	कृष्णा कुमार कौशिक	शापिंग सेंटर में, टेगोर गार्डन	एडीएमएस
425.	1369	43	अशोक कुमार	सी-2, पॉकेट संख्या 12, जनकपुरी	एडीएमएस
426.	1371	43	विपेन्द्र सिंह	सी-2, पॉकेट संख्या 12, जनकपुरी	एडीएमएस
427.	1377	11	एस.के. शर्मा	क्वार्टर संख्या ए-11-59, कर्मपुरा	एडीएमएस
428.	1382	ई 04	के.के. शर्मा	बी-24 के सामने, पश्चिमी पटेल नगर	एडीएमएस
429.	1383	07	सोनिया यादव	6/26 के सामने, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किनारे पर, दक्षिणी पटेल नगर	एडीएमएस
430.	1385	26	ललित मोहन	पुलिस क्वार्टर के नजदीक, एंड्यूजगंज	एडीएमएस
431.	1387	46	रामकरण	गुलाबीबाग, सुपर बाजार मार्किट	एडीएमएस
432.	1393	30	शशिकला	एमएमटीसी स्टाफ कॉलोनी, महरौली रोड	एडीएमएस
433.	1395	25	रामनिवास यादव	गैराज संख्या 141 में, सेक्टर 2 शापिंग सेंटर के निकट, सादिक नगर, मस्जिद मोथ	एडीएमएस

434.	1399	44	वाई.एस. राजपूत	डी-1 ब्लॉक, जनकपुरी	डीएमएस
435.	1407	15	हेतराम	स्कूटर गैराज संख्या 14 एफ+16 एफ में, एमआईजी फ्लैट, मायापुरी	एडीएमएस
436.	1413	34	सरोज	गीता कॉलोनी, ब्लॉक 13, सरकारी स्कूल के निकट	एडीएमएस
437.	1421	19	रामसिंह	मैदान गढ़ी, खानपुर डिपो के निकट	डीएमएस
438.	1429	05	हरेन्दर सिंह	इन्द्रपुरी, आरए-32, खाटे वाला पार्क के निकट	एडीएमएस
439.	1435	41	जितेन्द्र कुमार	गुलमोहर पार्क	डीएमएस
440.	1437	47	कन्हैया लाल	ईडीपी कॉलोनी	डीएमएस
441.	1439	42	महेन्दर पाल	सी-11/118-बी के अस्थाई गैराज में, लारेंस रोड	एडीएमएस
442.	1457	26	पवन कुमार	गैराज 13-14 में, कृषि विहार	एडीएमएस
443.	1465	04	कमल कुमार	एफ-23 में सड़क के किनारे	एडीएमएस
444.	1481	19	रामे	पुष्प विहार सेक्टर 3, मदर डेयरी के निकट	एडीएमएस
445.	1485	34	गुरदर्शन सिंह	प्रियदर्शनी विहार, लक्ष्मी नगर	एडीएमएस
446.	1493	45	शशिकांत शर्मा	आनंद विहार, डी ब्लॉक मार्किट	एडीएमएस
447.	1503	13	नीरज बासानी	पुलिस पोस्ट के निकट, रघुवीर नगर	एडीएमएस
448.	1511	36	भास्कर भागोरिया	बसंत एंक्लेव	एडीएमएस
449.	1513	47	रामकेवल यादव	कालकाजी एक्सटेंशन पॉकेट 2, डीडीए मार्किट	एडीएमएस
450.	1531	31	सोहन लाल	एम-96, मंगोलपुरी, नई दिल्ली	डीएमएस
451.	1537	32	श्रीमती पूजा	लोक विहार, पीतमपुरा, ए ब्लॉक, डीडीए मार्किट	एडीएमएस
452.	1551	31	सत्यप्रकाश	क्यू ब्लॉक, मकान संख्या 155-156 के निकट, मंगोलपुरी	डीएमएस
453.	1557	09	इंदरजीत	चिड़िया कालोनी-एनआरसी क्वार्टर, जनक विहार	एडीएमएस
454.	1567	24	रंजीत अरनेजा	जय विहार मिनी मार्किट, नई दिल्ली	एडीएमएस
455.	1571	39	दलीप कुमार शर्मा	केंद्रीय विद्यालय के निकट, क्वार्टर संख्या 1388, लोधी काम्पलेक्स	एडीएमएस

1	2	3	4	5	6
456.	1577	10	रोहित	गैराज संख्या 27-ई, आराम बाग	एडीएमएस
457.	1591	13	प्रेम देवी	विकास पुरी (बोडेला) नजफगढ़ रोड	एडीएमएस
458.	1599	34	के.के. कपूर	स्वास्थ्य विहार शापिंग सेंटर	एडीएमएस
459.	1605	31	रियायत ग्राही के नाम	प्रशांत विहार एसटी, माग्रेट स्कूल हॉल के सामने	एडीएमएस
460.	1615	31	अभय सिंह	सुल्तान पुरी, एस ब्लॉक	डीएमएस
461.	1621	18	सतीश कुमार	बी-ब्लॉक जहांगीर पुरी	डीएमएस
462.	1623	18	सुखबीर सिंह	के-ब्लॉक जहांगीर पुरी	डीएमएस
463.	1627	48	अनिल कुमार गुप्ता	नेहरू विहार ई-ब्लॉक मैन मार्किट	डीएमएस
464.	1657	13	हारनेक	ब्लॉक ए-मकान संख्य 879 चौखण्डी जे.जे. कॉलोनी	एडीएमएस
465.	1659	13	श्री अनिल कुमार	मकान संख्या ए741, ए-ब्लॉक ख्याला जे.जे. कॉलोनी	एडीएमएस
466.	1661	13	श्री टीकम चंद	आर-ब्लॉक, बी-22, राघुवीर नगर	डीएमएस
467.	1667	47	गुलशन कुमार खुराना	स्कूटर गैरज संख्या 138 द्वारा पीपी सिंह सेकी, अरावली आपर्टमेंट, अलखनंनद	एडीएमएस
468.	1671	29	मंजू लता	सी-1/121, यमुना विहार, 53	एडीएमएस
469.	1677	29	श्री गौरव	डीडीए फ्लैट्स (जनता), नंद नगरी	एडीएमएस
470.	1683	39	श्रीमती गायत्री देवी	क्वार्टर संख्या 632, अलीगंज लोधी रोड	एडीएमएस
471.	1685	22	कृष्ण कुमार सिंह	डिपो नं. 397-398, की गली में मुनीरका	एडीएमएस
472.	1705	47	रामजस	बस टर्मिनल डीडीए फ्लैट्स के निकट टीवी सेंटर में, कालका जी	डीएमएस
473.	1723	32	अजित कुमार	निकट वटर टैंक प्रशांत विहार के सामने, डी-ब्लॉक, इंकम टैक्स कॉलोनी	एडीएमएस
474.	1727	28	श्रीमती अनिता	के-43, सुब्रोतो पार्क	एडीएमएस
475.	1735	32	शौकत अली	जेपी ब्लॉक सुपर बाजार के निकट, पीतम पुरा, मोर्या इक्लेव	एडीएमएस
476.	1749	05	कृष्ण पाल	नारायणा, बेनटैक्स	एडीएमएस

477.	1775	19	राजी मौन टीके	सादिक नगर, एओवी, नगर	एडीएमएस
478.	1777	32	भीम सिंह	सकुरपुर ए-ब्लॉक, जे.जे. कॉलोनी	एडीएमएस
479.	1783	22	भुपेन्द्र सिंह	बंसत बिहार, लोक सभा कॉलोनी	एडीएमएस
480.	1785	15	बाल हंस	डीएमएस कॉलोनी, अमृत कुंज, हरि नगर	एडीएमएस
481.	1787	06	सत्य प्रकाश	प्रेम रोड, रामा रोड	एडीएमएस
482.	1809	04	श्री गोपाल	रमेश नगर जेएड/72, के निकट एक मंजिला	एडीएमएस
483.	1821	29	हरदीप यादव	दिलशाद गार्डन जे एंड के पॉकिट पार्क के बाहर	एडीएमएस
484.	1827	11	श्रीमती पुष्पा	पश्चिम बिहार ए-6 सर्वोदय सह शिक्षा सीनियर सेक्ट्री स्कूल	एडीएमएस
485.	1845	45	हिरेन्द्र कुमार	सूरजमाल बिहार सौपिंग सेंटर	एडीएमएस
486.	1849	38	राकेश गौतम	वेस्ट किदवई नगर	एडीएमएस
487.	1851	39	पूजा देवी	लोधी कॉलोनी एनपी माध्यमिक गर्लस स्कूल के सामने ब्लॉक एन-5 क्वार्टर नं. 608 के निकट लोधी रोड, नई दिल्ली	एडीएमएस
488.	1855	39	लक्ष्मीबाई	लोधी कॉलोनी ब्लॉक नं. 17, क्वार्टर नं. 881, लोधी रोड, नई दिल्ली	एडीएमएस
489.	1875	19	राजेश कुमार	पुष्प विहार, सेक्टर-1, निकट मदर डेयरी विजीडेबल बूथ के निकट	एडीएमएस
490.	1881	30	सुमंत मागन	वी-ब्लॉक बसंत कुंज	एडीएमएस
491.	1939	31	फुलचंद गुप्ता	पी-4, सुल्तानपुरी	डीएमएस
492.	1963	39	मंजू लता	लोधी कॉलोनी ब्लॉक सी-2 क्वार्टर संख्या 191, लोधी कॉलोनी नई दिल्ली	एडीएमएस
493.	1967	29	अरूण कुमार	दिलशाद गार्डन	एडीएमएस
494.	1985	13	एनूलहक	जे.जे. कॉलोनी ख्याला	एडीएमएस
495.	1995	31	श्रीमती असीमा तयाल	रोहिणी सेक्टर-3 सीएससी 2	एडीएमएस
496.	1997	31	मान सिंह	रोहिणी सेक्टर-2, डीडीए मार्किट सीएससी-2	एडीएमएस
497.	2015	05	जितेन्द्र सिंह	नारायणा सी-ब्लॉक	डीएमएस

1	2	3	4	5	6
498.	2021	25	बलबीर सिंह	ग्रेटर कैलाश पैकेट-2 चंदन मार्किट	डीएमएस
499.	2027	31	दयानंद जैन	रोहिणी सेक्टर-5	डीएमएस
500.	2029	21	देवेन्द्र पाल सिंह	विकास पुरी, सी-ब्लॉक बीएसईएस शिकायत कार्यालय के निकट	एडीएमएस
501.	2047	31	संजय कुमार	रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर-8	एडीएमएस
502.	2049	31	चन्द्रशेखर	रोहिणी सेक्टर-9	एडीएमएस
503.	2057	31	राजेश कुमार	रोहिणी सेक्टर-13	एडीएमएस
504.	2089	31	सुनील कुमार	रोहिणी सेक्टर-3	एडीएमएस
505.	2505	21	पूरन सिंह	विकास पुरी एफबीएल	डीएमएस
506.	3343	45	मनोज कुमार	एलएससी, मण्डावली फैजलपुर	एडीएमएस
507.	3361	36	पूरन चंद	शान्ति निकेतन	एडीएमएस
508.	3415	45	श्रीमती रमा दूबे	वेस्ट विनोद नगर, मदर डेयरी के निकट	एडीएमएस
509.	3543	44	रजनी शर्मा	एलआईजी मंगालापुरी	एडीएमएस
510.	3547	32	करन शर्मा	जे.जे. कॉलोनी शकरपुर एलआईजी मंगोलपुरी	डीएमएस
511.	085ए	39	दीपक कुमार	फ्लैट नं. 81 के सामने रोड पर बर्म, ब्लॉक नं. 15 लोधी कॉलोनी	एडीएमएस
512.	31	जिला	श्री विनोद कुमार सिंह	बी-4/483 गण्डोली विस्तार, राजबीर कॉलोनी, मार्य बिहार सी-3175, विनोद कुमार सिंह	वितरकों द्वारा आपूर्ति
513.	1611	जिला	सतीश कुमार	मंगोलपुरी	वितरकों द्वारा आपूर्ति
514.	1613	जिला	चांद राम	मंगोलपुरी	वितरकों द्वारा आपूर्ति
515.	3213	जिला	नवीन कुमार	टी-37 इंद्र कॉलोनी नरेला सी-3089, नवीन कुमार	वितरकों द्वारा आपूर्ति
516.	3588	पी 21	विजय अरोड़ा	आईएसबीटी आनंद बिहार	केवल उत्पाद आपूर्ति

दिल्ली दुग्ध योजना

डिपो परित्यक्त सूची

क्र.सं.	डिपो	रुट	रूट संख्या	डिपो का स्थान	डिपो की स्थिति	डिपो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
517.	1	19	21	विपिन गार्डन स्वेता पब्लिक स्कूल उत्तम नगर के निकट	डीएमएस	परित्यक्त
518.	2	41	08	एसटी टोम्स स्कूल की ब्रांडी वाल से लगा हुआ गुरुद्वारा रोड करोल बाग	डीएमएस	परित्यक्त
519.	3	69	23	क्वार्टर संख्या 25-26 के सामने सरोजनी नगर	एडीएमएस	परित्यक्त
520.	4	107	20	बिजली उप केन्द्र, कस्तूरबा अस्पताल रोड दरियागंज	एडीएमएस	परित्यक्त
521.	5	109	20	हिन्दी पार्क दरियागंज	एडीएमएस	परित्यक्त
522.	6	193		मथुरा रोड का उत्तरी जंक्शन और कवेलीज रोड काका नगर	डीएमएस	परित्यक्त
523.	7	229	24	ब्लॉक बी/II/1.21 और केंद्रीय मार्किट लाजपत नगर के बीच खुले स्थान में	एडीएमएस	परित्यक्त
524.	8	235		हिन्दुस्तान हाउसिंग कारखाना के कॉलोनी में उत्तरी रेलवे ब्रिज, शक्ति नगर	डीएमएस	परित्यक्त
525.	9	267	27	डी-ब्लॉक हजरत निजामुद्दीन इस्ट	डीएमएस	परित्यक्त
526.	10	301	46	मकान संख्या डी/116 के निकट, कमला नगर दिल्ली-7	एडीएमएस	परित्यक्त
527.	11	357		बंगला नं. सी-26 के सामने डिफेंस कॉलोनी	डीएमएस	परित्यक्त
528.	12	371	04	बिजली के खंभा ब्लॉक नं. 89 और क्वार्टर नं. 18 के निकट मादी रोड पर मोती नगर	एडीएमएस	परित्यक्त
529.	13	387	48	इंटेस और श्रम आयोग लेन के निदेशक के आवासीय क्वार्टर के निकट हास्टल, सिविल लाइन	एडीएमएस	परित्यक्त
530.	14	395	07	वीएंडटी ब्लॉक बिल्कुल मार्किट के पास एफ ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर	डीएमएस	परित्यक्त
531.	15	397	04	म्युनिस्पल पार्क क्वार्टर नं. 4/1, के खुले प्लॉट में रमेश नगर	डीएमएस	परित्यक्त
532.	16	577	31	मकान संख्या 233 के सामने खुले स्थान में पैदल पीऊ के बगल में जीटी रोड	डीएमएस	परित्यक्त
533.	17	573	47	म्युनिस्पल मार्किट फेंड टेलर के सामने खुले स्थान में कालका जी	डीएमएस	परित्यक्त

1	2	3	4	5	6	7
534.	18	583		म्युनिस्पल कॉर्पोरेशन प्राइमरी स्कूल बिजली खंभा संख्या 2771 के पीछे खुले स्थान में क्वार्टर संख्या 2पी ब्लॉक नं. 2 के सामने 3/मंजिला क्वार्टर विजय नगर	डीएमएस	परित्यक्त
535.	19	615		मकान नं. 17 के निकट, राजिन्द्र पार्क राजिन्द्र नगर	एडीएमएस	परित्यक्त
536.	20	637	39	ब्लॉक नं. 7 क्वार्टर संख्या 137 लोधी कॉलोनी के सामने लान के बगल में रोड पर	एडीएमएस	परित्यक्त
537.	21	673		खंभा संख्या 47, खुले स्थान में प्रौद्योगिकी संस्थान, हौज खास इंक्लेव	डीएमएस	परित्यक्त
538.	22	733	09	मकान संख्या आर-831 और आर-735 रोड के जुड़ा हुआ, न्यू राजेन्द्र नगर एनआर स्वीच 130×74	एडीएमएस	परित्यक्त
539.	23	735	09	वृक्ष के खिड़की की तरफ आर-735 के पीछे डिपो, नया राजेन्द्र नगर	डीएमएस	परित्यक्त
540.	24	747	26	एन ब्लॉक मार्किट के निकट रोड पर ग्रेड कैलाश	एडीएमएस	परित्यक्त
541.	25	757	11	नेहरू नगर निगम प्राइमरी स्कूल ब्लॉक नं. 32 कर्मपुरा	एडीएमएस	परित्यक्त
542.	26	775	12	मकान संख्या 46/23, के दीवार के साइड में गदोदिया रोड, आनंद पर्वत	एडीएमएस	परित्यक्त
543.	27	833		बंगला नं. 98-ए के सामने डीडीए फ्लैट में स्थापित इन्द्र लोक कॉलोनी	एडीएमएस	परित्यक्त
544.	28	869	26	मकान नं. आर/3, के निकट बिजली खंभा नं. 23 के ठीक पीछे आर ब्लॉक ग्रेड कैलाश पार्ट-1	डीएमएस	परित्यक्त
545.	29	921	24	बिजली खंभा संख्या 16-2, के निकट रोड पर कृष्णा मार्किट	डीएमएस	परित्यक्त
546.	30	961	04	खंभा संख्या 27, में रोड पर बर्म मोती नगर	डीएमएस	परित्यक्त
547.	31	965	11	निकट ए ब्लॉक, कर्मापुरा	डीएमएस	परित्यक्त
548.	32	997		क्वार्टर संख्या 40/5, के बगल और क्वार्टर 49/ई, के सामने, इस्ट पटेल नगर	डीएमएस	परित्यक्त
549.	33	1063		वटर टैंक के निकट त्रिकोणीय पार्क के कोने में सी-60/1 के सामने शिवाजी पार्क	डीएमएस	परित्यक्त
550.	34	1101	27	निरंकारी मंदिर और अरोड़ा स्टोर के सामने रोड बर्म के निकट निजामुद्दीन ईस्ट	एडीएमएस	परित्यक्त
551.	35	1125	27	डी ब्लॉक जंगपुरा विस्तार में खुले स्थान पर सीजीएचएस डिस्पेंसिरी के सामने	डीएमएस	परित्यक्त

552.	36	1201	34	नवीन शाहदरा दिल्ली-110032	एडीएमएस	परित्यक्त
553.	37	1225	43	प्राइमरी स्कूल के निकट खुले स्थान में कोने में	डीएमएस	परित्यक्त
554.	38	1253		क्वार्टर संख्या के-32 से के-37, के सामने पार्क के कोने में कीर्ति नगर	डीएमएस	परित्यक्त
555.	39	1289	42	डी-ब्लॉक अशोक विहार	डीएमएस	परित्यक्त
556.	40	1295	14	दयानंद कॉलोनी के रोड पर लाजपत नगर	एडीएमएस	परित्यक्त
557.	41	1303	43	सी-4, डी ब्लॉक जनकपुरी	एडीएमएस	परित्यक्त
558.	42	1341		रोड संख्या 5 देव नगर	एडीएमएस	परित्यक्त
559.	43	1363	35	एमआईजी एफएलटी, राजोरी गार्डन	डीएमएस	परित्यक्त
560.	44	1373		नरेला	डीएमएस	परित्यक्त
561.	45	1375		नरेला	डीएमएस	परित्यक्त
562.	46	1595	31	जी ब्लॉक, मंगोलपुरी	डीएमएस	परित्यक्त
563.	47	1619		मकान संख्या एल-317, के सामने फेस-3, नांगलोई	डीएमएस	परित्यक्त
564.	48	1675	45	मधुबन सोपिंग सेंटर शकर पुर के निकट	डीएमएस	परित्यक्त
565.	49	1721		संगम पार्क क्वार्टर में	डीएमएस	परित्यक्त
566.	50	1755	34	चितराबिहार प्रीत बिहार	डीएमएस	परित्यक्त
567.	51	1857	33	नेताजी नगर ई ब्लॉक मार्किट कमोनेटी सेंटर	डीएमएस	परित्यक्त
568.	52	1931	11	पश्चिम बिहार जीएस-13, गुरू हरिकिशन के सामने	एडीएमएस	परित्यक्त
569.	53	1937	43	हरिजन बस्ती उत्तर नगर एलआईजी हास्टल	डीएमएस	परित्यक्त
570.	54	1993	31	रोहिणी सेक्टर-7, सीएससी-3	डीएमएस	परित्यक्त
571.	55	2167	29	यमुना विहार सी-वी	डीएमएस	परित्यक्त
572.	56	3135	31	सीएससी-2, मार्किट सेक्टर-5, रोहिणी	एडीएमएस	परित्यक्त
573.	57	3155		नरेला एस 6 पी 3	डीएमएस	परित्यक्त
574.	58	3257		पीकेटी 7 सेक्टर बी 4 नरेला	डीएमएस	परित्यक्त

विवरण-II

स्लम क्षेत्रों में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों के लिए प्रस्तावित स्थान

क्र.सं.	क्षेत्र	कॉलोनी के नाम	डिपो के लिए डीएमएस द्वारा प्रस्तावित स्थान
1	2	3	4
1.	पश्चिमी दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1048, हंसराज मुलकराज भट्ट, ज्वालापुरी	उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे
2.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5733.2 रोड नं. 5, ज्वालापुरी	निकट प्राइमरी स्कूल ज्वालापुरी
3.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-792 निकट हरिजन कॉलोनी, तिलक नगर	बीएसएनएल टेलीग्राफ ऑफिस के सामने एसबीआई एटीएम के निकट
4.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1096 डबल स्टोरी स्वीपर टेनमेंटस, तिलक नगर	पार्क के गेट के बगल में निकट पीपल वृक्ष
5.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-839 दिनदयाल कैंप स्लम क्वार्टर के निकट, रोड नं. 77 पंजाबी बाग	पार्क के कोने में, कोठी नं. 32/10 के सामने
6.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5800.1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंप कुकरेजा अस्पताल के पीछे टैगोर गार्डन	पाके के कोने में नाला इलेक्ट्रिक पोल और रेड लाइट के निकट
7.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-846, सी-ब्लॉक, नाले के पीछे मादीपुर	पार्क के कोने में मकान संख्या 41 के सामने सुलभ शौचालय के निकट
8.	उत्तरी पश्चिमी दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5302 एफ ब्लॉक, मंगोलपुरी	मंगोलपुर कला गांव, निकट पत्थर मार्किट रिंग रोड आऊटर नये कंझावला रोड से जुड़ा हुआ
9.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5785.1, डी-4, ब्लॉक, मंगोलपुरी	बापू पार्क के निकट, डी-ब्लॉक मेन थाना रोड
10.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5832, सी-ब्लॉक तांगा स्टैंड के निकट, मंगोलपुरी	सी-ब्लॉक, कतार मार्किट का चौराह कूड़ेदान के सामने
11.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1085, एक्स ब्लॉक, मंगोलपुरी	सब्जी मंडी के पास, बाल्मिकी मंदिर, एक्स ब्लॉक, संजय गांधी अस्पताल के निकट
12.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1084, के-ब्लॉक, मंगोलपुरी	बस्ती विकास केंद्र, मंगोलपुरी थाना चौकी के पीछे संजय गांधी अस्पताल रोड पर
13.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1081, एल-ब्लॉक, मंगोलपुरी	के-ब्लॉक एमसीडी स्कूल के पीछे
14.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1080, वाई ब्लॉक, धोबीघाट, मंगोलपुरी	बस्ती विकास केन्द्री के सामने, वाई ब्लॉक, रोड 901 बस स्टैंड के निकट

1	2	3	4
15.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5834, सी-2 ब्लॉक सुल्तानपुरी	सी-2 ब्लॉक बाल्मिकी मंदिर पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी के निकट
16.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1055, ए-2 ब्लॉक सुल्तानपुरी	ए-2 ब्लॉक बाल्मिकी मंदिर के पीछे एसबीआई रोड
17.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1069, एफ-7 सुल्तानपुरी	हरि लाल अखाड़ा के निकट नांगलोई फाटक के पास
18.	दक्षिणी दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1330, हरिजन कैंप खानपुर और बंजरा कैंप, पीएनबी खानपुर के सामने	नगर निगम प्राथमिक विद्यालय के गेट के बाहर
19.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-13, 351, 337, सुभाष कैंप ब्लॉक 4, 5, 6, 7, दक्षपुरी और मिनी सुभाष कैंप दक्षपुरी एक्सटेंशन पुलिस स्टेशन के निकट	इंटरनेट शिक्षा और सूचना केंद्र/नाले के निकट के खुले क्षेत्र में
20.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1425, संजय कैंप, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन	चर्च के सामने पार्क में
21.	पूर्वी दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1700, इंदिरा कैंप, ब्लॉक 11 और 12, कल्याणपुरी	पार्क के दाहिने में एमसीडी प्राइमरी स्कूल से जोड़ा हुआ ब्लॉक 11/2 और 3 कल्याणपुरी के सामने
22.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1705, ब्लॉक 17 और 21, कल्याणपुरी	मकान नं. 17/100 और 17/230 के बीच पार्क में कल्याणपुरी जेके चौक के निकट
23.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1611, इंदिरा कैंप ब्लॉक 20 और 19 को कवर करता हुआ त्रिलोकपुरी	20/30 मिनी पार्क के कोने से जोड़ा हुआ एसबीआई और पोस्ट ऑफिस हिम्मतपुरी के सामने
24.	-वही-	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1619 अम्बेडकर कैंप, ब्लॉक 32 और 34, त्रिलोकपुरी	मकान नं. 480 और 411 के बीच पार्क में, ब्लॉक 32 त्रिलोकपुरी आईबी वायर लैस हैड ऑफिस के पीछे

किसानों को सूचना देने का अभियान

3943. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकार कृषि उपज बढ़ाने के लिए जैविक कृषि तथा उर्वरक एवं खाद के इस्तेमाल के संबंध में किसानों को जानकारी देने के लिए कोई शिविर आयोजित करती है या अभियान चलाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अधिकतर किसान उक्त जानकारी की कमी एवं निरक्षरता के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने में पिछड़ रहे हैं तथा वे कर्ज में डूब रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विज्ञापन में अन्य प्रयोगों के माध्यम से जैविक कृषि के संबंध में किसानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) "राज्य विस्तार कार्यक्रम सुधारों को सहायता" की जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जैसे सामान्यतया एटीएमए स्कीम के नाम से जाना जाता है, देश के 28

राज्यों तथा 3 केन्द्र शासित क्षेत्रों के 630 जिलों में कार्यान्वयनाधीन है, यह स्कीम जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विकेन्द्रीकृत किसान अनुकूल एवं किसान के प्रति जवाबदेह विस्तार पद्धति को प्रोत्साहन देती है। विस्तार प्रणालियों के पुनरुद्धार के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने, जैव कृषि सहित विभिन्न थीमेटिक क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराने तथा विस्तार कार्यकलापों नामत: किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, विगोपन दौरान, किसान मेलों, किसान समूहों के संघटन के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों एवं खाद के उपयोग तथा फार्म स्कूलों की स्थापना के उद्देश्य से स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्यों की राज्य अभिनामित एजेंसी को सहायता का अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। राज्य द्वारा समग्र नियोजन तथा किसानों की आवश्यकता के आधार पर विस्तार कार्यकलापों का चयन किया जाता है। प्रारंभ से (2005-06 से) अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 280 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रौद्योगिकियों के विषय में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण करती है, फ्रंट लाइन प्रदर्शन आदि का आयोजन करती है ताकि नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत विकसित जैविक खाद, उत्तम जैव उर्वरक तैयार किए जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपनी परियोजना में 14 फसलों के पद्धति पैकेज को कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय (पीडीएफएसआर) की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना (एनपीओएफ) के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र (एनसीओएफ), गाजियाबाद हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टॉल लगाता है। तकनीकी विशेषज्ञ आगन्तुक किसानों के मृदा नमूनों की जांच करते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ किसान छात्रों व अन्य आगन्तुकों के जैव कृषि के ब्यौरे, जैव-उर्वरकों/खाद के उपयोग पर विचार-विमर्श करते हैं। इसके अलावा, जब भी राज्य सरकार किसान मेले अथवा अन्य संबंधित समारोह का आयोजन करती हैं और अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र को आमंत्रित करती है, तकनीकी विशेषज्ञ किसानों को तकनीकी जानकारी का प्रसार करने के लिए समारोह में भाग लेते हैं।

इसके अलावा राज्य उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्कीमों के अंतर्गत मृदा परीक्षण अभियान का आयोजन करते हैं।

एनसीओएफ/आरसीओएफ नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों/किसान प्रशिक्षण के दौरान किसानों को द्विभाषी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तिकाओं एवं पर्चियों का वितरण कर रहे हैं। हाल ही में जैविक कृषि पर रेडियो जिंगल्स को किसानों के लिए एफएम रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

[अनुवाद]

कोयला खानों में सुरक्षा

3944. श्री अजय कुमार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान कामगारों की सुरक्षा के संबंध में सरकारी एवं निजी कोयला कंपनियों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों द्वारा सुरक्षा अनुदेशों का अक्षरश: पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयला उत्पादन बढ़ाने एवं खान कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश में कोयला क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के उद्देश्य से कोयला खनन में अनुसंधान एवं विकास विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी/कोशिश की गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) दोनों सरकारी और निजी कोयला कंपनियों में खान कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) मामला खानों में तैनात लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है तथा खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

(ii) कोयला खान विनियम, 1957 कोयला खानों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित हैं।

(iii) चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य तथा सफाई के मानकों एवं लोगों के रोजगार एवं कल्याणकारी सुविधाओं संबंधी प्रावधान खान नियम, 1955 में किए गए हैं।

(iv) सभी गंभीर दुर्घटनाओं विशेशत: छत के गिरने, आग, विस्फोटकों, गैसों के कारण जोखिम घटनाओं सहित सभी घातक तथा गंभीर घटनाओं की जांच खान सुरक्षा तथा महानिदेशक (डीजीएमएस) द्वारा की जाती है।

(v) जांच पड़ताल पूरी होने के उपरांत दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदा पाए गए लोगों के विरुद्ध अभियोजन सहित यथा अपेक्षित सांविधिक एवं विधिक कार्रवाई की जाती है।

(vi) दुर्घटनाओं का भी तकनीकी तौर पर विस्तृत विश्लेषण किया जाता है तथा ऐसे विश्लेषणों के निष्कर्षों के आधार पर तथा खानों में सुरक्षा के मानकों को सुधारने में विफलता तथा दुर्घटनाओं को बार-बार होने से रोकने के लिए तकनीकी परिपत्रों, निदेशों एवं दिशा-निर्देशों को विभिन्न कारणों से जारी किया जाता है।

(vii) खान कामगारों तथा प्रबंधन को सुरक्षा के बारे में अधिक जागरुक बनाने के क्रम में तथा स्वास्थ्य मुद्दों, सुरक्षा सप्ताह/पखवाड़ा, बचाव एवं प्राथमिक उपचार प्रतियोगिताएं खानों में हर वर्ष आयोजित की जाती है। खान कामगारों तथा प्रबंधन को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(viii) परिपत्रों के रूप में निदेशों, दिशा-निर्देशों तथा अनुदेशों को डीजीएमएस द्वारा समय-समय पर जारी किया जा रहा है, खान कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न विषयों पर लक्षित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करना कि खान प्रबंधन खनन प्रचालन सुरक्षा अनुदेशों के अनुसार हो, खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खानों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा दुर्घटनाओं और शिकायतों की जांच करते हैं। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालन अथवा उल्लंघनों के बारे में डीजीएमएस द्वारा नोटिस, निदेशात्मक आदेश और अभियोजना भी उपयुक्त न्यायालयों में चलाए जाते हैं।

(ङ) कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस संबंध में आर एंड डी को प्रोन्नत की दृष्टि से कोयला क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को लाया जाए। सचिव कोयला की अध्यक्षता में एक स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) विद्यमान है जो कोयला क्षेत्र में आर एंड डी परियोजनाओं का निरीक्षण करती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित दो आर एंड डी परियोजनाएं एसएसआरसी द्वारा हाल ही में शुरू की गई है:—

(i) भूमिगत कोयला खानों में डिप्लिरिंग ऑपरेशनों के लिए सैल्फ एडवासिंग (मोबाइल) गाफ ऐज सपोर्टो का विकास।

(ii) फंसे हुए भूमिगत खनकों को सूचित करने तथा पता लगाने के लिए एकीकृत संचार प्रणाली।

इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के आर एंड डी प्रभाग ने निम्नलिखित आर एंड डी परियोजनाएं शुरू की हैं:—

- आग को दरकिनार करने के लिए विस्तार फोम ऐजेंट का उपयोग करके क्वीक सेटिंग स्टोपिंग का निर्माण।
- यूजी में स्टोपिंग के निर्माण को सुकर बनाने के लिए नोच कटिंग मशीन का विकास।
- दोषी डायवर्जन की नवीन प्रौद्योगिकी को लागू करके विद्युत दोष के कारण यूजी खानों में गैस के ज्वलन और विस्फोटन की घटनाओं की संभावनाओं को समाप्त करना।
- कोयला खानों में अन्त: श्वसनीय वायु से उत्पन्न धूल में फ्रि सिलिका (अल्फा-कंटेंट) के निर्धारण का अध्ययन करना और धूल और कोयले में विद्यमान फ्रि सिलिका और अन्य खनिजों का डाटा बैंक तैयार करना।

इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल खानों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के अध्ययन के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है।

सुपारी उत्पादन पर प्रतिबंध

3945. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सुपारी की खेती एवं इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रतिबंध के मामले में अनेक सुपारी उत्पादकों के गंभीर आजीविका मुद्दों पर गौर किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) देश में सुपारी की खेती एवं इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सीआईएल की सीएसआर निधि

3946. श्री समीर भुजबल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के वितरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन एनजीओ द्वारा कितनी निधि का उपयोग किया गया है;

(ग) वर्तमान में सीआईएल की सीएसआर निधि से छात्रवृत्ति के वितरण संबंधी कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) ऐसी छात्रवृत्ति के शीघ्र वितरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नृत्य/कला रूपों का परिरक्षण

3947. श्री चार्ल्स डिएस : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना देश के विभिन्न राज्यों में विद्यमान लोक गीतों, नृत्यों एवं अन्य कला रूपों को परिरक्षित करने की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक परिरक्षित लोक गीतों, नृत्यों एवं अन्य कला रूपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक गीत, नृत्य एवं अन्य कला रूप लोगों एवं अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में किन स्थानों पर ये परिरक्षित कला रूप उपलब्ध हैं; और

(ङ) देश में सभी कला रूपों के परिरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसीज) की स्थापना की है, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं। इन जेडसीसीज के मुख्य उद्देश्य अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है।

(ख) जेडसीसीज द्वारा अब तक परिरक्षित विभिन्न लोक गीत, नृत्य और अन्य कलारूपों में शामिल हैं:— गंगौर गीत, गोवा लोक नृत्य, भवई, गिद्दा लोक नृत्य, कालबेलिया नृत्य, शिमला की सांस्कृतिक विरासत, हिमाचल प्रदेश का महासु नृत्य, किन्नौर की जीवन शैली, उत्तर भारत के रंग और ध्वनियों, कुरुक्षेत्र उत्सव-गीता जयंती समारोह, सूरज कुंड मेला, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के रजत जयंती समारोह, कुल्लू दशहरा, रेणुका उत्सव, सिरमौर उत्सव, नलवारी उत्सव, सिंधु दर्शन, लद्दाख उत्सव, बौद्ध छाम उत्सव, कोमल धिम्सा, तमाशा, बाघ नृत्य, बुर्रा कथा, सुरभि नाटकम, हरिकथा, धिम्सा, डोला मारू, डंडा नृत्य, धनकुल गीत, छऊ आदि।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के पुस्तकायलों/कार्यालयों में ये उपलब्ध हैं।

(ङ) भारत सरकार क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से देश में सभी कला रूपों के परिरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही हैं।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक अध्येतावृत्ति

3948. श्री तूफानी सरोज : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक कार्यों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ये अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं एवं ऐसी अध्येतावृत्ति देने के लिए निर्धारित नियम/मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी अध्येतावृत्ति देने हेतु कोई परामर्शदात्री परिषद्/समिति गठित की जाती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस समिति/परिषद् के सदस्यों के चयन हेतु अपनाए गए दिशा-निर्देश/मानदंड क्या हैं; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस समिति/परिषद् हेतु चयनित सदस्यों के नाम क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां। ये अध्येतावृत्तियां 'संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान

करने संबंधी स्कीम' के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान की जाती हैं।

(ख) जिन क्षेत्रों में ये अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं और इनके निर्धारित नियम/मानदंड संबंधी ब्यौरे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् *www.indiaculture.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय प्रतिष्ठित और प्रख्यात कलाकारों/विद्वानों को शामिल करके विशेषज्ञ समिति का गठन करता है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान समिति के लिए चयनित सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सूची

श्री राशिद खान	श्री सदानम बालाकृष्णन	श्री भास्कर कोग्गा कामथ
श्री अजय चक्रवर्ती	श्री कलामंडलम गोपी	श्री अनुरूपा रॉय
श्री छन्नूलाल मिश्रा	थंक अमानी कुट्टी	डॉ. इंदिरा गोस्वामी
श्री सुरेश तलवालकर	श्री एन. तारक रामाराव	श्री एन.के. भट्टाचार्जी
श्री शाहिद परवेज	श्री किशोरजीत सिंह	श्रीमती पद्मा सचदेव
श्री तेजेंद्र नारायण मजूमदार	श्री केवल धालीवाल	प्रोफेसर (डॉ.) आलोक भल्ला
श्री डॉ. सेशाचारी	श्री सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ	सुश्री महुआ मुखर्जी
सुश्री बाम्बे जयश्री	श्री बैरी जॉन	सुश्री बिम्बावती देवी
श्री संजय सुग्रमण्यन	सुश्री पोइली सेनगुप्ता	श्री रंजीत अधिकारी
श्री टी.वी. वासन	सुश्री प्रतिभा अग्रवाल	श्री इलियाना सीताऋष्टि
श्री यू श्रीनिवासन	सुश्री साओली मित्रा	सुश्री गोरिमा हजारिका
सुश्री मालविका सारूकई	श्री रुस्तम बरूचा	कलामंडलम सिवन नंबूदिरी
सुश्री प्रतिभा प्रहलाद	श्री जी.एस. चन्नी	श्री मार्गी साथी
सुश्री प्रियदर्शनी गोविंद	श्री हसमुख बरादी	सुश्री तनुश्री शंकर
सुश्री शोभना नारायण	श्री अनूप रंजन पांडे	सुश्री मधु गोपीनाथ
सुश्री अदिति मंगलदास	श्री चितरंजन माल्या	सुश्री रंजना श्रीवास्तव
सुश्री कम्लानी	श्री अतुल यदुवंशी	श्री उत्पल कुमार बनर्जी
सुश्री किरण सहगल	श्री टी. कृष्णैया	सुश्री नंदनी रमानी
सुश्री संगीता दास	डॉ. परमानन्द राजभोंगसी	प्रो. एन. रामाथन
सुश्री कौशल्या रेड्डी	श्री धुल दास	सुश्री अनुराधा कपूर
सुश्री उमा रामाराव	डॉ. हरिश्चंद्र बोरकर	सुश्री नादिरा जेड बब्बर

श्री उर्मिल कुमार थपलियाल

श्री कनिष्क सेन

श्री मोहन अगाशे

सुश्री रोहिणी हट्टंगडी

डॉ. जीवन नामडुंग

सुश्री सरिता जोशी

श्री केसव मल्लिक

प्रो. राजीव लोचन

डॉ. अलका रघुवंशी

श्री बालन नांबियार

प्रो. सी.एल. पोरिंचुकुट्टी

श्री सदानंद मेनन

श्री पी.आर. राजू

श्री बेनाय के. बहल

श्री के.एन. दीक्षित

डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी

डॉ. बिद्यानाथ झा

श्री नंद किशोर आचार्य

प्रोफेसर विनोद जोशी

डॉ. वर्षा दास

श्री लक्ष्मण एम. गायकवाड

श्री पुन्डलिक नारायण नाइक

प्रोफेसर एम. थॉमस मैथ्यू

श्री अग्रहर कृष्ण मूर्ति

डॉ. एच.एस. शिवप्रकाश

डॉ. विभूति पटनायक

डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा रे

डॉ. वनिता

डॉ. पी. श्री रामचन्द्रूदू

श्री वासदेव मोही

डॉ. श्रपी बालसुब्रमण्यम

श्री अशोक मित्रण

डॉ. अक्कीराजू रामापति राव

सुश्री जे. भाग्यलक्ष्मी

श्री बलराज कोमल

श्री आर.बी. भास्कर

सुश्री मंदाकिनी त्रिवेदी

डॉ. नीना प्रसाद

श्री ब्रिजीत नाग्नगोम्बा

श्री संथोइबा शर्मा

सुश्री शगुर भूटानी

श्री शशिधर आचार्य

सुश्री प्रकृति कश्यप

श्री गोपाल दुबे

श्री धनकंठ बोरा बोरबयन

श्री रणजीत होसकोटे

श्री सिद्धार्थ काक

सुश्री आयशा सेठी

श्री राजन मिश्र

श्री साजन मिश्र

श्रीमती प्रभा अत्रे

सुश्री विद्या शाह

श्री उमाकांत गुंडीचा

श्री रमाकांत गुंडीचा

श्री वसीफुदिंग डागर

श्रीमती पूर्णिमा चौधरी

श्रीमती मुराद बानो

श्री बुधादित्य मुखर्जी

श्री अमजद अली खान

श्री भजन सोपोरी

श्री जाकिर हुसैन

श्रीमती एन. राजम

श्री प्रमोद गायकवाड

श्रीमती सुधा रघुनाथन

डॉ. दीप्ति ओमचेरी भल्ला

श्री टी.एम. कृष्णा

श्री चिथ बबीर

श्रीमती कराइकुडी मणि

सुश्री प्रोमिता मलिक

सुश्री चंद्रा बाली रुद्र दत्ता

सुश्री मंजू मेहता

सुश्री देवारती दत्ता

श्री अम्मान अली खान

श्री सूर्या कृष्णमूर्ति

सुश्री अलार्मेल वल्ली लावण्य

सुश्री प्रीति पटेल

श्री आर.के. जीत सिंह

श्रीमती सेशा कुमारी

सुश्री पल्लवी कृष्णन

डॉ. रंजना सरकार

सुश्री नीलम मानसिंह चौधरी

सुश्री मृदुला बेहरी

श्री रतन थियम

श्री गौतम हलदर

सुश्री अरुंधति नाग

श्री चन्द्रदासन

श्री गुनाकर देव गोस्वामी

श्री फैजल अलकाजी

श्री एम.के. रैना

प्रो. महेश इलकुंचवर

श्री राम गोपाल बजाज

श्री दुलाल रॉय

श्री एच. कन्हाईलाल

श्री मोहन महर्षि

सुश्री पद्म वेंकटरमन (मंगई)

श्री बंसी कौल

सुश्री उत्तरा बाओकर

श्री एस. राजेन्द्रन

सुश्री अनामिका हसकर

श्री रामानुजम

प्रो. आर. राजू

श्री बहरूल इस्लाम

प्रो. कीर्ति जैन

सुश्री अरुणिमा दास चेतिया

डॉ. यूमनाम सदानंद सिंह

सुश्री पूर्णिमा पांडे

सुश्री रंजना गौहर

सुश्री अलेख्या पुंजला

श्री काला कृष्णा

श्री कलामंडलम गोपालकृष्णन

श्री इवूर राजेंद्रन पिल्लई

श्री संजय राणा

सुश्री नलिनी सुधीर सिंह चंदेले

श्री बलविन्द्र कांगड़ी

सुश्री बाला विश्वनाथ

श्री नरेन बरुआ

सुश्री चारू सिजा माथुर

श्री धुव्रज्योति बोरा

सुश्री अंतरा देव सेन

सुश्री सुप्रिया चौधरी

प्रो. ललित मंगोत्रा

सुश्री नमिता गोखले

डॉ. मालाश्री लाल

सुश्री अनीता करनवार

डॉ. माधव कौशिक

श्री हरीश त्रिवेदी

श्री विद्यानंद झा

प्रोफेसर यार्लागुड्डा लक्ष्मी प्रसाद

सुश्री रीता कोठारी

डॉ. किरण अवासी

डॉ. किरण बुदकुले

श्री एडविन जेएफ डिसूजा

प्रो. के. सतचिदानंदन

श्रीमती अल्याम्मा वर्गीज

श्री आर.के. अचोबा सिंह

श्री हसन रघु

श्री राजकुमार श्रीवास्तव

डॉ. ए.के. दास

सुश्री रश्मि बाजोरिया

श्री संदीप सिंह बैंस

श्री टी.एस. सत्यनाथ

श्री विवेक शानबाग

श्री अजीज हाजिनी

श्री मोहम्मद जमान अजूरदाह

डॉ. एन. खगेन्द्र सिंह

श्री खगेम्पल्ली पंखा

श्री शानू लामा

श्री जतिन नायक

डॉ. दीपक मनमोहन

सुश्री निरूपमा दत्त

डॉ. चंद्र प्रकाश देवल

श्री राधवल्लभ त्रिपाठी

प्रो. पंचकुखे

सुश्री विमी सदरंगनी

डॉ. आर. गुरूनाथन

डॉ. सी.एस. लक्ष्मी

श्री जगन्नाथ शर्मा

श्री मौला बख्श अंसारी

श्री शीन काफ़ निज़ाम

श्रीमती जुलेखा हुसैन

डॉ. पुष्पा पाल सिंह

सुश्री अनीता सिंघवी

सुश्री चारू मल्होत्रा

[अनुवाद]

उर्वरक क्षेत्र के लिए विनियामक प्राधिकरण

3949. श्री गजानन ध. बाबर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्य एवं राजसहायता की दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक क्षेत्र हेतु स्वायत्त विनियामक प्राधिकरण के गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्तमान में उर्वरकों की कीमतें एवं राजसहायत की दर किस तरह से विनियमित की जाती हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का उर्वरकों के मूल्य एवं राजसहायता दरों को नियत करने के लिए उर्वरक क्षेत्र हेतु कोई स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) फार्म गेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा बाजार से शुद्ध प्राप्ति के बीच के अंतर को यूरिया इकाइयों को भारत सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वितरित किया जाता है। एमआरपी सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियत की जाती है। वर्तमान में यह 1 नवम्बर, 2012 से 5360 रुपए/मी.टन (केन्द्रीय आबकारी कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रतिकर बिक्री कर और अन्य स्थानीय करों को छोड़कर) है।

पोषक-तत्व आधारित राजसहायता योजना (एनबीएस) नीति के तहत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर पोषक-तत्वों यथा नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी), पोटाश (के) एवं सल्फर (एस) पर राजसहायता (रुपए प्रति कि.ग्रा. आधार पर) की नियत दर घोषित की जाती है। पोषक-तत्वों एनपीकेएस पर प्रति कि.ग्रा. राजसहायता दरों को विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों नामत: डीएपी, एमएपी, टीएसपी, एमओपी, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी और एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों की 15 श्रेणियों के प्रति मी.टन नियत राजसहायता में परिवर्तित किया गया है। एनबीएस व्यवस्था के तहत, पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उर्वरक कंपनियों को उपयुक्त स्तर पर मूल्य नियत करने की अनुमति दी जाती है।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान एनबीएस दरों को नियत करते समय यूरिया, डीएपी, एमओपी के एमआरपी निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी
2010-11	5310	9350	4455
2011-12	5310	10750	5055
2012-13	5310	18200	12000

विकलांगों को सुविधाएं

3950. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के सशक्तिकरण तथा उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित, जारी/व्ययित राशि राज्य-वार कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1999 में गठित किया गया था। राष्ट्रीय न्यास का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से पीड़ित विकलांग व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सकें, इन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सेवा प्रदाताओं को समर्थन देने और उन्हें सुदृढ़ करना तथा उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए विधिक अभिभावक की नियुक्ति करना है। राष्ट्रीय न्यास राज्य नोडल एजेंसी केन्द्रों, पंजीकृत संगठनों तथा स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

(ग) और (घ) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता या बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास द्वारा अपनी योजनाओं नामत: निरामया, सहयोगी, आकांक्षा, समर्थ और घरौंदा के

अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या, खर्च की गई/निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I-II, विवरण-III, विवरण-IV, विवरण-V और विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण-I

निरामय-नामांकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	2011-12 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	2012-13 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	2014-15 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	5
2.	आंध्र प्रदेश	14170	8293	6606	7215
3.	अरुणाचल प्रदेश	35	31	49	54
4.	असम	1186	792	129	164
5.	बिहार	514	332	123	148
6.	चंडीगढ़	478	117	30	54
7.	छत्तीसगढ़	709	422	247	272
8.	दमन और दीव	11	41	32	35
9.	दिल्ली	1837	1240	596	856
10.	गोवा	282	206	195	262
11.	गुजरात	9914	2614	3023	3672
12.	हरियाणा	2974	1969	639	711
13.	हिमाचल प्रदेश	435	278	50	56
14.	झारखंड	1092	930	254	327
15.	कर्नाटक	2820	2470	920	1370
16.	केरल	10859	4500	2931	3295
17.	लक्षद्वीप	3236	1	0	2
18.	मध्य प्रदेश	8793	3007	2083	7338
19.	महाराष्ट्र	414	2277	2431	3387

1	2	3	4	5	6
20.	मणिपुर	38	114	55	142
21.	मेघालय	119	33	2	2
22.	मिज़ोरम	2425	116	14	15
23.	ओडिशा	663	2075	496	523
24.	पुदुचेरी	1384	300	55	127
25.	पंजाब	1562	1436	122	142
26.	राजस्थान	241	1139	308	607
27.	सिक्किम	0	30	10	12
28.	तमिलनाडु	19773	4291	4468	4878
29.	त्रिपुरा	1306	645	137	174
30.	उत्तर प्रदेश	4409	2821	622	893
31.	उत्तराखंड	703	247	64	122
32.	पश्चिम बंगाल	3675	2692	732	820
	कुल	96057	45459	27423	37680

विवरण-II

निरामय-निपटाए गए दावे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भुगतान की गई प्रतिपूर्ति 2010-11		भुगतान की गई प्रतिपूर्ति 2011-12		भुगतान की गई प्रतिपूर्ति 2012-13		वर्ष 2013-14 (31.12.2013 तक) के लिए भुगतान की गई कुल प्रतिपूर्ति	
		लाभार्थियों की संख्या	धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि (रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19	15713	36	226833	114	486338	245	1577917
2.	असम	2	26266	2	1220	5	11837	3	39022
3.	बिहार	9	33243	6	5742	2	2949	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	चंडीगढ़	13	23304	40	107340	12	33289	5	12886
5.	छत्तीसगढ़	2	2581	0	0	3	767	17	59611
6.	दमन और दीव	1	0	1	1750	0	0	0	0
7.	दिल्ली	52	250465	36	191838	215	836355	122	724404
8.	गोवा	2	123	2	5476	12	29986	3	47656
9.	गुजरात	906	2090268	880	2831845	3019	8103398	2005	6643291
10.	हरियाणा	5	12059	40	84562	30	177325	4	97490
11.	हिमाचल प्रदेश	1	0	9	7573	19	41624	4	6841
12.	झारखंड	3	1200	1	800	25	72395	16	33330
13.	कर्नाटक	45	134310	38	210759	193	826014	255	1161053
14.	केरल	73	229857	58	356321	297	1038134	221	1178616
15.	मध्य प्रदेश	65	102775	54	132668	478	1316376	313	915914
16.	महाराष्ट्र	249	704838	165	727699	1006	5185336	610	5408086
17.	मणिपुर	1	667	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	1	9768	0	0
19.	मिज़ोरम	0	0	2	7556	17	15816	0	0
20.	ओडिशा	7	11362	5	67667	11	21742	3	15709
21.	पुदुचेरी	1	261	0	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	18	25963	38	82578	31	79887	7	33024
23.	राजस्थान	16	20589	18	160826	68	110631	24	141500
24.	तमिलनाडु	78	258989	98	351275	243	1046181	94	526086
25.	त्रिपुरा	7	14214	0	0	16	26429	13	34788
26.	उत्तर प्रदेश	30	108442	25	48369	27	85710	38	268160
27.	उत्तराखंड	0	0	1	2374	2	4000	2	6225
28.	पश्चिम बंगाल	9	7716	22	78085	34	226506	5	66112
	कुल	1614	4075205	1577	5691156	5880	19788793	4009	18997721

विवरण-III

2010-2013 से सहयोगी के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	केन्द्र संख्या	केन्द्र का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 आज तक	
				सीजीसी स्थापित करने के लिए धनराशि	1000 रुपए प्रति देखभाल प्रशिक्षित प्रदाता की दर से प्रोत्साहन	सीजीसी स्थापित करने के लिए धनराशि	1000 रुपए प्रति देखभाल प्रशिक्षित प्रदाता की दर से प्रोत्साहन	सीजीसी स्थापित करने के लिए धनराशि	1000 रुपए प्रति देखभाल प्रशिक्षित प्रदाता की दर से प्रोत्साहन	सीजीसी स्थापित करने के लिए धनराशि	1000 रुपए प्रति देखभाल प्रशिक्षित प्रदाता की दर से प्रोत्साहन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	चेतन्य इंस्टीट्यूट फॉर दि लर्निंग डिसेब्ल्ड, जिला विजय नगरम	2009-10 में निर्मुक्त	21000						
			विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किरणम संगठन, जिला रंगा रेड्डी	2009-10 में निर्मुक्त							30000
			स्वयंकुरुषी, जिला सिकन्दराबाद	2008-09 में निर्मुक्त					25000		
2.	असम	2	शिशु सरोथी, गुवाहाटी	2009-10 में निर्मुक्त	15000				8000		
			श्री सेवा आश्रम, जिला धेमाजी	2009-10 में निर्मुक्त	14000				12000		
3.	छत्तीसगढ़	2	स्नेह सम्पदा, जिला दुर्ग	2009-10 में निर्मुक्त	20000				10000		
			आकांक्ष जिला, रायपुर	2009-10 में निर्मुक्त	36000				36000		
4.	दिल्ली	1	मनोविकास, जिला सूरजमल विहार	2009-10 में निर्मुक्त	22000				16000		
5.	गुजरात	1	श्रीमती पीएनआर सोसाइटी, जिला भावनगर	220000					75000		

6.	हरियाणा	2	मार्डन एज्यूकेशन सोसाइटी, जिला सोनीपत	2009-10 में निर्मुक्त			39000	
			दिशा	2009-10 में निर्मुक्त	25000		77000	
7.	हिमाचल प्रदेश	1	चेतना, जिला बिलासपुर	2008-09 में निर्मुक्त	33000			48000
8.	झारखंड	2	पेरेंटर एसो. ऑफ मेंटली हेंडीकेप्ड ऑफ जमशेदपुर, जिला जमशेदपुर	2009-10 में निर्मुक्त		51000	63000	
			मधुर मुस्कान, जिला रांची	2009-10			21000	
9.	कर्नाटक	1	इंफोरमेंशन रिसोर्स सेंटर, जिला बेंगलूरु	2009-10 में निर्मुक्त	62000		24000	
10.	केरल	1	स्नेहा सदन काम्प्लेक्स, जिला एरनाकुलम	2009-10 में निर्मुक्त	25000			
11.	मध्य प्रदेश	1	श्री श्री उत्कर्ष समिति, जिला इंदौर	2009-10 में निर्मुक्त			22000	
12.	महाराष्ट्र	1	जीवोदय एज्यूकेशन सोसाइटी स्पेशल स्कूल फार जी एमएच, नागपुर	2009-10 में निर्मुक्त	15000		49000	
13.	मिज़ोरम	1	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ मिजोरम, जिला आईजॉल	2009-10 में निर्मुक्त				37000
14.	ओडिशा	4	सेंटर फार रिहेबिलीटेशन सर्विस एंड रिसर्च	2009-10 में निर्मुक्त	20000		20000	
			पिंगालाखी पब्लिक वेलफेयर-आरगनाइजेशन, जिला पुरी	2009-10 में निर्मुक्त	20000		89000	
			ओपन लर्निंग सिस्टम, जिला भुवनेश्वर	2008-09 में निर्मुक्त			20000	
			रुरल आरगनाइजेशन फार सोशल एलीवेशन, जिला मूयरभंज	2009-10 में निर्मुक्त	20000		20000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	राजस्थान	1	प्राचय शोध पीठ	2009-10 में निर्मुक्त					10000		
16.	तमिलनाडु	2	चिदम्बरम एज्यूकेशनल सोसाइटी, जिला थोटुकुडी	2009-10 में निर्मुक्त	15000						
			इकेमवेल आरथोपेडिक सेंटर, जिला सालेम	2009-10 में निर्मुक्त	11000				15000		
17.	त्रिपुरा	2	अभोय मिशन, जिला अगरतला	220000	20000				81000		
18.			वोलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा	2009-10 में निर्मुक्त	16000				12000		
19.	उत्तर प्रदेश	4	विकलांग केन्द्र, जिला इलाहाबाद	2009-10 में निर्मुक्त	9000						49000
			शिक्षित युवा सेवा समिति, जिला बस्ती	2009-10 में निर्मुक्त					97000		
			इंन्टीग्रेटिड इंस्टीट्यूट ऑफ रीहेबिलीटेशन फॉर डिसेबल्ड, जिला आगरा	2009-10 में निर्मुक्त					90000		
			शुभाशीष शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान	2009-10 में निर्मुक्त			15000		12000		
20.	उत्तराखंड	1	हेप्पी फेमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसो., जिला रुडकी	2009-10 में निर्मुक्त	10000				18000		
21.	पश्चिम बंगाल	2	प्रदीप सेंटर फॉर आटिज्म मेनेजमेंट, जिला 24 परगना (नार्थ)	2009-10 में निर्मुक्त	20000				18000		
			नाथ बंगाल काउंसिल फॉर दि डिसेबल्ड, जिला सिलीगुडी	2009-10 में निर्मुक्त							10000
		35	कुल	440000	449000	0	66000	0	979000		174000

विवरण-IV

आकाक्षा योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित, निर्मुक्त/खर्च की गई निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अब तक)	
		आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	727343	120	269567	120	230858	120	11971	120
2.	असम	234677	40	67248	40	17624	40	0	40
3.	बिहार	0	60	189177	60	18552	60	0	60
4.	चंडीगढ़	97500	20	153969	20	56469	20	56469	20
5.	छत्तीसगढ़	116052	60	63666	60	15769	60	0	60
6.	गुजरात	378219	60	271064	60	111583	60	14083	60
7.	हरियाणा	246052	40	82780	40	53090	40	0	40
8.	हिमाचल प्रदेश	189177	19	63240	19	18552	19	0	19
9.	झारखंड	630731	60	217826	60	73531	60	14083	60
10.	कर्नाटक	154420	20	0	20	0	20	0	20
11.	केरल	483735	60	247156	60	51296	60	31442	60
12.	मध्य प्रदेश	678121	106	343417	106	14340	106	0	106
13.	महाराष्ट्र	198386	33	83823	33	16615	33	0	33
14.	मणिपुर	353979	78	390501	78	52203	78	0	78
15.	ओडिशा	634042	110	479708	110	121178	110	0	110
16.	राजस्थान	830152	98	263941	98	199063	98	54031	98
17.	उत्तर प्रदेश	1173597	180	327797	180	194539	180	21938	180
18.	पश्चिम बंगाल	132573	51	214203	51	10163	51	0	51
	कुल	7258756	1215	3729083	1215	1255425	1215	204017	1215

टिप्पणी: इस योजना के अंतर्गत 24 संगठनों के लिए अनुदान को निधियां कम करने के कारण अब तक रोक दिया गया है।

विवरण-V

समर्थ योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित, निर्मुक्त/खर्च की गई निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अब तक)	
		आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1391666	183	619792	240	443636	240	108300	240
2.	असम	373365	49	551510	101	302481	101	58680	101
3.	बिहार	418560	135	437280	119	181440	119	172080	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	चंडीगढ़	75296	29	0	29	0	29	0	29
5.	छत्तीसगढ़	373128	42	418096	59	241592	59	54720	59
6.	दमन और दीव	593454	18	119368	18	0	18	0	18
7.	दिल्ली	280185	60	284884	77	133110	77	45120	77
8.	गुजरात	852025	104	314576	111	191543	111	146317	111
9.	हरियाणा	566953	84	353390	59	125280	59	77400	59
10.	हिमाचल प्रदेश	280440	54	60480	30	148200	30	23400	30
11.	झारखंड	386400	86	84240	36	127712	36	23072	36
12.	कर्नाटक	1516858	113	919908	220	828691	220	161100	220
13.	केरल	36000	17	0	17	0	17	0	17
14.	मध्य प्रदेश	1019100	191	721710	173	350280	173	95220	173
15.	महाराष्ट्र	1543320	136	588010	131	598458	131	153960	131
16.	मणिपुर	351900	52	198600	69	183720	69	25680	69
17.	मिज़ोरम	32400	14	0	14	0	14	0	14
18.	ओडिशा	1887120	130	1574778	262	781680	262	263940	262
19.	पुदुचेरी	730572	30	409248	30	287964	30	0	30
20.	पंजाब	250740	51	266130	54	163440	54	57600	54
21.	राजस्थान	643600	118	265864	98	292073	98	20200	98
22.	सिक्किम	140800	16	30720	20	0	20	0	20
23.	तमिलनाडु	801004	134	367290	80	48060	80	59670	80
24.	त्रिपुरा	641520	20	155070	22	139680	22	11520	22
25.	उत्तर प्रदेश	2293855	160	864190	179	775920	179	251730	179
26.	पश्चिम बंगाल	1162350	159	1164489	245	513990	245	41040	245
	कुल योग	18642611	2185	10769023	2493	6858950	2493	1850749	2493

टिप्पणी: इस योजना के अंतर्गत 37 संगठनों के लिए अनुदान को निधियां कम करने के कारण अब तक रोक दिया गया है।

विवरण-VI

घटोला योजना के अंतर्गत तीन वर्षों तथा चालू वर्षों के दौरान आवंटित/निर्युक्त/खर्च की गई निधियां और लाभार्थियों की जांच

क्र. सं	राज्य	परियोजनाओं की सं.	एजेंसी का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अब तक)	
				आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की सं.	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की सं.	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की सं.	आवंटित और निर्मुक्त धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कर्नाटक	1	कर्नाटक पेरेंटस एसो. फार मेंटली रिटार्डेड सिटीजंस		1600000	30		30		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ओडिशा	1	ओपन लर्निंग सिस्टम					1200000	5		5
3.	पश्चिम बंगाल	1	प्रयास			1200000					
4.	त्रिपुरा	1	त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा	30000000							
5.	पुणे	1	सवाली	1200000	19		19	1200000	19		19
6.	दिल्ली	1	डेरा प्रोजेक्ट (मुस्कान)	120000	6	1804800	6		6		6
7.	आन्ध्र प्रदेश	1	स्वयंकुरुषी					1200000		400000	
8.	ठाणे, महाराष्ट्र	1	आधार, दि एसो. आफ मेंटली रिटायर्डेड चिल्ड्रन					1200000		1200000	
		8	कुल	5400000	25	4604800	55	4800000	60	1600000	60

[हिन्दी]

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन

3951. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस के कितने दिन पहले दिल्ली के किन-किन स्थानों पर सीआरपीसी की धारा 144 लगायी गयी थी; और

(ख) गणतंत्र दिवस के पहले जिन स्थानों पर उक्त प्रावधान का उल्लंघन हुआ उसका ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष दिल्ली पुलिस द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) गणतंत्र दिवस से पहले केवल विशेष परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की घोषणा की जाती है और इस संबंध में उन क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संगत आदेश जारी किए जाते हैं, जहां ये निषेधाज्ञा जारी की गई है।

दिनांक 19.01.2014 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 22.01.2014 को सायं 5.00 बजे तक नई दिल्ली जिले के संसद मार्ग सब डिविजन के क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 की धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

दिनांक 20 जनवरी, 2014 को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन हुआ था और दिल्ली पुलिस ने उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज किए थे।

कोयले की चोरी रोकने के उपाय

3952. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्रीमती रमा देवी :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान कोयले के परिवहन के समय चोरी किए गए कोयले की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कोयला चोरी के मामले की कम संख्या में रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं तथा इसके फलस्वरूप सरकारी राजकोष को हानि होती है;

(ग) यदि हां, तो कोयले की चोरी के मामले न्यूनतम करने एवं चोरी के सभी मामलों की रिपोर्ट अनिवार्यरूपेण एवं अविलंब दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार कोयले की चोरी के मामलों को सुलझाने में राज्य सरकारों को भी शामिल कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ङ) कोल इंडिया लिमिटेड रेलवे साइडिंगों एवं रोड-सेल केन्द्रों पर कोयले की बिक्री एफओआर (रोड/रेल पर मुफ्त) आधार पर करती है तथा परिवहन माध्यम चुनने और कोयला परिवहन का उत्तर दायित्व खरीद करने वालों का है।

कोयले की चोरी/उठाईगिरी चोरी छिपे और गुप्त रूप से की जाती है। अत: चुराए गए कोयले की सही मात्रा तथा चोरी/उठाईगिरी के कारण हुए घाटे को निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

तथापि सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों और संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के अनुसार, कोयले की लगभग मात्रा, इसका मूल्य और पिछले तीन सालों तथा चालू वर्ष (सितम्बर, 2013 तक) के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में कंपनी-वार दर्ज एफआईआर नीचे दी गई है:-

वर्ष	बरामद की मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रुपए में)	दर्ज एफआईआर
2010-11	20660.04	327.70	167
2011-12	14918.57	316.32	128
2012-13	15367.87	315.67	153
2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) (अनंतिम)	7766.62	271.37	40

सरकारी/कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने के लिए उठाये विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) कमजोर बिन्दुओं पर चैक पोस्टों की स्थापना।

(ii) कोयला डम्पिंग यार्ड और रेलवे साइडिंग के आसपास तारबंदी, प्रकाश व्यवस्था तथा 24 घंटे सशस्त्र गार्डों की तैनाती।

(iii) ओवर बर्डन डम्प तथा रेलवे साइडिंग सहित खान के आसपास नियमित गश्त।

(vi) नियमित अंतरालों पर जिला/राज्य अधिकारियों के साथ संवाद तथा सम्पर्क साधना और प्रशासन के साथ नियमित बैठक आयोजित करना।

(v) उठाईगिरी रोकने हेतु जिले से बाहर ट्रकों द्वारा कोयला परिवहन के लिए चालान जारी करना तथा होलोग्राम लगाना तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करना।

(vi) कोयले की चोरी/उठाईगिरी के विरुद्ध स्थानीय थाने में कोलियरीज के प्रबंधन द्वारा सीआईएसएफ द्वारा एफआईआर दर्ज करना।

(vii) चरणबद्ध तरीके से पुराने/परित्यक्त/खुले कोयला मुहानों का भरना/ डोजिंग/सीलिंग/ब्लास्ट करना।

(viii) जीपीएस आधारित ट्रक मॉनीटरिंग प्रणाली आदि की स्थापना।

(ix) इलैक्ट्रोनिक तोल सेतुओं की स्थापना।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी के गायब स्मृति अवशेष

3953. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस रिपोर्ट से अवगत है कि नई दिल्ली के एक न्यास से महात्मा गांधी से संबंधित करोड़ रुपए मूल्य के स्मृति अवशेष गायब लुप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी वास्तविक हानि हुई;

(ग) क्या दुर्लभ स्मृति अवशेषों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ङ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा महात्मा गांधी से संबंधित स्मृति अवशेषों को कोई नुकसान नहीं होने की सूचना दी गई है।

आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीजों का उपयोग

3954. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीज जैसे बीटी कॉटन, जिन्हें बेहतर परिणामों के लिए सहायक शाकनाशियों की आवश्यकता होती है, से संबंधित फसल पैकेज के लिए मोनसैंटों के साथ आरंभिक संविदा पर हस्ताक्षर करने से और अधिक ऋण ग्रस्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को प्रति वर्ष महंगे बीज खरीदने पड़ते हैं जोकि बीज संरक्षण के लिए मोनसैंटों के साथ संविदा का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को इस प्रयोजन हेतु ऋण लेना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) किसी भी कपास उत्पादक राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष सभी फसलों की संकर किस्मों बीज की खरीद अपेक्षित है। 30-35 से भी अधिक निजी बीज कंपनियां बीटी कपास बीज का उत्पादन एवं विपणन कर रही हैं। प्रत्येक फसल मौसम से पहले संबंधित राज्य सरकार बीटी कपास संकर की बीज लागत का निर्धारण करती है।

[हिन्दी]

आरकेवीवाई के अंतर्गत निधियां

3955. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 28.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गये जिनका राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की विशेष पहल योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को स्वीकृत 14.21 करोड़ रुपए के उपयोग के पश्चात् 60 प्रतिशत से अधिक निधियों के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और शेष निधियों को जारी करने के लिए निवेदन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक मिशन (एनएमपीएस) और शहरी समूहों हेतु सब्जी पहल (वीआईयूसी) की उप-स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 16.42 करोड़ रुपए और 12.00 करोड़ रुपए सहित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को 73.48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा किए गए अनुमोदन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के आधार पर भारत सरकार एनएमपीएस और वीआईयूसी के अंतर्गत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 8.21 करोड़ रुपए और 6.0 करोड़ रुपए सहित वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार को 59.27 करोड़ रुपए की निधि निर्मुक्त कर सकी।

आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्यों को आवंटन और निर्मुक्ति वर्षानुवर्ष आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3956. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सुधार हेतु सरकार को अनेक सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) जी, हां, महोदया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुधार के लिए सरकार के समक्ष समय-समय पर अपनी सिफारिशें करता रहा है। हाल ही में फिक्की द्वारा की गई कुछ सिफारिशों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

फिक्की द्वारा की गई सिफारिशें

क्र.सं.	की गई सिफारिश	सरकार की प्रतिक्रिया
1.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन का विक्रेन्द्रीकरण**	मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यमसे कार्यान्वयन किए जाने हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया है। मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य सरकारों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने, स्क्रीनिंग करने, अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है।
2.	प्रत्यक्ष वित्त पोषण की नई विंडो के तहत नाबार्ड को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में माल गोदाम, एकीकृत आपूर्ति/शीत शृंखला तथा सम्बद्ध अवसंरचना विकास कार्यकलापों के लिए निजी क्षेत्र को कम ब्याज दर पर प्रत्यक्ष ऋण देने चाहिए।	देश में माल गोदाम भंडारण को देखते हुए ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत माल गोदाम सुविधाएं सृजित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि उद्दिष्ट की गई है।
3.	कृषि एवं सम्पूर्ण कृषि मूल्य शृंखला में निजी क्षेत्र द्वारा भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे अवसंरचना विकास में सभी निवेशों पर 100% पूंजी-ह्रास द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन देना।	शीत शृंखला उपकरणों पर पूंजी-ह्रास 150% तक बढ़ा दिया गया है।
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।	बजट प्रयोग के भाग के रूप में विचार करके वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई।

[हिन्दी]

कैदियों को छोड़ा जाना

3957. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दी गई सजा पूरी होने से पूर्व विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को छोड़ने के लिए कोई मानदंड/दिशा-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कैदियों की संख्या कितनी है जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है और जो 20 या उससे अधिक वर्षों से जेलों में बंद हैं;

(घ) क्या ऐसे कैदियों को छोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। इसलिए, कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। वर्ष 2012 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, उम्रकैद की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 69,133 कैदी है। बीस साल से अधिक वर्षों से जेलों में बंद कैदियों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432, 433, 433क के तहत सजा को माफ करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सजा को माफ करने से संबंधित दिशा-निर्देशों को विनियमित करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क के तहत दी गई यादृच्छिक माफी पर प्रक्रियात्मक नियंत्रण का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01 फरवरी, 2013 को भारत सरकार द्वारा एक परामर्शी पत्र जारी किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र गुण-दोषों और दिशानिर्देशों के आधार पर माफी हेतु मामले उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना

3958. श्री पी. करूणाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और विश्व बैंक देश में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) का कार्यान्वयन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा अभी तक जारी निधियों का ब्यौरा क्या है और उनकी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् किस हद तक कटाई पश्चात् हानि कम हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और विश्व बैंक ने देश में एक संयुक्त राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) क्रियान्वित की है।

(ख) एनएआईपी का समग्र उद्देश्य भारतीय कृषि में तेजी और टिकाऊ बदलाव लाना है ताकि यह सहयोगात्मक विकास और लोक संगठनों की किसान समूहों, निजी क्षेत्र और अन्य पणधारियों के साथ सहभागिता से कृषि नवाचारों के प्रयोग के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आय सृजन में सहयोग कर सके।

(ग) बजट का विवरण निम्नानुसार है:—

स्वीकृत बजट	:	यूएसडी 250 मिलियन
विश्व बैंक का भाग	:	यूएसडी 200 मिलियन
भारत सरकार का भाग	:	यूएसडी 50 मिलियन
अनुमोदन की तिथि	:	18 अप्रैल, 2006
प्रभावी होने की तिथि	:	18 सितम्बर, 2006
समापन की तिथि	:	30 जून, 2014

अब तक, यूएस डॉलर 175.87 मिलियन की राशि विश्व बैंक द्वारा रुपए 1072.13 करोड़ के व्यय के सापेक्ष लौटायी गयी है। विश्व बैंक वास्तविक व्यय के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है।

दो ऋण करार (संख्या 4161 और संख्या 4162) किए गए हैं जिनके अंतर्गत सहायता शामिल हैं। दोनों करार उस ऋण की मूल राशि पर कमिटमेंट चार्ज लगाते हैं जो समय-समय पर प्रत्येक वर्ष के जून 30 की निर्धारण दर के अनुसार आहरित न किय गया हो, किन्तु जो प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के आधे (1 प्रतिशत का 1/2) से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त करार में सेवा शुल्क भी शामिल है जो आहरित ऋण की मूल राशि और समय-समय पर शेष राशि का एक प्रतिशत के तीन चौथाई (1 प्रतिशत का 3/4) वार्षिक की दर से है। लागू ब्याज आहरित ऋण की मूल राशि और समय-समय पर शेष राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक (*3 प्रतिशत) की दर से है।

(घ) देश के अधिकांश भागों में विभिन्न वस्तुओं की कटाई उपरांत हानियों को कम करने में विकसित और क्रियान्वित तकनीकें सहायक हैं।

खाद्य प्रसंस्करण नवोन्मेषी क्लस्टर

3959. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों में वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नवोन्मेषी क्लस्टर स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों में वृद्धि कने के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) जी, नहीं, महोदया। मंत्रालय को अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अथवा इस संबंध में कोई विचार कर रहा है। हालांकि, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत, विश्वविद्यालय, केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान तथा सीएसआईआर से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की अनुसंधान एवं विकास यूनिटें स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान-सहायता की पात्र हैं।

12वीं योजना के दौरान, मंत्रालय की मौजूदा अनुसंधान एवं विकास स्कीम 01.04.2012 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2क ख) केवल उन उद्योगों को छोड़कर जो आयकर अधिनियम की XIवीं अनुसूची में दी गई मदों जैसे तम्बकू, वाइन, बीयर, सिगरेट इत्यादि का उत्पादन करते हैं, बाकी सभी कम्पनियों को जो जैव-प्रौद्योगिकी व्यापार अथवा उत्पादन व्यापार या किसी मद या वस्तु के उत्पादन में कार्यशील हैं, को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से यथा अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान में हुए व्यय (किसी भूमि अथवा भवन की लागत के रूप में न होने वाले खर्च) पर 200% की भारित छूट देते हैं।

दोषसिद्धि दर

3960. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गत दशक में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों में दोषसिद्धि दर जो वर्ष 1972 में 62.7 प्रतिशत थी में व्यापक कमी आई है और यह वर्ष 2012 में 38.5 प्रतिशत तक रह गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में विभिन्न अपराधों की दोष सिद्धी दर क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जो पीछे चल रहे हैं और इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या कम दोष सिद्धी दर का मुख्य कारण जांच अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो दोषसिद्धी दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1972, 1982, 1992, 2002 के दौरान भारतीय दंड संहिता संबंधी मामलों की दोषसिद्धि दर से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दसवर्षीय आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास वर्ष 1972 और 1982 के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दसवर्षीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, अतः अपराधों की रोकथाम करना, इसका पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना और अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से आपराधियों पर मुकदमा चलाना और नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करना भी मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपराधों की रोकथाम के मामलों को सर्वोच्च महत्व देती है और अतः राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने और अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यथा आवश्यक उपाय करने पर संकेन्द्रित ध्यान देने हेतु सतत् अनुरोध करती रहती है। इस संबंध में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर परामर्शी-पत्र 4 सितम्बर, 2009 को, बच्चों के विरुद्ध अपराध पर परामर्शी-पत्र 14 जुलाई, 2010 को, अपराधों की रोकथाम, पंजीकरण, जांच और मुकदमा चलाने के संबंध में परामर्शी-पत्र 16 जुलाई, 2010 को, बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम और उसका मुकाबला करने के लिए परामर्शी-पत्र 4 जनवरी, 2012 को, भारत में मानव दुर्व्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए परामर्शी-पत्र 1 मई, 2012 को, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना एफआईआर के पंजीकरण के संबंध में परामर्शी-पत्र 10 मई, 2013 को और यदि दी गई सूचना के तहत संज्ञेय अपराध का मामला बनता हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अनिवार्य रूप से एफआईआर पंजीकृत करने के संबंध में परामर्शी-पत्र 5 जनवरी, 2014 को जारी किया गया है।

विवरण

वर्ष 1972, 1982, 1992, 2002 और 2012 के दौरान आईपीसी मामलों की दोषसिद्धि दर के संबंध में दसवर्षीय आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	1972	1982	1992	2002	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार उपलब्ध नहीं है।	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार उपलब्ध नहीं है।	45.9	37.6	29.7
2.	अरुणाचल प्रदेश			66.8	67.8	40.5
3.	असम			14.7	20.9	10.6
4.	बिहार			32.0	20.1	15.9

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़*			एनए	51.6	46.0
6.	गोवा			43.2	22.8	22.0
7.	गुजरात			49.1	21.5	35.5
8.	हरियाणा			66.4	39.5	31.8
9.	हिमाचल प्रदेश			16.6	25.5	22.9
10.	जम्मू और कश्मीर			45.4	41.0	37.0
11.	झारखंड*			एनए	21.0	23.2
12.	कर्नाटक			31.5	29.0	31.6
13.	केरल			19.6	50.2	65.4
14.	मध्य प्रदेश	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	69.6	48.3	47.7
15.	महाराष्ट्र			37.3	12.6	9.4
16.	मणिपुर			35.5	79.1	70.0
17.	मेघालय			67.7	49.3	43.3
18.	मिज़ोरम			91.0	94.9	89.5
19.	नागालैंड			90.0	92.7	85.8
20.	ओडिशा			13.2	14.7	11.0
21.	पंजाब			39.1	40.6	37.5
22.	राजस्थान			51.7	52.2	61.3
23.	सिक्किम			66.3	89.3	38.7
24.	तमिलनाडु			62.1	59.1	56.5
25.	त्रिपुरा			18.8	18.3	14.9
26.	उत्तर प्रदेश			54.5	54.5	52.6
27.	उत्तराखंड*			एनए	68.9	76.3
28.	पश्चिम बंगाल			20.9	18.5	10.5
	कुल राज्य			46.2	40.5	38.1

1	2	3	4	5	6	7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	79.0	50.3	54.2
31.	चंडीगढ़			53.5	55.4	50.5
32.	दादरा और नगर हवेली			52.4	27.6	10.0
33.	दमन और दीव			13.5	9.1	13.8
34.	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र			49.7	37.9	52.4
35.	लक्षद्वीप			16.7	40.0	—
36.	पुदुचेरी			90.2	95.0	79.9
	कुल संघ राज्य क्षेत्र			56.0	43.8	53.5
	कुल अखिल भारत	62.7	51.9	46.4	40.6	38.5

स्रोत: भारत के अपराध।

नोट: 1. मामलों की दोषसिद्ध दर को विचारण पूर्ण हुए मामलों में से दोषसिद्धि मामलों की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2. "*" झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड — आंकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 2001 से आरंभ किया गया।

गेहूं की फसल पर पीत किट्ट का हमला

3961. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा सहित देश के अनेक भागों में गेहूं की फसल पर व्यापक स्तर पर पीत किट्ट के हमलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो रोग की पुनरावृत्ति के मुख्य कारण क्या है और चालू वर्ष के दौरान इसका गेहूं उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) इस रोग, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं की फसल को भारी क्षति हुई है को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) हरियाणा (05 जिले), पंजाब (04 जिले), हिमाचल प्रदेश (01 जिले), और जम्मू और कश्मीर (01 जिले) में गेहूं पीत किट्ट पाया गया है।

(ख) पुकिनियों स्टीफोर्मिस पैथोटाइप्स के कारण पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में वर्ष 2006-07 से गेहूं पीत किट्ट देखा जा रहा है। वर्तमान वर्ष में यह स्थिति नियंत्रण में है और गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) पीत किट्ट सह्य किस्मों को बढ़ावा देकर, कवकनाशी का समय पर प्रबंध करने, नियमित सर्वेक्षण एवं निगरानी, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैप नर्सरियों की स्थापना करके रोग का पता लगाने, जागरुकता अभियानों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करने जैसे विभिन्न निवारात्मक उपाय करके गेहूं पीत किट्ट को नियंत्रित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जाली जाति प्रमाण-पत्र

3962. श्री अशोक कुमार रावत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर केन्द्रीय विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों पर नौकरियां प्राप्त करने के मामले सरकार/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों से सम्बद्ध सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, एकबारगी कवायद के रूप में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2010 में जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्तियों के बारे में सूचना एकत्र की थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर कथित रूप से 1832 नियुक्तियां प्राप्त की गई थी और सभी मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी। 276 मामलों में निलम्बन/बर्खास्तगी की गई थी, 521 मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे तथा शेष 1035 मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही की गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यह भी सूचित किया है कि:—

(i) जातियों के जाली प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	मामलों की संख्या
2011	32
2012	33
2013	28
2014	6
कुल	99

(ii) जब कभी भी ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, उन्हें सत्यापन एवं जांच हेतु संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है। यदि अपेक्षित हो, संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मानवाधिकार आयोग

3963. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत राज्य मानवाधिकार आयोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को हिंसा संबंधी प्राप्त कुल शिकायतों और लंबित शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान एनएचआरसी द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में अदा की गई मुआवजा राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पीड़ितों को ये मुआवजे वितरित नहीं किए जाने की रिपोर्ट है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार, अभी तक 23 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) का गठन कर लिया है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पश्चिम बंगाल है। तथापि, यद्यपि मेघालय राज्य सरकार ने एसएचआरसी के गठन की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी अधिसूचना के प्रकाशन का काम अभी शेष है।

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में 12.02.2014 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में दर्ज एवं लंबित शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	लंबित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायतों की संख्या
2010-11	854	84605
2011-12	2919	95174
2012-13	6315	107654
2013-14 (12.02.2014 तक)	13308	79848

(ग) और (घ) उन 1897 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 12.02.2014 तक मौद्रिक राहत की सिफारिश की है, संलग्न है। इस विवरण में उन 1429 मामलों के

राज्य-वार ब्यौरे शामिल है, जिन्हें सिफारिशों के अनुपालन के आधार पर निपटाया जा चुका है और इनमें भुगतान किए गए मौद्रिक राहत की राशि 35,12,69,500/- रुपए हैं।

(ङ) और (च) पीड़ित को क्षतिपूर्ति की राशि का संवितरण नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

वर्तमान 2010-11 से 2013-14 के दौरान 12.02.2014 तक वैसे राज्य-वार मामलों को दर्शाने से संबंधित, जिनमें एनएचआरसी में वित्तीय राहत की सिफारिश की है, का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	जिनमें एनएचआरसी में वित्तीय राहत की सिफारिश की		जिनमें अनुपालन रिपोर्टों की प्रति के पश्चात् मामलों का निपटारा किया जा चुका है	
	मामलों की संख्या	राशि (रुपए में)	मामलों की संख्या	राशि (रुपए में)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	3,00,000	1	3,00,000.00
आंध्र प्रदेश	84	1,48,25,000	67	1,09,95,000.00
अरुणाचल प्रदेश	7	38,75,000	3	6,75,000.00
असम	76	3,76,85,000	52	2,29,56,000.00
बिहार	134	3,74,63,000	110	3,10,98,000.00
चंडीगढ़	7	10,90,000	4	9,25,000.00
छत्तीसगढ़	41	1,63,80,000	38	1,32,80,000.00
दमन और दीव	1	1,00,000	1	1,00,000
दिल्ली	77	1,28,10,000	50	71,80,000.00
गोवा	3	42,35,000	3	42,35,000
गुजरात	62	8,49,00,000	54	95,75,000.00
हरियाणा	76	2,43,74,000	58	1,29,19,000.00
हिमाचल प्रदेश	4	7,50,000	3	6,50,000.00
जम्मू और कश्मीर	13	45,25,000	10	34,25,000.00
झारखंड	96	2,20,81,000	74	1,56,41,000.00
कर्नाटक	38	70,50,000	31	48,90,000.00
केरल	25	44,80,000	18	31,30,000.00

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	73	1,71,27,000	46	97,27,000.00
महाराष्ट्र	101	2,78,65,000	73	1,90,75,000.00
मणिपुर	23	1,29,35,000	8	39,35,000.00
मेघालय	12	48,00,000	10	33,00,000.00
मिज़ोरम	6	21,50,000	5	12,50,000.00
नागालैंड	2	2,00,000	2	2,00,000
ओडिशा	35	1,39,45,000	15	47,35,000.00
पुदुचेरी	2	6,00,000	2	6,00,000
पंजाब	24	64,00,000	16	40,50,000.00
राजस्थान	42	87,00,000	28	51,50,000.00
सिक्किम	2	4,00,000	2	4,00,000
तमिलनाडु	55	1,04,47,500	40	75,27,500.00
त्रिपुरा	11	37,40,000	10	32,40,000.00
उत्तर प्रदेश	678	17,62,63,000	532	12,61,73,000.00
उत्तराखंड	34	1,45,65,000	31	1,14,65,000.00
पश्चिम बंगाल	52	1,36,89,000	32	84,59,000.00
कुल	1,897	59,07,49,500	1,429	35,12,60,500.00

वित्तीय राहत की सिफारिश वाले 1897 में से 468 मामले (239480000/- रुपए विभिन्न चरणों में हैं)।

पीडीएस की असफलता

3964. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री एस. अलागिरी
श्री ओम प्रकाश यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, उसके मूलस्वरूप में व्यापक आलोचना की जाती थी क्योंकि ये अपने शहरी पूर्वाग्रह के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ-साथ ग्रामीण गरीब बाहुल्य राज्यों में बहुत कम कवरेज होने के फलस्वरूप उनके उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही है तथा परिदान के लिए पारदर्शी और जवाबदेही संबंधी व्यवस्था न होने के परिणामस्वरूप विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को उसकी पूर्ण पात्रता के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली

को सुचारू बनाने और जवाबदेही और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसी विशिष्ट लक्ष्य के बिना सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य हकदारी योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 1992 में 1775 ब्लॉकों में शुरू की गई थी ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ तथा सुचारू बनाया जा सके और दूर-दराज के, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में इसकी पहुंच में सुधार किया जा सके, जहां गरीब लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्व रूप की आलोचना की जाती थी, क्योंकि वह गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या को लाभ पहुंचाने में असफल रही थी, शहरी क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित थी, ग्रामीण निर्धन लोगों की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उसकी कवरेज सीमित थी तथा इसमें सुपुर्दगी की पारदर्शी तथा उत्तरदायी व्यवस्था की कमी थी।

जून 1997 में सरकार ने गरीबों पद केंद्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से यह अपेक्षित था कि वे खाद्यान्नों की सुपुर्दगी के लिए गरीबों की पहचान करने तथा उचित दर दुकानों पर पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से उसकी सुपुर्दगी के लिए पुख्ता व्यवस्था करें। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन किया जाता है ताकि वे 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के 6.52 करोड़ स्वीकृत परिवारों को उनका वितरण कर सकें। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से किया जाता है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा विगत के उठान के आधार पर गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 11.52 करोड़ परिवारों को भी खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 15 और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच की रेंज में खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10.9.2013 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अखिल भारतीय स्तर पर 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को कवर किए जाने का प्रावधान हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्राथमिकता वाले परिवार राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। तथापि, अंत्योदय अन्न योजना के मौजूदा परिवार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना तथा उसे सुचारू बनाया जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने, उनकी उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकारें तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। उक्त आदेश के तहत राज्य सरकारें तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस आदेश के खंड-8 और 9 के उपबंधों को लागू करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से यह अपेक्षित है कि वे कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करें।

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जुलाई, 2006 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की लीकेज/विपथन को रोकने के लिए एक नौ सूत्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे कार्यान्वित किया जा सके।

इसके अलावा, सरकार नियमित रूप से परामर्श जारी करती रही है और सम्मेलन आयोजित करती रही है, जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की निरन्तर समीक्षा करें, आवंटित खाद्यान्नों के उठान में सुधार करें, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता, विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग तथा सतर्कता को बेहतर बनाएं, संशोधित आदर्श नागरिक चार्टर को अपनाएं, उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहारिकता में सुधार करें आदि।

सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने संबंधी एक योजना स्कीम भी शुरू की है। इस स्कीम के तहत राशन कार्डों तथा अन्य डाटा बेस के डिजिटीकरण, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल, शिकायत निवारण-तंत्र स्थापित करने आदि सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

कम्प्यूटरीकरण के लिए लागत भागीदारी आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए जाने वाले सुधारों के उपाय भी शामिल हैं। इन उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग, कुछ समय बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं का विविधीकरण आदि शामिल हैं। अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिकार्डों का प्रदर्शन, सामाजिक लेखा परीक्षा, राज्य तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही के भी प्रावधान किए गए हैं।

[हिन्दी]

सीएसआर निधि का उपयोग

3965. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निर्धारित और उपयोग की गई राशि का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सीएसआर निधि के दुरुपयोग और इसके अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन की खबरें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि के दुरुपयोग और उल्लंघन की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कोली इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निर्धारित और उपयोग की गई राशि का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

कंपनी	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
ईसीएल	5.00	4.74	16.50	3.14	23.89	09.42	29.35	6.09
बीसीसीएल	13.75	3.15	14.50	05.53	23.63	07.43	30.50	5.01
सीसीएल	25.69	10.98	53.88	11.00	47.72	13.66	26.42	17.20
डब्ल्यूसीएल	23.00	7.13	55.82	07.85	40.67	20.96	29.46	10.98
एसईसीएल	54.00	7.05	146.44	17.66	181.79	46.63	63.94	43.38
एमसीएल	52.04	53.46	82.00	14.47	73.36	25.56	101.72	59.07
एनसीएल	36.00	4.25	93.42	09.25	95.73	17.64	48.99	28.79
सीएमपीडीआईएल	0.20	0.19	0.77	00.49	1.63	01.06	1.82	0.51
सीआईएल एंड एनईसी	52.60	8.71	90.00	02.59	107.32	07.19	142.16	107.36
कुल	262.28	108.91	553.33	82.00	595.74	149.55	477.36	278.39

(ख) से (घ) सीआईएल ने सूचित किया है कि इसके पास सीएसआर निधि के दुरुपयोग एवं इसके अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के बारे में कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

चल उर्वरक निगरानी प्रणाली

3966. श्री प्रदीप माझी :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राजसहायता प्राप्त और गैर-राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के लिए चल उर्वरक निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके अंतर्गत जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या-क्या है;

(घ) क्या विशिष्ट पहचान परियोजना का उक्त योजना के साथ समेकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) मोबाइल फर्टिलाइजर निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) का कार्यान्वयन देश में केवल सभी राजसहायताप्राप्त उर्वरकों के लिए ही किया गया है।

(ख) राजसहायता प्राप्त उर्वरक नामतः यूरिया, और फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों की 22 ग्रेडें नामतः डीएपी, एमएपी, टीएसपी, एमओपी, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी और एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों की 16 ग्रेडों को एमएफएमएस में शामिल किया गया है।

एमएफएमएस, जिसका कार्यान्वयन चरणबद्ध पद्धति से किया जा रहा है, का आशय उर्वरक आपूर्ति शृंखला में सूचना दृश्यता लाना और उर्वरक राजसहायता तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसमें उर्वरक कंपनियों द्वारा थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को की गई बिक्री को समाविष्ट करना, थोक और खुदरा स्तर पर बिक्री का पता लगाना और प्राप्तियों की आवतियों का भी पता लगाना शामिल है। दूसरे चरण में, इसमें अंतिम बिक्री बिन्दु (अर्थात् खुदरा स्तर) पर क्रेता के ब्यौरे को समाविष्ट करने की योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से मोबाइल और वेब इंटरफेस के जरिए पहुंच बनाई जा सकती है। राजसहायता भुगतान के एक हिस्से को खुदरा विक्रेता की पावती से जोड़ दिया गया है।

(ग) एमएफएमएस के लिए एनआईसीएसआई को जारी निधियों और उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। एमएफएमएस को अभी तक विशिष्ट पहचान परियोजना से नहीं जोड़ा गया है।

(ङ) लक्ष्य बनाने, पात्रता निर्धारण और लाभार्थी डाटाबेस तैयार करने में कुछ समस्याओं के कारण इसे विशिष्ट पहचान परियोजना से नहीं जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की राष्ट्रीय समिति द्वारा उर्वरकों की राजसहायता के लिए प्रत्यक्ष अंतरण को कार्यान्वित करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

विवरण

एनआईसीएसआई से संबंधित निधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्वीकृत राशि और तारीख	व्यय (रुपए)	प्रस्तावित कार्यकलाप	पूरे किए गए कार्यकलाप
1	2	3	4	5
1.	रुपए 7316199/- दिनांक 24.03.2011 और	16325999.30	सॉफ्टवेयर विकास (वेब और मोबाइल), रिपोर्टें, आईवीआरएस, कागजात तैयार करना, कार्यशाला/प्रशिक्षण	डीपीआर, एसआरएस, एसडीडी और प्रयोक्ता पुस्तिका तैयार कर ली गई है।
2.	रुपए 9038004/- दिनांक 02.02.2012			वेब और मोबाइल अनुप्रयोग विकसित कर लिए गए हैं और देशभर में इनका कार्यान्वयन कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
				आईवीआरएस के लिए अनुप्रयोग का विकास और कार्यान्वयन कर दिया गया है। उर्वरक कंपनियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
3.	रुपए 3645194/- दिनांक 29.03.2012	3599294.73	बहु-भाषी कॉल सैंटर	एमएफएमएस समर्थन के लिए आठ सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। भाषाओं (उड़िया, हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु) 9 वाला बहुभाषी कॉल सेंटर प्रचालन में हैं। दूरभाष संख्या 0120-3076222
4.	रुपए 52571000/- दिनांक 26.11.2012	11542643.40	प्राथमिक डाटा केंद्र, आपदा रिकवरी साइट, प्रयोक्ता/ग्राहक हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग विकास और रख-रखाव, कॉल सेंटर, दौरे और यात्रा	एमएफएमएस के चरण-I का रख-रखाव। अतिरिक्त मॉड्यूल जैसे (क) उर्वरक विभाग के विभिन्न अनुप्रयोगों में परस्पर डाटा शेयर करने के लिए वेब सेवा, (ख) उर्वरक आवश्यकता और आपूर्ति योजना का विकास। चरण-II (क) के लिए खुदरा दुकान प्रबंधन प्रणाली, (ख) पीओएस अनुप्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर हल का विकास।
योग	रुपए 72570397/-	31467967.43		

नैफेड को सहायता

3967. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री मिथिलेश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) पर बैंकों का 2000 करोड़ रुपए का बकाया है और इसका 147 करोड़ रुपए का ऋणात्मक निवल परिसंपत्ति (नेटवर्थ) है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार नैफेड को अपने वित्तीय संकट से उबरने के लिए निधियां जारी करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नैफेड ने प्रचालन लागत में कटौती करने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश का निर्णय भी लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नैफेड को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) नैफेड ने यह सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 की अवधि के दौरान सार्वजनिक निजी समझौते के आधार पर संगठन ने 62 निजी पक्षों के साथ टाई-अप व्यवसाय शुरू किया। इस पीपीपी मोड के अंतर्गत नैफेड ने

विभिन्न बैंकों से ऋण लिया जिसे टाई-अप पक्षों द्वारा भुगतान में चूक के कारण चुकाया नहीं जा सका। इस प्रकार, 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 1964 करोड़ रुपए का बैंक ऋण अतिदेय हो गया है। इसके अलावा, टाइ-अप अग्रिम में अटकी हुई निधि पर ब्याज बोझ के कारण नैफेड को भारी क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 146 करोड़ रुपए निवल मूल्य घाटा हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नैफेड की सूचना के अनुसार, दिनांक 30.12.2013 को नैफेड के निदेशक मंडल की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सभी वर्गों के कर्मचारियों का वेतन 10 प्रतिशत तक और वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 5850 रुपए तक है, का 5 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, प्रचलनात्मक लागत को कम करने के लिए नैफेड ने अपने 85 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की है।

(ङ) भाग (ग) में नकारात्मक उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों के आस-पास निर्माण

3968. श्री के.पी. धनपालन : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संरक्षित स्मारकों के आस-पास निर्माण कार्य संबंधी मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या देश में संरक्षित स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यकलापों की अनुमति जारी करते समय मानदंडों/दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों ने संरक्षित स्मारकों/धरोहर स्थलों के परिसरों में किए गए अनाधिकृत निर्माणों/अवैध ढांचों को ढहाने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अभी तक क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 और उसके अधीन तैयार किए गए नियमों के अनुसार, जिन भी व्यक्तियों के किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र (संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर की दूरी तक) में भवन अथवा घर हों, वे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् मरम्मत और नवीकरण कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र (प्रतिषिद्ध क्षेत्र से आगे और 200 मीटर तक) के संबंध में, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण कार्य किया जा सकता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अधीन 'मरम्मत/नवीकरण/पुनर्निर्माण करने अथवा 'प्रतिषिद्ध' और 'विनियमित' क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी आवेदनों पर विचार करने के निमित उपर्युक्त संस्थागत प्रतंत्र की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने संबद्ध सक्षम प्राधिकारियों को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रदान करने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में न्यायालय के फैसलों की सूची और तत्संबंधी उपलब्धियां

1. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.04.1996 के आदेश द्वारा ताजमहल से दुकानों को हटाने के संबंध में एक आदेश पारित किया था और दरगाह फतेहपुर सीकरी, आगरा से दुकानों को हटाने के लिए 06.08.1996 को एक अन्य फैसला दिया था। ताजमहल परिसर और दरगाह परिसर फतेहपुर सीकरी के सभी दुकानों को हटा लिया गया है।

2. पंजाब और हरियाणा के माननीय न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए पंजाब और हरियाणा के जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निदेश जारी किए हैं। सात स्मारकों से अतिक्रमण को पूरी तरह और तीन स्मारकों में आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

3. माननीय उच्च न्यायालय पीठ, लखनऊ ने लखनऊ जिले में संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रांगणों से अवैध निर्माण हटाने के लिए आदेश पारित किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लखनऊ मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् ने केसर बाग क्षेत्र में स्थित स्मारकों में अतिक्रमण को हटाने के लिए 16 नोटिस जारी किए हैं।

4. कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने हम्पी में विरुपाक्ष मंदिर के बाजार क्षेत्र में अतिक्रमणों को हटाने के लिए निदेश जारी किए हैं और इन अवैध निर्माणों को पूरी तरह हटा लिया गया है।

5. जोधपुर के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.02.2014 के आदेश द्वारा जैसलमेर किले के अंदर और बाहर से सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निदेश दिया था। फिर भी, अभी तक केवल एक ही निर्माण को गिराया गया है।

6. ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 07.03.2013 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को एक चरणबद्ध तरीके से बाराबती किला, कटक के सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निदेश दिया था। बाराबती

किले के संरक्षित क्षेत्र के भीतर निर्मित ओडिशा के न्यायमूर्ति के बंगले को खाली कर दिया गया था।

7. मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय (ग्वालियर पीठ) ने जिला प्रशासन को ग्वालियर किले के संरक्षित स्मारक की सीमा के भीतर के अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटाने के निदेश दिए थे। तथापि, अभी तक किसी भी संरचना को हटाया नहीं गया है।

दवाइयों की बिक्री

3969. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण नीति, 2012 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) के अंतर्गत सूचीबद्ध औषधियों/दवाओं को कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे कार्यकलापों में संलिप्त बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार का विचार नई एनएलईएम के भाग के रूप में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत कैंसर औषधियों का सम्मिलित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कैंसर औषधियों की व्यवर्हायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) औषध विभाग ने दिनांक 07.12.2012 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी)-2012 अधिसूचित कर दी है। एनपीपीपी-2012 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

- औषधियों के मूल्यों का विनियमन राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम)-2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट औषधियों की तात्विकता के आधार पर है।
- औषधियों के मूल्यों का विनियमन केवल फार्मूलेशनों के मूल्यों के विनियमन के आधार पर है।
- औषधियों के मूल्यों का विनियमन बाजार आधारित मूल्य निर्धारण (एमबीपी) के माध्यम से फार्मूलेशनों के उच्चतम मूल्य तय करने के आधार पर है।

(ख) सरकार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है। डीपीसीओ, 2013 के उल्लंघन में अत्यधिक मूल्यों पर दवाइयों की मनमानी बिक्री करने के संबंध में विदेशी दवा कंपनियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है और मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है। एनएलईएम में विनिर्दिष्ट खुराक और क्षमता में 33 कैंसर औषधियां भी शामिल हैं। मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए एनएलईएम का संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और किसी भी औषधि को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर जनहित में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत एनएलईएम में जोड़ा जा सकता है।

[हिन्दी]

दंगों के मामलों की जांच

3971. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंगों के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में विभिन्न संगठनों ने एसआईटी के गठन की मांग की है;

(ग) क्या विभिन्न सिक्ख संगठनों ने वर्ष 1984 में हुए सिक्ख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए इसी प्रकार की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त मामले की जांच करने के लिए एसआईटी के गठन का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक एसआईटी का गठन किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) दंगों के मामलों की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन हेतु वर्तमान में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है 1984 के सिख-विरोधी दंगों से संबंधित मामलों की जांच पहले ही "जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग" और "जस्टिस नानावती आयोग" द्वारा की जा चुकी है। जस्टिस नानावती आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सीबीआई को राजनीतिज्ञों एवं अन्य लोगों के विरुद्ध मामलों की आगे जांच/पुन: जांच करने का कार्य सौंपा गया था।

सरकार को इस संबंध में राजनीतिक दलों एवं अन्य समूहों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों को भेज दिया गया है।

एनसीएल में मशीनों को क्षति

3972. डॉ. बलीराम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नार्दर्न कोलियरी लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली के प्रबंधन की अकुशलता और अनुभवहीनता के कारण महंगी मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और प्रयोग में नहीं हैं जिसके कारण अनेक परियोजनाएं बाधित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मशीनों के क्षतिग्रस्त होने और उनकी मरम्मत के कारण एनसीएल को हुई कुल क्षति का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ और पेशेवर प्रबंधकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) मेकेनिकल खराबी तथा भू-गर्भीय अशांति के कारण एनसीएल में निम्नलिखित दो उपकरण क्षतिग्रस्त हुए थे:—

(i) **निगाही परियोजना की ड्रेगलाइन (बजरंग)** — बूम असेम्बली की असफलता के कारण क्षति हुई।

(ii) **खादिया परियोजना का शोवेल (विकास)** — छुपे हुए भू-गर्भीय स्लिप के कारण मशीनों की क्षति हुई है।

(ख) खराबी के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

(i) 18.01.2014 को सुपर संरचना के साथ बूम असेम्बली की असफलता के कारण निगाही परियोजना की ड्रैगलाइन (बजरंग) खराब हुई। बूम असेम्बली और सुपर संरचना 2014 से टर्नकी आधार पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी), रांची द्वारा सप्लाई किए गए और स्थापित किए गए।

(ii) साइड की दीवार से कुछ ओवरबर्डन मेटेरियल स्लाइड की वजह से भू-गर्भीय अशांति (स्लिप प्लेन) की वजह से 3.12.2013 को खादिया परियोजना का शोवेल (विकास) क्षतिग्रस्त हुआ था जिसके परिणामस्वरूप मशीन को कुछ हल्की क्षति हुई।

(ग) और (घ) खादिया ओसीपी में "विकास शोवेल" के संबंध में एनसीएल को हुई कुल क्षति का एनसीएल प्रबंधन ने आकलन किया है। उत्पादन की हानि लगभग 2000 घन मीटर ओवरबर्डन प्रति दिन हुई। मरम्मत की लागत लगभग 3.25 लाख रुपए है। उपकरण 25.2.2014 तक स्थापित किए जाने की आशा है।

निगाही ओसीपी में "बजरंग" ड्रैगलाइन के बारे में, अभी तक खराबी के बारे में जांच पूरी नहीं हुई है। इसे पूरा करने के बाद इस मामले को मूल उपकरण निर्माता/हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ उठाया जाएगा।

(ङ) चूंकि ये हानियां मेकेनिकल खराबी एवं भू-गर्भीय अशांति की वजह से हुई हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है।

[अनुवाद]

फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी

3973. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री के. सुगुमार :
चौधरी लाल सिंह :
श्री पी. कुमार :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अरविंद कुमार चौधरी :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रमुख खाद्य फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में चिंताजनक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो फसल-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित आद्यतन भू उपयोग सांख्यिकी आंकड़ों (2010-11) के अनुसार वर्ष 2007-08 में 144.6 मिलियन हैक्टेयर, वर्ष 2008-09 में 143.0 मिलियन हैक्टेयर, वर्ष 2009-10 में 138.8 मिलियन हैक्टेयर तथा वर्ष 2010-11 में 146.3 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र खाद्य फसलों में अंतर्गत था। प्रमुख खाद्य फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2007-08 में 230.8 मिलियन मी. टन से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 255.4 मिलियन मी. टन हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन 259.3 मिलियन मी. टन के उच्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

विवरण

प्रमुख खाद्य फसलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	खाद्यान्न				कुल फल व सब्जियां				कुल खाद्य फसलें			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	7387	7443	6667	8029	970	1026	1010	1041	9105	9123	8302	9733
अरुणाचल प्रदेश	201	204	203	213	24	26	21	22	236	241	234	246
असम	2518	2671	2728	2766	422	429	432	440	3125	3290	3350	3416
बिहार	6886	6830	6462	6172	420	407	422	434	7425	7358	6966	6866
छत्तीसगढ़	5275	5217	5096	5199	120	122	124	128	5428	5368	5248	5358
गोवा	64	60	55	54	72	72	72	73	139	136	131	130
गुजरात	4623	4074	3705	4536	470	460	429	453	5707	5115	4644	5538
हरियाणा	4477	4605	4542	4700	72	65	68	73	4695	4767	4697	4866
हिमाचल प्रदेश	811	799	786	797	103	107	113	112	925	917	908	919
जम्मू और कश्मीर	915	924	932	929	88	87	89	87	1006	1014	1023	1018
झारखंड	1522	1534	1251	1102	98	100	106	93	1630	1641	1363	1203
कर्नाटक	7788	7372	7843	8146	626	615	649	656	9298	8858	9450	9899
केरल	237	241	242	220	520	495	467	461	1126	1082	1067	1042
मध्य प्रदेश	12060	12200	12648	13200	253	252	277	310	12699	12809	13306	13910
महाराष्ट्र	13033	11978	12111	13029	1084	1187	1123	1289	14979	14151	14204	15419
मणिपुर	184	186	189	264	35	33	33	33	232	235	233	314
मेघालय	130	132	132	132	96	144	142	142	256	305	304	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मिजोरम	69	54	49	42	13	15	48	57	92	91	111	116
नागालैंड	279	285	286	299	30	32	68	59	319	332	369	372
ओडिशा	6884	6912	5158	5065	956	992	8	7	8025	8089	5317	5232
पंजाब	6311	6464	6502	6506	186	162	161	172	6616	6713	6725	6750
राजस्थान	13644	13239	13233	15658	156	142	154	175	14385	13935	13956	16559
सिक्किम	81	80	78	76	8	8	29	41	109	108	134	142
तमिलनाडु	3098	3191	3034	3174	625	612	614	616	4234	4269	4098	4270
त्रिपुरा	263	251	255	275	6	5	6	47	269	258	261	334
उत्तराखंड	943	965	941	948	48	49	52	47	1124	1131	1103	1108
उत्तर प्रदेश	19709	20093	20020	19829	1064	1054	1070	1099	23138	23381	23214	23167
पश्चिम बंगाल	6370	6537	6243	6249	1519	1524	1540	1540	8122	8203	7922	7930
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	10	9	11	2	2	2	2	13	13	13	15
चंडीगढ़	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
दादरा और नगर हवेली	23	22	21	18	2	2	2	2	26	25	23	21
दमन और दीव	2	3	3	3	0	0	0	0	2	3	3	3
दिल्ली	36	36	38	37	2	2	2	2	39	38	41	39
लक्षद्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
पुदुचेरी	25	23	23	23	1	1	1	1	29	27	26	26
अखिल भारत	125859	124635	121487	127701	10093	10228	9336	9714	144556	143025	138748	146265

नोट: '0' 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र से संबंधित है।

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

एफसीआई की प्रचालनगत कुशलता

3974. श्री जोस के. मणि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केरल सहित राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एफसीआई) के अंतर्गत प्रदान की गई कुल राजसहायता राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चावल पर भंडारण लागत, भंडारण क्षति और परिवहन व्यय सहित प्रति टन चावल की लागत क्या है; और

(ग) एफसीआई की प्रचालन कुशलता में सुधार जिससे कि खाद्य राजसहायता में वृद्धि को रोका जा सके, के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो के.वी. थॉमस) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरल सहित राज्यों को प्रदान की गई खाद्य राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को चावल की प्रति टन लागत और उसकी भंडारण लागत, भंडारण हानि तथा एिक गए परिवहन व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) खाद्य राजसहायता में वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार सहित प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य सरकारों को जारी राजसहायता

12.2.2014 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश	पश्चिम	छत्तीसगढ़	उत्तराखंड	तमिलनाडु	ओडिशा	कर्नाटक	गुजरात	केरल	कुल
2010-11	2013.760	शून्य	2485.340	1241.070	1923.480	299.360	1501.030	2243.970	0.000	20.150	471.840	12200.000
2011-12	2964.830	शून्य	1219.620	1481.730	1670.360	217.970	1897.720	2934.710	0.000	59.620	398.440	12845.000
2012-13	3356.710	225.514	39.256	1816.130	2345.390	243.770	1176.280	2731.500	0.000	115.140	524.310	12574.000
2013-14	2806.850	1290.044	5.182	1450.138	2147.874	264.170	982.010	2771.110	492.950		313.810	12524.138

विवरण-II

भंडारण हानि तथा किए गए अन्य व्यय के साथ चावल की प्रति टन लागत

(दर रुपये प्रति टन)

ब्यौरा	2010-11 दर	2011-12 दर	2012-13 दर	2013-14 (संशोधित अनुमान) दर
1	2	3	4	5
धान की पूलकृत लागत	14,465.30	15,122.00	16,338.30	18,054.80
खरीद संबंधी प्रासंगिक खर्चे				
मंडी प्रभार तथा कर	1,446.30	1,613.30	1,843.00	2,203.60

1	2	3	4	5
आढ़तिया कमीशन	5.80	2.00	8.10	330.00
मिलिंग प्रभार तथा शुश्कन व्यय	306.50	329.60	326.30	384.10
बोरियों की लागत	796.60	898.50	938.90	854.50
मंडी श्रम	132.60	161.20	152.70	161.20
अग्रेषण प्रभार	13.40	10.30	14.30	2.30
आंतरिक संचलन	38.90	37.40	48.60	16.50
भंडारण प्रभार	31.50	31.40	41.60	37.20
ब्याज	159.10	193.90	268.50	306.30
पिछले वर्ष के बकाया पर खर्च	10.30	-14.00	-61.00	—
उन्नयन प्रभार	34.30	36.50	—	—
एजेंसियों के लिए प्रशासनिक प्रभार	149.30	193.10	247.50	352.70
विविध (गारंटी शुल्क आदि)	6.30	6.80	9.10	—
भाड़ा	679.80	757.30	912.70	1,321.40
हैंडलिंग प्रभार	467.50	491.30	510.30	584.50
भंडारण प्रभार	290.20	287.80	290.10	371.60
ब्याज	419.40	739.00	792.50	1,055.20
भंडारण हानियां	60.30	21.20	72.60	118.30
मार्गस्थ हानियां	52.00	69.00	71.40	100.40
प्रशासनिक उपरिशीर्ष	265.70	241.80	223.20	230.80
चावल की लागत	19,831.10	21,229.40	23,048.70	26,485.40

विवरण-III

भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार सहित प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:

1. बढ़ती हुई कार्यशील पूंजी आवश्यकता तथा ब्याज लागत को कम करने के लिए इक्विटी की अतिरिक्त राशि का निवेश करना।
2. ब्याज लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण के स्रोत के रूप में बॉड जारी करके/सार्वजनिक जमा राशि के माध्यम से दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
3. खाद्य राजसहायता के परिणाम के तौर पर भारतीय खाद्य निगम के उधार तथा ब्याज लागत को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजसहायता आबंटन में वृद्धि करना।
4. भारतीय खाद्य निगम को अपनी प्रशासकीय लागत को आंशिक रूप से पूरा करने हेतु आय उत्पन्न करने के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए।

5. हैंडलिंग लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को संविदा श्रमिक (विनियमन एवं निरसन) अधिनियम, 1970 से छूट प्रदान करना।

6. खरीद लागत को कम करने के लिए धान की खरीद हेतु पुरानी/काम में लाने योग्य/सेकेंड हैंड जूट की बोरियां उपयोग में लाई जाती हैं।

7. हैंडलिंग लागत को कम करने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक डिपुओं का यंत्रीकरण।

8. खाद्य राजसहायता को कम करने के लिए अन्य मंत्रालयों की अन्य कल्याणकारी योजनाओं अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के अनुसार प्रभारित किया जाना चाहिए।

9. लम्बी अवधि में भंडारण लागत को कम करने के लिए साइलो का प्रयोग।

धान की खेती

3975. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों और कीटनाशकों की खपत में वृद्धि के बावजूद अनेक राज्यों में धान की खेती के क्षेत्र में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान धान की खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों की खपत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व औसत की तुलना में देश में चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में धान की खेती के क्षेत्र और चावल की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं मौजूदा वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के दौरान धान/चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्षा की स्थिति पर निर्भरता के अनुसार, अन्य सक्षम फसलों आदि की ओर क्षेत्र का अंतरण, देश के भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चावल की खेती के तहत क्षेत्र में आमतौर पर उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

उर्वरकों एवं कीटनाशकों की खपत के फसल-वार ब्यौरों का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों एवं कीटनाशकों की कुल खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	खपत (000 टन में)	
	उर्वरक	कीटनाशक
2010-11	52678.18	55.54
2011-12	53180.14	52.98
2012-13	48894.48	45.39*

*20.02.2013 के अनुसार।

(घ) विश्व की 2940 कि.ग्रा./हैक्टेयर औसत चावल उत्पादकता की तुलना में, 2012 के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार, भारत में चावल की उत्पादकता 2462 कि.ग्रा./हैक्टेयर तक है।

विश्व के अन्य मुख्य चावल उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चावल की कम उत्पादकता के मुख्य कारण है — छोटी एवं खंडित भू-जोतें, कम वर्षा, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों, गुणवत्ता बीजों एवं कीटनाशकों जैसे फार्म आदानों की कम खपत, व्यवसायों के उन्नत पैकेज को कम अपनाना आदि। इसके अलावा, पूर्वी तट में समशितोष्ण जलवायु परिस्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं की क्रमबद्ध घटना से भी देश में चावल की औसत उत्पादकता में कमी हुई है।

(ङ) देश में क्षेत्रीय विस्तार एवं पैदावार में बढ़ोत्तरी के जरिए चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में विभिन्न फसल विकासात्मक योजनाओं/ कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है यथा चावल पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), आरकेवीवाई की उप-योजना के रूप में पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) आदि। इसके अतिरिक्त, देश में चावल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक तथा चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद द्वारा समन्वित अखिल भारत समन्वित चावल अनुसंधान परियोजना के माध्यम से फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा संबंधी भिन्न-भिन्न पहलुओं से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्य कर रहा है।

विवरण

2010-11 से 2013-14 के दौरान चावल के तहत राज्य-वार क्षेत्रीय अनुमान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आंध्र प्रदेश	4751.0	4096.0	3628.0	2700.0
असम	2570.3	2537.0	2488.2	2134.0
बिहार	2832.5	3323.9	3298.9	2551.2
छत्तीसगढ़	3702.5	3773.8	3784.8	3784.8
गुजरात	808.0	836.0	701.0	772.0
हरियाणा	1245.0	1235.0	1215.0	1154.0
हिमाचल प्रदेश	77.1	77.2	76.9	76.6
जम्मू और कश्मीर	261.3	262.2	261.7	261.7
झारखंड	720.3	1469.0	1414.5	1232.0
कर्नाटक	1540.0	1416.0	1278.0	1010.0
केरल	213.2	208.2	197.3	115.0
मध्य प्रदेश	1602.9	1662.0	1882.6	1820.0
महाराष्ट्र	1518.0	1543.0	1557.0	1519.0
ओडिशा	4225.7	4004.5	4022.8	3783.0
पंजाब	2831.0	2818.0	2845.0	2773.0
राजस्थान	131.1	134.3	125.6	129.6
तमिलनाडु	1905.7	1903.8	1493.1	1462.3
उत्तर प्रदेश	5657.0	5947.0	5861.0	5956.0
उत्तराखंड	289.5	280.0	262.8	260.0
पश्चिम बंगाल	4944.1	5433.7	5444.3	4290.0
अन्य	1036.2	1045.6	915.4	927.8
अखिल भारत	42862.4	44006.3	42753.9	38712.0

*14.02.2014 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की निगरानी

3976. श्री एस. सेम्मलई :
श्री गणेश सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निर्धारित मानकों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कोई आवधिक जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन एजेंसियों के क्या नाम हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए लगाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन करना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद-38 तथा खाद्य संरक्षा एवं नियम-2011 के नियम 2.1.3(4)(iii) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऐसे किसी भी स्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है जहां खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाता है, अथवा बिक्री के लिए भंडारित की जाती है, अथवा किसी अन्य खाद्य वस्तु के निर्माण के लिए भंडारित की जाती है, अथवा उद्भाषित की जाती है, या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती है।

(घ) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 29 के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राज्य खाद्य प्राधिकरण देश में खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पदनामित अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से खाद्य व्यापार के सभी स्तरों पर खाद्य व्यापार प्रचालकों की मॉनीटरिंग करेगा।

जन औषधि जेनरिक दवा स्टोर

3977. श्री हरीश चौधरी :
श्री एस. अलागिरी :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जन औषधि जेनरिक दवा स्टोर (जेएजीडीएस) कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान में जेएजीडीएस के कार्यकरण के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित देशभर में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में स्थापित/कार्य कर रहे जेएजीडीएस तथा उत्तर प्रदेश के मिसरिख सहित इन क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्रस्तावित जेएजीडीएस की स्थान-वार संख्या कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) फरवरी, 2009 से जुलाई, 2011 की अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में 53 जन औषधि स्टोर (जेएएस) खोले गए थे। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सभी भर्ती मरीजों और सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी वहिरंग रोगियों को मुफ्त दवा प्रदान करने के लिए दिनांक 2.10.2011 से "मुख्यमंत्री मुफ्त दवा परियोजना" नामक एक नई स्वास्थ्य स्कीम शुरू की है। इसके फलस्वरूप, राज्य में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित सभी 53 जन औषधि जेनरिक स्टोरों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त वितरण केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया और इन बिक्री केन्द्रों से जन औषधि दवाइयों की बिक्री बंद कर दी गई थी।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य में खोले गए जेएएस द्वारा कार्य नहीं किए जाने के मामले पर दिनांक 17.11.2011 को प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (आरएमएससी), राजस्थान सरकार के साथ भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के अधिकारियों एवं एमडी, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आरडीपीएल) द्वारा चर्चा की गई थी। इस के बाद दिनांक 18.11.2011 को एक पत्र लिखा गया था। इस चर्चा के दौरान यह पता चला कि सर्जरी में प्रयुक्त उपकरणों, उपभोज्य और इम्प्लांट इत्यादि सहित मुफ्त वितरण की परिधि से बाहर की ऐसी दवाइयों को जन औषधि जेनरिक ड्रग्स स्टोरों से बेचे जाने की गुंजाइश थी और इस बात पर सहमति हुई कि इन बिक्री केन्द्रों को जिला अस्पतालों और आरएमएससी द्वारा प्रबंध-संचालित अस्पतालों में खोला जाएगा। बीपीपीआई इन स्टोरों के सुसज्जीकरण/नवीनीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तथापि, इस प्रस्ताव पर आरएमएससी की ओर से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) पिछड़े/अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के आधार पर जेएएस की अवस्थितियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में, सरकारी अस्पतालों में जगह प्रदान करने और इन स्टोरों के संचालन

के लिए संचालन एजेंसी को नामित करने के रूप में राज्य सरकार की सिफारिशों के अभाव में कोई जन औषधि स्टोर नहीं खोला जा सका। अब यह निर्णय लिया गया है कि जन औषधि स्टोरों को अस्पतालों के परिसरों के बाहर भी खोला जा सकता है। कोई भी गैर-सरकारी संगठन/धमार्थ समिति/संस्थान/स्व-सहायता समूह जिनका कल्याण कार्यकलापों के सफल संचालन में न्यूनतम तीन वर्षों को अनुभव हो और बेरोजगार फार्मासिस्ट/डॉक्टर/पंजीकृत चिकित्सक इन औषध स्टोरों को खोलने हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जेएएस खोलने के लिए इच्छुक न्यासों/समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/बेरोजगार फार्मासिस्टों इत्यादि से दिनांक 5.9.2013 को अभिरुचि की अभिव्यक्ति मांगी गई थी। अबतक 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रियाधीन हैं।

खाद्यान्नों की आवाजाही

3978. श्री सी. शिवासामी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खाद्यान्नों की अंतर क्षेत्रीय आवाजाही में वृद्धि हुई है और इसके बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं विशेषकर खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में नयी खरीद के लिए भंडारण स्थान की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या रेल और सड़क द्वारा खाद्यान्नों की आवाजाही को युक्तियुक्त बनाने के लिए समन्वयन लाने हेतु कोई अंतर मंत्रालयी/अंतर विभागीय समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें प्राप्त सफलता सहित उक्त समिति द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल और सड़क के माध्यम से परिवहन में सामने आ रही समस्या तथा इसकी लागत के मद्देनजर सरकार ने खाद्यान्नों की आवाजाही सहित इसके परिचालन के लिए समुद्री मार्ग/अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करने के लिए एफसीआई को अनुमति प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। हाल के वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के अंर्तक्षेत्रीय संचालन में वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	अंतर्राज्यीय खाद्यान्न संचलन (लाख टन में)
2008-09	225.16
2009-10	275.83
2010-11	305.29
2011-12	327.77
2012-13	349.19
2013-14 (जनवरी 2014 तक)	322.03

यह अनुमान है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 614.43 लाख टन आबंटन की तुलना में अंतर्राज्यीय खाद्यान्न संचलन आवश्यकता 364.33 लाख टन होगी जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान कुल अंर्तक्षेत्रीय संचलन 349.19 लाख टन था। अतः वर्तमान अनुमानों के अनुसार कार्यान्वयन के लिए अधिक अंतर्राज्यीय संचलन अपेक्षित होगा।

अंतर्राज्यीय संचलन में वृद्धि खाद्यान्नों की खरीद वाले राज्यों के लिए सहायक होने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि खाद्यान्नों के अधिक संचलन के परिणामस्वरूप ऐसे राज्यों में भंडारण स्थान शीघ्र रिक्त होगा और इस प्रकार नई खरीद के लिए अधिक भंडारण क्षमता उपलब्ध होगी।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के संचलन की निगरानी करने के लिए दिनांक 10.01.2013 को एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति गठित की गई थी जिसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, रेल मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं, जिनमें रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन में आने वाले प्रचालनात्मक कठिनाईयों और उनके समाधान पर विचार-विमर्श किया जाता है।

समन्वय समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के निम्नलिखित परिणाम हुए हैं:—

- स्टॉक के अंर्तक्षेत्रीय संचलन के लिए रेलवे द्वारा रैकों की आपूर्ति में वृद्धि, जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली है
- रैकों को रोककर रखने की अवधि में कमी

- डेमरेज प्रभार में कमी
- भारतीय खाद्य निगम के अनेक साइडिंग्स (रेलवे लाइन से जुड़े डिपुओं) जैसे जेजेपी साइडिंग, कोलकाता तथा तालकटोरा साइडिंग (लखनऊ), कानपुर तथा मायापुरी साइडिंग, दिल्ली का शीघ्र नवीनीकरण
- लंबित रेलवे दावों का शीघ्र निपटान
- भारतीय खाद्य निगम प्रचालनों के लिए दुमका तथा मधुपुर में नई साइडिंग खोलना

(ङ) और (च) बढ़ी हुई खाद्यान्नों संचलन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम कुछ समय से खाद्यान्नों की वैकल्पिक पद्धतियों की तलाश कर रहा है तथा अब तक भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित समुद्री/नदी परियोजनाएं शुरू की है:—

(i) असम में वर्ष 2013 के आरंभ में खाद्यान्नों के संचलन की पायलट परियोजना चलाई गई जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग से डिब्रूगढ़ (असम) से धेमाजी (असम) तक 1377.86 टन का परिवहन सफलतापूर्वक किया गया था तथा पूर्व-डिब्रूगढ़ (असम) से पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) तक 2999.49 टन का परिवहन किया गया।

(ii) दिनांक 01.02.2014 को भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश के नामित डिपुओं से केरल के नामित डिपुओं तक समुद्र/सड़क मार्ग से 20000 टन चावल के प्रतिमाह संचलन के लिए ठेका दिया है।

[हिन्दी]

सूखे के लिए राहत हेतु सहायता संबंधी दिशानिर्देश

3979. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा 90 दिनों से अधिक अवधि तक सूखे के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि संबंधी दिशा-निर्देशों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : सामान्यतया यह प्रथा रही है कि सरकार द्वारा वित्त आयोग ने आनुक्रमिक अधिनिर्णय को स्वीकार करने के बाद राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सहायता की मदों और मापदंडों का पुनरीक्षण और संशोधन किया जाए। भारत सरकार समय-समय पर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से प्राप्त वित्तीय सहायता के मापदंडों का पुनरीक्षण/संशोधन करती हैं। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की मदों एवं मापदंडों का हाल ही में 28 नवम्बर, 2013 को संशोधन किया गया। 90 दिनों से अधिक की सूखा स्थिति के मामले में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दिशा-निर्देशों के संशोधन का कोई आसन्न प्रस्ताव नहीं है।

एफपीआई के कार्य

3980. श्री रतन सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) की कुल संख्या से अवगत है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़े कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई तरीका अपनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना उद्यमियों द्वारा की जाती है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों सहित फैक्ट्रियों की संख्या के आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। अद्यतन एएसआई; 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार, देश में पंजीकृत कुल खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या 36,875 है।

(ग) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्यमियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अर्थात् शीत श्रृंखला, मेगा खाद्य पार्क और बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु एक स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र की सहायता के लिए मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य सरकारों

के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु 01 अप्रैल, 2012 को एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की भी शुरुआत की है। परियोजनाओं के मध्यावधिक सुधारों तथा समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रगति की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्यान्वयन, निगरानी/समीक्षा के लिए परिकल्पित तंत्र निम्नानुसार है:—

(i) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का कार्यनिष्पादन और उसकी प्रगति की मॉनीटरिंग, समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद् (एनएफपीडीसी) का गठन।

(ii) स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और निगरानी सहायता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति।

(iii) अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए तकनीकी समिति (टीसी) और अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) का गठन।

(iv) मंत्रालय द्वारा लागू की गई विभिन्न स्कीमों का बाहरी एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन।

आतंकी संगठन

3891. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत राष्ट्र विरोधी, पृथकतावादी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी कई आतंकी समूहों और गैर-कानूनी संगठनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समूहों और संगठनों की गैर-कानूनी/आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आज की तिथि तक इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में की गई कार्रवाइयां किस हद तक सफल रही हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 36 संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में और 9 संगठनों को विधिविरुद्ध एसोसिएशनों के रूप में घोषित किया था। इन संगठनों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) आतंकवादी संगठनों और विधिविरुद्ध एसोसिएशनों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों के बीच अति गहन और प्रभावकारी समन्वय विद्यमान है। इनकी संभावित योजनाओं एवं खतरों के बारे में प्राप्त इनपुट्स को नियमित आधार पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। बहु-अभिकरण केन्द्र (एमएसी) को सुदृढ़ किया गया है और उसका पुनर्गठन किया गया है ताकि यह अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना का सही समय पर मिलान करने एवं उसका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे प्रतिदिन (24×7) आधार पर कार्य करने में सक्षम हो सके और साथ ही इन सुरक्षा आसूचनाओं को एक ऐसे सुस्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है जो राज्यों एवं केन्द्रीय सुरक्षा तथा विधि प्रवर्त्तन एजेंसी के बीच आसूचना का गहन समन्वय एवं आदान-प्रदान तथा जानकारी का निर्बाध आप्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके फलस्वरूप, अनेक आतंकवादी माड्यूलों को विफल किया गया है और इस प्रकार, बड़े-बड़े आतंकी हमले वाली योजनाओं को नाकाम किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार को, महाराष्ट्र राज्य सरकार से अभिनव भारत संगठन और सनातन संस्था एवं इसके संबद्ध सहायक संगठनों/ट्रस्टों को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी गई जानकारी और तथ्य केन्द्र सरकार के लिए इतने निष्कर्षपरक नहीं हैं कि वह इन संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने की कार्रवाई शुरू करे।

विवरण-I

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची में उल्लिखित आतंकवाद संगठनों की सूची

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स

4. इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन

5. लश्कर-ए-तैयबा/पास्बान-ए-अहले हदीस

6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फरकान

7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-संसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी

8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाबल रेजिमेंट

9. अल-उमर-मुजाहिद्दीन

10. जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट

11. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)

12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), असम

13. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)

14. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)

15. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक)

16. कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)

17. कंगलेइ याओल कंबा लूप (केवाईकेएल)

18. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)

19. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

20. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा

21. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम (एलटीटीई)

22. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया

23. दीनदार अंजुमन

24. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) — पीपुल्स-वार, इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन

25. माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी), इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन

26. अल बदर

27. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन

28. अल-कायदा

29. दुखतरन-ए-मिलात (डीईएम)

30. तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए)

31. तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रुप्स (टीएनआरटी)

32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (एमबीएनईएस)

33. यूनाइटेड नेशन्स (सिक्यूरिटी कौंसिल) एक्ट, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 तथा समय-समय पर किए गए संशोधन के अंतर्गत बनाए गए यू.एन. प्रीवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म (इंप्लिमेंटेशन ऑफ सिक्यूरिटी कौंसिल रिजोल्यूशन्स) आर्डर, 2007 की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन

34. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी), इसकी समस्त शाखाएं तथा अग्रणी संगठन

35. इंडियन मुजाहिद्दीन और इसकी समस्त शाखाएं तथा अग्रणी संगठन

36. गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए), इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन।

विवरण-II

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध एसोसिएशनों की सूची'

1. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)

2. यूनाइटेड लिबरेश्न फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)

3. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)

4. दीमा हलाम दाओगाह (जोइल) डीएचडी (जे)

5. मेइतेइ एक्सट्रिमिस्ट आर्गेनाइजेशन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)

(ख) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)

(ग) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक)

(घ) कगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी)

(ङ) कंगलेइ याओल कंबा लूप (केवाईकेएल)

(च) मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)

(छ) रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)

6. ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (एटीटीएफ)

7. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)

8. हाइनीट्रेप नेशनल लिबरेशन कौंसिल (एचएनएलपी)

9. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम।

हरित क्षेत्रों में कोयला ब्लॉकों का आवंटन

3982. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन हरित क्षेत्रों जहां सड़क और रेल संपर्क जैसे मूलभूत अवसंरचना की कमी है, में अवस्थित कोयला ब्लॉकों का आवंटन निजी कंपनियों को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) सड़क और रेल संपर्क जैसी मूलभूत अवसंरचना की कमी वाले वन क्षेत्र में अवस्थित कोयला ब्लॉकों की पहचान प्राकृतिक भू-गर्भीय संरचना के आधार पर की जाती है। संबंधित प्राधिकारियों से पर्यावरण और वन अनुमोदन सहित सभी आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने सहित आवंटित कोयला ब्लॉक एवं अपेक्षित अवसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व आवंटिति कंपनी का होता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद्

3983. श्री विन्सेंट एच. पाला : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) की प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में दिए गए अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजना और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संबंध में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में विकास में गति देने के लिए एनईसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक परामर्शी निकाय के रूप में की गई थी। पूर्वोत्तर परिषद् संशोधन अधिनियम, 2002 के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद् एक क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित की गई थी। वर्ष 2004 से पूर्वोत्तर परिषद् उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पूर्वोत्तर परिषद् को पर्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। योजना आयोग द्वारा प्रदत्त समग्र बजटीय आबंटन में परिषद् द्वारा निरूपित वार्षिक योजना परिषद् द्वारा स्वयं अनुमोदित की जाती है। पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव को 15 करोड़ रुपए तक की लागत वाली एकल परियोजनाएं स्वीकृत करने का अधिकार है। 15 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं भारत सरकार की वित्तीय नियमावली के अनुसार मूल्यांकित एवं अनुमोदित की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। पूर्वोत्तर परिषद् पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नियोजन आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सम्बन्ध में अपने उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रही है। उत्तर पूर्वी वैद्युत विद्युत निगम, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संस्थान, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भूमि और जल प्रबंधन संस्थान आदि जैसे क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना सहित सड़क निर्माण (9800 कि.मी.), ब्रह्मपुत्र नदी पर तेजपुर सड़क पुल सहित 77 पुल, 9 अंतर्राज्यीय बस अड्डे, 4 अंतर्राज्यीय ट्रक अड्डे, एलायंस एयर को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से वायु सम्पर्क सुधार हेतु 10 हवाईअड्डा विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण; 694.50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन का प्रतिष्ठापन, 64.5 मे.वा. ताप विद्युत उत्पादन (पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता का 30%); 57 विद्युत प्रणाली सुधार स्कीमें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (नेरकॉरम्प) का क्रियान्वयन, मेघालय, असम और मणिपुर प्रत्येक राज्य के दो जिलों में फेज-1 और फेज-2, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और मणिपुर के कवर न किए जा सके दो जिलों को कवर करने के लिए नेरिकोम परियोजना-III शुरू करना पूर्वोत्तर परिषद् की मुख्य उपलब्धियां हैं। योजना-वार वित्तीय ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर परिषद् की 26 जून, 2003 से पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पहले ही पुन:संरचना की जा चुकी है। इस संशोधन के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद् को क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में कार्यकरण हेतु अधिदेशित किया गया है और सिक्किम को आठवें राज्य के रूप में परिषद् के अधीन लाया गया था। इस संशोधन

में पूर्वोत्तर परिषद् को दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता, सिक्किम के मामले को छोड़कर, देने का अधिकार है। इस परिषद् में उत्तरपूर्वी राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्यों को शामिल किया गया है। मार्च 2005 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी पूर्वोत्तर परिषद् के पदेन अध्यक्ष हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना से वर्ष 2013-14 तक पूर्वोत्तर परिषद् की योजना के अंतर्गत योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

योजना	अवधि	योजना परिव्यय	व्यय	वित्तीय उपलब्धियां % में
चौथी पंचवर्षीय योजना	1973-74	0.33	0.28	84.85
पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1974-75 से 1977-78	65.11	53.93	82.83
परिक्रामी योजना	1978-79 एवं 1979-80	82.45	65.33	79.24
छठी पंचवर्षीय योजना	1980-81 से 1984-85	417.15	385.34	92.37
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-86 से 1989-90	811.05	779.80	96.15
परिक्रामी योजना	1990-91 एवं 1991-92	424.50	423.83	99.84
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-93 से 1996-97	1648.00	1419.05	86-11
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997-98 से 2001-02	2114.00	1935.55	91.56
दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002-03 से 2006-07	2511.50	2495.74	99.37
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007-08 से 2011-12	3248.00	3187.94	98.15
बारहवीं पंचवर्षीय योजना				
	2012-13	770.00	732.76	95.16
	2013-14 (31.01.2014 तक)	700.00	557.57	79.65
सकल योग		12792.09	12037.12	94.10

निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति

3984. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए और अधिक कठोर शास्ति खंड का प्रावधान करने के मद्देनजर बीज विधेयक, 1966 के बीज अधिनियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इस बीज विधेयक, 2004 की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) किसानों को निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति के संबंध में बीज अधिनियम, 1966 और बीज विधेयक, 2004 में अर्थ दंड/सजा संबंधी खंडों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(घ) नया विधेयक जो, 2004 से लंबित हैं, का अधिनियमन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राज्य सभा में बीज विधेयक, 2004 पेश किया है ताकि देश में बीज गुणवत्ता व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

(ग) बीज विधेयक, 2004 में निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति हेतु दंड को बीज अधिनियम, 1966 में वर्तमान प्रावधान 1000 रुपए अधिकतम दंड एवं 6 माह तक के कारावास से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए का अधिकतम दंड एवं एक वर्ष तक का कारावास कर दिया जाएगा।

(घ) वर्तमान में विधेयक राज्य सभा में विचाराधीन है।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

3985. श्री यशवीर सिंह
श्री नीरज शेखर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980" के तहत मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या कितनी है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के अधीन मासिक पेंशन में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों से समय-समय पर अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। केन्द्रीय सम्मान पेंशनधारियों और उनके पात्र आश्रितों की मासिक पेंशन में महंगाई राहत में संशोधन के माध्यम से प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है। दिनांक 01.08.2013 से, सम्मान पेंशन 18,547/- रुपए प्रति माह है, जिसमें 6,330/- रुपए मूल पेंशन और 193% महंगाई राहत शामिल हैं।

प्रति व्यक्ति खपत

3986. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों और खाद्य सामग्रियों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्नों और अनाजों की प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन वस्तुओं की कीमत और प्रति व्यक्ति खपत का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) कीमत में परिवर्तन और प्रति व्यक्ति खपत में कोई सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। प्रति व्यक्ति खपत का निर्धारण मुख्य रूप से आबादी/परिवार के आकार, आय के स्तर, खपत पद्धति/खान-पान की आदतों इत्यादित जैसे अनेक कारकों द्वारा होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फसलों को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति

3987. श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री डी.के. सुरेश :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें अत्यधिक और बेमौसमी वर्षा, ओले, तूफान और पाले के कारण देश के विभिन्न जिलों में अंगूर, प्याज, कपास, मक्का, चना, गेहूं, केला, संतरा और अन्य फलों की फसलों को हुए नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति देने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय जिलों में संपूर्ण रबी फसल बर्बाद हो गयी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों में किसानों को हुए नुकसान की प्रमात्रा के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण/जांच करायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) वर्ष 2013-14 के दौरान किसी भी राज्य सरकार ने अत्यधिक एवं बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि, तूफान एवं पाले के कारण विभिन्न फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष वित्तीय पैकेज मांगने हेतु कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

पोषक तत्वों की खेती

3988. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी फसल किस्मों जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो यथा प्रचूर आयरन वाला बाजरा, प्रचूर प्रोटीन वाली मक्का और प्रचूर जस्ता वाला गेहूं के पोषक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रायोगिक कार्यक्रम को शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित निधि की प्रमात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2013-14 में न्यूट्रीफार्म पर एक पायलेट योजना की शुरुआत की गई है ताकि लौह तत्व से भरपूर बाजरा, प्रोटीन से भरपूर मक्का और जिंक से भरपूर गेहूं आदि जैसी महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषकों वाली बायो-फोर्टीफाइड खाद्यान्न फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके एवं देश की आबादी के अधिकांश संवेदनशील हिस्से की पोषण स्थिति में सुधार किया जा सके।

कार्यक्रम को 9 राज्यों नामत: असम (3), बिहार (12), छत्तीसगढ़ (3), झारखंड (1), मध्य प्रदेश (25), ओडिशा (6), राजस्थान (16), उत्तर प्रदेश (32) एवं उत्तराखंड (2) के 100 उच्च कुपोषण प्रभावित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना के तहत अनाज एवं सब्जी फसलों नामत: चावल, बाजरा, मक्का, फिंगर मिलेट, गेहूं, शकरकन्द की सूक्ष्म-पोषण से भरपूर कल्टीवरों को क्लस्टर प्रदर्शनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रदर्शनों से हुई उपज के प्रापण एवं अभिज्ञात जिलों में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए बच्चों में उसकी आपूर्ति/वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य-वार निधि आवंटन निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	राज्य	आवंटन (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	असम	5.67
2.	बिहार	23.43
3.	छत्तीसगढ़	5.67
4.	झारखंड	1.89
5.	मध्य प्रदेश	48.00
6.	ओडिशा	11.34
7.	राजस्थान	30.99
8.	उत्तर प्रदेश	61.23
9.	उत्तराखंड	3.78

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी

3989. श्री पूर्णमासी राम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण की समय-समय पर निगरानी/समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों का निगरानी तंत्र संतोषजनक नहीं है और इनमें कुछ अनियमितताएं पायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी और समीक्षा मैकेनिज्म में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें (एसएसी); वार्षिक राज्य और क्षेत्रीय कार्यशालाएं, गतिविधि विशिष्ट प्रशिक्षण-कम-कार्यशालाएं; क्षेत्रीय परियोजना निदेशालयों, कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालयों और भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा केवीके के स्थल दौरे, पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यूआरटी) द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन, संपर्क और रूपांतरण बैठकें/विचार-विमर्श और समीक्षा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरन जारी गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा के आधार पर प्राप्त परिणामों में शामिल है सुधरे निष्पादन और विकास तथा आवश्यकता आधारित वार्षिक कार्य योजना;

प्रौद्योगिकी इंवेंटर का संकलन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रौद्योगिकी मैनुअल, पुस्तकों, बुलेटिन और विस्तार साहित्य तैयार करना, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी बैकस्टॉपिंग के लिए कार्यक्रमों का विकास और संगठन; मानव संसाधन विकास और ज्ञान सशक्तिकरण; और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग मैकेनिज्म के अनुभवों और नवोन्मेषी नमूनों का आदान-प्रदान। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) निगरानी तंत्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। फिर भी, यदि समय-समय पर अनियमितता देखी जाती है तो उसे उचित सुधार के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान केवीके की निगरानी और समीक्षा के लिए शुरू की गई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गतिविधियां

क्र. सं.	निगरानी और समीक्षा गतिविधियां	गतिविधियों की संख्या
1.	वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें	2423
2.	राज्य और क्षेत्रीय कार्यशालाएं	119
3.	गतिविधि विशिष्ट प्रशिक्षण-कम-कार्यशालाएं	509
4.	जैडपीडी, डीईई एवं भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा केवीके के दौरे	4763
5.	स्टैकहोल्डर्स के साथ सम्पर्क और रूपांतरण बैठकें/विचार-विमर्श	3580
6.	क्यूआरटी के दौरे तथा उनकी यात्रा कार्यशालाएं आदि	125

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान केवीके के क्रियाकलापों की निगरानी और समीक्षा के आधार पर परिणाम

क्र. सं.	केवीके के क्रियाकलापों की निगरानी और समीक्षा के आधार पर परिणाम	संख्या
1	2	3
1.	केवीके की वार्षिक कार्य योजना का विकास तथा निष्पादन	2371
2.	प्रौद्योगिकी इन्वेंटरी का संकलन	913
3.	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रौद्योगिकी मैनुअल, पुस्तकों, बुलेटिन और विस्तार साहित्य तैयार करना	33463
4.	क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी बैकस्टॉपिंग के लिए कार्यक्रमों का विकास और संगठन	560
5.	मानव संसाधन विकास और ज्ञान सशक्तिकरण	643
6.	प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग मैकेनिज्म के अनुभवों और नवोन्मेषी नमूनों का आदान-प्रदान	736

निर्वाचन कार्यकलापों में एनजीओ की अंतर्ग्रस्तता

3990. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार के नीति निर्माण में शामिल गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निर्वाचन कार्यकलापों में कुछ गैर-सरकारी संगठनों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार की नीतियां मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों अथवा सरकारी प्राधिकरणों, जिन्हें ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, द्वारा बनाई जाती हैं। गैर-सरकारी संगठन मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के सदस्य नहीं होते हैं। तथापि, जनसाधारण/पणधारियों से परामर्श करने के दौरान गैर-संगठनों से परामर्श किया जा सकता है।

(ख) से (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथा निर्धारित चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार, किसी विधायिका, राजनीतिक दल के सदस्य अथवा उसके किसी पदाधिकारी,

राजनीतिक प्रकार के संगठन द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने पर प्रतिबंध हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर वर्ष 2012 की रिट याचिका संख्या 3412 में यह आरोप लगाया गया था कि एक गैर-सरकारी संगठन ने जन-आंदोलन के नाम पर राजनीतिक आंदोलनों के लिए विदेशी निधियां प्राप्त की हैं और बाद में राजनीतिक पार्टी बना ली है। उक्त गैर-सरकारी संगठन के रिकॉर्डों का निरीक्षण किया गया था और ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चले कि उक्त राशि का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया है। तद्नुसार, स्थित परक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में फाइल कर दी गई थी।

विश्व बैंक से ऋण

3991. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13 तक) तथा चालू वर्ष (2013-14) के दौरान उपयोगिता एवं शुरू किए गए कार्य के साथ विश्व बैंक से कृषि क्षेत्र के लिए प्राप्त ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु जारी परियोजनाओं के ब्यौरे जिसमें विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ था

(धनराशि भारतीय करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आईडीए/ आईबीआरडी	समझौते की तारीख	समापन की तारीख	परियोजना का आकार	ऋण/करोड़ रुपए में	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम कृषि प्रस्पिर्द्धा परियोजना	आईडीए/ 4013	14.1.2005	15.3.2015	1328.35	954.80	88.79	16.35	97.79	15.98
2.	हिमाचल प्रदेश-मध्य हिमालयी पनधारा विकास परियोजना	आईडीए/ 4133	19.1.2006	31.3.2013	465.00	372.00	51.16	32.60	22.73	13.24
3.	राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना	आईडीए/ 4162	24.7.2006	30.6.2014	1550.00	1240.00	150.45	128.98	105.20	92.27
4.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना-फेज-III	आईडीए/ 4640	20.7.2009	31.12.2015	1686.40	1221.40	61.90	90.25	102.15	85.74
5.	महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना	आईडीए/ 4809	2.11.2010	31.12.2016	948.60	620.00	22.65	9.68	31.59	33.95
6.	असम प्रतिस्पर्द्धात्मक परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	आईडीए/ 5062	13.04.2012	15.03.2015	472.87	310.00	0.00	0.00	0.00	9.08
7.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना	आईडीए/ 5085	13.04.2012	30.04.2019	1026.10	675.80	0.00	0.00	0.97	1.91
8.	राष्ट्रीय डेयरी सहायता परियोजना	आईडीए/ 5074	13.04.2012	31.12.2017	2814.18	2182.40	0.00	0.00	1.17	15.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयी पनधारा विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	आईडीए/ 5159	20.11.2012	31.03.2016	286.75	229.40	0.00	0.00	0.00	14.82
10.कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना-II	आईडीए/ 5087	11.02.2013	31.12.2018	531.34	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.उत्तराखंड विकेन्द्रीत पनधारा विकास परियोजना	आईडीए/ 3907-आईएन	30.7.2004	31.3.2012	553.97	433.50	71.26	30.51	11.53	0.00

विवरण-II

परियोजना-वार शुरू किए गए कार्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शुरू किए गए कार्य
1	2	3
1.	असम कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना	1. निवेश अनुदान स्कीम 2. कृषि सेवा एवं मंडी सेवा श्रृंखला विकास 3. अवसंरचना विकास
2.	हिमाचल प्रदेश हिमालयी पनधारा मध्य-विकास परियोजना	1. संस्थागत सुदृढ़ीकरण 2. पनधारा विकास एवं प्रबंधन 3. पहाड़ी क्षेत्रों की आजीविका में सुधार 4. परियोजना समन्वयन अर्थात् कार्यालय/रिहायसी आवास आदि का निर्माण
3.	राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना	कृषि नवाचार
4.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना – फेज-III	क्षारीय भूमि सुधार
5.	महाराष्ट्र कृति प्रतिस्पर्द्धा परियोजना	1. मण्डी अनुकूल उत्पादन का गहनीकरण व विविधीकरण तथा मण्डी तक किसानों की पहुंच में सुधार 2. परियोजना प्रबंधन शिक्षण एवं समायोजन
6.	असम प्रतिस्पर्द्धात्मक परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	भूजल, ग्रामीण हाट, मंडी पहुंच सड़क, ग्रामीण सड़क संपर्क आदि का उपयोग
7.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना	1. जलवायु सह्य कृषि 2. मण्डी व मूल्य श्रृंखला

1	2	3
		3. कृषक संघ व क्षमता निर्माण
		4. परियोजना प्रबंधन, मॉनिटरिंग व मूल्यांकन प्रणाली व शिक्षण
8.	राष्ट्रीय डेयरी सहायता परियोजना	1. उत्पादकता वृद्धि
		2. दुग्ध सकल
		3. परियोजना प्रबंधन व शिक्षण
9.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयी पनधारा विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	1. संस्थागत सुदृढ़ीकरण
		2. पनधारा विकास व प्रबंधन
		3. पहाड़ी क्षेत्रों की आजीविका में सुधार
		4. परियोजना समन्वयन अर्थात् कार्यालय/रिहायसी आवास आदि का निर्माण
10.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना-II	1. वर्षासिंचित क्षेत्रों में उन्नत कार्यक्रम समेकन हेतु सहायता
		2. अनुसंधान, विकास व नवाचार
		3. संस्थागत सुदृढ़ीकरण
		4. वर्षासिंचित क्षेत्रों में बागवानी सुदृढ़ीकरण
		5. परियोजना प्रबंधन व समन्वयन
11.	उत्तराखंड विकेन्द्रीत पनधारा विकास परियोजना	प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए पनधारा दृष्टिकोण व इसमें कृषि प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण शामिल है।

[अनुवाद]

कोयले का आयात

3992. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2014-15 में कोयले के आयात के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सीआईएच द्वारा आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रमात्रा और आयात की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीईए ने सब्सिडी वाली दरों पर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयले की आपूर्ति करने के लिए सीआईएल से कहा है;

(घ) यदि हां, तो सीआईएल को हुई अनुमानित हानि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिसके तहत सीआईएल को कम कीमत पर आयातित कोयले की आपूर्ति करनी होती है; और

(ङ) क्या सीआईएल के पास आईपीपी को आपूर्ति किए जाने वाले घरेलू कोयले की लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से वर्ष 2014-15 के लिए कोयले के आयात के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीआईएल को सीईए से ऐसी कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना

3993. श्री वैजयंत पांडा :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में स्थापित तथा पंचायतों एवं जिला स्तरों सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक पुस्तकालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में दी गई और उपयोग में लायी गयी केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सार्वजनिक पुस्तकालयों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) विदेश में स्थापित/खोले गए पुस्तकालयों/सांस्कृतिक केन्द्रों की संख्या कितनी है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) संस्कृति मंत्रालय 6 पुस्तकालयों नामतः राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथालय, नई दिल्ली का प्रशासनिक पर्यवेक्षण करता है। संस्कृति मंत्रालय के पास कोई भी नया पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु वार्षिक योजना आबंटन और निधियों के उपयोग संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) 12वीं योजना अवधि के दौरान "राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) — जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले पुस्तकालयों का स्तरोन्नयन" स्कीम का 400 करोड़ रुपए के बजट आबंटन के साथ शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य एक भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय की स्थापना करना, मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना करना, पुस्तकालयों का मात्रात्मक/गुणात्मक सर्वेक्षण करना और क्षमता निर्माण करना है।

(ङ) संस्कृति मंत्रालय विदेश में कोई भी पुस्तकालय संचालित नहीं करता है। विदेशी मंत्रालय विदेशों में 37 सांस्कृतिक केन्द्र और 2 उप-केन्द्र संचालित करता है।

विवरण

सार्वजनिक पुस्तकालयों के अंतर्गत योजना आबंटन और उपयोग

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष/वर्ष वित्तीय	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
सार्वजनिक पुस्तकालय	75.85	65.73	64.9	64.53	74.15	71.25	121.96	63.92

[हिन्दी]

यातायात प्रबंधन

3994. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने घातक सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जनवरी, 2006 में यातायात प्रबंधन का समग्र ब्यौरा प्रस्तुत करने और सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु की संख्या बतलाने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने, सड़कों में सुधार लाने, असुरक्षित वाहनों को हटाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए आवश्यक अनुसंधान करने जैसे वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाने का सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के ऐसे किसी आदेश और भारत के उच्चतम न्यायालय के सुझावों की जानकारी नहीं है।

तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है। जो सड़क सुरक्षा शिक्षा सिद्धांतों, विनियम, प्रवर्तन और अभियांत्रिकी समाधानों पर आधारित हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। यातायात प्रबंधन योजना के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने तथा उसे सहज बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण-I

(क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

वर्ष 2005 में श्री एस. सुंदर, पूर्व सचिव, सड़क परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, ताकि सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन पर विचार-विमर्श और उक्त विषय पर एक प्रतिबद्ध निकाय के सृजन हेतु सिफारिशें की जा सकें। तत्पश्चात् समिति से सरकार के विचारार्थ एक मसौदा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने का भी अनुरोध किया गया था। समिति ने फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की सिफारिश भी की।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.03.2010 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अपनाने के संबंध में मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। राष्ट्रीय सड़क नीति में देश में सड़क सुरक्षा गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए सभी स्तरों पर सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली/की जाने वाली नीतिगत पहलों का उल्लेख किया गया है। मोटे तौर पर इसका लक्ष्य निम्नलिखित है:—

- सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना।
- एक सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित करना।
- सुरक्षित सड़कों की डिजाइन, परिष्कृत यातायात प्रणाली आदि के प्रयोग को बढ़ावा देकर सुरक्षित अवसंरचना सुनिश्चित करना।
- वाहन के डिजाइन, निर्माण, प्रयोग संचालन और अनुरक्षण के स्तर पर सुरक्षा विशेषताएं स्थापित करना।
- ड्राइवरों को लाइसेंस प्रदान करने तथा ड्राइवरों की दक्षता को बेहतर बनाने संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- संवेदनशील सड़क प्रयोगताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना।
- सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन के लिए उचित उपाय करना।
- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन के लिए उचित उपाय करना।
- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- सड़क सुरक्षा के संबंध में मानव संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- देश में सड़क सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने के लिए समर्थकारी कानूनी, संस्थागत और वित्तीय वातावरण को सुदृढ़ करना।

(ख) सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सड़क सुरक्षा एक बहु-विषयक और बहु-आयामी मुद्दा है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोगत्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार है:—

(i) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क नीति अनुमोदित की है। इस नीति में जागरुकता को बढ़ावा देने, सड़क सुरक्षा डाटाबेस स्थापित करने, परिष्कृत यातायात के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित

सड़क अवसंरचना प्रोत्साहित करने, सुरक्षा संबंधी कानूनों आदि के प्रवर्तन आदि सहित विभिन्न नीतिगत उपायों का उल्लेख किया गया है।

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की स्थापना की है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने का अनुरोध किया है।

(iii) मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में चार "ई" अर्थात् (i) शिक्षा (ii) प्रवर्तन (iii) इंजीनियरी (सड़कें और वाहन) और (iv) आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे के निराकरण हेतु एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है।

(iv) सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क की डिजाइन का विशेष भाग बनाया गया है।

(v) राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस-वे के चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जांच।

(vi) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

(vii) हेलमेट, सीट-बेल्ट, पावर स्टेयरिंग, रीयर व्यू मिरर जैसे वाहनों के सुरक्षा मानकों को चुस्त-दुरुस्त करना।

(viii) विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया में व्यापक जन जागरुकता अभियान चलाया गया था। प्रचार सामग्री जैसी कैलेन्डर, पोस्टर, सड़क संबंधी संकेतों के बारे में पुस्तक, बच्चों के क्रियाकलाप संबंधी पुस्तक और माउस पैड आदि भी व्यापक वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान किए गए थे।

(ग) **नशे की हालत में ड्राइविंग के विरुद्ध कार्रवाई :** 'नशे की हालत में' ड्राइविंग से होने वाली सड़क घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 में नशे की हालत में ड्राइविंग के अपराध संबंधी मामलों के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों (परिवहन) से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शराब विक्रेताओं (वेंडरों) को लाइसेंस जारी नहीं किया जाए। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शराब विक्रेताओं के लिए लाइसेंस पहले ही जारी किए गए हैं ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(iii) मंत्रालय नशे की हालत में ड्राइविंग के खतरे के बारे में जागरुकता का प्रसार करने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाता है।

(iv) नशे की हालत में ड्राइविंग सहित यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिए मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को ब्रेथ एनॅलाइजर सहित चौबीस इंटरसेप्टर प्रदान किए गए हैं।

विवरण-II

यातायात प्रबंधन योजना

यातायात प्रबंधन योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:—

- **विनियमन** — यातायात विनियमन में आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए यातायात मार्गों पर यातायात के प्रवाह में सुधार लाने तथा यात्रा में लगने वाले समय को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यातायात पुलिस यातायात प्रवाह, भीड़-भाड़/तंग स्थानों का अध्ययन करती रहती है तथा विनियमन के तरीके में सुधार करने के लिए संभावित उपाय सुनिश्चित करती है।
- **सड़क सुरक्षा शिक्षा** — इसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में चालकों, मोटर चालकों, पैदल यात्रियों, स्कूल के बच्चों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है।
- **इंजीनियरिंग समाधान संबंधी उपाय—**
  - ✓ कम लागत वाले यातायात प्रबंधन उपाय
  - ✓ अधिक लागत वाले यातायात प्रबंधन उपाय
    - बेहतर यातायात प्रणाली
    - ई-इनफोर्समेंट
    - आधुनिक प्रवर्तन उपकरणों-राडार गति माप उपकरणों, अवरोधकों, ब्रीद एनलाइजर्स का अधिग्रहण
- **प्रवर्तन संबंधी रणनीतियां** — यातायात पुलिस का जोर गहन गुणवत्ता वाले प्रवर्तन पर है जिसका सीधा संबंध सड़क अनुशासन और सुरक्षा से हो।

कृषि उपस्कर

3995. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निधि के आवंटन में कटौती की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के तहत निधियों में कमी के कारण कृषि कार्यान्वयन और उपस्करों के लिए अनुदानों को रोक दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उपकरणों और कृषि संबंधी सूचना प्रकाशन की गैर-मौजूदगी ने सबसे निचले स्तर पर कृषकों और कृषि क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आरकेवीवाई के तहत आवंटित और उपयोग में लायी गयी निधि का राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधियों (बजट आकलन) का कुल आवंटन उत्तरोत्तर बढ़ा है। उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार आवंटित, निर्मुक्त एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इस अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या एवं लागत को भी उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है। वर्ष-वार अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन, निर्मुक्ति और उपयोग

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
		आवंटन	निर्मुक्ति	उपयोगिता*	आवंटन	निर्मुक्ति	उपयोगिता*	आवंटन	निर्मुक्ति	उपयोगिता*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	393.45	432.29	432.29	727.74	734.20	734.20	601.98	577.79	571.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.08	28.95	28.95	8.26	10.68	10.68	40.31	24.94	24.94
3.	असम	256.87	216.87	216.87	227.77	227.77	227.77	399.57	399.57	399.57
4.	बिहार	380.94	415.10	415.10	506.82	506.82	506.82	724.01	700.20	585.56
5.	छत्तीसगढ़	461.00	503.42	503.42	230.57	212.61	209.69	581.12	571.22	568.92
6.	गोवा	11.31	7.07	7.07	49.55	24.78	23.07	62.43	35.27	0.00
7.	गुजरात	353.45	388.63	388.63	515.48	515.48	515.48	586.87	610.87	594.72
8.	हरियाणा	204.74	226.80	226.80	168.92	176.87	167.38	199.49	179.88	164.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	94.85	94.85	94.85	99.93	99.93	99.93	73.48	59.27	57.65
10.	जम्मू और कश्मीर	162.16	96.42	96.41	103.03	63.03	59.28	112.08	103.22	99.97
11.	झारखंड	160.96	96.90	96.90	168.56	174.56	174.56	241.55	219.38	211.78
12.	कर्नाटक	284.03	284.03	284.03	595.90	595.90	595.90	586.52	549.15	549.15
13.	केरल	192.35	149.65	149.65	173.93	182.89	182.45	282.26	253.03	252.69
14.	मध्य प्रदेश	589.09	559.18	559.18	398.37	398.37	398.37	448.13	448.13	405.13
15.	महाराष्ट्र	653.00	653.00	653.00	727.67	735.44	735.44	1025.81	1050.81	1017.18
16.	मणिपुर	24.81	15.50	15.50	22.25	22.25	22.25	52.94	47.97	38.15
17.	मेघालय	46.12	46.12	46.12	14.66	20.44	20.44	105.34	22.68	22.68
18.	मिज़ोरम	7.49	3.75	3.75	34.61	36.63	36.63	200.91	184.73	184.73
19.	नागालैंड	13.24	13.25	13.25	37.54	37.54	37.54	85.75	85.75	85.75
20.	ओडिशा	274.40	274.40	274.40	356.96	356.96	353.37	503.10	468.28	443.53
21.	पंजाब	179.12	179.12	179.12	138.87	145.87	145.87	146.93	86.83	76.43
22.	राजस्थान	572.47	628.01	628.01	685.04	692.08	692.08	363.09	348.18	348.18
23.	सिक्किम	6.56	6.56	6.56	20.08	24.64	24.64	29.47	15.21	15.21
24.	तमिलनाडु	225.71	250.03	250.03	333.06	333.06	321.95	659.68	613.27	613.27
25.	त्रिपुरा	116.86	116.48	116.48	17.99	25.63	25.63	56.43	56.43	56.43
26.	उत्तर प्रदेश	635.92	695.36	695.36	757.26	762.83	762.83	432.26	294.52	294.52
27.	उत्तराखंड	2.61	1.31	1.31	131.77	128.84	48.73	44.36	8.21	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	476.15	335.98	335.98	476.65	486.65	486.65	464.81	374.58	374.58
	कुल	6818.74 **	6719.03	6719.02	7729.24	7732.75	7619.63	9110.68	8389.37	8056.95

(*10.02.2014 तक राज्यों द्वारा सूचित के अनुसार।

**इसमें लागत हेतु पूरे भारत में हरित क्रांति के लिए 35 करोड़ रुपए का आवंटन, जम्मू और कश्मीर हेतु केसर मिशन के लिए 39.44 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के संबंध में 82.26 करोड़ रुपए का वर्द्धित आवंटन जिसकी पूर्ति आरकेवीवाई के तहत 6755 करोड़ रुपए के सम्पूर्ण आवंटन से की गई बचत से की जाएगी।)

विवरण-II

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और उनकी लागत का वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
परियोजनाओं की संख्या	60	90	103
परियोजनाओं की लागत (रुपए करोड़ में)	772.52	784.21	1286.27

(*वेब आधारित आरकेवीवाई की आरडीएमआईएस के माध्यम से राज्यों द्वारा सूचित के अनुसार)

[अनुवाद]

भारत और विदेश में संस्कृति को बढ़ावा

3996. श्री अजय कुमार : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश और विदेश में झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का झारखंड को देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के भाग के रूप में शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसीज) की स्थापना की है, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं। जेडसीसीज के मुख्य उद्देश्य झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। झारखंड राज्य, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी), कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत उत्सवों के अलावा, विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करने और इनमें भाग लेने के लिए कलाकारों के विश्वभर के दौरों को प्रायोजित करने के माध्यम से लोक और अन्य कलाकारों को प्रोत्साहित करता रहा है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्यन बंदरगाहों का विकास

3997. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मत्स्यन बंदरगाहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में नए मत्स्यन बंदरगाहों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित/जारी की गई/उपयोग में लायी गयी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त पूर्ण कर लिए गए तथा प्रारंभ किए गए मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) "समुद्री मास्त्यिकी विकास, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट परिचालनों" से संबंधित पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, तटवर्ती राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों, पत्तन न्यासों, मछुआरा सहकारी समितियों, संगठनों, संघों और अन्यों को नये मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केंद्रों तथा आधुनिकीकरण और मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्माण किये जा रहे मत्स्यन बंदरगाहों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत नये मत्स्यन बंदरगाहों और मौजूदा मछली उतारने वाले केंद्रों सहित वर्तमान के आधुनिकीकरण

के लिए जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में कार्यरत मत्स्यन बंदरगाहों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अधिकृत और कार्यरत मत्स्यन बंदरगाह
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
		काकीनाडा
		निजामपट्टनम
		मचीलीपट्टनम
2.	गुजरात	वेरावल
		मंगरोल चरण-I
		मंगरोल चरण-II
		पोरबंदर
		जखाऊ
3.	केरल	कोचीन
		विजिनयम चरण-I
		विजिनयम चरण-II
		पुथीआप्पा
		मुनाम्बम
		नीनडकरा
		चोम्बल-I
		मोपला बे
		थेंगासेरी
		बेपोर
4.	कर्नाटक	कारवर चरण-I
		होन्नावर
		टडरी
		मंगलोर चरण-I
		मालपे चरण-I
		मालपे चरण-II
5.	महाराष्ट्र	सासून डॉक
		न्यू फेरी व्हाफ (भऊचा ढाका)
		मरकरवाडा (रत्नागिरी)
		अगराओ
6.	ओडिशा	पारादीप
		गोपालपुर
		धर्मा चरण-I और II
		नौगढ़ (एस्ट्रंग)
7.	तमिलनाडु	चेन्नई
		तुतीकोरिन
		मल्लीपट्टनम
		पझायर
		चिन्नामुट्टम
8.	पश्चिम बंगाल	फ्ररेजरगंज
		दीघा चरण-I
		दीघा चरण-II
		सुल्तानपुर (डायमंड हार्बर)
9.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	फोनिक्स बे

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन केन्द्रीय वित्तीय सहायता के निर्माणाधीन मत्स्यन बन्दरगाहों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने के केंद्र के नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदन तिथि	अनुमोदित परियोजना लागत	जनवरी, 2014 तक जारी की गई केन्द्रीय अनुदान
1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
1.	मंगलोर मत्स्यन बंदरगाह चरण-III	सितम्बर-10	5760.00	500.00
2.	मालपे मत्स्यन बंदरगाह चरण-III	सितम्बर-10	3715.00	592.50
3.	होनावर चरण-II	सितम्बर-11	4744.00	400.00
4.	अमादली मत्स्यन बंदरगाह (आधुनिकीकरण)	मार्च-13	1874.00	100.00
	ओडिशा			
1.	धम्रा मत्स्यन बंदरगाह (आधुनिकीकरण)	दिसंबर-09	1310.00	550.00
	महाराष्ट्र			
1.	करंजा मत्स्यन बंदरगाह	मार्च-11	6802.00	1400.00
2.	अमाला मत्स्यन बंदरगाह	मार्च-11	6156.00	300.00
3.	मिरकारवाड़ा (रत्नागिरी)	सितम्बर-13	7180.88	0.00
	गुजरात			
1.	मंगलोर मत्स्यन बंदरगाह (आधुनिकीकरण)	मार्च-08	614.52	25.00
	केरल			
1.	मुथालापोजी मत्स्यन बंदरगाह	मार्च-00	1366.00	683.00
2.	पोनानी मत्स्यन बंदरगाह	सितम्बर-01	2759.40	1379.70
3.	बोईलन्दी मत्स्यन बंदरगाह	दिसंबर-05	3545.00	1772.50
4.	थलाई मत्स्यन बंदरगाह	फरवरी-07	1925.74	850.00
5.	चेरूवथुर मत्स्यन बंदरगाह	मार्च-10	2906.00	1300.00
6.	चेटुका मत्स्यन बंदरगाह	मार्च-10	3024.00	1500.00
7.	थनुर (मत्स्यन बंदरगाह)	नवम्बर-12	4487.00	300.00

1	2	3	4	5
8.	वेल्लाईल (मत्स्यन बंदरगाह)	नवम्बर-12	3930.20	300.00
9.	अरथुंगल (मत्स्यन बंदरगाह)	नवम्बर-12	4939.00	300.00
10.	मुनक्काकाडवाऊ (मछली उतारने का केंद्र)	नवम्बर-12	231.00	73.25
11.	मंजेश्वरम (मत्स्यन बंदरगाह)	मार्च-13	4880.00	100.00
	पश्चिम बंगाल			
1.	पेथुघाट बड़ा मत्स्यन बंदरगाह	फरवरी-10	6092.65	4202.04
	तमिलनाडु			
1.	कोलाचेल मत्स्यन बंदरगाह	अप्रैल-13	8775.00	956.14
2.	थेंगापट्टीनम मत्स्यन बंदरगाह	अप्रैल-13	9740.00	2500.00
3.	पूम्पुहर (मत्स्यन बंदरगाह)	मार्च-13	7850.00	500.00
4.	चिन्नामुट्टम (मत्स्यन बंदरगाह)	मार्च-13	7352.00	100.00
	पुदुचेरी			
1.	करायकल	अगस्त-05	3406.50	3406.50
2.	माहे	सितम्बर-10	7162.00	2000.00
3.	यनम मत्स्यन बंदरगाह	फरवरी-10	1885.00	800.00
	कोचीन पत्तन न्यास			
1.	कोचीन मत्स्यन बंदरगाह का आधुनिकीकरण	दिसंबर-09	980.20	833.71

विवरण-III

समुद्री मास्त्यिकी अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट परिचालन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों/ मछली उतारने के केंद्रों के आधुनिकीकरण सहित मत्स्यन बंदरगाहों/मछली उतारने के केंद्रों के निर्माण के लिए जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	वित्तीय वर्ष							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (जनवरी, 2014 तक)	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	पश्चिम बंगाल	912.73	912.73	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	ओडिशा	35.21	35.21	400.00	400.00	55.49	55.49	शून्य	शून्य
3.	तमिलनाडु	1600.00	1600.00	1565.00	1565.00	600.00	600.00	1700.865	शून्य
4.	पुदुचेरी	400.00	400.00	900.00	900.00	900.00	400.00	शून्य	शून्य
5.	केरल	1310.78	1310.78	590.43	505.08	2099.75	1000.00	1300.28	शून्य
6.	कर्नाटक	825.00	825.00	842.50	842.50	600.00	500.00	शून्य	शून्य
7.	गोवा	45.00	45.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	महाराष्ट्र	700.00	700.00	शून्य	शून्य	1000.00	0.00	शून्य	शून्य
9.	गुजरात	500.00	500.00	1187.40	1187.40	97.62	97.62	शून्य	शून्य
10.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कोचीन पत्तन न्यास	शून्य	शून्य	505.00	505.00	23.00	23.00	109.46	शून्य

कैंसर के इलाज की दवाइयों का विनिर्माण

3998. श्री चार्ल्स डिएस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोगियों को दिए जा रहे कैंसर इलाज की सामान्य दवाएं क्या हैं;

(ख) क्या कैंसर की दवाएं देश में निर्मित/उत्पादित होती हैं;

(ग) यदि हां, तो उत्पादित दवाओं की श्रेणी क्या है और वे कौन-से राज्य हैं जहां ये दवाएं निर्मित/उत्पादित होती हैं;

(घ) क्या ऐसी कैंसर दवा देश में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित/निर्मित की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का देश में कैंसर के इलाज की दवा की कीमत को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) भारत की राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2011 में 31 आम कैंसर औषधियों की सूची का उल्लेख है। इन औषधियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) जी, हां, देश में कैंसर औषधियों का विनिर्माण किया जाता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा औषधियों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। औषध विभाग के अधीन कोई भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कैंसर औषधियों का विनिर्माण नहीं कर रहा है।

(च) औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) में विनिर्दिष्ट खुराक और क्षमता वाली 31 आम कैंसर औषधियों सहित सभी दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2011 में उल्लिखित
31 कैंसर औषधियों की सूची

1. एक्टिनोमाइसिन डी
2. अल्फा इंटरफेरोन
3. ब्लिओमाइसिन

4. बूसल्फान
5. सिसप्लेटिन
6. साइक्लोफॉस्फेमाइड
7. साइटोसिन आरबिनोसाइड
8. डानाजोल
9. डोक्सोरूबीसिन
10. इटोपोसाइड
11. फ्लूटामाइड
12. 5-फ्लूओरोरासिल
13. फोलिनिक एसिड
14. जेमसिटाबाइन हाइड्रोक्लोराइड
15. एल-एस्पारागिनेस
16. मेल्फालान
17. मेरकेप्टोप्यूरिन
18. मेथोट्रेक्सेट
19. मिटोमाइसिन-सी
20. पेक्लिटाक्सेल
21. प्रोकार्बाजाइन
22. विनब्लास्टाइन सल्फेट
23. विनक्रिस्टाइन
24. कार्बोप्लेटिन
25. डाकार्बाजाइन
26. डाउनोरूबिसिन
27. इफोस्फामाइड
28. मेसना
29. ओक्सालिप्लेटिन
30. इमाटिनिब
31. क्लोरमबूसिल

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0¼ बजे

इस समय श्री बापीराजू श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती जे. हेलन डेविडसन, डॉ. रामचन्द्र डोम, श्री थोल तिरुमावलावन श्री पी. विश्वनाथन और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : पत्र सभा पटल पर रखे जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) लेखा वर्ष 2012-2013 की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न

रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे।

(चार) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10817/15/14]

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 3577(अ) जो 3 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2012(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 162(अ) जो 22 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के लिए, उसमें उल्लिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10818/15/14]

(3) (एक) इंडियन फॉर्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फॉर्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10819/15/14]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10820/15/14]

...*(व्यवधान)*

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10821/15/14]

(2) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10822/15/14]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10823/15/14]

(4) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10824/15/14]

(5) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10825/15/14]

(6) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10826/15/14]

(7) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10827/15/14]

(9) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10828/15/14]

(11) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10829/15/14]

(12) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10830/15/14]

(13) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10831/15/14]

(14) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10832/15/14]

(15) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10833/15/14]

...(व्यवधान)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10834/15/14]

(2) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10835/15/14]

...(व्यवधान)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10836/15/14]

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2013 जो 10 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 770(अ) प्रकाशित हुआ था।

(2) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013 जो 6 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि 598(अ) प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10837/15/14]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10838/15/14]

(3) सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 की धारा 15क (4) के अंतर्गत के वर्ष 2012 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10839/15/14]

(5) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में वर्ष 2008 का प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में वर्ष 2008 के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10840/15/14]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2013 का संख्यांक 30)- सेना और आयुध कारखानों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10841/15/14]

...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10842/15/14]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10843/15/14]

(4) (एक) सैंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10844/15/14]

(6) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10845/15/14]

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10846/15/14]

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 7 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (प्रोग्रामर और असिस्टेंट प्रोग्रामर) समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 जो 26 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 660(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10847/15/14]

(2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) उच्च गुणवत्ता कूटकृत भारतीय करेंसी अपराध का अन्वेषण नियम, 2013 जो 27 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उच्च गुणवत्ता कूटकृत भारतीय करेंसी अपराध का अन्वेषण (संशोधन) नियम, 2013 जो 18 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10848/15/14]

...*(व्यवधान)*

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : डॉ. चरण दास महंत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10849/15/14]

(3) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10850/15/14]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर रंजन चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10854/15/14]

(ख) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10855/15/14]

(ग) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10856/15/14]

(घ) (एक) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10857/15/14]

(ङ) (एक) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10858/15/14]

(च) (एक) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10859/15/14]

(छ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10860/15/14]

(ज) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10861/15/14]

(3) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10862/15/14]

...(*व्यवधान*)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10863/15/14]

...(*व्यवधान*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : मैं, श्री जेसुदासु सीलम की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2013 का संख्यांक 28)- शास्ति और अभियोजन का प्रशासन, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10864/15/14]

(2) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 29)- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की दसवीं पंचवर्षीय योजना की नेटवर्क परियोजनाओं की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10865/15/14]

(3) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार रक्षा सेवाएं (नौसेना) (2013 का संख्यांक 31)- भारतीय नौसेना पोतों के रिफिट्स की योजना और प्रबंधन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(4) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 32) (स्वायत्तशासी निकाय)-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10867/15/14]

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 बजे

वित्तीय समितियां (2012-13)-एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : "वित्तीय समितियां (2012-13)-एक समीक्षा" के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10868/15/14]

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04¼ बजे

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 128वीं और 129वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 128वीं और 129वीं सभा के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10869/15/14]

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04½ बजे

प्राक्कलन समिति

(एक) 35वां और 36वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज़्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : मैं प्राक्कलन समिति (2013-14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'पर्यटन का विकास' विषय के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम' विषय के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

(दो) कार्यवाही-सारांश

श्री फ्रांसिस्को कोज़्मी सारदीना : मैं प्राक्कलन समिति की बैठकों के निम्नलिखित कार्यवाही-सारांश और कार्यवाही सारांश के उद्धरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्राक्कलन समिति (2013-14) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

(2) प्राक्कलन समिति (2013-14) की 5वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण।

(3) प्राक्कलन समिति (2013-14) की 18वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण।

(4) प्राक्कलन समिति (2013-14) की 23वीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

32वां और 33वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन संख्या 3 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 17.2 पर आधारित एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा स्वर्ण आभूषण के निर्यात संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

(दो) कार्यवाही-सारांश

श्री जगदम्बिका पाल : मैं पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान आयोजित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के निम्नलिखित प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2009-2010) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

(2) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।

(4) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

(5) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-2011) की 15वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

(6) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2011-2012) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

(7) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2011-2012) की 5वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

(8) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2011-2012) की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

(9) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

(10) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।

(11) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की 9वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

(12) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) की 25वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

(13) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2013-2014) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.05½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) 35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव) : मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

...(*व्यवधान*)

(दो) कार्यवाही-विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर : मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित "केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिया के लिए आरक्षण और नियोजन" के बारे में 24वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिया के कल्याण संबंधी समिति के 5वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.06 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

(एक) 58वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली-एक मूल्यांकन" विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति का 58वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

की गई कार्यवाही-विवरण

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राज बब्बर (फिरोजाबाद) : मैं "सशस्त्र बलों के लिए खतरे का आकलन और उससे निपटने की तैयारी जिसमें सीमाओं पर अतिक्रमण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय तंत्र और सड़क, वायुमार्ग और रेल के माध्यम से सीमा संपर्क" विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.07 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वर्ष 2012-13 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 13वीं प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 18वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) वर्ष 2013-14 के लिए विदेशी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें

प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 22वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07¼ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुमबुदूर) : रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं और यात्री सुरक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(2) 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र में परियोजनाओं पर विशेष बल देने के साथ वर्तमान और लंबित रेल परियोजनाएं' विषय पर 25वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'भूमि अभिलेखों का कंप्यूटीकरण' के बारे में 43वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

52वां और 53वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और परिवहन" विषय पर 52वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "लौह अयस्क के निर्यात की नीति की समीक्षा" संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08¼ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

44वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हेमानन्द बिस्वाल (सुन्दरगढ़) : मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित "जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों का कार्यकरण" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08¾ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

114वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : मैं 'भारत व्यापार संवर्धन संगठन के क्रियाकलाप और कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी

समिति का 114वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.09 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीज़)*

[अनुवाद]

लोक सभा में कार्य प्रक्रिया तथा संचालन नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 और दिनांक 01 सितंबर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन-भाग II द्वारा जारी निर्देश 73ए के अनुसरण में, मैं परिवहन पर्यटन और संस्कृति पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन 193वें में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

समिति ने 2 मई, 2013 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। 193वां प्रतिवेदन दिनांक 03.05.2013 को राज्य सभा में पेश किया गया था और दिनांक 03.05.2013 को इसे लोक सभा के पटल पर रखा गया।

मैं 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति बताने वाला एक विवररण सभा पटल पर रख रहा हूं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.10 बजे

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों का कल्याण—एक मामला-परक अध्ययन के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं, यह वक्तव्य दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-दो के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-ए के अनुसरण में श्रम से संबंधित स्थायी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सभापटल पर रख रहा हूं।

उपर्युक्त सैतीसवां प्रतिवेदन 6 मई, 2013 को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया था। यह प्रतिवेदन इस्पात मंत्रालय के राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों का कल्याण-मामला अध्ययन से संबंधित है।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने मंत्रालय के उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में बिंदुओं को दर्शाते हुए कुल पंद्रह सिफारिशें की है जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्यवाही का विवरण श्रम से संबंधित स्थायी समिति को 13 अगस्त, 2013 और 18 दिसंबर, 2013 को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जो एतद्द्वारा लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत है। मैं इस अनुलग्नक की संपूर्ण विषय-वस्तु का वाचन करके सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि इसे सभा में पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.10¼ बजे

(तीन) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दिशा-निर्देशों के अनुसार खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

अनुदानों की मांगों (2013-14) पर कोयला और इस्पात से संबद्ध स्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन लोकसभा में 02 मई, 2013 को प्रस्तुत

---

*सभा पटल पर रखा गया और मंत्रालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 10870/15/14

**सभा पटल पर रखा गया और मंत्रालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 10871/15/14

*सभा पटल पर रखी गयी और ग्रंथालय में भी रखी गयी। *देखिए* संख्या एलटी 10872/15/14

किया गया। टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के विवरण समिति कार्यालय को 02 अगस्त, 2013 को भेज दिए गए हैं।

समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-1 में दी गई है जो सभा पटल पर प्रस्तुत है। मैं इस अनुबंध में दी गई विषयवस्तु को पढ़ने में सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना लिया जाए।

अपराह्न 12.10½ बजे

(चार) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : महोदया, मैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नियम 73क के अनुसरण में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

2. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की और 26 अप्रैल, 2013 को अपना 20वां प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखा। प्रतिवेदन में 29 सिफारिशें शामिल थीं जिस पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन 24 जुलाई, 2013 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. माननीय अध्यक्ष महोदया के उपरोक्त निदेशानुसार, अब मैं समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट सभा पटल पर रख रही हूं। समिति की सिफारिशों की मूल भावनाओं का अध्ययन कर लिया गया है और इन सिफारिशों की जांच-पड़ताल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

4. मैं इस वक्तव्य को पूरा पढ़ने में सदन का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहूंगी और अनुरोध करती हूं कि इसे पठित मान लिया जाए।

...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 10873/15/14

अपराह्न 12.10¾ बजे

(पांच) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : महोदया, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, अपने सहयोगी, डॉ. चरण दास महंत की ओर से, कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2013 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन 'अनुदानों की मांगें (2013-14)' विषय से संबंधित है।

उक्त 49वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा 24 सिफारिशें/टिप्पणियां की गईं जिन पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जानी थी। ये सिफारिशें मुख्यत: मेगा फूड पार्क सहित अवसंरचना विकास संबंधी योजना, शीत श्रृंखला, मूल्य वृद्धि और परिरक्षण अवसंरचना और बूचड़खानों संबंधी योजना; खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी योजना; खोमचेवालों के खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता उन्नयन संबंधी योजना; गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप संबंधी योजना; राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफटेम) और भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) सहित संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी योजना तथा नई योजनाओं से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई और समिति को सूचित की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गई है और उसे सभापटल पर रख दिया गया है। मैं अनुबंध में दी गई समस्त विषय वस्तु को पढ़ने में सभा का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पठित मान लिया जाये।

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य-मंत्रणा-समिति

55वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदया, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 10874/15/14

"कि यह सभा 17 फरवरी 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा-समिति के 55वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि क्रम संख्या 1, 2 और 3 की मदों, जिनका इस सभा द्वारा पहले ही निपटान कर दिया गया है, के बारे में सिफारिश का लोप किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 फरवरी 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा-समिति के 55वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि क्रम संख्या 1, 2 और 3 की मदों, जिनका इस सभा द्वारा पहले ही निपटान कर दिया गया है, के बारे में सिफारिश का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय सदस्य तत्काल सामान्य प्रचलन के अनुसार स्वयं सभा पटल पर पर्ची रख दें।

(एक) आंग्ल-भारतीय समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किए जाने तथा इस समुदाय का एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में नाम-निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : आंग्ल भारतीय भारत के आधुनिकीकरण में अग्रणी रहे थे। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के पूर्व क्षेत्रों रेल पटरी बिछाने के कार्य का पर्यवेक्षण करने, टेलीग्राफ खंभों को लगाने तथा दूर-दराज क्षेत्रों में आवास कॉलोनियों की स्थापना हेतु अनजाने क्षेत्रों, जोखिम भरी पहाड़ियों, मलेरिया ग्रसित क्षेत्रों तथा खतरनाक जंगलों में सर्वेक्षण में खतरों का सामना किया। आंग्ल भारतीय महिलाएं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों तथा नर्सिंग के पेशे की रीढ़ रही है। इस समुदाय ने भारतीय खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि अधिकांश आंग्ल भारतीय ईसाई है तथापि उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा के साथ अपनी एक विशेष संस्कृति को बनाए रखा है। आज देश में अधिकांश आंग्ल भारतीय घोर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके बहुत से युवा बेरोजगार हैं। यद्यपि उन्हें संविधान में सुरक्षा मिली हुई है तथापि समुदाय तब तक अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता जब तक राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अलग अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता है। समुदाय के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास हेतु संविधान के सुरक्षा-उपाय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे निकायों में उनके प्रतिनिधित्व के बिना वे अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए नहीं रख सकते हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि 23 अक्तूबर, 1993 की राजपत्र की अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन कर आंग्ल भारतीय समुदाय को एक अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करें तथा इसके पश्चात् समुदाय के एक प्रतिनिधि को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय में नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(दो) आंध्र-प्रदेश के जिला करीमनगर में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीम नगर) : मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले के कमलापुर गांव तथा मंडल में एलपीजी बाटलिंग संयंत्र की इकाई की स्वीकृति प्रक्रिया को गति देने की अति-आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा उनके अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या पी-25011/39/2012-मार्केट दिनांक 14 मार्च, 2013 ईडी (एलपीजी) एचपीसीएल द्वारा सूचित किया गया है कि कमलापुर में बाटलिंग संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित प्राधिकारियों ने संभाव्यता रिपोर्ट भी दे दी है जोकि पूरे उत्तरी तेलंगाना के लिए उपयोगी होगा। मैंने बाटलिंग संयंत्र के स्थल तक आवश्यक पाइपलाइन विशेषकर गैस की आपूर्ति के लिए गेल के प्रबंध निदेशक के समक्ष मामले को उठा रहा हूं। इसके उपरांत गेल के निदेशक ने अपने पत्र संख्या गेल/एनडी/बीडी/12 दिनांक 07 सितंबर, 2012 के माध्यम से एचपीसीएल के साथ आवश्यक कार्यवाई करने का आश्वासन दिया है। संपर्क करने के बाद ईडी एलपीजी, एचपीसी ने अपने पत्र सं. एलपीजी/वाईकेजी दिनांक 29 जनवरी, 2014 में उल्लेख किया कि गेल के प्राधिकारियों ने आश्वासन देने के पश्चात् एचपीसीएल से कभी भी संपर्क नहीं किया है तथा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे एलपीजी बाटलिंग संयंत्र की स्थापना में अत्यधिक विलंब हो रहा है।

इस संबंध में मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा चुनाव आचार संहिता के प्रभावी होने से पूर्व परियोजना शुरू करना सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल और गेल के संबंधित अधिकारियों से अतिशीघ्र एक बैठक करें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने तथा जिले के प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.जी. चित्तन (डिंडीगुल) : तमिलनाडु का डिंडीगुल जिला लगातार दूसरी बार सूखे से प्रभावित हुआ है। सभी खड़ी फसलें मुरझा गई हैं। वर्षा न होने के कारण भूजल में बहुत गिरावट आई। 600 से 900 फुट के नलकूप में भी पानी नहीं होता है। डिंडीगुल जिला नारियल और वे आम के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत से पेड़ समुचित सिंचाई और वर्षा के अभाव में मुरझा रहे हैं। नारियल के पेड़ पर बहुत कम कोपरा लगे हैं एवं किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह डिंडीगुल जिले को सूखा प्रभावित जिला घोषित करें तथा किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अलावा कोपरा के न्यूनतम मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि किसानों को लाभ मिले।

(चार) आंध्र-प्रदेश में यदगिरिगुट्टा से इटुरुनागारम तथा चार लेन वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) : मैं सरकार का ध्यान एनएच-202 पर यदगिरिगुट्टा से येतुरुनागरम तक सड़क को चार लेन का बनाए जाने की अति आवश्यकता पर दिलाना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का वारंगल जिला राज्य का चौथा बड़ा नगर है एवं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। इसके अलावा, वारंगल ऐतिहासिक स्थान है एवं यह काकतिया वंश का मुख्यालय था। यहां मंदिर, झील, किले तथा वन्यजीव अभयारण्य जैसे बहुत से पर्यटन स्थल हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत से शिक्षा संस्थान है जो न केवल पूरे देश के बल्कि विदेश के छात्रों को भी शिक्षा दे रहा है। वारंगल नगर मध्य में स्थित है तथा यह राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित है। यहां पर काजीपेट रेलवे जंक्शन स्थित है जोकि कश्मीर-कन्याकुमारी की मुख्य लाईन पर स्थित है। अभी हाल ही में, इटुरुनागारम में गोदावरी पर एक पुल स्वीकृत किया गया जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए है और यह निर्माणाधीन है। यह छत्तीसगढ़ राज्य को भी जोड़ेगा। हैदराबाद से यदगिरिगुट्टा तक एक चार लेन की सड़क पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी है। बाकी का हिस्सा यदगिरिगुट्टा से इटुरुनागारम तक जाता है, जो कि देश के उत्तर और दक्षिणातम भागों को जोड़ेगा। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वारंगल जिला वामपंथी उग्रवाद की चपेट में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से आग्रह करता हूं कि यदगिरिगुट्टा से इटुरुनागारम तक चार लेन वाली सड़क की स्वीकृति पर विचार किया जाए।

(पांच) ग्रामीण डाक सेवकों तथा सर्व-शिक्षा अभियान और भारत संचार निगम लिमिटेड में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान ग्रामीण डाक सेवकों, सर्व शिक्षा अभियान तथा बीएसएनएल में कार्यरत श्रमिकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा विशेषकर पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के दुर्गम गांवों में डाक पहुंचाई जाती है, परंतु अन्य डाक कर्मियों की तुलना में इनका वेतन काफी कम है तथा अन्य भत्तों से भी इनको वंचित रखा गया है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान तथा बीएसएनएल में संविदा पर कार्यरत श्रमिकों का वेतन भी काफी कम है जबकि केन्द्र सरकार का न्यूनतम वेतन मानदेय अधिक है। ठेकेदारों द्वारा इन्हें रखने पर इनकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा उनके द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसे में पूर्ण कार्य करने के उपरांत भी उन्हें उनका पूरा मेहनताना नहीं मिल पाता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह ग्रामीण डाक सेवकों, सर्व शिक्षा अभियान तथा बीएसएनएल में संविदा पर कार्यरत श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें मेडिकल सुविधाएं व अन्य सुविधायें भी प्रदान करवाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

(छह) तमिलनाडु में थमिराभरनी नदी को करुमेनी और नाम्बी नदियों से जोड़ने के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु में, नान्गुनेरी, राधापुरम और सथनाकुलम सहित क्षेत्रों अटल वर्षा होने के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्र है। एक वर्ष में औसतन, तिरुनेलवेली जिले में इन स्थानों पर 500 मि.मि से कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के दौरान, करुमेणी और नामवियार नदियां इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं और लगभग 252 तालाबों को इन नदियों से जल प्राप्त होता है। तिरुनेलवेली जिले में, थामिराभरनी एक सदाबहार नदी है और प्रतिवर्ष 13000 मिलियन क्यूबिक फीट अधिशेष जल इस नदी से समुद्र में बह जाता है। थामिराभरनी नदी का अधिशेष बाढ़ का जल करुमेणी और नाम्बी 3200 क्यूबिक फीट भंडारण क्षमता वाली एक नहर खोद कर नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2008-09 में 369 करोड़ रुपए लागत की एक योजना प्रारंभ की थी जिसमें वैतलनकुजी से एक नहर खोदकर करुमेणी और नाम्बी

नदियों को जोड़कर अधिशेष जल को सूखा प्रभावित थिसायनक्लिई और एम एल थेरी क्षेत्रों में पहुंचाया जाना था। नहर खोदने के कार्य को चार चरणों में कार्यान्वित करना निश्चित किया गया था। चार चरणों को पूरा करने के लिए 73 किलोमीटर की दूरी तय किए जाने की आवश्यकता है। अब यह कार्य रोक दिया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार से यह पता चला है कि नदियों को आपस में जोड़ने की योजना केन्द्र सरकार से 90% वित्तीय सहायता द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके अतिरिक्त, किसान शहरों की ओर दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए प्रवास कर रहे है क्योंकि सूखे जैसी परिस्थिति ने उनकी कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। गरीब किसानो को बचाने और इस क्षेत्र में उनकी पेयजल सुविधा से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु, थामिराबरनी नदी के अधिशेष जल के अन्यत्र उपयोग हेतु योजना को युद्ध-स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

मैं, इसलिए, केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि 90% निधियों, जो कि इसका हिस्सा है, को तुरंत जारी करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें ताकि नहर की खुदाई का कार्य कार्यान्वित हो सके और थमिराभरनी नदी से करुमेणी और नाम्बी नदियों तक अधिशेष जल को ले जाया जा सके जिससे कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 23,040 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिल सकती है।

(सात) डीग, कामां, जुरहेरा और पलवल को भरतपुर और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने तथा धौलपुर से भरतपुर के लिए सीधा सड़क संपर्क मार्ग उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर का आर्थिक एवं सामाजिक विकास समुचित सड़कों के अभाव में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मंत्रालय का ध्यान कई बार आकर्षित कर चुका हूं कि हरियाणा के रास्ते से दिल्ली एवं भरतपुर के बीच सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाये तो दिल्ली और भरतपुर के बीच के रास्ते को सीधा एवं छोटा रास्ता किया जा सकता है। सड़कों के अभाव में इस क्षेत्र के मेवाती समाज का सामाजिक विकास नहीं हो पाया है और न ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिली है ज़बकि इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण कीड़ा स्थली स्थित है एवं ऐतिहासिक धरोहरों से यह समस्त क्षेत्र भरा हुआ है। यहां देश-विदेश से पर्यटक पर्यटक प्रतिवर्ष बहुतायत संख्या में पर्यटन, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के दर्शनों हेतु आते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पलवल-जुरेहरा से आरंभ होकर कांमा, डीग, भरतपुर-उंचा नंगला होते हुए धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जोड़ा जा सकता है। उत्तर भारत एवं मध्य प्रदेश के बीच के यातायात को दिल्ली भरतपुर एवं आगरा के बाईपास से ले जाया जा सकता है, एवं इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग से इस क्षेत्र को पिछड़ेपन को भी दूर किया जा सकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगले वर्ष के दौरान प्रस्तावों में भरतपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग वाया डीग, कांमा, जुरेहरा एवं पलवल को जोड़ा जावे। साथ ही भरतपुर से धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश को भी शीघ्र जोड़ा जावे।

[हिन्दी]

(आठ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली बीमा राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। डिपॉजिट इंश्योरेन्स क्रैडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1961 में अस्तित्व में आया। जब कोई को-ऑपरेटिव बैंक लिक्वीडेशन में जाती है, तो उनके डिपॉजिटर्स को इंश्योरेन्स कवर के रूप में एक लाख रुपए तक की रकम वापस करने की गारंटी यह कॉर्पोरेशन डिपॉजिटर्स को देती है। हालांकि हर बैंक इसके लिए डिपॉजिट पर प्रीमियम भी भरती है। इसमें जो एक लाख रुपए तक राशि डिपॉजिटर्स को वापस देने की बात है वह दिनांक 1 मई, 1993 को तय की हुई है। वर्ष 1993 के एक लाख रुपए की कीमत आज के इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। सभापति महोदया मैं बताना चाहूंगी कि 1993 में डीआईसीजीसी जो 1 लाख रुपए देते थे आज वह राशि 10 लाख रुपए के बराबर हो गयी है लेकिन इसकी सीमा नहीं बढ़ाई बल्कि प्रीमियम जरूर 100 रुपए पर 10 पैसे बढ़ाया है। मैं वर्ष 2008 से प्रयास/मांग कर रही हूं कि जमाकर्ताओं के इंश्योरेंस कवर की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 से 10 लाख रुपए करनी चाहिए इतने प्रयासों के बाद अब जाकर के वित्त मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यह राशि 2 लाख रुपए होगी। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहूंगी कि यह 2 लाख रुपए भी आज की तारीख में रुपए के गिरते हुए अवमूल्यन को ध्यान में रखकर बहुत कम है। इसकी सीमा 5 लाख रुपए होनी चाहिए।

इसके साथ ही डीआईसीजीसी के रूल्स और रेगुलेशन्स पर भी ध्यान देना चाहिए। आज की तारीख में हो यह रहा है कि यह एक इंश्योरेन्स कॉर्पोरेशन है, प्रीमियम लेते हैं फिर पैसा देते हैं। लेकिन बाद में इनका व्यवहार साहूकार जैसा हो जाता है। जब लिक्वीडेशन में गयी हुई बैंक अपना कर्ज वसूलती है, जिस पर वास्तव में डिपॉजिटर्स का प्रथम अधिकार होता है, होना भी चाहिए क्योंकि यह उनका ही सिक्योरिटाइज्ड गारन्टीड पैसा है। आप इसके लिए उनको इंट्रेस्ट भी नहीं देते हैं। बैंक लिक्विडेशन में

जाने के बाद इंट्रेस्ट देना भी बंद कर देता है। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहूंगी कि सामान्य से सामान्य, गरीब, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के लिए, बेटी की शादी के लिए एक पैसा बचाकर कोऑपरेटिव बैंकों में 2 लाख, 3 लाख रुपए जमा राशि रखते हैं। डीआईसीजीसी सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिटर्स को देती है लेकिन उस जमाकर्ता के पांच लाख रुपए बैंक में जमा हैं उसे वो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि डीआईसीजीसी कॉर्पोरेशन जो रिजर्व बैंक के अंतर्गत आती है, वह साहूकार जैसे बैठ जाती है कि पहले हमारा पैसा वापस दे दो। आज कई लोग संकट में हैं, बैंक में पैसा है, लेकिन इलाज के लिए नहीं मिल रहा है।

अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि आरबीआई को निर्देशित करते हुए डिपोजिट इंश्योरेन्स क्रैडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को भी यह निर्देश दे कि वह पहले डिपॉजिटर को अधिकार दे और जो उन्होंने एक लाख रुपए की लिमिट लगायी है वह बढ़ा कर पांच लाख रुपए करें।

(नौ) देश में कर अपवंचन पर नियंत्रण करने के लिए कठोर उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : देश में काले धन की समस्या बहुत पुरानी है। देश में बड़े पैमाने पर कर चोरी होती है और इस तरीके से जमा अवैध धन को विदेशी बैंकों में जमा किया जाता है। आर्थिक खुफिया एजेंसियों ने पिछले वर्ष में तीस अरब रुपए के काले धन का पता लगाने का दावा किया है। यह केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवाकर चोरी की रकम है जिसे सरकारी खजाने में जमा करने के बजाए व्यापारियों ने इसे अपनी जेब में डाल लिया। देश में कर चोरी करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए कई कानून बनाए गए हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं होता है। प्रतिवर्ष सरकार को करवंचन के कारण राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ती है और बिना हिसाब-किताब के लेन-देन का पता लगाना कठिन होता है। अत: सरकार से निवेदन है कि कर चोरी का पता लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को साधन संपन्न बनाया जाए।

(दस) राजस्थान के सिरोही जिले तक रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : मेरे संसदीय क्षेत्र में सिरोही जिला आज आजादी के 65 वर्षों बाद भी रेलवे नेटवर्क से जुड़ नहीं पाया है। इसके लिए कई बार सर्वे हो चुका है। सिरोही के जालौर से रेलवे से जोड़ा जाना था। अत: सिरोही जिला केन्द्र को मारवाड़, बागड़ा और पिंडवारा के मार्ग से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। जिससे इस रेलवे मार्ग से सभी प्रमुख जैन तीर्थ 72 जीनालय सुधा माता मंदिर जिरावल पावापुरी, जसवंतपुरा, अभयारण्य, भैरोगढ़ आदि जुड़ जायेंगे। जालोर सिरोही के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इससे जुड़ जायेंगे। सिरोही को रेलवे नेटवर्क से जुड़ने से यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : संसदीय क्षेत्र "कौशाम्बी" उत्तर प्रदेश में कुंडा से मानिकपुर के बीच "पैदल" समपार एवं छोंटी फटकी मानव रहित बनना अति आवश्यक है। कुंडा के बाबूगंज एवं बरई रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज अति आवश्यक है। कौशाम्बी जनपद में सिराथू व भरवारी जो भी मानक पूरा करते हैं को जनपद का जंक्शन स्टेशन बनाया जाए। उक्त जंक्शन स्टेशन पर अप-डाउन मूरी एक्स., प्रयागराज, दुरंतों, चौरी-चौरा, राजधानी एक्स, ट्रेनों का ठहराव हो। मुंबई के लिए एक ट्रेन आवश्यक चलाई जाए, मनौरी, सिराथू, भरवारी, क्रॉसिंग पर जाम को देखते हुए तत्काल जल्दी फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाए। कुंडा, मानिकपुर भरवारी, सिराथू में मालगोदाम "रैग" सामान ले जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए निधियां आबंटित किए जाने तथा उत्तर प्रदेश में देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरहज और मऊ के बीच घाघरा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : देश के कई इलाके बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पिछड़ेपन के शिकार हैं देश के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कई योजनाएं चल रही हैं परंतु पिछड़ेपन को दूर करने हेतु बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है। जितनी मांग की जाती है उसका दो तिहाई भी नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सड़क निधि में उपकर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल बेचकर केन्द्र सरकार पैसा ले रही है परंतु सड़कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को धन नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी लंबाई 6681 किलोमीटर है जिसमें से 3178 किलोमीटर का रखरखाव उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इन सड़कों को ठीक करने एवं नवीकरण की मांग को पूरा करने एवं मरम्मत कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार धन नहीं दे रही है। वर्षा एवं बाढ़ से हुए सड़कों के नुकसान के लिए 43 करोड़ की मांग को केन्द्र सरकार ने अभी तक लंबित रखा हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली घाघरा नदी पर एक पुल बनने की मांग कई दशकों से की जा रही है यह पुल बरहज के परिसिया दिकर से मउ को जोड़ने का काम करेगा जिससे बनारस की ओर जाने वाले वाहनों को कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इससे पेट्रोल एवं डीजल की खपत को कम किया जा

सकता है। इससे इस पुल के आस पास के गांवों को विकास के अवसर मिलेंगे जो बुरी तरह पिछड़े क्षेत्र हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्यों के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के कार्यों में वह राज्यों के विकास में अपना योगदान दे क्योंकि देश के पिछड़े क्षेत्र के विकास से ही देश का विकास हो सकता है एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित घाघरा नदी पर बरहज से मउ को जोड़ने के लिए पुल के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान करे।

(तेरह) तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. कलिंगनार मुथुवेल करुणानिधि को "भारत रत्न" दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : विश्वभर के 10 करोड़ तमिलों की यह मांग है कि उनके प्रिय नेता डॉ. कलिंगनार मुथुवेल करुणानिधि को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

डॉ. कलिंगनार मुथुवेल करुणानिधि ने, जिन्हें लोग प्यार से डॉ. कलिंगनार कहकर पुकारते हैं, अपना राजनीतिक जीवन जनता की सेवा के लिए मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में शुरू कर दिया। वह द्रविड़ आंदोलन के अगुआ हैं और दबे-कुचले वर्गों और जनता के सभी वर्गों के हितों की रक्षा में अग्रणी रहे हैं। वह 1957 से तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे हैं और वह अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं।

वह पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, डॉ. कलिंगनार ने लोगों के लिए कई कल्याण योजनाएं शुरू कीं और वे योजनाएं भारत में प्रथम बार शुरू की गई थीं, जैसे हाथ-रिक्शाओं का उन्मूलन और उनका साइकिल रिक्शा से प्रतिस्थापन, भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना, मैला ढोने का उन्मूलन आदि और अन्य अनेक सामाजिक सुधार शुरू किए।

इसके साथ ही सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, उन्होंने तमिल साहित्य को भी समान महत्व दिया। उन्होंने तमिल में ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों तरह की सैकड़ों पुस्तकें/उपन्यास/कविताएं लिखी हैं। तमिल सिनेमा के लिए उनका योगदान किसी से कम नहीं है, क्योंकि वह एक पटकथा लेखक है और उन्होंने 75 से अधिक फिल्में लिखी हैं। वह एक महान नेता, महान कवि, महान विद्वान और वरिष्ठ नेता हैं और 91 वर्ष की आयु में भी वह देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजनीति दोनों में शामिल है। मुझे विश्वास है कि देश में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है, जो जनता के सभी वर्गों के हितों के लिए 91 की आयु में देश की सेवा कर रहा हो।

राष्ट्र के पुत्र को भारत रत्न से सम्मानित करना राष्ट्र के लिए गौरव का विषय होगा। राष्ट्र के लिए उनका योगदान असीम है। वह साहित्य, राजनीति, सिनेमा, सामाजिक सुधार और अन्य अनेक क्षेत्रों में रत्न हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण सभा महान नेता डॉ. कलिंगनार को भारत रत्न से सम्मानित करने में मेरा समर्थन करेगी, और इसीलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह डॉ. कलिंगनार मुथुवेल करुणानिधि को भारत रत्न प्रदान करे क्योंकि वह इस महान सम्मान के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्तित्व हैं।

(चौदह) विगत वर्षों के प्रसिद्ध मलयालम फिल्म कलाकार, स्वर्गीय प्रेम नजिर के सम्मान और उनकी स्मृति में केरल के तिरुवनन्तपुरम जिले में चेराईनकीझू में एक फिल्म संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : स्वर्गीय श्री प्रेम नजिर मलयालम चलचित्र कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जिनका नायक के रूप में विश्व में सबसे अधिक फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड है। केरल के चेराईनकीझू में एक साधारण परिवार में पला-बढ़ा व्यक्ति केवल अपनी मेहनत और इच्छाशक्ति के जरिए प्रसिद्ध हुआ। एक मानवतावादी और लोकहितैषी व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षतावादी के रूप में भी याद किया जाता है।

उन फिल्मों की लंबी गाथा जिनमें प्रेम नज़िर ने अदाकारी की अपने आप में भारतीय सिनेमा, श्वेत और श्याम सिनेमा से रंगीन सिनेमा तक के संक्रांति काल, 70 मि.मि. और सिनेमा कार्यक्षेत्र आदि का के विशेष युग का इतिहास है। थियेटरों में एक ही दिन में तीन फिल्मों को जारी करने का भी रिकॉर्ड उनका है।

ईमानदारी और जनता के इस नायक ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक मूल्यों और सदाचारों को बनाए रखा। प्रेम नजिर का युग लगभग आधी शताब्दी तक रहा परंतु अभी भी राष्ट्र की ओर से उनका समुचित रूप से सम्मान नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार विशेष रूप से संस्कृति मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी विलंब के उनके जन्म स्थान केरल के तिरुवनन्तपुरम जिले में चेराईनकीझू में एक फिल्म संग्रहालय स्थापित करे।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्येताओं को छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) : मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान तमिलनाडु के अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के छात्रों को वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

तमिलनाडु में अ.जा. और अ.ज.जा. के लगभग 7,23,000 छात्रों ने केन्द्र सरकार की मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन किया था। ये छात्रवृत्तियां 549 करोड़ रुपए की है। इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने वाले अ.जा. और अ.ज.जा के छात्र अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता पर पूर्णत: निर्भर है। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में भी इन छात्रवृत्तियों के लिए निधियां जारी नहीं की गई है। तमिलनाडु के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से ये छात्र आते हैं और छात्रवृत्तियां जारी नहीं करने के कारण उनकी शैक्षणिक संभावनाएं बहुत प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, भारतीयार विश्वविद्यालय, भारतीदसन विश्वविद्यालय, अलगप्पा विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे तमिलनाडु के अनेक विश्वविद्यालयों में अपना अनुसंधान जारी रखने वाले पीएचडी अध्येताओं को 18 महीनों से यूजीसी छात्रवृत्तियां नहीं मिली है। तमिलनाडु के अनेक विश्वविद्यालयों में पीएचडी पाठ्यक्रम जारी रखने वाले छात्र यूजीसी छात्रवृत्तियों से संबंधित निधियों को जारी नहीं करने के कारण अत्यधिक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इससे उनके अध्ययन और अनुसंधान कार्यकलाप भी प्रभावित हुए हैं।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के अ.जा. और अ.ज.जा के छात्रों हेतु मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु शीघ्र ही निधियां जारी करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों के पीएचडी अध्येताओं की यूजीसी छात्रवृत्तियों से संबंधित निधियों को भी बिना किसी विलंब के जारी किया जाए।

अपराह्न 12.013 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र — *जारी*

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : महोदया, मेरे साथी श्री तारीक अनवर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10851/15/14]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10852/15/14]

(ख) (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और इस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षित लेख और टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) पर उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10853/15/14]

अपराह्न 12.13½ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मंत्रि परिषद में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मुझे श्री जी.वी. हर्ष कुमार से मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं इस सूचना को सदन के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जब तक सदन में व्यवस्था नहीं होती है। मैं उन 50 सदस्यों की गणना करने की स्थिति में नहीं होऊंगा, जिन्हें अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े होना है, जिससे मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि अनुमति प्रदान की गई है या नहीं। इसलिए, मैं आप सभी से अपने स्थानों पर वापस जाने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मुझे अविश्वास प्रस्ताव की सूचना को निष्पादित करना है। कृपया वापस अपने स्थानों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो चूंकि सदन में व्यवस्था नहीं है, मैं सदन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं।

[अनुवाद]

अब, मद सं. 41 - श्री सुशील कुमार शिंदे।

अपराह्न 12.14 बजे

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन उपबंध और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने विधेयक पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जी हां, माननीय मंत्री जी।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हमारे पास एक विधेयक है। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। हम ऐसी स्थिति में कैसे कुछ कर सकते हैं? कृपया सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : सभा में शांति बनाए रखें। यह विधेयक आया है और सभा में गृह मंत्री जी इस पर अपनी बात कहना चाहते हैं। कृपया शांति बनाइये।

मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदया, मैंने पहले ही विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है। इस पर विचार करके पारित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराहन 12.45 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन 12.45 बजे तक स्थगित हुई।

अपराह्न 12.45 बजे

लोक सभा अपराहन 12.45 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय गृह मंत्री-श्री सुशील कुमार शिंदे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.45½ बजे

इस समय श्री के. बापीराजू, श्री ए. सम्पत, श्री जे.के. रितीश उर्फ के. शिवकुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : अध्यक्ष महोदया, पृथक तेलंगाना राज्य के आंदोलन का एक लंबा और उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है।...*(व्यवधान)* स्मरण रहे कि विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर इस क्षेत्र की एक विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : तेलंगाना क्षेत्र और शेष आंध्र प्रदेश दोनों में पृथक राज्य के लिए आंदोलन हुए हैं जो 1960 के अंत और 1970 के शुरू में अपने चरम पर पहुंच गए, जिसे परिचर्चाओं और समझौतों के जरिए उस समय शांत कर दिए गए थे...*(व्यवधान)* तथापि, विगत कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का पुनरूत्थान हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं)*

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 — *जारी*

अपराह्न 3.0½ बजे

इस समय श्री के. बापीराजू, डॉ. के. चिरंजीवी, श्री के.एस. राव, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. रामचन्द्र डोम, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती जयाप्रदा, श्री पी. करुणाकरन, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और अन्य कुछ माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री सुशील कुमार शिंदे अपना वक्तव्य जारी रखें।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : महोदया, इस विधेयक का उद्देश्य विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों यथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में मान्यता प्रदान कर तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की जनतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने का है। मैं इस सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमने सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और राज्य के बंटवारे के प्रभाव को यथा संभव कम करने की भरसक कोशिश की है...*(व्यवधान)*

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने आंध्र प्रदेश में समाज के सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए थे और ये सुझाव प्राप्त हुए तथा प्रत्येक सुझाव का मूल्यांकन किया गया था और जब इस विधेयक को तैयार किया जा रहा था तो प्रत्येक सुझाव पर उचित तरीके से विचार किया गया। तैयार किये गए प्रारूप विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य विधायिका को भेजा गया और 23 जनवरी, 2014 तक उन्हें अपने विचार देने को कहा गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर सात दिनों का विस्तार दिया गया और अंतिम समय-सीमा 30 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई। राज्य विधायिका के विचार मिलने के पश्चात हमें विभिन्न भागों से कई सुझाव भी प्राप्त हुए थे। सरकार ने इन सभी सुझावों पर विचार किया एवं इनकी समीक्षा की। इन सुझावों के आधार पर तैयार किए गए संशोधन को भी इस महान सदन में विचारार्थ लाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

इस विधेयक में बनाए जाने वाले दोनों राज्यों के शासन के सभी पक्षों और संसद एवं राज्य विधान मंडल में प्रतिनिधित्व से जुड़े आवश्यक अनुपूरक और आकस्मिक प्रावधानों, राजस्व संवितरण, आस्ति एवं देयताओं

के संविभाजन, जल संसाधन, विद्युत और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं विकास, शांति और सौहार्द को सुनिश्चित करने, पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और अन्य मामलों पर विचार किया गया है...*(व्यवधान)*

इस विधेयक में निहित इन प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, योजना आयोग और चुनाव आयोग के साथ परामर्श कर अंतिम रूप प्रदान किया गया है...*(व्यवधान)*

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस महान सभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 को विचार और पारित करने हेतु रखता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। अभी-अभी जो बिल, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन में पारित करने के लिए रखा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बिल का समर्थन भी करेंगे और इस बिल को पारित करने के लिए इसके पक्ष में मतदान भी करेंगे। ...*(व्यवधान)* क्योंकि यह विषय हमारी विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ विषय है।...*(व्यवधान)* दसियों बार इस सदन के अंदर और बाहर, तेलंगाना के अंदर और तेलंगाना के बाहर हमने यह मांग की है कि सरकार तेलंगाना निर्माण का बिल लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन देकर उसको पारित कराएगी।...*(व्यवधान)* केवल यही नहीं, हमने यह भी कहा कि अगर यह सरकार बिल लेकर नहीं आएगी तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम सौ दिनों में तेलंगाना निर्माण करेंगे।...*(व्यवधान)* यह आश्वासन भी हमने दिया है।

अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, आप इसी पीठ पर आसीन थी और मैं यहां तेलंगाना के लिए बोल रही थी, तेलंगाना के लिए आत्मदाह करने वाले बच्चों से अपील करते हुए मैंने तेलुगू में कहा था - तेलंगाणा कोसम, बलिदानम बद्दु, तेलंगाणा चुड्डानिकि, ब्रतकालि, ब्रतकालि। इसका अर्थ था कि तेलंगाना का निर्माण कराने के लिए आत्महत्या मत करो, तेलंगाना को देखने के लिए जीवित रहो, जीवित रहो।...*(व्यवधान)* आज जब यह बिल उनके सपनों को साकार करने के लिए आया है तो इसका विरोध करके हम उन बच्चों के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* इसीलिए सारे विपक्ष के विरोध के बावजूद हम खड़े होकर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं ताकि तेलंगाना निर्माण का उन बच्चों का सपना पूरा हो सके।...*(व्यवधान)* अपनी यह बात कहते हुए कि हम बिल को पारित करेंगे, मैं कुछ बातें रिकॉर्ड में लाना चाहती हूं।... *(व्यवधान)* मेरी पहली शिकायत कांग्रेस नेतृत्व से है।...*(व्यवधान)* सोनिया जी मुझे देख तो नहीं पा रही हैं लेकिन वह सदन में बैठी हैं। मेरी पहली शिकायत आपसे है, सोनिया जी, आपने 2004 में तेलंगाना देने का वादा किया था, 2014 आ गया। अपने पहले कार्यकाल में तो आपने कुछ किया ही नहीं और दूसरे कार्यकाल में भी 15वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम सप्ताह में बिल लेकर आए हैं। 21 तारीख को सत्रावसान हो जाएगा, आज 18 है, केवल तीन दिन बाकी हैं। आप विषय को खींचते-खींचते यहां तक ले आए और लाए भी कैसे, अपने लोगों को भी मनाए बिना। आप अपने सांसदों को नहीं मना सके, आप अपने मंत्रियों को नहीं मना सके, आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं मना सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, किसी संसद ने यह दृश्य नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री सदन में बैठे हों और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सदन के वैल में खड़े हों। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस की अध्यक्षा सदन में बैठी हों और उनके सांसद उनकी परवाह किए बिना सदन के वैल में खड़े हों, उनके मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हों।...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से बिल पारित करें और उनके अपने मुख्यमंत्री बिल को रिजेक्ट करके और रद्द करके भेज दें। ये दृश्य इस सदन ने देखे हैं।...*(व्यवधान)*। हमने भी तीन राज्य बनाए थे। आदरणीय आडवाणी जी अभी यहां नहीं हैं, तब वे गृहमंत्री थे, उनके कार्यकाल में तीन राज्य बने थे। एक रक्त की बूंद नहीं गिरी थी, एक क्षण के लिए सदन में अशांति नहीं हुई थी।...*(व्यवधान)* पूरी शांति और उत्साह के साथ तीनों राज्यों का गठन हुआ था और तीनों राज्य आज विकास के रास्ते पर चल रहे हैं।...*(व्यवधान)* आज सारी पार्टियां बंटी हुई हैं, सीमांध्र और तेलंगाना के किसी भी पार्टी के लोग एक साथ बैठते नहीं हैं। नामा नागेश्वर राव बेचारे यहां आए हैं। मैं उनको सैंडविच कहती हूं, जो तेलंगाना के लोगों को लेकर साथ आते हैं और तेलंगाना विरोध वालों के साथ भी आते हैं।...*(व्यवधान)* यही हाल कांग्रेस पार्टी का है, यही हाल जगन की पार्टी का है। सारी पार्टियां बंटी हुई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : लोकसभा टीवी का प्रसारण क्यों बंद है? यह क्यों बंद कर दिया गया है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं गर्व से कह सकती हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सीमांध्र और तेलंगाना के लोग इकट्ठे बैठकर समस्या का हल खोज रहे हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी के सीमांध्र के कार्यकर्ता और नेता यह कह रहे हैं कि तेलंगाना बनना चाहिए और हैदराबाद भी तेलंगाना को मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)* मगर हमारे साथ भी न्याय करो और वे न्याय के लिए क्या मांगते हैं, वे यह कहते हैं कि हैदराबाद में अगर 15 हजार करोड़ का सरप्लस है तो तेलंगाना का घाटा उससे पूरा हो जायेगा, लेकिन कोस्टल आंध्र और रायलसीमा का घाटा कौन पूरा करेगा।...*(व्यवधान)* वह केन्द्र सरकार पूरा करे। गृह मंत्री के कोरे आश्वासन से वह पूरा नहीं होगा, बल्कि राशि का प्रावधान करो और उनका घाटा पूरा करने की बात करो।

दूसरी बात वे कहते हैं कि हैदराबाद में 148 संस्थाएं हैं, दस साल के लिए वह ज्वाइंट कैपिटल है, लेकिन उनके यहां भी जो संस्थाएं बननी हैं, उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्लानिंग कमीशन से दो और थोड़ी टोकन राशि रखकर इस इंटेरिम बजट में उनका बजट हैड बना दो।

तीसरी बात वे कहते हैं कि जो पोलावरम प्रोजैक्ट है, जिसे आपने नेशनल प्रोजैक्ट माना है उसके बारे में जो मंडल ट्रांसफर होने हैं, हमारे नेता वेंकैयानायडू जी के साथ बैठकर एक समझौता हुआ।...*(व्यवधान)* हमारे पास जयराम रमेश जी का पत्र है, वह समझौता माना गया, लेकिन कैबिनेट ने उसे बदल दिया। आप उसे वापस लाओ और आपस में जो समझौता हुआ था, उसे पूरा करो।

इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि तेलंगाना बने, हैदराबाद भी तेलंगाना में रहे, लेकिन सीमांध्रा के साथियो के साथ भी इंसाफ हो, यह इस बिल के अंदर आना चाहिए, यही मेरी मांग है।...*(व्यवधान)*

चौथी बात इस बिल में कानूनन एक कमी है। यह बिल संविधान की स्कीम को बदलकर गवर्नर को कुछ ऐसी शक्तियां दे रहा है, जो संविधान में संशोधन करके ही दी जा सकती हैं।...*(व्यवधान)* हमने सरकार से कहा है कि आप साधारण बिल की बजाय अगर संविधान संशोधन भी लाते हो तो हम साथ देंगे, हम संविधान संशोधन भी पारित करायेंगे, मगर डिफैक्टिव बिल मत लाओ, असली बिल लाओ।...*(व्यवधान)*

इसके साथ ही मैं अपने तेलंगाना के साथियों से एक बात और कहना चाहती हूं कि अभी यह बिल पारित होगा तो बाहर जाकर गाना गाया जायेगा - कांग्रेस ने तेलंगाना दे दिया, सोनिया अम्मा ने तेलंगाना दे दिया। उनके सुर में सुर मत मिलाना, अगर सोनिया अम्मा को याद रखना तो इस चेन्नम्मा को भी याद रखना।...*(व्यवधान)* हमें कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं है हम इस बिल का समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह जी ने वायदा किया था कि हम बिल का समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)* हमारे शीर्षस्थ नेता आडवाणी जी ने जन चेतना यात्रा में वचन दिया था कि हम तेलंगाना का समर्थन करेंगे। हम अपने अध्यक्ष का वायदा पूरा करने के लिए, हम आडवाणी जी की वचनपूर्ति करने के लिए इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, हम अपनी विश्वसनीयता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है कि जो हम कहें, लोग उस पर भरोसा कर सकें। इसलिए हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री उत्तर देते समय जो बातें मैंने सीमांध्र के इंसाफ के लिए कही हैं, उन्हें अगर इस बिल में जोड़ देंगे तो सीमांध्र वालों को भी संतोष होगा और अगर वह नहीं करेंगे तो मैं यहां खड़े होकर आश्वासन देती हूं कि अगली सरकार हमारी आने वाली है, हम वह इंसाफ करेंगे, सीमांध्र वालों चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा और चिंता हम करेंगे और यह आश्वासन देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इस बिल को पारित करने का आश्वासन देती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदया, याद रखिए कि यह ऐसी मांग है जो पिछले 60 वर्षों से लगातार उठाई जा रही है...*(व्यवधान)* अत: मेरे विचार से देश के इतिहास में अलग राज्य की कोई मांग इतनी लंबी और जोरदार नहीं रही है...*(व्यवधान)* आज इस पावन और प्रफुल्लतापूर्वक अवसर पर हम स्वयं को अव्यवस्था की स्थिति में पा रहे हैं जोकि आश्चर्यजनक तथा दुखदायी है...*(व्यवधान)*

मैं मित्रों और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस मांग की जब यूपीए का साझा घोषणा पत्र बनाया गया था तब यूपीए ने 2004 में परिकल्पना की थी। इसे 2004 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शामिल किया गया था।...*(व्यवधान)* मैं आंध्र के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं...*(व्यवधान)* क्या वे इस वर्षों के दौरान कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अत: मैं सुषमा जी को समर्थन की शुरूआती पंक्ति के लिए धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को दोष देने का अवसर नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस महान अवसर के लिए आधार तैयार कर रही है...*(व्यवधान)* आप कह रही है कि वे चुनाव के समय को निकट देखते हुए इसका उपयोग लाभ लेने के लिए कर रहे हैं।

महोदया, मुझे याद है कि तेलंगाना पर निर्णय 2009 में लिया गया था।...*(व्यवधान)* क्या उस समय चुनाव थे? यूपीए सरकार में सीमांध्र क्षेत्र के मंत्री क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने विरोध किया? अब आप इसका विरोध करना इतना आवश्यक क्यों समझ रहे हैं?...*(व्यवधान)*

भाजपा पिछले 45 वर्षों से तेलंगाना की मांग का समर्थन कर रही है? मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मैं पहली बार 1969 में "दो बैलों की जोड़ी" चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुआ था। मैं उन मूल कांग्रेसी लोगों में से एक हूं...*(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना आंदोलन 1969 में शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अवतार जन संघ ने तब इसका समर्थन किया था। ऐसा माना जाता है कि समर्थन जारी रहेगा...*(व्यवधान)* जब मैंने भाजपा नहीं बल्कि देश के वयोवृद्ध नेता आडवाणी जी की असहमति का स्वर सुना तो मैं हैरान रह गया। अत: इस पर भी मैं श्रीमती सुषमा स्वराज का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं कि उन्होंने शुरूआती पंक्ति में समर्थन दिया...*(व्यवधान)*

मैं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को भी बधाई देता हूं, जो मूलत: अविभाजित आंध्र प्रदेश के पक्ष में थी एवं अब 'विशाल आंध्र' नामक अखबार निकाल रही है, वह तेलंगाना की मांग का भी समर्थन कर रही है...*(व्यवधान)*

आज यह उल्लेखनीय उपलब्धि केवल एक व्यक्ति, एक महिला अर्थात् श्रीमती सोनिया गांधी के कारण संभव हो पाई है...*(व्यवधान)* मैंने पन्द्रह वर्षों तक सोनिया जी के निकट रहकर कार्य किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। श्री जयपाल रेड्डी जी। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उनका दृष्टिकोण वैश्विक है। वह कभी भी सीमांध्र क्षेत्र के लोगों के हितों की विरोधी नहीं हो सकतीं...*(व्यवधान)*

मैं तेलंगाना के लोगों की ओर से कहना चाहता हूं कि हम से अलग तेलंगाना राज्य में सीमांध्र क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम भलीभांति जानते हैं कि हम अंतत: तेलुगू लोग हैं। हम सभी भारतीय हैं। अंततोगत्वा हम सभी भारत के संविधान द्वारा शासित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जयपाल रेड्डी जी कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इस अवसर पर मैं महोदया सोनिया गांधी को पुन: धन्यवाद देता हूं तथा सीमांध्र क्षेत्र के लोगों को आज आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि हैदराबाद शहर में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो पहले मैं अपना सर झुकाऊंगा...*(व्यवधान)* मैं हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला। मेरे पास जो समय बचा हुआ है उस दौरान मैं सीमांध्र क्षेत्र के मित्रों की सुरक्षा के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जो लोग बोलना चाहते है वे कृपया अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दें।

अब मैं आगे बढ़ती हूं।

...*(व्यवधान)*

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार) : मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 का समर्थन करता हूं और मैं सभा में यह विधेयक लाने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रबल अनुरोध करता हूं कि वह इसी प्रकार का निर्णय लेते हुए बोडो लोगों व अन्य जनों की आजीविका, अस्तित्व और सुरक्षा के प्रश्न को सुनिश्चित करने में सहायता के लिए, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुप्रतीक्षित पृथक राज्य बोडोलैंड के निर्माण में सहायता के लिए राजनीतिक कार्यवाही करे ताकि बोडोलैंड राज्य के लोग भी शेष देश के समान गरिमा और सम्मान के साथ जी सकें।

इस ऐतिहासिक शुभ अवसर पर, मैं तेलंगाना राज्य के सभी लोगों को 18 फरवरी, 2014 को लोक सभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 पारित कराने में सफल होने पर गर्मजोशी से बधाई देता हूं और साथ ही आप सबसे अपील करता हूं कि आप बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों की राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग को स्वीकृत कराने में अपना स्पष्ट समर्थन और सहयोग प्रदान करें।

[हिन्दी]

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी) : महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा कर अलग तेलंगाना प्रदेश बनाने का मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

***श्री दारा सिंह चौहान** (घोसी) : सर्व प्रथम मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को बधाई देता हूं। जिन्होंने सबसे पहले तेलंगाना के मुद्दे पर अलग राज्य बनाये जाने का मजबूती से समर्थन

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किया क्योंकि हमारी नेता का मानना है कि छोटे राज्यों का तेजी से विकास होता है वहीं प्रशासनिक क्षमता बनाये रखने में मदद मिलती है, बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्ताव पास कराकर चार भागों में बांटने का प्रस्ताव भेजा, इसलिए हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित विदर्भ को भी अलग राज्य का दर्जा दिया जाये, तेलंगाना के लोगों को बधाई जिन्होंने काफी दिनों से अलग राज्य की मांग करते रहे हैं।

[अनुवाद]

***प्रो. सौगत राय** (दमदम) : हमारा दल इस विधेयक और आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में है। यह श्रीरामुलू द्वारा भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। तेलंगाना का गठन राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के आधार को नष्ट कर देगा। यह और अधिक राज्यों के सृजन व विभाजनकारी प्रवृत्तियों के उभार को बढ़ावा देगा। जब हैदराबाद का मामला संतोषजनक ढंग से नहीं सुलझ पा रहा है, तो वह शहर किस प्रकार दो राज्यों की राजधानी हो सकता है? चंडीगढ़ एक संघ राज्यक्षेत्र है। अब आंध्र प्रदेश का जो नया राज्य सृजित हो रहा है उसे नई राजधानी और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। माओवादी एक बड़ी समस्या हैं, जिससे निपटने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

***श्री मधु गौड यास्खी** (निज़ामाबाद) : इस सर्वोपरि लोकतांत्रिक संस्था का लगभग दस वर्षो से सदस्य होने के बाद, आज मैं यहां स्वयं को अत्यंत सुख और विजयी भाव से सराबोर और निःशब्द पा रहा हूं। मेरा तेलंगाना के लोगों की ओर से यह दृढ़ विश्वास है कि यही वह क्षण है, जिसके लिए पूरे तेलंगाना ने पूरे दिल से काम किया है और अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया है। हम तेलंगाना के लोग किसी खुशी के पीछे भागने में संतुष्टि महसूस नहीं करते, बल्कि हमें तो लक्ष्य का पीछा करके उसे पाना ही खुशी देता है।

तेलंगाना के लोगों के लिए, अपना एक पृथक राज्य एक मूल्यवान और एक इच्छित लक्ष्य है। जैसे-जैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति स्थगित होती गई, तेलंगाना के लोगों की इच्छा बढ़ती गई और यह लक्ष्य हमेशा यथार्थ की दहलीज पर ही रहा। वहां के लोग कई बार बिना थके भाग-दौड़ करते भटकते नजर आए पर यह थकान की वजह से नहीं बल्कि तेलंगाना-विरोधी शक्तियों की साजिशों से विचलित होने के कारण था। तेलंगाना-विरोधी शक्तियों के ऐसे छल-कपट के बावजूद, वे लक्ष्य की पूर्णता के पथ पर बिना कोई समझौता किए बढ़ते रहे। यही वह उत्कर आकंक्षा थी, जो तेलंगाना के बारे में उनमें थी, और जिसने उनका उनके अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के पथ पर मार्गनिर्देशन किया।

लेकिन ऐसा कहने के बावजूद, मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के अशीष के बिना कुछ नहीं कर सकता और न ही कुछ प्राप्त कर सकता है। यह एक परम अकाट्य सत्य है। कोई भी ईश्वर के बिना पूरी तरह वह नहीं प्राप्त कर सकता, जो वह सचमुच पाना चाहता है संयोग परिवर्तन और अस्थिरता से भरे इस विश्व में, किसी भी संकल्प की प्राप्ति जैसे तेलंगाना का अभीष्ट लक्ष्य, ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करता है।

यह कहने के लिए कितने भी शब्द या प्रशंसा के विशेषण पर्याप्त नहीं है कि महोदया सोनिया जी वह देवी हैं, जिनके आशीर्वाद के बिना तेलंगाना के लोग अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। मैं इस अवसर पर पूरे तेलंगाना की ओर से श्रीमती सोनिया जी का पृथक तेलंगाना राज्य का वरदान प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि तेलंगाना के लोग सभी प्रतिकूल परिस्थितियों और विपत्तियों के बावजूद, हमारे बहुप्रतीक्षित स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारी नेता के चिर-ऋणी रहेंगे। निस्देह वह ऐसी शक्ति और विश्वास है जिसने तेलंगाना के लोगों को एक चिर प्रतीक्षित दिखाया। वह एक ऐसी अद्‌भूत शक्ति है जिसने तेलंगाना के लोगों को गहन चिंता से मुक्त किया।

मैं सोनिया जी की उन सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हूं कि तेलंगाना "एक सामाजिक सहिष्णुता से भी अधिक है और जो निसंदेह ही तेलंगाना के लोगों को एकसूत्र में बांधे हुए है।"

तेलंगाना की इस यात्रा की शुरूआत छह दशकों से अधिक का रहा है। तेलंगाना के अधिकांश लोगों के लिए इस संघर्ष में कूदना एक सपने से अधिक नहीं था किन्तु आज भले ही हम युद्धक्षेत्र में थक चुके हों तथापि अपने सपने को पूरा करने की जीत का गर्व भी है।

अन्य लोगों के लिए, हमारी इच्छापूर्ति को सीधे तौर पर अंतिम छोर के रूप में अथवा चैन की सांस अथवा स्वतंत्रता के उल्लास अथवा सीमांध्र क्षेत्र के हमारे तेतुगू भाइयों की संवेदनाओं के साथ कथित धोखेबाजी के एहसास के रूप में माना जा सकता है, परंतु संघर्ष के आघात के कई वर्षो के पश्चात् हम जानते है कि यह इन सब से कहीं अधिक है।

इस पूरे घटनाक्रम में संघर्षों और अशांति का दौर शुरू होने वाला है। आज जब इस चिर प्रतीक्षिता सपने के पूरा होने की खुशी मनाने जा रहे हैं तब हम यह नहीं जानते जीवन कैसा होगा परंतु अब इसका बागडोर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे हाथों में है और हम अपने तेलंगाना के पुनर्निर्माण सपने को आरंभ कर दिया है तो ऐसी स्थिति से हम अपने नेता सोनिया जी हमेशा निरन्तर प्रेरणा, मार्गदर्शक और अग्रणी रहेंगी।

मैं तेलंगाना को एक पृथक राज्य बनाने की आवश्यकता पर अपनी दृढ़शक्ति को विस्तार में अभिव्यक्त करता हूं।

ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों के दौरान स्वतंत्र भारत के निर्माण हेतु भाषाई मानदंडों का उपयोग किया गया था: एक ही भाषा बोलने वाले अधिकांश लोगों को एक ही राज्य में एक साथ लाया गया था। इस सिद्धांत ने इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं और बोलियों को नजरअंदाज किया था।

संघ में भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन के पश्चात् भारत के विभिन्न भागों में शीघ्र ही पृथक राज्यों की आवाज़ उठने लगीं। उनमें से सबसे पहले पृथक तेलंगाना राज्य की मांग थी जिसका स्थानीय विरोधों के बावजूद भी आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए अन्य तेलुगू बोलने वाले क्षेत्रों के साथ विलय कर दिया गया था।

राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 ने विलय की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषरूप से साम्यवादी दल की अगुवाई में तेलंगाना बल उभर रहा था। परंतु कुछ अनुमानित सुरक्षापायों के साथ विलय हुआ। यद्यपि तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय को शरारती आंध्र के लड़के और नादान तेलंगाना की लड़की के बीच विवाद का संदर्भ देते हुए कहा कि इस विशिष्ट विवाद में तलाक का प्रावधान होना चाहिए।

इस प्रकार, नेहरू जी की आरंभ से ही समस्या को भांप लेने की दूरदृष्टि थी परंतु उन्होंने स्वयं को और तेलंगाना को यह तसल्ली दी कि यदि विलय के उपयुक्त परिणाम नहीं निकले होते तो पृथक्करण संभव था।

तेलंगाना के लोगों की चिंता मात्र आर्थिक अथवा विकास की ही नहीं थी अपितु आत्म-सम्मान, अन्याय और स्व-शासन की इच्छा से थी। यह तेलंगाना के लोगों की वास्तविक वेदनाओं और चिंताओ के बारे में है। जैसा कि नेहरू जी के स्वयं के शब्दों में यह तेलंगाना के निर्दोष लोगों के ऊपर सीमांध्र के राजनीतिक वर्ग के आधिपत्य के विरुद्ध है। यह भौगोलिक अस्तित्व की पुनर्स्थापना अथवा गैर-विलयन की मांग थी जिसे 1956 में आंध्र राज्य के साथ विलय किया गया था।

तेलंगाना के संघर्ष के इतिहास पर संक्षिप्त रूप से गौर करें तो यह अद्भुत रूप से बहु-आयामी प्रतीत होता है जो ऐतिहासिक, भाषाई, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों-रोजगार, प्रशासनिक और राजनीतिक कारकों से उलझा हुआ है।

यह वास्तविकता है कि 1953 में स्थापित किए गए प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) ने स्पष्ट तौर पर भारत सरकार से सिफारिश की थी कि तेलंगाना राज्य का एक पृथक अस्तित्व के रूप में गठन करने अथवा इसे बनाए रखा जाना चाहिए, हमें यह स्मरण कराता है कि तेलंगाना की मांग कोई नई मांग नहीं है।

जैसे ही पूर्व मद्रास प्रोसीडेंसी में तेलुगू बोलने वाले लोगों की अपने स्वयं के एक राज्य जिससे उनकी सांस्कृतिक और भाषाई रूढ़िता को सुनिश्चित किया जा सके, की इच्छा को अक्तूबर 1953 में आंध्र राज्य का गठन करके पूरा किया गया वैसे ही सितंबर 1948 में भारतीय संघ का भाग बनने वाले निज़ाम शासित हैदराबाद राज्य का इतिहास आंध्र के भाग्य से जल्द ही जुड़ गया और साथ में तेलंगाना के लोगों की दरिद्रता और वेदना भी इससे जुड़ गई।

निज़ाम शासन के चंगुल से हैदराबाद की मुक्ति के साथ-साथ आंध्र राज्य का गठन और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनिच्छुक रूप से न्यायाधीश एस· फज़ल अली के अधीन प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) की स्थापना की थी जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म हुआ।

उस समय यह पूर्वाभास था कि 'तेलंगाना' को 'विशालांध्र के विकास' से लाभ मिलेगा। 'सज्जनपुरुष समझौते' के रूप में विलय प्रभावित हुआ था जिसने क्षेत्रीय परिषद सहित तेलंगाना के क्षेत्र हेतु विशिष्ट सुरक्षा प्रदान की जो हैदराबाद में निजाम शासन में लंबी समय से गढ़ी हुई इसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करेगा।

तथापि, सीमांध्र राजनीतिक वर्ग के रूप में शरारती लड़कों ने आधिपत्य और अपनी शरारतें दिखानी आरंभ कर दी तथा 'सज्जनपुरुष समझौते' यूंहि धरा रह गया। और यह तेलंगाना के लोगों के लिए बहुत ही विकट समस्या बन गया जिसके परिणामस्वरूप 1969 में पहला बड़ा विद्रोह हुआ। यहां तक कि उन विशिष्ट नियमों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया जिनमें तेलंगाना क्षेत्र में रोजगार की कतिपय श्रेणियों को केवल तेलंगाना के निवासियों द्वारा ही भरे जाने की आवश्यकता होती है। यह केवल तेलंगाना के लोगों में भय पैदा करने के लिए है कि उन्हें तटीय आंध्र और रयालसीमा क्षेत्रों की शिक्षित और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जातियों द्वारा बसाया गया है।

दोनों क्षेत्रो के बीच वित्तीय असंतुलन, रोजगार अवसरो की हानि के संबंध में तेलंगाना के शिक्षित वर्ग का भय, निज़ाम राज्य के आक्रमण/मुक्ति तथा उसके बाद चार वर्षो (1948-52) तक सैनिक शासन के अंतर्गत रहने वाले तेलंगाना के लोगों की सामान्य अनिश्चितताएं इन सभी ने आम लोगों की कठिनाईयों को बढ़ाया है। शब्दावली और उच्चारण की भिन्नता

ने भी दोनों तेलुगू आबादियों के वर्गों को विभाजित करके अलग और पहचान दी और उनके सामाजिक आचार और अन्य दैनंदिन कार्य-पद्धति भी भिन्न है।

तेलंगाना के लोगों की मांग सच्ची और न्यायपूर्ण है। वे उस भौगोलिक इकाई के पूर्व स्वरूप की बहाली और अनामेलन की मांग कर रहे हैं जो कि आंध्र प्रदेश गठित करने के लिए प्रयोजन से पूर्व में आंध्र राज्य के साथ मिला दी गई थी। भाषाई आधार के छद्मा में आंध्र राज्य संपन्न तो हुआ है, परंतु विगत छह दशकों में उसने इसके लिए तेलंगाना का शोषण किया है।

तेलंगाना आंदोलन के इतिहास को विभिन्न इतिहास, विषमताओं और अनार्विक विकास वाले क्षेत्रों के एकीकरण की एक निष्फल और गड़बड़ीपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। एक समान भाषा साठ वर्षों के बाद भी उक्त दोनों क्षेत्रों को संगठित करने में असफल रही है बल्कि भी उनके बीच समुचित सौहार्द का व्यवहार बढ़ाने में भी सक्षम नहीं रही है। इन सबसे केवल नफरत और मानसिक विभेद ही बढ़ा है।

उक्त भद्र समझौते में उन सभी प्रत्याभूतियों और आश्वासनों व राजनीतिक गठजोड़ को शामिल किया गया था जो संवैधानिक ढांचे के अंदर संभव थे। जो इस प्रकार संभव नहीं था, उसके लिए संविधान संशोधन करते हुए भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति से दी गई कि वह खंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों काफी विमर्श करके उन्हें स्वीकार किया गया परंतु बावजूद इसके तेलंगाना में असंतोष पैदा हुआ, जो आज भी जारी है और जो यह आभास अधिक देता है कि समय रहते ऐसी प्रत्याभूतियां अप्रभावी हो जाती हैं।

हैदराबाद शहर का अतिविशाल विस्तार ही सीमांध्र के राजनीतिक वर्ग द्वारा भारी धन संग्रहण का खुलासा करने लगा। तृतीयक स्तर की शिक्षा सेफेदपोश नौकरियों के लिए मांग बढ़ी। साधारण रोजगार में मंद बुद्धि के कारण ध्यान सरकारी नौकरियों की तरफ मुड़ा, जिसका कि वर्ष 1956 से तेलंगाना से वायदा किया जाता रहा है जो कि वर्ष 1971 में मुल्की नियमों के उन्मूलन के साथ ही खत्म हो गया था और जिसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 1975 में पुन: नवीकृत किया गया, परंतु जो आज तक कार्यान्वित नहीं हुआ है।

उदारीकरण के पश्चात् व्यापार में तेज वृद्धि, भूमि मूल्यों में उछाल, हैदराबाद में और उसके आस पास भू-आबंटन में घोटाले और आंध्र से आ रहे लालची वाशिंदों की भरमार है वहां एक ताकतवर घालमेल बना। इससे अन्याय की एक आशंका उपजी जो यह दर्शाती थी कि तेलंगाना का लगभग हरेक प्रत्येक गांव चुपचाप, दृढ़ता से और प्रतिबद्ध ढंग से पृथक तेलंगाना राज्य के लिए कमर कसकर तैयार था। जनता में यह आया की कि जब भी होगा, तो उसके बाल-बच्चों का भविष्य बेहतर होगा।

स्वाभिमान का यह संघर्ष फूटा और उन 1000 से अधिक विद्यार्थियों के बलिदान का साक्षी बना जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अब तक आत्महत्या की है। हैदराबाद के जन पार्क का शहीद स्मारक उनके बलिदान का दु:खद स्मरण कराता है और सीमांध्र क्षेत्र के शरारती पूंजीवादी राजनीतिक वर्ग के दुराधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष का स्मृतिशेष भी है।

चूंकि इस राज्य के गठन में होने वाला विलंब जारी रहा, अंत: पूरी स्थिति नाजुक बन गई और लगातार हो रहे आंदोलन के पश्चात्, सभी राजनीतिक दल तेलंगाना के गठन के लिए सहमत हुए तथा आंध्र प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने अपनी पार्टी की अध्यक्ष, मैडम सोनिया जी गांधी को दिसंबर, 2009 में अपना निर्णय बताया। उन्होंने बड़ी उदारता से तेलंगाना के लोगों की मांग के पक्ष में निर्णय किया। केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने इसे कार्यान्वित करने का संकल्प लिया और उसके परिणामस्वरूप तत्कालीन गृहमंत्री, श्री पी. चिदंबरम ने 9 दिसंबर, 2009 को अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया।

परंतु आंध्र के राजनीतिक नेताओं और उन निहित स्वार्थों वाले तत्वों जो हैदराबाद में और उसके आस-पास भूमि-धारक थे, तब एक आंदोलन को हवा दी और इस बार इसका नारा 1971 की तरह "जय आंध्र" नहीं था बल्कि यह आंदोलन भू-विक्रेताओं द्वारा पोषित किया था जिन्हें विभाजन पश्चात् हैदराबाद के इस राज्य की राजधानी बनने के कारण जमीन के दाम गिरने से नुकसान का डर सता रहा था।

संगठित आंध्र राज्य के लिए पूंजीवादी वर्ग द्वारा प्रायोजित इस छद्म आंदोलन से केन्द्र सरकार को 23 दिसंबर 2009 को यथास्थिति बहाल रखने का आदेश और जारी करना पड़ा। और श्रीकृष्णा समिति के गठन का आदेश जब तक यह समिति कार्य करती रही, तब तक तेलंगाना आंदोलन मार्ग से भटकता रहा।

यद्यपि उक्त समिति ने भारी-भरकम रिपोर्ट प्रस्तुत करके यथास्थिति बहाल करने का विरोध करने और तेलंगाना को राज्य का दर्जा न देने— इन, दोनों बातों में संतुलित साधने का ठिन प्रयास तथापि वह तेलंगाना के लोगों की भावना दबाने में असफल रहे बल्कि इसका परिणाम यह हुआ कि इससे तथाकथित गोलमोल तरीके से एक खुली चुनौती उभर गई जिससे आंदोलन को और हवा मिली और तेलंगाना के पीड़ित बंधुओं के संकल्प को बल मिला। यद्यपि यह आंदोलन विभिन्न मंचों द्वारा किया गया और बहुपक्षीय नेतृत्व से हुआ, तथापि यह अपने मात्र उद्देश्य-तेलंगाना पर एकजुट था।

तेलंगाना के लोगों में यह भवना घर कर गई है कि उनके साथ लंबे समय से भेदभाव किया गया है। यद्यपि राज्य का विशालतम बांध, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है, तथापि यहां से पानी सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है, जबकि तेलंगाना के किसान पानी के लिए त्रस्त हैं। इस क्षेत्र के लोगों के पास पर्याप्त स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की पहुंच की कमी है। दशकों की नजरअंदाजी के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र स्पष्टत: समय से पीछे चल रहा है।

छह दशकों से ज्यादा के संघर्ष और लड़ाई के बाद, और पहले ब्रह्मानंद रेड्डी सरकार की गोलियों से और फिर हाल ही में, सीमांध्र के अधिपति राजनीतिक वर्ग के प्रमुख दिवंगत वाईएसआर और किरनकुमार रेड्डी दोनों की अर्त्सनीय हृदयहीनता से अपने हजारों युवाओं को खोने के बाद के शोक के बावजूद तेलंगाना अब उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का इच्छुक है जो 1956 में उससे असंवैधानिक ढंग से छीन ली गई थी।

कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि तेलंगाना के लोगों सीमांध्र के राजनीतिक वर्ग के नेतृत्व वाली उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा सुनियोजित तरीके से शोषण करके और उत्तरोत्तर उन्हें वंचित बनाया गया है। असंख्य समितियों और आयोगों ने यह कहा है कि तेलंगाना को न्याय नहीं मिला। भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, जो इस वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं ने भी समान विचार व्यक्त करते हुए तेलंगाना को न्याय दिलाने का वादा किया है।

इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि वे इसके साक्षी हैं कि आमेलन के समय से इस बहस तक किस तरह तेलंगाना राज्य के इस सिलसिले में संविधान उल्लंघन हुआ है और आंध्र प्रदेश विधान सभा में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक, 2013 को निष्फल करने के लगातार प्रयास से भी कोशिशें हुई हैं।

वर्तमान तेलंगाना विरोधी लॉबी का नेतृत्व किसी और के द्वारा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, इसे उन चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगमोहन रेड्डी और लगादापति राजगोपाल द्वारा किया जा रहा है, इन सभी के अपने स्वयं के पूंजीवादी हित हैं।

तेलंगाना के लिए लड़ाई असहाय तेलंगाना लोगों और बड़े पूंजीवादी वर्ग के मध्य है, जिनका प्रतिनिधित्व किरण कुमार रेड्डी, वाई एस जगमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू इत्यादि द्वारा किया जा रहा है।

तेलंगाना विधेयक पर वाद-विवाद के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं असहाय तेलंगाना लोगों की ओर से इस सम्मानित सभा के सदस्यो से अपील करता हूं, जो आदिकाल से ही इस राष्ट्र के लोगों की चिन्ताओं वाकिफ़ रहा है कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और तेलंगाना लोगों की मांग का समर्थन करें।

तेलंगाना के लोग इस सभा से केवल यही अपील करते हैं कि कुछ पल के लिए अपने आपसी अंतरों को भूलाकर तेलंगाना को मुक्त करें जो आधी शताब्दी से अधीनस्थतता और अनिश्चितता की स्थिति से गुजर रहा है हम तेलंगाना के लोग आप से अनुरोध करते हैं कि आप हमें इसे दरिद्रंता से उबारें। इस मुद्दे को अब अनिर्णित छोड़ना लोगों की चिन्ताओं और बोलाहल को बढ़ाएगा, जोकि पहले से ही शोषित हैं।

आज ये सभा इतिहास के ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां इसके द्वारा लिया गया कोई निर्णय या तो तेलंगाना के लोगों को अपार खुशियां देगा या उन्हें कुंठा या निराशा में गिरा देगा, जोकि राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनपने का अवसर प्रदान करेगा। कृपया अपनी अंतरात्मा और 4 करोड़ तेलंगाना लोगों की आवाज को सुनिए और हमारे साथ बोलिए भारत का 29वां राज्य जय तेलंगाना।

***श्री गुरुदास दासगुप्त** (घाटल) : मैं, तेलंगाना के निर्माण संबंधी विधेयक का समर्थन करता हूं परंतु सीमांध्र के लोगों की चिन्ता को भी संबोधित किया जाना चाहिए।

कृष्णा और गोदावरी के जल को इस प्रकार प्रबंधित किया जाना चाहिए कि सीमांध्र के लोगों के साथ भेदभाव न हो।

***श्री सुदीप बंदोपाध्याय** (कोलकाता-उत्तर) : हमने यहां मत-विभाजन से प्रारंभ किया फिर इतना अधिक बवाल निर्मित करने की आवश्यकता और महत्ता क्या है? कांग्रेस पार्टी इस स्थिति का सामना करने में पूरी तरह असफल रही। उनका स्वयं अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ममता बनर्जी ने गोरखालैंड मांग की स्थिति का काफी अच्छे ढंग से सामना किया जो अनुकरणीय है। भारत सरकार को उनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी। वह भारत सरकार का मार्गदर्शन कर सकती थी।

[हिन्दी]

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी) : तेलंगाना अलग राज्य बनने के लिए बिल का समर्थन करता हूं। बहुत पुरानी मांग थी। न्यायोचित मांग थी।

बिल पास होना चाहिए जिसका मैं समर्थन करता हूं।

***श्री सुरेश कुमार शेटकर** (जहीराबाद) : मैं, अपने दल द्वारा प्रस्तावित तेलंगाना विधेयक/आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का समर्थन करता हूं।

तेलंगाना के निर्माण के आलोक में मेरा यह मानना है कि यह तेलंगाना राज्य का विभाजन नहीं है अपितु पूर्व विलय से अलग करना मात्र है। मैं, सामान्य रूप में कांग्रेस पार्टी की सराहना करना चाहूंगा विशेषकर श्रीमती सोनिया गांधी जी का जिन्होंने पिछले छह दशकों की अवधि से तेलंगाना के लोगों के साथ अपनी गहरी संवेदनाओं को जोड़ा है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रोजगार के अवसरों, शिक्षा और व्यवसाय हेतु तेलंगाना क्षेत्र का दोहन सर्वविदित तथ्य है। यह सच्चाई की तेलंगाना संवेदना और आंदोलन छह दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में है, यह दर्शाता है कि तेलंगाना क्षेत्र न केवल उपेक्षित बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शोषित भी है।

वस्तुत: तेलंगाना और सीमांध्र की संस्कृति काफी विपरीत है। तेलंगाना एक क्षेत्र नहीं यह अपितु एक समृद्ध पृथक देश था। खेतों में सिंचाई को लेकर सीमांध्र लोगों का शोषण सर्वविदित है। छह दशकों में से केवल आठ वर्ष ही तेलंगाना से किसी मुख्यमंत्री का रहना इस बात को दर्शाता है कि राजनीतिक दृष्टि से ये कितना शोषित रहे हैं।

तेलंगाना के लोगों का आत्म सम्मान और स्वशासन के लिए लड़ने का लंबा इतिहास रहा है। मुगल साम्राज्यवाद के विरुद्ध सुरवईपापडु विद्रोह, 1940 के दशक में सामंतवाद के विरुद्ध तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन और आंध्र शासक वर्ग के विरुद्ध 1969 का तेलंगाना आंदोलन, ऐसे कुछ उदाहरण हैं।

1956 में तेलंगाना लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध तेलंगाना का आंध्र में विलय कर दिया गया था। 56 वर्ष तक एकीकृत राज्य के रूप में रहने के बावजूद दोनों क्षेत्र के लोगों के बीच संवेदनात्मक एकीकरण नहीं हुआ। "आंध्र प्रदेश" की अवधारणा मात्र एक संवैधानिक विचार बनकर रह गया।

तेलंगाना के लोगों ने महसूस किया कि नौकरियों, भूमि, जल बंटवारे इत्यादि के संबंध में आंध्रा शासकों ने तेलंगाना के लोगों को रोजगार, भूमि, पानी इत्यादि के अभाव में रहा। 1950 के दशक से ही लोगों के आंदोलनों ने बार-बार अपनी पहचान को बरकरार रखा तथा अन्याय और भेदभाव एवं तेलंगाना लोगों की वास्तविकता को जानबूझकर विकृत रूप दिए जाने के विरुद्ध लड़ाई की।

मुल्की नियमों का उल्लंघन किया गया। मल्की नियमों का बड़ा उल्लंघन अभिभावकीय नेटिविटी पैतृक रिहायश और निवास अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना था।

राष्ट्रपति आदेश, 1975 का उल्लंघन: सन् 1975 से 1985 के बीच राष्ट्रपति आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ।

संगत जोनों से असंबद्ध कर्मचारियों को वापस भेजने के लिए 1985 में जी.ओ. 610 जारी किए गए।

तथापि इस जी.ओ. को भी कार्यान्वित नहीं किया गया।

वर्ष 2001 में टीडीपी ने राष्ट्रपति आदेश 1975 के उल्लंघनों की जांच करने के लिए श्री जी.एम. गर्गलानी आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया।

2004 की अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि सचमुच इस आदेश का उल्लंघन किया गया, इसकी भ्रांत व्याख्या की गई और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों की सनक के अनुसार इसको शिथिल किया गया और नजरअंदाज किया गया।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया किन्तु उसने अन्याय को समाप्त करने के लिए सुझाए गए किसी भी उपाय को लागू नहीं किया।

यद्यपि तेलंगाना क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है यथा कोयला और पानी, इन संसाधनों की अधिकांश मात्रा का इस्तेमाल आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 5897 मेगावाट की है जबकि आंध्र प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता 16386 मेगावाट है। दूसरी और तेलंगाना में विद्युत की मांग आंध्र प्रदेश की कुल मांग का 56 प्रतिशत है।

तेलंगाना में कृष्णा नदी का कुल 68.5 प्रतिशत जलागम क्षेत्र है। बदावत अधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश को आबंटित 811 टीएमसी पानी में से तेलंगाना क्षेत्र के लिए केवल 300 टीएमसी पानी ही निर्धारित किया गया है। यद्यपि सिंचाई संबंधी विकास कार्य में कृष्णा नदी का समग्र आबंटित पानी समाप्त हो जाता है, अधिशेष पानी के आधार पर कृष्णा नदी के पानी की बड़ी मात्रा को पेन्नार बेसिन में ले जाने के लिए पोठीरेड्डीपाटु का निर्माण किया गया है। वास्तव में बृजेश कुमार अधिकरण ने अधिशेष पानी हेतु अभी भी अनुमोदन नहीं दिया है। यह विवाद का विषय हो सकता है।

एक पृथक तेलंगाना राज्य की मांग भारत की सबसे दीर्घकालिक और विश्व की दीर्घकालिक मांग में से एक है।

मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को लोकतांत्रिक तरीके से तेलंगाना गठन विधेयक लाने छह दशकीय समस्या को मानवीय तरीके से समाधान करने और इस पर विचार करने के लिए बधाई देता हूं।

***पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)** : व्यक्तिगत रूप से मैं एकीकृत आंध्र प्रदेश की हिमायती हूं, तथापि, मैं सीडब्लूसी द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन करूंगी क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूं और इसी पार्टी से संसद सदस्या हूं। साथ ही, राज्य मंत्री होने के कारण मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता वाले संघीय

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मंत्रिमंडल के निर्णय के प्रति भी प्रतिबद्ध हूं। इसके अतिरिक्त मैं हमारी पार्टी अध्यक्षा आदरणीयां मैडम सोनिया गांधी जी द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करूंगी।

भारतीय संविधान के जनक और समाज के पिछड़ों और पददलितों के मसीहा डॉ. बी.आर अंबेडकर ने इन वर्गों के व्यापक हित के लिए छोटे राज्यों की वकालत की है। डॉ. बी.आर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित और एक दलित प्रतिनिधि सांसद के रूप में मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं।

राष्ट्रपति आदेश के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों का पुर्नसमायोजन अद्यतन जनगणना आंकड़ों के अनुसार किया जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के उक्त विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन सूत्र के अनुसार आंध्र प्रदेश के अवशिष्ट राज्य में बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में अ.जा./अ.ज.जा. विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों का पुर्नसमायोजन 2014 के आम चुनाव के पूर्व में किया जाना होगा और यदि आवश्यक हो तो अवशिष्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा चुनावों को स्थगित कर इसका पुर्नसमायोजन किया जाना चाहिए।

सीमांध्र क्षेत्र के लोगों के भावनाओं के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के अवशिष्ट राज्य का विकास हैदराबाद क्षेत्र के विकास के समान ही किए जाने की आवश्यकता है। सीमांध्र लोगों की मुख्य मांग और इच्छा है कि हैदराबाद को संघ राज्यक्षेत्र बनाया जाए ताकि समाज के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हो सके।

आंध्र प्रदेश के अवशिष्ट राज्य (सीमान्ध्र क्षेत्र) हेतु विजयवाड़ा और गुंटूर क्षेत्रों के बीच राजधानी की स्थापना: अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध विजयवाड़ा को राजधानी बनाया जाए क्योंकि यह तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों के बीच अवस्थित है।

विजयवाड़ा जैसाकि नाम से स्पष्ट है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान 'बेजावाड़ा' के नाम से जाना जाता था। अत: शेष आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के रूप में इसे देखा जाना उचित होगा। सीमांध्र क्षेत्र में सभी विकसित नगरों में विजयवाड़ा कुछ हद तक महानगर की तरह दिखता है, अत: यह राजधानी के लिए उपयुक्त है।

यद्यपि विजयवाड़ा में जमीन की कमी है तथापि इसका समाधान विजयवाड़ा नगर विकास प्राधिकरण (बीयूडीए) के अधिकार क्षेत्र को पड़ोसी जिलों गुंटूर, प्रकाशम तथा पश्चिम गोदावरी जिले की 50 किमी की परिधि में विस्तार कर किया जा सकता है। इसे जीएचएमसी या हैदराबाद के एचएमडीए की तर्ज पर किया जा सकता है जिसके लिए अधिकार क्षेत्र को नालगोंडा, महबूबनगर तथा मेदक जिलों तक विस्तारित किया था।

इसके अलावा, भौगोलिक स्थिति अनुकूल है क्योंकि कृष्णा नदी जुड़वा शहरों को अलग करती है। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर को अलग करने वाले हुसैन सागर झील की तरह है जो दोनों शहरों को अलग करती है।

सीमांध्र लोगों की मुख्य चिंता शिक्षा और रोजगार है। सीमांध्र के लोग कई सीढ़ियों से रह रहे हैं तथा यदि नए राज्य का गठन होता है तो वे उपेक्षित महसूस करेंगे क्योंकि उनके पास कोई अवसर नहीं होगा। इसके समाधान के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की जाए।

चूंकि हैदराबाद में हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जेएनटीयू, सीआईईएफएल, एनआईआरडी, एपीएयू, आईएसबी तथा एनआईएमएस आदि जैसे बहुत से शिक्षा संस्थान है इसलिए सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक जिले में रोजगार हो तथा उत्पादन करने वाले उद्योग/इकाई आदि हों। शेष आंध्र प्रदेश निम्नवत् की स्थापना की जाए:—

- अनंतपुर में आईआईटी
- विजयवाड़ा में एम्स और निफ्ट
- तिरुपति में आईआईएम
- विशाखापत्तनम में एनआईडी और भेषज केन्द्र
- बापतला में वर्तमान कृषि महाविद्यालय का उन्नयन कर कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।
- वर्तमान आंध्र विश्वविद्यालय, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तथा नागार्जुन विश्वविद्यालय का उन्नयन कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।
- नेल्लोर में इफको की स्थापना।
- विजयवाड़ा में दक्षिण पूर्व तट रेलवे के नाम से एक नए जोनल रेलवे की स्थापना।

सीम्रांध के लोगों और छात्रों आदि में हाय-तौबा मची है एवं इनके आंदोलनों में कहा जा रहा है कि राज्य के बंटवारे के कारण मूल निवासियों को अब हैदराबाद में रोजगार नहीं मिलेगा। अत: बेरोजगार युवाओं और छात्रों में रोजगार सृजन के संबंध में विश्वास बहाल किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भावी आईटी परियोजनाओं एवं अन्य उद्योगों में सीमांध्र के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 85 प्रतिशत रोजगार आरक्षित

किया जाए ताकि विभाजन के कारण रोजगार न पाने का डर दूर हो सके।

हैदराबाद में एनआईएमएस जैसे कॉर्पोरेट सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल तथा बहुत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। नए राज्य के सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राज्य के इस क्षेत्र विजयवाड़ा प्रस्तावित राज्य की राजधानी में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय पहले से मौजूद है। प्रत्येक जिले में सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय, जहां ये स्थापित नहीं हैं, की स्थापना की जाए ताकि चिकित्सा शिक्षा एवं लोगों के स्वास्थ्य देखभाल में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

नेल्लौर जिले में लगभग 2000 एकड़ भूमि खरीदी गई थी एवं रचरलायडु में इफको की स्थापना के लिए किसानो को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया तथा सभी आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त की गई थी। तथापि, काम शुरू नहीं हो सका और इस बीच इसे किसान एसईजेड में बदल दिया गया। अब इस क्षेत्र में इफको परियोजना को पुन: शुरू करना उचित होगा ताकि यह कृषि पर आधारित समुदायों को लाभ प्रदान करे।

इस क्षेत्र को सिंचाई के कार्य के लिए जल कृष्णा और गोदावरी नदियों से मिलता है जो अविभाजित राज्य से होकर बहती हैं, निचले फसली क्षेत्रों/लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों एवं पिछले पांच से छह दशक तक सिंचाई कार्य एवं आर्थिक विकास के लिए जल के ऐतिहासिक उपयोग से उत्पन्न अधिकारों की रक्षा की जाए क्योंकि यह वर्तमान में मौजूद है। सीमांध्र क्षेत्र के पूर्व-तट स्थित बर्मिघम नहर के पुनर्निमाण तथा इसके प्रचालन को फिर से बहाल किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी क्षेत्र में कृषि औद्योगिकीकरण तथा विकास के लिए बिजली आवश्यक है। वर्तमान विद्युत संयंत्रों को आधुनिक बनाए जाने पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जिन नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना की योजना हैं, उनकी स्थापना तट पर की जाए एवं इन संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान किया जाए।

बीएचईएल, बीईएल, ईसीआईएल, एचसीएल, बीडीएल, एनएफसी तथा एचएएल जैसी सभी सरकारी क्षेत्र की बड़ी इकाइयां हैदराबाद में स्थित हैं। इस क्षेत्र में कुछ और बड़ी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं।

क्षेत्र के संतुलित विकास और रोजगार प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता है न कि जैसाकि पहले किया गया है कि हैदराबाद जैसे शहर में एक ही स्थान पर उद्योगों को स्थापित किया गया है। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में कर छूट की घोषणा की जाए क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गठन के दौरान किया गया था।

इसके अलावा निम्नलिखित पर विचार किए जाने की आवश्यकता है:—

- समुद्र तट के साथ-साथ औद्योगिक तटीय गलियारे पर विचार किया जाए।
- नेल्लोर जिले के कोटा मंडल के कोत्तापटनम में इंटरनेशनल लेदर पार्क का त्वरित कार्यान्वयन।
- विशाखापट्नम में फॉर्मास्यूटीकल शहर का त्वरित कार्यान्वयन
- नेल्लोर जिले के दुग्गारजपट्टनम में नए पत्तनों का विकास। प्रकाशम/गुंटूर जिलों में वानपिक (वीएएनपीआईसी)
- विशाखापट्नम में पेट्रो रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी और फिल्म परिसर।
- विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
- विशाखापट्नम/विजयनगरम में सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश (आईटीआईआर) क्षेत्र।
- गुंटूर और विशाखापट्नम जिलों में वस्त्र और परिधान पार्क।
- प्रकाशम जिले के वानपिक में तेल शोधक कारखाने की स्थापना।

आंध्र प्रदेश के बंटवारे के पश्चात् अलग जोनल रेलवे की आवश्यकता है क्योंकि सीमांध्र क्षेत्र में अत्यधिक यात्री और माल यातायात होता है। वर्तमान विजयवाड़ा रेलवे मंडल भारत के सबसे बड़े मंडलों और जंक्शनों में से एक है। इसलिए वर्तमान विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल मंडलों और विशाखापट्नम मंडल का विलय करके शेष आंध्र प्रदेश हेतु इसके विजयवाड़ा में मुख्यालय सहित दक्षिण पूर्व-तटीय रेलवे नाम रखकर बड़ी संख्या में यात्रा करने वाली जनता के हित में एक अलग जोनाल रेलवे जरूरी है।

बेहतर परिवहन और प्रशासनिक सुविधा और आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों के संतुलन को भी बेहतर बनाने के लिए तिरुपति/रेनीगुंटा में एक नया मंडल स्थापित किया जाए। वर्तमान में तटीय क्षेत्र में 3 मंडल हैं और एक मंडल जोकि रायलसीमा क्षेत्र के गुंटकल में उपलब्ध है।

जलवाष्प युग में बित्रागुंटा सबसे बड़ी रेलवे स्थापना थी और इसे भारत का छोटा इंग्लैंड का नाम दिया गया था क्योंकि अनेक यूरोप वासियों ने ड्राईवर्स, गार्ड्स और अन्य ओपरेटिंग स्टॉफ के रूप में रेलवे में कार्य किया था। यद्यपि 2000 एकड़ रेलवे की भूमि उपलब्ध है और उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसके आलोक में उपर्युक्त परियोजना के लिए उपयोग नहीं की गई भूमि का उपयोग करके बिट्रगुंटा को महत्व देने की आवश्यकता है।

बपाट्ला-निजामपत्तनम-रिपल्ले के बीच नई स्वीकृत रेलवे लाइन और गुड्र-दुग्गारजपट्नम के बीच नई बड़ी लाइन को पूरा करने का काम, नाडीकुडी-श्रीकलाहस्ती रेलवे लाइन को पूरा करने का कार्य, गुंटूर-तेनाली रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य जिसको पहले ही स्वीकृति दी गई थी का कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराने के लिए इस कार्य को वरीयता के आधार पर किया जाये।

विशाखापट्नम हवाई अड्डे के अलावा वर्तमान विजयवाड़ा और तिरुपति हवाईअड्डों का यात्रियों और कार्गो दोनों प्रयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में उन्नयन किया जाए क्योंकि इससे तटीय और रायलसीमा दोनों क्षेत्रों की महत्वाकांक्षी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

उपेक्षित किए जा रहे पर्यटन क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। सीमांध्र तट पर व्यापक संसाधनों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित तटों को विकसित करने की आवश्यकता है:—

- गुंटूर जिले में सूर्य लंका बीच रिसोर्ट।
- नेल्लोर जिले में कोथाकोडुरू/माइपाडू बीच।
- विशाखापट्नम बीच।
- अराकू वेली।
- होर्सली हिल्स।
- पुलीकट क्षेत्र में लघुद्वीप

राज्य के बंटवारे के नोट के अनुसार शेष आंध्र प्रदेश राज्य में केवल 13 जिले होंगे। सीमान्ध्र क्षेत्र में 25 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की तर्ज पर कुल 25 जिले बनाए जाने की आवश्यकता है।

राजमुंदरी का के.जी. बेसिन इस क्षेत्र का एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें गैस उत्पादन की क्षमता विद्यमान है और आरआईएल और ओएनजीसी दोनों की स्थापनाएं इस क्षेत्र में विद्यमान है। प्रस्तावित ओएनजीसी हरित भवन की स्थापना काकीनाडा/राजमुंदरी में जाए क्योंकि यह ओएनजीसी की प्रशासनिक सुविधा के लिए बेहतर है।

प्रकाशम जिले के वानपिक क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी की आवश्यकता है। रिफाइनरी के स्थान के लिए पूर्वापेक्षित आवश्यकता वानपिक (वोडादेवू निजामपट्नम इंडस्ट्रियल कोरीडोर) क्षेत्र में पूर्णतया उपलब्ध है। इसमें 6000 एकड़ सरकारी भूमि, प्रचुरमात्रा में जल आपूर्ति, रेलवे कनेक्टिविटी, पाइप लाइन प्रावधान आदि उपलब्ध हैं।

पूर्व में किए गए प्रस्ताव के अनुसार गुडूर में एलपीजी बोटलिंग प्लांट की स्थापना दूरवर्ती क्षेत्रों से इसकी ढुलाई की समस्या को दूर करने के लिए और जनता को इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

सीमांध्र क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके लिए उनकी जनसंख्या (24%) के यथानुपात बजट में 15,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विशेष आबंटन की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास बोर्ड के नाम से एक अलग क्रियान्वयन तंत्र की स्थापना की जाए।

बंटवारे पर अनुसूचित जातियों के लिए विधान सभा सदस्यों की पात्रता : अनुसूचित जनजाति संघों, बुद्धिजीवियों और अनुसूचित जनजाति संगमों आदि ने अभ्यावेदन दिया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के पिछले परिसीमन जो आंध्र प्रदेश में भी हुए थे में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान सभा सदस्य की सीटों के आबंटन हेतु राज्य को इकाई मानकर मानदंड तैयार किए गए थे।

तद्नुसार, आवंटित की गईं 19 सीटों में से 12 सीटें तेलंगाना क्षेत्र में आईं और 7 सीटें आंध्र क्षेत्र में आईं। यदि राज्य का विभाजन होता है, तो शेष आंध्र प्रदेश राज्य (सीमांध्र) को इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए और सीटें तद्नुसार जनसंख्या के प्रतिशत की बहुलता के आधार पर आवंटित की जाएं। इस परिप्रेक्ष्य में शेष आंध्र प्रदेश राज्य (सीम्रांध) को 9 सीटें आवंटित की जाएंगी। परिसीमन आयोग 2008 की रिपोर्ट के पृष्ठ 10 के आधार पर 8वीं सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) की 15.16 प्रतिशत आबादी वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 123 पतपटनम (जिला श्रीकाकुलम) को और 9वीं सीट एसटी की 13.62 प्रतिशत आबादी वाले 235 कोवूर (जिला नेल्लोर) को जाएगी।

पृष्ठधार टिप्पण (पृष्ठ-7, खंड-च) में यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण दोनों राज्यों में अगला परिसीमन होने तक अपरिवर्तित रहेगा, जो कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (तिसरा) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन के संबंध में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, 2013 के 2013 -

संख्यांक-10 का विरोधाभाषी है। इसलिए, अनुसूचित जन जातियों के लिए विधानसभा सदस्यों की सीटों की पात्रता को अध्यादेश की भावना के अनुरूप संशोधित करने और जनजातीय समुदाय को न्याय देने की आवश्यकता है।

***श्री पोन्नम प्रभाकर** (करीमनगर) : इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जब तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों का सपना साकार हो रहा है और सीमांध्र के कुछ संसद सदस्य बिना किसी नैतिकता और पेपर स्प्रे तथा चाकुओं के साथ इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में, मैं दोहराना चाहता हूं कि हम क्यों तेलंगाना राज्य चाहते हैं और किस प्रकार यह लोकतांत्रित जरूरत और संवैधानिक मांग है।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी नेता और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्हें मैं अपना गुरु और मां समान मानता हूं, को धन्यवाद देना चाहता हूं। लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण सोनिया जी तेलंगाना के लिए एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। सोनिया गांधी ने महिलाओं और लोगों के सशक्तीकरण और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया।

महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और तेलंगाना राज्य का गठन आदि इस देश के विकास में कांग्रेस सरकार के प्रमुख योगदान हैं। इस अवसर पर, मैं 28 उन कारणों को बताना चाहूंगा ताकि अलग तेलंगाना राज्य बनाने की जरूरत क्यों है। मैं वायदों, समझौतों, शासनादेशों और निर्णयों के ऐसे 20 मामले गिना सकता जिनका उल्लंघन किया गया है। मैं 1969 में तेलंगाना में विरोध प्रदर्शनों में शहीद हुए लोगों और राज्य के गठन के इंतजार में हताशा और चिंता में अपनी जान गंवाने वाले हजारों युवा लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

तेलंगाना के लिए संघर्ष किसी लोकतांत्रिक समाज के इतिहास में शायद सबसे लंबा संघर्ष था। काकतीय साम्राज्य के पत्तन के बाद तेलंगाना सदियों तक स्वशासन के लिए प्रतीक्षा करता रहा। हर बार, विस्तारवादियों, भयादोहियों और शोषकों ने एक राज्य के रूप में तेलंगाना का पुरजोर विरोध किया। ऐसे अहम मोड़ पर जब तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों का सपना साकार होने जा रहा है, तब 13 फरवरी 2014 को सीमांध्र के कुछ संसद सदस्यों ने अपने सहयोगियों और अध्यक्ष की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर सदन में काला इतिहास रचा। उन्होंने चाकुओं और पेपर स्प्रे गन की ताकत दिखाई। इससे साबित होता है कि तेलंगाना राज्य की मांग किस प्रकार एक आवश्यक लोकतांत्रिक जरूरत और समुचित संवैधानिक मांग थी।

इस पृष्ठाधार टिप्पण में इस बात के 28 स्पष्टीकरण हैं कि अलग से तेलंगाना राज्य बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें वायदों, समझौतों, शासनादेशों और निर्णयों इत्यादि के उल्लंघन के 20 मामले सूचीबद्ध हैं।

तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से क्यों अलग किया जाना चाहिए?

आंध्र के लोग तेलंगाना के साथ न तो भाषाई रूप से और न ही सामाजिक रूप से एकीकृत हो पाते थे। यह सारी दुनिया ने देखा कि सीम्रांध से आने वाले सभी दलों के संसद सदस्यों ने किस प्रकार हर मौके पर तेलंगाना से नफरत की जो खासतौर पर 2014 में संसद में पिछले सप्ताह के सत्र से देखा गया। गत कई दशकों से आंध्र प्रदेश में अशांत और विरोध की स्थिति बनी हुई है। इससे तेलंगाना में उन लोगों के लिए पहचान का संकट पैदा हुआ, जो सांस्कृतिक रूप से दबे हुए थे और जिनके इतिहास की अनदेखी की गई। सीमांध्र के लोग उनकी इज्जत नहीं करते, वो तेलंगाना के उन लोगों की इज्जत नहीं करते, जो सांस्कृतिक रूप से दबे हुए थे, उनके इतिहास की अनदेखी की गई। सीमांध्र के लोग उनका आदर नहीं करते। वो तेलंगाना के लोगों को इंसान नहीं समझते। उन्हें तेलंगाना का भाषाई उच्चारण बर्दाश्त नहीं है और इसके अलावा वो तेलंगाना की संस्कृति से भी नफरत करते हैं।

पानी, धन, रोजगार और अवसरों जैसे संसाधनों का गैर-जरूरी और लगातार विपथन किया गया। शिक्षा सिंचाई, रोजगार इत्यादि संबंधी सुविधाओं में तेलंगाना के साथ काफी भेदभाव किया जाता है। तेलंगाना ने लंबे समय तक बहुत बर्दाश्त किया है। लोगों के किसी भी समूह के लिए इस प्रकार का शोषण, भेदभाव और जान-बूझकर की गई अनदेखी को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है।

पूरे तेलंगाना के लोग ये चाहते हैं और इसकी मांग कर रहे थे। 1950 से उनकी आवाज दबाई जा रही थी। तेलंगाना राज्य के लिए मांग करना उनका औचित्यपूर्ण अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में पृथक राज्य की मांग जायण है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने से अखंडता प्रभावित नहीं होती। साथ मिलकर रहना आपसी स्वीकृति पर निर्भर रहता है। तेलंगाना के लोग आंध्र और रायलसीमा जिलों के लोगों के साथ रहने के लिए सहमत नहीं हैं। समूहों अथवा उप-क्षेत्रों के मध्य एक जो सामाजिक संपर्क होना चाहिए वह या तो नदारद था या पूर्ण रूप से जिसकी अवमानना की गई। जब फ़ैज़ल अली की अध्यक्षता वाले प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश के गठन की सिफारिश नहीं की तो नेहरू जी ने इस शर्त के साथ कि, यदि तेलंगाना संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास पृथक होने का विकल्प होना चाहिए, सीमांध्र की पैरवी की। संप्रग अध्यक्ष सोनिया जी नेहरू जी की इच्छा पूरी कर रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उच्च जाति के कुछ अमीर लोगों को छोड़कर आम लोग पृथक आंध्र राज्य की मांग कर रहे है। हैदराबाद में भूमि और उद्योगों में उनका निहित स्वार्थ हो सकता है परंतु एकता में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं है। उनका संपूर्ण 'समैयान्ध्र' (संयुक्त आंध्र) आंदोलन मात्र आंध्र की एकता के लिए है जिसमें तेलंगाना शामिल नहीं है। एकता के नाम पर हैदराबाद अथवा नई दिल्ली में आयोजित रैलियों में तेलंगाना का एक भी व्यक्ति नहीं था। एकता अथवा अखंडता उनकी व्यर्थ मांग है। यहां तक कि वे इसे आंध्र प्रदेश की एकता भी नहीं कहते, बल्कि वे इसे 'आंध्र' की एकता तक सीमित रखते है जिससे तेलंगाना के विरुद्ध उनके वैरभाव का पता चलता है। यदि समूचा आंध्र भी सर्वसम्मति से चाहे तो यह एकता नहीं हो सकती क्योंकि तेलंगाना पूर्ण रूप से इसके विरुद्ध है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के संबंध में आंध्र के लोगों में कोई सर्वसम्मति नहीं है। रायलसीमा आंध्र में शामिल नहीं होना चाहता और सीमांध्र में अधिकांश लोगों ने रायलसीमा के बिना एक पृथक आंध्र की मांग की थी। यह मांग 1972 में की गई थी और अब यह बढ़ गयी है।

लोगों ने 1971 में जब पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत के पश्चात् श्रीमती इंदिरा गांधी की अगुवाई के कांग्रेस के समर्थन की लहर थी, संसद की 13 में से 11 सीटों पर उसके प्रतिनिधि चुनते हुए तेलंगाना के लिए जोरदार मतदान किया। यह तेलंगाना के लिए पुरज़ोर भावना का प्रतिबिंबन है। वर्ष 2004 में तेलंगाना और आंध्र के लोगों ने तेदेपा सरकार के विरुद्ध मतदान किया जिसके चुनाव घोषणा-पत्र में संयुक्त राज्य का मुद्दा था। चुनावी गठबंधन के साथ लड़ने वाली कांग्रेस और तेरास पार्टी को भारी मत से निर्वाचित करते हुए लोगों ने तेलंगाना को सकारात्मक सह सहमति दी। तेलंगाना के लिए मतदान करने वालों की संख्या का आकलन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 2009 के मतदान के दौरान प्रत्येक दल ने पृथक तेलंगाना का वचन दिया था। सीमांध्र के नेता यह तर्क दे रहे है कि चूंकि तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने बहुत कम सीटें जीती हैं अत: में तेलंगाना के मात्र केवल कुछ लोग ही पृथक तेलंगाना की मांग कर रहे थे। वर्ष 2004 में कांग्रेस के साथ और वर्ष 2009 में तेदेपा के साथ गठबंधन करने के कारण टीआरएस ने केवल कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा। वर्ष 2004 में कांग्रेस को मिले बहुमत और टीआरएस-टीडीपी गठबंधन द्वारा सभी सीटों पर प्राप्त की गई जीत को तेलंगाना के लिए जन समर्थन के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है। जब प्रत्येक दल ने वर्ष 2009 में तेलंगाना का ही वायदा किया तो यह कहना गलत है कि सभी लोग तेलंगाना नहीं चाहते।

7 दिसंबर, 2009 को जब मुख्य मंत्री श्री रोसैया ने बैठक बुलाई तो सभी दल इस पर सहमत थे कांग्रेस विधायी दल ने इसका समर्थन किया और कहा कि वे तेलंगाना के विरोध में नहीं है और उन्होंने इसका निर्णय लेने के लिए अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी को अधीकृत किया। तेलुगू देशम पार्टी के चंद्रबाबू, विपक्षी नेता, ने तो यह कहते हुए कांग्रेस दल को चुनौती दी कि "आप विधेयक लाईए और इस तेलुगू देशम पार्टी का समर्थन लीजिए।" 9 दिसंबर, 2009 को केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा तेलंगाना की घोषणा परस्पर सहमति, सर्वसम्मति व समर्थन पर ही आधारित थी। और राजनीतिक सरकार प्रभाव दिसंबर 2009 के महीने में ही संसद में भी तेलंगाना के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अनेक बहु-दलीय बैठकों में भी इस हेतु एक व्यापक सहमति उभर कर सामने आई।

पृथक्करण के बाद भी तेलंगाना कोई छोटा राज्य नहीं है। इसके आकार और जनसंख्या को देखिए तेलंगाना कोई छोटा राज्य नहीं होगा। यह मांग छोटे राज्यों की मांग पर निर्भर नहीं है। जो लोग छोटे राज्यों का विरोध करते हैं, वे भी तेलंगाना का समर्थन कर सकते है क्योंकि अब यह भारत के अनेक राज्यों की तुलना में एक बड़ा राज्य होगा। और फिर आंध्र प्रदेश, जो अभी तक पूर्णत: एकीकृत नहीं है, से तेलंगाना का अलग होना मात्र पृथक्कृत होने की घटना है न कि एकीकरण का विनष्टीकरण यह वर्ष 1956 से पूर्व तक पहचान चिन्हित किए गए, पूर्व से ही विद्यमान और एक व्यवहार्य राज्य के रूप में बदल पुन:स्थगित रहा है जो कोई नई बात नहीं मानी जाएगी।

हमारे संविधान की उद्देशिका, राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धात, अनुच्छेद 37, 41 और 14 राज्य पर नागरिकों को समान संरक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करते हैं। तेलंगाना क्षेत्र और इसके लोगों के साथ असमान व्यवहार हुआ था और इसीलिए तेलंगाना को इस संरक्षा की आवश्यकता है। अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत केवल संसद दी 'किसी राज्य' की सरकार अथवा किसी राज्य में स्थित' स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अधीन नौकरियों के लिए आवश्यक निवासीय अर्हता निर्धारित कर सकती है। एकल नागरिकता की धारणा और स्थानीय नौकरियों की न्यायोचित स्थानीय मांगों पर आधारित समानता के परस्पर-संघर्षों दावों का समायोजन करना का प्रयास इस नियम का अपवाद है।

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अंबेडकर ने भाषाई राज्यों का विरोध क्यों किया और प्रवासियों के स्वामित्वाधिकर की मांग की बात क्यों की। बंगालियों के लिए बंगाल और मद्रासियों के लिए मद्रास जैसी मांगों की आलोचना के में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने यह टिप्पणी की: ... "आप ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दे सकते जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत को उन पक्षियों की भांति जाते है जिनका उस स्थान से कोई मूल संबंध कोई रिश्ता नहीं होता, जो आते हैं, पदों के लिए जैसे इसी कारण आवेदन करते हैं कि मोटा लाभ उठाएं और वहां से निकल जाएं...(संविधान सभा वाद-विवाद, पृष्ठ 7001)

संविधान सभा ने राज्य के अंतर्गत रोजगार संबंधी मामलों में मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हुए विभिन्न राज्यों के विकास में व्यापक असमानता को नोट किया और महसूस किया कि राज्य में निवास के आधार पर प्राप्त रोजगार की संरक्षा रखना अत्यावश्यक है और इन कानूनों को जारी रखने हेतु संविधान के अनुच्छेद 35(ख) के अंतर्गत उपबंध किए। तेलंगाना के लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और इसे हासिल किया। परंतु आंध्रा के नेताओं द्वारा इसका उल्लंघन किया गया।

डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 334, के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों (5 वर्ष से निवासी करने वाले) के लिए कैपिटेशन-फी से छूट देने की नीति को उचित ठहराया गया। जयंतीलाल बनाम सौराष्ट्र (एआईआर) 1976 सौ. 54) के मामले में जिसमें कि केवल उन व्यक्तियों को ही सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने के नियम को सही ठहराया गया था- जो, सौराष्ट में विलय किए गए पूर्व लिबंड़ी राज्य के निवासी के अथवा जो उस राज्य में अचल परिसम्पत्ति के स्वामी थी को भी सही माना गया क्योंकि वहां कोई बाहरी व्यक्ति भी संपत्ति खरीद सकता था।

हैदराबाद राज्य भारत की अनेक अन्य रियासतों में था। राजनीतिक स्थितियों और ऐतिहासिक कारणों के कारण यह राज्य अलग-थलग बना रहा। इस राज्य के लोगों को कोई पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं नहीं दी गई थीं। परिणामस्वरूप बाहरी राज्यों के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कम अवसर ही उपलब्ध थे।

इस सबंध में अन्य योगदान कारक, उर्दू का उपयोग था, जो हैदराबपाद के संपूर्ण प्रशासन में राजभाषा के रूप में करीब 90 प्रतिशत लोगों की भाषा नहीं थी। कुछ अन्य राज्यों में भी समान परिस्थितियां-विद्यमान थीं। इतना अधिक कि यदि राज्य के अंदर निवास के आधार पर उन्हें इस बारे में कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई होती तो ये लोग अपने स्वयं के राज्य में भी रोजगार के मामले में अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं थे (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माधव रेड्डी जे के फैसले से लिया गया।

आंध्र विधान सभा संकल्प : आंध्र विधान सभा संकल्प दिनांक 25 नवंबर, 1955 पैरा 3 में कहा गया है, "उन्हें नियुक्तियों में न्यायोचित आरक्षण दिया जाएगा और ये उनकी जनसंख्या के अनुसार होगा तथा यह कि हमें उनकी यह मांग स्वीकार करने में के साथ-साथ उनकी अन्य मामलों में भी उनके न्यायोचित हिस्से को देने के संबंध में कोई आपत्ति नही है।" किसी तरह से कोई। 1 फरवरी 1956 के अन्य संकल्प में कहा गया है "कि हम रोजगार में आपको 1/3 हिस्से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे", लेकिन इसका उल्लंघन हुआ है।

जेंटलमेन सौहार्दपूर्ण समझौते में तेलंगाना को उचित हिस्सा देने का वायदा किया गया था। जिसमें तेलंगाना कर्मचारियों के लिए अर्हता हेतु तेलगू की कोई परीक्षा नहीं होगी तथा उप मुख्यमंत्री का पद तेलंगाना को दिया जाना और स्वायत्त परिषद की तर्ज पर तेलंगाना के लिए शक्तियों और धनराशि का बंटवारा करना। तेलंगाना में भूमि खरीदने के लिए टीआरसी की स्वीकृति आवश्यकता का उल्लंघन हुआ है।

मुल्की:— धरतीपुत्रों को आरक्षण: राजसी राज्यों, जहां सर्वांगीण विकास नहीं हुआ था, वहां के निवासियों के लिए योग्यताओं की आवश्यकता महसूस की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व के युग में निजाम और 13 इसी तरह के अन्य राज्यों में मुल्की नियम विद्यमान थे। डॉ. अम्बेडकर ने मूल निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए संसद द्वारा एक समान विधि बनाने का सुझाव दिया था। तत्पश्चात् मुल्की नियम को 15 वर्ष से घटा कर 12 वर्ष कर दिया था।

सरकारी रोजगार आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक रोजगार अधिनियम और निकास की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम 1957 के रूप में सार्वजनिक रोजगार आवश्यकता: "कतिपय क्षेत्रों में सार्वजनिक" रोजगार की कतिपय श्रेणियों के संबंध में निवास के रूप में आवश्यकता के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (3) के अनुसरण में विशेष संवैधानिक उपबंध बनाने के लिए एक अधिनियम बनाने और ऐसी किसी आवश्यकता को निर्धारित करने वाले विद्यमान कानून का निरसन करने के लिए पीई अधिनियम ने तीन संघ राज्य प्रशासन क्षेत्रों और तेलंगाना क्षेत्र के लिए समान स्वरूप के निवासी नियमों के लिए पांच वर्षो का प्रावधान किया। यह अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया गया था।

21 जनवरी 1969 को मंत्री समूह 36 पारित किया गया था जिसमें मुल्की पदों से गैर-मुल्कियों को कार्यमुक्ति करने और उन्हें भरने या पात्र मुल्की उम्मीदवारों के आने तक प्रतीक्षा करने का आश्वासन दिया गया था। कार्यमुक्त किए गए गैर-मुल्कियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में समायोजित किया जाना है। परंतु इस जीओएम 36 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में असंवैधानिक के रूप में चुनौती दी गई थी और यह कार्यान्वित नहीं किया गया था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जीओएम 36 को असंवैधानिक ठहराया और यह 4:1 के बहुतम से निरस्त किया गया। तब इंदिरा गांधी सरकार तेलंगाना में मूल निवासियों के लिए पद आरक्षित करने के लिए 8 सूत्री और फिर 5 सूत्री सूत्र के माध्यम से इसका उत्तर दिया।

उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने जीओएम 36 द्वारा तेलंगाना को सुरक्षात्मक उपायों की वैधता को सही ठहराया। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विमत्त टिप्पण से पूर्ण सहमति व्यक्ति की है -

जिसका न्यायमूर्ति जी माधव रेड्डी के असंतोषपूर्ण फैसले के साथ पूर्ण सहमति दी जो कि तेलंगाना के रहने वाले थे, जबकि पीठ के दो अन्य न्यायमूर्ति सीमांध्र से थे। यह फैसला एआईआर 1973 उच्चतम न्यायालय 827 में रिपोर्ट किया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को आंध्र द्वारा अस्वीकार किया गया, जिसने तेलंगाना को इस निर्णय का लाभ नहीं लेने देने के लिए आंदोलन किया। आंध्र जनों ने पृथक आंध्र के लिए आंदोलन किया, जिसके कारण तेलंगाना के सुरक्षोपायों को हटाना पड़ा। सुरक्षोपायों को कम करने के लिए संविधान को भी संशोधित किया गया, अनुच्छेद 371 को बदला गया और 371घ को जोड़ा गया था।

अत्तार्किक क्षेत्रीय समितियां : अनुच्छेद 371 में तेलंगाना क्षेत्रीय समिति के गठन का उपबंध किया गया है। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 ने पुराने के स्थान पर नया 371 प्रतिस्थापित किया 1(i) इस संविधान में किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति, सरकार के कार्य नियमों में और राज्य विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों और क्षेत्रीय समितियों के उचित कार्यकरण संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्यपाल की किसी विशेष जिम्मेदारी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राज्य विधान सभा की क्षेत्रीय समितियों के गठन और कार्यों का आदेश द्वारा उपबंध कर सकते हैं। (इस उपबंध को 1.7.1974 से 32वें संशोधन द्वारा लोप किया जाता है) हटाए जाने से पूर्व, आंध्र के शासकों ने इस अधिदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने न तो क्षेत्रीय समितियों का गठन किया और न उन्हें शक्तियां प्रदान कीं।

राज्य के विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा सहमत छह बिंदु सूत्र के अनुसरण में, संविधान के 32वें संशोधन अधिनियम द्वारा केन्द्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार के मामले में समतामूलक अवसरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अनुच्छेद 371घ पुर:स्थापित किया।

रोजगार आदेश 1975 : राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों के संगठन और सीधी भर्ती का विनियमन) के रूप में पहचाना जाने वाला आदेश जारी किया, आदेश 1975 पैरा 3 स्थानीय संवर्गों के संगठन का उपबंध करता है। तेलंगाना के सुरक्षा उपाय घटाये गए और आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का अल्प प्रभावी बनाया गया, 1.7.1974 से संविधान के 32वें संशोधन द्वारा अंत:स्थापित, राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए सार्वजनिक रोजगार के मामले में राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों और शिक्षा के मामले में विभिन्न उपबंध करने की शक्तियां प्रदान करता है। तेलंगाना विशेष उपबंधों को हटा दिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए निवास आधारित आरक्षण किए गए हैं। 1969 के आंदोलन द्वारा तेलंगाना के लिए सुरक्षोपाय आंध्र प्रदेश जनों द्वारा किए गए जवाबी आंदोलन के द्वारा हटा दिए गए।

मंत्री समूह सं. 674 के साथ राष्ट्रपति का आदेश 1975 : संविधान को 1973 में संशोधित किया गया जिससे आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित 371 घ को परिवर्तित किया गया जिसमें राष्ट्रपति को विशेष उपबंध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रपति ने 6 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए रीतियों की रूपरेखा दर्शाते हुए 18.10.1975 को मंत्री समूह सं. 674 का आदेश जारी किया।

आदेश 675 द्वारा, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार आदेश ने सचिवालय इत्यादि, जैसे राज्य-व्यापी क्षेत्राधिकार वाले सरकारी कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक पद से ऊपर के पदों पर राष्ट्रपति आदेश को लागू नहीं किया। आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में (I से IV) गैर-स्थानीय व्यक्तियों के लिए कोटे को उस क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भरा गया था।

राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने 'मुक्त क्षेत्र' नाम का एक नया क्षेत्र खोजा है, जहां गैर-स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। अवर श्रेणी लिपिक से ऊपर के पदों के संबंध में 6 सूत्रीय फॉर्मूला के विपरीत क्षेत्रवार जनसंख्या के समानुपात में "उचित हिस्सेदारी के सिद्धांत" का पालन किया जाना था, पर इसका पालन नहीं किय गया।

उचित हिस्सेदारी के सिद्धांत का कार्यान्वयन नहीं किया गया। 1983-84 में अधिकारी समिति को टीएनजीओ के विवरण के अनुसार, स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित पदों पर लगभग 58 हजार गैर-स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया। एनटीआर सरकार ने जय भारत रेड्डी, कमलांधन, उमापति के साथ, 6 सूत्रों के उल्लंघन के अध्ययन के लिए एक जांच समिति की नियुक्ति की।

जीओएम संख्या 610: एनटीआर द्वारा नियुक्त समिति ने छहसूत्रीय फॉर्मूला से विचलन और चूकों की ओर संकेत किया और संशोधन सुझाए। सरकार ने 30.12.1985 को जीओएम संख्या 610 जारी किया। इसने विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों का अपने मूल स्थानों पर वापिस भेजने और रोजगार कार्यालय में फर्जी पंजीकरणों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया।

राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन का भी उल्लंघन किया गया। 2000 में राष्ट्रपति के आदेश को गृह मंत्रालय के एक आदेश द्वारा संशोधित किया गया था ये संशोधन 1.1.1994 से प्रभावी किए गए थे, जिसके द्वारा सीधी भर्ती व आवंटन में सभी त्रुटियों को वैध किया गया था। यह किसी भी मुकदमेबाजी की संभावना को समाप्त करने के लिए आंध्र की लॉनीइंग

का प्रभाव है। 610 जीओ के कार्यान्वयन में त्रुटियों की पुन: जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी श्री गिर्गलानी को नियुक्त किया गया।

हैदराबाद मुक्त क्षेत्र नहीं है! आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ ने (एसबी सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, एसआर नायक और गौड़ा रघुराम, जेजे, जी. अनंत रेड्डी बनाम वीपीएटी, एमएमएनयू/एपी/0734/2001 में), कहा: राष्ट्रपति आदेश के पैरा 3(6) के अनुसार हैदराबाद शहर के लिए कोई पृथक संवर्ग गठित नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया: वे (पुलिस निरीक्षक) राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते। हैदराबपाद शहर पुलिस की स्थापना और इकाइयों से और उनमें स्थानान्तरण पैरा 5(2) (ग) से (घ) के मानदंडों के दायरे में आते हैं। एक क्षेत्र को एक बार आवंटित और अपने पद से संबद्ध किसी व्यक्ति को उसी क्षेत्र से संबंधित माना जाना चाहिए और उसे किसी अन्य संवर्ग में आने का अधिकार नहीं है, जो संगठित नहीं है। निष्कर्ष (ग), हैदराबाद शहर पुलिस अधिनियम 1348 फसली की धारा 3(ख) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के पद पर कोई भर्ती नहीं की गई और इस प्रकार तथ्यपरक रूप से राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 14(च) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के पद पर कोई पदधारी नहीं है।

अनुच्छेद 371(घ) का 371(घ) खंड 10: बशर्ते कि अनुच्छेद के प्रावधानों और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश का तत्समय प्रवृत किसी आम निधि अथवा संविधान के किसी अन्य प्रावधान में किसी श्रोत के होते हुए भी कोई अन्य कानून प्रभावी हो। इस प्रकार, राष्ट्रपति का आदेश संविधान के किसी भी प्रावधान अपना तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य निधि पर अभिभावी होता है। इस संवैधानिक स्थिति में, जब 1985 के अधिनियम के प्रावधान उस क्षेत्र में सर्वांगीण है, को भी राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधानों के अनुरूप होना अपेक्षित होगी। पुलिस बल के किसी सदस्य का राज्य के किसी भाग में स्थानांतरित किया जाना और इस आशय से राज्य की सहगामी शक्ति, एक स्थानांतरण राष्ट्रपति के आदेश की सीमाओं के अधीन सीमाओं के अंतर्गत है। (स्थानांतरण को चुनौती दी गई)

उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा तेलंगाना के प्रति एक घोर अन्याय किया गया। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के आदेश के ऊपर हैदराबाद पुलिस अधिनियम को प्रमुखता दी, जो दो आंदोलनों के बाद उभरा। जब हैदराबाद की एक अन्य क्षेत्र के रूप में मान्यता दिए जाने की वैधता को चुनौती दी गई तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर कि यह एक मुक्त क्षेत्र माना जाता है, वैधता प्रदान कि ताकी राजधानी में सभी योग्य अधिकारियों को अवसर मिलना चाहिए"। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, यह विचार 371घ के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल था।

तत्पश्चात्, न्यायालय ने कहा: "तथापि, हम कल्पना करते हैं कि राज्य में पांच या छह संभाग समाहित हो सकते है जिसमें छावनी सहित जुड़वां शहरों को एक पृथक संभाग के रूप में गठित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी" इस प्रकार के मत का क्या आधार है?

राज्य का विरोधाभासी मत: राज्य सरकार और पुलिस आयुक्त ने निरंतर यह मत व्यक्त किया कि हैदराबाद नगर पुलिस को एक मुक्त क्षेत्र माना जाता है और नगर पुलिस में रिक्तियां अलग से अधिसूचित की जाती हैं। अंत में, राज्य ने अपना मत बदला और कहा कि वहां कोई मुक्त क्षेत्र नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, "बाद में राज्य द्वारा विपरीत रुख अपनाया जाना समझ के परे है और अस्वीकृत किए जाने योग्य है।"

राज्य की संदेहपूर्ण भूमिका : उच्चतम न्यायालय में, राज्य ने तर्क दिया: पैरा 14(च) में सम्मिलित अपवर्जन खंड केवल तभी कार्यकारी हो सकता था, जब हैदराबाद शहर के लिए एक अलग से पृथक संवर्ग बनाया गया होता और निवेदित किया कि हैदराबाद नगर पुलिस के लिए कोई भर्ती न किए जाने की स्थिति में पूर्ण पीठ ने हैदराबाद नगर पुलिस स्थापना में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों को क्षेत्रीय संवर्ग में क्षेत्र VI से संबंधित मानकर उचित ही किया (उच्चतम न्यायालय ने राज्य के रुख में इस बदलाव को असामान्य माना)

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया: सुविधा की दृष्टि से, हैदराबाद को क्षेत्र VII या मुक्त क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया था" (विज्ञापन, 1985, 1999, 1994 में) और क्योंकि पुलिस आयुक्त द्वारा नियुक्तियां की गई थीं)। उच्चतम न्यायालय का निर्णय विज्ञापनों, और राज्य के अपने निवेदन में किए गए समर्थन पर आधारित है, यद्यपि इसे बाद में बदल दिया गया। उच्चतम न्यायालय में जिस व्यक्ति ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, उसने आंध्र के हितों का संरक्षण किया और जान-बूझकर तेलंगाना के लिए न्याय को अनदेखा कर दिया। न्यायालय ने सुरक्षा उपायों में निहित भावना को नजरअंदाज किया और दुर्भाग्यवश इसने आंध्र प्रदेश में सीमांध्र शासकों की त्रुटिपूर्ण रीति को वैधता प्रदान कर दी।

उच्चतम न्यायालय ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से तेलंगना की उपेक्षा की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने (कामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1988 एससी 1626) पाया कि विनियमन द्वारा थोपी गई पाबंदियों की औचित्य या अन्यथा की विनियमन बनाए जाने की पृष्ठभूमि में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में जांच की जानी है। निर्णय ने हैदराबाद वाद में इसकी पूरी तरह उपेक्षा की है।

तेलंगाना का गठन करने के संबंध में केन्द्र के वादे को रोकने के अतिरिक्त, तत्कालीन मुख्यमंत्री (राजशेखर रेड्डी) राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानबूझ कर एक ऐसे अधिवक्ता को चुना जो कि राज्य

से संबंध नहीं रखता था, जिसने उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक मुद्दे नहीं रखे जिसके कारण हैदराबाद- मुक्त-जोन पर गलत निर्णय लिया गया। आंध्र की मजबूत लॉबी करने वाले और रणनीतिक मुख्य मंत्री ने इन संस्थाओं को तेलंगाना के साथ अन्याय करने के लिए प्रेरित किया।

निम्नलिखित लोगों ने राजनैतिक रिक्तता का वातावरण तैयार किया- आंध्र प्रदेश के चालाक नेता, कांग्रेस और टीडीपी दोनों, जिन्होंने संसाधनों का विपथन किया, (2) मूकदर्शक बने रहे उन दलों के तेलंगाना मंत्री जिन्होंने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई (3) भ्रष्ट नौकरशाही जिसने आंध्र के भ्रष्ट राजनेताओं को समर्थन भी दिया (4) तेलंगाना के नौकरशाह जिनकी संख्या कम थी और उनमें भी प्रतिबद्धता वाले लोग और भी कम थे, कुछ बिकाऊ थे या फिर प्रत्येक कार्यालय में चुपचाप सबकुछ सहने वाले अल्पसंख्यक लोग।

संविधान में राज्यों द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर केवल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान की व्यवस्था है। यदि राज्य तेलंगाना जैसे अल्पसंख्यक के हितों को अनदेखा करता है, तो तेलंगाना के लोगों के पास न्याय के लिए जाने के लिए कोई और स्थान नहीं है। अंतर्राज्यीय नदी जल आवंटन, के लिए कोई ठोस तंत्र अथवा संकल्प नहीं था, जिसे पूर्णतया कार्यकारी-विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जिससे आंध्र को तेलंगाना की कीमत पर दशकों तक लाभ मिला। इस तरह संविधान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में नदियों के विपथन द्वारा तेलंगाना के उसके हक से वंचित करना कोई समाधान नहीं है।

अंततोगत्वा लोगों को आंध्र और तेलंगाना दोनों के नेताओं, द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। इन राजनेताओं के कारण वे क्यों पीड़ित हो? उसकी 1956 से पूर्व की तरह उसे एक भिन्न राज्य की पहचान क्यों नहीं दी जाए? यह एक छोटा राज्य नहीं बनने जा रहा है, यह एक बड़ा, जीवनक्षय और साधन संपन्न राज्य होगा।

राजधानी के रूप में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में कई दूरवर्ती जिलों के लिए व्यवहार्य नहीं है। हैदराबाद में तथाकथित विकास संकेद्रण का तेलंगाना को लाभ नहीं हुआ है। यहां तक कि उनके लिए रोजगार भी उत्पन्न नहीं हुआ है। 23 जिलों के बीच अकेले हैदराबाद ही विकास का केन्द्र नहीं होना चाहिए। अन्य शहरों का निर्माण करके विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए जो अन्य राजधानी को समाहित करने में समर्थ हो।

हैदराबाद में वास्तविक अल्पसंख्यक तेलंगाना के लोग है। पुराने शहर से हिन्दू चले गए। फिर नए शहर में आंध्र प्रदेश के लोगों का बाहुल्य है। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश भवन में तेलंगाना के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है। आंध्र के प्रभुत्व वाले हैदराबाद में तेलंगाना असुरक्षित है और इस तरह से हैदराबाद एक दशक के लिए साझा राजधानी नहीं रहनी चाहिए।

तेलंगाना के लिए स्व-शासन और स्वायत्तता की मांग एक वास्तविक और लोकतांत्रिक मांग है। वास्तव में, स्वायत्त-परिषद जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की भांति अलगाववादियों की मांग का बेहतर जवाब है। विकेंद्रीकरण संघीय विशेषता है और भारत जैसे विस्तृत देश के लिए आवश्यक है। तेलंगाना राज्य का निर्माण विकेंद्रीकरण को सरल बनाता है और संघीय विशेषता को बढ़ावा देता है। यह स्व-शासन या स्वायत्तता की आवश्यकता का भी उत्तर देता है।

यदि तेलंगाना का गठन होता है तो तेलुगुभाषी लोग एक दूसरे को राष्ट्र का समान नागरिक मानेंगे क्योंकि उन्हें एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे द्वेष को दूर करके मित्र हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी दस जिलों के संसाधनों को दस जिलों के अंदर ही उपयोग किए जाने की संभावना रहेगी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों समृद्ध होंगे और पृथक-हुए दोनों भाईयों में सौहार्द तथा बंधुत्व की भावना भी बढ़ेगी।

तेलंगाना को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है जो उसे अभी तक नहीं दिया गया था। जल-विवाद आम बात है और इसे सुलझाए जाने की आवश्यकता है चाहे वह आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच हो अथवा आंध्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों के बीच जब दो शत्रु राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नदियों का जल बंटवारा कर सकते हैं तो दो तेलुगू भाषी राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय नदियों का जल बंटवारा करना असंभव कार्य नहीं है। नदी जल का वस्तुपरक बंटवारा किया जा सकता है और दोनों राज्य सिंचाई के लिए इसका वैज्ञानिक रूप से उपयोग कर सकते हैं।

राज्य का बंटवारा हैदराबाद की भीड़भाड़ कम करने और शक्तियों के विकेंद्रीकरण और अन्य शहरों के विकास को सुकर बनाने में सहायक होगा। यह शहरीकरण का विकेंद्रीकरण करने और प्रवासियों के लिए अनेक गंतव्यों का सृजन करने में सहायक होगा। 23 जिलों में और संसाधन केन्द्र और विकास केन्द्र विकसित करना संभव होगा। इससे संसदीय लोकतंत्र के विश्वास में वृद्धि होगी संसद में वायदों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। आंध्र प्रदेश के वृहद आकार की तुलना में सुगम आकार के दो राज्यों में उग्रवाद और सांप्रदायिकता की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। वास्तव में कांग्रेस सरकार का विश्वास है कि विकास ही नक्सलवाद का बेहतर समाधान हो सकता है। सांप्रदायिकता विश्वासघाती राजनेताओं द्वारा प्रायोजित की जाती है उदाहरण के लिए 1979 में एक मुख्यमंत्री को हटाया गया तो पुराने शहर में दंगे-फसाद हुए और हाल ही में वर्ष 2010 में भी ऐसा ही हुआ।

तेलंगाना में माओवाद में वृद्धि होगी, यह तर्क आधारहीन है क्योंकि यह छोटे अथवा बड़े राज्य, संयुक्त अथवा पृथक राज्य में सामान्य है। ऐसा

कहना कि पुराने शहर में इस्लामी उग्रवाद में वृद्धि होगी, अर्थहीन है, जिसका विभाजन से कुछ लेना देना नहीं है। यह दलों के वस्तुपरक शासन पर निर्भर है, राज्य के आकार पर नहीं।

प्रत्येक दल समूह और व्यवसायी एक मत नहीं थे क्योंकि तेलंगाना और आंध्र को लेकर उनके द्वेष गहरे थे। यदि तेलंगाना का गठन नहीं होता है तो आपसी अविश्वास में वृद्धि होगी और इससे अनैसर्गिक तरीके से काफी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। इससे लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीकों पर संदेह उत्पन्न होगा और गैर-लोकतांत्रिक, हिंसा और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। स्वशासन और स्वायत्तता की मांग को दबाने से अलगाववादी प्रवृत्ति को बल मिलेगा और इससे पृथक्करण का वातावरण उत्पन्न होगा।

तेलंगाना राज्य के गठन से भारत मजबूत होगा। स्वायत्तता को नकारना अलगाव वाद का मुख्य कारण है। संघवाद संप्रभुता के वितरण में विश्वास रखता है। पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर की समस्या का अनुभव यह दर्शाता है कि अधिक स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण में ही इसका समाधान है। विकन्द्रीकरण और व्यवहार्य समूहों को और अधिक शक्तियों के अंतरण करके पृथक्करण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। तेलंगाना के गठन से भारत की एकता और सुदृढ़ होगी।

सभी समझौते, संवैधानिक सुरक्षोपाय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्याय, तेलंगाना के प्रति प्रतिबद्ध चुनाव घोषणापत्र के साथ राजनैतिक गठबंधन...सभी असफल हो गए हैं। इसके बावजूद सभी दल सहमत हैं सभी दलों के आंध्र वासियों ने तेलंगाना के से इंकार किया है जबकि यह वास्तविक, न्यायोचित, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांग है।

और इसलिए तेलंगाना को इसके हितों और सहमति के विरुद्ध आंध्र के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश पहला भाषायी राज्य था, जिसे अंबेडकर ने खतरनाक बताकर विरोध किया था और जिसकी पहले राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी। आंध्र प्रदेश पहला असफल राज्य है जिसमें से दो राज्य बनेंगे।

तेलुगू भाषा लोगों को एकजुट कर सकती है। परंतु यह केवल एक ही राज्य में नहीं होना चाहिए, जहां शोषण हेतु संभावना स्थगित थी जो इन सभी वर्षों में सही सिद्ध हुई।

मनमोहन सिंह जी की सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं आशा करता हूं कि यह कदम दूरगामी साबित होगा और तेलंगाना के विरुद्ध किए गए अन्याय में सुधार करने में मदद करेगा।

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम) : मैं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और शेष आंध्र (सीमांध्र) में विभाजन के विषय पर एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक विशिष्ट विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहूंगा कि मैं उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश से आता हूं, जहां शेष आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों की तरह ही आंध्र प्रदेश को एकीकृत रखने की तीव्र उत्कंठा है। यहां तक कि पूर्ण तार्किक आधार पर, और ईमानदारी से मेरे मत में भी, वांछित विकल्प आंध्र प्रदेश को एकीकृत रखना है। तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की ऐसी तीव्र भावना है। राज्य को एकीकृत रखने की अधिक नहीं तो इतनी ही संवेदना अन्य दो क्षेत्रों में भी है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश के निर्माण से पूर्व आंध्र प्रदेश और हैदराबाद राज्य की संबंधित विधान सभाओं में संकल्प पारित किए गए थे। आंध्र क्षेत्र के लोग वास्तव में मानते हैं कि इस समय राज्य के विभाजन से उन्हें भारी नुकसान होगा।

मैंने राजनीतिक नेताओं और बुद्धिजीवियों के विभिन्न वर्गों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर उनके विचार प्राप्त किए कि वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्रवाई क्या होगी। मैं सविनय, आपके विचारार्थ उन चर्चाओं का सार नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं।

मूल रूप में, संक्षेप में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मुख्य मुद्दा क्या है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश आकार में जर्मनी से बड़ा है, जोकि पश्चिम यूरोपीय देशों में सबसे बड़ा देश है और 57 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। इसलिए, 8.40 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित यह मुद्दा काफी संवेदनशील है।

सच तो यह है कि पृथक तेलंगाना राज्य के लिए चल रहा आंदोलन क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दा नहीं है क्योंकि इस बात को न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति के निष्कर्षों द्वारा विराम लगा दिया गया, जिसने सरकारी दस्तावेजों से संग्रहीत त्रुटिरहित आनुभविक आंकड़ों के माध्यम से बिना किसी संभावी संदेह के यह स्थापित किया कि नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात् वहां हुई वृद्धि-दर-वृद्धि और विकास (अर्थव्यवस्था के सभी तीनों क्षेत्रों में अर्थात् कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र) का अधिकांश हिस्सा तेलंगाना को प्राप्त हुआ है।

श्री कृष्णा समिति ने प्रामाणिक आंकड़ों से यह स्थापित किया है कि इस तर्क पर विवाद का कोई औचित्य नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सिंचाई के क्षेत्रों में तेलंगाना क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। इन सभी क्षेत्रों में, तेलंगाना क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों नामत: आंध्र और रायलसीमा की तुलना में अधिक लाभ हुआ है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यहां यह स्मरण करना संगत है कि श्री कृष्णा समिति रिपोर्ट ने पाया कि "इसके उपरांत, राज्य ने तीन दशकों में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रगति की। इसके परिणामस्वरूप, आज आंध्र प्रदेश देश के प्रगतिशील राज्यों में एक अग्रणी राज्य है। वास्तव में, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इसी प्रगति ने तेलंगाना द्वारा एक पृथक राज्य की मांग को पुनजीर्वित किया ताकि उन्हें व्यापक राजनीतिक क्षेत्र मिल सके और शेष असमानताओं हालांकि वे कम हो रही हैं, को अधिक तेजी से दूर किया जा सके।"

फिर अलग तेलंगाना राज्य हेतु मांग का आधार क्या है?

तेलंगाना समर्थकों ने आर्थिक पिछड़ेपन और सिंचाई तथा सरकारी नौकरियों में उनके साथ हुए अन्याय के आधार पर वर्ष 2001 में पृथक तेलंगाना की अपनी मांग प्रारंभ की थी। इस पर, अनेक विद्वानों ने तथ्यों में झांकना प्रारंभ किया। जब लोगों की जानकारी में यह आने लगा कि वास्तव में तेलंगाना ने 1956 के बाद से हुई वृद्धि दर वृद्धि और विकास का मुख्य हिस्सा लिया है, तो इन्होंने पृथक तेलंगाना हेतु अपनी मांग का आधार बदलकर सम्मान और स्व-शासन बना दिया।

दुर्भाग्यवश, राज्य में आई क्रमिक सरकारें तेलंगाना क्षेत्र के विकास के बारे में आनुभविक आंकड़े तेलंगाना के लोगों को प्रस्तुत करने में असफल रही। बल्कि, अधिकतर राजनीतिक दलों ने अपनी खामोशी से उस क्षेत्र के लोगों में इस भावना को बढ़ावा दिया कि वास्तव में उन्होंने एकीकृत आंध्र प्रदेश में अन्याय सहा है, जबकि तथ्य इसके पूरी तरह विपरीत हैं।

तथापि, कुछ समस्याएं हैं, जो वास्तविक हैं। सरकारी रोजगार में भेदभाव की शिकायतें बड़े पदों को लिए एपीपीएससी के द्वारा की गई भर्तियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, सीमांध्र क्षेत्र के लोग तेलंगाना क्षेत्र की तुलना में ज्यादा सफल हुए हैं। यह आईएएस और आईपीएस की भर्ती में भी होता है जहां भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर निर्भर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे राज्यों से बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस का चयन होता है। ऐसा ही एपीपीएससी द्वारा राज्य में उच्च स्तरीय पदों की भर्ती में होता है। दूसरी शिकायत सचिवालय तथा एचओडी में आंध्र के कर्मचारियों के प्रतिशतता के बारे में है। अगली शिकायत विभिन्न सरकारी विभागों में विधि अधिकारियों के पदों के संबंध में है, उनके अनुसार इनमें से अधिकांश सीमांध्र क्षेत्र हैं।

दूसरी प्रत्यक्ष समस्या यह है कि तेलंगाना क्षेत्र से बहुत कम मुख्यमंत्री हुए है क्योंकि सीमांध्र क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है। सीमांध्र क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों ने राज्य में बहुत लंबे समय तक शासन किया है। उदाहरण के लिए राज्य को अस्तित्व में आए 57 वर्ष होने के बावजूद भी तेलंगाना के मुख्य मंत्रियों ने केवल दस वर्ष तक ही शासन किया है तथा जिसमें श्री जे. वेंगलराव का 4 वर्ष का शासन वाला भी शामिल है। तेलंगाना में बहुत से लोगों ने उन्हें तेलंगाना का नहीं मानते क्योंकि वे राज्य के गठन के पश्चात उस क्षेत्र में आए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तटीय आंध्र प्रदेश के 9 जिलों में से केवल तीन जिलों के व्यक्ति ही मुख्य मंत्री हुए हैं। जबकि दूसरी ओर रायलसीमा के प्रत्येक चार जिलों के लोग मुख्य मंत्री होने के बाद भी यह राज्य सबसे पिछड़ा जिला है।

मुद्दा यह है कि क्या हम इन कारणों से राज्य का विभाजन कर सकते हैं? क्या इसकी न्यायिक संवीक्षा की जा सकती है? भारत के संविधान की धारा 3 में केन्द्र सरकार को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के भावी पुनर्गठन के संबंध में लिए गए निर्णयों के विरुद्ध, जब तक कि यह व्यापक सार्वजनिक हित में है, का विरोध नहीं कर सकता है तथा उसके पास प्रथम राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के आधार पर भाषायी परिप्रेक्ष्य में राज्यों के गठन का तार्किक आधार होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन केन्द्र सरकार को प्राप्त शक्ति केवल सामर्थ्यकारी शक्ति है तथा इसका उपयोग तार्किकता, पारदर्शिता एवं वस्तुपरकता के सिद्धांत के अनुरूप किया जाना चाहिए तथा निर्णय सूझ-बूझ भरा होना चाहिए तथा इसे ऐसे सभी समान मामलों पर लागू होने के लिए सामर्थवान होना चाहिए।

तेलंगाना के लिए अलग राज्य बनाने की मांग पर विचार करते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि आंध्र और तेलंगाना के क्षेत्र के बीच कई समस्याएं हैं तथापि आंध्र क्षेत्र भी अपने आप में विशालकाय नहीं है। इसमें दो अलग-अलग क्षेत्र अर्थात् तटीय आंध्र एवं रायलसीमा हैं। आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों के राजनीतिज्ञों के बीच उतना अविश्वास नहीं है जितना कि इन दो उप-क्षेत्रों के राजनीतिज्ञों के बीच है। इन दो उप-क्षेत्रों में राजनीतिक नेताओं को 1936 में एक साथ लाने में बहुत सी कूटनीति अपनानी पड़ी।

इस समस्या का स्थायी समाधान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आंध्र, तेलंगाना और रायलसीमा इन तीनों क्षेत्रों की समस्याओं का समुचित समाधान नहीं किया जाता। यदि केन्द्र सरकार राज्य का विभाजन करना चाहती है तो उसे तीन मुख्य मुद्दों - जल बंटवारा, राजस्व बंटवारा तथा हैदराबाद शहर का समाधान करना होगा।

पिछले 57 वर्षों से राज्य में उत्तरोत्तर सरकारों ने हैदराबाद को न केवल एक राजनीतिक राजधानी के रूप में अप्रत्याशित रूप से विकसित किया है बल्कि इसे राज्य का आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित किया जहां राज्य के विनिर्माण क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत एवं सॉफ्टवेयर व्यापार

का लगभग 95 प्रतिशत ग्रेटर हैदराबाद में स्थित है। चूंकि हैदराबाद, राज्य का सबसे समृद्ध शहर बन गया है इसलिए राज्य का लगभग 30 प्रतिशत कर केवल यहां से प्राप्त होता है जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 10 प्रतिशत लोग यहां रहते हैं। अन्य समस्याएं इस प्रकार हैं:—

पिछले 10 वर्षों में हैदराबाद में और इसके आस-पास बड़ी संख्या में जो औद्योगिक निवेश हुआ वह इसलिए हुआ कि यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है, अन्यथा राज्य के अन्य हिस्सों में भी निवेश किया गया होता। उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार ने 1990 के दशक के मध्य में देश के आर्थिक विकास के लिए सरकारी क्षेत्र का मुख्य साधन के रूप में प्रयोग किया। दुर्भाग्य से आंध्र प्रदेश के मामले में इन निवेश में से 90 प्रतिशत निवेश हैदराबाद शहर में और इसके चारों ओर हुआ जबकि अन्य राज्यों में निवेश समान रूप से सभी क्षेत्रों में हुआ। उदाहरण के लिए भेल की स्वीकृति आंध्र प्रदेश के लिए की गई किन्तु इसे ग्रेटर हैदराबाद में स्थापित किया गया जबकि यह उत्तर प्रदेश में हरिद्वार और तमिलनाडु में त्रिची जैसे दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित किया गया। जहां तक एचएएल की बात है, इसे पुन: आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थापित किया गया जबकि इसे ओडिशा में कोरापुट जैसे आदिवासी क्षेत्र और महाराष्ट्र में नासिक में स्थापित किया गया है। यही स्थिति एचएमटी, बीडीएल, आईडीपीएल, ईसीआईएल, बीईएल, मिधानी, एनएफसी, डीएमआरएल, डीआरडीएल, सीसीएमबी, आईआईसीटी और डीआरडीओ की भी है। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण अनुषंगीकरण भी हैदराबाद में और इसके चारों ओर हुआ।

निजी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक निवेश मुख्यरूप से हैदराबाद में हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उद्यमी आंध्र प्रदेश से थे जो आजादी के कई दशकों पूर्व से अपनी उद्यमिता और व्यापार की कार्यकुशलता के लिए जाने जाते थे। यही अवसर देश में हर व्यक्ति के लिए था, किन्तु दुर्भाग्यवश तेलंगाना के कुछ उद्यमियों ने इस अवसर का उपयोग किया। आंध्र प्रदेश के उद्यमियों में यह आशंका वास्तविक है कि उनकी संपत्तियों के मूल्यों में भारी गिरावट के अलावा उन्हें उत्पीड़ित किया जाएगा और धमकी दी जाएगी।

उदाहरण के लिए ऐसा कुछ नए राज्य जैसे झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के मामले में नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र मुख्यत: कृषि बहुत जिले बन कर रह गए। उदाहरण के लिए वर्ष 2012-13 में आंध्र प्रदेश से कुल सॉफ्टवेयर का व्यापार 55,000 (घरेलू और निर्यात दोनों) करोड़ का हुआ जिसमें अकेले हैदराबाद में 54500 करोड़ का व्यापार हुआ।

चूंकि हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया था इसलिए आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्रों के लोग सरकारी कर्मचारी या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी में बनकर हैदराबाद आए हैं। उनके बच्चों और उससे अगली पीढ़ी के लिए हैदराबाद उनका घर बन गया है और उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी हैदराबाद शहर में निवेश की है और अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी इन दोनों में से किसी एक में ढूंढी जाती तो वे यह निवेश आंध्र प्रदेश या रायलसीमा क्षेत्र में करते। ये लोग कभी हैदराबाद नहीं आए होते सिवाय इसके कि यह उनकी राजधानी बन होती। अब ये लोग कहां जाएंगे? उनकी संपत्ति का क्या होगा और उनके बच्चों की नौकरियों का क्या होगा?

नई राजधानी ढूंढने और नई राजधानी की स्थापना के लिए पर्याप्त संसाधन ढूढना एक बड़ी समस्या है। रायलसीमा के लोग चाहते हैं कि यह रायलसीमा क्षेत्र में ही स्थित हो यह उल्लेखनीय बात यह है कि 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल थी जो कि रायलसीमा क्षेत्र का भाग है। अपने अनुभव के आधार पर अब आंध्र क्षेत्र के लोग रायलसीमा क्षेत्र में राजधानी बनाने के मूड में नहीं हैं। दिए गए हैं इस बात के मद्देनजर कि आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में पिछले दस वर्षों में भूमि की कीमतें 500% से भी अधिक बढ़ गई हैं, अत: राजधानी बनाने के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा होगा।

उपर्युक्त के अनुसार राज्य का 30% से अधिक राजस्व अकेले हैदराबाद शहर से आता है। यदि राज्य का बंटवारा होता है, तो वास्तव में आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र को निधियों की कमी के कारण परेशानी होगी क्योंकि उनको एकसाथ नई राजधानी, अवसंरचना आदि बनाने के लिए बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। अगर यह मान भी लिया जाए कि केन्द्र सरकार उपरोलिखित नयी राजधानी और अवसंरचना हेतु व्यय करने के लिए आगे आयेगी तो भी इसमें राजस्व में लगातार घाटा होगा।

अंत में, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र क्षेत्र के लोग जल बंटवारे विशेषरूप से कृष्णा और गोदावरी के बारे में चिंतित हैं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1850 के दशक में कृष्णा, गोदावरी और पीना नदियों पर चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों को सुनिश्चित मात्रा में जल आबंटनों सहित आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। पिछले 18 वर्षों से आबंटन सही हो रहे हैं। हालांकि, ऐसा अनुभव रहा है कि नदी के उद्‌गम की दिशा में स्थित राज्य नदी के अंतिम छोर पर बसे हमारे जैसे राज्यों को कम वर्षा वाले वर्षों में आबंटित जल की आपूर्ति नहीं करते हैं और उसी कारण से ये परियोजनाएं भारी समस्या का सामना कर रही हैं। राज्य के प्रस्तावित विभाजन से समस्याएं अप्रत्याशित रूप से कई गुणा बढ़ जाएंगी। यह एक वास्तविक चिंता है कि आंध्र क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पानी की बहुत

समस्या होगी। विभिन्न राज्यों के बीच इस समस्या का समाधान बचावत समिति द्वारा प्रतिपादित "प्रथम प्रयोक्ता, प्रथम अधिकार" नियम का अनुकरण करके किया जा सकता है। इसके अनुसरण में राज्य के बंटवारे के पश्चात् भी आंध्र क्षेत्र के उतनी ही मात्रा में जल देना होगा। केवल आबंटन से ही सहायता नहीं मिलेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित परियोजनाओं को आबंटन के अनुपात में नदी जल के आबंटन की जांच के लिए अंतर्राज्यीय विधिक निकाय का गठन किया जाए। इसमें आंध्र क्षेत्र के लोगों के लिए मात्र इतना अपेक्षित है कि उनको जल उतनी ही मात्रा में प्राप्त होना चाहिए जितना वह पिछले 50 वर्षों या उससे अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलंगाना की भांति बड़ी संख्या में लोग यहां तक कि आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को आंध्र क्षेत्र के किसानों के हित में क्रियान्वयनशील परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करने के अलावा पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शीघ्र आरंभ करना चाहिए।

इसलिए कुल कमलाकर राज्य का बंटवारा एक अत्यंत जटिल समस्या है। यदि राज्य का बंटवारा किया जाएगा, तो केन्द्र सरकार को आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में अलग अलग आईआईटी, आईआईएम, नेशनल स्कूल्स ऑफ लॉ, केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसे और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, सॉफ्टवेयर पार्क्स जैसी अवसंरचना भी तैयार करनी और अन्य औद्योगिक टाऊनशिप चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नवरत्न इकाइयां सीमांध्र क्षेत्रों में घाटे की पूर्ति होने तक भविष्य में होने वाले विस्तार कार्य पूरा करती रहें। नई राजधानी के निर्माण हेतु कई हजार करोड़ रुपए की एक बड़ी विशेष निधि केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। पानी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसे ऐसी कानूनी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिसके तहत आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों को अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए उतना ही जल प्राप्त हो जो वे पिछले 57 वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं। केवल यही नहीं उन्हें जलापूर्ति के आश्वासन की भी आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र सरकार को केन्द्रीय करों का एक अतिरिक्त वार्षिक रूप से आबंटित करना पड़ेगा जो उनको यथानुपात आधार पर हैदराबाद के साथ तेलंगाना राज्य के समान लाएगा। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय राजस्व से कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक आंध्र-तथा रायलसीमा क्षेत्रों को तब तक विशेष आवंटन करना होगा जब तक कि उन्हें तेलंगाना क्षेत्र, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, के समान अपनी जनसंख्या के अनुपात में राजस्व मिलना शुरू नहीं हो जाता।

मैं आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि मैंने सभी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखकर इस कार्य पर यथा संभव वस्तुनिष्ठा विचार किया है। पक्ष-विपक्ष को ध्यान में रखकर मेरी राय है कि राज्य को एकजुट रखने के लिए यह वांछनीय है।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : तेलंगाना अलग राज्य की स्थापना हेतु भाजपा पहले से ही कमीटेड है और आज हम हमारे पुराने वादों को ध्यान में रखते हुए समर्थन करते हैं। लेकिन सीमांध्र क्षेत्र को अन्याय न हो इसका भी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आंध्र का भी विकास के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

***डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : मैं तेलंगाना अलग राज्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि, कांग्रेस ने जिस तरह से तेलंगाना राज्य निर्माण को आने वाले चुनाव के लिए वोट बैंक का मुद्दा बनाया है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह रवैया भारत के संप्रभुता एवं अखंडता के लिए भी खतरा है।

तेलंगाना राज्य का निर्माण पिछले कई सालों से चल रहा है और नया राज्य बनना चाहिए यह हमारी मांग है। परंतु साथ-साथ सीमांध्र राज्य के निर्माण के लिए पैकेज देना चाहिए और सीमांध्र राज्य की नयी राजधानी निर्माण एवं केन्द्रीय संस्थानों के लिए ठोस प्रावधान करना चाहिए।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : हमें निम्नांकित ले करने की अनुमति दें।

"तेलंगाना का समर्थन है, लेकिन सीमांध्र के हितों की भी रक्षा हो।"

[अनुवाद]

***डॉ. जी. विवेकानन्द** (पेड्डापल्ली) : नेहरू ने कहा था - नटखट लड़का मासूम लड़की। वह सही थे। विलय के विरुद्ध प्रथम एसआरसी की सिफारिश के बावजूद आंध्र का तेलंगाना में विलय किया गया। तेलंगाना के लोगों हेतु जेंटलमेंस एग्रीमेंट मुल्कि नियमों और तीन सुरक्षोपायों का उल्लंघन किया गया और तेलंगाना से भेदभाव किया गया।

जब नागार्जुन सागर बांध की परिकल्पना की गई, तब यह परिकल्पित किया गया था कि 10 लाख एकड़ के दोनों क्षेत्रों को समान रूप से पानी का संवितरण किया जाएगा।

तथापि, डॉ. राव ने डिजाइन में बदलाव किया और आज सीमांध्र का सिंचित क्षेत्र तेलंगाना से काफी ज्यादा है। आंध्र में यह 15 लाख तक जा चुका है, जबकि तेलंगाना में घटकर 7 लाख एकड़ तक जा चुका है। बछावत अधिकरण ने 811 टीएमसी आंध्र प्रदेश को और 298 टीएमसी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

'तेलंगाना' को दिया। सीमांध्र में सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के बिना अतिरिक्त पानी से परियोजनाओं का निर्माण किया गया और तेलंगाना में परियोजनाओं की अनदेखी की गई। आवंटित किए गए 298 टीएमसी को हड़पने का प्रयास शुरू हो चुका है और सीमांध्र इससे भयभीत है कि राज्य के विभाजन से तेलंगाना की कीमत पर स्वयं को समृद्ध बनाने का उनका प्रयास आधा रह जाएगा।

मुल्कि नियमों का उल्लंघन किया गया और जब उच्चतम न्यायालय ने मुल्कि नियमों को सही ठहराया, तो सीमांध्र के लोगों ने जय-आंध्र आंदोलन शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके सुरक्षोपाय समाप्त किए जाएं।

तथापि, रोजगार के अवसरों को संरक्षित करने के राष्ट्रपति के आदेश 1975 का उल्लंघन किया गया और एनटी रामा राव द्वारा नियुक्त आयोग के अनुसार 59,000 नौकरियां, जो तेलंगाना को दी जानी थीं, वो सीमांध्र ने ले लीं।

सिंगरेनी कोयला खद्यानों से 55 मिलियन टन कोयला निकाला गया। ताप परियोजनाओं को कोयले और पानी की आवश्यकता होती है। 'तेलंगाना' के पास गोदावरी का पानी और सिंगरेनी का कोयला है। लेकिन सीमांध्र ने 1700 मेगावाट की ताप परियोजना विजयवाड़ा में, 600 वाट की कुड्डामाह में और 1500 वाट की सिंगरेनी में स्थापित की। हमने 10,000 नौकरियां खोईं और अब तेलंगाना में संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यह बिजली की कमी वाला राज्य बन गया है।

हमें जो नौकरियां मिलनी थीं, उन्हें खोने के बावजूद, अब हम पर राष्ट्रीयता के बजाय जनसंख्या के आधार पर पेंशन की मंत्रिमंडलीय समूह की सिफारिशों के अनुसार पेंशन का भुगतान करने का अवमान है।

कई वर्षों से गुंटूर में उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग की जा रही थी। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि उनकी मांग स्वीकार करे और गुंटूर में उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए तुरंत कदम उठाने की पहल करे।

ऐसी धारणा है कि हैदराबाद, सीमांध्र द्वारा ही विकसित है। विलय से पहले, हैदराबाद का अपना सचिवालय, उच्च न्यायालय, रेलवे स्टेशन, बिजली कंपनी, डेक्कन विमानन इत्यादि थे और सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति इसकी संस्कृति थी। हैदराबाद की गर्मजोशी, शिष्टाचार और महानगरीय संस्कृति पूरे देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्रीकृष्णा आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले दशक के दौरान हैदराबाद के 97 निवासियों में से 78 बाहरी थे। श्रीकृष्णा आयोग ने इसकी भी पुष्टि की कि हैदराबाद की महज 7 प्रतिशत जनसंख्या सीमांध्र से है।

एम्मार जमीन के मुद्दे पर सीबीआई द्वारा जांच की गई थी। 78 अवैध आवंटनों में से महज एक तेलंगाना से संबंधित है, जिससे हमारा यह अभिकथन साबित होता है कि हमारे साथ हर क्षेत्र में भेदभाव होता है, भ्रष्टाचार में भी। सीमांध्र पर 58 में से 52 वर्षों तक शासन हुआ, ऐसे में सीमांध्र के साथ न्याय का प्रश्न कहां है? दरअसल, इसके उलट होना चाहिए था।

2000 में, जब श्री आडवाणी गृह मंत्री थे, बिहार और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पुरस्थापित किए गए और संसद में पारित हुए।

पिपर-स्प्रे वाली घटना साफतौर पर यह दिखाती है कि 'तेलंगाना' के लोग किस तरह के दमन में जी रहे हैं। उन्होंने पृथक राज्य के लिए 1600 लोगों का बलिदान दिया और सीमांध्र के संसद सदस्य कह रहे हैं कि 'तेलंगाना' के लोग उन पर हमला करना चाहते हैं। यह लोकतंत्र का मजाक है और सभी दलों को, चाहे वह किसी भी दल के हों, उन्हें तेलंगाना के मुद्दे पर पिपर-स्प्रे वाली घटना की बिना किसी शर्त निंदा करनी चाहिए, ताकि 'संसद' की प्रतिष्ठा और सम्मान संरक्षित रहे।

इस विधेयक को पारित करवाने में मदद करने के लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचा किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब सभा में विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया जाएगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 तेलंगाना राज्य का बनाया जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2 पंक्ति 27, खम्माम के स्थान पर "खम्माम (किन्तु शा.आ. एम.एस. सं. 111, सिंचाई और सीएडी (एलए-IV-आर, एंड

आर.-I) विभाग, तारीख 27 जून, 2005 में विनिर्दिष्ट मंडलों में के राजस्व ग्रामों और भुरगमपाडु मंडल में के भुरगमपाडु, सीतारामनगरम् और कोंडरेका के राजस्व ग्रामों को छोड़कर)'' प्रतिसीापित किया जाए। (1)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अपने स्थानों पर वापस जाएं। जो भी आपने आसन के समीप कहा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : महोदया, राज्य के गठन के लिए विधेयक पारित करने का यह कोई रास्ता नहीं है। यह संघ के सिद्धांतों और राज्य स्वायत्तता के विरुद्ध है। इसके विरोध में, हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.24 बजे

इस समय, श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

खंड 5

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद का सामान्य राजधानी होना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय, संशोधन संख्या 39 और 40 प्रस्तुत करें।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 2 पंक्ति 32-33,—

"ऐसी अवधि के लिए, जो दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी" **के स्थान पर** "आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के तैयार होने तक" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (39)

पृष्ठ 2 पंक्ति 35—

"उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर" **के स्थान** पर आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के तैयार होने के पश्चात् **प्रतिस्थापित** किया जाये। (40)

अध्यक्ष महोदया : मैं अब प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत खंड 5 के संशोधन संख्या 39 और 40 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं मत विभाजन चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मेरे विचार से मत विभाजन अनावश्यक की मांगा जा रहा है। इसलिए, नियम 367 के उप-नियम (3) के प्रावधान के अंतर्गत, मैं सदस्यों को निर्देश देने जा रही हूं कि जो सदस्य 'पक्ष' में हैं और जो 'विपक्ष' में हैं, अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और, गणना के बाद, मैं सभा का निर्णय बताऊंगी। जो सदस्य अपने स्थानों पर नहीं हैं उन्हें गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

जो माननीय सदस्य पक्ष में हैं, वे अपने स्थान प खड़े हो जाएं। जी हां, वे सभी सदस्य जो 'पक्ष' में हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : जी हां, मैंने मतदान के लिए ही गणना की अनुमति दी है।

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं मत विभाजन चाहता हूं। क्या किसी भी नियम के अंतर्गत आप मत विभाजन को समाप्त नहीं कर सकती हैं? मुझे मत विभाजन चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जो माननीय सदस्य अपने स्थानों पर नहीं हैं, उन्हें मतदान में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यों, मैं यह दोबारा कह रही हूं कि अगर आप अपने स्थानों पर नहीं हैं तो मतगणना में आप पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, यदि आप गणना में शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)24*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, जो 'विपक्ष' में हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, 'विपक्ष' की योजना 'पक्ष' में मतदान करने वाले सदस्यों से ज्यादा है।

पक्ष में – 29; विपक्ष में – 330

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवैसी, क्या आप अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री असादूद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 2 पंक्ति 32 से 39 **के स्थान** पर

प्रतिस्थापित किया जाए "5(1) नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य मैं हैदराबाद नगर, तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और हैदराबाद नगर का खैरताबाद राजस्व मंडल क्षेत्र, ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्षों से अधिक नहीं होगी, आंध्र प्रदेश राज्य की अंतरिम राजधानी होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर हैदराबाद केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी।" (44)

महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मुझे 30 सेकंड दिए जाएं ताकि मैं यह बता सकूं कि मैं यह संशोधिन क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं। और, वह इसलिए है क्योंकि, संपूर्ण देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां एक राजधानी अन्य राज्य की राजधानी में स्थित है। यह सरकार द्वारा किया गया एक घृणित प्रयोग है। संवैधानिक रूप से, यह स्वीकार्य नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैदराबाद तेलंगाना का एक भाग है। आप आंध्र प्रदेश की एक सामान्य राजधानी को हैदराबाद में स्थापित कर रहे हैं, और वह भी जीएचएमसी क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदया मुझे नहीं पता कि तेलंगाना के कांग्रेसी नेताओं का आत्म सम्मान कहां है, जो कि ऐसे घृणित प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं जिसमें हैदराबाद सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। मैं एक उपयुक्त समय पर मत विभाजन के लिए कहूंगा। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब, मैं श्री असादूद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 44 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

श्री असादूद्दीन ओवैसी : महोदया, मैं मत विभाजन चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मेरा विचार है कि मत विभाजन का दावा अनावश्यक ही किया जा रहा है। इसलिए, नियम 367 के उप-नियम (3) के परंतुक के अंतर्गत, मैं 'पक्ष में' और 'विपक्ष में' मतदान करने वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने का निर्देश देती हूं और गणना किए जाने पर मैं इस सभा के निर्णय की घोषणा करूंगी। जो सदस्यगण अपने स्थानों पर नहीं हैं, उनकी गणना नहीं की जाएगी।

माननीय सदस्य, जो 'पक्ष में' हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ठीक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, जो 'विपक्ष में' हैं, वे अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य अब, मैं देख रही हूं कि 'पक्ष में' 6 सदस्य हैं और 'विपक्ष में' 235 सदस्य हैं।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

खंड 6

आंध्र प्रदेश के लिए एक राजधानी का गठन करने के लिए विशेषज्ञ समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3; पंक्ति 4, "पैंतालीस दिनों" के स्थान पर "छह महीने" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

खंड 7

विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल का सामान्य राज्यपाल होना

प्रो. सौगत राय : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 6-7 में,-

"ऐसी अवधि के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए" के **स्थान पर** "आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नयी राजधानी बन कर तैयार होने तक" को **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

संशोधन प्रस्तुत करते हुए, मैं उस तरीके के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करता हूं जिस तरीके से आपने हमारी गणना की जिसमें हमें खड़ा होने के लिए कहा गया। हम भेड़ नहीं हैं। हमारे समक्ष एक बटन है। यदि हम चाहें तो संशोधनों पर मत विभाजन के लिए कह सकते हैं। संशोधन को निपटाने के लिए आपका यह तरीका सही नहीं है। आप हमें खड़ा करके हमारी संख्या नहीं गिन सकती हैं। हम लोग भेड़ नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

आपने जिस प्रकार से विधेयक पुर:स्थापित किया है, वह गलत है। यह फिर हो रहा है। कृपया इसे सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से विधेयक को पारित करें।*...(व्यवधान)*

मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं, लोगों की संख्या गिनना नहीं। इसी गलत तरीके से इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया और आप फिर से वही कर रही हैं। यह इस सभा में नहीं होना चाहिए। यह भावी पीढ़ी के लिए गलत उदाहरण बनेगा। हम आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में हैं। हम किसी भी राज्य के विभाजन का विरोध करते हैं। यह भाषाई राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जहां तक इस संशोधन पर मतदान का संबंध है, इसमें किसी बात का उल्लंघन नहीं हुआ है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.37 बजे

इस समय श्री शरद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आंध्र प्रदेश को तेलगु लोगों के लिए बनाया गया था। अब आप किस आधार पर उसी राज्य को बांट रहे हैं? क्या आप भाषाई राज्य के आधार को नष्ट कर रहे हैं? इसलिए, हम इस पर चर्चा चाहते थे। आपने चर्चा को समाप्त कर दिया। अब आप संशोधनों पर हमारी संख्या गिन रहे हैं। इस तरह इसे नहीं किया जाना चाहिए। आप इस पर उचित चर्चा कराएं और नियमों के अनुसार संशोधन करें, न कि किसी के कहने पर।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को स्वीकार किया जाए।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

प्रो. सौगत राय : मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री सौगत राय, यह बिल्कुल नियमानुसार है। यह नियम 367 के उप-नियम (3) के अंतर्गत है। यह नियम से परे नहीं है; यह नियम के अंतर्गत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं जानती हूं, यह नियमों के अधीन है।

प्रो. सौगत राय : यह तरीका नहीं है। वे आपको गलत सलाह दे रहे हैं। हम भेड़ नहीं हैं कि हमारी संख्या गिनी जाए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 7 में संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप आपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री असादूद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : जी, हां, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 3, पंक्ति 6 से 8 के **स्थान पर** "नियत दिन से ही विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्यपाल होगा और तेलंगाना राज्य के लिए पृथक राज्यपाल होगा।" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (45)

अध्यक्ष महोदया, विगत 66 वर्षों में हमारे संविधान में कहीं भी दो राज्यों हेतु राज्यपाल नहीं रहा है। एक राज्यपाल अन्य राज्यों का प्रभारी रहा है। अत: यह अधिकार से परे है। यह असंवैधानिक है। आप एक महान राज्यपाल बना रहे हैं। तेलंगाना के लोगों का स्वयं का राज्यपाल क्यों नहीं हो सकता? आप तेलंगाना के लोगों पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते?...*(व्यवधान)*

आप उन लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करते जो तेलंगाना पर शासन करेंगे? दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल कैसे हो सकता है? अत:, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं और इस संशोधन पर मत-विभाजन भी मांग करता हूं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.41 बजे

इस समय, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया : मैं श्री ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवैसी : महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं। अब निगती कर ली जाए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.42 बजे

इस समय, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया : अब निगती की जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

पृष्ठ 3 पंक्ति 2 से 4, के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए—

"नियत दिन से ही विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्यपाल होगा और तेलंगाना राज्य के लिए पृथक् राज्यपाल होगा"। (45)

जो सदस्य पक्ष में हैं, वे अब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं—

जो सदस्य विपक्ष में हैं, वे अब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं—

मुझे विपक्ष में अत्यधिक मत दिखाई दे रहे हैं। पक्ष में 24; विपक्ष में 169। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...*(व्यवधान)*

खंड 8

हैदराबाद की सामान्य राजधानी के निवासियों की संरक्षा करने का राज्यपाल का उत्तरदायित्व

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 8 में संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 से 7 — के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:

"8(1) राज्यपाल का कानून की देखभाल करने का उत्तरदायित्व होगा।" (42)

महोदया, संशोधन प्रस्तुत करते हुए, मैं नियम 367(3)(क) का पुन: उल्लेख करता हूं जो निम्नलिखित है:

"यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आक्षेप किया जाता है तो अध्यक्ष "लॉबी" खाली किए जाने का आदेश देगा।"

तत्पश्चात्, इस मामले पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब हम आपकी दृढ़ता को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए, हम मत-विभाजन चाहते हैं। ऐसे ही हमारा दल आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध करता है। यह पूरे देश में विखण्डनशील प्रकृति उत्पन्न करेगा जिससे और अधिक राज्यों की मांग पैदा होगी। आज जो कुछ हो रहा है, वह भारत के हित में नहीं है। यह विचार कि भारत को वर्तमान सरकार द्वारा सबसे बड़े राज्य को विभाजित करने की चुनौती दी जा रही है...*(व्यवधान)* आप चुप रहिए...*(व्यवधान)*

भारत की एकता को चुनौती दी जा रही है। महोदया, इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

इस समय, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

पृष्ठ 3 पंक्ति 5 से 7 – **के स्थान पर**

"8(1) राज्यपाल का कानून की देखभाल करने का उत्तरदायित्व होगा।" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : महोदया, हम मत-विभाजन चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवैसी : जी नहीं, महोदया, हम मत-विभाजन चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हम गिनती करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मेरे विचार में मत-विभाजन का अनावश्यक रूप से दाबा किया जा रहा है। इसलिए, नियम 367 के उप-नियम (3) के परंतुक के अंतर्गत, मैं उन सदस्यों को, जो 'पक्ष में' और 'विपक्ष में' है, अपने स्थानों पर खड़ा होने का निदेश देती हूं और निगती होने पर मैं सभा के निर्णय की घोषणा करूंगी। जो सदस्य अपने स्थानों पर नहीं हैं उनकी गणना की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.46 बजे

इस समय सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया : अब, जो पक्ष में हैं, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ठीक है।

जो विपक्ष में हैं कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं:

"पक्ष में" की तुलना में "विपक्ष में" संख्या ज्यादा है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

जो पक्ष में हैं कृपया 'पक्ष में' हाथ उठाएं जो विरोध में हैं। कृपया 'विपक्ष में' हाथ उठाएं। पक्षे में : 169, विपक्ष में : शून्य।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 14 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

खंड 15

संसदीय और सभा निर्वाचन – क्षेत्रों का परिसीमन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 26, "15", के **स्थान पर**, "15.(1)" रखें।

पृष्ठ 4, पंक्ति 26 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें,–

"(2) निर्वाचन आयोग, संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट स्थानों के आबंटन के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों का संचालन करा सकेगा।"। (4)

(सुशील कुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

विधान सभाओं के बारे में उपबंध

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 37 में पंक्ति 39 का **लोप** करें।

पृष्ठ 4, पंक्ति 40 में पंक्ति 41 का **के स्थान पर** रखें,–

'(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्ष के अधीन,–

(क) प्रविष्टि 1 **के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:–

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	294	39	15	175	29	7";

(ख) प्रविष्टि 25 से प्रविष्टि 25 को क्रमश: प्रविष्टि 26 से प्रविष्टि 29 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 24 **के पश्चात्**, निम्नलिखित प्रविष्टि **अंत:स्थापित** की जाएगी, अर्थात्–

1	2	3	4	5	6	7
"25. तेलंगाना	–	–	–	119	19	12"।

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड में उसका संबंध हो, उसके विषय में सुसंगत होगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड में उसका संबंध हो, उसके विषय मं सुसंगत होगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

खंड 17क

आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5, पंकित 1 से पंक्ति 7 **के स्थान पर** रखें,–

"17क. उपधारा (1) मैं किसी बात के हाते हुए भी, राज्य का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की विधान सभाओं में एक-एक सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।"। (7)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 17क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया, खंड 17क विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

खंड 18 आसीन सदस्यों का आवंटन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5, पंकित 13, "अत:कालीन" का **लोप** करें।

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19

तेलंगाना की अंतः कालीन विधान सभा की संरचना

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : खंड 19 को विधेयक से हटा दिया गया।

खंड 20

विधान सभाओं की अवधि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 38 "अंतःकालीन" का **लोप** करें। (9)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

संशोधन किए गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 42 से पंक्ति 44 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये।

"21. (1) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष है, उसी दिन से ही उस सभा का अध्यक्ष बना रहेगा और उस सभा के सदस्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उस सभा का उपाध्यक्ष चुनेंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, विद्यमान आंध्र प्रदेश की विधान सभा का उपाध्यक्ष, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य को विधान सभा का उपाध्यक्ष हो जाएगा और उस सभा द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने तक, अध्यक्ष के पदीय कर्त्तव्यों का पालन इस प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।"।

"(3) नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त आंध्र प्रदेश विधान सभा को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, जब तक अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम बनाए नहीं जाते हैं, तेलंगाना की विधान सभा को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए होंगी, जो उसके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए जाएं:"। (10)

पृष्ठ 6, पंक्ति 1 से पंक्ति 4 का **लोप** करें। (11)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23

उत्तरवर्ती राज्यों के लिए अंतःकालीन विधान परिषद्

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 10 से पंक्ति 18 **के स्थान पर**,–

"22. (1) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 169 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक-एक विधान परिषद् का गठन किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश विधान परिषद् 50 से अनधिक सदस्यों से और तेलंगाना राज्य विधान परिषद् 40 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) आंध्र प्रदेश की विद्यमान विधान परिषद् को, नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती राज्यों को दो परिषदों के रूप में गठित किया गया समझा जाएगा और विद्यमान सदस्यों को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में परिषदों को आबंटित किया जाएगा।"। (12)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24

उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परिषद्

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 13 से पंक्ति 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये,—

"23(1) नियत दिन से ही, क्रमशः आंध्र प्रदेश विधान परिषद् में 50 स्थान और तेलंगाना विधान परिषद् में 40 स्थान होंगे। (13)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 1 और पंक्ति 2 **के स्थानपर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये:—

"**24.** (1) नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) परिसीमन, आदेश, 2006, तीसरी अनुसूची के भाग 1 में निदेशित रूप से संशोधित हो जाएगा।

(2) नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (तेलंगाना) परिसीमन आदेश, 2014, तीसरी अनुसूची के भाग 2 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य को लागू होगा।

(3) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तीसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।"। (14)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26

सभापति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 3 से पंक्ति 5 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये,—

"**25.** (1) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद् का सभापति है, उसी दिन से ही उस परिषद् का सभापति बना रहेगा और उस परिषद् के सदस्य, परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य को उस परिषद् का उप-सभापति चुनेंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विद्यमान आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् का उप-सभापति, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् का उप-सभापति हो जाएगा और उस परिषद् द्वारा सभापति को चुने जाने तक, सभापति के पदीय कर्त्तव्यों का पालन इस प्रकार नियुक्त उप-सभापति द्वारा किया जाएगा।

(3) आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, अनुच्छेद 208 के खंड (1) अधीन नियम बनाए जाने तक, ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन देते हुए, जो उसके सभापति द्वारा उनमें किए जाएं, तेलंगाना विधान परिषद् के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम होंगे।"। (15)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 7 और पंक्ति 8 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये,—

"**26.** (1) संविधान के अनुच्छेद 170 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम की धारा 15 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या 175 और 119 से बढ़ाकर क्रमश: 225 और 153 कर दी जाएगी और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से,–" (16)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 32

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवैसी, क्या आप खंड 32 में अपनी संशोधन संख्या 46 का प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री असादूद्दीन ओवैसी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 4 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये,–

"32(1) नियत दिन से ही, तेलंगाना राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् हैदराबाद उच्च न्यायालय कहा गया है) और मौजूदा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय शेष आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहा गया है) हो जाएगा।" (46)

महोदया, कारण यह है कि वकीलों और न्यायधीशों के बीच श्रेणीयता के आधार पर स्पष्ट मतभेद होते हैं तथा नए राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार तेलंगाना राज्य बना रही है, परंतु तेलंगाना उच्च न्यायालय नहीं बना रही है। तेलंगाना क्षेत्र के उच्चाकांक्षी वकीलों का क्या होगा? सरकार इसे क्यों नहीं बना सकती है? उच्च न्यायालय स्थापित करना कार्यपालिका का दायित्व है तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य न्यायपालिका का है। ऐसा न करके आप खंडित तेलंगाना राज्य दे रहे हैं जिसका तेलंगाना के भावी वकीलों पर बुरा असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदया, कल वकील न्यायालय में रिट दायर करेंगे। छोटी से छोटी दर याचिका पर स्थगन दे दिया जाएगा। यह उचित है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करे और तेलंगाना राज्य के लिए एक अलग तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना करें।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री असादूद्दीन ओवेसी हेतु खंड 32 में संशोधन के लिए संख्या 46 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवेसी, क्या आप खंड 33 में अपनी संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 9 से 15 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"33(1) विद्यमान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो हैदराबाद (तेलंगाना) उच्च न्यायालय की स्थापना की तारीख के ठीक पूर्व, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए, हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और हैदराबाद (तेलंगाना) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) वे व्यक्ति जो उपधारा (1) के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और हैदराबाद उच्च न्यायालय (तेलंगाना) के न्यायाधीश हो जाते हैं, उस दशा के सिवाय, जहां कोई ऐसा व्यक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाता है, नियत तारीख को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्विकता के अनुसार रैंक धारण करेंगे।" (47)

महोदया, आंध्र प्रदेश के न्यायाधीशों को मूल निवास के आधार पर हैदाराबाद से संबंधित उच्च न्यायालय के लिए नियत करना होगा। यदि आप उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं कर रहे हैं तथा मूल निवास के आधार पर न्यायाधीशों को नियत नहीं कर रहे हैं तो आप तेलंगाना के लोगों के साथ न्याय करना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मरे संशोधन को स्वीकार किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि गणना की जाए। आपने पिछले संशोधन में गणना को स्वीकार नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदया : अब, मैं श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत खंड 33 में संशोधन संख्या 47 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 46 को विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 47

राजस्व का वितरण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 7 और पंक्ति 8 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"परंतु नियत दिन को, राष्ट्रपति, चौदहवें वित्त आयोग को उत्तरवर्ती राज्यों को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने के लिए और प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए पृथक-पृथक अधिनिर्णय करने के लिए निर्देश करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदान कर सकेंगी और इस बात को भी सुनिश्चित कर सकेगी कि उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त फायदे और प्रोत्साहन दिए जाएं।

(3) केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष विकास पैकेज पर विचार करते हुए उस राज्य के विशिष्टतया रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी।"। (17)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय, क्या आप खंड 47 में संशोधन के लिए संख्या 43 प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 12, पंक्ति 5,–

"तथ अन्य सन्नियमों" का **लोप** कीजिए। (43)

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरुद्ध हैं। इससे विभाजनकारी प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा यह भाषायी राज्यों के आधार को नष्ट कर देगा। ऐसा केवल कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है तथा इसके कारण लोगों के बीच जबर्दस्त संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महोदया, मैं पुन: मांग करता हूं कि आप नियम 367(3) के अंतर्गत मेरे संशोधन पर मत-विभाजन की अनुमति दें।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं सदन में एक लोकतांत्रिक उदाहरण रखना चाहता हूं। आप नियम 367(3) की अनदेखी करने के लिए नियम 367(2) का उपयोग नहीं कर सकते, कि जब आपके मत को चुनौती दी जाती है, आप लॉबी खाली करवाकर, मत-विभाजन कराएं। महोदया, हम आंध्र प्रदेश के विभाजन का पूरे दिल से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे और राज्यों की मांग भी उठेगी और इससे पूरे देश में गृह युद्ध शुरू भी हो चुका है। महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि उनका कहना है कि राजस्व का संवितरण जनसंख्या और अन्य पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा। अन्य पैरामीटर क्या हैं? इसका निर्णय कौन करेगा? अगर आप किसी राज्य का निर्माण करते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, तो सिर्फ जनसंख्या को ही मापदंड बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय सरकार अपने हाथ में रख रही हैं। राजस्व बंटवारे की इस प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं हो सकता। महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और फिर से, मैं आंध्र प्रदेश के विभाजन पर अपनी पार्टी का विरोध दोहराता हूं।

अध्यक्ष महोदया : मैं अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 47 पर रखे गए संशोधन संख्या 43 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 49

भूमि और माल

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवेसी, क्या आप खंड 49 पर अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 12, पंक्ति 22 से 41 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—

"49(1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य से संबद्ध सब भूमि और सब समान, वस्तुएं और अन्य माल,—

(क) यदि अंतरित राज्यक्षेत्र के भीतर हों, तो तेलंगाना राज्य को संक्रांत हो जाएंगे; अथवा

(ख) किसी अन्य मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य की संपत्ति बने रहेंगे:

परन्तु संपत्तियों (आंध्र प्रदेश भवन, नई दिल्ली से भिन्न) के विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थित होने के दशा में, ऐसी संपत्तियों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा:

परंन्तु यह और कि नई दिल्ली में अवस्थित आंध्र प्रदेश भवन की दशा में विद्यमान परिसर और समीपवर्ती भूमि तेलंगाना राज्य को समनुदेशित होंगे और भारत सरकार आंध्र प्रदेश के अवशेष राज्य के राज्य अतिथि गृह के लिए नई दिल्ली में भूमि आवंटित करेगी।"।

(48)

मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के गठन से पहले, जब हैदराबाद राज्य था, उस वक्त हैदराबाद हाउस को भारत सरकार ने ले लिया था, जो कि 8.79 एकड़ क्षेत्र में बना सर्वाधिक वैभवशाली पैलेस है। उस हैदराबाद हाउस के बदले में हैदराबाद राज्य को 19 एकड़ जमीन दी गई थी। अब इस विधेयक में कहा जा रहा है कि एपी भवन और बहाई हाउस के पास की भूमि आंध्र प्रदेश राज्य को दी जाएगी। क्या यह तेलंगाना के साथ अन्याय नहीं है? तेलंगाना की आवाज कहां है? यहां आप शांत रहकर तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए के तेलंगाना की सारी सम्पत्ति का अदला-बदली करने में लगे हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब, मैं श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा खंड 49 में लाए गए संशोधन संख्या 48 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मतों की गिनती की जाए। दुनिया को इसकी जानकारी हो।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 49 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 50 से 54 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 55

लोक ऋण

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवेसी क्या आप खंड 55 में संशोधन संख्या 49 और 50 ला रहे हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 14, पंक्ति 32 से 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—

"55(1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा मद्दे ऐसे सभी दायित्वों का प्रभाजन, जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे, उत्तरवर्ती राज्यों को उद्भूत परियोजना विशिष्ट परिणामों के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा।"। (49)

पृष्ठ 14, पंक्ति 42 से 44 और पृष्ठ 15, पंक्ति 1, **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—

"(3) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किसी भी स्रोत से लिए गए उधार और ऐसी इकाइयों को जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, और जिनका प्रचालन क्षेत्र दोनों में से किसी उत्तरवर्ती राज्य तक सीमित है, पुन: उधार देने मद्दे दायित्व उपधारा (4) में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित राज्य को न्यायगत हो जाएगा।"। (50)

इस बात का कोई औचित्य नहीं है। कोई भी विभाजन जनसंख्या आधारित नहीं हो सकता। यही कारण है कि परियोजनाओं का मालिकाना हक उत्तरवर्ती राज्यों को देना पड़ता है और बकाया ऋण और गारंटी उत्तरवर्ती राज्यों में बराबर-बराबर हिस्से में बांटा जाना चाहिए। विभाजन का यह मानदंड मनमानीपूर्ण है। यह तेलंगाना के साथ अन्याय है। देयता और ऋण कहां जाएगा? उनके एिल कौन भुगतान करेगा? सरकार इस अन्यायपूर्ण खंड को क्यों स्वीकार कर रही है? एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि गणना कराई जाए।

अध्यक्ष महोदया : मैं अब सभा में मतदान हेतु श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 और 50 को रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है कि:

"कि खंड 55 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 60

पेंशन

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवेसी संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करेंगे।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 16, पंक्ति 12 से 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"60. पेंशनों की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को या उनके बीच पेंशनभोगियों की देशीयता के आधार पर इस अधिनियम को आठवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संक्रान्त होगा या उनका प्रभाजन किया जाएगा।" (51)

महोदया, विशेषकर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु निवास के आधार दो राज्यों के बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों जो वापस आ गए हैं और जो हैदराबाद में निवास कर रहे हैं हैदराबाद की निधि से अपना पेंशन आहरित कर रहे हैं। इसलिए हमने यह सुझाव दिया है कि स्थानीय लोगों हेतु पेंशनभोगियों को उनके निवास के आधार पर और गैर-स्थानीय लोगों को दो राज्यों के क्षेत्रों में सेवा-काल के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो तेलंगाना राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा मैं तेलंगाना राज्य के लोगों को पूर्व चेतावनी दे रहा हूं कि इससे तेलंगाना और तेलंगाना के लोगों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा क्योंकि पेंशनभोगियों का विभाजन निवास के आधार पर होगा।

अध्यक्ष महोदया : अब, मैं सभा में मतदान हेतु श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 51 रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 60 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 60 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61 से 72 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 73

कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापनों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 3, "89" **के स्थान पर** "88" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (18)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 73, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 74 और 75 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 76

कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना

संशोधन किया गया:

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवेसी संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करेंगे।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 20, पंक्ति 14, "25" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"**76.** यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य की या तेलंगाना राज्य की सरकार इस अधिनियम की दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन संस्थानों की बाबत, जो उस राज्य में अवस्थित हैं, ऐसी सुविधाएं, जो किसी भी प्रकार से उन लोगों के लिए, जो उन्हें नियत दिन के पूर्व उपलब्ध कराई जा रही थीं, कम अनुकूल नहीं होगी ऐसी अवधि तक और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो दोनों राज्य सरकारों के बीच नियत दिन से ऐसी अवधि के भीतर कराई जाए और सहमत अवधि के अवसान के पश्चात् उत्तरजीवी राज्य इस अधिनियम की दसवीं अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थाओं के सदृश अपने राज्यक्षेत्रों में राज्य स्तर की संस्थाओं के सृजन के लिए कदम उठाऐंगे।" (52)

अध्यक्ष महोदया, जो विधेयक की दसवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, वे सभी राज्य स्तरीय संस्थान है। मौजूदा संस्थानों की भांति राज्य स्तरीय

संस्थानों को स्थापित करना दोनों उत्तरजीवी राज्यों के लिए उपयुक्त होगा और आम सुविधाओं के रूप में राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ बनाए रखने की आवश्यकता केवल संक्षिप्त अवधि के लिए है।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं सभा में मतदान हेतु श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 52 रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 76 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 76 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 77 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 78

अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 21, पंक्ति 8, "संबंध में" **के स्थान पर** "अधि आधार पर" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (19)

पृष्ठ 21, पंक्ति 16, "कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा करने के **पश्चात्** पर, "कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा करने पर प्राप्त विकल्प पर विचार करने **के पश्चात्" अंत:स्थापित** किया जाये। (20)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : असादूद्दीन ओवेसी संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करेंगे।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 21, पंक्ति 12 से 28, **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—

"(2) नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस उत्तरवर्ती राज्य का, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए, कर्मचारियों की राय, देशीयता, वास-स्थान और वरिष्ठता पर विचार करने के पश्चात् अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और उस तारीख का, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारणा करेगी।" (53)

अध्यक्ष महोदया, इस संशोधन को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि यदि कोई कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों को इसके वेबसाइट पर देखें, यह निम्नानुसार उल्लेख करता है। राज्य संवर्ग कर्मचारियों का आवंटन के वृहत्त सिद्धांत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रथम विकल्प, उसके पश्चात् वास स्थान के आधार पा आवंटन और अंततः वरिष्ठता के विपरीत क्रम में कनिष्ठतम कार्मिक को शामिल किया सम्मिलित है। यदि उत्तरवर्ती राज्यों को आवंटित पदों की संख्या विकल्प देने वालों और वहां वास करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा है तो शेष पदों को भरने के लिए आवंटन हेतु वरिष्ठता क्रम में निचले क्रम के कर्मचारियों पर उनके विकल्पों के विरुद्ध भी विचार किया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प अपरिवर्तनीय हैं। इसीलिए आप समस्याओं के पिटारे को खोल रहे हो। मैं सरकार से मेरे संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। आपको पता नहीं कि तेलंगाना के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कृपया, अध्यक्ष महोदया, सरकार को मेरे संशोधन को स्वीकार करने दें। अन्यथा, इस मुद्दे का कोई अंत नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया : मैं अब श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 53 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 79 और 80 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 81

सलाहकार समितियां

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22, पंक्ति 30, **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें,—

"परंतु असहमति यास मतभेद होने की दशा में, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत, जब कभी अपेक्षित हों, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सलाहकार समिति द्वारा विरचित किए जाएंगे, जिन्हें ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।'। (21)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 81, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 81, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 82 और 83 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 84

राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22, पंक्ति 40 और पंक्ति 43 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये,–

"(2) उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और ऐसे आयोग का गठन किए जाने तक संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति के अनुमोद से, उस अनुच्छेद के खंड (4) के निबंधनों के अनुसार तेलंगाना राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो सकेगा।"। (22)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदया, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार शेष बचे राज्य, आंध्र प्रदेश के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन कर रही है। जबकि तेलंगाना राज्य के लिए सरकार लोक सेवा आयोग का गठन नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि तेलंगाना राज्य द्वारा अपने लिए लोक सेवा आयोग का गठन किए जाने तक संघ लोक सेवा आयोग उत्तरदायी होगा। सरकार इसे अभी ही गठित क्यों नहीं करती है? इसका गठन करने से इन्हें कौन रोक रहा है? तेलंगाना का मुद्दा न्याय के लिए और तेलंगाना के स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। तेलंगाना के लिए पृथक लोक सेवा आयोग का गठन नहीं करके, यह क्या संदेश दे रही है? अत:, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 22, पंक्ति 39 से 42, **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"(2) नियत दिन से उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार एक पृथक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा।" (54)

अध्यक्ष महोदया : अब, मैं श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा खंड 84 के लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 54 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 84, संशोधित, रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 84, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 85 से 90 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 91

पोलावरम सिंचाई परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना होना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 26, पंक्ति 6 से 8 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये,–

"(3) पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए सहमति उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य द्वारा दी गई समझी जाएगी।"

(4) केन्द्रीय सरकार परियोजना का निष्पादन करेगी और पर्यावरण, वन तथा पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी सन्नियमों सहित सभी अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करेगी।" (23)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

श्री असादूद्दीन ओवेसी : डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रनहिता-चेवेल्ला परियोजना गोदावरी नदी की सहयोगी नदी के आर-पार एक बैराज का निर्माण करके 165 टीएमसीएफटी जल का मार्ग परिवर्तित करने पर विचार कर रही है। परियोजना तेलंगाना राज्य के सूखा संभावित क्षेत्रों के सात जिलों के 16.4 लाख हैक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए श्रीपथ सागर में गोदावरी नदी से 25 टीएमसीएफटी जल के उपयोग पर विचार कर रही है। प्रनहिता परियोजना हैदराबाद महानगरीय क्षेत्र की औद्योगिक और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल के प्रावधानों पर भी विचार करती है। इसका लक्ष्य 2018 है। हैदराबाद में जल का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। हमें 16 टीएमसीएफटी जल की आवश्यकता है। हैदराबाद के एिल पानी कहां से आएगा? निश्चित जल केवल एक टीएमसीएफटी है। सरकार प्रनहिता-चेवेल्ला परियोजना को राष्ट्रीय स्तर क्यों नहीं दे सकती है? वह क्या न्याय कर रहे हैं? शेष आन्ध्र प्रदेश के लिए वह पोलावरम परियोजना दे रहे हैं; तेलंगाना के बारे में क्या है? मंत्री जी क्यों शांत बैठे हैं? क्या वे हैदराबाद के पेयजल के मुद्दे की कीमत पर मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं? इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्तुत करता हूं:

पृष्ठ 26, पंक्ति 1 से 8 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—

91. (1) पोलावरम् सिंचाई परियोजना और प्रणहित — चेवेल्ला सिंचाई परियोजना इसके द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाते हैं।

(2) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ द्वारा सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पोलावरम् सिंचाई परियोजना प्रणहित-चेबेल्ला सिंचाई परियोजना के विनियमन और विकास को अपने नियंत्रण में लिया जाना चाहिए।

(3) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन संबंधी सभी सन्नियमों का पालन करते हुए दोनों उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के परामर्श से परियोजना का निष्पादन करेगी। (55)

अध्यक्ष महोदया : मैं अब श्री असादूद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत खंड 91 के संशोधन संख्या 55 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 91, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 91, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 92 और 93 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 94

उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और विकास से संबंधित उपाय

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 25, पंक्ति 2, उत्तरवर्ती राज्यों के बाद "नियुक्त दिन से दस वर्ष की अवधि में" **अंत:स्थापित** करें। (24)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 94, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 94, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 95 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 96

सभी छात्रों को क्वालिटीयुक्त उच्चतर शिक्षा के समान अवसर

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 25, पंक्ति 19 तथा 20, "दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी रहेगा" **के स्थान पर** निम्नलिखित अंत:स्थापित करे "संविधान के अनुच्छेद 371घ के अंतर्गत जहां तक प्रावधान है, यह स्थिति में ही दस वर्ष तक जारी रहेगा।" (25)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 96, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 96, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 97 से 109 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

"दूसरी अनुसूची

(धारा 15 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 का संशोधन

संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 में.—

I. अनुसूची 1 में,—

(i) आंध्र प्रदेश में संबंधित क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों **के स्थान पर**, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 समय-समय पर यथा संशोधित के आधार पर गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् गठित सभा स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	42	6	2	25	4	1";

(ii) तमिलनाडु से संबंधित क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 समय-समय पर यथा संशोधित के आधार पर गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् गठित सभा स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
"25. तेलंगाना	—	—	—	17	3	2";

(iii) क्रम संख्यांक 25 से 28 को क्रमश: क्रम संख्यांक 26 से 29 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।

क्र.सं.	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या

2. अनुसूची 2 में,—

(iv) आंध्र प्रदेश से संबंधित क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों **के स्थान पर** निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 समय-समय पर यथा संशोधित के आधार पर गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् गठित सभा स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	294	39	15	175	29	7";

(v) तमिलनाडु से संबंधित क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों **के पश्चात्** निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 समय-समय पर यथा संशोधित के आधार पर गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् गठित सभा स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
"25. तेलंगाना	—	—	—	119	19	12";

(vi) क्रम संख्यांक 25 से 28 को क्रमशः क्रम संख्यांक 26 से 29 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।

3. अनुसूची 3 **के स्थान पर** निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची 3

आंध्र प्रदेश

सारणी क—सभा निर्वाचन क्षेत्र

क्रम संख्या और नाम		सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार
1		2
	1-श्री काकुलम जिला	
1.	इचापुरम	कानचिल्ली, इचापुरम, कविती और सोमपेटा मंडल
2.	पलासा	पलासा, मन्डासा और वाजरापुकोथुरू मंडल
3.	टेक्काली	नन्दीगाम, टेक्काली, सन्थाबोम्माली और कोटावेममाली मंडल
4.	पथापटनम	पथापटनम, मेलियापुट्टी, एलएन पेट, कोथुर और हीरामंडलम मंडल।
5.	श्रीकाकुलम	गारा और श्रीकाकुलम मंडल।
6.	अम्डालावालसा	अम्डालावालसा, पोन्डुरू, सारूबुज्जिली और बुरजा मंडल।
7.	इटचेरला	जी. सिगदम, लावेरू, रानसतालाम तथा इटचेरला मंडल।
8.	नारासन्नापेट	जालुमुरू, नारासन्नापेट, सरावाकोटा तथा पोलाकी मंडल।
9.	राजम (अ.जा.)	वांगरा, रेगिडी, अमादलवालसा, राजम तथा सन्थाकाविति मंडल।
10.	पालकेन्डा (अ.ज.जा.)	सीतमपेट, भामिनी, पालकोन्डा तथा वीराघट्टम मंडल।
	2-विजियनगरम जिला	
11.	कुरूपम (अ.ज.जा.)	कुरूपम, गुममालक्ष्मीपुरम, जियाम्मावालसा, कोमरादा तथा गुयगुबिल्ल मंडल।
12.	पार्वथीपुरम (अ.जा.)	पार्वथीपुरम, सीथानगरम तथा बालीजीपेट मंडल।
13.	सालुर (अ.ज.जा.)	सालुर, पाचीपेन्टा, मेन्टाडा तथा मककुवा मंडल।
14.	बोब्बिली	बोब्बिली, रामभद्रपुरम, बादंगी तथा थेरलाम मंडल।
15.	चीपुरूपल्ले	मेराकमुदीदम, गारिविडी, चीपुरूल्ले तथा गुर्ला मंडल।
16.	राजपतिनगरम	राजपतिनगरम, बोन्डापल्ली, गन्तयाडा तथास दत्तीराजेरू मंडल; और जमी मंडल के विजीनिगिरि, थंडरांगी, जमी वालासा, वेन्ने, ससनापल्ले, अट्टाडा, भीमासिंगी, सोमायाजुलापालेम, लोटलापल्ले, मोलचासा कोथवालसा, कुमारम और अन्नाराजूपेट गांव।

	1	2
17.	नेल्लीमरला	नेल्लीमरला, पूसापाटीरेगा, डेनकाडा तथा भोगापुरम मंडल।
18.	विजियानगरम	विजियानगरम मंडल।
19.	सरूंगावारापुकोटा	सरूंगावारापुकोटा, वेपाडा, लक्कावारापुकोटा तथा कोथावालसा मंडल; तथा जमी मंडल (विजीनिगिरि, थन्डरांगी, जमी वालासा, वेन्ने, ससनापल्ले, अट्टाडा, भीमासिंगी, सोमायाजुलापालेम, लोटलापल्ले, मोलचासा कोथवालासा, कुमारम और अन्नाराजूपेट इन 12 गांव को छोड़ते हुए)

3—जिला: विशाखापटनम

20.	भीमिली	आनन्दपुरम्, पदमानाभम, भीमुनिपतनम तथा विशाखापटनम ग्रामीण मंडल।
21.	विशाखापटनम पूर्व	विशाखापटनम (शहरी) मंडल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम) — वार्ड संख्या 1 से 11 तथा 53 से 55 ।
22.	विशाखापटनम दक्षिण	विशाखापटनम (शहरी) मंडल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम) — वार्ड संख्या 12 से 34, 42 से 43 तथा 46 से 48 ।
23.	विशाखापाटनम उत्तर	विशाखापटनम (शहरी) मंडल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम) — वार्ड संख्या 36 से 41, 44 से 45 तथा 49 से 52 ।
24.	विशाखापटनम पश्चिम	विशाखापटनम (शहरी) मंडल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम) — वार्ड संख्या 35 तथा 56 से 71 ।
25.	गजुवाका	गजुवाका मंडल (गजुवाका नगर निगम सहित)।
26.	चयौदावरम	चौदावरम, बुटचाय्यापेटा, रविकामाथम तथा सेलुगुन्टा मंडल।
27.	मड्डुगुला	मड्डुगुला, चीडीकाडा, देवरापल्ले और के. कोटापाडु मंडल।
28.	आकु वेली (अ.ज.जा.)	मुनचिंगीपुट्टू, पेडाबायालु, डुम्बीरीगुडा, अराकु वेली, हुकुमपेटा तथा अनन्तगिरि मंडल।
29.	पाडेरू (अ.ज.जा.)	पाडेरू, जी. मुडूगुला, चिन्तापल्ले, गुदेम कोथा वीधी ओर कोयूरू मंडल।
30.	अनाकापल्ले	कासिमकोटा और अनाकापल्ले मंडल।
31.	पेण्डुरथी	पेडागान्टयाडा (बाहरी क्षेत्र जिसमें गजुवाका नगर पाक्षिक सम्मिलित है) परावाडा, सब्बावरम और पेण्डुरथी मंडल।
32.	येलामानचिली	रामबिली, मुनागापाका, अटचुटापुरम और येलामानचिली मंडल।
33.	पायाकाराओपेट (अ.जा.)	कोटाउराटला, नक्कापल्ले, पायाकारओपेट और एस. रयावरम मंडल।
34.	नरसीपटनम	नाथवरम, गोलूगोण्डा, नरसीपटनम औरउ मकावरापलेम मंडल।

1		2
		4—जिला: पूर्व गोदावरी
35.	तुनी	थोन्डांगी, कोटनन्दूरू और तुनी मंडल
36.	प्राथीपाडु	सन्खावरम, प्राथीपाडु, येलेश्वरम और रोवथुलापुडी मंडल।
37.	पिथापुरम	गोलापरोलू, पिथापुरम और कोथापल्ले मंडल।
38.	ककिनाडा ग्रामीण	कारापा और किनाडा ग्रामीण मंडल।
		ककिनाडा शहरी मंडल (भाग)
		ककिनाडा शहरी (एम) (भाग)
		ककिनाडा (एम)— वार्ड संख्या 66 से 70 ।
39.	पेडापुरम	सामालकोटा और पेडापुरम मंडल।
40.	अनापारथी	पेडापुडी, विकावोलू, रंगामपेटा और अनापारथी मंडल।
41.	ककिनाडा शहर	ककिनाडा शहरी मंडल (भाग)
		ककिनाडा शहरी (एम) (भाग)
		ककिनाडा (एम)—वाई संख्या 1 से 65 ।
42.	राचन्द्रपुरम	काजुलुरू, रामचन्द्रपुरम और पामारू मंडल।
43.	मुमीदिवरम	पोलावरम, मुमीदिवरम, थाल्लारेवु और काटरेनीकोना मंडल।
44.	अमालापुरम (अ.जा.)	उप्पालागुप्ताम, अलावरम और अमालापुरम मंडल।
45.	राजोल (अ.जा.)	राजोल, मलिकिपुरम सखिनेपटीपल्ले मंडल।
		मामिदिकुडुरू मंडल (भाग)
		मामिदिकुडुरू, गोड्डाडा, ऐडराडा, कोमाराडा, मगातापल्ले और गोगन्नामाथम गांव।
46.	गन्नावरम (अ.जा.)	पी. गन्नावरम, अम्बाजीपेट और ऐनाविल्ली मंडल।
		मामिदिकुडुरू मंडल (भाग)
		पेडापटनम, अप्पानापल्ले, वोटलाकु, डोडावरम, पसारलापुडी, पेडापटनम, नगरम, मोगलीकुडुरू, मकानापलेम, लुतुकुररू, पसारलापुदिलान्का और अडुरू गांव।
47.	कोथापेटा	रावुलापलेम, कोथापेटा, अत्रेयापुरम और अलामुरु मंडल।
48.	मन्दापेट	मन्दापेट, रायावरम और कपिलेश्वरपुरम मंडल।

1		2
49.	राजानगरम	राजानगरम, सीमानगरम और कारूकान्डा मंडल।
50.	राजामुन्दरी शहर	राजामुन्दरी शहरी मंडल (भाग) राजामुन्दरी (नगर निगम) (भाग) राजामुन्दरी (नगर निगम) – वार्ड संख्या 7 से 35 और 42 से 89 ।
51.	राजामुन्दरी ग्रामीण	कादिआम और राजामुन्दरी ग्रामीण मंडल। राजामुन्दरी शहरी मंडल (भाग) राजामुन्दरी (नगर निगम) (भाग) राजामुन्दरी (नगर निगम) – वार्ड संख्या 1 से 6 और 36 से 41 और 90 ।
52.	जग्गमपेट	गोकावरम, जग्गमपेट, गान्डेपल्ले और किरलामपुडी मंडल।
53.	रामपचोदावरम (अ.ज.जा.)	मारेदुमिली, देवीपटनम, वाई रामावरम, अद्दातीगाला, गंगावरम, रामपचोदावरम और राजावोममन्गी मंडल।
	5—पश्चिम गोदावरी जिला	
54.	कोव्वुर (अ.जा.)	कोव्वुर, चगालू और तल्लापुड्डी मंडल।
55.	निडाडावोले	निडाडावोले, उन्डराजावरम और पेरावली मंडल।
56.	अचन्ता	पेनुगोंडा, अचन्ता और पेनुमंत्रा मंडल। पोडुरू मंडल (भाग) कविताम, जगन्नाधापुरम, पांडीथाविलुरू, मिनीमिनचिलीपाडु पोडुरू, पेम्माराजूपोलावरम और गुम्मालुरू गांव।
57.	पालाकोल	पालाकोल और येलामानचिली मंडल। पोन्डुरू मंडल (भाग) कोममुचिक्काला, वेडन्गी, जिन्नुरू, मेट्टापारू, पेनुमदाम, रविपाडु और वाडीपारू गांव।
58.	नरसापुरम	मोगालथुर और नरसापुरम मंडल।
59.	भीमावरम	वीरावासराम मंडल तथा भीमावरम मंडल। भीमावरम (नगरपालिका + बाह्य विकास) भीमावरम (नगरपालिका)-वार्ड संख्या 1 से 27 । चिनामेराम (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 28 । रायालाम (ग्रामीण) (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 29 ।

1		2
60.	उन्डी	कल्ला, पालाकोडुरू, उन्डी और अकिविडु मंडल।
61.	तानुकु	तानुकु, अटिली और इरागावरम मंडल।
62.	टाडेपल्ली गुडेम	टाडेपल्ली गुडेम और पेन्टापाडु मंडल।
63.	उन्गुटुर	उन्गुटुर, भीमाडोल, निडामाररू और गनापावरम मंडल।
64.	देनदुलुरू	पेडावेगी, पेडापाडु और देनदुलुरू मंडल।
		इलुरू मंडल (भाग)
		मल्कापुरम, चाटापारू, जलीपुडी, कटलामपुडी, माडेपल्ली, गानुरू, श्रीपारू, कलाकुरू, कोमतीलंका, गुडीवकालंका, कोकीरेलंका, पायदीचिन्तापाडु और पराथीकोलंका गांव।
65.	इलुरू	इलुरू मंडल (भाग)
		इलुरू (नगर पालिका) (भाग)
		इलुरू (नगर पालिका) वार्ड संख्या 1 से 28 ।
		इलुरू मंडल (भाग)
		इलुरू (बाह्य विकास) (भाग)
		सतरामपाडु (बाह्य विकास)-वार्ड संख्या 29
		गवारावरम (बाह्य विकास)-वार्ड संख्या 30
		टंगेलामुडी (ग्रामीण) (बाह्य विकास)-वार्ड संख्या 31
		मकोमाडावोलु (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 32
		इलुरू (ग्रामीण) (बाह्य विकास)-वार्ड संख्या 33
		इलुरू मंडल (भाग)
		चोडीमेल्ला, सन्नीवारापुपेटा, इलुरू (ग्रामीण), कोमाडावोल (ग्रामीण) और पोनान्गी गांव।
66.	गोपालापुरम (अ.जा.)	द्वारका तिरूमाला, नल्लाजेरला, देवारापल्ले और गोपालपुरम मंडल।
67.	पोलावरम (अ.ज.जा.)	पालावरम, बुट्टायागुडेम, जेलुगुमिल्ली, कोययालगुंडेम और टी. नरसापुरम मंडल।
68.	चिण्टालापुडी (अ.जा.)	चिण्टालापुडी, लिन्गापालेम, कामवारापुकोटा और जंगारेड्डीगुडेम मंडल।
	6—कृष्णा जिला	
69.	तिरूवुरू (अ.जा.)	विस्सन्नापेट, गमपालागुडेम, तिरूवुरू और ए. कोनडुरू मंडल।
70.	नुजविद	अगिरीपल्ली, चतराई, मुसुनुरू और नुजविद मंडल।

1		2
71.	गन्नावरम	वापुलापेडु, गन्नावरम और उन्गुतुरू मंडल। विजयवाड़ा (ग्रामीण) मंडल (भाग) अम्बापुरम,फिरयाडी नैनावरम, पथापाडु, नुन्ना इनीकेपाडु, निडामानुरू डोन अटकुरू गुडावल्ली प्रसादामपाडु और रामावारापाडु गांव।
72.	गुडीवाडा	गुडलावल्लेरू, गुडीवाडा और नन्दीवाडा मंडल।
73.	केकालुर	मन्डावल्ली, केकालुर, कालीडिन्डी और मुदिनेपल्ले मंडल।
74.	पेडाना	गुडुर पेडाना, तानतुमिल्ली और करूथीवेनु मंडल।
75.	मछलीपटनम	मछलीपटनम मंडल।
76.	अवानीगड्डा	चल्लापल्ली, मोपीदेवी, अवानीगड्डा, नगयालंका, कोडुरू और घन्टासाला मंडल ।
77.	पामारू (अ.जा.)	पामारू, थोटलावल्लुरू पमिडीमुक्काला, मगोवा और पेडापारूपुडी मंडल।
78.	पेनामालुरू	कन्कीपाडु, वुय्यूरू और पेनामालुरू मंडल।
79.	विजयवाड़ा पश्चिम	विजयवाड़ा शहरी मंडल (भाग) विजयवाड़ा शहरी (नगर निगम) (भाग) विजयवाड़ा (नगर निगम)—वार्ड संख्या 1 से 13, 15 से 19, 75 और 76 ।
80.	विजयवाड़ा केन्द्रीय	विजयवाड़ा शहरी मंडल (भाग) विजयवाड़ा शहरी (नगर निगम) (भाग) विजयवाड़ा (नगर निगम)—वार्ड संख्या 14, 20 से 31, 33 से 35, 42 से 44, 49, 77 और 78 ।
81.	विजयवाड़ा पूर्व	विजयवाड़ा शहरी मंडल (भाग) विजयवाड़ा शहरी (नगर निगम) (भाग) विजयवाड़ा (नगर निगम)—वार्ड संख्या 32, 36 और 41, 45 से 48 और 50 से 74 ।
82.	मइलावरम	इब्राहीमटनम, जी कोन्डुरू, मइलावरम और रेड्डीगुडेम मंडल। विजयवाड़ा (ग्रामीण) मंडल (भाग) कोटटुरू, टाडेपल्ले, वेमावरम, शाबडा, पेडुरूपाडु, रेयानापाडु, गोलापुडी और जाकामपुडी गांव।

1		2
83.	नन्दीगाम (अ.जा.)	कंचिकाचेरला, चन्द्रालापाडु और वीरूल्लापाडु मंडल।
		नन्दीगाम मंडल (भाग)
		पेडावरम, थाक्केल्लापाडु, मुनागाचेरला, लात्वापालेम, लिंगालापाडु, अडिवीरवुलापाडु, चंदापुरम, केथावीरूनी पाडु, कन्चेला, इथावरम, अम्बारूपेट्टा, नन्दीगाम, सत्यावरम, पल्लागिरी और राघवपुरम गांव।
84.	जाग्गाय्यापेटा	वत्सावी, जाग्गाय्यापेटा और पेगुगनचिपोरोलू मंडल।
		नन्दीगाम मंडल (भाग)
		मगालू, कोन्डुरू, रामिरेड्डीपल्ले, जोनालागाड्डा, कोनाथामतमाकुरू तोरागुदीपादु, दामुलुरू, सोमावरम, रूद्रावरम और गोल्लामुडी गांव।
		मगालू, कोन्डुरू, रामिरेड्डीपल्ले, जोनालागाड्डा, कोनाथामतमाकुरू गोरागुदीपादु, दामुलुरू, सोमावरम, रूद्रावरम और गोल्लामुडी गांव।
	7—गुन्टुर जिला	
85.	पेडाकुरापाडु	बेल्लामकोन्डा, अटचामपेट, करोसुरू, अमरावती और पेडाकुरापाडु मंडल।
86.	टाडीकोन्डा (अ.जा.)	टुल्लुर, टाडीकोन्डा, फिरंगीपुरम और मेडीकोन्डुरू मंडल।
87.	मंगलागिरी	टाडेपल्ले, मंगलागिरी और डुग्गीराला मंडल।
88.	पोन्नुर	पोन्नुर, चेबरोलु और उपेडाकाकानी मंडल।
89.	वेगुरू (अ.जा.)	वेगुरू, कोलुर, टसुन्दुर, भाट्टीपरोलु और अमरूथालुर मंडल।
90.	रेपल्ले	निजामपटनम, नगरम, चेरूकुपल्ली और रेपल्ले मंडल।
91.	तेनाली	कोल्लीपाडा और तेनाली मंडल।
92.	बापतला	बापतला, पित्तालावानीपलेम और कारलापलेम मंडल।
93.	प्राथीपाडु (अ.जा.)	गुन्टुर मंडल (सिवाय नगरनिगम), वात्तिचेरूकुरू, प्राथीपाडु, पेडानन्दीपाडु और काकुमानु मंडल।
94.	गुन्टुर पश्चिम	गुन्टुर मंडल (भाग)
		गुन्टुर (नगरनिगम) (भाग)
		गुन्टुर (नगरनिगम)-वार्ड संख्या 1 से 6 और 24 से 28 ।
95.	गुन्टुर पूर्व	गुन्टुर मंडल (भाग)
		गुन्टुर (नगरनिगम) (भाग)
		गुन्टुर (नगरनिगम)-वार्ड संख्या 7 से 23 ।

1		2
96.	चिलाकालुरीपेट	नाडेन्दला, चिलाकालुरीपेट और इदलापाडु मंडल।
97.	नरसाराओपेट	रोमपिचेरला और नरसाराओपेट मंडल।
98.	साट्टेनापल्ले	माट्टेनापल्ले, राजुपलेम, नेकारीकल्लु और मुप्पल्ला मंडल।
99.	विनुकोन्डा	बोल्लापल्ले, विनुकोन्डा, नुजेन्डला, सवालयापुरम और इपुर मंडल।
100.	गुराजाला	गुराजाला, डाचेपल्ले, पिडुगुराला और मचावरम मंडल।
101.	माचेरला	माचेरला, वेलदुरथी, दुर्गी, रेन्ताचिन्ताला और करेमपुडी मंडल।
	8—प्रकाशम जिला	
102.	येरागोन्डापलेम (अ.जा.)	येरागोन्डापलेम, पुल्लालाचेरूवु, त्रिपुरान्थाकाम, डोरनाला और पेडा अरावेडु मंडल।
103.	डारसी	डोनाकोन्डा, कुरीचेडु, मुन्डलामुरू, डारसी और थाल्लुर मंडल।
104.	पारचुर	येडानापुडी, पारचुर, करामचेडु, इकोल्लु चिनागंजम और मारथुर मंडल।
105.	अड्डान्की	जे. पानगुलुरू, अड्डान्की, सन्थामागुलुरू, बल्लीकुरावा और कोरीसापाडु मंडल।
106.	चिराला	चिराला और वेटापलेम मंडल।
107.	सन्थानुथालापाडु (अ.जा.)	नगुलुपालापाडु, माद्दीपाडु, चिमाकुरथी और सन्थानुथालापाडु मंडल।
108.	ओंगोले	आंगोले और कोथापटनम मंडल।
109.	कान्डुकुर	कान्डुकुर लिन्गासमुन्द्रम, गुडलुरू, उलावापाडु और वोलेटीवारीमलेम मंडल।
110.	कोनदापी (अ.जा.)	सिंगारायाकोन्डा, कोनदापी टंगूटूर, जारूगुमिल्ली, पोन्नालुरू और मारीपुडी मंडल।
111.	मार्कापुरम	कोनाकानमिटला, पोडिली, मार्कापुर और तालुपाडु मंडल।
112.	गिड्डालुर	बेस्तावारीपेटा, राचेरला, गिड्डालुर कोमारोलु, कुमबुम और अरधावीडु मंडल।
113.	कानीगिरि	हनुमान्थुनीपाडु, चन्द्रसेखरपुरम, पामुर, वेलीगन्धला, पेडाचेरलोपल्ले और कानीगिरि मंडल।
	9—नेल्लोर जिला	
114.	कावाली	कावाली, बोगोले, आलुर और दगादारथी मंडल।
115.	अट्माकुर	चेजेरला, अट्माकुर, अनुमासमुन्द्रामपेटा, मरीपाडु, संगम और अनन्थासागरम मंडल।
116.	कोवुर	विदावालुर, कोडावालुर, कोवुर, बुचिरेड्डीपलेम और इन्दुकुरपेट मंडल।

1		2
117.	नेल्लोर शहर	नेल्लोर मंडल (भाग)
		नेल्लोर मंडल (नगरपालिका + बाह्य विकास) (भाग)
		नेल्लोर (नगरपालिका)-वार्ड संख्या 1 से 15, 27, 28 और 31 से 44
118.	नेल्लोर ग्रामीण	नेल्लोर मंडल (भाग)
		गोल्ला, कान्दुकुर सज्जापुरम, वेल्लन्ती, कन्डामुर, अप्पूटूर, दक्षिण मोपुर, मोगल्लापलेम, सत्तेमपाडु, अमनचेरला, मन्नावरापपादु, मुलुमुडी, देववारापलेम, पोट्टेवलेम, अक्काचेरूतुपाडु, ओगुरूपाडु, अम्बापुरम, दोनथाली, बुजा बुजा नेल्लोर (ग्रामीण), कल्लुरपल्ली (ग्रामीण), कानूपारथीपाडु, अल्लीपुरम (ग्रामीण), गुडीपल्लीपेड्डु, पेड्डा, वेरूकुर, चिन्तारेड्डीपलेम, वीसवाविलेटीपाडु, गुन्डापलेम, ककुपल्ली-1, ककुपल्ली-2 (मडराज़ा गुडुर) और पुनबारथी गांव।
		नेल्लोर मंडल (नगरपालिका + बाह्य विकास) (भाग)
		नेल्लोर (नगरपालिका)-वार्ड संख्या 16 से 26, 29 और 30 ।
		नेल्लोर (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 45
		नेल्लोर (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 46
		बुजा बुजा नेल्लोर (बाह्य विकास) (भाग-वार्ड संख्या 47
		नेल्लोर (बीट-1) (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 48
119.	सर्वेपल्ली	पोडालाकुर, थोटापल्लीगुडुर, मुथुकुर, वेंकटचलम और मनुबोलू मंडल।
120.	गुडुर (अ.जा.)	गुडुर, चिल्लाकुर, कोटा, वकाडु और चित्तामुर मंडल।
121.	सुल्लुरपेटा (अ.जा.)	ओजिली, नईडुपेट, पेल्लाकुर, दोरावरीसतराम, सुल्लरपेटा और टाडा मंडल।
122.	वेंकटगिरी	कलुवोया, रापुर, सयदापुरम, दक्किली, वेंकटगिरी और बलायापल्ले मंडल।
123.	उदयगिरी	जालादन्की, सीथारामापुरम, उदयगिरी, वरीकुन्तापाडु, विन्जामुर, दुत्तालुर, कलीगिरि और कोन्डापुरम मंडल।
	10—कडापा जिला	
124.	बाडवेल (अ.जा.)	कलसापाडु, वी. कोडुर, श्री अवधुथा कासीनयन, पोरूमामिल्ला, बाडवेल, गोपावरम और अतलुर मंडल।
125.	गजमपेट	सिंघोट, बोन्तीमित्ता, नन्दलुर, राजमपेट, वीगाब्ल्ले और टी. मुन्डुपल्ले मंडल
126.	कडापा	कडापा मंडल।

1		2
127.	कोडूर (अ.जा.)	पेन्गालुर, चिदवेल, पुल्लामपेट, ओबुलागेपल्ले और कोडर मंडल।
128.	रायाचोटी	साम्बेपल्ले, चिन्नामनदेमख रायाचोटी, गालीवीडु, लक्किरेड्डीपल्ली और रामापुरम मंडल।
129.	पुलीवेन्डला	सिमहद्रीपुरम, लिन्गला, थोन्दुर, पुलीवेन्डला, वेमुला, वेमपल्ले और चक्रयापेट मंडल।
130.	कमलापुरम	पेन्डलीमारी, चिन्थाकोम्मडिने, कमलापुरम, वल्लूर, वीरापुनायुनीपल्ले और चेन्नुर मंडल।
131.	जम्मालामाडुगु	पेड्डामुडियम, मइलावरम, कोन्डापुरम, जम्मालामाडुगु, मुड्डानुर और येरागुन्त्ला मंडल।
132.	प्रोड्डाटुर	राजूपलेम और पोड्डाटुर मंडल।
133.	माईदुकुर	दुववुर, एस. माईदुकुर, खाजीपेट, ब्रह्मगिरिमापट्टम और चापाड मंडल।
	11—कुरनूल जिला	
134.	अल्लागड्डा	सिरवेल, अलागड्डा, डोरनीपाडु, उयालावाडा, चगालमारी और रुद्रावरम मंडल।
135.	श्रीसांईलाम	श्रीसांईलाम, अत्माकुर वेलगोडे, वान्दी अत्माकुर और महानन्दी मंडल।
136.	नन्दीकोटकुर (अ.जा.)	नन्दीकोटकुर, पगिडयाला, जे. बंगला, कोथापल्ले, पमुलापाडु और मिडथुर मंडल।
137.	कुरनूल	कुरनूल मंडल (भाग)
		कुरनूल (नगरनिगम) (भाग)
		कुरनूल (नगरनिगम)-वार्ड संख्या 1 से 69 ।
138.	पानयाम	कल्लूर, ओरवाकल, पानयाम और गाडीवेमुला मंडल।
139.	नन्दयाल	नन्दयाल और गोसपाडु मंडल।
140.	बानागानापल्ले	बानागानापल्ले, ओक, कोइलकुन्तला, सन्जामाला और कोलिमीगुन्डला मंडल।
141.	धोने	बेथामचेरला, धोने और पीपल्ली मंडल।
142.	पट्टीकोन्डा	कृष्णागिरी, वेलडुर्थी, पट्टीकोन्डा, माड्डीकेरा और दुगाली मंडल।
143.	कोडुमुर (अ.जा.)	सी. बेलगाल, गुडुर और कोडुमुर मंडल।
		कुरनुल मंडल (भाग)

1		2
		आर. कंथालापाडु, सुनकेसुला, रेमाता, उलचाला, बसवापुरम, इदुरुर, जी. सिंगावरम, निडजूर, मुनागलापाडु, ममीडालपाडु, पानचालिन्गाला, ई. थानडरापाडु, गोन्डीपारला, दिनेरेदेवरापाडु, बी. थान्डरापाडु, पासूपुला, रूद्रावरम, नोथानपल्ले, देवमाडा, पुडुर गरगेयापुरम और डिगुवापाडु गांव
144.	येम्मीगनुर	नन्दावरम, येम्मीगनुर और गोनेगंडला मंडल।
145.	मंत्रालायम	पेडाकाडुबुर, मंत्रालायम, कोसीगी और कोवथालम मंडल।
146.	अडोनी	अडोनी मंडल।
147.	अलूर	देवनाकोन्डा, होलागुन्डा, हलाधरवी, अलूर, अस्पारी और चिप्पागिरी मंडल।
	12—अनन्तकुमार जिला	
148.	रायदुर्ग	डी. हिरेहाल, रायदुर्ग, कनेकाल, बोमानहाल और गुम्मागट्टा मंडल।
149.	उरावाकोन्डा	विडापानकाल, वजराकरूर, उरावाकोन्डा, बेलूगुप्पा और कुदैर मंडल।
150.	गुन्टाकाल	गुन्टाकाल, गोटी और पामिडी मंडल
151.	टाडपात्री	पेड्डावाडुगुर, याडीकी, टाडपात्री और पेड्डापाप्पुर मंडल।
152.	सिंगानमाला (अ.जा.)	गरलाडिन्ने, सिंगानमाला, पुटलुर, येल्लनूर, नरपाला और बी.के. समुद्रम मंडल।
153.	अनन्तपुर शहरी	अनन्तपुर मंडल (भाग)
		अनन्तपुर (नगरपालिका + बाह्य विकास) (भाग)
		अनन्तपुर (नगपालिका)-वार्ड संख्या 1 से 28
		नारायणपुरम (बाह्य विकास)-वार्ड संख्या 29
		काक्कलापल्ले (ग्रामीण) (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड संख्या 30
		अनन्तपुर (ग्रामीण) (बाह्य विकास)-वार्ड संख्या 31
154.	कल्याणदुर्ग	ब्रह्मासमुद्रम, कल्याणदुर्ग, सेत्तुर, कुन्डुरपी और काम्बाडुर मंडल।
155.	रापटाडु	अटमाकुर, रापटाडु, कानागानापल्ली, सी.के. पाल्ली और रामागिरि मंडल, अनंतपुर मंडल (भाग), कोडीमी, थोटीचेरला, सोमनाडोड्डी, रचनापल्ले, सज्जालाकलवा, कुरुगुन्टा, गोलपल्ले, कमरूपल्ले, अलमुरू, कटीगानीकालवा, कक्कालपल्ले (ग्रामीण), उप्परापल्ले, इतिकालपल्ले, जानगालपल्ले, कान्डाकुर, चियेदु, मानिला और पापमपेट (जनगणना शहर) गांव।
156.	माडाकासिग (अ.जा.)	माडाकासिरा, अमरापुरम, कुडीबन्दा, रोल्ला और अगाला मंडल।
157.	हिन्दुपुर	हिन्दुपुर, लेपकाशी और चिल्माथुर मंडल।

1		2
158.	पेनुकोन्डा	परीगी, पेनुकोन्डा, गोरन्तला, सोमानडेपल्ले और रोडाम मंडल।
159.	पुत्तापारथी	नालामादा, बुक्कापटनम, कोथाचेरुवु, पुत्तापारथी, ओ.डी. चेरुवु और अमाडागुर मंडल।
160.	धर्मावरम	धर्मावरम, वाथालापल्ले, टाडीमारी और मुडीगुब्बा मंडल।
161.	काडिरि	तलुपुला, नामबुलीपुलीकुन्टा, गन्डलापेन्टा, काडिरि, नालाचेरुबु और तनाकल मंडल।
		13-चित्तूर जिला
162.	थामबल्लापल्ले	मुलाकालाचेरुवु, धामबल्लापल्ले, पेड्डामनडयम, कुरबालकोटा, पेड्डाथिपासमुन्द्रम और बी. कोथाकोटा मंडल।
163.	पिलेरू	गुरमकोन्डा, कलाकाडा, के.वी. पल्ले, पिलेरु, कलीकिरी और वयालपाड मंडल।
164.	मदनापल्ले	मदनापल्ले, निम्मानापल्ले और रामसमुद्रम मंडल।
165.	पुन्गानुर	सोदाम, सोमाला, चौवदेपल्ले, पुन्गानुर, पुलीचेरला और रोमपिचेरला मंडल।
166.	चन्द्रागिरि	तिरुपति (ग्रामीण) चन्द्रागिरि, पकाला, रामचन्द्रपुरम, चिन्नागोटीगल्लु और येरावारीपलेम मंडल। तिरुपति (शहरी) मंडल (भाग) कोंकाचैन्नयागुन्टा, मंगलम और चेन्नयागुन्टा गांव।
167.	तिरुपति	तिरुपति (शहरी) मंडल (भाग) तिरुमाला (जनगणना शहर) तिरुपति (एन.एम.ए.) (जनगणना शहर) अक्करामपल्ले (जनगणना शहर) तिरुपति (नगरपालिका + बाह्य विकास) (भाग)।
168.	श्रीकालाहस्ती	रेनीगुन्टा, यरेपेडु, श्रीकालाहस्ती और थोट्टामबेडु मंडल।
169.	सत्यावेडु (अ.जा.)	नारायणवरम, बी.एन. कन्द्रीगा, वरडैय्यापलेम, के.वी.बी. पुरम, पिट्चातुर, सत्यावेडु और नंगलापुरम मंडल।
170.	नागरी	निद्रा, विजयपुरम, नागरी, पुट्टुर और बाडामालापेटा मंडल।
171.	गंगाधर नेल्लोर (अ.जा.)	वेडुरूकुप्पम, करवेटीनगर, पेनुमुरू, एस.आर. पुरम, जी.डी. नेल्लेर और पालासमुद्रम मंडल।

1		2
172.	चित्तूर	चित्तूर और गुडीपाला मंडल।
173.	पुथालापट्टु (अ.जा.)	पुथालापट्टु, इराला मंडल, थावनामपल्ले, बन्गारूपलेम और यादामारी मंडल।
174.	पालमानेर	गंगावरम, पालमानेर, वेरेड्डीपल्ले, वी. कोटा और पेड्डापन्जनी मंडल।
175.	कुप्पम	सान्तिपुरम, गुडुपल्ले, कुप्पम और रामाकुप्पम मंडल।

सारणी ख—संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्रम संख्या और नाम		सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार
1		2
1.	अराकु (अ.ज.जा.)	10. पालकोन्डा (अ.ज.जा.), 11. कुरूपम (अ.ज.जा.), 12. पार्वथीपुरम (अ.जा.), 13. सालुर (अ.ज.जा.), 28. अराकु वेली (अ.ज.जा.), 29. पाडेरू (अ.ज.जा.) और 53. रामपचोदावरम (अ.ज.जा.)
2.	श्रीकाकुलम	1. इचापुरम, 2. पलासा, 3. टेक्काली, 4. पथापटनम, 5. श्रीकाकुलम, 6. अम्डालावालसा और 8. नारासन्नापेट।
3.	विजियानगरम	7. इटचेरला, 9. राजम (अ.जा.), 14. बोब्बिली, 15. चीपुरूपल्ले, 16. गजपतिनगरम, 17. नेल्लीमरला और 18. विजियानगरम।
4.	विशाखापटनम	19. सरूंगावारापुकोटा, 20. भीमिली, 21. विशाखापटनम पूर्व, 22. विशाखापटनम दक्षिण, 23. विशाखापटनम उत्तर, 24. विशाखापटनम पश्चिम और 25. गजुवाका।
5.	अनाकापल्ले	26. चौदावरम, 27. मडुगुला, 30. अनाकापल्ले, 31. पेण्डुरथी, 32. येलामानचिली, 33. पायाकारओपेट (अ.जा.) और 34. नरसीपटनम।
6.	ककिनाडा	35. तुनी, 36. प्राथीपाडु, 37. पिथापुरम, 38. ककिनाडा ग्रामीण, 39. पेडापुरम, 41. ककिनाडा शहर और 52. जग्गमपेट।
7.	अमालापुरम (अ.जा.)	42. रामचन्द्रपुरम, 43. मुमीदिवरम, 44. अमालापुरम (अ.जा.), 45. राजोल (अ.जा.), 46. गन्नावरम (अ.जा.), 47. कोथापेटा और 47. मन्दापेट।
8.	राजामुन्दरी	40. अनापारथी, 49. राजानगरम, 50. राजामुन्दरी शहर, 51. राजामुन्दरी ग्रामीण, 54. कोव्वुर (अ.जा.), 55. निडाडावोले और 66, गोपालापुरम (अ.जा.)।
9.	नरसापुरम	56. अचन्ता, 57. पालाकोल, 58. नरसापुरम, 59. भीमावरम, 60. उन्डी, 61. तानुकु और 62. टाडेपल्लीगुडेम।
10.	इलुरू	63. उन्गुटुर, 64. देनदुलुरू, 65. इलुरू, 67. पोलावरम (अ.ज.जा.) 68. चिण्टालापुडी (अ.जा.), 70. नुजविद और 73. केकालुर।

1		2
11.	मछलीपटनम	71. गन्नावरम, 72. गुड़ीवाडा, 74. पेडाना, 75. मछलीपटनम, 76. अवानीगड्डा, 77. पामारू (अ.जा.) और 78. पेनामालुरू।
12.	विजयवाड़ा	69. तिरूवुरू (अ.जा.), 79. विजयवाड़ा पश्चिम, 80. विजयवाड़ा केन्द्रीय, 81. विजयवाड़ा पूर्व, 82. मइलावरम, 83. नन्दीगाम (अ.जा.) और 84. जाग्गाय्यापेटा।
13.	गुन्टुर	86. टाडीकेन्डा (अ.जा.), 87. मंगलागिरि, 88. पोन्नुर 91. तेनाली, 93. प्राथीपाडु (अ.जा.), 94. गुन्टूर पश्चिम और 95. गुन्टूर पूर्व।
14.	नरसाराओपेट	85. पेडाकुरापाडु, 96. चिलाकालुरीपट, 97. नरसाराओपेट, 98. साट्टेनापल्ले, 99. विनुकोन्डा, 100. गुराजाला और 101. माचेरला।
15.	बापतला (अ.जा.)	89. वेमुरू (अ.जा.), 90. रेपल्ले, 92. बापतला, 104. पारचुर, 105. अड्डान्की, 106. चिराला और 107. सन्थानुथालापाडु (अ.जा.)।
16.	ओंगोले	102. येरागोन्डापलेम (अ.जा.), 103. डारसी, 108. ओंगोले, 110. कोनदापी (अ.जा.), 11. मार्कापुरम, 112. गिड्डालूर और 113. कानीगिरि।
17.	नन्दयाल	134. अल्लगड्डा, 135. श्रीसांईलाम, 136. नन्दीकोटकुर (अ.जा.), 138. पानयाम, 139. नन्दयाल, 140. बानागानापल्ले और 141. धोने।
18.	कुरनूल	137. कुरनूल, 142. पट्टीकोन्डा, 143. कोडुमूर (अ.जा.), 144. येम्मीगनुर, 145. मंत्रालायम, 146. अडोनी और 147. अलूर।
19.	अनन्तपुर	148. रायदुर्ग, 149. उरावकोन्डा, 150. गुन्टाकाल, 151. टाडापात्री, 152. सिंगानमाला (अ.जा.), 153. अनन्तपुर शहरी और 154. कल्याणदुर्ग।
20.	हिन्दुपुर	155. रापटाडु, 156. माडाकासिरा, 157. हिन्दुपुर, 158. पेनुकोन्डा, 159. पुनापारथी, 160. धर्मावरम और 161. काडिरि।
21.	कडापा	124. बाडवेल (अ.जा.), 126. कडापा, 129. पुलीवेन्डाला, 130. कमलापुरम, 131. जम्मालामाडुगु, 132. प्रोड्डाटुर और 133. माईदुकुर।
22.	नेल्लोर	109. कान्डुकुर, 114. कावाली, 115. अटमाकुर 116. कोवुर, 117. नेल्लोर शहर और 123. उदयगिरि।
23.	चित्तूर (अ.जा.)	119. सर्वेपल्ली, 120. गुडुर (अ.जा.), 122. वेंकटगिरि, 167, तिरुपति, 168. श्रीकालाहस्ती और 169. सत्यावेडु (अ.जा.)।
24.	राजमपेट	125. राजपमेट, 127. कोडुर (अ.जा.), 128. रायाचोटी, 162. थामबल्लापल्ले, 163. पिलेरू, 164. मदनापल्ले और 165. पुन्गानुर।
25.	चित्तूर (अ.जा.)	166. चन्द्रगिरि, 170. नागरी, 171. गंगाधर नेल्लोर (अ.जा.), 172. चित्तूर, 173. पुथलापट्टु (अ.जा.), 174. पालमानेर और 175. कुप्पम।

टिप्पणी : सारणी के में जनगणना शहर (सी.टी.), बाह्य विकास (ओ.जी.), मंडल तथा ग्राम तथा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी संदर्भ में अभिप्राय उस जनगणना शहर (सी.टी.), बाह्य विकास (ओ.जी.), मंडल तथा ग्राम या अन्य क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत 15 फरवरी, 2004 के दिन नहित क्षेत्रफल से होगा। पुन: सारणी क में नगरपालिका क्षेत्रों के वार्ड से अभिप्राय 2001 की भारत जनगणना रिपोर्ट में यथा परिभाषित क्षेत्रों से माना जाएगा।

4. अनुसूची 26 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची 27

तेलंगाना

सारणी क-सभा निर्वाचन क्षेत्र

क्रम संख्या और नाम		सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार
1		2
		1. आदिलाबाद जिला
1.	सिरपुर	कोउथाला, बेज्जुर, कागजनगर, सिरपुर (टी) तथा दहेगांव मंडल।
2.	चेन्नुर (अ.जा.)	जयपुर, चेन्नुर, कोटापल्ले तथा मन्डामरी मंडल।
3.	बेल्लामपल्ले (अ.जा.)	कसीपेट, तान्दुर, बेल्लामपल्ले, भीमिनी, नेनाल तथा वेमनपल्ले मंडल।
4.	मन्चेरियल	लक्सेट्टीपेट, मन्चेरियल तथा डान्डेपल्ले मंडल।
5.	आसिफाबाद (अ.ज.जा.)	केरामेरी, वानकडी, सिरपुर (शहरी), आसिफाबाद, जैनूर, नारनूर, तिरयानी तथा रेब्बाना मंडल।
6.	खानापुर (अ.ज.जा.)	जन्नारम, उत्नूर, कद्दाम (बेड्डूर), खानापुर तथा इन्दरावेल्ली मंडल।
7.	आदिलाबाद	आदिलाबाद, जेनाद तथा बेला मंडल।
8.	बोथ (अ.ज.जा.)	तामसी, तलामाडुगु, गुडिहाथनूर, इचोदा, बाजारहाथनूर, बोथ तथा नेराडिगोन्डा मंडल।
9.	निर्मल	दिलावरपुर, निर्मल, लक्ष्मनचंदा, मामदा तथा सारंगापुर मंडल।
10.	मुधोले	कुन्टाला, कुबीर, भैंसा, तनूर, मुधोले तथा लोकेस्वरम मंडल।
		2. निजामाबाद जिला
11.	अरमूर	नन्दीपेट, अरमूर तथा मकलूर मंडल।
12.	बोधन	रन्जाल, नवीपेट, येदपल्ली तथा बोधन मंडल।
13.	जुक्कल (अ.जा.)	मदनूर, जुक्कल, बिचकुन्डा, पितलम तथा निजामसागर मंडल।
14.	बांसवाड़ा	बीरकूर, वर्नी, बांसवाड़ा तथा कोटगिरी मंडल।
15.	येल्लारेड्डी	येल्लारेड्डी, नागारेड्डीपेट, लिंगमपेट, ताडवाई, गन्धारी तथा सदाशिवनगर मंडल।
16.	कामारेड्डी	माचारेड्डी, डोमाकोंडा, कामारेड्डी तथा भीकनूर मंडल।
17.	निजामाबाद (शहरी)	निजामाबाद (नगर पालिका)।
18.	निजाबाबाद (ग्रामीण)	जाकरापल्ले तथा सिरकोंडा मंडल, निजामबाद मंडल (भाग), निजामाबाद (सिवाय निजामाबाद नगर पालिका), डिचपल्ले तथा धारपल्ले मंडल।

1		2
19.	बालकोन्डा	बालकोन्डा, मोरटाड, काम्मरपल्ले, भीमगल तथा वेलपुर मंडल।
		3. करीम नगर जिला
20.	कोरातला	इब्राहिमपटनम
21.	जगतियाल	रायकाल, सारंगापुर तथा जगतियाल मंडल।
22.	धर्मापुरी (अ.जा.)	धर्मापुरी, धर्माराम, गोल्लापल्ले, वेलागाटूर तथा पेगाडापल्ले मंडल।
23.	रामागुन्डम	रामागुन्डम मंडल।
24.	मन्थानी	कामनपुर, मन्थानी, कटाराम, महादेवपुर, मुथाराम (महादेवापुर), मालहरराओ तथा मुथाराम (मन्थानी) मंडल।
25.	पेड्डापल्ले	पेड्डापल्ले, जुलापल्ले, इलिगैड, सुल्तानाबाद, ओडेला तथा श्रीरामपुर मंडल।
26.	करीमनगर	करीमनगर मंडल।
27.	चोप्पपाडान्डी (अ.जा.)	गंगाधारा, रामाडुगु, चोप्पाडान्डी, मल्लिआल, कोडिमियाल तथा बोइनपल्ले मंडल।
28.	वेमुलवाडा	वेमुवाडा, कोनाराओपेटा, चान्दुर्थी, काथलापुर तथा मेडीपल्ले मंडल।
29.	सिरसिल्ला	येल्लारेड्डीपेट, गम्भीराओपेट, मुस्ताबाद तथा सिरसिल्ला मंडल।
30.	मान्कोन्डुर (अ.जा.)	मान्कोन्जुर, इल्लान्थाकुन्टा, बेज्जानकी, टिम्मापुर (एल.एम.डी. कालोनी) तथा शंकरपटनम मंडल।
31.	हुजूराबाद	वीमावंका, जम्मीकुन्टा, हुजूराबाद तथा कमलापुर मंडल।
32.	हुस्नाबाद	चिगुरूमामिडि, कोहेडा, हुस्नाबाद, सैदापुर, भीमादेवारपल्ले तथा इलकाथुर्थी मंडल।
		4. मेडक जिला
33.	सिद्दीपेट	सिद्दीपेट, चिन्नाकोडुर तथा नांगनूर मंडल।
34.	मेडक	मेडक, पापन्नापेट, रामायमपेट तथा शंकरामपेट-आर. मंडल।
35.	नारायणखेड	कंगटी, मानूर, नारयणखेड, कालहेर तथा शंकरामपेट-ए-मंडल।
36.	अंडोले (अ.जा.)	टेकमल, अल्लादुर्ग, रेगोडे, रायकोडे, अंडोले, पुलकाल तथा मुलपल्ले मंडल।
37.	नरसापुर	कोवडीपल्ले, कुलचरम, नरसापुर, हाथनुरा, येलडुथी तथा शिवमपेट मंडल।
38.	जहीराबाद	जहीराबाद, कोहिर, न्यालकाल तथा झारासंगम मंडल।
39.	संगारेड्डी	सदाशिवपेट, कोंडापुर तथा संगारेड्डी मंडल।
40.	पाटनचेरू	जिन्नारम, पाटनचेरू तथा रामाचंद्रापुरम मंडल।

1		2
41.	डुब्बक	मीरडोडी, दौलताबाद, चेगुंटा, डुब्बक तथा टोगुटा मंडल।
42.	गजवेल	तुपराप, कोंडापाक, गजवेल, जगदेवपुर, वारंगल तथा मुलुग मंडल।
		5. रंगारेड्डी जिला
43.	मेडचाल	मेडचाल, शामिरपेटर, घाटकेसर तथा कीसारा (ग्रामीण) मंडल।
44.	मलकाजगिरी	मलकाजगिरी मंडल।
45.	कुथबुल्लापुर	कुथबुल्लापुर मंडल।
46.	कुकटपल्ले	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) - वार्ड सं. 24 (भाग)
		(बालानगर मण्डल में क्षेत्र)
		कुकटपल्ले (नगर पालिका) (भाग)
		कुकटपल्ले (नगर पालिका) - वार्ड सं. 5 से 16
47.	उप्पल	उप्पल नगर पालिका, कापरा नगर पालिका
48.	इब्राहिमपटनम	हयाथनगर, इब्राहिमपटनम मंचाल तथा याचाराम मण्डल।
49.	लाल बहादुर नगर	सरूरनगर मण्डल (भाग)
		गड्डियाननराम (जनगणना शहर)
		लाल बहादुर नगर (नगर पालिका + बाह्य विकास (भाग)
		लाल बहादुर नगर (नगर पालिका) वार्ड सं. 1 से 10
50.	महेस्वरम	महेस्वरम तथा कुडुकुर मण्डल
		सरूरनगर मण्डल (भाग)
		मेडबोवली, अलमासउुडा, बाडंगपेट, चिन्तालाकुन्टा, जलपल्ली, मामिदीपल्ली
		कुरमलगुडा तथा नाडारगुल (ग्रामीण) मण्डल।
		हैदराबाद (बाह्य विकास) (भाग)
		बालापुर (बाह्य विकास) - वार्ड सं. 37
		कोथापेट (बाह्य विकास) - वार्ड सं. 37
		वेंकटपुर (बाह्य विकास) - वार्ड सं. 39
		मल्लापुर (बाह्य विकास) - वार्ड सं. 40
		लाल बहादुर नगर (नगर पालिका + बाह्य विकास) (भाग)

1		2
		लाल बहादुर नगर (नगर पालिका)-वार्ड सं. 11
		नादारगुल (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड सं. 12
		जिल्लालगुडा (बाह्य विकास)-वार्ड सं. 15
		मीरपेट (जनगणना शहर)।
51.	राजेन्द्र नगर	राजेन्द्र नगर तथा शामशाबाद मंडल।
52.	सेरीलिंगपमल्ली	सेरीलिंगपमल्ली मण्डल
		बालानगर मण्डल (भाग)
		कुकटपल्ले (नगर पालिका) (भाग)
		कुकटपल्ले (नगर पालिका)-वार्ड सं. 1 से 4
53.	चेवेल्ला (अ.जा.)	नवाबपेट, शंकरपल्ले, मोइनाबाद, चेवेल्ला तथा शबद मण्डल।
54.	पारगी	डोमा, गंडीड, कुलकाचेर्ला, पारगी तथा पुडुर मंडल
55.	विकाराबाद	मारपल्ले, मोमिनपेट, विकाराबाद, धारूर तथा वंतवारम मण्डल।
56.	तंदूर	पेड्डेमुल, तंदूर, बशीराबाद तथा यालाल मण्डल।
	6. हैदराबाद जिला	
57.	मुशीराबाद	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 1
58.	मलकपेट	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 16
		वार्ड सं. 17 (भाग)
		खंड सं. 8 तथा 9
59.	अम्बरपेट	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 2
		वार्ड सं. 3 (भाग)
		खंड सं. 1 तथा 4
60.	खैरताबाद	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)

1		2
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 6
		वार्ड सं. 3 (भाग)
		खंड सं. 5 तथा 6
		वार्ड सं. 8 (भाग)
		खंड सं. 2
		वार्ड सं. 5 (भाग)
		खंड सं. 10
61.	जुबली हिल्स	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 8 (भाग)
		खंड सं. 1, 3 तथा 4
62.	सनथनगर	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 7, 24 (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-46 कुकटपल्ले में क्षेत्र को छोड़कर) और 25 से 30
63.	नामपल्ली	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 10 से 12
64.	कारवां	हैदराबाद (नगर निगम बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 9
		वार्ड सं. 13 (भाग)
		खंड सं. 3 से 6
65.	गोशमहल	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 4, 14 तथा 15
		वार्ड सं. 5 (भाग)

1		2
		खंड सं. 1 से 9
		वार्ड सं. 13 (भाग)
		खंड सं. 1 तथा 2
66.	चारमिनार	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 20 तथा 23
67.	चंद्रायनगुट्टा	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 18 (भाग)
		खंड सं. 1 से 3 तथा 8 से 14
68.	याकुतपुरा	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 17 (भाग)
		खंड सं. 1 से 7
		वार्ड सं. 18 (भाग)
		खंड सं. 6 तथा 7
69.	बहादुरपुरा	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 18 (भाग)
		खंड सं. 4 तथा 5
		वार्ड सं. 19
70.	सिकन्दराबाद	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)
		वार्ड सं. 33 (भाग)
		खंड सं. 4 से 7
		वार्ड सं. 34 तथा 35
		उस्मानिया विश्वविद्यालय क्षेत्र
71.	सिकंदराबाद कैंट	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)

1		2
		हैदराबाद (नगर निगम) (भाग) वार्ड सं. 31 तथा 32 वार्ड सं. 33 (भाग) खंड सं. 1 से 3 सिकंदराबाद कैन्टोनमेंट बोर्ड
		7. महबूबनगर जिला
72.	कोडंगल	कोडंगल, बोमरसपेट, कोसगी, दौलथाबाद तथा मदुर मण्डल।
73.	नारायनपेट	कोइलकोंडा, नारायनपेट, डामारगिड्डा तथा धानवाड़ा मण्डल।
74.	महबूबनगर	हनवाडा तथा महबूबनगर मण्डल।
75.	जाडचेरला	जाडचेरला, नवाबपेट, वालानगर तथा मिडजिल मण्डल।
76.	देवरकाडरा	भुथपुर, अड्डाकाल, देवरकाडरा, चिन्न चिंता कुन्टा तथा कोथाकोटा मण्डल।
77.	मकथाल	मकथाल, मागानूर, अतमाकुर, नार्वा तथा उत्कूर मण्डल।
78.	वानापार्थी	वानापार्थी, पेब्बेयर, गोपालपेटा, पेड्डामांडाडी तथा घानपुर मण्डल।
79.	गडवाल	गडवाल, धारूर, माल्दाकाल तथा घट्टू मण्डल।
80.	आलमपुर (अ.जा.)	ईज़, इतिक्याल, वाड्डेपल्ले, मानोपाड तथा आलमपुर मण्डल।
81.	नगरकुरनूल	नगरकुरनूल, बिजिनापल्ले, थिग्माजीपेट, तडूर और तेलकापल्ले मण्डल।
82.	अचम्पेट (अ.जा.)	बलमूर, लिंगल, अमराबाद, अचम्पेट, उप्पुनुथाला और वन्गूर मण्डल।
83.	कालवाकुरथी	वेलडान्डा, कालवाकुरथी, तालाकोन्डापल्ले, अमान्गल और मडगुल मण्डल।
84.	शादनगर	कोन्दुर्ग, फारूखनगर, कोथुर और कंशामपेट मण्डल।
85.	कोल्लापुर	बीपानगन्डला, कोल्लापुर, पेड्डाकोथापल्ले, कोर्डए और पन्गाल मण्डल।
		8. नालगोंडा जिला
86.	देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)	चिन्तापल्ले, गुन्डलापल्ले, चन्दामपेट, देवराकोन्डा और पेड्डा आदीसारलापल्ले मण्डल।
87.	नागार्जुन सागर	गुररामपोडे, निडामानुर, पेड्डावोरा, अनुमुला और थ्रिपुराराम मण्डल।
88.	मिरयालगुडा	वेमुलापल्ले, मिरयालगुडा और डामेचेर्ला मण्डल।
89.	हुजूरनगर	नेरेडचेरला, गारीडेपेल्ले, हुजूरनगर, मट्टामपल्ली और मेल्लाचेरदू मण्डल।
90.	कोडाड	मोथे, नाडीगुडेम, मुनागाला, चिलकुर और कोडाड मण्डल।

1		2
91.	सूर्यपेट	अटमाकुर (एस.), सूर्यपेट, चिव्वेमला और पेनपाहद मण्डल।
92.	नलगोन्डा	थिप्पार्थी, नलगोन्डा और कन्गल मण्डल।
93.	मुनुगोडे	मुनुगोडे, नारायणपुर, मारिगुडा, नामपल्ले, चन्डूर और चौटुप्पाल मण्डल।
94.	भांगिर	भांगिर, बीबीनगर, वालीगोन्डा और पोचमपल्ले मण्डल।
95.	नकरेकल (अ.जा.)	रामन्नापेटा, चितयाला, काट्टानगूर, नकरेकल, केथेपल्ले और नारकेटपल्ले मण्डल।
96.	थुन्गाथुरथी (अ.जा.)	थिरूरामालागिरी, थुन्गाथुरथी, नुथानकाल, जाजीरेड्डीगुडेम, साली गौराराम और मोथकूर मण्डल।
97.	अलेयर	एम. टूर्कापल्ले, राजापोट, याडागिरिगुडा, अलेयर, गुन्डाला, आत्माकुर (एम) और बोम्मालारामाराम मण्डल।

9. वारंगल जिला

98.	जनगांव	चेरियल, मडडूर, बचनापेट, नरमेटा और जनगांव मण्डल।
99.	घानपुर (स्टेशन) (अ.जा.)	घानपुर (स्टेशन), धर्मासागर, रघुनाथपल्ले, जफरागद और लिंगालाघानपुर मण्डल।
100.	पालाकुरथी	पालाकुरथी, देवरूपल्ला, कोडाकान्डला, रायपारथी और थोरूर मण्डल।
101.	दोरनाकल (अ.ज.जा.)	नरसिम्हलापेट, पारिपेडा, कुरावी और दोरनाकल मण्डल।
102.	महाबूबवाद (अ.ज.जा.)	गुडुर, नेल्लागुडुर, केसामुद्रम और महाबूबावाद मण्डल।
103.	नरसामपेट	नरसामपेट, खन्नापुर, चेन्नरावपेट, डुग्गोन्डा मण्डल।
104.	पारकल	पारकल अत्माकुर, संगम और गेसुगोन्डा मण्डल।
105.	वारंगल पश्चिम	वारंगल मण्डल (भाग)
		वारंगल (नगर निगम) (भाग)
		वारंगल मण्डल (नगर निगम)-वार्ड सं. 1 से 7, 15, 21 और 23 से 25।
106.	वारंगल पूर्व	वारंगल मण्डल (भाग)
		वारंगल (नगर निगम) (भाग)
		वारंगल मण्डल (नगर निगम)-वार्ड सं. 8 से 14, 16 से 20 और 22।
107.	वारघन्नापेट (अ.जा.)	हसनपारथी, हनमकोन्डा, पारवाथागिरि और वारघान्नापेट मण्डल।
108.	भुपालपल्ले	मोगुल्लापल्ले, चितयाल, भुपालपल्ले, धानपुर (मुलुग) रेगोन्डा और श्यामपेट मण्डल।
109.	मुलुग (अ.ज.जा.)	वेंकटापुर, इतुरनगरम, मन्गापेन्ट, टाडवई, कोथागुडेम, गोविन्दारावपेट और मुलुग मण्डल।

1		2
	10. खम्माम जिला	
110.	पिनापाका (अ.ज.जा.)	पिनापाका, मनुगुरु, गुन्डाला, बुरगामपाहाड और आस्वापुरम मण्डल।
111.	येल्लाण्डु (अ.ज.जा.)	कामेपल्ले, येल्लाण्डु, बैयाराम, तेकुलापल्ले और गारला मण्डल।
112.	खम्माम	खम्माम मण्डल।
113.	पालेयर	थिरुमालायापालेम, कुसुमानची, खम्माम ग्रामीण और नेलाकोन्डापल्ले मण्डल।
114.	मधिरा (अ.जा.)	मुडीगोन्डा, चिन्थाकानी, बोनाकाल, मधिरा और येरुपलेम मण्डल।
115.	वायरा (अ.ज.जा.)	इन्कुरु, कोनीजेरला सिंगारेनी, जुलुपाडु और वायरा मण्डल।
116.	साथुपल्ले (अ.जा.)	साथुपल्ले, पेनुबल्ली, कुल्लुर, तल्लाडा और वेमसूर मण्डल।
117.	कोथागुडेम	कोथागुडेम और पलवानचा मण्डल।
118.	असवारावपेटा (अ.ज.जा.)	मुलीकालापल्ले, वेलैरपाडु, कुकुनूर, चन्दरुगोण्डा, असवारावपेटा और दम्मापेटा मण्डल।
119.	भद्राचलम (अ.ज.जा.)	वाभ्ड, वेंकटपुरम, चेरला, डुम्मुगुडेम, भद्राचलम, कुनावरमुख, चितुर और वी. आर. पुरम मण्डल।

सारणी ख

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्रम संख्या और नाम		नए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार
1		2
1.	आदिलाबाद (अ.ज.जा.)	1. सिरपुर, 5. आसिफाबाद (अ.ज.जा.), 6. खानापुर (अ.ज.जा.), 7. आदिलाबाद, 8. बोथ (अ.ज.जा.) और 10. मुधोले।
2.	पेड्डापल्ले (अ.जा.)	2. चेन्नुर (अ.ज.जा.), 3. बेल्लापल्ले (अ.जा.), 4. मन्चेरियल, 22. धर्मापुरी (अ.जा.), 23. रामागुन्डम, 24. मन्थानी और 25. पेड्डापल्ले।
3.	करीमनगर	26. करीमनगर, 27. चोप्पाडान्डी (अ.जा.), 28. वेमुलवाडा, 29. सिरसिल्ला, 30. मान्कोन्डुर (अ.जा.), 31. हुजूराबाद और 32. हुस्नाबाद।
4.	निजामाबाद	11. अरगूर, 12. बोधन, 17. निज़ामाबाद (शहरी), 18. निजामाबाद (ग्रामीण), 19 बालाकोन्डा, 20. कोराताला और 21. जगतियाल।
5.	ज़हीराबाद	13. जुक्कल (अ.जा.), 14. बांसवाड़ा, 15. येल्लारेड्डी, 16. कामारेड्डी, 35. नारायणखंड, 36. अन्डोले (अ.जा.) और 38. जहीराबाद (अ.जा.)।

1		2
6.	मेडक	33. सिद्दीपेट, 34. मेडक, 37. नरसापुर, 39. संगारेड्डी, 40. पाटनचेरु, 41. डुब्बक और 42. गजवेल।
7.	मल्कागिरि	43. मेडचाल, 44. मलकाजागिरि, 45. कुथबुल्लापुर, 46. कुकटपल्ले, 47. उप्पल, 49. लाल बहादुर नगर और 71. सिकन्दरबाद (कैन्ट) (अ.जा.)।
8.	सिकन्दराबाद	57. मुशीराबाद, 59. अम्बपेट, 60. खैराताबाद, 61. जुबली हिल्स, 62. सनथनगर, 63. नामपल्ली और 70. सिकन्दरवाद।
9.	हैदराबाद	58. मलकपेट, 64. कारवां, 65. गोशमहल, 66. चारमिनार, 67. चन्द्रायगुट्टा, 68. याकुतपुरा और 69. बहादुरपुरा।
10.	चेवेल्ला	50. महेस्वरम, 51. राजेन्द्रनगर, 52. सेरीलिंगपल्ली, 53. चेवेल्ला (अ.जा.), 54. पारगी, 55. विकाराबाद (अ.जा.) और 85. कोल्लापुर।
11.	महबूबनगर	72. कोडंगल, 73. नारायनपेट, 74. महबूबनगर, 75. जाडचेरला, 76. देवरकाडरा, 77. मकथाल और 84. कोल्लापुर।
12.	नगरकुरनुल (अ.जा.)	78. वानापाथी, 79. गडवाल, 80. आलामपुर (अ.जा.), 81. नगरकुरनूल, 82. अचम्पेट (अ.जा.), 83. कालवाकुरथी और 85. कोल्लापुर।
13.	नलगोन्डा	86. देवराकोन्डा (अ.ज.जा.), 87. नागार्जुन सागर (अ.जा.), 88. मिरयालागुडा, 89. हुजूरनगर, 90. कोडाड, 91. सूर्यपेट और 92. नलगोन्डा।
14.	भांगीर	48. इब्राहिमपटनम, 93. मुनुगोडे, 94. भांगिर, 95. नकरेकल (अ.जा.), 96. थुन्नाथुरथी (अ.जा.), 97. अलेयर और 98. जनगांव।
15.	वारंगल (अ.जा.)	99. घानपुर (स्टेशन) (अ.जा.), 100. पालाकुरथी, 104. पारकल, 105. वारंगल पश्चिम, 106. वारंगल पूर्व, 107 वारघन्नापेट (अ.जा.) और 108. भुपालपल्ले।
16.	महबूबाबाद	101. दोरनाकल (अ.ज.जा.) (अ.जा.), 102. महाबूबाबाद (अ.ज.जा.), 103. नरसामपेट, 109. मुलुग (अ.ज.जा.), 110. पिनापाका (अ.ज.जा.), 111. येल्लाण्डु (अ.ज.जा.), और 119. भद्राचलम (अ.ज.जा.)।
17.	खम्माम	112. खम्माम, 113. पालेयर, 114. मघिरा (अ.जा.), 115. वायरा (अ.ज.जा.), 116. साथुपल्ले (अ.जा.), 117. कोथागुडेम और 118. असवारावपेटा (अ.जा.)।

नोट : सारणी क में जनगणना शहर (सी.टी.), बाह्य विकास (ओ.जी.), मंडल तथा ग्राम तथा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी सन्दर्भ में अभिप्राय उस जनगणना शहर (सी.टी.), बाह्य विकास (ओ.जी.), मंडल तथा ग्राम या अन्य क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत 15 फरवरी, 2004 के दिन निहित क्षेत्रफल से होगा। पुनः सारणी क में नगर पालिका क्षेत्रों के वार्ड से अभिप्राय 2001 की भारत जनगणना रिपोर्ट में यथा परिभाषित क्षेत्रों से माना जाएगा।

5. अनुसूची 27 से 32 की अनुसूची 28 से 38 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :-

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किया गया :-

पृष्ठ 33, तीसरी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित करें-

तीसरी अनुसूची

(धारा 24 **देखिए**)

भाग 1

परिषद्-निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 में उपांतरण

परिषद्-निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश), आदेश, 2006 में संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्री काकुल्लम स्थानीय प्राधिकारी	श्रीकाकुल्लम	1
2. विजयनगरम स्थानीय प्राधिकारी	विजयनगरम	1
3. विशाखापट्नम स्थानीय प्राधिकारी	विशाखापट्नम	2
4. पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पूर्व गोदावरी	2
5. पश्चिम गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पश्चिम गोदावरी	2
6. कृष्णा स्थानीय प्राधिकारी	कृष्णा	2
7. गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी	गुन्टूर	2
8. प्रकाशम स्थानीय प्राधिकारी	प्रकाशम	1
9. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	नेल्लोर	1
10. चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	चित्तूर	2
11. कडप्पा स्थानीय प्राधिकारी	कडप्पा	1
12. अनन्तपुर स्थानीय प्राधिकारी	अनन्तपुर	2
13. कूरनूल स्थानीय प्राधिकारी	कूरनूल	1

1	2	3
स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुल्लम विजयनगरम	श्रीकाकुल्लम, विजयनगरम, विशाखापट्नम स्नातक	1 विशाखापटनम
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी स्नातक	पूर्व पश्चिम गोदावरी	1
3. कृष्णा-गुन्टूर स्नातक	कृष्णा, गुन्टूर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडप्पा-अनन्तपुर-कूरनूल स्नातक	कडप्पा, अनन्तपुर, कूरनूल	1
अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुल्लम विजयनगरम	श्रीकाकुल्लम, विजयनगरम, विशाखापट्नम स्नातक	1 विशाखापटनम
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी स्नातक	पूर्व पश्चिम गोदावरी	1
3. कृष्णा-गुन्टूर स्नातक	कृष्णा, गुन्टूर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडप्पा-अनन्तपुर-कूरनूल स्नातक	कडप्पा, अनन्तपुर, कूरनूल	1

भाग 2

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (तेलंगाना) आदेश, 2014 है।

2. तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के (क) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और (ग) अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तेलंगाना राज्य को निम्नलिखित निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शित किए गए अनुसार होगी :-

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र		
1. महबूबनगर स्थानीय प्राधिकारी	महबूबनगर	1
2. रंगा रेड्डी स्थानीय प्राधिकारी	रंगा रेड्डी	1
3. हैदराबाद स्थानीय प्राधिकारी	हैदराबाद	2
4. मेडक स्थानीय प्राधिकारी	मेडक	1
5. निजामाबाद स्थानीय प्राधिकारी	निजामाबाद	1
6. आदिलाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आदिलाबाद	1

1		2	3
7.	करीमनगर स्थानीय प्राधिकारी	करीमनगर	1
8.	वारंगल स्थानीय प्राधिकारी	वारंगल	1
9.	खमम्म स्थानीय प्राधिकारी	खमम्म	1
10.	नलगोंडा स्थानीय प्राधिकारी	नालगोंडा	1
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र		
1.	महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद स्नातक	महबूबनगर-रंगा-रेड्डी हैदराबाद	1
2.	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर स्नातक	मेडक निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
3.	वारंगल-खमम्म-नलगोंडा स्नातक	वारंगल-खमम्म-नलगोंडा	1
	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र		
1.	महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद अध्यापक	महबूबनगर रंगा रेड्डी-हैदराबाद	1
2.	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर अध्यापक	आदिलाबाद-करीमनगर	
3.	वारंगल-खमम्म-नलगोंडा अध्यापक	वारंगल-खमम्म-नलगोंडा	1"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई है।

चौथी अनुसूची

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 34,-

पंक्ति 3, "अंत:कालीन" का लोप करें; (28)

पंक्ति 5, "अंत:कालीन" का लोप करें; (29)

पंक्ति 16, "(4) बाला सुब्रहमणयम वितापु" के पश्चात् "(5) बचला पुल्लिहा'8 अंत:स्थापित करें; (30)

पंक्ति 25, "अंत:कालीन" का लोप करें।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :-

"कि चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

"चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

पांचवीं अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

छठी अनुसूची

संशोधन किया गया :

31. श्री सुशील कुमार शिंदे

32. श्री सुशील कुमार शिंदे

पृष्ठ 38, पंक्ति 1 और पंक्ति 2 का लोप करें।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

"कि छठी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छठी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

"सातवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 39 और पृष्ठ 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये-

"सातवीं अनुसूची

(धारा 52 देखें)

निधियों की सूची

क. भविष्य निधियां, पेंशन निधियों, बीमा निधियां-

1. अभिदायी भविष्य निधि 50 प्रतिशत भारित, एन.आर.एम.
2. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
3. भविष्य निधि अभिदाय से जिला प्रजा परिषदों के निक्षेप।
4. साधारण भविष्य निधि (नियमित)
5. आन्ध्र प्रदेश चतुर्थ श्रेणी सरकारी सेवक कुटुम्ब पेंशन निधि
6. आन्ध्र प्रदेश राज्य कर्मचारी कुटुम्ब फायदा निधि
7. आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारी जीवन बीमा निधि
8. अनिवार्य बचत स्कीम
9. 50% डी.ए., जी.पी.एफ., एन.आर.एस.
10. जी.पी.एफ., वर्ग 4
11. जी.पी.एफ. संकर्म प्रभारित 50% एन.आर.एस.
12. सी.पी.एफ. संकर्म प्रभारित स्थापन
13. विद्युत विभाग भविष्य निधि
14. आई.सी.एस. भविष्य निधि
15. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बचत स्कीम
16. डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि
17. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम
18. आई.ए.एस., समूह बीमा
19. आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी अभिदायी पेंशन स्कीम
    (i) कर्मचारी अभिदाय
    (ii) सरकार का अभिदाय
20. आन्ध्र प्रदेश सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान कर्मचारी अभिदायी पेंशन स्कीम
    (i) कर्मचारी अभिदाय
    (ii) सरकार का अभिदाय
21. पंचायत राज कर्मचारियों के लिए समूह बीमा
22. समूह बीमा विपणन समिति
23. राज्य सरकार कर्मचारी समूह जनता निजी दुर्घटना पालिसी
24. कर्मचारी कल्याण निधि (आंध्र प्रदेश राज्य)

ख. निक्षेप निधि, प्रत्याभूति पुनरारंभ निधि, आरक्षित निधियां

25. निक्षेप निधि-विनिधान लेखा।
26. गारंटी मोचन निधि-विनिधान लेखा।
27. अवमूल्यन रिजर्व निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम
    (i) अल्कोहल कारखाना, नारायणगुडा
    (ii) अल्कोहल कारखाना, कामारेड्डी
    (iii) आन्ध्र प्रदेश पाठ्यपुस्तक प्रेस
    (iv) सरकारी आसवनी, शगालु
    (v) सरकारी मृत्तिका कारखाना, गुडूर
    (vi) सरकारी ब्लाक ग्लास कारखाना, गुडूर
28. औद्योगिक विकास निधि-
    (i) शर्करा उद्योगों के संरक्षण के लिए आरक्षित निधि:
    (ii) रेशम कीट पालन विकास निधि।
29. विद्युत विकास निधियां-विशेष आरक्षित निधि-विद्युत
30. अन्य विकास और कल्याण निधियां-
    (i) विकास स्कीमों के लिए निधियां
    (ii) औद्योगिक बागान निधि
    (iii) आन्ध्र प्रदेश राज्य आसवनी
    (iv) आन्ध्र प्रदेश राज्य आसवनी प्रदूषण नियंत्रण
31. सरकारी मुद्रणालय की अवमूल्यन आरक्षित निधि
32. जल संकर्मों की अवमूल्यन आरक्षित निधि

33. लघु और सीमांत कृषकों के लिए राज्य विकास सहायाकी निधि
34. औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि-मुख्य खाता
35. औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि-निवेश खाता
36. विकास स्कीमों के लिए निधि-निवेश खाता
37. आंध्र प्रदेश आसवनी और निसवनी
38. जी.आर.एफ. चालू खाते में आर.बी.आई. के पास राशि
39. प्रतिभूति समायोजन आरक्षिती-निवेश खाता

ग. अन्य निधि

40. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विकास निधि
41. के.जी. और पेन्नार जल निकास उपकर निधि
42. सी.एम. राहत निधि
43. नगरपालिका पर्यावरणीय स्कीम निधि
44. जिला प्रजा परिषद् निधियां
45. केन्द्रीय सड़क निधि से सरकारी सहायता
46. पुलिस निधियों का निक्षेप
47. आन्ध्र प्रदेश सामाजिक कल्याण निधि निक्षेप
48. खनिज संसाधनों का विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि
49. ग्राम पंचायत निधि
50. मंडला प्रजा परिषद् निधियां
51. विपणन समिति निधियां
52. बुनकरों के लिए थ्रिफ्ट निधि सह बचत और प्रतिभूति स्कीम
53. राज्य कृषि प्रत्यय स्थरीकरण निधि
54. आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी अभिदायी पेंशन स्कीम
    (i) कर्मचारी अभिदाय
    (ii) सरकार का अभिदाय
55. कर्मचारी कल्याण निधि में निक्षेप और कर्मचारी कल्याण निधि पर उपार्जित ब्याज के समतुल्य बराबर अभिदाय
    (i) सरकारी कर्मचारियों को ऋण
    (ii) पंचायत कर्मचारियों को ऋण
    (iii) नगर निगम/परिषद् कर्मचारियों को ऋण
    (iv) कर्मचारी कल्याण निधि में कार्यरत कर्मचारियों को पारिश्रामिक और लेखन सामग्री, स्टांप, आकस्मिक पदों, आदि जैसे अन्य संबद्ध व्यय
56. आन्ध्र प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निक्षेप
57. प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित अतिरिक्त धन राशि निधि
58. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि
59. जमींदारी उन्मूलन निधि
60. एथाइल एल्कोहाल भंडारण सुविधा निधि
    (i) आंध्र प्रदेश सरकार पावर एल्कोहाल कारखाना, बोधान
    (ii) आंध्र प्रदेश सरकार पावर एल्कोहाल कारखाना, छागल्लु
61. प्रतिभूति समायोजन आरक्षिती
62. आंध्र प्रदेश फसल बीमा निधि
63. आंध्र प्रदेश व्यापक फसल बीमा स्कीम
64. धार्मिक पूर्त विन्यास निधियां
65. पन-तापीय-बिजली स्कीमों की अवमूल्यन आरक्षिती-निधि
    (i) पन-तापीय-बिजली स्कीमों की अवमूल्यन आरक्षिती-निधि
    (ii) मछकुंड
    (iii) तुंगभद्रा
66. राज्य नवीकरण निधि
67. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास निधि
68. सार्वजनिक पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए समग्र निधि
69. सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की साधारण आरक्षिती निधियां।"

(33) (श्री सुशील कुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

"कि सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

आठवीं अनुसूची

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 57, पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये "राज्यों में, उत्तरवर्ती राज्यों के क्षेत्रों में कार्मिकों की पिछली सेवा की अवधि और कार्मिक की कुल सेवा के समान अनुपात में आबंटित किया जाएगा और पेंशन अनुदत्त करने वाली सरकार, अन्य उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक राज्य से इस दायित्व का उसका अंश प्राप्त करने की हकदार होगी।" (56)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह संशोधन इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि सिंगारेनी कोलियरी लिमिटेड से कोल सम्पर्क को बंद कर देना लोक नीति के विरुद्ध और वाणिज्यिक रूप से भी हमेशा के लिए एक गलत निर्णय है और सिंगारेनी कोलियरी जिन मौजूदा अधिकारों के अधीन प्रचलित की जा रही है, वे निगम विरुद्ध है। महोदया, यह खण्ड जब तक समायोजन किए जाने के लिए संक्रमण के क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जाता है, तो वाणिज्यिक और रणनीतिक नीतियों और व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है और इसलिए, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 56 सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

"कि आठवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आठवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

नौवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :-

पृष्ठ 42 से पृष्ठ 44, नवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

"नौवीं अनुसूची

(धारा 68 और धारा 71 देखें)

सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची

क्रम सं.	सरकारी कंपनियों के नाम	पता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड	एस-10-193, दूसरा तल, एच.ए.सी.ए. भवन, पब्लिक गार्डन के सामने, हैदराबाद-500004.
2.	आंध्र प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	504, हर्मिटेज ऑफिस कांप्लेक्स, हिल फोर्ट रोड, हैदराबाद-500004
3.	आंध्र प्रदेश राज्य भांडागार निगम	वेयरहाउसिंग सदन, दूसरा तल, गांधी भवन के पीछे, नमपल्ली हैदराबाद-500001
4.	आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम लिमिटेड	6-3-655/1ए, सिविल सप्लाई भवन, सोमाजीगुड़ा हैदराबाद-500082
5.	आंध्र प्रदेश गेन्को	विद्युत शोध, खैतराताबाद, हैदराबाद-500004
6.	आंध्र प्रदेश ट्रांसको	विद्युत सुधा, खैराताबाद, हैदराबाद-500004

1	2	3
7.	सिंगारेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड	सिंगारेनी भवन, मचारमंजिल रेडहिल्स, हैदराबाद-500004
8.	एन.आर.ई.डी.सी.ए.पी.	पिसगा कांप्लेक्स, नमपल्ली हैदराबाद-500001
9.	आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	यू.एन.आई. बिल्डिंग तीसरा तल, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद-500004
10.	आंध्रा प्रदेश राज्य फिल्म और टेलीविजन थियेटर विकास निगम लिमिटेड	10-2-1, एफ.डी.सी. कांप्लेक्स, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद-500004
11.	आंध्र प्रदेश चिकित्सीय सेवा अवसंरचना विकास निगम	ए.पी.एम.एस.आई.डी.सी. बिल्डिंग डी.एम. एंड एच.एस. कैंपस, सुल्तान बाजार हैदराबाद-500095
12.	आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	डी.आई.जी. ऑफिस, सैफाबाद हैदराबाद-500004.
13.	आंध्र प्रदेश राज्य हाउसिंग निगम लिमिटेड	3-6-184, स्ट्रीट सं. 17, उर्दू हाल लेन, हिमायत नगर, हैदराबाद
14.	आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	ग्रुहकल्पा, एम.जे. रोड, नामपल्ली हैदराबाद-500028
15.	आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड	बी.आर.के. बिल्डिंग टैंक बंद रोड, हैदराबाद
16.	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड	रेयर ब्लॉक, तीसरा तल, एच.एम.डब्ल्यूएस.एस.बी. परिसर खैरताबाद, हैदराबाद-500004
17.	आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड	5-9-58/बी, छठा तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद-500004
18.	आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	5-9-58/बी, छठा तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद-500004
19.	आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम	5-9-194, चिराग अली लेन, अबिद, हैदराबाद-500001
20.	आंध्र प्रदेश चमड़ा उद्योग विकास निगम (एल.आई. डी.सी.ए.पी.)	5-77/27 दरगाहुसैनी शॉ अली, गोलकोंडा पोस्ट, हैदराबाद-500008
21.	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	हस्तकला भवन, मुशीराबाद, एक्स रोड, हैदराबाद।
22.	आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार (संवर्धन) निगम लिमिटेड (ए.पी.टी.पी.सी.)	6-10-74, फतेह मैदान रोड, शंकर भवन, हैदराबाद-500004
23.	आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड	8-2-674/बी, रोड नं. 13 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
24.	आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	पांचवा तल, ए.पी. स्टेट हज हाउस पब्लिक गार्डन के सामने नमपल्ली हैदराबाद-500001
25.	आंध्र प्रदेश सुपेय निगम लिमिटेड	चौथा तल, प्रोहिबिसन एंड एक्साइज कंप्लेक्स, 9 एंड 10 इस्टर्न एम.जे. रोड नमपल्ली, हैदराबाद-500001
26.	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	बस भवन, मुशीराबाद, एक्स रोड हैदराबाद।
27.	आंध्र प्रदेश खाद्य	आई.डी.ए., नचाराम हैदराबाद-500076

1	2	3
28.	आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3-5-891 ए.पी. टूरिज्म हाउस हिमाचल नगर, हैदराबाद।
29.	आंध्र प्रदेश राजीव स्वगरूहा निगम लिमिटेड	ए-06 शाहभवन, बांडलागुडा जी.एस.आई. (पोस्ट) हैदराबाद-500001
30.	पूर्वी ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	कारपोरेट ऑफिस गुरुवार जंक्शन के नजदीक पी. एंड टी. सीताम्मधारा कालोनी विशाखपट्टनम 530013
31.	दक्षिणी ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	#1-13-65/ए, श्रीनिवासपुरम तिरूपति 517503
32.	केन्द्रीय ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	6-1-50, कोरपोरेट ऑफिस मिट कंपाउड हैदराबाद-500063
33.	उत्तरी ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	1-1-478 चैतन्यापुरी कालोनी आर.ई.एस. पैट्रोल पंप के नजदीक वरंगल
34.	आंध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	रजिस्ट ऑफिस एंड फैक्टरी, कोंडापल्ली-521228 कृष्णा डिस्ट्रीक्ट
35.	निर्यात वाईज़ैग ऐपरल पार्क लिमिटेड	सी-ब्लॉक, चौथा तल, बी.आर.के. भवन, हैदराबाद-500063
36.	आंध्र प्रदेश राज्य क्रिश्चयन (अल्पसंख्यक) वित्त निगम	6-2-41, फ्लैट नं. 102, मुगल इमामी मेनसन, सदन कालेज के सामने, खैराताबाद, हैदराबाद-500004
37.	हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड	मेट्रो रेल भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004
38.	आंध्र प्रदेश शहरी वित्त अवसंरचना विकास निगम	दूसरा तल. ई. एंड पी.एच. कंपलैक्स, कसाना बिल्डिंग, लिमिटेड ए.सी. गार्ड, हैदराबाद
39.	आंध्र प्रदेश अवसंरचना विकास निगम (आई.एन.सी. ए.पी.)	10-2-1, तीसरा तल, एफ.डी.सी. कंप्लेक्स, ए.सी. गार्ड, हैदराबाद-500028
40.	आंध्र प्रदेश विदेशी जनशक्ति कंपनी लिमिटेड	आई.टी.आई. मालेपल्ली कैंपस, विजयनगर कालोनी, (ओ.एम.सी.ए.पी.) हैदराबाद-500057
41.	आंध्र प्रदेश ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड	एल-ब्लॉक, चौथा तल, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद
42.	आंध्र प्रदेश सड़क विकास निगम	आर एंड बी ऑफिस, महावीर के पास, ए.सी. गार्ड, हैदराबाद-500057
43.	आंध्र प्रदेश जनजातीय ऊर्जा कंपनी लिमिटेड	चौथा तल, दामोदरम सांजिवाइआ संकेशमा भवन, मसब (टी.आर.आई.पी.सी.ओ.) टैंक, हैदराबाद
44.	आंध्र प्रदेश जनजातीय खनन कंपनी लिमिटेड	चौथा तल, दामोदरम सांजिवाइआ संकेशमा भवन, मसब (टी.आर.आई.एम.सी.ओ.) टेंक, हैदराबाद
45.	आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव आयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड	परिशर्मा भवन, 9वां फ्लोर, हैदराबाद।
46.	आन्ध्र प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन लि.	हाका भवन, हिल फोर्ड रोड, हैदराबाद।
47.	डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लि.	केयर आफ आन्ध्र प्रदेश हाउसिंह बोर्ड, ग्राउंड फ्लोर, ग्रुहा कल्पा, एम. जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001

1	2	3
48.	आन्ध्र प्रदेश एविएशन कारपोरेशन लि.	II फ्लोर कंटेनर, फ्लोराइड स्टेशन, एयर कारपोरेशन काम्पलेक्स, बेगम्पेट 16.
49.	आन्ध्र प्रदेश गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन (पी) लि.	5-9-58/बी, परिशर्मा भवन, II फ्लोर, फते मैदान रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-14
50.	आन्ध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि.	5-9-58/बी, परिशर्मा भवन, II फ्लोर, फते मैदान रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-14
51.	आन्ध्र प्रदेश खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड	मेहदीपतनम रोड, मसब टैंक, हुमायु नगर, हैदराबाद (ए.पी.के.वी.आई.बी.)
52.	आन्ध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसाइटी लि. (ए.पी.सी.ओ.)	रोड न. 16, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, चिन्थल, हैदराबाद-55
53.	आन्ध्र प्रदेश टैक्सटाइल डेवलपमेंट कारपोरेशन (ए.पी.टी.ई.एक्स.)	फोर्थ फ्लोर, बी.आर.के.आर. भवन, सी ब्लॉक, टैंकबंदरोड, सैफाबाद, हैदराबाद-4
54.	निजाम सूगर्स लि. (एन.एस.एल.)	6-3-570/1, 201, डायमंड ब्लाक, रॉकडेल कंपाउंड, सोमाजीगुडा, एरामंजिल, हैदराबाद-82
55.	आन्ध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी (ए.पी.एफ.पी.एस.)	फस्ट फ्लोर बी.आर.के.आर. भवन, टैंक बंद रोड, हैदराबाद-63
56.	कृष्णआपतनम इंटरनेशनल लीदर कॉप्लेक्स प्रा. लि.	फिफ्थ फ्लोर, परिशर्मा भवन, बशीरबाग. हैदराबाद-4 (के.पी.आई.एल.सी.)
57.	आन्ध्र प्रदेश स्टेट फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव सुगर फैक्टीज लि. (ए.पी.एस.एफ.सी.एस.सी.)	चिराग अली लेन, हैदराबाद-500001
58.	टैक्सटाइल पार्क, पाशा मैलाराम	पाशा मैलाराम, मेडक डिस्ट्रिक्ट
59.	आन्ध्र प्रदेश वुमेन्स को-आपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन लि.	डोर नं. 1335/एच, रोड नं. 45, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033
60.	आन्ध्र प्रदेश विकलांगुला को-आपरेटिव	ए.पी. विकलांगुला संक्षेमा भवन, नालगोंडा एक्स रोड्स, कारपोरेशन माल्कपेट।
61.	आन्ध्र प्रदेश वाटर रिसोर्सेज डेवल्पमेंट कारपोरेशन	IV फ्लोर, जलसौदा बिल्डिंग, एराम, मंजिल, हैदराबाद
62.	आन्ध्र प्रदेश स्टेट प्रापर्जी टैक्स बोर्ड (ए.पी.एस.पी.टी.बी.), हैदराबाद	ए.सी. गार्ड्स मसबटैंक, हैदराबाद
63.	आन्ध्र प्रदेश टोड्डी टैपर्स को-आपरेटिव फाइनेंस लि. (ए.पी. गीता पारिश्रमिक सहकारा आर्थिक संक्षम संस्था), नारायनगुंडा, हैदराबाद	3-5-1089, बीसाइड दीपक सेन्मा थीएटर, नारायनगुंडा, हैदराबाद-29
64.	सोसाइटी फार इंपालायमेंट, प्रोमेशन एंड ट्रैनिंग इन ट्विन सिटीज (एस.ई.टी.डब्ल्यू.आई.एन.)	आजमठ जाह पैलेस, पुरानी हवेली, हैदराबाद-500022

1	2	3
65.	स्पोर्ट्स अथारिटी आफ आन्ध्र प्रदेश (एस.ए.ए.पी.)	लाल बहादुर स्टेडियम, हैदराबाद-500001 ए.पी. इंडिया
66.	आंध्र प्रदेश सोसाइटी फार ट्रेनिंग एंड इंप्लायमेंट प्रोमोशन (ए.पी.एस.टी.ई.पी.) टू बी ऐडेड	डायरेक्टर आफ यूथ सर्विसेज एंड एम.डी., ए.पी.एस.टी.ई.पी. बिहाइंड बोट्स क्लव, सिंकद्राबाद
67.	स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुपति	नियर एस.वी. जू पार्क, बिसाइड ए.पी. टूरिज्म ट्रांसपोट, पेलर विलेज, तिरुपति, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट-517507
68.	स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलौजी, मेडक	कोहीर एक्स रोड, कावेरी विलेज, मेडक, डिस्ट्रिक्ट-502321
69.	आंध्र प्रदेश मीट डेवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद	10-2-289/129, शांतिनगर, हैदराबाद-28
70.	आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद	विजया भवन, लालापेट, हैदराबाद-17
71.	ए.पी.शीप एंड गोट डेवलपमेंट को-आपरेटिव फेडरेशन, हैदराबाद	मैनेंजिंग डायरेक्ट, 10-2-289/127, शांतिनगर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
72.	आंध्र प्रदेश स्टेट फिशरमेन कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन, हैदराबाद	मैनेजिंग डायरेक्टर, आफिस आफ कमिश्नर आफ फिशरीज, 4 लैंस, शांतिनगर, मत्स्य भवन, हैदराबाद
73.	आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कोआपरेटिव फेडरेशन	विजया भवन, लालापेट, हैदराबाद-17 लिमिटेड, हैदराबाद
74.	आंध्र प्रदेश स्टेट वेटनरी काउंसिल हैदराबाद	हाउस नं. 2-289/124 रोड नं. 4, शांति नगर, हैदराबाद-500028
75.	आंध्र प्रदेश गिरिजन कोआपरेटिव कारपोरेशन	तेलुगु संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
76.	आंध्र प्रदेश स्टेट एस.टी. कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन (त्रिकूर)	मैनेजिंग डायरेक्टर, 1 फ्लोर, डी.एस.एस. भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
77.	आंध्र प्रदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (ए.पी.ई.डब्ल्यू.आई.डी.सी.)	4 फ्लोर, राजीव विद्या मिशन बिल्डिंग, एस.सी.ई.आर.टी. कंपाउंड हैदराबाद-500001
78.	आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट्स कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन	सी.सी. एंड एम.डी., दामोदरम, संजीवैय्या समवक्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
79.	आंध्र प्रदेश बैकवर्ड कलोसेस कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन	सक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
80.	आंध्र प्रदेश वाशरमेन कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
81.	आंध्र प्रदेश नाई ब्राह्मण कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
82.	आंध्र प्रदेश सागर कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28

1	2	3
83.	आंध्र प्रदेश वाल्मिकी कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
84.	आंध्र प्रदेश बालीजा कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
85.	आंध्र प्रदेश बत्राजा कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
86.	आंध्र प्रदेश मेदारा कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
87.	आंध्र प्रदेश कुम्मारी कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
88.	आंध्र प्रदेश विश्वब्राह्मण कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28
89.	आंध्र प्रदेश टैडी टेपर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	समक्क्षेम भवन, 5 फ्लोर, मसाब टैंक, हैदराबाद-28

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है :-

"कि नौवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नौवीं अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

...(*व्यवधान*)...

दसवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 45 और पृष्ठ 46, दसवीं अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये। (34)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

"दसवीं अनुसूची

(धारा 75 देखें)

राज्य की कुछ संस्थाओं में सुविधाओं को जारी रखना

प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों की सूची

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी संघ, हैदराबाद
2. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्गों के लिए स्टडी सर्कल, विशाखापट्नम
3. पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
4. आंध्र प्रदेश वन अकादमी, रंगारेड्डी जिला
5. आंध्र प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् (ए.पी.सी.ओ.एस.टी.), हैदराबाद
6. डॉ. एम.सी.आर. मानव संसाधन विकास संस्थान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
7. सुशासन केन्द्र, हैदराबाद
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य संस्थान, बंगालराव नगर हैदराबाद
9. राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, हैदराबाद
10. आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद
11. जल और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
12. ए.एम.आर. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, हैदराबाद
13. श्री रमनानंदा तीर्थ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
14. आंध्र प्रदेश मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अकादमी
15. राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, हैदराबाद

16. राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् हैदराबाद
17. आंध्र प्रदेश अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद
18. जनजातीय संस्कृति और अनुसंधान संस्थान, संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद
19. मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड, हैदराबाद
20. आंध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण, हैदराबाद
21. आंध्र प्रदेश पशुधन विकास अभिकरण, हैदराबाद
22. वन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अध्ययन केन्द्र (सी.ई.एफ.एन.ए.आर.एम.), रंगारेड्डी जिला
23. आंध्र प्रदेश प्रेस अकादमी, हैदराबाद
24. एड्स नियंत्रण सोसाइटी, हैदराबाद
25. आंध्र प्रदेश चिकित्सीय एवं सगंधित वनस्पति बोर्ड, हैदराबाद
26. आंध्र प्रदेश पराचिकित्सीय बोर्ड, हैदराबाद
27. आंध्र प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, हैदराबाद
28. फौरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद
29. राज्यस्तर पुलिस भर्ती बोर्ड
30. आंध्र प्रदेश नेटवर्क सोसाइटी (एस.ए.पी.एन.ई.टी.), हैदराबाद
31. आंध्र प्रदेश इंजीनियरी अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद
32. आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी, हैदराबाद
33. आंध्र प्रदेश गरीबों के लिए शहरी सेवाएं, हैदराबाद
34. नगरपालिका क्षेत्र से गरीबी उन्मूलन मिशन (एम.ई.पी.एम.ए.), हैदराबाद
35. आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीवनयापन परियोजना (पी.एम.यू.), हैदराबाद
36. जल संरक्षण मिशन
37. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी, हैदराबाद
38. रोजगार उत्पत्ति और विपणन मिशन, हैदराबाद
39. आंध्र प्रदेश राज्य दूर संवदी प्रयोग केन्द्र, हैदराबाद
40. आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, हैदराबाद
41. ए.पी.आर.ई.आई. सोसाइटी, हैदराबाद
42. आंध्र प्रदेश समाजकल्याण आवासीय शिक्षा संस्थान सोसाइटी (ए.पी.एस.डब्ल्यू.आर.ई.आई.), हैदराबाद
43. राज्य कृषि प्रबंध विस्तारण प्रशिक्षण संस्थान (एस.ए.एम.ई.टी.आई.), हैदराबाद
44. मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद
45. आंध्र प्रदेश में पशुधन विकास के लिए राज्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद (एस.एम.आई.एल.डी.ए.) (हैदराबाद)
46. राज्य पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्व गोदावरी
47. राज्य मत्स्यक्षेत्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.आई.एफ.टी.) काकीनाड़ा
48. महात्मा ज्योतिबा फूले आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्था सोसाइटी, हैदराबाद
49. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, हैदराबाद
50. हिन्दी अकादमी, हैदराबाद
51. तेलगु अकादमी, हैदराबाद
52. संस्कृत अकादमी, हैदराबाद
53. ओरियंटल पांडुलिपि पुस्तकालय और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
54. आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेख और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
55. राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद
56. जवाहर लाल नेहरू वास्तु और ललितकला विश्वविद्यालय, हैदराबाद
57. श्री पदमावर्ती महिला विश्वविद्यालय, हैदराबाद
58. द्रविड़ियन विश्वविद्यालय, कुप्पम
59. तेलगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
60. डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद
61. आर.वी.एम. (एस.एस.ए.) प्राधिकरण, हैदराबाद
62. आंध्र प्रदेश सरकारी पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, हैदराबाद
63. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, हैदराबाद
64. आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद
65. आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड, हैदराबाद
66. आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय हरित कार्पस, सिकंदराबाद

67. निवारक ओषधि संस्थान निदेशालय, हैदराबाद

68. इलैक्ट्रानिक शासन संस्थान (आई.ई.जी.), ए.पी. ज्ञान नेटवर्क सोसाइटी, हैदराबाद

69. राष्ट्रीय शहरी प्रबंध संस्थान (एन.आई.यू.एम.), हैदराबाद

70. आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, हैदराबाद

71. वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, हैदराबाद

72. अल्पसंख्यक शैक्षिक विकास केन्द्र, हैदराबाद

73. दैरातुल मारिफ, ओयू हैदराबाद

74. आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति, हैदराबाद

75. आंध्र प्रदेश राज्य विकास योजना सोसायटी, हैदराबाद

76. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, राजेन्द्र नगर

77. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, हासनपार्थी

78. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, बापतला

79. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, सामलकोट

80. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीकलाहस्ती

81. आंध्र प्रदेश में राजीव शिक्षा और नियोजन मिशन (आर.ई.ई.एम.ए.पी.) हैदराबाद

82. ग्रामीण विकास सेवा सोसाइटी, हैदराबाद

83. सामाजिक संपरीक्षा, जबाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी, हैदराबाद

84. स्त्री निधि प्रत्यय सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद

85. आंध्र प्रदेश सर्वेक्षण प्रशिक्षणप अकादमी, हैदराबाद

86. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद

87. आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, हैदराबाद

88. विक्टोरिया मेमोरियल गृह (आवासीय विद्यालय), हैदराबाद

89. ए.पी.टी.डब्ल्यू. आवासीय शिक्षा संस्था सोसाइटी (गुरूकुलम), हैदराबाद

90. डा. वाई.एस.आर. अनुसूचित जाति स्टडी सर्कल (पी.ई.टी.सी.), सिकंदराबाद

91. आंध्र प्रदेश महिला आयोग, सिकंदराबाद

92. आंध्र प्रदेश राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, हैदराबाद

93. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिकंदराबाद

94. दृष्टि से विक्लांग व्यक्तियों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, सिकंदराबाद

95. आंध्र प्रदेश नि:शक्त व्यक्ति स्टडी सर्कल, हैदराबाद

96. ए.पी.एस.आर.टी.सी. कर्मचारी मितव्ययिता और प्रत्यय सहकारी सोसाइटी लि., हैदराबाद

97. ट्रक चालक राजमार्ग प्रसुविधा सोसाइटी (टी.ओ.एच.ए.एस.), हैदराबाद

98. राष्ट्रीय केडेट कार्पस निदेशालय, सिकंदराबाद

99. शिल्पारमन कला शिल्प सांस्कृतिक सोसाइटी, मधापुर, हैदराबाद

100. डा. वाई.एस.आर. राष्ट्रीय पर्यटन और सतकार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद

101. राज्य सुधारक प्रशासन संस्थान, चंचलगुडा, हैदराबाद

102. आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा और सिविल रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद

103. श्री प्रागदा कोटयया मेमोरियल भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.पी.के.एम.आई.एच.टी.), नल्लोर

104. तेलुगु चेनेथा पारिश्रमिक शिक्षण केन्द्रम, अनन्तपुर

105. बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, करीमनगर (डब्ल्यू.टी.सी.), करीमनगर

106. विद्युत करघा सेवा केन्द्र सिरसिल्ला, करीमनगर

107. खादी ग्रामोद्योग महाविद्यालय, हैदराबाद।''।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है :-

''कि दसवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दसवीं अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

ग्यारहवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 47, अंतिम पंक्ति सं. 35 के पश्चात् अंत: स्थापित करें,- (35)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

"10. निम्नलिखित परियोजनाएं जो निर्माणाधीन हैं, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार पूरी की जाएंगी और जल में हिस्सा बंटाने संबंधी ठहराव इस प्रकार जारी रहेंगे :-

(i) हांडरी नीवा

(ii) तेलुगु गंगा

(iii) गलेरू नागिरी

(iv) वेनेगोंडु

(v) कलवाकुरथि

(vi) नेत्तमपडु।"। (36)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ "नीचे से पंक्ति 1 से 3 का लोप करें। (57)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 57 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि ग्यारहवीं अनुसूची संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ग्यारहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

बारहवीं अनुसूची

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ 67 पंक्ति 6 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:-

"2. नियत तिथि से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए एससीपीएल के विद्यमान कोयला अनुबंध किसी परिवर्तन के बगैर जारी रहेंगे।"

(58)

पृष्ठ 67 पंक्ति 10 से 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:-

"4. नियत तिथि से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों के अंतोपयोजी संयंत्रों को उनकी अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुपात में आपूर्ति किए जाने वाले ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति जारी रहेगी।" (59)

पृष्ठ 67, पंक्ति 4 से 6 (नीचे से) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:-

"7. केन्द्र सरकार, ऐसे उत्तरवर्ती राज्य को, जिसके पास कम मात्रा में विद्युत शक्ति हो, पैरा 6 में वर्णित हिस्से के अतिरिक्त केन्द्रीय पूल से बिजली के आबंटन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।" (60)

महोदया, मैं इन संशोधनों को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि केन्द्र सरकार को उत्तरवर्ती राज्य जिसके पास कम मात्रा में विद्युत शक्ति है, उक्त खण्ड में वर्णित हिस्से के अतिरिक्त केन्द्रीय पूल से बिजली आबंटन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो तेलंगाना को विद्युत आपूर्ति के मामले में नुकसान सहना पड़ेगा। तेलंगाना के समग्र विकास के लिए नियमित और निरंतर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

मैं सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह तेलंगाना के समग्र विकास को देखते हुए मेरा संशोधन स्वीकार करे ताकि तेलंगाना के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री असादुद्दीन आवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 58 से 60 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि बारहवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बारहवीं अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गयी।

तेरहवीं अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 68 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

तेरहवीं अनुसूची

(धारा 93 **देखिए)**

शिक्षा

1. भारत सरकार उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में बारहवीं और तेरहवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना के लिए उपाय करेगी। इसके अन्तर्गत एक आईआईटी, एक एनआईटी, एक आईआईएम, एक आईआईएसईआर, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय और एक आईआईआईटी है।

2. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का अतिविशिष्ट अस्पताल सह शिक्षण संस्था स्थापित करेगी।

3. भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य प्रत्येक में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी।

4. उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में एक उद्यान कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

5. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी।

अवसंरचना

1. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य के दुग्गीराजूपट्नम में एक नवीन प्रमुख पत्तन विकसित करेगी जो 2018 के अन्त तक पहले चरण के साथ भिन्न-भिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा।

2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल) नियत दिन से छह मास के भीतर उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के खम्माम जिले में एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगा।

3. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल), नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर जिले में एक एकीकृत इस्तात संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगा।

4. आईओसी या एचपीसीएल, नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में ग्रीनफील्ड क्रूड आयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कामप्लेक्स स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

5. भारत सरकार, नियत दिन से छह मास के भीतर, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर के साथ-साथ विशाखापट्नम - चेन्नई औद्योगिक कारीडोर स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस अवधि के भीतर उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

6. भारत सरकार, नियत दिन से छह मास के भीतर, विद्यमान विशाखापट्नम, विजयवाडा और तिरुपति विमानपत्तनों को और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विस्तारित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

7. एनटीपीसी, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में आवश्यक कोयला लिंकेज की स्थापना के पश्चात् 4000 मेगावाट विद्युत शक्ति सुविधा स्थापित करेगी।

8. भारतीय रेल, नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में नवीन रेल जोन स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

9. एनएचएआई, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

10. भारतीय रेल नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में रेल कोच कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और राज्य में रेल संपर्क का सुध ार करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

11. केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य की नई राजध ानी से हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य महत्वपूर्ण शहरों तक त्वरित रेल और सड़क संपर्क स्थापित करने संबंधी उपायों पर विचार करेगी।

12. भारत सरकार, विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल सुविधा की संभाव्यता की जांच करेगी और विजयवाडा-गुंटूर-तेनाली मेट्रोपोलिटन शहरी विकास प्राधिकरण नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगा।''

(श्री सुनील कुमार शिंदे)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ 50 पंक्ति 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:-

''एनटीपीसी एससीसीएल के सहयोग से घरेलू कोयला आपूर्ति पर आधारित 4000 मेगावाट विद्युत शक्ति सुविधा स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और जिसका पूरा विद्युत उत्पादन पूरी तरह से उत्तरवर्ती राज्य तेलंगाना को समर्पित होगा।''

पृष्ठ 50 के अंत में जोड़ें:-

11. दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में राज्य योजना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

12. दोनो उत्तरवर्ती राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक आयोग गठित किए जाएंगे।

13. दोनों राज्यों में सभी पिछड़े क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना राज्य में उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण तेलंगाना और पूर्वी रायल सीमा क्षेत्रीय बोर्ड तथा शेष आन्ध्र प्रदेश राज्य में उत्तरी तटीय आन्ध्र, दक्षिण तटीय आन्ध्र और पश्चिमी रायलसीमा क्षेत्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

14. जब उत्तरवर्ती राज्यों को नदी जल का आबंटन किया जाएगा या विभाजित किया जाएगा, हैदराबाद महानगर के पेयजल हेतु सिंगुर परियोजना और कृष्णा तथा गोदावरी नदी से पानी का विशिष्ट आबंटन किया जाएगा। पानी का आहरण सिंगुर से 7 टीएमसी, कृष्णा से 16.5 टीएमसी और गोदावरी से 10 टीएमसी और कुल मिलाकर 33.5 टीएमसी वार्षिक किया जाएगा।

15. भारत सरकार हैदराबाद महानगर क्षेत्र को समर्पित विद्युत आपूर्ति के लिए एनटीपीसी के माध्यम से एक 2000 मेगावाट के हैदराबाद मेट्रो संयुक्त चक्र बिजली परियोजना स्थापित करेगी और सरकारी निजी-भागीदारी मोड में 4000 मेगावाट के दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना को मंजूरी देगी।

16. भारत सरकार पुराने हैदराबाद शहर को पिछड़ा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करेगी और शहरी नवीकरण तथा नागरिक अवसंरचना के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज मंजूर करेगी।

17. भारत सरकार तेलंगाना के अन्य शहरों जैसे वारंगल, निजामाबाद, और खम्माम में आधुनिक विमानपत्तन का विकास करेगी।

अन्य क्षेत्र

1. दोनों उत्तरवर्ती राज्यों, तेलंगाना और शेष आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक (बीसीई समूह) को 4 प्रतिशत आरक्षण मिलना जारी रहेगा।

2. उर्दू, जो विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य में दूसरी राजभाषा है, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में तेलगु के साथ संयुक्त राजभाषा बनाया जाएगा और शेष आन्ध्र प्रदेश राज्य में यह दूसरी राजभाषा बनी रहेगी।

3. दोनों राज्यों में अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन जारी रहेगा।

4. उत्तरवर्ती राज्यों में स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी, दोनों) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रहेगा।

5. आन्ध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के उपरांत दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में अपने-अपने राज्य-क्षेत्र में अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थान/संगठन होंगे। आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश उर्दू अकादमी, आन्ध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, आन्ध्र प्रदेश राज्य ईसाई अल्पसंख्यक वित्त निगम, आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण; आन्ध्र प्रदेश राज्य इस समिति और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास से संबंधित केन्द्र उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में हस्तांतरित होंगे और तद्नुसार उनका फिर से नाम निर्धारित किया जाएगा तथा शेष आन्ध्र प्रदेश राज्य में समान संस्थान/संगठन गठित किए जाएंगे।

6. दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना हेतु साविधिक आबंटन जारी रहेगा।

7. उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक उप-योजना को आरंभ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अल्पसंख्यकों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय तेलंगाना राज्य में 12.5 प्रतिशत और शेष आन्ध्र प्रदेश राज्य में 7 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।(62)

अध्यक्ष महोदया, कृपया मुझे संशोधन सं. 62 के संबंध में कुछ और कहने की अनुमति दी जाये। उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण तेलंगाना और पूर्वी रायलसीमा क्षेत्रीय बोर्ड सहित दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में पिछड़ा क्षेत्र विकास के लिए पृथक आयोग गठित किए जाएंगे...*(व्यवधान)*। अब मैं नदी जल आबंटन पर आता हूं। न केवल यही बल्कि यहां बढ़िया बात कही गयी है कि दो तेलगु बोलने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। अब एक और तेलगु बोलने वाला राज्य अस्तित्व में आ रहा है ...*(व्यवधान)* उर्दू भाषा के बारे में क्या? यह सभा स्वतंत्रता की लड़ाई में उर्दू की भूमिका को क्यों भूल गयी? उर्दू के भविष्य का क्या होगा? उर्दू तेलंगाना की दूसरी भाषा क्यों नहीं बनाई जा सकती? उर्दू भाषा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को क्या हो गया? आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में रहने वाले मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान करने की आपकी प्रतिबद्धता कहां गयी...*(व्यवधान)*

इसलिए, मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवेसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 61 और 62 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि तेरहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तेरहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : सभा कल 19 फरवरी, 2014 को पूर्वाह्न 1100 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.24 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 19 फरवरी, 2014/30 माघ, (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	341
2.	श्री संजय धोत्रे श्री बदरूद्दीन अजमल	342
3.	श्री एम. कृष्णास्वामी श्री राजय्या सिरिसिल्ला	343
4.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री आनंदराव अडसुल	344
5.	श्री पी.के. बिजू	345
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	346
7.	श्री प्रदीप माझी	347
8.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री एस. सेम्मलई	348
9.	श्री रूद्रमाधव राय श्री पी. करुणाकरन	349
10.	श्री कपिल मुनि करवारिया श्री हरीश चौधरी	350
11.	श्री के.पी. धनपालन श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	351
12.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ श्री शिवकुमार उदासी	352
13.	श्री वरूण गांधी श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	353
14.	श्री यशवंत लागुरी श्री रतन सिंह	354
15.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	355
16.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	356
17.	डॉ. बलीराम	357
18.	श्री ए.के.एस. विजयन श्रीमती अन्नू टन्डन	358
19.	श्री अशोक कुमार रावत श्री राजू शेट्टी	359
20.	डॉ. पी. वेणुगोपाल श्री के. सुगुमार	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	3894, 3963
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3813, 3878, 3898, 3909, 3940
3.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	3826
4.	श्री आनंदराव अडसुल	3813, 3878, 3898, 3940
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3794, 3832, 3942, 3981, 3994
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3783, 3885, 3957, 3965
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	3810, 3828, 3858
8.	श्री सुल्तान अहमद	3854
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3910
10.	श्री एम. आनंदन	3777, 3876
11.	श्री अनंत कुमार	3818, 3932
12.	श्री गजानन ध. बाबर	3813, 3878, 3898, 3909, 3949

1	2	3
13.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3776, 3875, 3986
14.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	3780, 3918, 3979
15.	श्री रमेश बैस	3819
16.	डॉ. बलीराम	3899, 3972
17.	श्री ताराचन्द भगोरा	3812
18.	श्री समीर भुजबल	3865, 3946
19.	श्री पी.के. बिजू	3880
20.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3793, 3891, 3961
21.	श्री हेमानंद बिसवाल	3791, 3890, 3926
22.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3926
23.	श्री सी. शिवासामी	3807, 3897, 3973, 3978
24.	श्री हरीश चौधरी	3917, 3977
25.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	3844, 3973
26.	श्री हरिभाई चौधरी	3827, 3922, 3952, 3964, 3981
27.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3779, 3784, 3842, 3916, 3931
28.	श्री संजय सिंह चौहान	3858
29.	श्र हरिश्चंद्र चव्हाण	3789, 3943, 3987, 3995
30.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3815, 3904, 3950, 3967
31.	श्री निखिल कुमार चौधरी	3821, 3912
32.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3798, 3895
33.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	3832
34.	श्रीमती रमा देवी	3851, 3952
35.	श्री के.पी. धनपालन	3844, 3883, 3932, 3968
36.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3796, 3916, 3975

1	2	3
37.	श्री चार्ल्स डिएस	3867, 3947, 3998
38.	श्री निशिकांत दुबे	3848, 3864, 3924
39.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3821, 3864, 3945, 3952, 3997
40.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3815, 3904, 3950, 3967
41.	श्री वरुण गांधी	3908
42.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3815, 3904, 3950, 3967
43.	श्री शिवराम गौडा	3782
44.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3889, 3898, 3975
45.	श्री सैयद शानहवाज हुसैन	3853, 3870, 3902, 3936, 3990
46.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3847, 3869, 3924, 3933, 3980
47.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3802, 3896
48.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3804, 3932
49.	श्रीमती पूनम बेलजीभाई जाट	3842
50.	श्री हरिभाऊ जावले	3921, 3987, 3849
51.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	3852, 3935
52.	श्री सुरेश कलमाडी	3816, 3928, 3984
53.	श्री पी. करुणाकरन	3886, 3958, 3993
54.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3884, 3957
55.	श्री राम सिंह कस्वां	3795
56.	श्री नलिन कुमार कटील	3843, 3855
57.	श्री चंद्रकांत खैरे	3833, 3869, 3919, 3924, 3982
58.	श्री मिथिलेश कुमार	3773, 3967
59.	श्री अजय कुमार	3862, 3907, 3932, 3944, 3996

1	2	3
60.	श्री पी. कुमार	3840, 3973
61.	श्रीमती पुतुल कुमारी	3844, 3973
62.	श्री यशवंत लागुरी	3909
63.	श्री एम. कृष्णास्वामी	3796, 3975
64.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3797, 3911
65.	श्री सतपाल महाराज	3831
66.	श्री भर्तृहरि महताब	3820, 3823, 3914
67.	श्री प्रदीप माझी	3903, 3905, 3966
68.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	3815
69.	श्री जोस के. मणि	3792, 3902, 3974
70.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3869, 3893, 3951, 3971
71.	श्री पी.सी. मोहन	3801, 3957
72.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3916, 3993
73.	श्री नामा नागेश्वर राव	3843, 3932
74.	श्री नारनभाई काछादिया	3861
75.	श्री ओ.एम. मणियन	3783
76.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3788, 3888, 3898, 3960, 3981
77.	श्री पी.आर. नटराजन	3850
78.	श्री विन्सेंट एच. पाला	3834, 3925, 3983
79.	श्री वैजयंत पांडा	3856, 3938, 3993
80.	श्री प्रबोध पांडा	3811
81.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3817
82.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	3859
83.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3842
84.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3905
85.	श्री हरिन पाठक	3832, 3842, 3858
86.	श्री संजय दिना पाटील	3832
87.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3838, 3924
88.	श्री सी.आर. पाटिल	3820, 3821, 3924
89.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3924
90.	श्रीमती कमला देवी पटले	3805, 3848
91.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3808, 3916
92.	श्री अमरनाथ प्रधान	3803
93.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3825, 3920
94.	श्री एम.के. राघवन	3857, 3925
95.	श्री अब्दुल रहमान	3889, 3975
96.	श्री सी. राजेन्द्रन	3925
97.	श्री एम.बी. राजेश	3830, 3869, 3916, 3945
98.	श्री पूर्णमासी राम	3781, 3860, 3863, 3881, 3989
99.	प्रो. रामशंकर	3799
100.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3845
101.	डॉ. रत्ना डे	3857
102.	श्री अशोक कुमार रावत	3870, 3892, 3962, 3977
103.	श्री विष्णु पद राय	3772
104.	श्री रुद्रमाधव राय	3906
105.	श्री एस. अलागिरी	3964, 3977
106.	श्री एस. सेम्मलई	3776, 3915, 3976
107.	श्री एस.आर. जेयदुराई	3832
108.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3786, 3869, 3911, 3939
109.	श्री ए. सम्पत	3880
110.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3784
111.	श्री तूफानी सरोज	3868, 3948
112.	श्री हमदुल्लाह सईद	3775, 3874, 3954

1	2	3
113.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	3819
114.	श्री नीरज शेखर	3814, 3871, 3898, 3930, 3985
115.	श्री राजू शेट्टी	3832, 3941
116.	श्री एंटो एंटोनी	3809, 3932, 3934, 3988
117.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	3820
118.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3800, 3966
119.	डॉ. भोला सिंह	3924
120.	श्री गणेश सिंह	3829, 3923, 3976
121.	श्री इज्यराज सिंह	3833, 3847, 3909, 3933, 3987
122.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3778, 3937, 3991
123.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3787
124.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3841
125.	श्री रतन सिंह	3778, 3919, 3980
126.	श्री रवनीत सिंह	3860, 3870
127.	श्री सुशील कुमाार सिंह	3863
128.	श्री यशवीर सिंह	3814, 3871, 3898, 3930, 3985
129.	चौधरी लाल सिंह	3835, 3973
130.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3922
131.	श्री एन. धरम सिंह	3812, 3855
132.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3975
133.	श्री ई.जी. सुगावनम	3770, 3812, 3836, 3873, 3953
134.	श्री के. सुगुमार	3777, 3921, 3973
135.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3824

1	2	3
136.	श्री डी.के. सुरेश	3855, 3987
137.	श्री मानिक टैगोर	3860
138.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3887, 3926, 3959
139.	श्री जगदीश ठाकोर	3771
140.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3769, 3877, 3955
141.	श्री आर. थामराईसेलवन	3785, 3882, 3911, 3921, 3956
142.	श्री पी.टी. थॉमस	3839, 3929
143.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3822, 3869, 3913
144.	श्री शिवकुमार उदासी	3900, 3907
145.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3774, 3951
146.	श्री हर्ष वर्धन	3774, 3951
147.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3827, 3952, 3981
148.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3911, 3973
149.	श्री सज्जन वर्मा	3819, 3860
150.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3837, 3927, 3981
151.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	3907, 3969
152.	श्री पी. विश्वनाथन	3790, 3901, 3911, 3992
153.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3832, 3869, 3879
154.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3778, 3802, 3896, 3952
155.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3813, 3878, 3898, 3964
156.	श्री ओम प्रकाश यादव	3806, 3964
157.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3829, 3846
158.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3866, 3995

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	346, 351, 353, 360
रसायन और उर्वरक	:	341, 345, 355
कोयला	:	348, 357
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	343, 350, 352, 359
संस्कृति	:	347
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	358
गृह	:	342, 349, 356
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	344, 354
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3773, 3775, 3780, 3782, 3783, 3790, 3796, 3798, 3817, 3820, 3822, 3826, 3829, 3830, 3840, 3842, 3843, 3846, 3847, 3850, 3852, 3854, 3858, 3860, 3861, 3864, 3867, 3884, 3886, 3890, 3891, 3893, 3897, 3909, 3912, 3914, 3917, 3930, 3932, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3945, 3954, 3955, 3958, 3961, 3967, 3970, 3973, 3975, 3979, 3984, 3987, 3988, 3989, 3991, 3995, 3997
रसायन और उर्वरक	:	3784, 3786, 3803, 3824, 3828, 3837, 3865, 3871, 3896, 3898, 3907, 3915, 3924, 3949, 3966, 3977, 3998
कोयला	:	3776, 3791, 3810, 3814, 3815, 3827, 3853, 3856, 3899, 3935, 3944, 3946, 3952, 3965, 3972, 3982, 3992
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3777, 3788, 3792, 3806, 3807, 3808, 3831, 3835, 3849, 3862, 3868, 3869, 3875, 3880, 3885, 3888, 3894, 3911, 3916, 3919, 3923, 3928, 3931, 3933, 3936, 3937, 3964, 3969, 3974, 3978, 3986
संस्कृति	:	3769, 3771, 3779, 3789, 3794, 3799, 3800, 3816, 3825, 3832, 3841, 3844, 3855, 3866, 3873, 3877, 3902, 3904, 3908, 3947, 3948, 3953, 3962, 3968, 3993, 3996

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3938, 3983
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3785, 3834, 3870, 3872, 3879, 3882, 3921, 3956, 3959, 3976, 3980
गृह	:	3770, 3772, 3774, 3778, 3781, 3787, 3795, 3797, 3801, 3802, 3804, 3805, 3809, 3811, 3812, 3813, 3818, 3819, 3821, 3833, 3838, 3839, 3845, 3848, 3851, 3857, 3859, 3863, 3874, 3876, 3878, 3881, 3883, 3887, 3889, 3892, 3895, 3903, 3906, 3910, 3913, 3918, 3920, 3922, 3925, 3926, 3927, 3929, 3934, 3951, 3957, 3960, 3963, 3971, 3981, 3985, 3990, 3994
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	3793, 3823, 3836, 3900, 3901, 3905, 3950,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित।